

बोर सेवा मन्दिर
दिल्ली



१२३६

क्रम संख्या

काल न०

खण्ड

२४२. २ ग्रन्थ

विषय सूची

विषय

प्रकाशकका निवेदन	१—४
बत्तव्य	५—८
महात्माजीका संचिस्तजीवन चारित्र	९—३३
यंग इण्डियाका इतिहास	३४—८८
भूमिका	९—१५१
परिचय	१
१—सत्याग्रह आन्दोलन	५—१२४
सत्याग्रहका भाषासार	५
सत्याग्रहकी सर्वव्यापकता	६८
बीती ताहि विसारि दे, आदि	७२
लीडरकी भूल	७७
छठी और तेहरवी अप्रेल	८२
तुकीका प्रश्न	८७
प्रश्नोंका प्रश्न	९२
मैंने खिलाफतका साथ क्यों दिया	२१२
खिलाफत	२१८
कुछ प्रश्नोंका उत्तर	२१९

विषय	पृष्ठ
मार्शल लाका दुसरा शिकार	१६१
अमृतसरकी अधीन	१६५
रामनगरको तुर्भट्टना	१६६
असन्तोष और दमनका दीरा	२०१
झमादान कि विस्मृति	२०३
पंजाबियोंका कर्तव्य	२०६
पेंगाटनके पत्रोंका उत्तर	२११
चौटपर चौट	२२२
बड़े लाटका भाषण	२२८
राजनीतिक संरक्षण	२३१
रचनाइनाथ ठाकुरका सन्देश	२३४
३—खिलाफतकी समस्या	२३६—४४०
जन्माष्टमी	२४१
खिलाफतकी तिथि	२४६
खिलाफत कांफरेंस	२५०
खिलाफत	२५६
तुर्कीका प्रश्न	२५८
प्रश्नोंका प्रश्न	२६४
मैंने खिलाफतका साथ क्यों दिया	२७२
खिलाफत	२७८
कुछ प्रश्नोंका उत्तर	२८४

विषय	पृष्ठ
खिलाफत और गोबध	३०४
प्रतिक्षाभंग	३०६
काण्डलरकी खुली चिट्ठी	३११
बड़े लाटसे अपील	३१६
हिजरत	३२४
श्री अण्डरुजकी कठिनाई	३२६
तुर्कीका प्रश्न	३३१
खिलाफतका अर्थ	३३०
खिलाफतका प्रश्न	३४३
खिलाफतका प्रश्न	३४४
मुसलमानोंकी वेचैनी	३६७
प्रतिक्षा पालन	३७३
खिलाफत और अहिंसा	३७६
खिलाफत पर भाषण	३८१
खिलाफत	३८७
नया मार्ग	३८८
प्रधान मन्त्रीका उत्तर	३९६
बड़े लाटके पास डेपुटेशन	४०३
टाइम्सका विरोध	४०७
मुसलमानोंमें हेयारी	४१३
ब्रिटिश साम्राज्यवाद	४१७
मुसलमानोंका निर्णय	४२३
मिस्टर मार्टिन्सी धर्मकीका उत्तर	४२६
खिलाफत	४३२
पहली अगस्त	४३५

प्रकाशकका निवेदन ।

श्री बड़ा याजार कुमार समाको प्रकाशन क्षेत्रमें अवतीर्ण होने देखकर लोगोंके हृदयमें अनेक तरहके विचार उत्पन्न हो सकते हैं। इनमें सबने मुम्भ और प्रधान विचार यह हो सकता है कि बड़ा याजार कुमार समा व्यवसायिक संस्था नहीं है, फिर इसने यह काम क्यों उठाया; क्योंकि वर्तमान समयमें प्रायः करके साहित्य-क्षेत्र भी व्यवसायका कीड़ाखल हो रहा है। इसके अतिरिक्त दो चार संस्थायें साहित्यके प्रचारके उद्देश्यसे छोली गई हैं पर उनमेंसे दो एक तो रूपान्तरमें व्यवसायिक हो रही हैं और दो एकका प्रबन्ध ही पेसा अव्यवस्थित प्रतीत होता है कि वे अपने उद्देश्यको सफल नहीं कर रही हैं। इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि इस व्यलपर इस सम्बन्धमें कुछ लिखा जाय ताकि लोगोंका भ्रम दूर हो जाय।

बड़ा याजार कुमार समाकी स्वापना जिस उद्देश्यसे हुई श्री उसमे “ज्ञान वधक विभाग” का विशेष स्थान था। इस समाके जन्मकालसे ही ‘ज्ञान वर्धक’ विभागपर ध्यान रखा गया पर उस समय प्रारम्भिक कठिनाइयोंके कारण सिवा एक छोटा मोटा पुस्तकालय छोले देनेके और कुछ न हो सका और यह काम भी पूर्णताके साथ नहीं निष्पन्न हो रहा था। १९२१ से

पुस्तकालयका काम ठीक तरहसे चलने लगा । हिन्दीके प्रायः सभा प्राविक, सांसाहिक और दैनिक पत्र आने लगे । इस समय सभाके सदस्योंका ध्याव ज्ञानवर्धक विभागकी ओर अधिकाधिक आर्थित होने लगा । ज्ञानवर्धक विभाग जो काम कर रहा था उतनेसे ही सभाके सदस्य मनुष्ट नहीं थे । इस विभाग द्वारा सभाजकी सेवा करनेके उद्द तरहके भाव लोकोंहाँ हृदयमें उठने लगे । कुछ लोगोंहो इस बातकी खुब समझकि यहि सुलभ मूल्यपर बड़ा बजार कुमार सभा पुस्तक प्रकाशनका काम करेतो इससे सभाजका भा उपकार होगा और ‘जनवर्धन’ विभागका उद्देश्य भी चरितर्थ होगा । यह चचा । न इन जोर पकड़ती यहि और उन्नतिहा सभासदोंका ध्याव उन आर अधिकाधिक आकृष्ट होने लगा । पर सभाके कामने इन वर्ष पूँजी नहीं थी कि यह प्रकाशनका काम सहज़ा उठा सकती । इसी समय सभाके एक उदार सदस्यजे इन लोगोंको लेकर उन्होंने पुस्तकोंके प्रकाशनमें सभाकी आधिकारिक सहायता करनेका वचन दिया । किसी अनिवार्य कारणनाव अनना नाम नहीं प्रगट करना चाहते थे इससे यह भार उन्हें न सभाको सौंपा । सभाने इसे खाकार कर लिया ।

क्ष : फर पढ़ी पुस्तकोंके चुनाव की । हम लोग इस खिलाफ्यमें थे हाँ । कान सी पुस्तक सबसे पहले विकाली जाव कि इसी खिलाफ्यमें मेरे मिश्र अनुबालको महात्मा मान्योंके ‘बड़ा इस्तिया’ के

लिखोकी चर्चा की। मैंने उसी समय निश्चय किया कि यह पुस्तक अवश्य प्रकाशित की जाय क्योंकि इसके द्वारा सभाके सभी उद्देश्य पूरे होते हैं। प्रचारके लिये इससे उपयोगी दूसरी पुस्तक नहीं हो सकती थी। यह इण्डियाके लेख अंग्रेजोंमें निकले हैं। इनकी उपयोगिताके बारेमें अपनी ओरसे कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। केवलमात्र इतना लिख देना काफी होगा कि महात्माजीके हाथोंमें आते ही इसकी ग्राहक संख्या १२०० से ४०,००० हो गई। पर मारतमें अंग्रेजी पढ़े लिखोकी संख्या कितनी है? ग्रायः नहीं के बराबर है। महात्माजी सदा यही कहा करते थे कि हमारा बल तो उन २२ करोड़ अपड़ोंमें है। हमारे आन्दोलनकी सफलता उनके ही सहयोगसे हो सकती है। पर यह इण्डिया द्वारा अंग्रेजी भाषामें महात्माजी अपने जिन विचारोंको प्रगट करते थे उनको उन असंख्य अंग्रेजी भाषासे अनभिज्ञ जनताके पास तक पहुँचानेका क्या यह किया गया। ऐसके साथ लिखना पड़ता है कि इसके लिये कोई योष्टु और सन्तोषजनक उत्थोग नहीं किया गया। मैंने इस बातकी अस्थनत आवश्यकता देखी क्योंकि इसका हिन्दू अनुवाद प्रकाशित करके सुनभ मूल्यमें प्रचार करना अस-हयांग आन्दोलनका बड़ा सहायक हो सकता है। जिन लोगोंमें महात्माजीके विचारोंको केवल दूरसे सुन लिया है उनके साथी उन विचारोंका ज्ञाना एवं विद्या जाकरा और उसमेंसे अपने अपने इस खुलेरेकी उम्में पूरी सत्त्वाता रहेगी। असहयोगका

मध्ये लोग समझ जायेगे और उसको अपनानेमें अधिक दस्तिष्ठत होंगे। निवान इसी पुस्तकसे श्रीगणेत करना निष्ठय हुआ।

यहीं पर दो शब्द मूल्यके विषयमें भी लिख देना उचित है। इस पुस्तकका इतना कम मूल्य देखकर लोग विस्मित होंगे, क्योंकि इतनी भारी पुस्तकका भूल्य १) बर्तमान प्रकाशन क्षेत्रमें तो एक तरहकी कान्ति है। पर इसे कान्ति नहीं समझनी चाहिये। बास्तवमें पुस्तकोंके मूल्यकी दर इस मूल्यकी दरसे कुछ ही अधिक होती चाहिये। इससे दोनोंका लाभ हो सकता है। प्रकाशक व्यवसाय भी कर सकते हैं और हिन्दी साहित्यका प्रचार भी बढ़ता जायगा। पर बर्तमान समयमें जो धीरा धीरा हो रही है उसीका फल है कि आज पुस्तकोंका मूल्य देखकर दोनों तर्फे अंगुली दबानी पड़ती है और एक साधारण पुस्तकके २००० के संस्करणको खपाते खपाते दो तीन बष लग जाते हैं और दोष मढ़ा जाता है जनताके माध्ये कि वह हिन्दी साहित्यमें रुचि नहीं दिखलाती। इस समय साहित्य क्षेत्रमें आवश्यकता है उदार प्रकाशकोंकी जो कम लाभ डाकर साहित्यके प्रचारकी लेणा करे।

बड़ा बजार कुमार सभाके प्रकाशनका उद्देश्य होगा सुलभ मूल्यमें (कमसे कम दाम रखकर सभी उपयोगी विषयोंपर हिन्दी भाषामें उत्तमोत्तम पुस्तकों प्रकाशित करना और जनतामें उनका प्रचार करना जिससे वे लोग भी हिन्दी साहित्यको अपनाने लगें

(५)

जो अवतक अर्थामावके कारण इन प्रकाशकोंकी सेवा नहीं कर सकते थे । यदि हिन्दीके उदार पाठकोंने इस विषयमें उचित सहायता की और पूर्ण योग दिया तो उनकी अभिलाषा इस संस्का द्वारा अवश्य पूरी होगी ।

इन कलिपय शब्दोंके साथ यह इण्डिया का प्रथम लग्ज उदार पाठकोंकी सेवामें उपस्थित किया जाता है । आशा है इसे अपनाकर वे सभाका उत्साह अवश्य बढ़ावेंगे । यदि जनताने इस संप्रहको अपनानेमें पर्याप्त उत्साह दिखाया तो सभा शीघ्र ही महात्माजीके गुजराती नघड़ीचनके लेखोंका संप्रह भी निकालनेका यक्ष करेगी ।

विनीत—

राधा कृष्ण नेवटिया

मन्त्री

बड़ा बजार कुमार सभा

वर्णव्य

कभी कभीकी बेकारी मी बड़ा काम कर जातो है। जिस समय वर्णिक प्रेससे मैंने अपना सझबन्ध तोड़ा मेरे पास बहुतसा फालत् समय हो गया था। मेरे पक अतिशय घनिष्ठ बन्धुने, जो हालमें ही गया काप्रेससे लौटे थे, इस फालत् समयको काटनेके लिये महात्मा गांधीके 'यज्ञ इण्डिया' के लेखोंका एक संग्रह उपहारमें दिया। पुस्तक हाथमें आते ही मैंने देखा कि केवल अखबारी लेख ही न होकर इसमें साहित्यकी खायी सम्पत्ति भी है और यदि हिन्दीमें इसका अनुवाद निकाला जाय तो बड़ा ही उपयोगी होगा, इसके अनुवाद तथा प्रकाशनके लिये मेरे मुँहमें पानी भर आया। पर आप जानते ही हैं कि सरस्वता और लक्ष्मीमें पुराना वेर है, या यों कहिये कि विधाताको कोई इतनी धात सुझानेवाला न रहा कि हजरत ! विचारे पढ़ने लिखने-वालोंको भी हो पैसा दे देते जिससे वे भी अपने दिलकी हवस मिटा लिया करते। पर मैं इतनेसे हताश होनेवाला नहीं था। बातों ही बातोंमें मैंने अपने हृदयकी इच्छा अपने हितेषी मिश्र बाबू राधाकृष्णजी नेवियासे प्रगट की। उन्होंने प्रोत्साहन देते हुए मेरी अभिलाषा पूरी करनेका वचन दिया। किर बया था मैं दूने उत्साहसे इस कामको करने लगा। उन्हींका परामर्श हुआ कि यदि महात्माजीके गुजराती नवजीवनके भी कुछ लेख इस संग्रहमें जोड़ दिये जायें तो यह पुस्तक और भी उपयोगी हो जाय। एक तो समय कम दूसरे गुजराती भाषामें मेरी गति

अधिक नहीं, इन लिये गुनराती नवज्ञोवनसे लेख छ उना और अनुवाद कर देगा मेरे लिये कठिन काम था। निरान मैंने हिन्दी नवज्ञीवनस सहायता ली और उसमें गुनराती नवज्ञोवनके जिनने लेख निकले थे पर इन संप्रदायमें दे दिये। अप्रतामें दो लानोंसे 'हाउ इण्डि ग' का संग्रह निकला है। पर वामें एक भी पूरा नहीं है। इन दिनों संप्रदायमें उन दोनों बापोज्ञा संप्रनोंके अतिरिक्त हिन्दा नवज्ञीवनमें प्रकाशित तथा गांधी फिल्डा पुस्तक भारतारसे प्रकाशित 'महाटमा गांधी' नामक पुस्तक भी चुने लेख दिये गये हैं। इसन यह पुस्तक सर्वोपयागा और पूरा है। जिन लानोंसे मैंने सहायता ली है उसके लिये मैं उक सज्जोंका आभारी हूँ।

इस पुस्तककी भूमिका लम्ही खौड़ी हो गई है अर्थात् प्राय आठ फर्म भूमिकामें ही चले गये हैं। पर यद भूमिका क्या है भारतके साथ अब्रोजी कमनीके सम्बन्ध हा मध्यस्थ इतिहास तथा अनहयग आन्दोलनका सक्षित इतिहास है। इसके बिना संप्रदाय लेखोंके भारोंको पूरी तरह नहो समझा जा सकता था। इनलिये इसका देना नितान्त जरूरी था। इस भूमिकाको लिखनेपे मैंने निम्नलिखित एनोंसे सहायता ली है। श्रीमती एनी बेस्पर लिखित How India wrought it 'or freedom, (हाउ इण्डि ग राट फार फ्रीडम) झानमण्डल कार्यालयसे प्रकाशित सविनय अवश्या जाच समितिकी रिपोर्ट, श्रीयुत एस, रंगा पेंचर लिखित टागार कम्पनीकी प्रकाशित 'यंग इण्डिया'

अंग्रेजी संस्करणकी भूमिका तथा वारू राजेन्द्रप्रसाद लिखित
सहायोगका इतिहास (गनेशनके यंग इंडियाके अंग्रेजी
संस्करणकी भूमिका)। इसलिये मैं इन सज्जनों और प्रकाशकोंका
फुलह हूँ ।

इस पुस्तकके प्रकाशित होनेका सारा अधेर हमारे मित्र वारू
राजाकृष्ण जी नेषटियाको है। इसके लिये वे हमारे नथा समस्त
हिन्दी भाषीजनताके धन्यवादके पात्र हैं क्योंकि उनके इस
प्रयास और उद्योग विना शायद यह उपयोगी विषय के बल हिन्दी
पढ़े लिखे लोगों तक न पहुँच सकता। और इतने सुलभ
मूल्यमें पहुँचना तो स्वप्रकी बात होती। इसके अतिरिक्त हमारे
अनेक मित्रोंने प्रूफ संशोधनादिमें मेरी बड़ी सहायता की है।
इनमें वारू बद्रीप्रसादजी गुप्तका नाम विशेष उल्लेखनीय है। मैं
इन मित्रोंकी सहायताके लिये चिर बाधित हूँ ।

काम इतनी जल्दीमेहुआ है कि भूलें रह जा सकती हैं।
यदि उदार पाठकोंने उन्हें बतलानेकी कृपा की तो दूसरे संस्क-
रणमें सुधारनेका यह किया जायगा ।

इन कतिपय शब्दोंके साथ मैं इस पुस्तकको उदार पाठकोंकी
सेवामें उपलिखित करता हूँ। आशा है कि वे इसे अवश्य अपनावेंगे
और मेरा परिश्रम सार्थक करेंगे ।

यंग इण्डिया



महात्मा गांधी

वर्णिक प्रेस, कलकत्ता ।

महात्माजीका संक्षिप्त जीवन चरित

महात्माजीका जन्म १८६९ के अक्टूबरमें पोरबन्दरमें हुआ था। आप बैश्य कुलके हैं। आपके पिता कर्मचन्द गांधी पोरबन्दर राज्य तथा राजकोट रियासतके दीवान थे। आपकी शिक्षा काठियावाड़ हाई स्कूलसं आरम्भ होकर, लगड़न स्कूल और इनर ट्रैफलमें समाप्त हुई। जिस समय महात्माजी के बीच आठ वर्षके थे उनकी शादी कस्तूरीबाईके साथ हो गई थी। विलायतसे लौटकर महात्माजीने बड़बड़ हाईकोर्टमें बेरीष्टरा शुरू की। तीन वर्ष बकालत करनेके बाद वे १८६३ में दक्षिण अफ्रिकाके लिये प्रस्तान कर गये। पहली बार वे दो वर्ष बाद ही अर्थात् १८६५ में ही दक्षिण अफ्रिकासे लौट आये। भारतमें उन्होंने दक्षिण अफ्रिकामें भारतीयोंके साथ जो व्यवहार किया जा रहा था, उसके लिये घोर आन्दोलन उठाया। जिस समय ये दक्षिण अफ्रिकामें पुनः पहुंचे बहांके सफेद निवासी इतने उत्तेजित हो गये थे कि इनकी प्राण लेनेका हा व्यवस्था करने लग गये। वे बुरी तरह पीटे गये। यदि पुलिस सुशरिष्टेष्टकी पक्की रक्षा न की होती तो ये कहान्वित जीते न रखते। इसीके बाद जिस समय बोझर युद्ध आरम्भ हुआ महात्माजीने भारतीयोंका एक सेवा दल बनाया और मुद्रों तथा आहतोंके

दानेका काम लिया । इसमें उन्होंने सरकारकी जो सहायता को उसके लिये अफ्रीकन सरकार तथा ब्रिटिश सरकार दोनोंने इनकी प्रशंसा की थी । युद्ध समाप्त होते ही स्वास्थ्य सुधारनेके लिये महात्माजो १६०१ में पुनः भारत लौट आये । यहाँ पर पहले पहल उन्होंने कलकत्ता कांग्रेसमें भाग लिया था । इस समय तक नेटालमें भारतीयोंकी अवस्था नितान्त शोचनीय हो गई थी । उनकी अवस्थाको जांच करनेके लिये मिस्टर चेम्परलेन नियुक्त किये गये थे । महात्मा गांधीको भारतीयोंकी ओरसे प्रति-निधि बनकर जानेके लिये अफ्रीका रवाना हाना पड़ा । इसी तरह ट्रांसवालके भारतीयोंकी भी आपने सहायता की थी । इन सभ कामोंसे छुट्टी पाकर आपने ट्रांसवालकी अदालतमें अपना नाम दजे कराया और अटर्नीका काम करने लगे । पर भारतवानियोंको रक्षाका ध्यान ही उनका प्रधान लक्ष्य था । इसीके निमित्त उन्होंने ट्रांसवाल इंडियन असोसियशन नामकी संस्था स्थापित की और आपही उसके मन्त्री बन गये । भारतीयोंकी दशा का परिचय करानेके लिये उन्होंने इंडियन ओपीनियन नामका पत्र निकाला और बादको पोनिक्स सेटिलमेंट स्थापित किया । इसका कारण रस्किनका प्रभाव तथा दक्षिण अफ्रीकामें मजूर और पूंजीका कलह था । जिस समय जोहान्सबर्गमें भीषण प्लॉइटएस्टित था उन्होंने अपनी जान जोखममें डालकर सरकारकी सहायता की । १६०६ में उच्च बहाँके निवासियोंने उपद्रव किया तो महात्मा जीने आहतोंके

दोनों का भार अपने ऊपर लिया । उसी समय उन्होंने अफ्रीकन सरकारके विद्वद् उन कानूनोंको उठा देनेके लिये भी आन्दोलन जारी किया जो भारतीयोंके प्रतिकूल बने थे । उनका सहोषणक सुधार नहीं हुआ । लाचार होकर उन्होंने निष्क्रिय-प्रतिरोधका युद्ध आरम्भ कर दिया । जिसके कारण उन्हें तीन बार जेलकी हवा खानी पड़ी । अस्तमें जेनरल स्मृट्सको इतना पड़ा और उन्होंने महात्माजीके साथ समझौता किया और उन अपमानजनक और अनुदार कानूनोंशो उठा दिया जिनके कारण यह आन्दोलन आरम्भ किया गया था । इस समझौतेका अर्थ गान्धीजीके साथियोंने उल्टा समझा । उन्हें सन्देह हाने लगा कि महात्माजी अप्रेजेंसेसे मिल गये और अपने सथियोंके साथ विभासघात हिया । एक पठान तो इतना उत्तेजित हो गया कि उनके प्राण लेने तकके लिये उत्तरु हा गया । उसने महात्माजीको इतना पीटा कि उन्हें हफ्तों तक छाट सेनी पड़ी । जेनरल स्मृट्सने अपनी बात न रखी । लाचार होकर महात्माजीको पुनः युद्ध जारी करना पड़ा । सत्याग्रह संग्राम आरम्भ हो गया । महात्माजी पकड़े गये और जेलमें मर दिये गये । उसी समय १९०८ में उन्होंने 'हिन्द सराज्य' नामकी पुस्तक लिखी । १९०६ में वे इंग्लैण्ड गये और वहाँके लोगोंके सामने दक्षिण अफ्रिकाके भारतीयोंकी शिकायतें पेश की । १९११ में जेनरल स्मृट्ससे पुनः समझौता हुआ । उसी समय स्थर्मीय गोखले दक्षिण

अफ्रिका की अवस्था देखने के लिये वहां गये। जेनरल स्मृति ने इ पीण्ड बाला कर उठाना स्वीकार नहीं किया। इससे सत्याग्रह पुनः जारी किया गया। इसी समय भारतमें भी इसके अति धोर आन्दोलन डढ़ा। इस समय उदार हृदय लाई हाँडिंग भारतके बड़े लाट थे। उन्होंने भारतीयोंका पक्ष लिया और आर प्रयत्न किया। परिणाम शुभ हुआ। सत्याग्रहकी विजय हुई, अफ्रिकन सरकारको नीचा देखना पड़ा। सभी अनुचित कानून डढ़ा दिये गये। इन कामोंसे छुट्टी पाकर महात्मा-जी १९१४ में इंग्लैण्ड पहुंचे। इस समय जर्मन युद्ध आरम्भ हो गया था। महात्मा जीने लग्ननस्थ भारतीयोंका एक स्वयंसेवक दल तैयार किया। और सरकारकी सहायता की। १९१२ में अस्थास्थ रहनेके कारण बंद देश लौट आये। भारतकी राजनीतिकी विपक्ष हालत देखो। उसके सुधारकी आवश्यकता और उपाय साबने लगे। १९१६ में युद्धमें योग देनेका प्रसाद भारतीयोंको रौलट ऐकू मिला। सारे देशने एक स्वरसे इसका विरोध किया पर सरकार कब सुननेवाली थी। महात्मा जीने नोटिस दी कि यदि रौलट ऐकू पर बड़े लाटने अनुमति दी तो मैं सत्याग्रह युद्ध जारी कर दूँगा पर कौन सुननेवाला था। गंगरसरकारी सदस्योंके एक मत होकर विरोध करने पर भी रौलट ऐकू पास हो गया और बड़े लाटने अपनी अनुमति भी दे दी।

महात्मा जीने सत्याग्रह युद्धकी घोषणा कर दी। उसके

निमित्त महात्माको पवित्र करनेके लिये ह अंग्रेजका दबिवार उपचास, प्रार्थना तथा मर्वेड्यापी हड्डतालके लिये नियत किया गया। उस दिन अधिकारी वर्ष से उत्तोजित किये जाने पर जनताने कुछ उपद्रव किया जिसके कारण गोलियां चला दी गईं और सेकड़ों निर्दोषोंके प्राण गये। पञ्चाबमें अमृत-सरके जालियाँवाला बागमें नरवलिकी तेयारी की गई। प्रायः ५०० मारे गये। इसी समय खिलाफतके साथ बादाखिलाफी की गई। महात्माजीने मुसलमानोंके साथ मेरी करनेका अच्छा अवसर पाया। खिलाफत तथा पञ्चाबका प्रश्न लेकर उठ खड़े हुए। न्याय की प्रार्थना की पर कुछ परिणाम न निकला। अधिकारियोंके कानमें जूँ तक न रेंगे। लाखार महात्माजीने असहयोग युद्ध जारी किया। इसके अनुसार युद्ध-राजका वहिष्कार किया गया। अंग्रेज सरकार इस अपमाल पर उत्तोजित हो डठो। मार्च १६२२ में राजविद्वोहका अपराध लगा कर महात्माजीको जेल मेज दिया। इसीके साथही साथ थंग इहिद्याका सम्पादन भी महात्माजीके हाथसे प्रायः चार बर्बोंके बाद निकल गया। इस समय महात्माजी यारोदा जेलमें बेठे शान्तिमय जीवन बिता रहे हैं और चरखा कात रहे हैं। प्रायः लोग उनसे मिलजुल नहीं सकते।

यंग इण्डियाका इतिहास

यह इण्डियाका इतिहास इतना विचित्र है और सारपूर्ण अट्ठाओंसे भरा है कि उसका संक्षिप्त विवरण यहां पर है देना अनुचित न होगा। यह इण्डियाके जन्म-दाता बड़वाईके अनी सेठ और बेसेटट बलके प्रधान कर्णधार श्रीयुत अमनादास द्वारकादास हैं। किसी समयमें महात्मा गांधीजी इनकी अवश्य भक्ति थी। १६१६में रौलट खेकूके पास होनेके बाद महात्मा गांधीके माथ नवसे पहले आपने सत्याग्रह ब्रत ग्रहण किया था और जबत की हुई पुस्तकोंको बेचनेका काम उठाया था पर बाबका श्रोमती बेसेटटका प्रभाव इतना प्रबल पड़ा कि उन्हें महात्माजीका माथ छोड़ना पड़ा और आज वे ही महात्मा-जीके असहयोग आन्दोलनके कहर शाश्र हो रहे हैं। इसके बाद बचका अधिकार एक सिंहिकेटके हाथमें आया जिसमें शंकर-लाल देकर भी थे। वर्षे कानिकलके सम्पादक मिस्टर हार्निंगेनके निर्बासन तथा वर्षे कानिकलके गला बुंदनेके बाद बड़वाईके राजनीतिक जीवनको आगृह रखनेके लिये महात्मा गांधीकी सेवाको आवश्यकता पड़ी और तदनुसंर यह इण्डियाके सम्पादनका भार महात्माजीके हाथमें दे दिया गया और यह इण्डिया अर्ध साहिक रूपसे निकलने लगा। वर्षे कानिकलकी स्वतन्त्रताके बाद महात्माजीने यह इण्डियाका कार्यालय भरमहा-

बाद ले जाना उचित समझा और उस पत्रका पूरा भार अपने जिम्मे ले लिया । इसीतरह यंग हिंदूया सासाहिक रूपसे अहमदा-चाईसे निकलने लगा । सरकारकी कूर हूँ ए इस पत्र पर सहासे लगा रही । एक बार किसी लेखको आपत्तिजनक बताकर अवैद सरकारने महात्माजीको नामा दिखाना चाहा और मांझी मंगवानेकी योजना की । पर महात्माजी सावारण पुरुष नहीं थे । उन्होंने माफी मांगना स्वीकार नहीं किया और मुख्यमंत्री ही पेरवी की । विचार करनेवाले मजिस्ट्रेटको साहस नहीं हुआ कि वह किसी तरहका दण्ड प्रदान कर सके । उन्हें अदालतकी मर्यादा रखनेके लिये केवल 'कड़ी चेतावनी' देसर हो छाड़ दिया ।

आरम्भमें इस पत्रकी मांग इतनी कम थी कि इसे पूरे २१०० ग्राहक भी नहीं मिल सकते थे । महात्माजीने बार बार अपोल की कि इतनेसे ही इसका व्यव चल सकेगा और इसका जीवन अमर हो जायगा पर कोन फिकर करता था । असहयोग आन्दोलनके जारी हाते हो यंग हिंदूयाकी मांग बढ़ी और जिस समय महात्माजी गिरफतार हुए हैं उस समय प्रति सप्ताह ४०,००० कापि मेंको खपत थी ।

यग हिंदूयाके तीन लेख आपत्तिजनक घटलये गय और उसके सम्बद्ध, महात्मा गांधी तथा मुद्रक और प्रकाशक, शंकरलालजी बैकर गिरफतार कर लिये गये । उनपर मुकदमा चलाया गया और दण्ड दिया गया । इसके बाद यंग हिंदूयाका

मार देशभक्त मुसलमान मिस्टर कुरेनीने लिया । सरकारका उत्साह भङ्ग नहीं हुआ था । उसने दूसरी बार भी अपना बार चलाया और इन लोगोंको भी अपने फौलाडी पंजीये बांध लिया । इस बार प्रोफेसर देसाई बंसीलाल, स्वामी आनन्दानन्द तथा समराद्दक मिस्टर कुरेनी सभी साक्षरताएँ जैलमें दूस दिये गये ।

बर्तमान समयमें इस पत्रका सम्पादन देशभक्त और कहर असहयोगी श्रीयुत अकबरी राजगोपालाचारी कर रहे हैं और मुद्रक तथा प्रकाशनको सारी जिम्मेदारी महात्मा जीके द्वितीय पुत्र रामदास गांधीने की है ।

भूमिका ।

—४८५—

असहयोग आन्दोलनेके विरोधियोंने इसपर अनेक तरहके आक्षेप किये हैं। किसीने कहा है कि यह अधीरताका नमूना है, किसीने कहा है कि यह अराजकताका सिद्धान्त है, इससे समाज जड़ हो जायगा। इस आन्दोलनके प्रचारकों पर जो आक्षेप किये गये हैं उनको तो चर्चा ही नहीं करनी है। इसके प्रवर्तक महात्मा गांधी पर यह दोषारोपण किया जाता है कि उन्होंने अपने अभिमत टालस्टायके सिद्धान्तोंके प्रचारके लिये यह जरिया निकाला है और इसके मायाजालमें मुसलमानों तथा कांग्रेसको फँसा लिया है। कहा जाता है कि जिन उद्देश्योंसे कांग्रेसकी लापता की गई थी वे दूर फक दिये गये और उसे इस समय इतने अगाध सागरमें छोड़ दिया गया है कि उसका कोई पारावार नहीं है।

कांग्रेसके प्रवर्तकों तथा असहयोग आन्दोलनके सञ्चालकों पर जो कठाक्ष किये गये हैं उनके उत्तर देनेका यह स्थान नहीं है। सविनय अवहा जांच कमेटीने असहयोगके बर्णनमें इन सबोंका पर्याप्त उत्तर दे दिया है।

भारतमें अंग्रेजी राज्यका संक्षिप्त इतिहास ।



इस बातको बिना किसी संकोचके स्वीकार किया जा सकता है कि कांग्रेसकी वर्तमान अवस्थामें बहुत कुछ परिवर्तन और परिवर्द्धन हो गये हैं। उसका लक्ष्य, उसकी नीति और उसके कार्यक्रममें जो रहो बदल कर दिया गया है शायद उसका अनुमान जो उन लोगोंने नहीं किया था जिन्होंने पहले पहल इसकी स्थापना की थी। एक बात यह भी माननेके योग्य है कि कांग्रेसके अमरदाताओंका ब्रिटिश न्यायमें जो विश्वास था वह आज कलके कांग्रेसके प्रवर्तकों तथा उनके अनुयायियोंमें नहीं रहा। विगत चालीस वर्षोंमें देशमें जा परिवर्तन हुआ है वह संबद्ध है कांग्रेसने सदा समयका अनुसरण किया है और उसीके आधारपर अधिक मतके अनुसार काम किया है। जो परिवर्तन इस समय देशमें उपस्थित हो गया है उसे समझतेके लिये, कांग्रेसका इतिहास जाननेके लिये तथा इस बातको भली भाँति समझनेके लिये कि यह असहयोग आन्दोलन किस लाचारीकी हालतमें आरम्भ किया गया, यह आवश्यक है कि ब्रिटिश शासनका संक्षिप्त विवरण दे दिया जाय क्योंकि हमारी समझमें जो कुछ आया है, देशमें सम्प्रय करके हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है तथा साधन अवश्य जांच कर्मेंटीको रिपोर्टसे हमने जो कुछ भाषा

निकाला है उससे हम इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि असहयोग आन्दोलनकी नींव जनताके हृदयमें बतानी ही नींवे तक सली मर्द है जितना कि ब्रिटिश शासनकी जड़ ।

ईस्ट इण्डिया कम्पनीका राज्य

इस स्थानपर कम्पनीके राजत्वकालके सम्पूर्ण इतिहासका विवरण नहीं देना है । पर जबतक आरम्भकालकी अवस्थाका पूरा हाल न हो तबतक शासन व्यवस्थापर कोई समुचित राय नहीं कायम की जा सकती । इसीलिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि दो चार प्रसिद्ध अंग्रेज लेखकोंका मत अद्भूतकर यह लिखला है कि वे अपने देशवासियोंके शासनके बारेमें क्या सोचते हैं तथा उनका क्या मत है । भारतके प्रथम बड़े लाठ लार्ड बारन हेस्टिंग्सके विचारके समय मिस्टर पड़मरड बर्ने कहा था:—“इस व्यक्तिने ग्रिटनके धबल यशमें काला धबल लगा दिया है और एक समृद्ध तथा सुसम्पन्न देशको पैरों तले दौंदकर उसे विद्यावान बना दिया है ।” लाठ मेकालेने—जो कम्पनीकी नीकरी-में भारतमें बहुत दिनों तक रह चुके थे—भारतमें कम्पनीके शासनका निष्पलिष्चित शब्दोंमें वर्णन किया है :—(“इस शासन-की कुपासे) तीस करोड़ आदमी दीन बना दिये थे । उनका जीवन प्रायः सदा (शासकोंकी) के रता और निर्द्वंद्वमें ही बीता है पर इस (कम्पनीके) जुलूमका कोई सानी नहीं रहता । यह सरकार इतनी सम्बद्ध होते हुये भी वर्चरता और जुलूमकी अन्तिम सोही तक पहुँच गई है ।” जिस अत्याचारसे अंग्रेजोंका चिन्त

दहले गया उसके चिकित्सामें भारतीयोंकी कमा राय होनी इसका सहजमें ही अनुभाव हो सकता है। किसी मुसलमान इतिहास लेखकका मत लाई मेकालेने उद्धृत किया है। उसने लिखा है:—(ब्रिटिश) शासनके अन्दर भारतीयोंकी अवस्था नितान्त शोषणीय है। उनकी दृष्टिता हद दर्जे तक पहुँच गई है और वे घबरा उठे हैं। ईश्वर अब तो इन विचारोंपर रहमकर। ये भी तेरी ही सन्तान हैं। इनकी सहायताकर और इन्हें उचार ले।”

इस अस्थाचारको निन्दाके कारण शासन अवस्थामें किसी परिवर्तनकी सम्भावना अवश्य थी और वही हुआ। अर्धात् सिविल सर्विसकी स्थापना की गई यद्यपि इसका काम यूरो-पियनोंकी ही हाथोंमें रहा। दीधानी अदालतोंकी स्थापना की गई और मालगुजारीकी अवस्था की गई। इन उपायोंसे ऊपरी शान्ति स्थापित हो गई पर जो सन्तोष और सुख प्रजाको कम्पनीके पहले या वह स्वप्रबत् हो गया। जब जब सरकारको न्यायमूर होता कि असन्तोषकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है तबतब वह कुछ न कुछ ऐसा लाभदायक काम कर देती जिससे लोग कुछ सन्तुष्ट हो जाते। उदाहरणार्थ स्कूल और कालेजोंकी स्थापना आदि। पर यह सब ऊपरकी बातें थी। सरकारका हृदय नहीं बदला। वह ज्योंका त्यों बना रहा। उन्होंने अपनी क्रूर नीति-को पूर्ण करनेके लिये देशी राज्योंको हड्डपना आरक्ष किया। एक न यह कहाना करके देशी राज्योंका हरण किया गया और

वह लिटिश राज्यमें मिला लिया गया । १८५६ में अवधका हुरण उस कुटिल नीतिकी अन्तिम और सबसे प्रखल चोट थी । यह बार असाध हो गया । सबके हृदय दृश्याके भावसे पूर्ण हो गये । यद्यपि परस्पर मेल नहीं था फिर भी लोगोंने इसमें पक्षता दिखाई । पर उनके हाथमें कुछ भी ओर नहीं था । निहान उन्होंने देशी सेनासे प्रार्थना की । इसका असर पड़ा और सिपाही उत्तेजित हो गये । परिणाम १८५७ का गदर हुआ । कितनोंका मत है कि यह गदर भारतीय स्वतन्त्रताका युद्ध था ।

जो हो अवधमें इसका वही रूप नहीं था जो अम्यत्र था । सिपाहियोंके साथ साथ अवधकी रिआयाने भी इस युद्धमें योगदान किया था । उनकी दृष्टिमें तो यह अवध्य ही स्वतन्त्रताका युद्ध था । उन्हें इसका बदला भी उसी तरह मिला । गांवके गांव बरचाव कर दिये गये और जला दिये गये । एक रमणीका आंखों देखा वर्णन है कि गोमतीका जल झूनसे रंग गया था ।

शासनमें परिवर्तन

इसका परिणाम यह हुआ कि भारतका शासन कम्पवीके हाथसे निकल कर महाराणी विक्रोरियाके हाथमें चला गया । शासनका भार लेते ही महाराणीने भारतीय प्रखाके नाम घोषणा-पत्र लिकाला और उनके जलमणी उसी मलहमसे अच्छा चरना चाहा । महाराणीने उस पद्धतित और सन्तान दीन प्रजाको

आम्बासन दिया या कि सबके साथ बराबरीका व्यवहार किया जायगा । यदि कोई भेद होगा तो केवल योग्यताके कारण होगा । महाराजीके अन्तिम वाक्य बड़े ही सारपूर्ण थे :—“उनकी समृद्धि ही हमारी शक्तिकी जड़ होगी, उनका सन्तोष हमारी रक्षाका कारण होगा और उनकी कुत्तहताको ही हम अपना सबसे उत्तम पुरुषकार समझेंगे ।” परं यह घोषणा केवल काणजी कार्रवाई रह गई । कहने और करनेमें जो भेद होता है वही इसमें लक्ष्य हुआ । इसके लिये समय समयपर सभी समझदार अंग्रेजों-ने शोक प्रगट किया है । उस समयकी भारतकी स्थितिका वर्णन मिस्टर ब्राइटने निम्नलिखित शब्दोंमें किया है :—“इस विस्तृत प्रदेशकी करोड़ों प्रजा निःसहाय द्रव्यहीन और साधन-हीन बना दी गई है । उनके पथ पद्धर्षक उनके बीचसे हटा लिये गये हैं । उनको कोई सहारा नहीं रह गया है । इस समय उनका एक मात्र रक्षक ब्रिटिश सरकार रह गई है जिसने उन्हें पूरी तरहसे अपनी मुट्ठीमें कर रखा है । क्या कोई भी उपाय है जिससे अंग्रेज जातिको यह समक्षाया जा सके कि हमारे देशमाहियोंने अपनी कृपा कटाक्षसे उनकी क्या दशा कर डाली है । यदि इन अमाने भारतवासियोंके लिये आपके हृदयमें दया नहीं है, यदि आपने इनके लिये दया और सहानुभूति न दिलाना ही निष्पत्ति कर लिया है तो ईश्वरके नामपर अपने देशमाहियोंकी दशापर दया कीजिये और इस भीषण पापकर्मसे उन्हें बचाऊये ।” यह तो शासन व्यवस्थाकी बात थी । आर्थिक दुर-

वस्था इतनी कारब थी, उसमें इतनी बेहमानी होती थी कि हमरी फासेटने उसे “आदर्श बेहमानी” बतलाया है। यह अवस्था इतनी भीषण हो गई कि असहनीय थी। सरकारकी भी यह बात विदित हो गई। परिणाम यह हुआ कि फासेट साहबकी अध्यक्षतामें आर्थिक प्रबन्धकी जांच करनेके लिये पार्लिमेंटकी ओरसे जांच कमेटी बैठाई गई। इससे केबलपाल लाभ यह हुआ कि फासेट साहबके भारतीय मामलोंमें अच्छी जानकारी हो गई और उससे पार्लिमेंटमें उन्होंने भारतीयोंके सुधारके लिये घोर प्रयत्न किया। नहीं तो इस कमेटीका उद्देश्य नहीं हल हो सका। आर्थिक लूटकी समस्या नहीं हल हुई और विदेशी शासनका प्रतिफल आर्थिक लूट ज्योंका त्यों जारी रहा।

पार्लिमेंटकी उदासीनता ।

मिठा फासेटने अन्य नेताओंके साथ जिन्हें भारतसे सहानुभूति थी घोर प्रयत्न किया पर पार्लिमेंटने अपना रुक्त नहीं बदला। उसकी वही पुरानी नीति चलती रही। जिस नीतिके बारेमें मेकालेने निष्पलिखित शब्द कम्पनीके राजत्व कालके समयके लिये कहा वह नीति ब्रिटिश राजत्वकालमें भी ज्यों की त्यों बनी रही। उन्होंने कहा था :—

“भारतके प्रश्नके विषयमें कोमन्स सभाके सदस्य जो उदासीनता दिखलाते हैं वह आश्वर्यजनक है। यदि ब्रिटनमें

सांधारण चून जराही भी हो जाय तो आफत मच जाती है पर भारतसे घोर संग्रामका समाचार आवे तब भी सदस्य-यज्ञ इतने उदासीन रहते हैं मानों कुछ हुआ ही नहीं है। गये दिनोंमें मालगुजारीके एक अभियोग पर विचार करना था। सरकारी मालगुजारी विभाग पर एक भारतीयने दावा कर दिया था। यदि यह प्रश्न लिटनका होता तो प्रतिवादके मारे समाधान गूँज उठता। सदस्यगण आकास पाताल एक करने लगते और तुरन्त बहस शुरू हो गई होती पर यह भारतका प्रश्न था और घोर प्रयत्न करने पर ही हम लोग केवल कोरम पूरा कर सके।.....”

भारतकी दरिद्रता और अविभास बढ़ता जाता था पर पालिमेहटको इसकी जरा भी परवा न थी।

प्रेसका गला धोटना

लार्ड लिटनका शासन भारतके दुर्भाग्यकी पराकाढ़ा थी। एक तो प्लेगने यों ही आफत मचा रखा था, बच्ची खुची विपत्तिको पूरी करनेके लिये लार्ड लिटन साहबने पदापर्ण किया। पहला काम जो इन्हें आवश्यक प्रतीत हुआ वह सीमा प्रदेशकी सीमा निर्धारित कर देना था। इसके लिये विचारे मृत भारतीयोंके रूपयेसे उन्हें अफगानों पर धावा करनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई। इस कामसे छुट्टी पाकर उन्होंने अपनी कूर दूषि बनाक्यूलर पत्रोंकी ओर हुमाई। और

उनका गला घोटनेके लिये बर्नार्क्यूलर प्रेस ऐकृ बनाया । इसके छारा उन्होंने भारतीयोंका मुँह सदाके लिये बम्ब कर देना चाहा जिससे केवह भी पत्र देशी भाषामें सरकारकी नीतिकी आलोचना और निन्दा न कर सके । इस शिक्खिसे बदलेके लिये अमृत बाजार पत्रिकाको जो कुछ करना पड़ा वह सबको विदित होगा । पर इससे सरकारकी अभीष्ट-सिद्धि नहीं हुई । अनेक पत्र अंग्रेजीमें निकलने लगे । इस नये कानूनका और प्रतिवाद किया गया । भारतके प्रत्येक नगरोंमें बिरोध सभायें की गईं । बाबू सुरेन्द्र नाथ बैनर्जी सिविल सर्विससे निकाल दिये जानेके बाद नये नये राजनीतिक क्षेत्रमें आये थे । उन्होंने इसके लिये घोर आन्दोलन किया ।

लाई रिपन

भारत सरकारकी नीति यह रही है कि जब कभी वह भारतीयोंके मनको उत्तेजित पाती है वह कुछ ऐसा काम कर देती है जिससे उनका मिजाज छल्डा हो जाता है । लाई लिटनकी नीतिसे जोश और उत्तेजना फैल रही थी । ऐसे समयमें लाई रिपनके समान उत्तेजना समझा आगमन हुआ । पहला काम जो उन्होंने दिये वह बर्नार्क्यूलर प्रेस ऐकृका रद करना था । राष्ट्रीय शायरी संस्थानका भारतम उन्होंने शानीय शासन प्रबन्धका अधिकार देकर किया । मुनिसिपल तथा ज़िला बोर्डकी लोधीकारी और उसके

प्रकार का अधिकार भारतीयोंको दिया । यह कोई कई बात नहीं थी और न लाहू रिपनने इसे अपने मनसे निकाला ही था । उन्होंने देखा कि प्राचीन पञ्चायतकी व्यवस्था बड़ी ही अच्छी थी । प्रजा उसमें समृष्ट थी यदि आज भी उसी तरहकी कोई व्यवस्था कर दी जाय तो लोगोंमें सन्तोष बढ़ जायगा । पर इसका भी कोई अच्छा फल नहीं निकला ।

लाहू रिपनके बाद जो शासक आये उन्होंने उसको उतना ही संकुचित कर दिया जितना संकुचित नौकरशाहीके हाथमें कोई भी शासन रह सकता है । हाँ इन मुनिसिपल तथा जिला बोर्डोंको यह कायदा अवश्य हुआ कि जिलाधीशोंके काममें कुछ सुविधा हो गई । अंग्रेज लेखकोंने लिखा है :—“भारतमें दो सौसे भी अधिक बोर्ड हैं और प्रायः सात सौ मुनिसिप-लिटियां हैं । पर प्राचीन समयकी पञ्चायत व्यवस्थासे इनका मुकाबिला करने पर इनकी निःसारता स्पष्ट हो जाती है ।”

इस प्रकार लाहू रिपनकी सदिच्छा सिविल सर्विसके कर्मचारियोंकी कूर नीतिके कारण चरितार्थ न हो सकी ।

अंग्रेजोंको कोप ।

ब्रिटिश शासनमें एक बुराई यह थी जो अबतक चली आ रही है कि अंग्रेजोंका विवार साधारण अदालतमें और भारतीयोंद्वारा नहीं हो सकता था । इस भेद भाषको मिटानेके लिये लाहू रिपनने एक विल उपस्थित कराया । उस समय

इस्टर्बट साहब आमूली सदृश्य थे । उन्होंने उस विलक्षणे उपस्थिति किया । विदेशी समाचार पत्रोंने बड़े लाटको अति वृण्णित गालियाँ दीं । भीषण आक्षेप किये गये । मारतीय अंग्रेजोंका विरोध इतने हीसे समाप्त नहीं था । उन्होंने निष्ठय कर लिया था कि यदि बड़े लाट अपने इस कामसे बाज न आये और यदि इस बातकी सम्भावना प्रतीत हुई कि वे इस विलक्षणे मध्यूर करा कर ही छींड़े गे तो किसी रोतको हम लोग एकाएक हमला करेंगे पहरेदारों और सन्तरियोंको कब्जेमें कर लेंगे और बड़े लाटको बांधकर जहाजमें बेटा कर लाएँगन मेज देंगे ।

इधर तो सफेद जातिके लोग इस तरह विरोधके लिये जाड़े थे और उधर मारतीय—जिनके लिये विचारे लाई रिपन यह प्रयास कर रहे थे—सर्वथा उदासीन और निष्ठेष्ट रहे । किसी भी ओरसे सहायता न पाकर विचारे लाई रिपन लाचार हो गये और उन्हें अपना प्रयास छोड़ देना पड़ा ।

कांग्रेसका जन्म ।

एवं इससे एक लाभ हुआ । शिक्षित मारतीयोंने इस आन्दोलनसे सझौठनका प्रमाण समझा । उन्हें यह विद्युत हुआ कि सझौठन छारा हम किसी भी शक्तिको नीचा दिखा सकते हैं । उन खोगोंने यह भी देखा कि यदि मारतीय

जबता जागृत हो जाय तथा अपना सङ्कुलन ठीक तरहसे कर ले तो उदार चित्त वायसरायकी शक्ति और भी मजबूत हो सकती है और भारतमें रहनेवाले अंग्रेजोंके आन्दोलन व्यर्थ ही सकते हैं। निदान कलकत्ताके इण्डियन एसोसियेशन-ने भारतीयोंके स्वत्व और अधिकारोंके लिये आन्दोलन आरी करनेकी इच्छासे कानूनरेस की। इसका फल यह हुआ कि १८८४ से नेशनल लीग नामकी संस्था कलकत्तामें स्थापित हुई। इसी उद्देश्यसे मद्रासमें महाजन सभाकी स्थापना की गई। और बम्बईकी प्रेसीडेन्सी असोसियेशन तथा पूनेकी सार्वजनिक सभा अपने अपने केन्द्रोंमें जनताको जागृत करनेकी चेष्टा करने लगीं। पर लोगोंने इस बातकी बाबश्यकता देखी कि इन प्रान्तीय सङ्कुलनोंके कार्य सञ्चालनके लिये कोई केन्द्र सभा अवश्य होनी चाहिये। अलन आकूटियन ह्यूमने इसकी चर्चा उस समयके बड़े लाट लार्ड डफरिनसे की। लार्ड डफरिनने उसका स्वागत किया। यदि डब्ल्यू० सी० बैनर्जीकी बातें विश्वासनीय हैं तो उन्होंने कहा था कि लार्ड डफरिनने मिस्टर ह्यूमनसे कहा कि, “इस देशमें ऐसी एक भी संस्था नहीं है जो सरकारी कार्यवाहियोंकी आलोचना करे। समाचारपत्र याद जनताके प्रतिनिधि हों तो भी विश्वासनीय नहीं हैं और अंग्रेज लोग इस बातको किसी भी उपायसे नहीं जान पाते कि उनके कार्य सञ्चालनके विषयमें भारतीयोंका चरा मत है। इसलिये शासक तथा शासित दोनोंके खामके लिये यह

आवश्यक है कि भारतके राजनीतिक समय समयपर एक-
नित होकर सरकारको बतलाया करें कि शासन व्यवस्थामें
क्या दोष है तथा उसके सुधारका क्या उपाय है ।” निवान
१८८४में इस प्रकारके केन्द्र सभाकी योजना की गई और १८८५में
इसकी पहली बेटक मद्रासमें हुई । भारतीय राष्ट्र समाजे अपनी
पहली बेटकमें ही सरकारी शासनकी ब्रुटियां दिखलाईं और
उनके सुधारके उपाय बतलाये । कुल मिलाकर उनकी आर
मांगें थीं । (१) भारत मन्त्रीकी सभा उठा दी जाय । (२) व्यव-
स्थापक सभाका विस्तार तथा सुधार हो । (३) भारतीय सिविल
सचिवसकी परीक्षा केवल इङ्ग्लैण्डमें न होकर भारत तथा इङ्ग्लैण्डमें
एक ही साथ हो । (४) सेनिक व्ययमें कमी की जाय ।

दूसरे तथा तीसरे वर्षकी बेटकने इन सुधारोंका निश्चित रूप
भी बता दिया । इन मांगोंके अतिरिक्त कांग्रेसकी कुछ और भी
मांगें थीं जेसे, जूरी छारा विचार (इसका प्रयोग उस समयतक
सभी जिलोंमें नहीं हो रहा था) । उस समयतक शेसन जजों
तथा हाईकोर्टके जजोंके हाथमें यह अधिकार था कि यदि कोई
व्यक्ति निर्दोष सावित होकर छोड़ दिया गया है तो उस कैसलं-
को बे हटाकर उसे विचारार्थ पुनः उपस्थित कर सकते थे ।
कांग्रेसने इस अधिकारको उठा देना चाहा, क्योंकि कांग्रेसके
मतसे फिर जूरियोंके निर्णयका जोई-भूल्य नहीं रह जाता था ।
तीसरी मांग यह थी कि इङ्ग्लैण्डकी अदालतकी मांति यहां भी
अभियुक्तको यह अधिकार दे दिया जाय कि यदि कह चाहे तो

सीधे शेसन्स अवलम्बनमें अपने अधियोगपर विचार करावे और चौथों तथा सबसे आवश्यक मांग यह थी कि व्यवसायक और प्रबन्धक विभाग अलग कर दिया जाय। पांचवीं मांग यह थी कि सेनामें भारतीयोंको भर्ती होनेको स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये। और भारतीयोंको सेनिक शिक्षा देनेके लिये भारतमें ही सेनिक कालेज खुलना चाहिये। शख कानूनमें सुधार होना चाहिये। भारतके व्यवसायिक विकासके लिये शिल्प तथा व्यवसायिक कालेज खुलने चाहिये और लोगोंको शिल्प तथा कलाकी शिक्षा दी जानी चाहिये।

कांगेस और भारत सरकार।

भारतके अंग्रेज कांग्रेसकी इन मांगोंको शुभ दृष्टिसे नहीं देखते थे। जिस लाई डफरिनने ऐसी संस्थाकी आवश्यकता बतलाई थी वे ही अब नौकरशाहीके प्रभावमें पड़कर फिरले पढ़े। १८८८में सन्त अण्डरज्जके मोर्जके उपलक्ष्यमें भाषण करते हुए लाई डफरिनने कांग्रेसको “भद्रवशिर्णियोंकी सभा” बतलाई थी और उसके उद्देश्यको “अन्धेरे गड्ढमें छुटना” बताया था। प्रायः ३० वर्षोंके अंग्रेज लोग इस शब्दका प्रयोग कांग्रेसके लिये करते आये हैं। कांग्रेसकी चौथी बेठक इलाहाबादमें हुई। उसके समाप्ति मिस्टर जार्ज पूल थे। उन्होंने छुटताके साथ कहा था:—“हमें किसीके कटाक्षों या आहेपोसे अचराना नहीं चाहिये। प्रायः प्रत्येक नये आन्दोलनको तीन

अवस्थासे होकर सुजरना पड़ता है। पहली अवस्थामें लोग उसका उपहास करते हैं, (इतनेपर भी कारबारको बन्द नहीं होते देख) लोग उसे गालियां देते हैं और अन्तमें (उसे छटे पाकर) उसकी मांग पूरी करते हैं। कांग्रेसके भला चाहनेवाले मित्र सर चाल्स ब्रैडलाने बड़े लाटके उक्त कथनके लिये कामन्स-सभाके अपने एक भाषणमें खब ढाटा भी था। इसके उत्तरमें लाई डफरिनने मिस्टर ब्रैडलाके पास यह पत्र लिखा :—“मैंने कांग्रेसके विषयमें कोई अन्यथा बात नहीं कही है। मैं कांग्रेसको विद्रोही नहीं कहता, मैं कांग्रेसके साथ पूर्ण सहानुभूति रखता हूँ और उसका आदर करता हूँ और उसके सदस्योंका आदर और सम्मान करता हूँ। मैं सिविल सर्विसमें उस तरहके सुधारका सदासे पक्षपाती हूँ जिससे भारतीयोंको अधिकाधिक पद मिल सके। और जिस तरहके सुधारके लिये आप बेणा कर रहे हैं उस तरहके सुधार में भी प्रान्तीय व्यावसायक सभाओंके लिये चाहता हूँ।”

कौंसिलोंका सुधार।

निदान लाई डफरिनने कौंसिलोंके सुधारका प्रश्न उठाया। इसपर उनकी कमेटीने सिफारिश किया कि कौंसिलके प्रत्येक कागज पत्रोंको अच्छो तरहसे देखना चाहिये और सभी माम-स्तोंपर चुल्ही बहस करना चाहिये और बजटका अन्दाजा एक व्यायायी कमेटी द्वारा किया जाना चाहिये और आवश्यक प्रतीत

हो तो इसे सबंध कौंसिल देखे'। डफरिन कमेटीकी सिफारिश वह भी थी कि दो पांचवां हिस्सा सदस्योंकी संख्या निर्धारित हो और सरकारके हाथमें यह अधिकार रहे कि यदि किसी बातपर अधिक मत भी विरुद्ध है तोभी वह उसे पास कर सके।

लार्ड डफरिन सबंध इतनी उदारता दिखलानेके लिये तेवार नहीं थे। उन्होंने कहा था:—“कौंसिलोंको कितना भी उदार व्ययों न कर दीजिये पर अपने अपने प्रान्तोंके लिये अन्तिम निर्णयका अधिकार प्रान्तीय समाजोंके हाथमें हांगा और अपनी नीतिका निर्धारण वे सबंध करेगी।” इनी व्यालसे यह प्रबन्ध किया है कि कौंसिलके नामिनेटेडेट (सरकार द्वारा चुने गये) सदस्योंकी संख्या निर्धारित संख्यासे अधिक हो और यदि आवश्यकता आ पड़े तो शासकोंको अधिकार है कि वह अपनी कौंसिलका बातको न मानकर अपने मनसे भी कोई काम कर सकता है।”

इस प्रकार बड़े लाटने अपनी कमेटीकी कुछ उदार सिफारिशोंके बजानको कम करनेकी चेष्टा की पर भारत मन्त्रीने बड़े लाटकी सभी सिफारिशोंको उलट दिया और उनके एवजमें बहुत ही साधारण बातें दे दीं। उस समय लार्ड कास भारतमन्त्री थे और मिस्टर ग्लैडस्टन प्रधान मन्त्री थे। इन दो सज्जनोंमेंसे एक भी कौंसिलोंके लिये निर्धारितके पश्चमें नहीं थे। लार्ड कासने स्पष्ट कह दिया कि इतने जबर्दस्त अधिकार प्रधानकी व्यवस्था मारी भूल है। मिस्टर ग्लैडस्टनने सबंध कहा था—“इतने भीक्षण

परिवर्तनकी इतनी शीघ्र आवश्यकता मेरी समझमें नहीं प्रतीत होती। मेरी समझमें अभी मुनिसिपल और जिला बोर्डोंमें ही निर्वाचनका अधिकार दे देना पर्याप्त होगा ।

कांग्रेसका नवां अधिवेशन लाहोरमें हुआ। उस अधिवेशनमें भी कॉसिलके प्रश्नपर विचार हुआ। कांग्रेसने एक मत होकर सिफारिश की कि भारत सरकारके व्यवस्थापकीय कानूनोंमें तथा प्रान्तीय सरकारके व्यवहारिक नियमोंमें जोर परिवर्तनकी नितान्त आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कांग्रेसने इस बातपर खेद प्रकाशित किया कि पंजाबको अभी तक व्यवस्थापक सभामें प्रवेश करनेका अधिकार नहीं मिला है और न तो प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाकी ही स्थापना की गई है।” लाहोर कांग्रेसकी बैठकके बारे वर्षे बाद पंजाबको भी प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाका प्रसाद मिला पर दो बातोंकी कमी थी। एक तो सदस्योंको किसी तरहके प्रश्न पूछनेके अधिकार नहीं थे और दूसरे कॉसिलके सदस्योंके निर्वाचनमें अन्य प्रान्तोंकी माँति प्रजाका कोई हाथ नहीं था ।

कानून और अमन ।

ज्यों ज्यों देशमें जागृति हीतो गई सरकारकी आशंका बढ़ती गई और उसकी बाढ़को रोकनेके लिये उसने पुलिसकी शक्ति बढ़ाना आरम्भ किया। इस समय तक जीकरशाहीने कुछ प्रान्तोंमें इस तरहकी सख्तीको योजना कर दी थी कि १८६७ में

अपराधियोंकी बेठकमें कांग्रेसको उसकी निन्दा करनी पड़ी।
 पूर्णके विचारणके मिस पूनेमें जो तरीके अवलोकितावर किये गये
 थे उससे हिन्दुओंकी धार्मिकतापर कड़ी ओट पहुँची। सिपाही
 विना किसी रोकटोकके हिन्दू तथा मुसलमानोंके जनानवालोंमें
 घुस जाते। कुल देवताओंके मन्दिर भ्रष्ट कर दिये गये। इसका
 परिणाम यह हुआ कि पूनेके पूर्ण कमेटीके अध्यक्षका किसीने
 हत्या कर डाली। नाटू भाईयोंने इन ज्यादतियोंके निचारणके
 लिये सरकारसे अपील की थी। इसीलिये इस हत्यामें उन्होंका
 प्रधान हाथ समझा गया और वे विना अभियोगके बन्दी कर
 लिये गये। इस विषयकी आलोचना करनेके अपराधमें केस-
 रीके सम्पादक श्रीयुत लोकमान्य तिलक तथा दो अन्य देशी
 पत्रोंके सम्पादक जेल मेज़ दिये गये। सरकार तथा भारतीय
 अंग्रेजोंने एक स्वरसे चिल्हाना शुरू किया कि वर्नाक्यूलर छापा-
 कानोंका गला घोट दिया जाना चाहिये। उस समय लाड
 जार्ज हैमिल्टन भारत मन्त्री थे। उन्होंने कामन्स समाजें इसी
 विषयपर भाषण करते हुए जोरदार शब्दोंमें समस्त भारतीयोंपर
 घोर आक्षेप किया था। उन्होंने कहा था:—“भारतमें विना किसी
 पूर्व सूचनाके समस्त जनता पागलोंकी तरह उठ खड़ी होती है
 और विदेशियोंकी हत्याके लिये तैयार हो जाती है।” राजद्रोहके
 कानूनमें भी परिवर्तनकी सिफारिशों की गईं जिससे बोलनेकी
 भी सख्तज़ताका अपहरण कर लिया जाय और पुलिसके हाथमें
 अनियन्त्रित अधिकार दे दिया जाय। बङ्गाल रेगुलेशन ऐसू

(१) १८१८, महास रेग्युलेशन ऐक्य (२) १८१६ कम्बर्ड रेग्युलेशन ऐक्य
 (३) १८२० के द्वारा जो विशेष अधिकार दे दिये गये थे उन्हें
 देखकर सहस्रा फ्रांसके प्राचीन राजवंशोंके उत्तरांग कानूनोंका
 स्मरण हो जाता था । पूनामें अतिरिक्त पुलिसकी आपत्ता
 और भी असहा थी । कांग्रेसमें भाषण करते हुए बाबू सुरे-
 न्द्रनाथ बनजीने कहा था :—“भाइयो ! ब्रिटिश साम्राज्यकी नींवकी
 मजबूतीका आधार जान और मालकी रक्षाका पूरा प्रबन्ध
 है । पर यदि प्रत्येक श्रण आपको इस बातका भय बना रहे
 कि सरकार जब चाहे आपकी सम्पत्ति हर ले सकती है, आपको
 गिरफतार कर सकती है और बिना विचार या जांचके अनियत
 समयके लिये जेलमें ठूंस दे सकती है तो इन विशेषताओंसे क्या
 लाभ । जहाँ पेसी अवस्था है वहाँ इस बातकी ढाँग मारना
 किस कामका कि ब्रिटिश राज्यमें जान मालकी रक्षा सबसे
 बढ़ कर है ।” पर ब्रिटिशकी न्याय प्रियतामें कांग्रेसके
 नायकोंका इतना अटल विभास था कि उन्होंने इन दुराचारोंके
 विवारणका सबसे उत्तम उपाय ब्रिटिश जनताके पास प्रार्थना
 करनेमें समझा । मिस्टर छब्ल्यू० सी० बोनजीने स्पष्ट शब्दोंमें
 कहा था :—“यह निष्पत्ति है कि हम लोगोंकी यह दुःख भरी
 कहानी सुन कर ब्रिटिश जनता को खसें खोलने लगेगी और
 तुरन्त लोगोंको उस बन्धनसे मुक्त करनेकी तैयारी कर देखी
 जिसमें लोहू पलमिन और उनके कॉसिलर हम लोगोंको
 खांधना चाहते हैं ।” पर उनकी धारणा गलत थी । कांग्रेसका

प्रयास व्यर्थ था । उन आन्दोलनों पर कोई ध्यान नहीं दिय गया ।

इंगलैण्डमें कार्य

इस तरह अवस्था भेदका अन्तर प्रत्यक्ष था । एक तरफ तो ये विचारे नेतागण ब्रिटिश जनता, ब्रिटिश न्याय, ब्रिटिश पार्लिमेंटके अनन्य भक्त हो रहे थे और उधर इनकी (कांग्रेस द्वाराकी गई) सिफारिशोंपर किसीके कानमें जुआं भी नहीं रोंगते ब्रिटिश अधिकारी वर्ग इन्हें रही कागजकी टोकरोंमें फेंक देते थे और यदि कभी इन पर विचार भी किया और कुछ सुझीता कर दिया तो वह इतना कम रहता था कि उस समय तक उसकी उपयोगिता एकदमसे घट जाती थी । कांग्रेस प्रति वर्ष अपने प्रस्तावोंको दोहराती जाती थी पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था । शासनकी अवस्था ज्योंकी त्यों बनी रही । सैनिक व्यथ दिन पर बढ़ता था और प्रजाकी आर्थिक अवस्थाके बारेमें तो कुछ कहना ही नहीं था । १८८० और १९०० के बीच अर्थात् केवल २० वर्षमें बार बार भीषण अकालने अपना लम्बा मुँह फैला कर इस गरीब देशके लाखों प्राणियोंको निश्च लिया । कांग्रेसके मतसे इन अकालोंका एकमात्र कारण प्रजाका रक्त खूस कर रुपया विदेशोंको भेजना तथा शासन अवस्थाको अतिथियती बनाना था । कांग्रेसके बृद्ध अनोनि बड़े लाटके पास हेपुटेशन भेजा और विलायत भी

प्रतिनिधि मेजा। पहला प्रतिनिधि मराठल १८८६ में गया और दूसरा प्रतिनिधि मराठल एक वर्ष बाद गया। श्रीयुत हब्ल्यू० सी० बोनजी और दादामाईने तो इन्हें को अपना घरसा बना लिया और कुछ समयके बाद दादामाईने पार्लिमेंटमें भी प्रवेश किया। इन्हें कांग्रेसने ४५,००० रुपया उसके व्ययके लिये देना स्वीकार किया। १८६० में इण्डिया नामी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। इसके सम्पादक मिस्टर विलियम हिंगड़ी बनाये गये। मिस्टर हिंगड़ी भारतीयोंके सच्चे मित्र थे। उन्होंने इस रक्त शोषकी नीतिकी अनेक तरहसे पोल खोलकर भारतीयोंका बड़ा हो उपकार किया। इस निमित्त एक इण्डियन पार्लिमेंट कमेटी बनाई गई जो भारतीय प्रश्नपर उनका ध्यान आकृष्ट करे तथा उनमें दिलचस्पी दिलावे और भारतीयोंके हितकी योजना करे तथा इण्डिया की सिलकी कार्रवाईयोंकी देख रेख तथा आलोचना करे क्योंकि कांग्रेसके मतानुसार यह नौकरशाहोंके निशानका बहु हो रही थी।

वेल्वी कमीशन

इन्हें इस तरहके जो आन्दोलन हुए उसका फल यह निकला कि वेल्वी साहबकी अध्यक्षतामें एक आंच कमीशन बैठी। लेकिन उसके अधिकारमें कुछ ऐसे नियन्त्रण लगा दिये गये कि उसकी उपयोगिता बली गई। सर्वोच्च योगदान,

सर दीनश। बाबा तथा मिस्टर सुरेन्द्रनाथ उनजीं भारतीयोंके प्रतिनिधि बन कर उस कमीशनके सामने गवाही देनेके लिये इकूलौंड गये। पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। कांग्रेसने जिन बलोंकी सिफारिशों की, उनकी कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। इसका परिणाम यह निकला कि कुछ भारतीयके शिलमें इस तरहका विश्वास उठने लगा कि इस प्रकारके कमीशन और कमेटी अच्छे होते हैं, ये अच्छोंकी तरह काम करते हैं। इनसे किसी तरहके लाभकी सम्भावना प्रतीत नहीं होती।

राष्ट्रीय दल

इस तरहके प्रयासोंको निष्फल होते देख एक दल तो बताश हो गया। डल दलने देखा कि इस तरह प्रार्थना परमें तथा डेपुटेशन आदि मेजेनमें सिवा राष्ट्रके अपमानके किसी तरहका लाभ नहीं हो सकता। यदि अपना प्रयास सफल बनाना है तो जनताको जागृत करना नितान्त आवश्यक है। इसी समय भारतके सौमान्य या दुर्भाग्यसे लार्ड कर्जन भारतके बड़े लाठ होकर आये। कांग्रेसने बड़े भरे पूरे शब्दोंमें इनका स्वागत किया और आशा किया कि इनके नेतृत्वमें देशकी सुख और समृद्धि बढ़ेगी और जनताके हृदयसे जो विश्वास उठ गया है उसकी पुनः स्वापना होगी। पर लार्ड कर्जनने प्रथम चरणमें ही कांग्रेसकी सारी आशाओं पर पानी केर दिया। आपने शासनकी बागड़ोर अपने हाथमें लेते ही दो कानून

बना डाले । यहला कानून तो आफिसियल सीक्रेट ऐक्य था और दूसरा युनिवर्सिटीज ऐक्य था । उससे प्रजा नितान्त असन्तुष्ट थी । आफिसियल सीक्रेट ऐक्यके अनुसार अधिकारियोंकी उच्छृङ्खलता एकदमसे बढ़ जाती थी और युनिवर्सिटीज ऐक्यके द्वारा शिक्षाका सारा अधिकार सरकारके हाथमें आ गया । यह तो था ही । इधर इस धधकती अग्निको और भी प्रज्ञलित करनेके लिये लाई कर्जनने “बड़ भड़” की व्यवस्था की अर्थात् बड़ालको दो टुकड़ोंमें तोड़ डाला । इस दुर्घटनाके बाद ही बम्बईमें कांग्रेसका अधिवेशन हुआ । सर फिरोज शाह मेहता स्वागत समितिके अध्यक्ष थे । उन्होंने जनताको विश्वास दिलाया कि ब्रिटिशकी बुद्धिमानी, उदारता, और नेकनियती निर्विवाद है । इसमें किसी तरहकी आशङ्का नहीं करनी चाहिये । पर बड़ालका विश्वास एकदमसे हट गया था । उन्हें ब्रिटिशकी उदारता, नेकनियती, और बुद्धिमानी पर भरोसा नहीं रह गया था, बल्कि उन्हें तो ब्रिटिशकी दूरदर्शिता पर भी सन्देह होने लगा : गया था । बड़ालके सभी नेता चाहे वे गरमदलके रहे हों या नरमदलके देशको एक स्वरसं स्वावलम्बनकी शिक्षा देनी प्रारम्भ की और ब्रिटिश मालके व्यविधिकारकी योजना की गई । १९०५ कांग्रेसका अधिवेशन बनारसमें हुआ । उस समय भारतकी अवस्था अतीव चिन्ताजनक हो रही थी । अधिकारीघर्गं तथा जनताके बीच

क्या भाव थे उसका पता कांग्रेसकी उस सालकी सरकारी रिपोर्टसे ही विवित हो जाती है; उस रिपोर्टमें लिखा है :—
 अधिकारीवर्गकी धूजा और अत्याचारका प्रधान लक्ष्य मार-
 तवर्ण था। उसकी साधारणसे साधारण मांगें उपेक्षाकी हूँडिसे
 देखी गईं और उनकी हंसी उड़ाई गईं। उसकी योग्यतम
 ग्राउनार्ड अस्थीकार कर दी गईं, उसकी उत्तमसे उत्तम
 सदिच्छाये शारारत कह कर ढुकरा दी गईं, उनके अभिमत
 छेय काट कर नीचे गिरा दिये गये।” उस कांग्रेसमें बड़ी
 हलचल रही। नेताओंके चेहरे पर परीशानी और चिन्ताके
 प्रत्यक्ष लक्षण विद्यमान थे। राष्ट्रके जीवनमें यह बड़ा ही
 सङ्कृतमय समय था। गरम दलवाले औपनिवेशिक स्वरा-
 ज्यके पक्षपाती नहीं थे। जिस तरह ब्रिटनकी सदिच्छासे
 उनका विश्वास उठ गया था उसी तरह औपनिवेशिक स्वरा-
 ज्यसे भी उनका विश्वास उठ गया था। अगले वर्षकी कांग्रेस
 सूतमें हुई। दोनोंका मतमेद इतना बलिष्ठ हो गया था कि
 साथ रह कर काम करना एकदम असम्भव था। निदान
 दोनों दल अलग हो गये। इससे नौकरशाहीको दमन
 करनेका पूरा अवसर मिल गया। उसने नरमदलवालोंको
 अपनी ओर मिला लिया और गरमदलवालोंका दम। आरम्भ
 किया। बड़ालके चम्द नवजाहानोंका दिमाग घूम गया
 उन्होंने दमनका उत्तर दमनसे दिया। यदि उसी समय
 कांग्रेसने असहयोग स्वीकार कर लिया होता तो कदाचित

राजा प्रजाका यह विवाद इतनी दूरतक न बढ़ने पाता पर कांग्रेसने कुछ दिन और परीक्षा करनी चाही ।

मोर्ले-मिण्टो सुधार

समयकी गतिसे भारतके शासनकी बागडोर दो उदार अंग्रेजोंके हाथमें आई । लार्ड मोर्ले भारत मन्त्री बनाये गये और लार्ड कर्जनकी आनंदीक बाद लार्ड मिण्टो वायसराय बने । लार्ड मोर्लेने उहीस अधिको शान्त करनेका एकमात्र उपाय मार्डे-टोंको कंसा रखनेमें देखा । चट उन्होंने सुधारकी योजना की और उसके अनुसार भारतीय शासन अवस्थामें कुछ सुधार किये गये । उन सुधारोंसे नरम दलवाले भी सन्तुष्ट नहीं थे पर जो कुछ मिल रहा था उसे भी छोड़ देना उन्होंने उचित नहीं समझा । राष्ट्रीय दल वाले इसकी पोल पहलेसेही जानते थे । उन सुधारोंके साथ दमनकी चक्की भी अपने बल भर चलाई गई । इस काममें न तो मोर्ले साहबने कोई कसर रखी और न मिण्टो साहबने ही कोई थात उठा रखी । सेडिसस मीटिङ् (गेर कानूनी सभा) ऐकृ पास हुआ, प्रेस ऐकृ पास हुआ । इन दो तरीकोंसे कौंसिलसे बाहर जनताकी बोलने और लिखनेकी स्वतन्त्रता एकदमसे अपहरण कर ली गई । १८१८ के गेर कानूनी विधानका प्रयोग पूर्ण स्वतन्त्रताके साथ होता गया । लार्ड मिण्टो और लार्ड हार्डि कोई भी इसके प्रयोगसे न थके, न बहाराये । बंगालके

हजारों निर्दीय नवयुद्धक विना विचारके जेलोंमें ठुस्ट दिये गये। कांग्रेस बराबर इस घृणित दमन नीतिका विरोध करती रही पर इसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। जिस समय देशमें इस तरहका असन्तोष फैल रहा था यूरोपमें भयङ्कर युद्ध छिड़ गया।

असहयोग आन्दोलन

इस बातको जाननेके लिये कि असहयोग आन्दोलन क्यों जारी किया गया और इसका भारतके इतिहासमें क्या महत्व है, इससे पहलेकी कुछ घटनाओंको जान लेना अति आवश्यक है। उनका परिचय पाकर यह सहजमें ही समझमें आजायगा कि खिलाफत कांकरेन्स तथा राष्ट्रीय महासभाने इसे क्यों स्वीकार किया।

भारत और युद्ध

जिस समय १९१४ में यूरोपमें भयङ्कर महाभारत उपस्थित हुआ और जर्मनीका प्रबल प्रताप मिश्रराष्ट्रोंको दबाता चला जा रहा था, भारत एक होकर ब्रिटिश सरकारकी सहायताके लिये

उठ जाइ गया । जो लोग आज तक सरकारके विरोधी थे, सरकारकी ही आंखोंमें खटकते थे, जिन्होंने सरकारकी नीतियोंका विरोध किया था उन्हीं शिक्षितव्यगणने पहले पहल जर्मनीके कारण उपस्थित होनेवाली भयानक स्थितिको देखा । उन्होंने उस समय सारा भेदभाव छोड़ दिया और अपनी पूरी शक्ति सरकारकी सहायतामें लगा दी । साम्राज्यकी आवश्यकताके समय भारतने धन जन सभीसे उसकी सहायता की । विविध युद्ध-क्षेत्रोंमें भारतके चुने रखोंने अपने खून बहाये । दीन तथा दरिद्र अवस्थामें रहकर भी भारतीयोंने यथासाध्य धनसे भी साम्राज्यको सहायता की । भारतीयोंकी इन सेवाओंकी प्रशंसा की गई और बड़े लाट, प्रधान मन्त्री, तथा ब्रिटनके अन्य प्रधान राजनीतिज्ञोंने इसके लिये कृतज्ञता प्रकाश की । जिस समय भारतसे सहायता माँगी गई थी ब्रिटिश सरकारने जोरदार शब्दोंमें कहा था कि “हम इस युद्धमें केवल इसलिये प्रवृत्त हो रहे हैं कि बलवानोंसे दीन दुर्बलोंकी रक्षा हो, संसारमें समता तथा स्वतन्त्रताका राज्य स्थापित हो तथा सबको आत्म निर्णय-का अधिकार मिल जाय ।” इससे भारतीयोंके हृदयमें भी आशाकी तरफे उठने लगी । उसने भी सोचा कि इस युद्धके बाद हमारा उद्धार अवश्य हो जायगा । जिस दीन अवस्थामें पड़े रहकर हम दासताकी यन्त्रणायें भोगते आ रहे थे, उससे अब हम ऊपर उठाकर बराबरीके स्थानपर बैठा दिये जायगे । साम्राज्यमें अब हमारा बराबरीका स्थान होगा ।

माण्टेग्रू चेम्सफोर्ड सुधार

उनकी इस प्रकारकी आशाको पहुँचित करनेके लिये स्वातीके जलविन्युक्ति तरह भारत मन्त्री मिस्टर माण्टेग्रूकी १६१७ की ४ की अगस्तकी घोषणा थी:—ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत भारतको पूर्ण स्वाधीनता मिलेगी। यह अधिकार भारतीयोंके हाथमें क्रमशः दे दिया जायगा। भारतके शासनमें भारतीयोंका अधिकाधिक हाथ रहने लगेगा। पर इस बातके निर्धारणका अधिकार ब्रिटिश पार्लिमेंटके हाथमें रहेगा कि यह अधिकार किस तरहसे दिया जाय अर्थात् ब्रिटिश पार्लिमेंट योन्यताकी जांच करके अधिकार देती जायगी। इसोके बाद ही १६१७-१८ के जाड़ेमें मिस्टर माण्टेग्रू भारत भ्रमण करनेके लिये आये। उनके इस भ्रमणका मुख्य उद्देश्य यह था कि वे भारतके प्रधान प्रधान नेताओंकी राय लेकर सुधारके प्रथम चरणकी योजना करना चाहते थे। इस निमित्त उन्होंने सारे भारतवर्षमें भ्रमण किया और लोगोंसे परामर्श किया। इस प्रकार सम्पूर्ण भारतका भ्रमण करके हर तरह लोगोंका मत प्रहण करके तथा भिन्न भिन्न संस्थाओंके प्रतिनिधियोंकी बातें सुननेके बाद भारत मन्त्री मिस्टर माण्टेग्रू तथा लाडे चेम्सफोर्डने सुधारोंके लिये एक मसविदा सेयार किया जो जुलाई ६, १६१८ को प्रकाशित हुआ।

दिल्लीकी युद्ध कांफरेंस

१६१८के प्रारम्भमें युद्धकी अवस्था बड़ी ही चिन्ताजनक हो

गई थी। मित्र बहोंकी स्थिति डाकोडोल हो गई थी उनके पेर उखड़ गये थे। अर्मन सेनिक युद्धसेवमें अतुल पराक्रम दिखला रहे थे और वहे बेगसे आगे बढ़ते जा रहे थे। इस समय साम्राज्यके लिये अधिकाधिक सहायताकी आवश्यकता थी। ब्रिटिश प्रधान मंत्री मिस्टर लायड आर्जने अप्रैल २, १९१८को भारतीयोंके नाम निष्पलिखित सम्बाद भेजा:—“आपको विदित हो कि जर्मनीका उच्छृङ्खल शासन केवल यूरोपमें ही नहीं बहिक पश्चियामें भी आतঙ्क और जुबन कैलानिका इरादा कर रहा था। इसलिये प्रत्येक स्वतन्त्रता प्रेसों तथा कानूनको मर्यादा बखने-बालेका यह धर्म होना चाहिये कि इस धर्मयुद्धमें सम्मिलित होकर पूर्वमें उपस्थित होनेवाले भयको अभीसे दूर भगावे और संसारकी रक्षा करे। हमें पूर्ण आशा है कि भारत इस युद्धमें जो कोर्टि कमा रहा है उसे और भी प्रज्वलित करेगा और हर तरहकी सहायता प्रदान करके पश्चियाकी रक्षा करेगा जिससे शत्रुका मनोवाञ्छित सिद्ध न हो सके।” इसके उत्तरमें प्रजाकी ओरसे वहे लाट महोदयने निष्पलिखित सम्बाद भेजा था:—“मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतकी जनता हर तरहसे तैयार है। अन्तिम सांस रहते भी भारत पीछे नहीं हटनेका। शत्रुके पापाचार और उच्छृङ्खलतासे मातृभूमिकी रक्षाका उसने पक्का संकल्प कर लिया है और जिस न्याय तथा सचाईके सिद्धान्त-को लेकर ब्रिटिश इस युद्धमें परिणत हुआ है भारत उसका अन्त समय तक साथ देगा।” उसोके बाद अप्रैल २०, १९१८को दिल्लीमें

बार कान्फरेंस हुई जिसमें बड़े लाटने सच्चाटके निम्न लिखित जिवे-दग सुनाया था:-“इस समय साक्षात्य सकटमें है। यही भारतकी राजनीतिका समय है और ऐसे ही अवसरोंकी सेवाये” सभी जातों हैं ” निदान अनेक प्रान्तोंमें इस तरहकी कान्फरेंस हुईं ।

दिहुई बार कान्फरेंसमें ख्यं महात्माजी उपस्थित थे । उन्होंने राजनीतिके प्रस्तावका समर्थन किया । इसका परिणाम यह हुआ कि धन तथा जनसे आशातीत सहायता मिलने लगी । भारतने उस समय धन तथा जनसे जो सहायता दो थी उसका एक सरकारी रिपोर्टसे उद्धृत कर दिया जाता है । इन अंकोंके देखनेसे यह अनुमान हो जायगा कि भारतकी सेवाये कितने बजानकी थीं । भारतसे कुल ६,८५,००० सेनिक युद्धके लिये तैयार किये गये । इसमेंसे ३,६१,००० सेनिक तो केवल युद्धके दिनोंमें तैयार किये गये थे । इनमेंसे ५,५२,००० समुद्र पार भेजे गये थे । युद्धके अनिरिक अन्य कामोंके लिये भारतसे ४,७२,००० आदमी तैयार किये गये । इसमेंसे ३,६१,००० समुद्र पार भेजे गये थे । अर्थात् कुल मिलाकर भारतसे १४५,७००० जवान लिये गये उनमेंसे ६,४३,००० समुद्र पार भेजे गये जिनमेंसे १,०६,५६४ खेत रहे । १,७१,००० पशु भी भेजे गये थे १,८५५ मील रेलवे लाइन, २२६ लोकोमोटिव इजान, ५६८६ गाड़ियां ६४० मिल मिल तरहके जहाज और नावें युद्धमें भेजे गये । रुपयेसे भारतने जो सहायता की उसका अन्दराजा लगाना जरा कठिन है, पर औसत अनुमान दो अरबका है ।

रॉलट रिपोर्ट तथा बादकी घटनाएं

एक ओर तो भारत धन जनसे साम्राज्यकी विपक्षि निवारणमें इस तरह दक्षिण हो रहा था और आशा कर रहा था कि युद्ध समाप्त होते ही सम्राट् तथा प्रधान मंत्रीके बादे पूरे किये जायगे और सम्राट्के इस कथनपर 'कि सकटके समय दी गुई सहायतापर ही भारतका भविष्य निर्भर करता है' पूर्ण विचार किया जायगा, उधर दूसरी ओर दूसरो तरहकी योजना की जा रही थी। जो लोग अब भी ब्रिटनको सशक्त नेत्रोंसे देख रहे थे उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव होने लगा कि ब्रिटन जिस घोषणाके अनुसार युद्धमें प्रवृत्त हुआ है और भारतवर्षसे सहायता मांग रहा है, युद्ध समाप्त होते ही उसको किनारे रख देगा और पूर्वकालकी तरह अपनी वही नीति चलावेगा। इसका प्रथम आभास श्रीमती पनी बेसेंट तथा उनके दा नायकोंके न्यायरहित नजरचन्द्रीमें मिला। इसके बाद देशके अनेक नवयुवक विना किसी अपराधके, विना विचारके दनादन जेलमें दूसे जाने लगे। अब लोगोंने देखा कि भारतरक्षा कानूनका समर्थन करके हमलोगोंने कितनी भूल की। पर उस समय क्या समझते थे कि इस तरहकी चालबाजी को जायगी। कौंसिलमें स्थष्ट शब्दोंमें विभास दिलाया गया था कि इसका प्रयोग शत्रुके गुप्त अभियायको नष्ट करनेके लिये किया जायगा पर यहाँ तो इसके आड़में भाज राजनीतिक जीवनको कुचल डालनेका ही उपाय हो रहा था। यह तो था ही। इसी समय

एक दूसरा प्राप्ति गिरा । इसी समय क्रान्तिकारी दलका अन्वेषण करने तथा उसका पता लगानेके लिये रीलट साहबकी अध्यक्षतामें एक जांच कमेटी बैठी थी । उसने बंगाल आदि दैशोंमें स्थगण किया और पता लगाया कि क्रान्तिकारी दल अब भी चर्तमान है और युद्धके बाद इनसे अशान्तिको सम्मावना है । इससे इनकी प्रगति रोकनेके लिये दो कानूनोंकी व्यवस्था की गई । इस रिपोर्टके प्रकाशित होते ही भारतमें सज्जाठा छा गया ।

यह रिपोर्ट जुलाई १६, १९१८ को प्रकाशित हुई । इसकी सिफारिशें भारत-रक्षा कानूनको स्थायीकृप देनेवाली थीं । इसकी व्यवस्थाके अनुसार विद्रोहके अभियोगमें न तो झूरियों और असेसरोंद्वारा विचार हो सकता था, न अभियोग लगानेकी साधारण कार्रवाई हो सकती थी और सजा हो जानेके बाद अपीलका अधिकार भी नहीं रह जाता था । दूसरी ओर अभियुक्तोंका विचार एकान्तमें करनेकी सिफारिश थी, याहोंका व्याप हो सकता था पर उनकी जिरह नहीं हो सकती थी और अदालत उनके व्यापको दर्ज नहीं कर सकती थी । इसके अतिरिक्त प्रबन्धक विभागको अधिकार था कि वह फैल जामिनी मोखलिका तथा जमानत आदि द्वारा व्यक्ति विशेषकी स्वतन्त्रताका अपहरण कर सकती थी । उसे निर्विघ्न स्थानके भीतर बन्दकर सकती थी, उसे एक स्थानसे हटाकर दूसरे स्थानपर कर सकती थी अर्थात् नगर बदलका दण्ड दे सकती थी, तथा उनेक

तरहके काम करनेसे उसे रोक "सकती" थी, जैसे समाचारपत्र
गिरोहलगा, नोटिश छपाना व बाटवा, तथा सार्वजनिक सभाओंमें
शामिल होना । 'बाबृश्यकना पड़नेपर उसे गिरफ्तारकर तथा
हथालतमें ढालकर भी उसका नियन्त्रण कर सकती थी । भारत
रक्षा कानून तथा इस तरहके अन्य प्रान्तीय रेगुलेशनोंके द्वारा
प्रबन्धक विभाग सो जो अधिकार दिया गया था तथा उस अधि-
कारका उसने जिस प्रकार दुरुपयोग किया था उसका कहुआ
फल भारतीयोंको अमोतक भुला नहीं था । उन्होंने भली भाँति
देख और समझ लिया था कि यदि यह एक स्वीकार हो गया तो
भारत वासियोंकी दुष्टशा हो जायगी । इससे रोलट रिपोर्टके
प्रकाशिक होतेही देशमें असन्तोष फैलगया । १९१८में जिस
समय युद्ध समाप्त हुआ भारतमें अशान्ति फैल रही थी । भार-
तीय इस चिश्वास बातसे बड़ेही असन्तुष्ट तथा निराश होरहे थे ।
इसका परिणाम यह हुआ कि अब भावों शासन सुधारोंके बारेमें
भी अनेक तरहकी आशंकायें उठने लगीं । लोगोंने प्रत्यक्ष देखा
कि सुधारोंसे तो कुछ फल निकलेगा नहीं उठाए कान्तिका बहाना
करके लोगोंकी लिखने, पढ़ने, बोलने, रहने तथा बैठने उठाने
तककी स्वतन्त्रता हर लोगोंकी जायगी । अतबत्ता १९१९को
फरवरीकी बेठकमें रोलट साहबकी सिफारियों मिश्रायर्थ
दबक्कायक समाप्ति उपस्थित की गई । सारे भारतने पक्षस्वर-
से हंसका विरोध किया । मैरसरकारी सदस्योंमें भी इनका
ओर विरोध किया । बही अल्लोकनहास बारम्ब था । इस

सरकार आन्दोलन देशमें कभी भी विजयमें नहीं आया था । अब नगरमें इस रिपोर्टके बिलेखमें सभायें की गई और कौन्सिलमें प्रेस का एक भी सदस्य (गैरसुरकारी) नहीं था जो हमका समर्थन करता ।

फिर यह सब व्यर्थ था । सरकारने कानमें तेल ढाल लिया था उसने देशकी रक्षाके लिये रोलट पेक्को कानूनी रूप देना आवश्यक समझा । सरकारी सदस्योंकी अधिकता थी ही मार्चके प्रथम सप्ताहमें उस बिलको कानूनी रूप देही दिया गया ।

हड़ताल और उपद्रव

सारे देशके एक मत हो कर विरोध करने पर भी भारत सरकारने रोलट पेक्का पास कर दिया ? इसके विरोधमें व्यवस्थापक समाजके अनेक गोर सरकारी सदस्योंने स्तोका दे दिया । अहातमा बांधी अब तक एकान्तमें बेंडे इस रिपोर्ट और बिलकी गवेषणा कर रहे थे । इसकी हानियोंका पूरी तरहसे समझ कर उन्होंने बड़े लाटको नोटिस दी कि यदि आपने इस कानूनके निर्माणका साहस किया तो हमें वाध्य होकर सत्याग्रह करना चाहेगा । देशमें जारी और सत्याग्रहको तेयासियां होने लगीं । सत्याग्रह प्रतिका प्रत्यय ल्योग हस्ताक्षर करने लगे । इस ब्रतके अहम अद्वेषाओंको उन सभों कानूनोंकी सविनाश आवेदा करनी थी जिन्हें उपरोक्त उद्देश्यसे संगठित पक्ष करने

बहस्ती और दूसरे उन्हें हर तरहके हिंसाके माध्यको स्वाम कर सकतीहैं। असुन्नरण करना या कर्यात् उन्हें मनसा, चाचा या कर्मणा या किसी भी तरहसे किसीके जान माड़ या सम्बलितपर आक्रमण करना या और न वे झूठ बोल सकते थे। तबनुसार २५ मार्चको महात्माजीवे सूचना निकाली कि इस ब्रतमें दीक्षित होनेके पहले आत्माको पवित्र तथा शुद्ध करनेके लिये २५ घण्टेका उपवास तथा प्रार्थना करना आवश्यक है और इसलिये छ अप्रेल (रविवार) का दिन नियत किया जिस दिन अखिल भारत वर्षीय हड्डताल करके लोग जोई काम न करें और सारा दिन केवल उपवास और ब्रतमें वितावें। समझको भूलके कारण दिल्लीमें ३० मार्चकोहो हड्डताल मनाई गई। उस दिन रेलवे स्टेशनके कुछ दुकान बारों तथा हड्डतालियोंके बीच फगड़ा तथा दंगा फसाद हो गया। अधिकारियोंने तुरन्त सेना भेंगाई और गोली बलबा दी। परिणाम यह हुआ कि कुछ भावमी मारे गये। ६ अप्रेलको अखिल भारत वर्षीय हड्डताल हुई। हड्डताल पूर्ण समाप्तोहसे मनाई गयी और/पूर्ण शान्तिसे बीती। कहीं भी किसी तरहका उपहार नहीं हुआ। भारतवर्षके इतिहासमें यह पहली ब्रह्मसर या अवकि किसी इस तरहके सार्वजनिक काममें अमीर, गवीर, जनी, निर्वन, छोटे बड़े, शिक्षित अशिक्षित, साहरी लोग येहाँकी लोगोंने माय किया था। इस समाजेहको देखतार यही ब्रह्मीत होता। मायों भारतकी सान्तान अपनी संविद्योंकी

कुम्भकर्णों निष्ठाके तथागकर उठ बेड़ी है और अपने असुल परतक्षम तथा प्रजावका स्मरण कर रही है। मानों उन्होंने मुनज्जीवन लाभ किया हो ।

दिल्लीकी जनता ध्युध थी। महात्मा गांधीने उन्हें शास्त्र करनेके लिये ८ अप्रेलको दिल्लीके लिये प्रस्थान किया। पर अधिकारियोंको यह अभिप्रेत न था। मार्गमें ही उनपर नोटिस तामील की गई कि वे दिल्ली तथा पञ्चाबमें न घुसें। सब्जे सत्याग्रहीकी हैसियतसे उन्होंने उस बेजा आज्ञाको मानना स्थिर नहीं किया। वे गिरफ्तार कर लिये गये और बगर्ड लौटाये गये। इसका बुरा असर पड़ा। इस समाचारके फैलते ही लोग उत्सुकित हो उठे। पञ्चाबके लोगोंमें अधिक जोश फैला। इसका एक कारण बहाके छोटे लाट सर माइकल ओडायरका दमनकारी शासन था जिसके मारे प्रजाके नाकों दम हो गया था। कोध और रोषका प्याजा लबालब भर गया था केवल उसमें एक डेस लगानेकी आवश्यकता थी। महात्मा जीकी गिरफ्तारीने वही काम किया। ये सब बातें आग लगानेके लिये काफी थीं। बीचमें ही ओडायर साहबने एक और कार्रवाई करदी जिससे उवाला मुखी फट पड़ा और उसकी लगड़ सारे पञ्चाबमें फैल गई। १० बी अप्रैलको किना किसी कारणके असुलसरके हो प्रधान नेता डाकूर सत्य-पाल और डाकूर किचलू सर माइकल ओडायरकी ओहासे मिर्चिविल किये गये। इस सम्बादसे खोक छा गया।

विद्वान जनताका एक बड़पूर्ण शान्तिके साथ निहत्या डिपटी कमिश्नरके बड़ुलेकी तरफ इस लिंब चला कि उससे प्रार्थना करके उन दोनों नेताओंको छोड़ाँ। रास्तेमें वे दोनों गये और उब्दोने मानना स्वीकार नहीं किया तो उनपर गोलियाँ चलाई गईं। इससे जनता अतिशय उत्सेजित हो गई और उपद्रव मच गया। फिर क्या या क्रोधमें अन्धी और रोषपूर्ण जनताने जो कुछ मनमें आया किया । १. बड़ों, तथा पोस्ट अफिसोंको लूट लिया, उनमें तथा अन्य इमारतोंमें आग लगा दी, सरकारी घरोंको जला दिया, अनेक अंग्रेजोंकी हत्यायें की और दा अंग्रेज़ी महिलाओं पर आक्रमण किया। किसी तरह शान्ति स्थापित की गई पर चारों ओर आतंक फैल गया था ।

जालियांवाला बागका कत्लआम .

अमृतसर सेनिक शासनके अधीन कर दिया गया । ११ वीं अप्रेलकी रातको जेवरल डायर अमृतसर पहुँचे और नगरका अधिकार उनके हाथमें सौंप दिया गया । ११ वीं तथा १२ वींको किसी तरहकी तुष्टिना नहीं उपस्थित हुई । १३ वीं अप्रेलको जालियांवाला बागमें एक सार्व-जनिक समा होने वाली थी। जेवरल डायरने सूचना निकाली थी कि कोई भी सार्वजनिक सभा न की जाय और यदि इसके प्रतिकूल आवरण किया गया तो ग्राम ब्लेक्स मय

है। इसलिये इस समाज का संबाद सुनते ही वे सदल बल सथा महीन गर्वे लेकर उस स्थान पर आ रहु चे। रामनवमी का दिन था। हिन्दुओं के लिये यह दिन बड़े महत्व का है। दूर दूर के देहाती लोग इस उत्सव को मनाने के लिये अमृतसर आये थे। इस लिये सभास्थान में ज्ञासी भीड़ थी। सभास्थल पर पहुँचने के तीस सेकेंड बाद ही जेनरल डायरने गोलियां चलाना शुरू कर दिया और जिन स्थानों पर सबसे अधिक भीड़ थी वही अधिक निशाने लगाये गये। इस प्रकार उस मिनिट तक अनवरत गोलियां चलती रहीं। जब गोली चालक का सामान खुक गया तब उसने गोली चलाना भी बन्द कर दिया। प्रायः ६०० आँखी मारे गये और २००० के करीब आयल हुए। जलियावाला बाग के चारों ओर ऊँची दीवालें हैं इससे भाग कर रक्षा करना भी कठिन था। गोली चलाने के पहले न तो किसी तरह की सूचना या चेतावनी दी गई और न बाद को मुद्री और आहतों की फिकर की गई। इसके बाद ही अमृतसर, लाहोर, गुजरात और लायलपुर में मार्शल लाको घोषणा कर दी गई और आतंक का राज्य छा गया। मार्शल लोकी अदालत में लोग पकड़ पकड़कर लाये जाते और बिना किसी जांच आदिके जेल मेज दिये जाते। धनी मानी किसी का विचार नहीं था। कितनों के चूतड़ों में बेंत लगे, कितने पेटके बल रेंगाये गये और अनेक तरह के भीषण अस्थाचांर किये गये। हर्षी रंगायी परसे लोगों पर बम भौंके गये।

महात्मा गांधीकी निरपत्ताहोके कारण अहमदाबाद आहि स्वाभीमी भी उपद्रव मचा । मार्शल लालकी घोषणा की गई पर यह अधिक दिनतक नहीं कायम रहा ।

मोक्षदान और हंटर कमेटीकी जांच ।

मार्शल लालके जमानेमें इतनी कड़ी कर दी गई थी कि पञ्चाबकी घटनाओंका समाचार किसी भी तरह विदित नहीं हो सकता था । मार्शल लालके उठ जानेपर लोग पञ्चाब गये और जो समाचार लाये उससे सारे भारतमें शोक छा गया । पञ्चाबके अत्याचारोंकी जांचके लिये जनताने एक निरपेक्ष जांच कमीशनके लिये प्रार्थना की । किसी न किसी तरह उनकी प्रार्थना स्वीकार की गई और लाई हण्टरकी अध्यक्षतामें जांच कमेटी बैठी । इस कमेटीने अपनी कार्रवाई आरम्भ भी न की थी कि भारत भरकारने मार्शल लालके दोषों अपराधियोंकी रक्षाके लिये एक कानून बना दिया । कमेटीने अपनी जांच शुरू की । गवाहोंके जो बयान लिये गये उससे यही प्रगट होता था कि घोर पशुना और वर्वरतासे काम लिया गया है । कांग्रेस कमेटीने अपनी एक सबकमेटी बनाई थी जो जनताकी ओरसे गवाहियां संग्रह करके हण्टर कमेटीके सामने रखती । इस काममें सुमीता पानेके हेतु कांग्रेस सबकमेटीने लाई हण्टरसे प्रार्थना की कि कुछ समयके लिये पञ्चाबके प्रधान प्रधान नेता जमानत कर छोड़ दियें जायें । इससे जांचमें सुविधा होगी ।

पर लाडू हण्टरने इसे स्वीकार नहीं किया। निदान कांग्रेस सबकमेटीने हण्टर कमेटीका विहिष्कार करना निश्चय किया। उसने अलग जांच आरम्भ की और अपनी रिपोर्ट अलग प्रकाशित की। मार्च २६, १९२० को इस सबकमेटीने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और गवाहियोंके अनुसार जनताकी ओरसे मार्शल लाके अधिकारियोंके अपराधके लिये कुछ दण्डकी सिफारिशकी जो बहुत ही साधारण थीं। हण्टर कमेटीकी रिपोर्ट सब सम्मत नहीं थी। योग्यिता सदस्योंने अधिकारियोंकी क्रूर करनाका मनमाना लीपापाना की थी, खूब सफेदी पांती थी पर हिन्दुस्तानी सदस्योंने एक मतसे स्वीकार किया था कि पञ्चायत्रमें मार्शल लाका समर्थन किसी भा तरह नहीं किया जा सकता। एक तो कमेटीकी सिफारिश योही असन्तोषजनक थी, सरकारने जा कुछ किया उन्नसे जनता मनुष नहीं हुई। इस असन्नाथने असहयोग आन्दोलनका जन्म दिया।

खिलाफतका प्रश्न

उधर खिलाफतका प्रश्न भी लागोंके चिट्ठका अशान्त कर रहा था। तुर्कीने जर्मनाका साथ देकर भारताय मुन्नलमानोंकी स्थिति दोलायमान कर दी थी। एक तरफ तो खिलाफाका ख्याल जो उनके धर्मका रक्षक और प्रधान पुरुष समझा जाता है और दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार जिसकी वे प्रजा थे और जिसका छत्रछायामें इतने दिनोंसे रहते थे। वे खिलाफ नहीं कर सकते थे

कि किसका साथ दें, किसकी सहायता करें । इसी समय प्रधान मन्त्रीकी धारणा हुई । उस धोषणाका सुनकर उन्होंने अप्रेज सरकार का ही साथ देना निश्चय किया क्योंकि उस धोषणाके अनुमार उन्हें पूर्ण आशा थी कि वे अपने धर्मकी रक्षा कर सकेंगे । उसके पवित्र धर्मक्षेत्रोंपर किसी तरहका संकट नहीं आवंगा और तुकोंके साथ ऐसी शर्तें पेश का जायेंगी जिनसे उनकी क्षति नहीं होगा । प्रधान मन्त्रीने अरेविया, मेसोपोटामिया तथा जेदाहके पवित्र धर्मक्षेत्रोंपर हस्तक्षय न करनेका बचन दिया था । प्रधान मन्त्रीने अपनी उम्म धारणामें साफ कहा था:—“इस युद्धमें ब्रिटनके भाग लेनेका यह अभिप्राय नहीं है कि तुकोंके हाथसे उसके समृद्ध और उन्नत पर्शिया माइनर तथा थ्रेस प्रदेश हर लिये जायं क्योंकि उनपर तुकोंका सालहो आनं हक है ।”

इधर तो मुसलमानोंने इस आशापर युद्धक्षेत्रोंमें अपने खून बहाये कि हमारे धर्मक्षेत्र बचे रहेंगे उनपर हिन्दी तरहकी चाट नहीं पहुंचाई जायगा । उधर युद्ध समाप्त होते हो मित्राघ्य-विशेषकर ब्रिटनके दिमाग किरणें और वह तुकाका अंगभंग करनेका युक्त्यां साचने लगा । तुकोंके साथ जो सन्धि-की जानेवाली थी उसका मतौदा सुनकर मुसलमानोंके कान खड़े हो गये । उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियोंके पास डेपुटेशनपर डेपुटेशन भेजना आरम्भ किया । प्रधान मंत्रीको उनके बचन स्मरण कराये और प्रार्थना की कि उसका पालन करना चाहिये । पर अधिकारियोंने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया । वही कुटिल

राजनीतिक बालें खली जाती रहीं। निदान नवम्बर २३, १९१६ को दिल्लीमें प्रथम खिलाफत कांफरेंसकी बैठक हुई। उसमें मुसलमानोंने महात्मा गांधी तथा अन्य इन्डियाओंको खिलाफतके प्रश्नमें उनकी तत्परताके लिये धन्यवाद दिया और प्रस्ताव स्वीकार किया कि यदि खिलाफतका निपटारा मुसलमानोंके धार्मिक भावोंके अनुकूल हो तो कोई भी मुसलमान शान्ति उत्सवमें भाग न ले और सरकारके साथ सहयोग करना स्थाग दे और ब्रिटिश मंत्रीमण्डल तथा ब्रिटिश जनताका तुर्कोंके साथ सन्धि तथा खिलाफतके मामलेपर मुसलमानोंके हृदयोंमें भावोंकी जानकारी करनेके लिये यूरोपमें एक प्रतिनिधिमण्डल भेजा जाय, अमृतसर काग्रेसके साथ ही साथ खिलाफत काफरेंसकी दूसरी बैठक हुई। इसमें पहली बैठकके प्रस्तावोंका समर्थन हुआ और बड़े लाट तथा तुर्कोंके पास भी प्रतिनिधिमण्डल भेजनेका निश्चय किया। सेन्ट्रल खिलाफत कमेटीको चन्दा एकत्रित करनेका आदेश किया। दिसम्बर १९१६ में मर आगा खां, सैयद अमीर अली तथा अन्य अंतेक यूगोपियन तथा भारतीयोंके हस्ताक्षरमें एक मेमोरियल प्रधान मंत्रीकी सेवामें उपर्युक्त किया गया। इसी समय मौलाना शौकित अली तथा मुहम्मद अली जेलसे छोड़ दिये गये। उनके म्बतंत्र हो जानेसे खिलाफतके प्रश्नने और भी जोर पकड़ा।

खिलाफत डेपुटेशन

पूर्व निश्चयके अनुसार जनवरी २०, १९२० को ढाकूर

अन्सारीके समाप्तित्वमें बड़े लाठकी सेवामें मुसलमानोंका एक डेपुटेशन भेजा गया। बड़े लाठने उस प्रतिनिधि मण्डलको ने उत्तर दिया, वह नितान्त असन्तोष जनक था। नदनुसार मुसलमानोंने अपना निर्णय निकाला कि यदि सन्धिकी शर्तें मुसलमानोंके हक्कमें न हुईं तो उनकी राजमहिलाकर कड़ी चोट पहुँचेगी इसलिये उनकी मांग थी कि अरेखिया तथा अन्य मुसलमान धर्मक्षेत्र खलीफाके हाथसे न निकाले जायं तथा ब्रिटिश प्रधान मंत्री मिस्टर लायड जार्जने जो वचन दिया है उसे पूरा किया जाय। इस समयतक विलायत डेपुटेशन भेजनेकी तैयारी हो चुकी थी। तीसरी खिलाफत कांकरेस बग्गर्हमें हुई। उसने इस डेपुटेशनमें अपना दृढ़ विश्वास प्रगट किया और एक सूचना पत्र निकाला जिसमें मुसलमानोंकी मांगका सविस्तार विवरण था। इस सूचना पत्रको निकालते समय उसने साफ कह दिया था कि यदि मुसलमानोंकी इस मागमें जरा भी कमी की गई तो मुसलमानोंके वार्षिक भावोंपर गहरी चोट पहुँचेगी, ब्रिटिश प्रधान मंत्री तथा मित्रराष्ट्रोंके प्रधान पुरुषोंके दिये वचनका भंग किया जायगा और विश्वासघात समझा जायगा कि जब युद्धक्षेत्रमें रक्त बहानेके लिये मुसलमान सैनिकोंकी इतनी अधिक जरूरत रही तब तो उन्होंने हर तरहके वचन देकर अपना काम चलाया पर अब अवसर बीतते ही अपना घादा भूल गये। पर इसका परिणाम इनके लिये हानिकर होगा। क्योंकि यह मांग केवल सारी मुसलमान प्रजाकी ही मांग

नहीं है बल्कि भारतको समस्त हिन्दू जनता भी इस न्यायोचित मांगवें मुसलमानोंका साथ दे रही है।

जो प्रतिनिधिमण्डल विलायत गया उससे भारत मन्त्रीकी ओरसे मिस्टर किशरने मुलाकात की तथा प्रधान मन्त्रीके पास भी उसने अपना निवेदन उपस्थित किया। डेपुटेशनने सन्धि समझौते के सुप्रोत कॉन्फिलके सामने भा अपनी प्रार्थना उपस्थित करनी चाहा पर उसे इजाजत नहीं मिला। उबर तो डेपुटेशन यूरोपके भिन्न भिन्न नगरोंमें भ्रमणकर रहा था इधर मई १४, १९२० को तुकीक साथ जो सन्धिको जानेवाली थी उसका शर्त प्रकाशित कर दा गई और बड़े लाठकी आरसे भारतीय मुसलमानोंके नाम एक अलग पर्चा भी प्रकाशित हुआ जिसमें उन शर्तोंका व्याख्या को गई थी। बड़े लाठने खेद प्रगट किया था कि उन शर्तोंसे मुसलमानोंको दुःख और असन्तोष अवश्य होगा पर साथ ही आशा प्रगट की थी कि वे पूर्ण धैर्य और शान्तिसे काम लेकर अपने धर्मभाई तुकीकी इस विनाश गाथाको सुनकर चुप लगा जायेंगे। इन शर्तोंक प्रकाशित होनेसे मुसलमान एकदमस उत्तेजित हो गये। इसी समय हरण्टर कमेटी रिपोर्ट प्रकाशित हुई और इसने आगमें घोका काम किया। सारे देशमें आग लग गई। निदान मई २८ १९२० को बम्बईमें खिलाफत कमेटीकी पुनः बैठक हुई और उसने महात्मा गांधीके असहयोग आन्दोलनपर विचार किया। कमेटीका अन्तिम निर्णय यही हुआ कि अब मुसलमानोंके उद्धारका एकमात्र यही मार्ग रह गया है। उसीके

दो ही दिन बाद ३० मई को बनारसमें अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटीकी बैठक हुई और इसने हण्डर कमेटीकी रिपोर्ट तथा तुर्कीके प्रश्नपर विचार किया। कमेटी की बैठक लगातार तीन दिनतक होती रही। अन्तमें यह निष्पत्ति हुआ कि असहयोग आन्दोलनपर विचार करनेके लिये शीघ्र ही कांग्रेसका विशेष अधिवेशन किया जाय।

असहयोगकी स्वीकृति ।

जून ३० १९२० को इलाहाबादमें हिन्दू तथा मुसलमानोंकी एक समिलित सभा हुई और उसमें असहयोगका कार्यक्रम स्वीकार कर लिया गया और यह निष्पत्ति हुआ कि एक मासकी सूचना बड़े लाटको देकर इसको कार्यक्रममें लानेका प्रबन्ध किया जाय। नगर नगरमें भिन्न भिन्न दलोंका समायें भी गईं। सभीमें हण्डर कमेटीके रिपोर्टकी निन्दा की गई तथा पञ्चाय और खिलाफतके साथ किये गये अन्यायपर असल्लोप प्रगट किया गया। जून २२ को अनेक प्रधान मुसलमानोंके हस्ताक्षरसे बड़े लाटके पास एक प्रार्थना पत्र भेजा गया कि वे चेष्टा करके तुर्कीके साथ जो शर्तें की गई हैं उनमें सुधारकी योजना करें अन्यथा भारतके मुसलमान हिन्दुओंके साथ होकर असहयोग स्वीकार करेंगे, उनमें यह भी लिखा था कि यदि बड़े लाटने अध्यान नहीं दिया और उसपर कोई कार्रवाई नहीं की तो पहली अगस्तसे हमलोग ब्रिटिश सरकारके साथ सहयोग करना छोड़ देंगे और हिन्दू तथा अन्य मुसलमानोंसे कहेंगे कि वे हमारा साथ

दे इसी समय महात्माजीने भी बड़े लाटके पास एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने खिलाफनके साथौर अपने सम्बन्धकी पूरी व्याख्या की थी । उन्होंने उस पत्रमें सविस्तर दिखलाया था कि ब्रिटिश सरकारकी इस नीतिका फल मैंने मुसलमानोंमें बढ़ते असन्तोष और ब्रिटिश सरकारके प्रति उनके अविश्वासको देखा और उन्हें सान्त्वना दिया कि निराश होनेका कोई कारण नहीं है । पर सन्धिकी जो शर्तें पेश की गई हैं उनसे प्रधान मन्त्रीका प्रतिक्षा भग हो गई है और मुसलमानोंके धार्मिक भावोंकी रक्षा नहीं की गई है । मैं कहूर हिन्दू हूँ और अपने मुसलमान भाइयोंके साथ अपना धना सम्बन्ध बनाये रखना चाहता हूँ । ऐसी अवस्थामें यदि इस सकटके समय मैं उनके काम न आया तो मैं सच्चा भारतीय कहलानेके योग्य नहीं रहा हरहर कमेटोंके बहुमतकी रिपार्ट तथा आपके खरीदोने हमलोगोंके अविश्वासको और भी बढ़ा दिया । ऐसी अवस्थामें मेरे सदृश मनुष्यके लिये दो ही मार्ग रह गया हैं कि तो हताश होकर ब्रिटिश शासनके साथ हरतरहसे सम्बन्ध त्याग दूँ और नाता ताड दूँ या यदि ब्रिटिश न्याय और शासन प्रणालीमें कुछ भी विश्वास शेष रह गया है तो ऐसा यह करूँ जिससे इन बुराइयोंका प्रतिशोध हो जाय और सरकारकी नीति विश्वास करनेके योग्य हो जाय । ब्रिटिश शासन प्रणालीकी उत्कृष्टतामें मेरा आज भी विश्वास है और मुझे पूर्ण आशा है कि यदि किसी प्रकारसे हम लोगोंने योग्यता दिखाऊँ तो अब भी हम लोगोंके साथ न्याय हो सकेगा ।

ब्रिटिश शासन प्रणालीकी उत्कृष्टतामें मेरे अद्दल विश्वासके ही कारण मैंने अपने मुसलमान भाइयोंका सलाह दिया है कि वे आपकी सरकारके साथ सहयोग त्याग दें और मैं अपने हिन्दू भाइयोंको सलाह देता हूँ कि वे मुसलमानोंका साथ दें।

तदनुसार पहली अगस्तको खिलाफतका दिन मनाया गया। अविल भारतवर्षीय हड्डनाल मनाई गई और असहयोगका प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसी अवसरपर अनश्याग बत स्वीकार करके महात्मा गांधीने अपना कंसरे हिन्दूका तमगा बड़े लाटको बापिस किया और साथ ही निश्चलिखित पत्र लिखा — “विगत महीनोमें जा घटनाये हुईं उनसे मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि खिलाफतके मामलेमें ब्रिटिश सरकारने मुसलमानोंके साथ धार अन्याय किया है और अपनी इस बेईमानीका छिपानेके लिये गलतीपर गलती करती गई है। ऐसी सरकारके लिये मेरे हृदयम किसी तरहकी अद्वा तथा भक्ति नहीं रह सकती। इसके अतिरिक्त पंजाबके मामलेमें आपकी सरकारने तथा ब्रिटिश सरकारने जो न्याय शून्य पक्षपात दिखाया है उससे मेरा असन्ताय आपकी सरकारकी ओरसे और भी घट गया। पंजाबके अधिकारियोंके अत्याचारोंको आपने जिस उपेक्षाकी दृष्टिसे देखा, सर माइकल ओडायरके अत्याचारोंकी आपने जो प्रशंसा की, मिस्टर मांटेगूके खरीते तथा लार्ड समाने पंजाबकी घटनाओंपर जो अनजानकारी प्रगट की और हिन्दुस्तानियोंके दुखोंका जरा भी ख्याल नहीं किया गया, इन सब कारणोंने मेरे हृदय

साम्राज्यके भविष्यके लिये! नितान्त चिन्तित कर दिया है वर्तमान सरकारकी ओरसे दिल फेर दिया है, और जिस तरहकी राज्य मकि मैं इसके प्रति सदासे दिखलाता आ रहा था उस तरहकी राज्यमकिसे हमें चिच्छित कर दिया है।” पर इन सब बातोंके सरकारपर दिक्षिता कोई भी असर नहीं पड़ा। मुसलमानोंके धार्मिक भावोंकी पूर्णतया अवज्ञा होती रहा और साथ ही इन्हें लैण्डमे लार्ड सभा तथा भारतीय अंग्रेज पंजाबके हत्याकारी जेनरल डायर आदिकी प्रशसा करते ही गये। भारतके अंग्रेज नो यहाँ तक आगे बढ़ गये कि उन्होंने डायर स्मारक फरंड खोल डाला और उसकी सहायताके लिये बहुत भा चन्दा एक-त्रित किया। यूगपियतोंका संसारे तथा भारतीय अंग्रेजी एक जेनरल डायरकी प्रशंसा के पुल बांधने लगे।

कलकत्ताकी विशेष कांग्रेस

असहयोग आन्दोलनका मर्म समझानेके लिये महात्मा गांधी तथा मौलाना गौकत अली भारतके भिन्न भिन्न प्रान्तोंमे भ्रमण करने लगे। इसी बीचमें सिनम्बरके प्रथम सप्ताहमे कलकत्तामें कांग्रेसका विशेष अविवेशन हुआ और लाला लाजपत राय इसके सभापति बनाये गये। चार दिन तक घोर बादविवाद होता रहा। अन्तमें कांग्रेसने महात्मा गांधीके असहयोग प्रस्तावको स्वीकार किया। महात्मा गांधीने जो प्रस्ताव उपस्थित किया था उसमें लिखा था :—“चूंकि खिलाफतके मामलेमें भारत सरकार तथा ब्रिटिश सरकारने भारतीय

मुसलमानोंके प्रति अरने कर्तव्यका पूरी तरहसे पालन नहीं किया है और प्रधान मंत्रीने अपने वादोंको जान बूझकर लापरवाही और उदासीनतासे काम दूलिया है, हत्या करनेवाले सरकारी कर्मचारियोंको किसी तरहका दण्ड नहीं हिया, पंजाबके प्रधान अपराधी सर माइकल आडायरकी प्रशंसा की है, और नार्ड सभामें पंजाबके 'मामले' पर जो विवाद हुआ उससे स्पष्ट प्रगट होता है कि उन लोगोंकी मारतीयोंके साथ किसी तरहकी सहानुभव नहीं है, और पंजाबमें जा भीषण आतंक तथा क्रूरतापूर्ण अत्याचार किये गये थे उसके बे समर्थक हैं, इसलिये कांग्रेसका यह दृढ़ मत है कि जबतक इन दोनों बुराईयोंका प्रतिशोध नहीं हो जाता, देशमें किसी तरहसे भी शान्ति नहीं स्थापित हो सकती और राष्ट्रकी मर्यादा स्थापित करने तथा भविष्यमें इस तरहके अत्याचारोंको रोकनेका प्रक्रमात्र उपाय स्वराज्यकी स्थापना है। कांग्रेसका यह भी दृढ़ मत है कि अब इन बुराईयोंको दूर करनेके लिये देशके हाथमें कोई दूसरा उपचार नहीं रह गया है सिवा इसके वह तेवतके लिये शान्तिमय, अहिंसात्मक असहयोगको स्वीकार करे जब तक ये बुराईया दूर न हो जाय और स्वराज्यन स्थापित हो जाय। इससे कांग्रेसका मत है कि :—(१) भारतके प्रत्येक उपाधिधारी अपनी उपाधियां त्याग दें तथा स्वानीय संस्थाओंमें सरकारकी हृपासे हुए पदोंमें स्थोफा दे दें। (२) सरकारी दरबार सदियोंमें न जाय, (३) सरकारसे

खापित तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कालेजोंसे बालकोंको धीरे धीरे हटाकर उनका वहिष्कार करें तथा उनके स्थानपर राष्ट्रीय स्कूलों और कलेजोंकी स्थापना (४) वकीलों तथा सुविदिलोंद्वारा ब्रिटिश अदालतोंका वाहिष्कार तथा आतोय झगड़ोंके निपटाराके लिये पञ्चायता अदालतोंकी स्थापना, (५) सैनिक, सुहरिं तथा मज़ूरोंका मेसापाटामिया आदि स्थानोंमें जानेसे इनकार करना (६) सुधारकोंसिलाका वहिष्कार अर्थात् न तो इनमें जानेके लिये काई उमेरद्वार खड़े हों और न मतदाता किसीको मत दे, (७) विदेशी मालका वहिष्कार। स्वदेशी कपड़ोंका प्रयोग और इसका आनश्य-कलाकी पूरी करनीको चेष्टा करता। चरखे तथा करघका पुनरुत्थान करके भारतके प्राचीन कलाको जगाना।

इस प्रस्तावमें मिस्टर विपिन चन्द्र पालने निम्न लिखत सुधार उपस्थित किया था कि भारतीयोंकी दुरवस्थाओं असन्तोष का वृत्तान्त लेफर एक डेपुटेशन प्रधान मन्त्रोके पास जाय उन्हें सभी व्यवस्थाका दिग्दर्शन करावे और भारतसे लिये पूर्ण स्वराज्य मांगे। इधर महात्मा गांधीके असहयोग कार्यक्रमपर विचार किया जाय। यदि प्रधान मन्त्री डेपुटेशनको बातें न सुने तो असहयोग तथा और सुविधा जनक तथा कारणर व्यवस्था की जाय। पर संशोधनका कामेनने बहुमतसे रह कर दिया।

असहयोग आन्दोलन

असहयोगके कार्यक्रमको कांग्रेसकी स्वीकृति मिल गई। इससे असहयोग आन्दोलनको नया प्रोत्साहन मिल गया। असहयोगका कार्यक्रम निर्धारित करनेके लिये कलकत्तामें ही एक सब कमेटी बनाई गई। उस कमेटीने अपनी रिपोर्ट उपस्थित की। उसपर विचार करनेके लिये अक्टूबर २ को अखिल भारत वर्षोंय कांग्रेस कमेटीकी बैठक हुई और तदनुसार पूर्ण विवरण प्रकाशित किया गया। पर लोगोंको इस बानको आशङ्का बनी रही कि नागपूरमें वार्षिक अधिवेशनके अवसर पर कांग्रेस इस प्रस्तावको अवश्य रद्द कर देगी। इधर महात्मा गान्धीने अपना दौरा जारी किया और नगर नगर घ्रमण कर प्रचार करने लगे। इस अवसर पर जनताने जो उत्साह प्रगट किया वह अक्षयनीय था।

नागपूर कांग्रेस

धीरे धीरे दिसम्बर मास आ पहुंचा और कांग्रेसका साधारण वार्षिक अधिवेशन नागपूरमें उपस्थित हुआ। इस अधिवेशनके समाप्ति महासके श्रीयुत विजयराघव आचारियर थे। इस वर्ष कांग्रेसने अपने ध्येयमें निम्नलिखित परिवर्तन किया :—“कांग्रेसका ध्येय सभी शान्तमय तथा उचित तरीकों द्वारा भारतके लिये पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना

है।” इस कांग्रेसने कलकत्ता की विशेष कांग्रेसके अस हयोगके प्रस्तावका समर्थन किया। इस कांग्रेसमें यह स्पष्टतया घोषित हो गया कि शान्तिमय असहयोगका कोई भी अंश किसी भी समय चलाया जा सकता है। अर्थात् कांग्रेस अथवा अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीकी आङ्गासे असहयोगका कार्यक्रम सरकारके साथ सहयोग न करनेसे लेकर मालगुजारीका देना बन्द करने तकका कार्यक्रम किसी भी समय कार्यक्रममें लाया जा सकता है। इसके बीचमें देशको इसके लिये तैयार करनेके हेतु अभिभावकोंको समझाया जाय कि वे अपने बालकोंको सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयोंसे हटा ले और जिन लड़कोंकी अब खा सोलह वर्षसे ऊपर हैं उन्हें स्कूल तथा कालेजोंको छोड़नेकी प्रार्थना की जाय; वकीलोंसे प्रार्थना को जाय कि वे अदालतोंके वहिष्कारकी अधिकाधिक चेष्टा करें और अपनी शक्तिको राष्ट्रीय काममें लगावें और अन्य वकीलों तथा मुख्किलोंको अदालतोंके वहिष्कारके लिये प्रेरित करें; चरखे तथा क घोंके अधिकाधिक प्रचारसे विदेशी कपड़ेका प्रचार बढ़ावें, देशके प्रत्येक नरनारीको इस निमित्त अधिकाधिक त्याग करनेके लिये कहें और प्रत्येक गांवमें तथा कई गावोंको एक साथ मिलाकर एक कमेटी बनाई जाय और सबका केन्द्र प्रान्तीय कमेटी हो। इन कमेटियोंमें काम करनेके लिये राष्ट्रीय स्वयंसेवकदल नियुक्त किये जायं और आवश्यकता पड़नेपर तिलक स्वराज्य

कोबसे उनकी सहायता की जाय । जिन लोगोंने यह देखकर भी मतदाताओंकी अधिकांश संख्याने निर्वाचनमें भाग नहीं लिया, कौंसिलाके लिये निर्वाचन कराया उन्हें उचित है कि वे अब भी अपने पदोंसे स्तीफा दे दें और यदि वे पेसा नहीं करते तो जनताका धर्म है कि वह उनसे अपने हितकर किसी नरहका काम न ले । पुलिस सेनिक तथा जनताके बीच जिस सझावकी स्थापना हो रही थी उनके लिये कांग्रेसने सन्तोष प्रगट किया और उनसे प्रार्थना की कि राष्ट्रीय आवश्यकताओंको पूरी करनेके लिये उन्हें तैयार रहना चाहिये कि कांग्रेसकी घोषणाके साथ वे लोग सरकारी नीकरीसे तुरत स्तीफा दे दें तथा जनताके साथ व्यवहार करनेमें पूर्ण नम्रता और इमानदारीसे काम ले और बिना किसी भयके पूर्णसाहसके साथ सार्वजनिक जलसांगमें भाग ले पर उन जलसोंकी कार्रवाईमें किसी तरहका भाग न ले । कांग्रेसने अहिंसा शब्दपर विशेष जोर दिया और बतलाया कि असहयोग आन्दोलनका सबसे प्रधान विषय अहिंसा है और हिन्दू मुसलमान मेलको बढ़ाने तथा आह्वान और अआह्वानके फगड़ोंको निपटानेकी अपील की । इसके अतिरिक्त कांग्रेसने हिन्दुओंका ध्यान अचूत तथा पतित जातियोंको और आकृष्ट किया और प्रार्थना की कि हिन्दू धर्मकी लाज रखनेके लिये इनकी दशा सुधारनेकी चेष्टा की जानी चाहिये । कांग्रेसका प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे स्वीकृत हुआ ।

यहींसे असहयोग आन्दोलनका प्रथम चरण आरम्भ हुआ। हताश जनताका तिनको सहाके मिल गया। उसको सारे दुःखोंके प्रतिकारकी आशा हो गया और उसने उसे कसकर पकड़ा। जिस दुराचार अपमान बैरेमानी तथा धोखेबाजीके तले वह नित्य प्रति दबाई जा रही थी और पंजाबकी दुर्घटना तथा छिलाफतके प्रति विश्वासघात जिसकी परम सीमा थी उसकी दबा उन्हें इसमें दिखाई दी। अब राष्ट्रने यहो निश्चय किया कि यातना सकर ही हम स्वराज्य प्राप्त करेंगे। आज ग्राम: २५ मास हो जाते हैं पर राष्ट्रने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। जिस समय जो कहा गया कर डाला, जिस त्यागकी शिकारिस की गई, खुशीसे दे दिया और आज भी उसी तरह अद्वल और दृढ़ खड़ा है।

अक्तूबरकी पहली सप्ताहमें मौलाना मुहम्मद अली यूरोपसे लोटे। महात्माजी उन्हें साथ लेकर अक्तूबर १२ को अलीगढ़ पहुँचे। यहींसे सरकारी स्कूलों और कालजोंका वहिष्कार आरम्भ हुआ जो ३५ मास तक पूरे जोर पर रहा। अलीगढ़ कालेजको राष्ट्रीय अनानेकी व्यवस्था की जाने लगी। कालेजके ट्रस्टीयोंमें अनेक असहयोगी थे। उन्होंने अन्य ट्रस्टीयोंके पास पत्र भेजा और अपना विचार प्रगट किया। तदनुसार अक्तूबर १७ को ट्रस्टीयोंकी पक सभा। हुई। महात्मा गांधीने भी उनके पास इसी विषय पर एक पत्र लिखा था। पर ट्रस्टीयोंने यही निर्णय किया कि

हम लाग इस विद्यालयको पुराने ढरें पर ही चलावेंगे । निधान अलीगढ़में राष्ट्रीय मुस्लिम विद्यालयकी स्थापना की गई । उसके समाप्ति शेखुलहिन्द मौलाना मुहम्मदुल्ल हुसेन साहब बनाये गये और मौलाना मुहम्मद अली कालेजके प्रिन्सिपल बने । इसीके बाद महात्माजी पञ्चाब पहुंचे । उन्हाँ भी वही जोश दिखाई दिया । प्रायः सभी कालेजोंके छात्रोंने हडताल कर दी । गवर्नर्शट कालेज, खालसा कालेज तथा अन्य विद्यालयोंके छात्र उन्हें राष्ट्रीय बना देनेके लिये जोर मारने लगे । नवम्बर १५ को गुजरात विद्यायीठकी स्थापना स्वयं महात्माजीने थी और वे ही उसके चास्त-लग बनाये गये और इसमें प्रायः ५०० छात्रोंको शिक्षा दी जाने लगी । योहे ही दिनोंके बाद काशी विश्वविद्यालयके छात्रोंने भी हडताल कर दो । दिसम्बर मासके आरम्भमें महात्माजी विदार पहुंचे और राष्ट्रीय विद्यालयकी स्थापनाकी राय दीया । जनवरी ५, १९२१ को पटना राष्ट्रीय विद्यालयकी स्थापना हुई । इसके पहले ही दिसम्बर मासमें घर्वाईमें निलक महा विद्यालयको स्थापना हा चुकी थी । तेरह फरवरीको स्वयं महात्माजीने काशी विद्यायीठकी स्थापना की और वाकू भगवानदाम उसके प्रधान बनाये गये ।

छक आफ कनाटके स्वागतका वाहिकार ।

असहयोग नीतिके अनुसार नागपुरमें एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । इसका आशय यह था कि ड्यूआफ कनाट-

की भारत यात्राके सम्बन्धमें जो उत्सव मनाये जाये उनमें भारतवासी किसी रूपमें शामिल न हों। यह वहिष्कार पूर्ण-तया सफल रहा और जिन जिन नगरोंमें ढ्यू क गये उनमें जो पूरी और अपनी इच्छासे लोगोंने हड्डतालें कीं उनसे यह बात प्रमाणित हो गयी कि भारत अपनेको बर्तमान् बन्धन और अपमान-मय परिस्थितिसे मुक्त करना चाहता है। इधर तो कलकत्ते और विद्युकीकी सूनी सड़कोंमें ढ्यू कक्ष सरकारकी ओरसे स्वागत किया गया, उधर उन्हीं नगरोंमें महात्माजीके मुख्से स्वाधीनताका सन्देश सुननेके लिये सहजों मनुष्य एकत्र होते थे।

नयी संगठन नियमावली

नागपुर कांग्रेसने पुरानी सङ्गठन नियमावलीके स्थानमें एक नयी नियमावली भी स्वीकार की। इसमें निष्पलिखित बातें प्रधान थीं—कांग्रेसके उद्देश्यमें परिवर्तन, भाषाके अनुसार प्रान्तोंका विभाग, कांग्रेस और तद्धीन कमेटियोंका पुनः सङ्गठन, प्रतिनिधियोंकी संख्या और निर्वाचनका नियन्त्रण और एक कार्यसमितिकी नियुक्ति। कुछ लोगोंका यह आक्षेप है कि इस नयी नियमावली और विशेषतः उस स्थानने, जो सर्व भारतीय कांग्रेस कमेटीकी कार्य समितिको दिया गया है, अधिकारको केन्द्रोभूत कर दिया है। इसमें सन्देह नहीं कि महात्मा जीके नेतृत्वमें कांग्रेसकी इस प्रधानतम् कार्यकारिणों संस्थाने बहुत महत्व प्राप्त कर लिया है और कांग्रेसकी नीतिको निष्प्रित

करनेमें इसने बहुत भाग लिया है। परन्तु यह बात वस्तु-
स्थितिको देखते हुए अनिवार्य थी।

जन, धन और रथ सामग्री

मार्चके महोनेतक आन्दोलनके रचनात्मक भागार अधिक
ध्यान दिया जाने लगा। ३१ मार्चको बेजबाड़ाप सर्वे
भारतीय कमेटीकी बैठक हुई और उसने ऐसे प्रस्ताव स्वीकृत
किये जिनमें देशसे यह अनुरोध किया गया कि (१) एक करोड़
रुपया एकत्र किया जाय, (२) एक करोड़ सदस्य बनाये जाय
और (३) ३० जून १६२१ तक भारतीय गृहस्थियोंमें २० लाख
चरखे चलने लगें। देशने इस कामको बड़े उत्साहसे अपनाया
और समय पर एक करोड़से ऊपर रुपया एकत्र हो गया।
परन्तु शेष दो बातोंपर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका और
उनमें पूर्ण सफलता न हो सकी।

कांग्रेसका रचनात्मक कार्य

१६२१ के शेष महोनेमें कांग्रेसके कामके रचनात्मक
अंशका विशेष ध्यान दिया गया और बम्बईमें सर्वे भारतीय
कांग्रेस कमेटीकी जो बैठक हुई उसमें ‘आगामी सितम्बर मासकी
३० बीं तारोंवतक विदेशी वस्त्रके पूर्ण बहिष्कार कर देने और
चरखेको सहायतासे छापरकी तैयारी पर विशेष जोर दिया गया।
इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये अधीन कांग्रेस संस्थाओं तथा
कांग्रेसके सब सदस्योंके लिये व्यारेवार नियम प्रकाशित किये
गये। श्रीमान् ग्रिन्स आफ वेल्सकी भारतयात्राका बहिष्कार,

शरावकी दूकानोंपर पहरेका (जो आम्म हो गया था) समर्थन, अलीगढ़ और मालेगांवमें जनताके द्वारा किये गये उपद्रवोंपर खेद प्रकाश और कार्यकारिणी समितिको सर्व भारतीय कांग्रेस कमेटीकी आगामी बैठकमें विचारार्थ पेश करनेके लिये कांग्रेसकी वैदेशिक नीतिकी एक विहित तैयार करनेका अधिकार दान सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत हुए ।

परिमित सविनय अवज्ञा स्वीकृत ।

कमेटीके निश्चयोंमेंसे ४ था निश्चय इन प्रकार है—

“सर्व भारतीय कांग्रेस कमेटीका ध्यान संयुक्त प्रांत तथा अन्य प्रदेशोंके कार्यकर्ताओंकी इन न्याय्य इच्छाकी ओर गया है कि प्रांतिक सरकारोंकी दमननीतिके प्रतीकारमें सविनय अवज्ञा की जाय । कमेटीके ध्यानमें यह बात भी है कि सदर खिलाफत कमेटीने सरकारी कर्मचारियोंके द्वारा बबूमें किये गये अत्याचारोंकी शिकायतोंकी जांच करनेके लिये जिस सीमा जांच कमेटी की नियुक्त की थी उसको पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी सरकारने अपने प्रान्तमें घुमने ही न दिया । परन्तु मारे भारतमें अहिंसात्मक भावोंके सुहृद् हो जानेके उद्देश्यमें और इस बानकी परीक्षा करनेके लिये कि कांग्रेसने जनतापर कहाँतक प्रभाव स्थापित कर लिया है तथा देशमें खदेशीके उचित और शीघ्र प्रचारके लिये राष्ट्रमें शान्तिपूर्ण परिस्थिति कायम रखनेके लिये, सर्व-भारतीय कांग्रेस कमेटीकी यह सम्मति है कि जबतक वह कार्यक्रम न पूरा हो ले जिसका खदेशी सम्बन्धी निश्चयमें जिक

है तबतक सविनय अवज्ञा स्थगित रहे। उसके बाद यदि आवश्यक होगा तो कमेटी सविनय अवज्ञाकी सिफारिश करनेमें आगा पीछा न करेगी, चाहे इसके लिये कांग्रेसका विशेष अधिवेशन करना पड़े। इसके साथ ही प्रत्येक प्रांत या स्थानको यह अधिकार दिया जाता है कि अपनी प्रान्तीय कमेटीके द्वारा कार्य समितिसे विधिवत् अनुमति लेकर अपने यहां सविनय अवज्ञा आरम्भ कर दे।”

स्वतन्त्र मतका नैसर्गिक अधिकार।

इसके बाद सर्वभारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक ४ और ५ नवम्बर को विलीमें हुई। पहिली बैठकमें खदेशी और मादक द्रव्य-निषेध नमूनों जो प्रस्ताव खोकृत हुए थे उनके अनुसार लोग बड़े उत्साहसे काम कर रहे थे। परन्तु अली भाइयोंकी गिरफ्तारी और सजाने इस कामके शान्त कर्ममें विघ्न ढाल दिया था। इसके प्रत्युत्तरमें कमेटीने प्रत्येक प्रान्तको कुछ शर्तोंपर यह अधिकार दे दिया कि वह अपने दायित्वपर सविनय अवज्ञा, जिसमें टैक्स न देना भी निम्नलिखित विज्ञप्ति द्वारा अपना यह मत प्रगट कर दिया कि सरकारी नौकरोंसे पदत्याग करनेके लिये कैहनेमें अली बन्धु किसी अपराधके कर्ता नहीं थे—“प्रत्येक नागरिकका यह नैसर्गिक अधिकार है कि वह सरकारी नौकरोंके सैनिक या गैर-सैनिक नौकरी छोड़ देनेके अचित्यपर अपनी सम्मति प्रकट

करे और प्रत्येक नागरिकका यह भी नेसर्विंग अधिकार है कि सैनिक या गैर-सैनिक सरकारी नौकरोंसे छुलकर ऐसी सरकारसे सम्बन्ध तोड़नेके लिये अनुरोध करे जो भारतकी जनता-के एक बहुत बड़े अंशका साहाय्य तथा विश्वास जो बैठी है।” कमेटीने कार्य समितिके वैदेशिक नीति सम्बन्धी प्रस्तावका भी समर्थन किया ।

१६२१ की अन्तिम बैठक २४ दिसम्बरको हुई । इसमें श्री चित्तरञ्जनदासके स्थानमें, जो उस समय हवालातमें थे, हकीम अजमल खां कांग्रे सके स्थानापन्न सभापति चुने गये ।

स्वयंसेवक संस्थाका केन्द्रीयभूत किया जाना ।

कार्य समितिके निष्ठयोंका विशेष उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण धातोंमें सर्व भारतीय कांग्रेस कमेटीने उनका समर्थन किया । २२ और २३ नवम्बरको बम्बईमें कार्यसमितिकी जो बैठक हुई उनका महत्व विशेष है । दो ही चार दिन पहिले बझाल, संयुक्त प्रांत और पञ्चाबमें किपिनल ला अमेरण्डमेश्ट एकट लगाया गया था । समितिने अपने ५ संस्थाके प्रस्ताव द्वारा यह निष्ठय किया कि सभी तत्कालीन स्वयंसेवक संस्थायें एक केन्द्रीय शासनके अधीन कर ली जायें । यह निष्ठय संरक्षकी खुनौतीका उत्तर था । इसके बाद निर्णय दुमन आरम्भ हुआ ।

असहयोगके आरम्भसे अहमदाबाद कांग्रेसतकके इतिहास-के दिग्दर्शन करानेमें सरकारके भाव और उसकी चलायी दमन

नीतिका बहुत कम उल्लेख किया गया है। इसका कारण अहं है कि यद्यपि यह विषय इस इतिहासका एक मुख्य अङ्ग है तथापि इसका महत्व ऐसा है कि इसका विशेष और पृथक् वर्णन करना आवश्यक है।

सरकारकी परेशानी ।

पीछे जिन घटनाओंका उल्लेख है उनसे विदित होगा कि असहयोगकी जबर्दस्त लहर उठते ही सारे देशमें अति शीघ्र फैल गयी। ज्यों ज्यों वह एक प्रान्तसे दूसरेकी ओर बढ़ी त्यों त्यों उसका बेग बढ़ता गया। सरकार आरम्भसे ही इस आन्दोलनकी अद्भुत सफलता देखकर ध्वना गयी। उसको यह ढर था कि इस समय दमन करनेसे उसका बल घटनेके स्थानमें बढ़ जायगा। इसलिये उसने पेंशन पानेवालोंकी पेंशने बन्द करना, असहयोगी जमीदारोंको नहरका पानी न देना तथा इसी प्रकारकी और भी तड़्क करनेकी युक्तियां निकालीं। कहीं कहीं किसी किसीपर मुकदमें भी चलाये गये। पर ऐसा प्रतीत होता था कि सरकारने यह समझ लिया है कि इस समय आन्दोलनके विरुद्ध बलका प्रयोग करना आत्मधातक होगा।

‘नरमदल वालोंको मिलाओ’

लाड़ चेम्सफोर्ड आन्दोलनकी हँसी ही उड़ाते रहे पर उनका चित्त सख्त नहीं था। यही भाव भारतके सरकारके ६ नवम्बर १६२० के उस निष्पत्तियमें अन्तर्निहित है जिसमें आश्वर्य-

जनक आत्मप्रशंसको साथ यह कहा गया कि यह “अत्यन्त मूर्खतापूर्ण कार्यक्रम स्वतः निष्प्राण होकर मर जायगा।” उस समय दमन करना उचित नहीं समझा गया। इसलिये नरमदलवालोंको उत्तेजित करनेका पूरा प्रयास किया गया। यह कहकर कि यदि अंग्रेजोंका हाथ हट गया तो भारत अराजकतामें निमग्न हो जायगा, डरानेकी चेष्टा की गयी। यह कहा गया कि असहयोगी लोग देशको बोलशेविजमकी ओर गिरा रहे हैं और एंग्लोइण्डियन पत्रोंमें इस आशयके भयोत्पादक लेख निकलते थे कि भारत ऊँची पहाड़ी चोटीमें ढकेला जानेवाला है। हिन्दू मुसलमानोंमें मतभेद उत्पन्न करनेके लिये अफगान आक्रमणका हौआ खड़ा किया गया। कौंसिलके सदस्योंसे सरकारकी इस विपक्षिके समय उसका साथ देनेका साम्राह अनुरोध किया गया।

सर हारकोट बटलरका आतंक।

सर हारकोट बटलरने एक भाषणमें कहा,—“व्यवस्थापक सभाके सदस्यों, मैं आप लोगोंसे प्रार्थना करता हूँ कि इस सभामें तथा इसके बाहर अपने अपने स्थानोंमें अपनी सरकारकी सहायता कीजिये।” गवर्नर महोदय जानते थे कि व्यवस्थापक सभा के बाल सरकारी वासींको दुहरा दिया करती है। अतः उसकी सहायताका कोई महत्व नहीं है। इसीलिये उन्होंने सदस्योंसे बाहर निकलकर जनताके बीचमें काम करनेके लिये कहा। परन्तु व्यवस्थापक सभाके सदस्य जानते थे कि

निर्वाचक जिल्के हम विश्वासपात्र समझे जाते हैं, हमारा कैसा स्थानत करेंगे, इसलिये उन्होंने खुप पढ़ा रहना ही अच्छा समझा । यह बात सर हारकेट बटलर भी समझ गये इसलिये उन्होंने एक विचित्र सर्कुर्लर द्वारा सब किस्मतोंके कमिश्नरोंको, नरमदलवालोंको उभारनेका अनुरोध किया इस पत्रसे कुछ चुने हुए अवतरण नीचे दिये जाते हैं:—

“अपनी सफलता असफलताके अनुसार असहयोग भी अपने कार्यक्रमको बार बार बदलता रहता है । उसकी प्रणालियोंका पहलेसे अनुमान नहीं किया जा सकता, इसलिये प्रतीकार-स्वरूप जो प्रणालियां निकाली जाती हैं वे उससे पिछड़ी रहती हैं ।

“असहयोग आन्दोलनको हरानेके ही उद्देश्यसे देशके नरम विचारवालोंका सङ्गठन और उपयोग किया जाय ।”

“यदि सरकारी कर्मचारी अपनेको छुलकर असहयोगी विरोधी प्रकटकर दे तो शायद नरमदलमें वह कियाशीलता और एकलश्यता आजाय जिसकी उसमें कमी है ।”

इसी प्रकारका अनुरोध अन्य प्रान्तिक शासकोंने भी किया ।

भारत सरकारका प्रान्तीय सरकारोंको परामर्श ।

१९२१ जनवरीतक यह बात स्पष्ट हो गयी कि नरमदल ब्रिटिश जनताकी आंखोंमें धूल 'झोकनेका काम तो दे सकता है पर इस राष्ट्रीय आन्दोलनके द्वानेमें असमर्थ' है । नाशपुर कांडे सके परिणामसे सरकार जिन हुई क्योंकि उसे यह आशा

थी कि राष्ट्रीय दलमें ही यत्नमेद हो जायगा । इसलिये उसने प्रान्तीय सरकारोंके नाम एक पत्र भेजा जिसमें एक नयी नीतिका वर्णन था । सर विलियम विम्सेल्टने व्यवसायक सभामें २३ मार्चको भाषण करते हुए इस पत्रका जिक्र किया था । इस पत्रमें लिखा था

इस समय भारत सरकार इस प्रकारके उपायोंसे काम लेना पसन्द करती है जैसे

(१) प्रामाण जनता, तथा बड़े बड़े नगरों अथवा व्यवसाय केन्द्रोंके श्रमजीवियामें असहयोगी लोग असन्तोष फैलानेके जो प्रयत्न करे उनपर दृष्टि रखना ।

(२) जिन भिन्न प्रान्तोंमें आवश्यना हो उनमें कष्टनिवारक कानून, जैसे किसानोंके नम्रवन्धके कानून, शीघ्र ही हाथमें लिये और बनाये जाय ।

(३) प्रचारका उत्तर प्रचारसे दिया गया । उदाहरणके लिये, सरकारको कष्टनिवारक कानून बनानेकी जो इच्छा है वह खूब अच्छी तरह घोषित की जाय ।

(४) जो लोग राजद्रोहात्मक व्याख्यान देते हैं और लोगोंको हिंसाके लिये उभारते हैं और जिनके विरुद्ध प्रमाण मिल नके उनपर साधारण कानूनके अनुसार अभियोग चलाया जाय ।

भारत सरकार इस उपायसे जिसे वह अत्यन्त महत्वपूर्ण समझती है, काम लेनेके लिये प्रान्तीय सरकारोंसे पहिले भी,

आग्रह कर चुकी है, पर उसे लेने ही कि अभीतक बहुत थोड़े ऐसे अभियोग चलाये गये हैं। भारत सरकार प्रान्तीय सरकारोंको भलीभांति समझा चुकी है कि वह नेताओंपर असहयोगकी शिक्षा देनेके ही लिये क्यों अभियोग नहीं चलाती। पर वह प्रान्तीय सरकारोंको फिर समझा देना चाहती है कि दूसरोंपर अभियोग चलानेमें यह कारण बाधक नहीं हो सकता।

(५) कानूनका सम्मान करना। भारत सरकारको कई ऐसे उदाहरणोंका पता है जबकि बहुतसे लोगोंने मजमा कायम कर ऐसे काम किये हैं जो स्पष्टतया कानूनके विरुद्ध थे। ऐसी बातोंका अगत्या परिणाम यह होता है कि लोगोंके दिलोंमें कानून और अमनके लिये जो सम्मान है वह कम हो जाता है।”

अन्धाधुध दमन।

इस परामर्शके बाद प्रान्तीय सरकारोंका एक साथ ही दमनमें प्रवृत्त हो जाना कोई आश्वर्यकी बात न थी। उन्होंने इन हिदायतोंको अपने जिलेके कर्मचारियोंके पास जिन सर्कुलर पत्रों द्वारा भेजा उनमें भारत सरकारके सर्कुलरपर भी नमक-मिर्च लगाया गया। विहारका प्रसिद्ध रेनी सर्कुलर इसका उदाहरण है। केवल सेडिसस मीटिंग एकट (राज-द्रोही समावरोधक कानून) और किमिनल ला प्रेल्डमेल्ट

एकटकी घोषणा करके ही असल्लासोगियोंकी प्रगति रोकनेका प्रयत्न नहीं किया गया बल्कि दफा १४४ और क्रिमिनल प्रोसीड़चेर कोड (जाब्ता फौजदारी) के मुच्चलके और जमानतवाले दफाओंका भी बहुत ही अवैध और अत्याचारपूर्ण उपयोग किया गया ।

सरकारी नौकरोंका अमन स्वोलना ।

गवर्नमेण्ट सर्वेंट कार्डिश्ट रूल्स (जिनमें सरकारी कर्मचारियोंको किसी प्रकारके राजनीतिक आन्दोलनमें योग देना मना है) में कुछ संशोधन करके जिलोंके कर्मचारियोंको राजनीतिक आन्दोलनोंमें शामिल होनेकी अनुमति दी गयी और इस प्रकार उनके लिये अमन सभाओंको स्थापित करनेमें अनुचित दबाव डालनेका मार्ग खोल दिया गया । इन संस्थाओंके सदस्योंके सामने यह प्रलोभन रहता है कि उनके साथ अधिकारी किसी प्रकारकी छेड़ छाड़ नहीं कर सकते । कुछ दिनोंतक तो कुछ नरमदलवाले भी इन सभाओंकी कारबाइयोंमें सम्मिलित होते रहे पर जब उनको इन संस्थाओंके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान हो गया तो प्रमुख लिवर्लोने अपना पद त्याग कर दिया । लोगोंको जबर्दस्ती सरकारका प्रेमी बनानेका प्रयास किया गया पर कुरी तरह असफल रहा । जो मजिस्ट्रेटोंने सरकारकी हिदायतोंका अन्धा होकर पालन किया । इन लोगोंने शासनकी क्षणिक झटकोंके सामने अपनी सतत तुष्टिको

तिलाक दे दिया । इसका प्रमाण बिहार कौसिलकी उस वहससे मिलता है जो बाबू राजेन्द्र प्रसादपर दफा १४८ का हुक्म लगानेपर हुई थी । यह हुक्म इसलिये नहीं दिया गया था कि मजिस्ट्रेट्से सार्वजनिक शान्तिके भङ्ग होनेकी आशङ्का थी वरन् इसलिये कि वह सरकारी सकुर्लरकी पाबन्दी कर रहा था । एक अभियोगमें, जो दफा १०७के अनुसार चलाया गया था एक सब इन्स्पेक्टरने इकबाल किया कि मैंने एक असहयोगीके विरुद्ध इसलिये रिपोर्ट की कि उसके किसी अफसरने शिकायत की थी । यह गवाह खिलाफ ठहराया गया और हटा दिया गया ।

अंग्रेजों और ऐंग्लो-इण्डियनोंकी 'दृढ़ता' के लिये चिल्हाहट ।

इस बातके माननेके कई कारण हैं कि उप्र दमन न केवल भारत सरकारकी अशङ्काओंके कारण आरम्भ किया गया बल्कि इंग्लैण्डसे भी उसके लिये चिल्हाहट मची थी । 'दृढ़ता दिखाने' के लिये जो पुकार उठी थी वह दिन दिन तीव्र होती गयी और इंडोविटिश असोसियेशनकी पर्मर्जेन्सी कमेटीने आन्दोलनके विरुद्ध सवाल और अन्यायपूर्ण प्रचार आरम्भ किया । भारतनिवासी अंग्रेजोंमें जो नरम विचारके हैं वे समझते थे कि इंग्लिष्टानमें जो आन्दोलन किया जा रहा था उसका भारतकी राजनीतिक परिस्थितिपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । पर जब सर म्हांक स्लार्डने पर्मर्जेन्सी कमेटीके पास

साधानोंका तार भेजा तो वहांसे यह अपमानजनक जवाब आया कि 'अपना काम देखो' ।

अली-भाइयोंका मुकदमा ।

लश्कनमें जो आंधी उठ रही थी वह अली भाइयोंके सिरोंपर आकर टूटी । ये दोनों सज्जन सितम्बरमें गिरफतार किये गये और करांचोके दौरा जज्जके न्यायालयमें इनपर कई अपराध लगाये गये । इनमेंसे दफा १२० और दफा १३१ (पह्यव्व-खना और बलबेमें सहायता देना) जो सबसे कड़े थे वे तो उहरन सके पर गौण आक्षेपों अर्थात् दफा ५०५ दफा १०६ और दफा ११७ (बलवा करानेके उद्देश्यसे झूटी बातें फैलाना) पर इनको कड़े दण्ड दिये गये । मुकदमेका यह परिणाम होनेपर भी सर चिलयम विन्सेंटने व्यवस्थापक समापर एक तीसरे व्यक्तिके लिखे किसी पत्रका जिक्र करके दबाव डालना चाहा, यद्यपि अलीबन्धु उसे खुले तौरपर जाली बताते हैं और मुकदमेके बक सरकारके कब्जेमें होने हुए भी वह गवाहीमें पेश नहीं किया गया । ऐसी व्यवस्थापक सभामें जिसमें कई प्रसिद्ध बकील भी हैं ऐसे बयानपर किसी प्रकार का तर्क न किया जाना कौंसिलके सदस्योंको गैरजिम्मेदारीका प्रमाण है ।

अली-बधुओंके अपराधको सहखोने दुहराया ।

अली बन्धुओंको १ नवम्बरको सजा दी गयी । कांग्रेस-

ने उन्हें दण्ड दिये जानेको विचार स्वतन्त्रताका अपमान माना और अपनी कमेटियोंमें तथा सहस्रों भाषण मञ्चोंपर प्रस्ताव रूपसे उस अपराधको दुहराया । सहस्रों मनुष्य इस काममें सम्मिलित हुए । सरकार इस बातसे निखत्तर हो गयी और किसी एक व्यक्तिपर भी अप्रियोग न चलाया गया । परन्तु सेडिशन मीटिङ्ग ऐकट तथा किमिनल ला प्रेषणमेंट ऐकटका और नीब्र प्रयोग करके कांप्रेस और खिलाफत स्वयंसेवक दलोंको दबानेकी पूरी चेष्टा की गयी ।

श्रीमान् प्रिन्स आफ वेल्स ।

श्रीमान् प्रिन्स आफ वेल्स १७ नवम्बरको भारत आये । उसी दिन समस्त देशव्यापी हड़ताल हुई । सर चिल्यम विंसेंट इसे 'एक घृणित बात' कहते हैं पर वस्तुतः यह हड़ताल भारतीय जनताके इस दृढ़ सङ्कल्पका प्रमाण थी कि वह राजनीतिक उद्देश्योंके लिये राजवंशका दुरुपयोग न होने देगी । यह आरम्भमें ही स्पष्ट कर दिया गया था कि श्रीमान् का किसी प्रकार अपमान करना अभीष्ट नहीं है । सर्वभारतीय कांप्रेस कमेटीकी इस विषयकी जो विस्तृत विज्ञप्ति है तथा महात्माजीने २ अक्टूबर १९२१ के 'यज्ञ इण्डिया' में 'प्रिन्सका सम्मान करो' शीर्षक देकर जो अप्र लेख लिखा था उसमें यह बात मलीभांति स्पष्ट कर दी गयी है । परन्तु नौकरशाहीने अपने पूर्व-निश्चित मार्ग-को बदलना स्वीकार न किया । जिन लोगोंको इस विषयकी

पूरी जानकारी होनी चाहिये थी वे ब्रिटिश शासन पद्धति के इस निष्पमकी दुहाई देते रहे कि बादशाह का किसी दल विशेष के राजनीतिक विचारों से सम्बन्ध नहीं होता । भारत का एक एक बच्चा जानता था कि श्रीमान् पहले उन्हीं सुधारों को आरम्भ करने के लिये लाये जाने वाले थे जिनको देशने अखोकार कर दिया था, परन्तु जब वे अखस्थ हो जाने के कारण ऐसा न कर सके तो उनके पूज्य मिश्निय जो अब सार्वजनिक कामों से पृथक् हो गये हैं इस काम के लिये लाये गये । इस दशामें ऐसा अनुमान करना स्वाभाविक था कि प्रिंस द्वारा उन्हीं विद्यादास्पद सुधारों का समर्थन कराया जायगा । आगे चलकर यह अनुमान सत्य निकला । जिस समय सारा देश असन्तोष से क्षुध्य हो रहा था उस समय सारे भारत को युवराज के स्वागत के नाम पर एकत्र करके नौकरशाही एक राजनीतिक लाभ उठाना चाहती थी । इन स्पष्ट बातों के होते हुए भी बार बार यही कहा जाता था कि प्रिंस की यात्रा का राजनीतिसे कोई सम्बन्ध नहीं था ।

नरमदल के नेताओं का युवराज की यात्रा का विरोध ।

सारा देश इस यात्रा का विरोध कर रहा था । नरमदल भी इसके पक्ष में न था । बम्बई में लिवरल कान्फरेंस में भाषण करते हुए श्री शाहूरी जीने कहा था:—

“इसके सिवा, एक बहुत और थी जिसने अधिक इस

छिक्कशासनकी कठोरता प्राट कर दी और उसे बहुत स्पष्ट रूपमें दिखला दिया । यह युवराजके आगमनकी घटना थी । मैं नहीं समझता कि कोई भी मनुष्य युवराजके आनेका अत्यधिक उत्साहपूर्वक अभिलाषी था । कमसे कम मेरी तो यह इच्छा न थी । जहाँतक मुझसे बन पड़ा मैंने इस यात्राका विरोध किया, किन्तु युवराजका आगमन हो ही गया । आखिर, जब असहयोगियोंने उनका स्वागत न करनेकी घोषणा की तब क्या हुआ ? परिणाम यह हुआ कि इस विरोधके होते हुए भी उसे सफल करनेके लिये सरकारको अपने अधिगत सारे साधनोंका प्रयोग करना पड़ा । उसने दमनके उन सब कानूनोंका प्रयोग किया जो उसके विचारोंमें आ सके । इसका यह नतीजा हुआ कि उदार मतवादी जनता तथा नरमदल वालोंने भी सरकारके साथ कानून और अमनकी रक्षामें उस सहयोगसे हाथ लींच लिया जिसकी प्रतिहा बे कर चुके थे । इससे छिक्कशासनका अप्रिय सरूप और भी स्पष्ट हो गया । मैं इसका वर्णन यह दिखलानेकी इच्छासे करता हूँ कि सरकारकी ही करतृत्वसे द्वैधप्रणालीकी बुराई प्रत्येक मनुष्यपर प्रगट हो गयी थी ।

युवसजके लिये शान्त वातावरणकी आवश्यकता ।

युवराजकी यात्राके समय शान्तवातावरण प्राप्त करनेके निमित्त यह संघर्षक तथा विविध प्रकारके दमन-विधानोंका

प्रदोष किया गया । इस प्रकारकी लिपोर्ट की सीमाका अतिक्रमण किये बिना उनका पूरा पूरा वर्णन करना असम्भव है । पञ्चाब, संयुक्त प्रान्त, बङ्गाल तथा आसाममें दमन नीति बिलकुल गैर-कानूनी और निर्दयता पूर्ण थी । कानून और अमनके नामपर तरह तरहके मनमाने जुल्म किये गये । साम्भ-व्यतः यह कहा जा सकता है कि इन प्रान्तोंके अनेक ज़िले समय समयपर कांप्रेस तथा खिलाफतके अधिक उत्साही कार्य-कर्त्ताओंसे प्रायः शून्य कर दिए गये थे । ये लोग किमिनल ला पमेण्डमेण्ट एक्ट जाव्ता फौजदारीकी १०७ और १०८ धाराओं तथा भारतीय दण्डवधानकी १२४ (अ) और १५३ (अ) धारा-ओंके अनुसार दलके दल एवं मनमाने तौरपर गिरफ्तार कर लिये जाते थे । संयुक्त प्रान्तोंको तो इस बातका श्रेय प्राप्त है कि पुलिसने इसकी प्रान्तीय कमटीके ५५ सदस्योंको एक साथ ही उस समय गिरफ्तार कर लिया जबकि वे लोग इलाहाबादमें की गयी एक जरूरी बैठकमें स्वयंसेवकोंकी भर्तीके सम्बन्धमें प्रस्तावपर विचार और वहस कर रहे थे ।

सबके सब हवालात पहुंचाये गये ।

प्रस्तावका मस्तिष्ठा जब्त कर लिया गया । प्रत्येक सदस्यसे पूछा गया कि क्या आप इसे पसन्द करते हैं । हाँ, कहनेपर वह नीचे सड़कपर छढ़ी हुई पुलिसकी गाड़ीमें पहुंचा दिया गया । जो लोग शीश न चल पड़े उन्हें चलानेके लिये पीछेसे थोड़ासा

जोर लगाया गया और कमसे एक सदस्यपर तो शीघ्र चलनेके लिये हलका आक्रमण भी किया गया था। इन ५५ सदस्योंपर खड़-सेवकोंको भर्तीके प्रस्तावका मसौदा तैयार करने तथा उसपर विवाद करनेके कारण किमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्टके अनुसार एक योग्य न्यायाधीशकी अदालतमें मुकदमा चलाया गया। प्रत्येक सदस्यको अठारह अठारह मासकी सजा दी गयी। विशेष प्रकारकी सजा पानेकी योग्यताके सम्बन्धमें जिस सदस्यका मजिस्ट्रेटके दिमागपर जैसा प्रभाव पड़ा, उसीके अनुसार उसे कड़ी या सादी सजा दी गयी। यह तो बनी बात थी कि न तो किसीने मुकदमोंकी पैरवी की और न उनकी अपील की गयी, किन्तु प्रान्तीय सरकारने बादमें कुछ विशेष प्रकारके राजनीतिक मामलोंकी जांच करनेके निमित्त जिस विशेष जज को नियुक्त किया। उसने संभवतः यह राय दी थी कि इन २५ सदस्योंने कोई जुर्म नहीं किया था। प्रान्तीय व्यवस्थापक समांक सदस्योंने इस रिपोर्टको सभाके अवलोकनार्थ मेजपर रखनेके कई प्रयत्न किये, किन्तु निष्फल हुए। यद्यपि अन्तमें सरकारको यह मानना पड़ा कि अभियुक्तोंपर जो जुर्म लगाये गये थे वे कानूनके अनुसार न थे, ताभी उसपर इस सलाहका इतना असर न पड़ा कि वह प्रान्तके इन ५५ चुने हुए सावेजनिक नेताओंका अपने चंगुलसे निकल जाने देती। इस प्रकार ये लोग जेलमें ही बने रहे। कुछके साथ प्रथम श्रेणीके राजनीतिक अपराधियोंकासा और दूसरोंके साथ मामूल

चेतियोंकासा अवहार किया जाने लगा। प्रान्तीय सख्कारने इन्हें जेलमें डाल रखनेका यह कारण बतलाया कि इन लोगोंने अपील नहीं की। और यदि इन्होंने अपील की होती तो अपील सुननेवालों अदालतको यह अधिकार था कि वह इनपर लगाये गये दोषोंको बदलकर जाबता फोजदारीकी उन धाराओंके अनुसार कर देती जो इनपर अधिक लागती होतीं। इनमेंसे एक सदस्य जो कि अपने कुटुम्बका पालन करनेवाला बलवान् मवयुवक था लखनऊ जेलमें उवरसे पीड़ित होकर स्वर्गवास कर गया। इस युवककी मृत्युके समयकी परिस्थितिके सम्बन्धमें समाचार पत्रोंमें लिखा पढ़ी हुई थी अ खुली जांच करानेका अनुरोध किया गया था, किन्तु खुली जांच न होने दी गयी। बचेहुए लोग अपनी सजाके आदेसे ज्यादा दिन काट चुके हैं। अभी हालमें ही विशेष घोषणा द्वारा वे छोड़ दिये गये हैं।

भारतमें ब्रिटिश न्यायका स्वरूप दिखलानेके निमित्त यहां पर दो चार अन्य प्रसिद्ध मुकदमोंका संक्षिप्त उल्लेख कर देना अच्छा होगा।

देशबन्धु दासका दीर्घकाल व्यापी मुकदमा

कांग्रेसके मनोनीत समाविति देशबन्धु श्रीचित्तराजन कृष्ण लोगोंसे खबरसेवक बननेका अनुरोध ब्रकाशित करनेके कारण, क्रिमिनल ला प्रमार्हमेण्ट एकूके अनुसार २३ क्रिसम्बर

१६२१ को, अहमदाबादके लिये रवाना होनेके ठीक पहले, गिरफ्तार किये गये। उनका मुकदमा भिज भिज कारण बता कर बारम्बार १२ फरवरी १६२२ तक टाला जाता रहा। अभियुक्तने पैरबी करना या बक्तव्य उपस्थित करना अस्वीकार किया, अतः उन कागजोंपर उनके हस्ताक्षरोंको प्रमाणित करना आवश्यक हुआ जो समाचार पत्रोंमें छपनेके लिये भेजी गयी मूल हस्तलिपियाँ बतायी गयीं।

सरकारी विशेषज्ञका मिथ्या कथन

अन्य गवाहीके अतिरिक्त सरकारी विशेषज्ञने उक हस्ताक्षरोंकी तुलना उन हस्ताक्षरोंके साथ कर जिन्हें दास महोदयने अपना स्वीकार किया था इस बातकी कसम खायी कि ये हस्ताक्षर भी उन्होंके हैं। देशबन्धु दोषी समझे गये और दो मासतक हवालातमें रखे जाकर उन्हें छः मासके कारावासका दण्ड दिया गया। दोषी स. जानेके बाद उन्होंने देशवासियोंके नाम सन्देश प्रकाशित करते हुए यह स्पष्ट कह दिया कि जो हस्ताक्षर मेरे कहे गये हैं वे वास्तवमें उन व्यक्तियों द्वारा किये गये हैं जिन्हें मैंने ऐसा करनेको आशा दी था। इसके कुछ समयके बाद बड़ालको कार्यकारिणी समाके एक भारतीय सदस्य, मद्रासके भूतपूर्व प्रशान्न न्यायपतिने यह सूचित किया कि सरकार दास महोदयके मुकदमेपर विचार कर रही है। सरकारने इतने धैर्यके साथ इसका विचार किया कि देशबन्धु

दास पूरी सजा भोगकर जेलसे छूट आये पर सरकारका विचार समाप्त न हो सका ।

लाला लाजपत रायका दण्ड, रिहाई, फिर दण्ड

३० बड़ालके प्रसिद्ध हिन्दू नेताको जेलमें सुरक्षित कर अब दमननीतिको विजय पूरी करनेके निमित्त मुसलमानोंके भी किसी प्रसिद्ध नेताकी आवश्यकता हुई । इसके लिये प्रधान खिलाफत कमेटीके उपसभापति, कांग्रेसके उत्साही सदस्य, प्रतिष्ठित धार्मिक मुसलमान मौलाना अबुल कलाम आजाद उपयुक्त समझे गये । इसके बाद आप भा. गिरवितार किये गये भारतीय दण्डविधानको धारा १२४ अ (राजविद्रोह) के अनुसार आप दोषी समझे गये और आपको भी कारावासका दण्ड दिया गया । आपके छूटनेका समय अब निकट हो है ।

लाला लाजपतरायजी पर जो कि पहले कांग्रेसके सभापति रह चुके हैं, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी एक बैठकमें सभापति बननेके कारण राजविद्रोही सभाओंके कानूनके अनुसार मुकदमा चलाया गया । सभाकी इस बैठकके सम्बन्धमें लालाजी और मजिस्ट्रेटके बीच पहले ही कुछ लिखा पढ़ी हो चुकी थी और मजिस्ट्रेटको यह अच्छी तरह मालूम था कि सभाकी यह निजी बैठक थी, उसमें सर्वसाधारण नहीं जा सकते थे । फिर भी लालाजी दोषी समझे जाकर जेल भेज दिये गये । सरकारके कानूनी सदृश्यने, जिसकी सलाह मुकदमा चलानेके पहले ही

ले लेनी चाहिये थी, कहा कि लालाजी पर राज्यविद्रोही सभा-
ओंका कानून नहीं लगता, अतः वे छोड़ दिये गये, किन्तु जेलके
मुख्यद्वारके बाहर होते हो वे दूसरे अभियोगमें पुनः पकड़ लिये
गये। यथासमय उनपर दोष प्रमाणित किया गया और उन्हें
दो वर्षकी सजा दी गयी जिसे वे जेलमें समय काट रहे हैं।

बनारसके अस्थान समानित नागरिक, सयुक्त प्रान्तीय
कमेटीके अध्यक्ष बाबू भगवानदासजी, युवराजके आग-
मनके दिन व्यापारियोंसे हड्डताल करनेका अनुरोध करनेके
निमित्त एक पर्चा प्रकाशित करने तथा उसे बांटनेके कारण
'क्रिमिनल ला एमण्डमेण्ट एक' के अनुसार गिरफतार किये गये
और उन्हें कारावासकी सजा दी गयी। दोष प्रमाणित कर-
नेकी प्रणाली इननी बेबुनियाद थी कि समाचारपत्रोंकी लिखा-
एढ़ीसे, जिसमें मद्रास हाईकोर्टके भूतपूर्व प्रधान न्यायपति
डाकूर सुब्रह्मण्यम् पेण्यर भी सम्मिलित थे, विवश होकर सर-
कारको उनकी बकाया सजा रद्द करनी पड़ी।

श्री जवाहरलाल नेहरूको फिर १८ मास

किंसी सार्वजनिक समाजें विदेशी कपड़ोंकी दूका-
नोंपर पहना देनेकी इच्छा प्रगट करने एवं उपस्थित लोगोंसे
सहायताका अनुरोध करनेके लिये श्रीजवाहरलाल
नेहरूपर भारतीय दण्ड विधानकी घारा ३८५ और ५०५ के अनु-
सार दोषारोपण किया गया। उनपर कूसरा अभियोग जबर-

स्त्री रुपथा वसुल करनेका लगाया गया । इसका आधार यह था कि वे कमेटीकी उस बेठकके समाप्ति बने थे जिसमें कई वस्त्र व्यवसायियोंके पास, उन्हींकी संख्या द्वारा उन्हींके बनाये हुए नियमोंके अनुसार किये गये । जुरमाना अदा करनेके नियमित्ति चिन्हियाँ भेजनेका निश्चय किया गया था । उन्हें १८ मासकी सख्त केदकी सजा दी गयी जिसे वे भुगत रहे हैं ।

उपर्युक्त मामलोंका पूरा विवरण जाननेके लिये परिशिष्ट संख्या १३ में दिये गये मिन्न मिन्न अभियुक्तोंके उल्लेख देखियें ।

अठी गवाहीके लिये प्रोत्साहन

ये वे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मामले हैं जिनकी ओर जनताका ध्यान इस कारण आकृष्ट हुआ है कि उनसे विस्त्रित पुरुषोंका सम्बन्ध था । किन्तु ऐसे अगणित मामले हुए हैं जिनमें असहयोगियोंपर झूठ मूठ अभियोग लगाये गये हैं और थोड़ेसे थोड़े सबूत पर ही वे अपराधी प्रमाणित समझे गये हैं । इसमें सन्देह नहीं कि अपने मुकदमोंमें असहयोगियोंके उदासीन भाव धारण करनेके कारण ऐसा करना और भी सरल हो गया । यह जानकर कि वे लोग न तो अपनी पंरवी करते हैं और न गवाहोंके साथ जिरह करते हैं झूठी गवाही देनेवालोंको प्रोत्साहन दिया जाने लगा है । इसका सबसे अच्छा उदाहरण इस जांच समितिके सदस्य परिषद्वारा नेहरूके मुकदमेमें पाया जाता है । हिन्दीमें किये गये उनके हस्ताक्षरको जो कि उन्होंने

अपने जन्ममें कदाचित पहली ही बार किया था प्रमाणित करने लिये मुकदमा चलानेवालोंने चियड़े पहने हुए एक व्यक्तिको पेश किया जो देखनेमें सड़कोंपर भीख मांगनेवाला ही प्रतीत होता था और जिसे पण्डितजीने पहले कभी नहीं देखा था । उसने कागजको उलटा पकड़कर आधे सेकेंट्हमें कसम खाकर कह दिया कि यह हस्ताक्षर अभियुक्तका ही है । स्वयंसेवकोंके फार्मपर हस्ताक्षर करनेका केवल इतना ही सघृत पेश किया गया । इसी पर कांग्रेसके भूतपूर्व समापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री किमिनल छा पमेण्डमेंड पेकृके अनुसार दोषी साधित किये गये और उन्हें छः मासका इण्ड दिया गया जिसे वे पूर्णरूपसे भुगतकर आये हैं ।

मिल मिल प्रान्तोंमें दमन लौला

असहयोगियोंके मुकदमामें जो गेर-कानूनी कार्रवाई तुर्हि वे अदालतके बाहर प्रचलित घोर अन्याध्युम्भके सामने कुछ भी नहीं हैं । मोटे तौरसे यह कहा जा सकता है कि असह-योगियोंके शरीर या उनकी सम्पत्ति अथवा प्रतिष्ठाको क्षति पहुंचानेके कार्यको अपराध समझना तो दूर रहा उल्टे ऐसा करना सरकारके प्रति ऊंचे दउ की राजभक्तिका कार्य समझ जाने लगा । ऊपर देशमें दमननोतिकी सामान्य प्रवृत्ति विखलायी गयी है जिसमें विशेष महत्वके उन खास चास मामलोंका उल्टेका किया गया है जिनके कारण उक प्रान्तके

अधिकारियोंने खुब नाम कमाया है। बम्बां, गुजरात, अजमेर, मरवाड़ा, तथा मध्यभारत, ये प्रान्त दूसरी ओर थे और अभी तक इस प्रकारकी विशेष बाधासे बच सकनेके कारण बधाईके पांत्र हैं। मध्य प्रान्त (हिन्दी भाषी तथा मराठी-भाषी) बरार, महाराष्ट्र करनाटक, और तामिल नाडू, इन प्रान्तोंमें भी, विशेष कर मदिराकी दूकानोंपर धरना बैठानेके सम्बन्धमें दमन-नीतिका प्रसार हुआ। तामिल नाडू तथा आन्ध्र प्रान्तमें जमानतवालों धाराओंका स्वच्छन्द प्रयोग किया गया। विहारके मुजफ्फरपुर तथा संथाल परणाना जिलोंमें भी खुब अत्याचार हुआ, किन्तु साधारणतया इस प्रान्तमें शान्ति रही। केरल प्रान्तकी स्थिति, जिसके अन्तर्गत मोपलोंकी निवासभूमि है, एक ओर तो धर्मान्ध्रमत्त जनताकी अमानुषिक कृताओंके कारण और दूसरी ओर कानून और अननकी कोधोन्मत्त शक्तियोंके कारण भी प्रान्तोंसे निराली है। इसके निवा मालाचार ट्रेनकी विस्थात दुर्घटना तो, मनुष्योंके प्राणोंकी जघन्य उपेक्षाके कारण, देशके किसी भी भागमें जनता द्वारा कीगयी बुरीसे बरी ज्यादतियोंको भी सहज ही मात करती है। उत्कल और आन्ध्र प्रान्तमें भी कठोर दमननीति काफी मात्रामें प्रचलित थी—इनका नम्बर उत्तरी प्रान्तोंके बाद ही समझना चाहिये।

दमननीतिकी भयंकर विभिन्नताएं

समूचे देशके विचारसे अनहयोगके विरुद्ध मिल मिल प्रकार 'की काररवाइयोंका संक्षिप्त उल्लेख थोड़ेसे छोटे छोटे बाक्सों

द्वारा किया जा सकता है। समस्त भारतमें प्रायः सभी अधि-
कारियोंको गांधी टोपी और खद्दरके कपड़े पहननेवाले अप-
राधी नज़र आते थे। ये लोग खासकर नरह नरहके तिरस्कारों
और अपमानोंके तथा भूठ मूठ ही मुकद्दमा चलाये जानेके योग्य
समझे जाते थे। स्वयंसेवकोंपर आक्रमण करना, उनके कपड़े
उतार डालना और ज्ञांड़के महीनोंमें गांवोंके नालोबोंमें उन्हें
हुबकी खिलाना, इत्यादि कुछ इस प्रकारकी दिल्लीके उदाहरण
हैं जो हानिप्रद न थे और जिसे पुलिसवाले अपने ही बिनोदके
लिये किया करते थे। हथियारोंका लाइसन्स लौटा लेना,
जागोगो, बेतनों तथा इनामोंको जबत कर लेना जैत सीचनेके
लिये नहरोंसे पानी न देना, तथा तकाबी देनेसे इनकार करना
इत्यादि नरम सजायें उन लोगोंको दी जाती थीं जिनपर कोई
विशेष अभियाग नहीं लगाया गया। कांग्रेस और खिलाफतके
तथा राष्ट्रीय पाठशालाओंके भी दफनरों और कागजोंको विनष्ट
कर डालना, मकानों तथा फसलोंको जला डालना तथा माल
असचाच लूट लेना, इत्यादि उपायोंका प्रयोग अधिक हड्डीले
खिरोधियोंके लिये किया जाता था। खियोंके शरीरपरसे
जबरदस्ती गहने उतार लेने, उनपर अभद्रजनोचित आक्रमण
एवं असदृश्यवहार करने तथा धार्मिक पुस्तकों और अन्य
पवित्र वस्तुओंका जलाने तथा पांवोंके नोचे कुचलनेके भी
कहं उदाहरण पाये गये हैं। उटकल प्रान्तके एक अति
राजमत्त के जर्मीदारकी, अपनी रियासतमें शिकार खेलने,

स्थिरोंपर आकर्षण करने तथा उच्ची जातिके लोगोंपर शराब हिड़कर और उन्हें अपने कन्धोंपर मैला उठानेके निमित्त वाध्यकर इस नयी विधिसे उनका अपमान और तिरस्कार करने-के मामलोंके कारण उस प्रान्तमें विशेष प्रसिद्धि हो गया है।

अहिंसाका अपूर्व भाव

जनताने प्रशंसनीय धैर्य एवं आत्मसंयमके साथ इन सब बातोंका सहन किया। सारी जनतामें अहिंसाका भाव आशासे भी अधिक फैल गया है। यह निःशङ्कु रूपसे कहा जा सकता है कि संसारमें ऐसा कोई देश नहीं है जहाकी जनता, समर्पितप्रभूमें ऊपर लिखी हुई ज्यादतियोंको भारतकी साधारण जनताकी तरह उस आत्मसंयमके साथ कह मकती ना प्राय दिय कहा जा सकता है। वस्तुओंके उचित अनुपातकी आर दूर्घटपात न कर भारतके समान विशाल देशमें इधर उधर एकाध बार हो जानेवाले उषद्रवोकी ओर ध्यान दिलाना और तुद्धिमत्तापूर्ण प्रतीत होनेवाले तर्कोंद्वारा अमहयोगके साथ उनका सम्बन्ध दिखलानेकी चेष्टा करना बहुत सरल है। इस प्रकारकी इनी गिनी दुःखद घटनाओंके निमित्त असहयोगीको ही जिम्मेदार समझता चाहिये या कठिन उत्तेजनाके समय भी सामान्य शान्ति बनी रहनेका एक मात्र श्रेय उसे देना चाहिये, यह बतलाना भविष्यके निष्पक्ष इतिहास लेखकके लिये छोड़ दिया जाता है। यूरोपियनोंके दिमागमें यह बात आनी समवतः कठिन है कि भार-

तीयोंके लिये सहिष्णुताका सिद्धान्त जीवनका ही सिद्धान्त है। यदि ऐसा नहीं है तो इसका क्या कारण है कि उन वहुसंख्यक स्थानोंमें जहां कठोरसे कठोर और अत्यन्त असहनीय दमन किया गया था, सरकारकी ओरसे होनेवाली ज्यादतियोंको छोड़कर अन्य काँइ बड़ा उत्पात नहीं दुआ ? क्या भारतीय निन्दनीय रूपसे कायर है ? या वे इतने कमज़ोर हैं कि उनमें घूसेका जबाब घूसे द्वारा देनेका साहस या शक्ति नहीं है ? इसका स्पष्ट और निर्विवाद उत्तर वर्तमान परिस्थितिमें इस प्रमुख लक्षणसे ही मिल जाता है कि उत्तर भारतकी युद्धप्रिय जातियोंने ही पंजाबमें तथा संयुक्त प्रान्तमें पाश्चात्य व्यवहारसे पीड़ित होकर भी अत्यन्त आश्वर्यजनक आत्म-संयम प्रदर्शित किया है।

वीर अकाली—संसारको आदर्श शिक्षा

इस समय पञ्चाबके वीर अकाली अंजेय साहसके साथ प्रशान्त आत्म-संयम दिखलाने हुए संसारको आदर्श शिक्षा दे रहे हैं। इस घटनासे वीरतापूर्णे कार्यों एवं उच्चबल सफलताओंसे परिपूर्ण उनके जातीय इतिहासमें एक और उत्साहबर्द्धक परिच्छेदकी सृष्टि होगी। संसारकी प्रशंसापूर्ण आंखोंके सामने इस बड़े संग्रामका विवरण देना अनावश्यक है, क्योंकि कांग्रेसकी कार्य-समिति द्वारा नियुक्त गुहका बाग-जांच समितिने अपना निर्णय प्रकाशित किया है। यहांपर तो

उन हो वक्तव्योक्ति ओर संकेत करना ही काफी होगा जिन्हें श्रीयुत मी० एफ० एण्ड्रूजने समाचार पत्रोंमें प्रकाशित कराया है। उन्होंने कानून और अमनके पवित्र नामसे इन विरोध न करनेवाले असालियोंपर किये गये पाश-विक व्यवहारोंको अपनी आंखोंमें देखा है। उक्त दोनों दलोंमें उनकी योग्यताके अनुसार वीरता और भीरताका विभाग करना पाठकोंके ही हाथमें छोड़ दिया गया है।

युवराजकी सवारीके लिये सड़कोपर राज्यका प्रबन्ध

राजकुमारके भारत-दर्शनका सविस्तर वृत्तान्त देनेका प्रयत्न नहीं किया गया है किन्तु जिन वातोंका इन भूमिकासे सम्बन्ध है वे संक्षेपमें दे दी जानी हैं। जहाँ जहाँ राजकुमारका गमन हुआ वहाँ वहाँ हड्डताल हुई। नौकरशाहीने देगंक वास्तविक भावको छिपाकर बनावटी भाव दिखलानेके लिये कोई उपाय उठान रखा। इस उद्देश्यसे उसने राजकुमारके मार्गपर ताल्लुकेदारों नथा जमीदारों द्वारा धन देकर बुलाये गये मनुष्यों, कोई आफ वार्डमें काश्तकारों और कुछ ऐसे ग्रामीणोंका पक्किमें खड़ा कर दिया जो महात्मा गांधीके दर्शन करानेके बहने लाये गये थे। शाहजादे को देखने आनेके लिये नगरोंमें मोटर गाड़ियां मुफ्त दी गयी थीं। नगरोंमें निश्चिन घानोंपर एकत्र होनेके लिये प्रोफेसरों और शिक्षकों द्वारा कालिज और स्कूलके विद्यार्थियोंपर दबाव डाला गया था और भारतीयों द्वारा राजकुमारके

“हाइंडिक स्वागत” को अतिशय शक्तिपूर्ण झटी खबरें प्रकाशित करनेके लिये अपने पक्षकी खबर देनेवाली संस्थाओंसे काम लिया गया था । पर सब जानते हैं कि “यहाँ भारतमें (जैसा कि बड़े लाटने एक दूसरे सम्बन्धमें उस दिन कहा था) वास्तवमें क्या बात हुई ।”

हड़तालोंकी पूरी विजय

भारतीयोंकी प्रत्येक वस्ती और बाजारमें हड़तालकी पूरी विजय हुई । जो ग्रामीण महात्माजीके दर्शनार्थ आये थे, उन्होंने राजकुमारके पासले हाफर जान समय ‘महात्मा गांधीकी जय’ का घोष कर अपनी निराशाका दुःखमार हड़ता किया । सड़कोंपर फिरनेवाले कुछ बालकोंने मुफत मोटा मिलनेके लालचसे निश्चिन स्थ न रह आता कबूल किया, पर राजकुमारके उस स्थानसे गुजरनेके बहुत पड़े हो वे बड़ेसे नो-दो-ग्यारह हो गये । अधिकांश स्थानोंपर क छिन्न और स्कूड़के विद्यार्थियोंकी अनुपस्थिति सफ प्राप्त होती थी । एक बड़े नगरने ता उन्होंने राजकुमारके जुड़नके रास्तेपर ही उतकं अग्रसतके दिन विदेशी कपड़ोंकी होली जलायी ।

हिन्दू विश्व विद्यालयमें उदासीन स्वागत

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके अधिकारियोंने, आशा-स्वरूप अपने विद्यार्थियोंको ठट्टाएँसे दिखलानेके लिये एक बड़ा मण्डप तैयार किया था । पर अन्त समयमें सुसज्जित

खानों को भरने के लिये उन्हें बड़ी कठिनाई हुई और उन्हें इसमें बहुत कम सफलता हुई ।

प्रयागमें पूरी हड्डताल

पक्षपातयुक्त संवाद एजनिसयां, यहांके सभी श्रेणियों के भारतीयों का उत्सव सम्बन्धी कार्योंसे अलग रहने का दृढ़ संकल्प न छिपा सकीं । प्रयागमें तो उनका यह कार्य पूर्णतः असम्भव हो गया, क्योंकि राजकुमारके आगमनके कुछही काल पूर्व यहांके प्रतिष्ठित नागरिकोंको गिरफतारीसे आत्मसम्मानमें आधात पहुंचनेके कारण सारा शहर क्षुब्ध हो उठा था । कहा जाता है कि यह कार्य द्वाव डालकर तथा भय दिखलाकर कराया गया था । इस सम्बन्धमें लन्दनके 'टाइम्स' पत्र द्वारा एक लेखकने जो यह प्रश्न पूछा था कि "अनेकानेक कार्यकर्ताओंकी गिरफतारीके बाद द्वाव डालने और भय दिखलानेके लिये रह हो कौन गया था ?" उसका उत्तर नहीं दिया गया । क्या यह सम्भव है कि संमारणमें सबसे अधिक दृढ़नासंकल्प और शक्तिशालिनी जाति' के प्रतिनिधियोंके कड़े प्रयत्न पर भी, ओरसे छोरनक सारा देश केवल मुट्ठी भर ऐसे व्यक्तियोंके भयप्रदर्शन और द्वावसे एक ही लहरके अधीन हो गया जो लाड रेडिङ्के शब्दोंमें 'देशके वास्तविक भावोंके परिचायक नहीं हैं' और जिसमेंसे अधिकाँश जेलोंमें बन्दकर दिये गये थे ? यदि है तो, यह संसारकी सबसे अधिक दृढ़संकल्पवाली

जानि जितनी शीघ्र अपने वर्तमान प्रतिनिधियोंको हटाकर अपना सुनाम इन मुट्ठीभर लोगोंकी हिफाजतमें छोड़ दे उतनी ही अधिक दोनोंके भविष्य सुख और समृद्धिकी बृद्धि होगी ।

युवराजके मनमें भारत-दर्शनकी सुखद स्मृति

राजकुमार भारतमें आये और चले गये । यह प्रसन्नता-की बात है कि लौटनेपर भी भारत दर्शनकी सुखद-स्मृति उनके मनमें बनी रही । उन घटनाओंकी दुखद स्मृतिका उल्लेख करनेका अप्रिय कार्य अनिवार्य हा गया था जो युवराजकी यात्राके समय उन लोगोंकी कार्रवाईसे उत्पन्न हुई थी जिन्होंने देशकी अशान्त परिस्थितिमें इस यात्राका प्रबन्ध किया था और जिन्होंने असन्तोषसूचक तरंगके द्वानेकी असफल चेष्टा की थी । यहांपर कांग्रेस द्वारा कई बार दिलाये गये विश्वासको फिर दोहरा देना चाहते हैं कि राजकुमार या राजपरिवारके प्रति भारतके हृदयमें किसी प्रकारकी धुराई या अनादरका भाव नहीं है ।

अहमदाबादमें राष्ट्रीय सभाका सम्मेलन ।

पीछे कही गयी बातोंपर विचार करनेसे प्रगट होगा कि अमहदाबादमें राष्ट्रीय सभाका महा अधिवेशन होनेके पहले ही अमहयोग आन्दोलनकी पहली सीढ़ो समाप्त की जा चुकी थी । राष्ट्रीय सभाके इस प्रसिद्ध अधिवेशनमें स्वोकृत किये गये प्रधान प्रस्तावमें उस परिस्थिति हा संक्षिप्त आलेक्षण किया गया जो उस समय देशके मामने उपस्थित थी । बाइसराएके दिल्ली नथा

कलकत्ते वाले भाषणोंमें दी गयी चुनौती भी उक्त प्रस्ताव द्वारा स्पष्ट राख्दमें स्वोकृत का गयी। कार्य-कर्त्ताओंने जनताकी सहायतासे, कार्य-समितिकी २३ नवम्बर १९२१ की बम्बईवाली थेटकमें स्वोकृत प्रत्यक्षके आदेशोंका अनुपालन फिस उत्तमाहंक साथ किया, इसका उल्लेख पहले कर किया गया है। अब उन्हें समूचो राष्ट्रीय सभाकी आज्ञाका बल भा प्राप्त हा गया। उन्होंने द्विगुणित माहस और दृढ़ताके साथ यह अपूर्व संग्राम जनवरी तथा फावरीके भी कुछ भागतक जारी रखनेका ऐसा प्रयत्न किया कि जिसके सामने दमन नीतिकी शक्ति भी परास्त हा गया। उत्तर मारतमें इधर पक्षावके पश्चिमी कोणसे लेहर उधर बड़ाल और आसामके पुर्णी कोण तक राष्ट्रीय सभाके सभी परिस्थितिके कार्य-कर्त्ताओंके दलके दल पकड़े जानेपर एवं सरकार द्वारा दमन नीतिके अन्य उपायोंका प्रयोग होनेपर भी स्वतन्त्र भाषण एवं सहगमनके नेतृगांक अविकासोंपर अरुड़ रहनेका जनताका निश्चय टससे मस्त न हुआ। कलसत्ता, प्रयाग, लखनऊ तथा अन्य संख्यातीत स्थानोंमें आम सड़काएर तथा पुलिसके थानाके सामनेसे स्वयं-सेवक दल अपने कायं-सूचक चिह्न लगाये हुए और स्वराज्य-के झरडे हाथमें लिये हुए एकके बाद एक अविच्छिन्न धाराके रूपमें निकला करने थे। वे अपनेको पकड़वानेके लिये समुद्धत थे, किन्तु यहुधा उनसे कोई चूं-चां तक न करता था। हवालातोंमें स्थान न था, जेलखाने भर गये थे। दमन नीति इस

बड़ी उत्तेजनाके साथ दौड़ न लगा सकी, विवशताके कारण उसकी गति मन्द पड़ गयी।

“वाइसराय हैरान और परेशान”

दिसम्बरके आरम्भमें वाइसरायने निःसंकोचरूपसे स्वीकार किया कि “मैं हैरान और परेशान हूँ”। अब सारे शासनकी कलखालराने लगा और उनके शीघ्र पतनके लक्ष्य नजर आने लगे। २६ जनवरीको बारडोलाने सविनय अवश्या जारी करनेका महत्पूर्ण निणय किया। महात्मा गान्धीने इसे “बारडोलीका अन्तिम और अमिट निणय” कहा और वाइसरायके पास अपनी अंतिम सूचना भेज दी। बड़ी बड़ी आशाएँ की जाने लगीं। सारा देश शारीरिक शक्तिरर अंतिमक शक्तिका पूर्ण विजय देखनेके लिये समुत्सुक हा उठा। फिन्तु देश्याका इच्छा कुछ और हो गया।

चौरीचौराकी दुःखावह घटना

तारीख १५ फरवरी १९२२ को चौराचौराकी दुष्यंटता हुई। इसने सारी परिस्थिति बदल दी। ११ और १२ फरवरीको बारडोलामें कायं-समितिकी बैठकमें निणय हुआ कि “बारडोली तथा अन्यत्र जिस सविनय अवश्याका सूत्ररात किया जानेवाला था, उस ॥ विचार तथतक स्थित कर दिया जाय जब तक परिस्थित इतना अहिसापूर्ण न हो जाय कि गोरखपुरके समान सावेजनिक निपुरताओं अथवा यम्हेर्स और मद्रासके समान

हुलडशादीकी पुनरावृत्ति होनेकी कोई संभावना न रह जाय। “गिरफ्तार किये जाने एवं कैद होनेकी इच्छासे ही” किये जाने वाले सब कार्य तथा सारे स्वर्यसेवकोंके जुलूसोंका निकलना और ऐसी मार्वजनिक सभाओंका होना, जो केवल इनके निषेधार्थ निकाली गयी सरकारी सूचनाओंकी अवहेलनाके उद्देश्यमें की जाती हों, अन्य आदेश दिये जाने तक बन्द कर दिया गया, और एक नया रचनात्मक कार्य-क्रम उपस्थित किया गया।

बारडाली तथा दिल्लीका प्रस्ताव

जैसा कि दिल्लीमें किये गये सर्वभारतीय समितिके २४ और २५ फरवरीवाले अधिवेशनमें महात्मा गांधीने समझाया था, कि यह चिलकुल सत्य है कि इस प्रस्तावका अभिप्राय नागपुरके असहयोग प्रस्तावसे किसी प्रकार हटनेका न था। किंतु भी इसमें सन्देह नहीं कि अहमदाबादमें जो सिद्धान्त और कार्य-प्रणाली निश्चित की गयी थी उसके सर्वथा बदल दिये जानेसे समुत्सुक जनताको बड़ी निराशा हुई। यद्यपि जनताकी उत्कण्ठाका ख्याल कर सर्वभारतीय कांग्रेस कमेटीने प्रान्तीय कमेटियोंको इस शर्तपर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा करनेकी स्वीकृति देनेका अधिकार दिया कि राष्ट्रीय सभा, सर्वभारतीय कांग्रेस कमेटी तथा कार्य-समिति द्वारा जिन जिन शर्तोंका पूरा किया जाना आवश्यक बताया गया था उनका भलोमांति पालन किया गया था, तोसो विधायक कार्य-क्रमको

पूरा करनेके निमित्त जनतामें काफी उत्साह उत्पन्न न किया जा सका ।

महात्मा गांधीने यह हालत देखकर तुरन्त ही अपनी अधिक शक्ति परिस्थितिका वास्तविक दिग्दर्शन करानेकी ओर लगा दी, किन्तु जिसे हम महात्माजीकी शक्ति कहते हैं वही सरकारकी दृष्टिमें उनकी कमज़ोरी थी । जनताको उन्नेजना बढ़ना हुआ प्रबाह जिस सीमातक पहुँच चुका था, उसे महात्माजीके सदृश केवल चेतावनीकी उंगली उठाकर वहां ही रोक देना अन्य किसी मनुष्यके लिये कदाचित् संभव न था ।

महात्माजीकी गिरफ्तारी और सजा

किन्तु जनताके हृदयपर महात्माजीके इस अपूर्व अधिकार-का आशय उनके घटते हुए प्रभावका दोनक समझा गया और इसी अवसरपर भारतमाताका सबसे अधिक विलयत पुत्र गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश राजपुरुषोंकी बुद्धि मारी गयी, और शासन-कलाका ऐसा अधिष्ठात्र हुआ कि उसका अर्थ अपने पक्षकी दलील पेश करना एवं इन्हेंडके उच्चति-विदेशी लोगों तथा भारतके ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा उठायी गयी आवाज़का आँख मीचकर अनुबरण करना ही रह गया । महात्माजीपर मुकदमा चलाया गया, वे दोषी समझे गये और बन्दीगृहमें डाल दिये गये । थोड़े ही समयमें समाप्त कर दिये गये उनके अभियोगके सम्बन्धकी घटनाओंकी सूति

सर्वसाधारणके प्रस्तुतियमें अभी ज्योंकी त्यों बनी है। अभियुक्ताके कठघरेमें खड़े होकर उन्होंने जो उच्च भाव प्रगट किये थे वे लोगोंकी आत्माके भीतर भलीभांति प्रविष्ट हो गये हैं। महात्माजी मुस्कुराने हुप जेलबाने गये और जनताने उस अनुकरणीय आत्म-संयम तथा पूर्ण अहिंसाका पालन कर जिस पर महात्माजीका इतना अधिक अनुराग था, इनके प्रति सम्मान-सूचक अपना भक्तिभाव प्रगट किया। उन्होंने अभियोग चलते समय जो सुप्रसिद्ध वक्तव्य उपस्थित किया था उससे अधिक कुछ कहना अनावश्यक है।

महात्माजीकी अनुपस्थिति

महात्माजीके अतिरिक्त और किसी मनुष्यमें यह सामर्थ्य न थी कि वह उस शिथिलताको दूर कर सकता जो वारडोली तथा दिल्लीके प्रस्तावोंके कारण स्मर्त कार्य-कर्त्ताओंपर छा गयी थी, और न कोई कांग्रेसको गति बदलकर ही उसे उक्त प्रस्तावों द्वारा निर्धारित मार्गपर ला सकता था। यदि उन्हें देशमें विद्युत् गतिसे एक बार भ्रमण करनेका अवसर भर दे दिया गया होता तो गत छः मासोंका इतिहास और ही रूपमें लिखा जाता। किन्तु यहांपर जो कुछ है उसीका विचार करना है, क्या हुआ होता इसका नहीं। यदि महात्मा गान्धी पकड़े न जाते और जेल न भेजे जाते तो क्या हुआ होता, इसकी जांच करनेसे कोई लाभ नहीं है। उसी प्रकार

बारडोली तथा दिल्लीमें स्वीकृत किये गये उन प्रस्तावोंके अधीनिय अगवा अनौचित्यके सम्बन्धमें जो अनुकूल-प्रतिकूल मत प्रगट किये गये हैं उनपर विवाद करना भी व्यर्थ है। जिस मुख्य शातकी उपेक्षा नहीं की जा सकती वह यह है कि बार-डोली और दिल्लीके निश्चयोंके बाद पवं इसके अनन्तर महात्माजीके केंद्र होनेके बाद मारे देशमें आपक शिखिलता छा गयी। उस शिखिलताके कारण नगरमदलचालों तथा शासक मण्डलमें जो आशायं उत्पन्न हो गयी है वे कहां तक उचित हैं, यह अलग बात है।

कुछ कार्य कर्त्ताओंमें काफी विश्वासकी कमी

इस कुत्रिम शिखिलताका एकमात्र कारण उन अधिकारिश कार्य-कर्त्ताओंकी ओरसे रचनात्मक कार्यक्रममें पर्याप्त विश्वासका अभाव था जिन्हे उसे पूरा कराना था। उत्साहका सहसा अवरोध कर दिये जानेसे उत्पन्न निराशाके कारण उन्हें कार्य-क्रमकी अप्रगट महती शक्तिकी ओर लोगोंका ध्यान ही न गया। यह मान लिया गया है कि उसके लिये अभी कोई जन्मी नहीं है, क्योंकि उसकी पूर्तिके निमित्त कई वर्षोंतक स्थिर रूपसे काये करनेकी आवश्यकता है। कार्य कर्त्ताओंकी इस अन्यम-नस्कताकी प्रतिच्छाया किसी अंशतक सर्वसाधारणपर भी दृष्टिगोचर हुई, किन्तु राष्ट्रीय सभा तथा महात्मा गान्धीके उपदेशोंमें उनका विश्वास बैसा ही बना रहा।

अपूर्व राष्ट्रीय जागृति

अपने अपने स्थानोंकी बातोंसे परिचित, देशके सभी भागों से आये हुए लोगोंकी साक्षीसे जो उन्होंने असहयोग जांच कर्मेशीके सामने दी है देशकी वर्तमान महस्वपूर्ण परिस्थितिके स्वतन्त्रमें ये बातें प्रमाणित होती हैं—(१) राजनीतिक स्वतन्त्रों और विशेष अधिकारोंके विषयमें जन समूहकी सामान्य जागृति (२) वर्तमान शासन-प्रणालीमें अद्वाका पूर्ण अभाव (३) यह विश्वास कि मारत अपने ही प्रयत्नोंमें स्वतन्त्रताकी आशा कर सकता है (४) यह भारणा कि राष्ट्रीय सभा ही एक ऐसी संस्था है जो स्वतन्त्रता पानेके निमित्त राष्ट्रीय प्रयत्नमें हमारा पथ-प्रदर्शन कर सकती है। (५) लोगोंको भयभीत करनेमें दमन नीनिकी सम्पूर्ण अम-फलता ।

बातावरणकी विभिन्नतायें

यह सत्य है कि भिन्न भिन्न नगरों नथा भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें (राजनीतिक) बातावरणकी विभिन्नताएँ उस मात्रामें दृष्टिगोचर होती थीं जिसमें कि सरकार द्वारा छोड़े गये वर्मनीतिके ठहड़े प्रवाहका प्रयोग प्रायः अविच्छिन्न रूपसे उसके स्थानीय कर्मचारी उससे भी अधिक ठहड़ी अपनी निजी करामातों समेत या उनके बिना ही किया करते थे ।

असहयोग अभी जीवित है

किन्तु इने यिन नरमदलों तथा देश और विदेशके स्थायी स्वार्थीवाले मनुष्योंको छाड़कर समूचे देशका जो क्षेत्र था वहाँ अब भी बतेमान है। जहाँका वातावरण अधिक ठण्डा (शिथिल) था वहाँ वृक्षोंसे प्रोत्साहनकी गर्मी पहुँचाने ही वह समस्त देशके सामान्य वातावरणकी ही स्थितिको प्राप्त कर लेता। संक्षेपमें, एक ओर अमहयोगका उन्नतिका और दूसरी ओर उसे दबानेके लिये किये गये प्रतिरोधात्मक उपायोंका यही विशुद्ध परिणाम है।

सरकारी विवरण

गत मार्च महीनमें, महात्मा गान्धीकी गिरफ्तारीके टीक पहले, वह प्रसिद्ध विवरण प्रकाशित किया गया जिसमें भारत सरकार द्वारा “असहयोगके कारण उत्पन्न परिस्थितिका साधारण सिंहावलोकन” दिया गया था। इस विवरणमें आन्दोलनके उद्देश्यों, अभीष्टों तथा साधनोंका विलक्षण उलटा अर्थ बतलाकर सरकारने बड़े परिश्रमकं साथ अपना नीतिका समर्थन किया था। इसके बाद उसने, नाक-मौह सिकोड़ते हुए निम्न लिखित शब्दोंमें यह बात स्वीकार की थी कि अमहयोगमें सज्जा राष्ट्रीय भाव और धार्मिक प्रेरणा शक्ति विद्यमान है एवं वह चारों ओर दूर दूरतक फैल गयी है—

“इतना होने पर भी, यद्यपि गम्भीर और समझदार भार-

नीय अमहयोगकी मांगोंका कार्यमें परिणत किये जाने योग्य नहीं समझते तोभी, इस चातकी उपेक्षा करना संभव न हो सका कि असहयोग आन्दोलन राष्ट्रीय भावों द्वारा परिचालित और सर्वथित है एवं मुमलमानोंकी वे धार्मिक भावनायें भी उसका साथ दे रही हैं जो उन लोगोंपर भी अपना प्रभाव ढालती हैं जिन्होंने उसका कार्य-क्रम स्वीकृत नहीं किया है।”

शास्त्रीजीको सरकारकी अविश्वसनीयता और अप्रामाणिकताका आभास

इधर कुछ दिगोंसे जबताईं वास्तविक भाव उन लोगोंको छोड़कर जो देखता हो नहीं चाहते, अन्य सब लोगोंको स्पष्ट देख पड़ रहे हैं। हालमें भारतवर्षके आर-पार यात्रा करते समय स्वयं शास्त्री भी इसका आभास प्राप्त किये बिना न रह सके। गत अप्रैल मासमें वर्षाईको समाप्त महिने ‘उदार दलवाले’ माइयोंके सामने उन्होंने कहा था कि सरकारमें इतना गहरा अविश्वास, उसकी सचाईके प्रति अद्वाका समर्पण अभाव, उनकी आज्ञाओं एवं धोषणाओंको निःसार समझकर उनका उपेक्षा करनेकी इतनी प्रबल प्रवृत्ति मैंने आज-की तरह पहले कभी नहीं देखी थी।”

परोपकारिताके साधन

एक गखचाड़ीके बाद बाइसरायके निवास-स्थान पर भोज समाप्त होनेके पश्चात् उन्हीं महाशयने उन कर्मचारियोंकी

उज्ज्वल पंकिके सामने एक और आख्यान दिया जिन्हें आप उस परोपकारिताके उच्च भावके चुने हुए साधन समझते हैं जो ब्रिटिश सरकारको संसारमें अपना कर्तव्य पालन करनेमें सदा प्रवृत्त करती है। भाषण करते समय आपने कहा था—

“हमने प्रचलित सरकारके प्रति विश्वास और आशाका इतना अभाव इस देशमें पहले कभी नहीं देखा। मैं यह बात खूब विचार पूर्वक कहता हूँ। लोगोंकी ओर श्रद्धाका ऐसा नितान्त अभाव आजसे पहले हमने कभी नहीं देखा।”

वायसराय द्वारा अपने विश्वासी सहायकके कथनकी अपेक्षा

लाड रेडिङ्ग्सने अपने इस विश्वासी मित्र और सहायकके द्वारा दो गयी उक्त कड़ी चेतावनीकी ओर ध्यान न दिया। उनका आतिथ्य स्वीकार करते समय शास्त्रीजी द्वारा उपरोक्त भाव प्रगट किये जानेके एक मास पश्चात् वाइस-रायने प्रतिनिधि-मण्डलके रूपमें आये हुए व्यापारिक संस्थाओंके सदस्योंको यह विश्वास दिलानेकी चेष्टा को कि ‘(वक्त्वामान) सरकार जो पहलेकी केन्द्रस्थ सरकारोंकी अपेक्षा अधिक अंशमें भारतकी प्रतिनिधि है, जनतामें विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न कर रही है।’ श्रीमाणटेग्सके सामन प्रबल भारत-मन्त्री-भी भारतमें स्वयं उपस्थित होकर और मौके पर ही जांच कर भारतीयोंके वास्तविक भावोंका अन्दाज़ा न लगा सके। इससे प्रगट होता है कि भारतीय प्रश्नोंका वास्तविक अभिप्राय

समझनेका विद्युत राजनीतिज्ञोंका प्रयत्न वर्ध ही है। नये सहायक भारत मन्त्री, जिन्हें परिस्थितिका विशेष ज्ञान नहीं है और जिनके विचार विण्टरटनके अल्ले होनेके कारण पहलेसे रुप हुए हैं, केवल उसी सलाहके सहारे अपना काम चला सकते हैं जो उन्हें शिखला एवं दिल्लीसे नौल करदी जाती है। कामन्स सभामें भारतके सख्त्यमें विवाद होते समय उक्त अले महोदयने इन बाक्योंका उच्चारण किया—

“भारत सरकारने तब तक ठहरना उचित समझा जबतक महात्मा गान्धीके राजनीतिक सिद्धान्तोंकी असारता एवं रचनात्मक परिणामोंको उत्पन्न करनेमें उसकी पूर्ण विफलता देखकर उनके अधिक समझार समर्थकोंका भ्रम दूर हो जाय। इसके बाद उनके अनुयायियोंने अपेक्षाकृत उदासाननाके साथ उनका पतन स्वीकार किया। जिस अपढ़ जनताको उनका नाम जपनेका पाठ पढ़ाया गया था और जो प्रतिक्षा स्वराज्यकी तिथिकी बाट जाह रहा था एवं जिसे उसने कई बार चीनने हुए भी देखा था, उसी जनताके सामने गान्धीजीकी अस्वाभाविक शक्तिका बुलबुला बातकी बातमें फूट गया।

महात्माजीकी अस्वाभाविक शक्तिका बुलबुला

सारी मनुष्य जातिके पांचवें माग (भारतीयों) की राजनीतिक जागृति ही—जिसमें, यह सत्य है, कभी कभी दो एक अवाञ्छित घटनाएं भी हो जाती हैं—यहांपर ‘रचना-

त्रिपक परिणामोंको उत्पन्न करनेमें पूर्ण असफलता' कही गयी है। कार्यक्रमके किसी किसी मदके सम्बन्धमें असहयोगियोंमें उचित प्रतिवेदका ही अर्थ अधिक समझदार समर्थकोंका भ्रम दूर होना' लगाया गया है। महात्माजीकी गिरफ्तारी पर जनसमूहमें अशान्त उपद्रवोंके न होनेका श्रेय उनके 'अस्वाभाविक शक्तिके बुलबुले' के शीघ्र फूट जानेको दिया गया है।

पूर्ण शान्तिका करण महात्माजीका उपदेश है

चास्तवमें गान्धीजीकी गिरफ्तारीके बाद पूरी शान्ति बनी रहनेका कारण यह हृदयग्राही अनुरोध है जिसे उन्होंने इजारहों बार इन शब्दोंमें प्रगट किया था—

"मेरे लिये यह अभिमान या आनन्दकी बात न होकर लज्जाकी बात है कि सरकार मुझे इसलिये गिरफ्तार नहीं करनी कि ऐसा करनेसे उसे देश-व्यापी उपद्रव एवं तदुत्पन्न भीषण हत्याकी आशङ्का है। यदि मेरा दण्डित होना समस्त देशमें तूफानका उत्पादक हो तो जिस अहिंसाका मैने उपदेश दिया है और काग्रेस एवं खिलाफतने जिसका पालन करनेकी प्रतिष्ठा की है, उसके सम्बन्धमें यह घटना निराशाजनक टिप्पणीका काम देगी। अतः मुझे आशा है कि कांग्रेस तथा खिलाफतके अन्तर्गत काम करनेवाले पूर्ण शक्तिसे प्रयत्न कर यह दिल्ली देंगे कि सरकार और उसके हिमायतियोंकी शक्ति घिलकुल गलत थी। मैं दूढ़तापूर्वक कहता हूँ कि इस प्रकारका

आत्मसंयम हमें अपने त्रिविधि लक्ष्यकी ओर कहे मील आगे पहुँचा देगा । इस लिये (मेरी गिरफ्तारी पर) कोई हड़ताल न मनाई जाय, कोई जोर शोरके प्रदर्शन न किये जायं, न जुलूस निकाले जायं ।”

दो ही बातें हो सकती हैं, या तो लोग वास्तवमें गान्धी-जीको महात्मा समझते थे या वे ऐसा न समझते थे । यदि जनता उन्हें महात्मा न समझती थीं तो फिर उस बुलबुलेका अस्तित्व ही कहां था जो कूटता ? यदि लोग उन्हें महात्मा ही मानते थे तो ऐसा कोई भी भारतीय नहीं जो नेपक सामने खड़े होकर भी ऊपरके अचतरणमें किये गये हृदयग्राही अनुरोधकी उपेक्षा करता । किन्तु शामकवर्ग दोनों तरहकी बातें करता हैं । इस प्रकार दिन दिन भूटे स्वर्गका निर्माण किया जाता है ।

सरकारका एक और समर्थक

श्री रश्वुक विलियम्स, जो सरकारी नीतिका समर्थन करनेवाले कर्मचारी हैं, अपनी पुस्तक “सन् १९२१—२२ का भारत” में असहयोगके सामान्य परिणामोंका वर्णन करते हुए, अपनी इच्छाके विरुद्ध, देशभक्तिके भावको अस्तित्व माननेके लिये चिवश हुए हैं । हां, उन्होंने उसे उच्च श्रेणीके लोगों तक ही परिमित कर दिया है और उसे उन रङ्गोंसे रङ्ग डाला है जो उन्हें सेकेटरी-विभाग (सेकेटरियट) से प्राप्त

हुए थे। रिपोर्टेका बह अंश नीचे दिया जाता है। यह शासकोंकी विचार-शैलीके उस भालेपनका नमूना है जो अप-रिहार्य सत्यके सामने उन्हें मिथ्या विश्वासोंका आश्रय प्रहण करनेके लिये बाध्य करता है—

“किन्तु समूचे आन्दोलन पर दृष्टिपात करनेसे यह नहीं कहा जा सकता कि वह तिष्फल हुआ। इसके परिणाम वाञ्छनीय हुए हैं या अवाञ्छनीय, यह समय बीतने पर ही मालूम हो जायगा, किन्तु इन परिणामोंकी वास्तविकताके सम्बन्धमें अब कोई शङ्का नहीं की जा सकती। जिन श्रेणियोंके लोग पहले राजनीतिक विचारोंके प्रति उदाहीन थे उन्हींमें सन् १९२१—२२ के गांधी-जीके प्रबल आन्दोलनने विदेशियोंके प्रति जानि डेष्टसे उत्पन्न विरोधात्मक देशभक्तिका ढूढ़ भाव भर दिया है। नगर और ग्रामोंकी अत्योन्नत श्रेणियोंके लोग वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिकी अनेक बातें समझने लगे हैं। सब बातोंका ख्याल कर अभीतक असहयोगकी सबसे भारी सफलता यही समझी जानी चाहिये। कई बातोंमें उससे लाभ होनेकी संभावना है, यह बहुतोंकी धारणा है; उसके कारण भविष्यमें कुछ वर्षों तक भय तथा कठिनाइयां बहुत बढ़ जायंगी, यह कम लोग अस्वीकार करेंगे।”

उपरोक्त अवतरणसे यदि हम विशेषणों परं विशेषता घोतक शब्दोंको निकाल दें तो कामन्स सभामें अर्ल विष्टरटन

द्वारा उपस्थित किये गये सरकारी बक्ट्र्यकी अपेक्षा वह सत्यके अधिक निकट पहुँचा है।

वायसरायकी आशा तथा निराशा

सहायक भारत मन्त्रीने जिस प्रकार जबर्दस्ती ही आशावाद प्रगट करना चाहा था, उसी प्रकारका एक भाषण हालमें वाइसरोय महोदयने भी बड़ी व्यवस्थापक सभाका उद्घाटन करते समय किया था। किन्तु जहाँ इस भाषणका प्रारम्भ विश्वासपूणे शब्दोंमें किया गया है वहाँ उसके अन्तिम भागमें किया गया अनुरोध निराशासे भरा हुआ है—

“यहाँ भारतमें तो हम जानते हैं कि वे (असहयोगी) भारतीय जनताके वास्तविक विचारोंके प्रदर्शक नहीं हैं किन्तु क्या आप लोगोंको यह जान कर आश्चर्य होता है कि भारतकी अधिकांश जनताके राजभक्त होने हुए भी उन लोगोंने समस्त साम्बाज्यके अंगोंजो पर बुरा प्रभाव उत्पन्न कर दिया।”

यहाँ पर यह अप्रिय प्रश्न किया जा सकता है कि भारतकी अधिकांश जनताका अर्थ सर्वसाधारण नहीं तो और क्या है ? किन्तु अपने भाषणके दूसरे अंशमें वाइसरायने अपने श्रोता-ओंको यह आदेश देना आवश्यक समझा कि आप लोग सर्व-साधारणकी बुद्धि पर प्रभाव डाल कर उनकी सहानुभूति प्राप्त करनेकी चेष्टा कीजिये। उन्होंने यह भी कहा था—

“हमें उनको अपने उद्देश्यकी सचाईका विश्वास दिलाना चाहिये, हमें उनको इस बातका निश्चय करा देना चाहिये कि

हमारे सब कामोंका पहला उद्देश्य उनका हित ही है। आप लोगोंको जो उज्ज्वल दृष्टि प्राप्त है वही आप उन लोगोंमें फैलाइये। आप लोगोंके जैसे व्यापक विचार हैं और भौतिक सुखके जो अवसर आप लोगोंको प्राप्त हैं उनमें भाग ले सकनेके निमित्त दूसरोंकी सहायता करना भी आपका कर्तव्य है। अपनी नीतिका संरक्षण करना ही पर्याप्त नहीं है। हम लोगोंको आगे बढ़ना होगा और उनका पथ-प्रदर्शन करना होगा। यह काम सरल नहीं है। इसमें अध्यवसाय एवं धैर्यकी आवश्यकता है, किन्तु मुझे विश्वास है कि आप लोगोंके प्रयत्नसे यह कार्य सफलता पूर्वक किया जा सकता है। इस काममें मेरी सरकारकी ओरसे आप लोग पूरी सहायताकी आशा कर सकते हैं। सिविल सर्विसके कमेवारी भी आपके सहायक हैं जिन्होंने अनेक झूटी बातों एवं विरोधका सामना कर संशोधित शासन-प्रणालीके अनुसार कार्य करनेमें मनन और असंकुचित रूपसे सहयोग किया है और अब भी उसकी सहायताके लिये प्रयत्न कर रहे हैं। वे आपकी सहायताके लिये तैयार हैं और उन्हें भी आपकी सहायताकी आशा है। आप लोग अपने चारों ओर सुधारोंके विरुद्ध बातें सुन रहे हैं, आपके अभिप्रायोंका उलटा अर्थ लगाकर आपके अधिकारोंकी आलोचना की जा रही है, आपकी सफलताओंका महत्व कम दिखलाया जाता है, आपके उद्देश्य निन्दा कहे जाते हैं।”

व्यवस्थापकोंके विशेषाधिकार और भावकी उन्नति

उन लोगोंकी राजमहिला अर्थ समझना कठिन है जिनकी बुद्धिपर प्रभाव डालकर सहानुभूति प्राप्त करना अभी बाकी ही है और जिन्हें अभी उनलोगोंकी सचाईका विश्वास दिखाना चाही है जिनके बे भक्त और अनुयायी हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि 'यह काम सरल नहीं है, इसमें अध्यवसाय एवं धैर्यका आवश्यकता है।' व्यवस्थापक समाजके सदस्योंके प्रयत्नोंसे कार्यके सफलतापूर्वक किये जानेमें विश्वास प्रगट किया गया है, किन्तु साथ ही उन्हें इस बातका निश्चय दिलाना भी आवश्यक हुआ है कि आप इस काममें मेरी सरकार तथा सिविल सर्विसको पूरी सहायता का आशा कर सकते हैं। इसके सिवा अन्य बातोंके साथ साथ उनके 'विशेषाधिकारों और भावी उन्नति' की ओर भी संकेत किया गया है। सरकार जिस तरह सारी बातोंका प्रबन्ध करता है उसे देखकर आश्वर्य होता है। सरकारका तथा सिविल सर्विसका सहायताका आश्वासन देकर सदस्योंसे उत्सुकतापूर्वक यह अनुरोध किया गया है कि आप अपने विशेषाधिकारों और भावों उन्नतिका ख्याल कर" उस उत्तरवाल दृष्टिका प्रसार कीजिये जो आपको प्राप्त है और इसका एकमात्र उद्देश्य उसी जनतासे मेट करना और उसकी सहानुभूति प्राप्त करना है जिसके बे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं! इन राज 'भक्त' और 'अनुयायी' लोगोंके रंग-ढंग विचित्र हैं—नगरमें या गांवमें सभा

होने की सूचना देनेवाले की आवाज़ सुनकर वे हजारोंकी संख्यामें
असहयोगियोंको समाम आ जुटते हैं जो उनकी पथप्रदर्शक
नहीं हैं और जिन लोगोंके बे भक्त और अनुयायी हैं उन्हें
बिलकुल अकेला छाड़ देते हैं जब तक कि सरकारके अधिक
प्रसिद्ध कर्मचारियों विशेषकर पुलिसवालों द्वारा वे 'शानि-
पूर्वक फूसलाये' नहीं जाते ।

प्रधान सचिवका सिर हिलाना अधिक अर्थपूर्ण

श्री लायड जार्जके हालके ऐतिहासिक भाषणका—जिसने
हमारे नरमदलवाले भाइयोंमें इनी खलबली पेंदा कर दी है,—
एवं शब्दोंके अर्थपूर्ण प्रधान सचिवके मिर हिलानेके प्रभावके सम्ब-
न्धमें दिये गये चाइसरायके भाषणका वर्णन अवस्थापक समाओंमें
असहयोगियोंके जानेके प्रश्नका विचार करते समय किया
जायगा । यहाँपर इनना कह देना ही उचित होगा कि शासकोंके
ये भाषण उस मानसिक अवस्थाके द्योतक हैं जो आशाके चिफल
होनेमें उत्पन्न होती हैं और जो कोधमयी भाषा में प्रगट होती है ।
यदि निर्वाचकोंको प्रभावित करनेमें असहयोगी इस प्रकार सचिव
चिफल हुए हैं जैसा कि कहा जाता है, तो उन्हे यह धमकी देनेकी
क्या आवश्यकता थी कि यदि आप लोग सुधारोंका विध्वंस
करनेका साहस करेंगे तो इसका परिणाम अच्छा न होगा ?
इतना और कह देना आवश्यक है कि इन बड़ी बड़ी वक्तृताओंके
कारण असहयोगी तनिक भी उद्घिन्न नहीं हुए हैं ।

नरमदलवाले भाई

फिर भी किसी प्रकारके प्रतिरोधका भय न कर यह बात कही जा सकती है कि इस आन्दोलनके सिद्धान्तों तथा कांग्रेसके भिन्न भिन्न कार्यक्षेत्रोंमें उनके प्रयोगके सम्बन्धमें उनका चाहे कितना भी मतभेद रहा हो, अभी तक नरमदलके किसी भी विष्यात नेताने देशकी वर्तमान जागृतिका श्रेय एकमात्र असहयोगको देनेमें आपत्ति नहीं की है। इसके विरुद्ध उनके अग्रणीय नेताओंने मुक्त कण्ठसे असहयोगकी सफलता स्वीकार की है। यह बात दूसरी है कि ऐसा स्वीकार करते समय प्रत्येक बार उन्होंने कार्यक्रमके विशेष मदोंके सम्बन्धमें अपना असम्मति प्रगट की है। गत मई मासमें अहमदाबादमें किये गये सर चिम्मनलालजी सोतलवाड़के भाषणसे एक अवतरण नीचे दिये जाता है। साधारणतया यह समस्त नरमदलवालोंकी रायका द्योतक समझा जा सकता है—

“मैं यह खुशीसे स्वीकार करता हूं कि किसी हदतक गरम-दलने अच्छा काम किया है। उमने जनतामें राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर, उसके स्वाभिमान एवं देश प्रेमको प्रज्वलित कर बड़ा काम किया है। सज्जनों, मैं यह भी मानता हूं कि अन्य रूपसे भी उन्होंने उपयोगी कार्य किया है। उमने जनतामें स्वदेशीके पक्षका भाव पैदा कर एवं अन्यज्ञोंके प्रति छूतका भाव दूर करनेको लोगोंसे कह कर अच्छा काम किया है।”

राष्ट्रीय सभाको समर्थक महती शक्ति

इस प्रकार यह बात सन्देहों और आपत्तियोंसे रहित प्रमाणित हो चुकी कि भारतकी राष्ट्रसभाकी समर्थक (जनताकी) पेसी महती शक्ति है जो किसी प्रकारके उत्पीड़न अथवा दमनसे दबायी नहीं जा सकती । असहयोगी नेता देशको उचित मार्गकी ओर ले जा रहे हों या अनुचित मार्गकी ओर, वे कार्यक्रमके भिन्न भिन्न मदोंकी पूर्तिमें सफल हुए हों या विफल, पर यह बात तो माननी ही पड़ेगी कि भविष्यमें वत्तमान शासन प्रणालीके अनुसार देशका शासन करना नितान्त असम्भव है । हाँ, कुछ समयके लिये अवश्य कठोर दमन नीतिके लगातार प्रयोगसे शासन किया जा सकता है, किन्तु पेसा करनेसे असन्तोषकी फौस लोगोंके हृदयमें और भी गहरी पेटती जायगी । जिन्हें देखनेकी शक्ति प्राप्त है वे हालमें दी गयी प्रधान सचिव और वाइसरायकी धमकियोंका उत्तर वत्तमान संग्रामका सब कुछ सहकर अपने अधिकारोंकी प्राप्ति तक जारी रखनेके जनताके दृढ़ निष्ठ्यको देखकर समझ सकते हैं ।

व्यवस्थापक सभाओंके निर्वाचनपर प्रभाव

प्रथम चुनाव होनेके ठीक पहले कलकत्तेमें राष्ट्रीय सभाका चिशेष अधिवेशन हुआ था । सारे कार्यकर्ताओंको व्यवस्थापक सभाओंका विहिष्कार सफल करानेके प्रयत्नमें समूची शक्ति लगा देनेका आदेश दिया गया था । राष्ट्रीय सभाके अनुरोधका जो उत्तर दिया गया उसे देखकर

सरकार एवं विरोधी दलके संवादपत्रोंको भी आश्र्य हुआ । राष्ट्रीय दलके सभी उम्मेदवारोंने, चाहे उन्होंने काँग्रेसमें वहि-एकारके पक्षमें अपनी सम्मति दी हो या विपक्षमें, इस समय उसके आदेशका श्रद्धापूर्वक पालन किया और यद्यपि कोई कोई सज्जन इसके पहले ही अधिक परिश्रम और व्यय कर चुके थे, तोभी उन्होंने निर्वाचनके लिये बड़े होने वालोंकी सूचीसे अपने नाम वापस ले लिये । अधिकांश निर्वाचकोंने भी सबसे हृदयसे अपने नेताओंका अनुकरण किया । यद्यपि सरकारी कर्मचारियों नथा कुछ जमीदारोंने उनपर अनुचित दबाव डालना चाहा पर वे चुनावके स्थानों पर अपना मत देने न गये । भर वालेटाइन शिगेलने एक स्थानके निर्वाचनका वर्णन करते हुए, जो पत्र लन्दनके 'ट्राईम्स' पत्रके पास भेजा था, उसका कुछ अंश नोचे दिया जाता है—

“मैं गाड़ोंमें बैठकर इलाहायादमें परतापगढ़की ओर १५ मीलपर एक बड़े गांवके लिये जहां चुनाव होने वाला था, रवाना हुआ । जब हमलोग उस बड़े गांव ‘सारांव’ में पहुँचे, जिसे हम एक छोटा सा शहर कह सकते हैं, तो वहां अभी तक ऐसे कोई चिह्न न देख पड़े जिसमें मालूम होता कि आज वर्तमान भारतके इतिहासमें वह महत्वपूर्ण दिन है जब कि यहां वालोंका स्वराज्य-प्रवेश-संस्कार होनेवाला है । हमने यह अल्पता देखा कि वहांकी छोटीसी कच्चहरी जिसमें निर्वाचन किया जानेवाला था भाड़-पोछकर साफ कर दी गयी थी ।

“भीतर, अध्यक्ष महाशय अपने सहकारियों सहित मेज़ लगाकर बैठ हुए थे। उनके सामने हालकी ही छपी हुई निर्वाचकोंकी सूची तथा मत देनेके लिये कागज रखे हुए थे जो कि प्रत्येक मतदाताको उस कोठरीमें प्रवेश करनेके पूर्व ही दिये जाते थे जिसमें मन-संग्रहके निमित्त सन्दूक रखी हुई थी। किन्तु सबैरं आठ बजेसे लेकर बारह बजेके उपरान्त तक दिनभरमे वहां एक भी निर्वाचकके दर्शन न हुए।”

सरकारी पत्रोंसे विदित होता है कि प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओंके निर्वाचनमें फी सैकड़े ७० से ८० मनुष्य तक अपना मत देने नहीं गये। बड़ी व्यवस्थापक सभाके लिये लगभग ८० फी सैकड़े निर्वाचकोंने मत नहीं दिया और राज्य-परिषदुकी संकुचित रचना एवं विचित्रताके होते हुए भी ६० फी सैकड़े निर्वाचक चुनावके स्थान पर उपस्थित नहीं हुए। नरमदल वालों तथा गोरे समाचारपत्रोंने चतुरतापूर्ण बातें प्रकाशित कर सरकारकी पूर्ण पराजय एवं ‘चुने गये’ उम्मेदवारोंका अप्रतिनिधित्व छिपानेकी बेष्टा की, किन्तु स्वतन्त्र आलोचकोंने, जो असहयोग सिद्धान्तके पूरे विरोधी थे और जो व्यवस्थापक सभाओंके वाहिकार पर दुःख प्रगट करते थे, विवश होकर निर्वाचनोंकी निःसारता स्वीकार का है। पार्लिमेंटके सदस्य कर्नल बेजबुड़ कहते हैं—

‘निर्वाचन किये गये, किन्तु ऐसे निर्वाचनोंका किया जाना शायद ही उपयोगी ही। असंख्य मनुष्य जिन्होंने मत दिया होता

घर ही थें रहे । निर्वाचकोंमेंसे कुल २४ फो सदी मनुष्योंने मत दिया । मद्रास तथा बड़ालमें कुछ अधिक लोगोंने तथा बम्बई और मध्यप्रान्तमें कुछ कुछ लोगोंने मत दिया । सभी जगह मुसलमानोंमें और भी कम लोगोंने मत दिया, क्योंकि उन लोगोंकि लिये असहयोग अब उनके धर्मका अंश हो गया है ।"

पढ़ी लिखो जनता द्वारा सुधारोंके वहिष्कारसे चिढ़कर कनेल महोदय लिखते हैं—

"निर्वाचन हो गया, अयोग्य स्वार्थ-साधकोंने द्रव्य खर्चकर अपना निर्वाचन करा लिया और राष्ट्रीय दलके सभी बुद्धिमान तथा 'चुनिन्दा' लोग बाहर ही खड़े खड़े अपना कोध प्रगटकर रहे हैं । इस 'बुरी स्थिति' में कोई भी समझदार सरकार समझौते की आशासे निर्वाचन स्थगित कर देती ।"

अन्य समालोचक सुधारोंकी विफलता माननेको तैयार न थे और वे वह बात बढ़ाकर प्रगट करना चाहते थे कि व्यवस्था-एक सभाओंके सदस्योंका संख्या पूरी हो गयी । उन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि वहिष्कारके कारण योग्य सदस्योंका निर्वाचन न हुआ । नये सभासदोंका संकेत करते हुए लन्दनके 'नेशन' पत्रने लिखा था—

"सम्भव है, उनमें अत्यन्त प्रतिष्ठित, धनाढ़ी और पदबीयुक्त सज्जन शामिल हों, किन्तु सब बातोंका विचार कर उनमें प्रायः ऐसे ही बयोवृद्ध और कायर मनुष्य हैं जिनमें दूसरोंको प्रेरित करनेकी शक्ति नहीं, जो 'स्वयं' किसी बातका प्रारम्भ नहीं कर

सकते और जनतामें जिनका पक्ष लेनेवाले थोड़ हा
ल्लोग हैं।”

स्कूलों और कालेजोंपर प्रभाव

व्यवस्थापक सभाओंके वहिकारके प्रयत्नके साथ साथ
महात्मा गान्धीने देश भरमें घूम घूम कर बच्चोंको अदालतोंका
और विद्यार्थीयोंको सरकारी या सरकारसे सहायता लेने वाले
विद्यालयोंका वहिकार करनेका आदेश दिया। प्रथम आक्रमण
अलोगड़ कालेज पर हुआ—पहले मौलाना महम्मद अली, शैकन
अली द्वारा फिर महात्माजी द्वारा। बड़ालमें श्रीचित्तरञ्जन दामने
यह कार्य अपने हाथमें लिया जिसका परिणाम यह हुआ कि
कलकत्ते तथा मुफस्सिलमें हजारों विद्यार्थीयोंने सरकारी स्कूल,
कालेज छोड़ दिये। कलकत्ता विश्वविद्यालयके बाइस चान्स-
लरकी हैसियतसे बोलते हुए सर आशुतोश मुख्योपाध्यायने बंगा-
लके विद्यार्थीयोंमे असहयोगकी सफलता स्वीकार की थी।
इसी प्रकारके प्रयत्नोंसे पञ्चाब तथा अन्य प्रान्तमें भी सफलता
हुई। सर्वे साधारणके चन्देसे सारे देशमें बहुतसे राष्ट्रीय
विद्यालय तथा महा विद्यालय स्थापित हो गये। इनमें ऐसे
अध्यापकोंने काम करना आरम्भ किया जिनमें देशभक्ति और
स्वाचलम्बनकी प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और जो
आर्थिक कठिनाइयोंको झेलते हुए भी प्रसन्नता पूर्वक अपना
काम करते थे। सरकारी स्कूलोंसे जो लड़के निकल आये
ये उनमेंसे कुछ तो राष्ट्रीय विद्यालयोंतथा महाविद्यालयोंमें पढ़ने

लगे, कुछ राष्ट्रीय समाके काममें लग गये, किन्तु अधिकांश विद्यार्थियोंका, राष्ट्रीय विद्यालयाकी कमींके कारण पुनः अपने पुराने स्कूलोंका लौट जाना पड़ा । स्कूलों तथा कालेजोंके विहिष्कारसे कांग्रेसके काये कर्ताओंकी श्रेणियोंमें कार्यतत्पर लोगोंका भी समावेश हो गया जिनके देश प्रेम और उत्साहसे देशके कार्यमें बड़ी सहायता मिली ।

असहयोगके असली भावका ग्रहण किया जाना

सरकारी स्कूलोंसे जो विद्यार्थी निकल आये थे उनमेंसे बहुतेरे पुनः लौट गये इस घटनाका अनिश्चयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है । कहा जाता है कि स्कूलोंका विहिष्कार असफल हुआ । इतना अवश्य खोकार करना पड़ेगा कि सरकारी स्कूलों तथा कालेजोंसे विद्यार्थियोंका हटानेके प्रयत्नमें बहुत कम सफलता हुई, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि समस्त देशके अधिकांश छात्र-समुदायने असहयोगका असली भाव ग्रहण कर लिया है । भिन्न भिन्न सार्वजनिक कार्योंकी ओर उनकी प्रवृत्तिसे बारम्बार यह बात प्रमाणित हो चुकी है । असहयोगियोंने जिन बड़ी बड़ी समाजोंमें व्याख्यान दिये हैं उनमें बहुसंख्यक विद्यार्थी उपस्थित रहे और उन्होंने धैर्यपूर्वक तथा विचारपूर्वक उनके व्याख्यान सुने हैं । किन्तु नरम दलद्वालोंके प्रसिद्ध नेता भी, जिनमेसे कुछ अमीनक छात्र-समुदायकी शहदा और समानके पात्र रहे हैं, जिस समय व्याख्यान देने लड़े हुए उस समय उनकी प्रशंसा करने वाले इन्हीं छात्रोंने

उनका व्याख्यान तक सुनना अस्वीकार किया। महात्मा गांधी तथा अन्य प्रसिद्ध कार्यकर्ताओंने अपने लेखों द्वारा इसकी तीव्र निन्दा की है। किन्तु यह स्पष्ट ही है कि नरम दल-वालोंके विचार देशके नौजवानोंको इतने असह्य हो गये हैं कि वे अपनी भारतीयता भूल जाते हैं और पश्चिमी ढंगों द्वारा अपना असन्तोष प्रगट करते हैं। असल बात यह है कि सारे विद्यार्थी स्कूलों और कालेजोंको इस कारण नहीं छोड़ते कि उन्हें शिक्षा पानेके निमित्त अन्य कोई स्थान नहीं है। इसका कारण यह नहीं है कि असहयोगका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उनके लिये एक और कुआँ है तो दूसरी और खाई। वे यह भली भाँति समझते हैं। असहयोगकी नेतृत्व विजय ता प्रीति हुई है। उसके कारण सरकारी पाठशालाओंकी प्रतिष्ठा गिर गयी है और उनमें प्रचलित बुरी वातोंसे विद्यार्थी सचेत हो गये हैं।

राष्ट्रीय विद्यालय

राष्ट्रीय विद्यालयोंकी आवश्यकता देखते हुए उनकी संख्या अपर्याप्त है, इसका उल्लेख किया जा चुका है। देशमें जिस प्रकारका संग्राम जारी है उसके कारण राष्ट्रीय स्कूलों और कालेजोंका पूर्ण संघटन रुका रह गया, किन्तु विद्यार्थियों एवं अध्यापकोंके उत्साहके कारण उनका कार्य, अयोग्य और अपर्याप्त रूपसे भले ही कहिये, बरा बार चलता रहा। बार-

झोलीके प्रास्तबोंके कारण यह हुआ कि सरकारी स्कूलों-के विरुद्ध कियात्मक प्रचार बन्द कर दिया गया और मिल भिज्ञ कांप्रेस कमेटियोंकी शक्ति सरकारी स्कूलों और कालेजोंके विद्यार्थियोंको आकर्षित करनेके अभिप्रायसे राष्ट्रीय विद्यालयोंके संघटन तथा उनमें प्रचलित शिक्षाके सुधारकी ओर लगा दी गयी । सारे देशके राष्ट्रीय विद्यालयोंकी घर्तमान दशा सन्तोषजनक नहीं है । वे सब बड़ी कठिनाइयों और असुविधाओंका सामना करने हुए बीरता पूर्वक अपना अस्तित्व बनाये हुए हैं । अध्यापकोंको बेतन मिलता है उससे केवल जीवन-निर्वाह ही हो सकता है । विद्यालयोंकी इमारतें प्रायः किराये पर ही ली गयी हैं और वे इस कार्यके लिये अनुपयुक्त हैं । अधिक विद्यालयोंमें प्रायः वही पाठ्यक्रम रखा गया है जो सरकारी स्कूलोंमें प्रचलित है । हाँ, इतना ज़रूर है कि उनमें चरखा करवा, एवं हिन्दीका सिखलाया जाना भी आवश्यक रखा गया है ।

यद्यपि इन विद्यालयोंकी पढ़ाईमें बहुत ही थोड़ा परिवर्तन किया गया है तोभी यह देखकर ही कि वे सरकारी सहायताके बिना चलाये जा रहे हैं उनके अध्यापकों और विद्यार्थियोंके चरित्र और विचार हौस्टमें स्पष्ट परिवर्तन हो गया है ।

बकील, मुबाकिल और अदालतें

विद्यार्थियों तथा स्कूलों और कालेजोंके विषयमें जो कुछ कहा गया है, आवश्यक परिवर्तनके साथ वही बात

चकीलों, मुधाकिलों और अदालतोंके सम्बन्धमें भी कही जायगी। यदि वहिष्कारकी सफलताका माप उन बकील और मुधाकिलोंकी संख्या समझी जाय जिन्होंने अदालत जाना छोड़ दिया है तो, जैसा कि विद्यार्थियोंके सम्बन्धमें कहा गया था, वसा ही यहाँ कहना पड़ेगा कि कार्य-क्रमका यह अंश असफल हुआ। समस्त देशमें सम्मिलनः कुल १२०० से १५०० तक बकीलोंने असहयोगके कारण अपनी बकालत स्थगित की। बकीलोंकी पूरी संख्याकी तुलनामें यह संख्या दालमें नमकके बराबर है। अब घरेलू यातों तथा अन्य कारणोंसे कुछ लोग पुनः बकालत करने लगे हैं, जिससे यह संख्या और भी घट गयी है। किन्तु जो लोग अदालतोंके वहिष्कारकी अपनी प्रतिज्ञापर अभीनक आँख़ हैं, उन्होंने इस आन्दोलनको अमूल्य लाभ पहुंचाया है। जो लोग अब भी बकालत कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी संख्यामें इस आन्दोलनका, खासकर इसके रचनात्मक अंशका, भिन्न भिन्न रूपोंसे समर्थन किया है। उन्होंने तिलक-स्वराज्य कोषमें अच्छा चन्दा दिया है। इससे प्रगट होता है कि बकीलका पेशा करनेवाले ग्रामः सभी लोगोंने असहयोगका भाव भलीभांति ग्रहण कर लिया है। बकीलोंकी चन्द्र संस्थाओंने सबल और स्पष्ट शब्दोंमें सरकारी दमन नीतिके विरुद्ध प्रस्ताव पास किये, कलकत्ते की बार लाहौरे रीने इसीके विरोधमें लार्ड रेडिङ्को भोज देनेका विचार भी त्याग दिया, मद्रासके बकीलोंकी संस्थाने

कार्यस तथा खिलाफतकी सविनय अवश्या जांच समिति के बकोल सदस्योंको हाईकोर्टकी इमारतमें बने हुए बकीलोंके कमरोंमें अपना अतिथि बनाया और रजिस्ट्रारके द्वारा दी गयी शीक जस्टिस (प्रधान न्यायाधीश) की धमकियोंका हड़ और सामिमानयुक्त उत्तर दिया । इन सब बातोंसे बकीलोंके सम्मान और कीर्ति की वृद्धि होगी । इनाहोते हुए भी यह सत्य है कि कुछ बकीलों, खासकर ऊंचे दर्जेके बकीलोंने असहयोगके सिद्धान्त तथा कार्यक्रमसे अपनो असम्मति प्रगट की है और कुछने उसका प्रत्यक्ष विरोध किया है ।

असहयोगके कार्यक्रममें बकीलोंका स्थान

जिस सिद्धान्तपर अदालतोंका बहिष्कार आव्रित है वह बिलकुल निर्दोष है, किन्तु विवश होकर यह कहना पड़ता है कि कार्यमें परिणत किये जाते समय उसका अवाड़ित प्रयोग किया गया है । जिन बड़ी बड़ी बकालन नहीं छोड़ी है, यदि वे कांग्रेसका ध्येय स्वोकार करते हैं तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे इस संघर्षके अन्तर्गत सभी विभागोंमें सम्मिलित होनेके एवं निर्वाचनाधिकारके स्वरूप प्रयोग द्वारा तुने जानेपर पदोपर भी नियुक्त होनेके पूरे पूरे अधिकारी हैं । राष्ट्रीय सभाने उनके लिये कोई रुकावट नहीं रखी है । हाँ, महात्मा गांधीने अवश्य उन्हें पदोंके पीछे अप्रगट रूपसे भाग लेकर ही सन्तुष्ट रहनेका उपदेश दिया था । अधिक उत्साही

समितियोंने इसका अर्थ यह लगाया कि वकालत न छोड़नेवाले चकील पदोंपर नियुक्त नहीं किये जा सकते । कुछ प्रान्तोंने तो सत्य ही ऐसे नियम बना डाले कि जिसमें वे किसी पदपर नियुक्त न किये जा सके । वकालत स्थगित न करनेवाले स्वाभिमानी चकीलोंके लिये, अपनी इच्छाके विरुद्ध भी, कांग्रेसके बाहर रहनेका यह अकेला ही काफी प्रबल कारण है, किन्तु बादमें सामान्यतः जिस अक्षम्य अभद्रताका व्यवहार उनके साथ होनेलगा उसके कारण वे सचमुच सार्वजनिक कार्योंसे अलग रहने लगे । जब कि वकालत करनेवाले सम्मानित चकील, जो सार्वजनिक कार्योंमें अपनी योग्यताके कारण प्रसिद्ध थे, वहे परिश्रमके साथ और कभी कभी अप्रिय रीतिसे कांग्रेसके बाहर रखे जाते थे तो फिर देशावरसे राशी राशी विदेशी कपड़ा मंगानेवालोंके सभी कांग्रेस समितियोंमें निर्विघ्न प्रवेश पाने और उनके अन्तर्गत उत्तरदायी पदोंपर नियुक्ततक होनेका कोई कारण नहीं । यह सच है कि विदेशी कपड़ा मंगानेवाले कुछ व्यापारियों तथा मिलके मालिकाने तिलक-स्वाराज्य कोषमें बड़ी बड़ी रकमें दी थीं, किन्तु साधारणतया चकीलोंको तो इतना मौका भी नहीं दिया गया कि वे सार्वजनिक कार्योंकी सहायतामें अपनी सुप्रसिद्ध मुक्त-हस्त उदारता पूर्णरूपसे प्रगट कर सकते ।

नयी रीतिसे पन्द्रह मास तक काम करनेका परिणाम देशके सामने है । अदालतों, स्कूलों तथा व्यवस्थापक सभओंका वहिकार कार्यक्रमका मुख्य अंश है ।

पञ्चायते

अदालतोंके बहिष्कारके साथ पञ्चायतोंकी स्थापना भी आवश्यक बतायी गयी थी। यह काम भी उत्साहपूर्वक प्रारम्भ किया गया। देश भरमें अक्तूबर १९२० से जनवरी १९२१ तक बहुसंख्यक पञ्चायते स्थापित हो गयीं। इनमेंसे बहुतोंने अच्छा काम किया, कुछ असफल हुईं। दण्ड देनेकी आवश्यक शक्ति न होनेके कारण ये राष्ट्रीय न्यायालय कठिन असुविधाओंमें हो अ-पना काम कर सकते थे, किन्तु इसी समय उनपर दमन नोनिका प्रहार हुआ और कई प्रान्तोंमें उनकी तथा उनके साथकी विविध सामग्रीकी बिलकुल सफाई हो गयी। संयुक्त प्रान्तमें पुलिसने पञ्चोंको ढूढ़ ढूढ़ कर पकड़नेका नियमित कार्यक्रम सा बना लिया। बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्हें पुलिसके थानों, हवालतों और जेलोंकी भीतरी कारबाई देखनेका मौका न मिला हो। असहयोग जांच कमेटीके सामने दी गईं गवाहियोंसे प्रगट होता है कि पञ्चायत, बंडुल तथा विहारमें अब भी कई पञ्चायतें थोड़ा बहुत सन्तोषजनक कार्य कर रही हैं, किन्तु सब बानोंके विचारसे वर्तमान अदालतोंके स्थानमें उपयुक्त संस्थाओंकी स्थापना करनेका प्रयत्न 'कानून और अमनके' प्रचारकोंके उत्साहकी कृपासे निष्फल हुआ है।

कुछ थानोंमें पञ्चायतोंका प्रयोजन और कार्यक्रम बिलकुल गलत समझ लिया गया था। कानूनके किसी चतुर झाताने अंग्रेजी अदालतोंसे बहुत कुछ मिलती हुई जटिल न्याय प्रणाली

तैयार कर डाली जिसमें अपील करने, फैसलोंकी समीक्षा वा निगरानी करने तथा न्यायाधीशों इत्यादिकी सापेक्षाकी व्यवस्था की गयी थी। ऐसी प्रणालीका विफल होना पूर्वनिश्चित था। आश्वर्य इस बातका है कि यह व्यवस्था कुछ दिनोंतक भी भली मांति चल सकी। यह कहना अनावश्यक है कि पञ्चायतोंकी विशेषता उसमें जनताका विभास होना है, लम्बी चौड़ी दिखाऊ कार्य-प्रणाली नहीं। अच्छा हो यदि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियां भिन्न भिन्न जातियोंकी पञ्चायतोंमें प्रचलित पुराने नियमोंमें देशकी परिवर्तित परिस्थितिके अनुसार उचित सुधार कर अपने अधीन समितियोंके पथ-प्रदर्शनके लिये कुछ संरल और एकता नियम बना ले।

उपाधियोंका छोड़ना

उपाधियोंके वहिष्कारमें जितनी सफलता हुई है उतनी कार्य-कमके अन्य किसी भागमें नहीं हुई। यह मालूम है कि बहुत कम उपाधियोंका त्याग किया गया है और अपने समय पर निकल-नेवाली 'सम्मान' सुचियां सदाकी तरह नामोंसे पूर्ण थीं—संभवतः पहलेसे भी अधिक पूर्ण थीं, क्योंकि दमन नीतिमें सरकारका समर्थन करने वालोंके कारण उपाधियोंके योग्य समझ जाने वालोंकी संख्यामें असाधारण वृद्धि हो गयी थी। किन्तु उपाधि पानेका सम्मान और यश सदाके लिये नष्ट हो गया। सरकारी इमारतों और सरकारी कागजोंके बाहर सार्वजनिक या अर्द्ध-सार्वजनिक

समारोहोंके समय उपाधियोंको अब कोई महत्व नहीं दिया जाता । 'सम्मान-सूचक' उपाधियोंवाले सज्जन बड़े असमज्जसमें पढ़ गये हैं । वे केवल पंडित, लाला, मुख्यी या मिस्टर द्वारा ही सम्बोधित किया जाना अधिक पसन्द करते हैं । साधारण मनुष्यको इनकी असाधारणताका ज्ञान होते ही वह इनके पाससे अलग हट जाता है ।

स्वदेशी

'स्वदेशी' के निमित्त किया गया सारा प्रयत्न खहरकी तैयारी और प्रचार पर ही केन्द्रीयूत रहा है । यद्यपि तैयारीकी गति धीमी है, वह बढ़ी हुई मांगका साथ नहीं दे सकती, तोभी यह जानकर सन्तोष होता है कि राष्ट्रीय महासभा द्वारा विभाजित देशके १६ प्रान्तोंसे १६ में बहुत अच्छी उच्चति हुई है । खहर विभागका प्रबन्ध हालमें ही सेठ जमनालाल बाजाजकी योग्य अधीनतामें रख दिया गया है, वे अपनी सारी शक्ति उसीमें लगा रहे हैं । उनके परिश्रमका व्यौरा यहां नहीं दिया गया है और उन्होंने जिस प्रणाली-का सूत्रपात किया है उसके सम्बन्धमें इतना शीघ्र कुछ नहीं कहा जा सकता । फिर भी इस सम्बन्धमें कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है । खहरकी अधिक मांगसे प्रलोभित होकर चिदेशी कारखानेवालों तथा देशी व्यापारियोंने भारतके बाजारोंमें चिदेशी खहरका प्रचार करना शुरू किया । यह बेर्इमानी इतनी खतु-

रतासे की गयी कि उसका पता लगाना आसान थात न थी । बड़े शहरोंके खद्दर-भण्डारवाले सहज ही इसके फन्दे में पड़ जाते हैं क्योंकि खद्दरकी मांग ज्यादा है और उसकी पूर्ति के साधन कम हैं । यह भी एक दुःखपूर्ण अनुभव है कि बेजबाड़ा, जिसे भारतका आधुनिक ढाका नगर कहलानेकी उचित ख्याति प्राप्त है, तथा उसके समीपके कुछ अप्रामाणिक वारीक पोतके बख्त तैयार करने वालोंने लोभमें पड़कर अपने जिलेका नाम जनताकी दृष्टिमें गिरा दिया । ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य प्रान्तोंकी मांग पूरी करनेके लिये इन लोगोंने अधिक परिमाणमें चिदेशी तथा भारतीय मिलोंके सूतका प्रयोग किया । देशभरमें जितने खद्दर-भण्डार खुले हैं उनमें ऐसे भण्डारोंकी संख्या अधिक नहीं है जो केवल विशुद्ध खद्दर ही बेचते हों । सच तो यह है कि अब किसी चिशेष कपड़ेके बारेमें निश्चयपूर्वक यह कह देना कि वह विशुद्ध खद्दर है असम्भव हो गया है । विना लम्बी चौड़ी जांचके ऐसा सम्भव नहीं, जांचका परिणाम भी अधिकतर असन्तोष-जनक होता है । कहा जाता है कि कुछ मनुष्य ऐसे प्रब्रीण हैं कि वे तुरन्त शुद्ध और अशुद्ध खद्दर पहचान लेते हैं । किन्तु कपड़ा खरीदते समय उसे प्रत्येक बार उन्हें दिखला सकना असम्भव है । इस कठिनाईको दूर करनेका एकमात्र उपाय यही है कि कांग्रेसकी सारी शक्ति घर उद्योगधन्योंके प्रोत्साहनमें लगायी जाय और बड़े बड़े भण्डार तथा बख्तालय खोलकर उनमें ऐसा कपड़ा रखकर—जिनकी उत्पत्ति अहात हो—नगरवासि-

योंकी आवश्यकताओंकी पूर्तिका प्रयत्न त्याग है । तामिल नाडू प्रान्तके कोयम्बतूर ज़िलेके उत्तुकुलि ग्राममें ऐसा केन्द्र है जहां कपास ओटनेसे लेकर बख्तीयार होनेतकका सब काम कांग्रेसके कार्यकर्त्ताओंकी देखरेखमें ही होता है । दक्षिण भारतमें तथा अन्यत्र इसी प्रकारके बहुतसे कारखाने हैं । इसके लिये विशेषज्ञोंकी एक छोटी समिति इन प्रश्नोंपर विचार करनेके निमित्त शोध ही स्थापित होनी चाहिये । बड़े मार्केंकी बात यह है कि विदेशी वस्त्रोंके विहिष्कारका प्रभाव लङ्घाशायरपर भी पड़ने लगा है ।

तिलक स्वराज्य कोष

दुःखकी बात है कि सर्व भारतीय तिलक स्वराज्य कोषके लिये बन्दा एकत्र करनेमें कठिन दमत नोनि तथा उसके बादकी शिथिलताके कारण बड़ी बाधा पड़ी । इस महत्वपूर्ण विशेष कार्यके करनेवाले बहुतेरे कार्यकर्त्ता अब जेलमें हैं । पुलिसने कितने ही कांग्रेसके दफतरोंपर आक्रमण क्या और हिसाब, बही, रसीदें तथा अन्य कामके कागजान उठा ले गईं । यह कारबाई किसी पेसे मुकदमेके सम्बन्धमें नहीं को जाती थी जो अदालतमें पेश था या जिसकी जांच पुलिस कर रही थी, प्रत्युत यह मनमानी कारबाई थी जिसके कारण पुलिसपर, यदि उसपर मुकदना चलानेके लिये कोई न्यायालय हो तो, कई बड़े बड़े अभियोग लगाये जा सकते हैं ।

इस कोषमें सब विशाखोंसे स्वतन्त्रतापूर्वक चन्दा प्राप्त न होनेका एक और कारण उन कमेटियोंद्वारा इसके आयव्ययका प्रकाशित न किया जाना है जिनके दफतरोंसे उपरोक्त रीतिसे पुलिस सब कागजात उठा ले गयी। पुनर्वार चन्दा देनेके पूर्व जननाके लिये यह जाननेकी इच्छा स्वाभाविक है कि हमने जो रूपया दिया है उसका प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है। आशा की जाती है कि जनता उन कठिनाइयोंको समझेगी जो कांग्रेसके कार्यमें पड़ रही हैं और कार्यकर्ता भी बच्ची हुई सामग्रीके आधार पर जननाकी इच्छा पूरी करनेके लिये आयव्ययका हिसाब तैयारकर उसे प्रकाशित करनेकी चेष्टा करेंगे।

जिन लोगोंके मनकी शांति अथवे ही इस आशंकासे भंग हो गयी थी कि पहली जुलाई १९२१ को जिस एक करोड़ रुपयोंके चन्देकी घोषणा की गयी थी, संभव है वास्तवमें वह रकम प्राप्त न हुई हो, उनके सन्तोषके लिये यह लिख देना आवश्यक होगा कि मांगी रकमसे अधिक वसूल हुई है। हिसाब देखनेसे मालूम होगा कि चन्देमें १२, ७१, ४०७ रुपये ११ पाई-की रकम एक करोड़के अतिरिक्त प्राप्त हुई थी।

कांग्रेसके सदस्य बनाना

कांग्रेसके सदस्य बनानेके काममें भी वैसो ही बाधाये उपस्थित हुएं। जो प्रांत दमन-नोलिसे प्रायः बचे रहे उनमें उन प्रान्तोंकी अपेक्षा अच्छा काय हुआ जिनमें

जोरोंका दमन किया गया था । किन्तु सब यातोंके स्वालसे इस सम्बन्धमें बिलकुल सन्तोषजनक कार्य नहीं हुआ । इसका कारण दमन नीति अथवा बारडोलीमें खोकृत प्रस्तावोंसे उत्पन्न शिथिलता बतलायी गयी है । उत्तर भारतमें दोनों ही कारण बताये जाते हैं । समस्त देशमें जो बड़ा उत्साह फैला हुआ है उसे देखकर आशा होती है कि रजिस्टरोंमें नाम लिखना आरम्भ होनेके कुछ ही दिनों बाद वे नामोंसे भर जायंगे ।

स्वयंसेवक-दल

दिसम्बर जनपरीके दिनोंमें कांग्रेसके स्वयंसेवकोंने जो कर्तव्यनिष्ठा और आत्मत्यागकी तत्परता प्रगट की थी उसे सम्भवतः न जनता हो भूल सकती है और न शासक ही भूलेंगे । उनके संयममें कोई कमी थी तो इसका सारा दोष उन्हींके मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता । स्मरण रखना चाहिये कि उनके भर्ती होनेके बाद गिरफ्तार किये जानेका इतना कम समय मिलता था कि इस बीचमें वे शिक्षा पा ही न सकते थे । बहुतसे तो अपना नाम भी रजिस्टरमें न चढ़वा पाते कि गिरफ्तार कर लिये जाते थे । अनुभवसे यह प्रगट होता है कि भविष्यमें स्वयंसेवकोंकी भर्ती करते समय योग्य मनुष्योंको ही स्वयंसेवक बनानेकी चेष्टा की जायगी । यह सत्य है कि कुछ स्वयंसेवक नामधारी

ज्यकिशेंने न अपना हो नाम उड़वल किया और न आन्दोलनको ही लाभ पहुंचाया, किन्तु इतना स्वोकार करते हुए भी कोई भी निष्पक्ष मनुष्य उन ओर और कार्यपरायण मनुष्योंको पर्याप्त प्रशंसा किये बिना न रहेगा जो देशकी आवश्यकताके समय परिणामोंका ख्याल न कर हजारोंको संख्यामें सामने आये। इनमेंसे अनेक अब भी जेलमें हैं, बड़तेरे किसी कार्यविशेषके अनावस्ये पुरुष अपने पुराने कामोंमें लग गये हैं और बड़तेरे अब भी बचे हुए हैं जो आवश्यकता होने ही आत्म त्वागके लिये तुले बेठे हैं।

अस्तृश्यता ।

दक्षिण भारतमें तथा फिल्हा अंश तक मध्य भारत और पश्चिम भारतके कुछ भागोंमें भी अस्तृश्यता खूब फैली हुई है। दो चार स्थानोंको छोड़कर अन्यत्र भारतकी उड़वल कीर्ति से यह कलंक मिटा डालनेका कोई विशेष प्रयत्न नहीं हुआ। फिर भी धीरे धीरे सारे देशमें वाञ्छित परिवर्तन हो रहा है। कठिनाई यह है कि यह प्रश्न व्यवहीर धार्मिक विख्यासोंके साथ मिथिन कर दिया गया है। खुशी इस बातकी है कि मानसिक घृणा अब विलकुल दूर हो गयी है। अतः निराश होनेकी कोई बात नहीं है।

मदिरा-निषेधका यत् ।

सन् १९२० और १९२१ में मदिरा निषेधका प्रयत्न देशभरमें जोरोंसे चलता रहा। कई स्थानोंपर मदिराकी दूकानोंपर पहरा भी लैडा-

या गया । तत्काल इसका कल यह हुआ कि मंदिराकी खपत-में मार्केंकी कमी हुई, किन्तु पहरा हटा लेनेके बाद परिस्थिति फिर बदल गयो और यह दुर्व्यस्त पुनः रोजोंसे प्रबलित हो गया । किन्तु मध्यानकी बराइयोंकी ओर सभी श्रेणियोंके लोगोंका ध्यान आकर्षित करनेमें जैसी सफलता इस आन्दोलनको हुई है जैसी पहलेके किसी आन्दोलनको नहीं हुई ।

भिन्न भिन्न जातियोंकी एकता

इंडिलैण्डके तत्कालीन प्रधान सचिव (श्री लायड जार्ज) ने हालमें जो व्याख्यान कामन्स सभामें दिया था उसमें भारतीय सन्ति सर्विसको भविष्यमें भी सर्वदा कायम रखनेके समर्थनमें कहा था—

“भारतमें जातियों तथा धार्मिक विश्वासियोंमें इतने विभेद हैं कि शायद सारे यूरोपमें भी उतने न होंगे । वहां देशको विभक्त करनेवाली अनेक शक्तियां विद्यमान हैं और यदि ब्रिटन अपना प्रबल हाथ वहांसे हटा ले तो इसका परिणाम भेद-भाव, लड़ाई भगड़ों और अराजकताके सिवा और कुछ न होगा ।”

‘ब्रिटनका प्रबल हाथ’ भारतका ब्रिटिश सिविल कर्मचारीवर्ग है । ‘भेद-भाव, लड़ाई-भगड़ों और अराजकता’ का कारण दूर कीजिये तो उन प्रसिद्ध कर्मचारियोंको कायम रखनेका एकमात्र समर्थक कारण भी दूर हो जायगा । इसमें सन्देह नहीं कि ‘भेद-भाव लड़ाई-भगड़ों और अराजकता’ का एकमात्र कारण

भिन्न भिन्न सम्बद्धायोंके भेद हैं। भिन्न भिन्न सम्बद्धायोंकी एकतासे यह कारण दूर हो जायगा और तब सिविल कर्मचारियोंको बनाये रखनेका कारण भी न रहेगा। यह बात समझनेके लिये बहुत ऊचे दर्जेकी प्रजा-शक्तिकी जरूरत नहीं है।

सिविल सर्विसवालोंकी धारणा ।

भारतीय सिविल सर्विसमें ऐसे मनुष्य भी हैं जिनका विश्वास है कि भिन्न भिन्न जातियों, विशेषकर हिन्दू और मुसलमानोंके बीच गहरी खाई पड़ी है और इन लोगोंमें ब्रिटिश साम्राज्यके विनाशके अतिरिक्त अन्य किसी कार्यके लिये एकता नहीं हो सकती। पड़ाबमें सैनिक शासनके दिनोंमें यह बात स्पष्ट हो गयी थी। भारतीय सिविल सर्विसके एक उत्तरदायी कर्मचारीने अभियुक्तोंपर यह दोषारोपण किया था कि उन्होंने कानून द्वारा स्थापित सरकारको विनष्ट करनेकी इच्छासे हिन्दू-मुसलमानोंमें भ्रातुभाव उत्पन्न करने या उसे प्रोत्साहित करनेका यत्न किया था। भ्रातुभाव बस यही था कि हिन्दू और मुसलमान दोनों एक ही गिलासमें पानी पीने लगे, ऐसा करना कहर हिन्दुओं तथा कुछ मुसलमानोंमें भी वर्जित है। यह कोई प्रेम-का व्याला तो था नहीं जो इन विशुद्ध जलपीनेवालोंके बीच गुप्त स्नेह बन्धनको मजबूत करनेके लिये धुमाया जाता रहा हो। ये लोग बार बार 'महात्मा गांधीकी जय' या 'अहंहाहो अकबर' चिह्नानेके कारण बीच बीचमें सिर्फ अपनी व्यास बुझानेके

लिये या गला सूखनेपर ही पानी पीते थे। किन्तु यह भी अपराध समझा गया क्योंकि वे पानी पीनेके उस छोटेसे प्याले द्वारा अपना एक प्रधान भेद अलग कर रहे थे।

मलाबार तथा मुलतानकी घटनाएँ

‘उपद्रवा’ तथा उत्सवों के कार्योंका सामना करनेका जो संयुक्त प्रयत्न कांग्रेस तथा खिलाफत कमेटियों द्वारा किया जाता है उसमें बहुत कुछ सफलता हुई है, किन्तु, जैसा कि मलाबारकी दुःखद घटना तथा हालके मुलतानके उपद्रवसे प्रगट होता है। इस सम्बन्धमें अभी और भी अधिक उच्चतिकी आवश्यकता है। इन दुर्घटनाओंकी विशेष बातोंके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहना क्योंकि मलाबारकी घटनाकी जांच करनेके लिये कार्य-समितिने पृथक् कमेटी नियुक्त कर दी है जिसके अध्यक्ष मद्रास हार्डकोर्टके भूतपूर्व जज श्री फैज तंयबजी थारिस्टर हैं, और मुलतानका उपद्रव अभी हालमें ही हुआ है, अतः इतना शीघ्र उसके सम्बन्धकी वास्तविक बानोंकी ठीक मीमांसा नहीं हो सकती। : किन्तु इन उपद्रवोंका मूल कारण चाहे जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि इन्हें राष्ट्रीय विपत्ति ही समझना होगा। यह जानकर पुनः आशाका सञ्चार होता है कि दोनों खानोंके हिन्दूमुसलमान नेता पुनः प्रीतिमय पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करनेकी चेष्टा कर रहे हैं। कभी कभी इधर-उधर सुनायी देनेवाली मलाबार तथा मुलतानकी प्रतिधर्मिनेके छोड़कर देशके

भन्य सब भागोंमें इन दोनों आतिथोंका परहृपरका सम्बन्ध सन्तोषजनक है। कई बार उपद्रव मचानेके लिये 'उपद्रव-प्रवर्तकों' के द्वारा किये गये प्रयत्न समयपर कांग्रेस तथा खिलाफतके कार्यकर्ताओं समयके हस्तक्षेपसे विफल कर दिये गये हैं।

परिस्थिति

यहांतक तो असहयोगके आरम्भसे अवताके इतिहास तथा इसकी सफलता और असफलतापर सरसरी तौर से निगाह ढाली गई है। इस आन्दोलनको शक्तिभर दबानेके लिये सरकारकी कड़ी और अन्याधुन्य दमन नीतिके पथका भी दिग्दर्शन कराया गया है। सरकार और उसके समर्थक इस आन्दोलनपर पूर्णविजय-लाभका दावा करते हैं। जबतक शासनशक्ति देशवासियोंके अधिकारमें नहीं आता तब-तक असहयोगी विजयी कहला भी नहीं सकते। इस समय इसकी वास्तविक परिस्थिति क्या है, इसे आगेकी एक्शियोंमें संक्षेपसे दिखलायी जायगी।

कांग्रेसकी स्थिति

शक्तिशालनी सरकारका दो वर्ष तक सामना करनेके अनन्तर कांग्रेसके कर्मचारी गण, कई बड़े नेताओंके साहाय्यसे वंचित होनेपर भी, भ्रान्त या अन्ध्रान्त रूपसे पेसाचिश्वास कर लेनेपर कि वे अन्तिम आक्रमणके लिये तैयार हैं, सहसा रोक

दिये जाने हैं (मान लिया जाय इसके लिये उचित कारण भी हों) और पुनः तेयार होनेके लिये उनसे कहा जाता है, पर उन्हें इस बातका कोई आश्वासन नहीं दिया जाता कि वे इस दूसरी तेयारी पर भी इस विस्तृत देशके किसी एक प्रान्तमें कुछ व्यक्तियोंकी हत्याके कारण पुनः गोक न दिये जायंगे । दो सप्ताह बाद सर्व भारतीय कांग्रेस कमेटीमें सार्वजनिक भाष व्यक्त होनेपर आकमणात्मक पर्व रक्षणात्मक व्यक्तिगत सविनय अवधारका अधिकार जो प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंसे ले लिया गया था उन्हें पुनः लौटा दिया गया । इसके बाद शीघ्रही महात्माजीको कारावानका दण्ड हुआ और उन्होंने किसी प्रकारके जुलूस इत्यादिका निषेध कर दिया । दिल्लीकी बैठकमें स्वीकृत चारदोली प्रस्तावके सुधारोंसे जनताके दबे हुए भावों तथा रचनात्मक कायंकमको पूरा करनेके लिए काफी चौड़ा ढार मिल गया था । महात्माजीको जेल यात्राके बाद शोष ही कार्य समितिने इस ढारको प्रायः बन्दसा कर दिया । दिल्लीकी बैठकमें अनिच्छापूर्वक जो सुविधार्पदी गया थीं उन्हें प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंसे वापस लेकर रक्षणात्मक पर्व आकमणात्मक व्यक्तिगत सविनय अवधारके अधिकारोंके जलदयाजीसे प्रयोगके सम्बन्धमें जेतावनों दे दी गयी । इस प्रकार कार्यकर्त्तागण जिनका उत्साह आवेशके कारण बढ़ा हुआ था, निरुत्साह हो बैठे, क्योंकि कार्यकर्त्ताका वह भेश जो उनके पुर्द किया गया है, उन्हें उत्साहवर्द्धक प्रतीत नहीं होता और वे इसमें

बहुत कम दिलचस्पी दिखलाते हैं। कार्यक्रमके उत्साहसे प्रभावित होकर कार्यकर्तागण आपही आप पुलिसके शिकाइयन बैठे और उसने जहां कहाँ इन्हें अपना निर्देश कार्य सम्पादित करते देखा फोजदारीकी किसी अनुकूल धाराके अनुसार फाँस लिया और कभी कभी ना अपने कार्यको बैध दिखलानेका भी कष्ट नहीं उठाया। सर्वभारतीय कांग्रेस कमेटीकी लखनऊमें पुनः बैठक हुई और उसने कदम आगे बढ़ानेका भाव सारे देशमें देखकर परिस्थितिकी पूरी जांच करनेके लिए जांच कमेटीको नियुक्त की। देश नवे भारतीय कमेटीकी ओरसे मार्गदर्शको प्रतोक्षिमें है। यही इस चित्रके पक्ष पहलूका हृश्य है :

सरकारकी स्थिति

बारहोली प्रस्तावको कमजोरीका चिह्न समझनेमें सरकारने बड़ी भूल की। दिल्लीके मुघार प्रस्तावोंसे यह परिणाम निकाल-कर कि महात्मा गांधीकी सर्वप्रियता घट रही है उनके ऊपर उसने कड़ी निगाह डाली। महात्माजीकी गिरफ्तारीके बाद भी देशका वायुमण्डल पूर्णतः शान्त बना रहा। इससे दमनकी कठोरता और गति भी बढ़ गयी और कई प्रान्तोंमें तो शान्तिपूर्वक रचनात्मक कार्य करना असम्भवसा हो गया। सरकारने यह समझा कि इस प्रकारकी जबर्दस्तीकी शान्तिसे जनता सन्तुष्ट न रहेगी, इसलिये उसने सभी विदेशी और स्वेच्छावारी सरकारोंकी तरह जनताको भवसे दबाये रखनेका

प्रयत्न शुरू किया । साम्राज्यकी शक्तिका प्रदर्शन किया गया और चारों ओर सैनिक तथा सशस्त्र पुलिसके दर्शन होने लगे । बार बारकी जांचोंसे यह प्रयट हो गया है कि व्यवस्थापक सभाके सदस्योंका, जो प्रारम्भमें व्यारकी बातोंसे फुसलाये गये थे, जनतापर कुछ भी प्रभाव नहीं है, सुधारोंके अनुसार जो पद उन्हें मिला है उससे हटाकर वे एक कोनेमें छाल दिये गये हैं और उनके साथ ऐसे अमद् तरोंकेसे बर्ताव किया जाता है कि वह घोर घृणासे शायद ही कम समझा जाय । दिखौआ सुधारके अनुसार भी अपने असन्दिग्ध अधिकारोंको काममें लानेके कारण जब उन्हें कौंसिल भवनमें फटकार सुननी पड़ती है तब शासन-विधिके प्रति उनकी भक्ति, जिसे वे घड़े व्यारकी दृष्टिसे देखते हैं, गवर्मेंट हाउसके भीतरी कमरोंमें आगे-को फटकारोंके सामने बिनीन भावसे सर भुकाना उन्हें सिखला देती है । यही उनकी स्वतन्त्रता-प्राप्तिके प्रयत्नका उचित प्रायश्चित है और इससे वे पुनः कौंसिलके प्रति आकृष्ट भी हो जाते हैं । सरकारका आधार शारीरिक शक्तिपर होने और संसार-में किसी अधिक बलवती शक्तिका अस्तित्व माननेमें असमर्य होनेके कारण इसने यही समझ लिया है कि असहयोग हमारे पैरों पड़ता है । मुंह लगे बच्चों—कौंसिलके सदस्योंको इसे चिढ़ानेकी आवश्यकता अब नहीं रही, फलतः उन्हें ताड़न करनेकी भी इसे इच्छा नहीं रही । अब यह उन्हें यह धारणा बंधाती है कि तुम्हारा अविष्य हमारी—दूसरे शब्दोंमें अब्रेझ

जातिको—सदिच्छापरही अवलम्बित है। उन्हें यह ऐसा विश्वास दिलाकर विद्वा करती है कि यदि तुम हमारे इस्त्रानुसार विधान-रचनासे सम्मुष्ट न होते तो किसी भुरे मार्गपर जा पड़ते। इन कठिपय कामोंको कर लेनेपर सरकारको विश्राम लेनेकी सूझती है। पर नये चुनावके निकट पहुँच जानेसे, फिर यह घबरा उठती है। देश असहयोगियोंका समर्थक है यह उन्हें धमकी देती है कि यदि तुम सुधारोंको विफल करनेका साहस करोगे तो इसका परिणाम बहुतही बुरा होगा। सरकारको यह पूरा विश्वास है कि असहयोगियोंके हृदय व्यवस्थापक समाजे मदस्योंको तरह कच्चे नहीं हैं, जो निर्णय उन्होंने हूँड़ होकर कर लिया उसका अन्तिम समय तक वे पालन करेंगे।

सविनय अवज्ञा जांच समिति

तिफारिशोंके अनुसार हकीम अजमल खांके सभापतित्वमें सविनय अवज्ञा जांच समितिका सङ्गठन किया गया। हकी-मजाके अतिरिक्त इसमें निम्न लिखित सदस्य थे :—श्रीकस्तूरी रङ्ग ऐयङ्गर राजगोपालाचारी, एम० ए० अन्सारी, शी० जे० पटेल, तथा परिषद् मोतीताल नेहक। मिश्र मिश्र खानों पर भ्रमण करके इस समितिने राष्ट्रके प्रधान प्रधान पुरुषोंकी गवाहियां लीं और अन्तमें १३ अक्टूबर १९२२ को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की।

गवाहियोंसे जो कुछ अवक्षा प्रतीत हुई उसके अनुसार कमेटीके सदस्योंने अनेक सिफारिशें की हैं ।

इन सिफारिशोंके देखनेसे स्पष्ट विदित हा जाता है कि छोटी मोटी बातोंमें समितिके सदस्योंमें मतभेद है । पर प्रधान विचारणीय विषय समितिके सामने तीन थे । ब्रिटिश 'वस्तुओंका बहिष्कार सविनय अवक्षा तथा कौंसिलोंका बहिष्कार ।' प्रथम दो विषयों पर समितिके सभी सदस्य एक-मत हैं । केवल ब्रिटिश वस्तुओंके बहिष्कारकी शिफारिसमें राजागोपालाचारीने कुछ सुधारकी योजना की है । पर तीसरे प्रश्ननर अर्थात् कौंसिलोंके बहिष्कारके प्रश्न पर सदस्योंमें घोर मतभेद है । आधे सदस्योंकी राय है कि कौंसिलोंका बहिष्कार होना चाहिये और आधे सदस्य उसमें जानेका ध्ययक्षा बतलाते हैं ।

इसी समय अपनी अवधिको पूरा करके श्रीयुक्त देशबन्धु दास जेलसे युक्त होकर आये । अमरावतीमें स्वार्वजनिक भवामें भाषण करते समय उन्होंने कौंसिलोंके जानेके पक्षमें अपनी राय दी । सविनय अवक्षा जांच समितिकी रिपोर्ट पर विचार करनेके लिये नवम्बर २२, १९२२ को कलकत्तामें अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक हुई । उपस्थिति बड़ी ही अच्छी थी । प्रायः सभी सिफारिशें स्वीकार की गईं । पर कौंसिलोंके बहिष्कारके प्रश्न पर घोर मतभेद रहा । आरंगजतक सुबह शाम बैठक होती रही पर कुछ निर्णय नहीं

हो सका । नेताओंने अलग बेठ कर परामर्श किया पर किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सके । निवान इस प्रश्नको गया कांग्रेसके लिये टाल कर अधिवेश समाप्त किया गया ।

गया कांग्रेस

गया कांग्रेसका अधिवेशन भी बड़े ही महत्वका था । कांग्रेसके भविष्यका निर्णय इसी कांग्रेसके हाथमें था । देशने अपनो कुत्तता प्रकाशित करनेके लिये देशबन्धु दासको फिर राष्ट्रपतिके पदके लिये चुना । दिसम्बरके बीचे मसाहमें कांग्रेसका अधिवेशन स्वराज्यपुरीमें बड़े उत्साहके साथ आरम्भ हुआ । कोंग्रेसके सामने दो प्रधान प्रश्न थे । ब्रिटिश बस्तुओंका बहिष्कार और कौंसिलोंका प्रश्न । खुली कांग्रेसमें पहला प्रश्न रखा गया । प्रतिनिधियोंने इस अस्वीकार किया । जागृतिका यह उवलन्त उदाहरण था । कांग्रेसके इतिहासमें यह प्रथम अवसर था कि विषय निर्धारिणी समितिमें बहु-मतसे निर्धारित विषयको प्रतिनिधि लोग इस तरह अस्वीकार कर दे । कौंसिलोंके प्रश्न पर कई दिनतक विषय निर्धारिणीमें चिंचाद होता रहा । अनेक सुधार उपस्थित किये गये । हर नरहसे सुलहकी चेष्टा की गई पर फल कुछ नहीं निकला । खुली कांग्रेसमें यह प्रश्न उपस्थित किया गया और जनताने अधिक सम्मतिसे कौंसिलोंके बहिष्कारका समर्थन किया । इस प्रकार गया कांग्रेसका अधिवेशन समाप्त हुआ और कांग्रेस अर्थात् असहयोगियोंमें दो दल हो गया ।

कांग्रेस और बाद

कांग्रेसका अधिवेशन समाप्त हुआ। दूसरे ही दिन अखिल भारत वर्षीय कांग्रेस कमेटीकी बेठक गयामें हुई। श्रीयुत देशबन्धुने कमेटीसे स्तीफा दिया। पहिलत मोती-लालजी नेहरू, हकीम अजलम खां, बाबू भगवान दास, बाबू श्रीप्रकाश तथा अन्यान्य नेताओंने भी सद्बन्ध तोड़ा। श्रीयुत दासके नेतृत्वमें इन लोगोंने अलग दल कायम किया और इसका नाम रखा “कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी।” इनका लक्ष्य कांग्रेसके अन्दर रह कर भारतको स्वराज्यके लिये तेयार करना और स्वराज्य दिलाना है। अपने दलके लिये तेयारी करनेके हेतु श्रीयुत दासने अभी मिशनिश्च खानोंमें यात्रा की। काशीमें बाबू भगवान दासके साथ स्वराज्यकी व्याख्या तेयार की। जिसपर विचार हा रहा है।

इसी बीचमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भी अपनी अवधि समाप्त करके छूट आये। दोनों दलोंमें सुलह करानेके लिये वे बहर्वह गये। इसके लिये उन्होंने सेठ छोटानीके साथ घोर प्रयत्न किया। बहर्वहमें चर्चिल कमेटीकी बीठक हुई। सुलहनामेंका मस्तीदा नेयार किया गया। मौलाना साहब यह मौसादा लेकर इलाहाबाद पहुंचे। पहिलत मोतीलाल नेहरू तथा हकीम अजमलखां साहबने इससे सम्मति प्रगट की। निवान इसपर

निर्णय करनेके लिये २७ फरवरीको अधिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक हुई। उस बैठकमें यह निर्णय हुआ कि अप्रेल मास तकके लिये दोनोंदल अपने मिश्न मतोंका प्रचार छोड़कर चन्द्रासंग्रह करने तथा स्वयंसेवक दलका संगठन करनेमें हा अपनी शक्ति लगावें। देखें इस समझौतेका क्या फल निकलता है।

यहा आजतकका स्वराज्यका इतिहास है। देखें दोनों दल देशको किस तरह ले जाते हैं और मतभेदका क्या परिणाम निलकता है।

यही असहयोग आन्दोलनका संक्षिप्त इतिहास है। यहू इण्डियाके लेखोंमें पाठकोको इसका विस्तृत विवरण मिलेगा।

उपसंहार

इन दो घरोंमें जा जागृति हुई है, देशको जो प्रकाश मिला है उसको उपलब्धि शायद १५० के ब्रिटिश शासनसे भा नहीं हो सकी थी। नागपूर कांग्रेसके अधिवेशनके समाप्त होनेके थोड़े ही दिन बाद कांग्रेसका सम्बाद नगर नगर और घर घर पहुंच गया। इस समय देश निरीह अवस्थामें निराशाके घोर अन्धकारमें पड़ा था। पर इस आन्दोलनसे जादूका काम किया। निराशाको भी आशाकी मोटी रेखा दीखने लगी। राष्ट्रका भाग्यसूर्य गगनमें उपने लगे। लोगोंने राष्ट्रके बलको भली भाँति समझ लिया। उन्हें यह

बात विदित हो गई कि सरकार कितनी भी जोरावर क्यों न हो यदि राष्ट्रकी प्रजाने अपनेको स्वाधीन बनाना तथा उसके लिये यन्मणा सहना स्वीकार कर लिया है तो कोई कारण नहीं है कि सरकार सिर न झुकावे । उसे विवश होकर सिर झुकाना ही पड़ेगा । उन्हें विदित हो गया है कि इन अपमानों तथा दीनतांत्रोंके कारण स्वयं हम हैं । जिस दिन हम इच्छा कर लेंगे कि कलसे हम अपमानित नहीं होना चाहते, नीच बन कर नहीं रहना चाहते और उसके निमित्त एक होफर डट गये तो फिर क्या मजाल कि कोई हमें जरा भी पीछे हटा सके । इसके लिये भारतकी भिन्न भिन्न जातियोंमें—हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख पारसी, ईसाई यहूदी तथा अन्य जातियाँ—परम्परा मेल तथा सदूमाव होना आवश्यक है । इन महत्वशाली युद्धका सफल बनानेके लिये सबसे आवश्यक बात यह है कि पञ्चायतें खोली जायें और ग्रामको ग्रामसे जिलेको जिलेसे, ग्रामको ग्रामसे अर्थात् सबको मिलाकर एक कर दिया जाय । इसके लिये दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि चरखे तथा करघेका प्रचार करके देशी खदारको इतना पर्याप्त तेयार कर दिया जाय कि देशका एक पेसा भी विदेश न जाने पावे । इस प्रकार आर्थिक कठिनाई हल हो जायगी । सबसे बड़ी आवश्यकता इस बातकी है कि समाजके सुधारकी योजना होनी चाहिये । समाजके अन्तर्गत शराब जोरी, मुकदमेघाजी आदि अनेक तरहका बुराईयाँ आ गई हैं, उन्हें दूर करना अत्यन्त आवश्यक

है। तथा अच्छूत जातियोंका उद्धार इनसेभी आवश्यक है। इसके कारण जो हास हो रहा है उसका मनुमान तक नहीं किया जा सकता।

असहयोग आन्दोलनका मुख्य अभिप्राय भारतीय समाजका शुद्ध बनाकर उसका संगठन करना है। इसकी शक्ति आत्मबल पर निर्भर है, पशुबलमें इसका हास है। यही कारण है कि इस आन्दोलनने अथवा शब्दोंमें अपील की है। यदि भारत इस पराधीनता, और निरीह अवस्थासे विना शब्द प्रयोगके ऊपर उठ गया तो वह संसारके सामने एक अभूत पूर्व उदाहरण रखेगा ; और इस कोठीवाद तथा साम्राज्यवादके युगपर पानी फेर देगा। ईश्वर करें इसकी आशा फलवती हो।

छविनाथ पाण्डेय



यंग इरिड्या

प्रथम भाग

॥ बन्देमातरम् ॥

यंग इण्डिया

परिचय

जिय समय यंग इण्डिया का स्थान बम्बई से अहमदाबाद तथा गवर्नर मार्ट अक्टूबर १८९५ के अंकमें महात्मा जीने निम्ननिवित लेख लिखा था :—

इन अङ्कों से यह इण्डिया नया रूप धारण करता है। श्रीयुत हानिमैनके निर्वासन और बम्बे क्रानिकलका गला धूंटनेके बादसे यह पत्र अर्धसाप्ताहिक रूपमें प्रकाशित होता रहा। जबसे बम्बे क्रानिकल पुनः प्रकाशित होने लगा है, हम और इसके सञ्चालकण इसे पुनः साप्ताहिक कर देनेका विचार कर रहे थे। गुजरातीके नवजीवनको साप्ताहिकका रूप देकर उसे हमारे हाथमें दे देनेसे उस विचारका शीघ्र फैसला हो गया, क्योंकि एक साथ एक साप्ताहिक और एक अर्ध साप्ताहिक पत्रका सम्पादन हमारे लिये अति कठिन कार्य है और साप्ताहिक यह इण्डिया उतना

ही काम कर सकता है जितना अधे सासाहिक । अब इस बातकी सदा चेष्टा की जायगी कि इसमें उनने ही लेख रहेंगे जितने कि सप्ताह भरमें अर्ध सासाहिक यहाँ इण्डियामें रहते थे ।

* * * *

अभीतक यहाँ इण्डियामें अधिकांश पञ्चाबको दुर्घटनापर ही लेख रहते थे पर यह काला बादल अब हट रहा है और हमें भी अपनी शक्ति दूसरी ओर चलानेका अवसर मिलेगा ।

हमें अंग्रेजी पत्रका सम्पादन करना जरा भी रुचिकर प्रतीत नहीं होता । पर कई कारणोंसे हमें वाच्य होकर अंग्रेजीमें ही यहाँ इण्डिया निकालना पड़ता है । उसमेंसे प्रथम कारण तो यह है कि अभी हमारे देशके अधिकांश निवासी हिन्दी भाषासे सर्वथा अनभिज्ञ हैं, न तो अपने भावको हिन्दीके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और न दूसरोंके भावको समझ ही सकते हैं । इसमें मद्रास प्रान्त तो एकदमसे पीछे है । और गोण कारण यह है कि भारत सरकार तक अपना मत पहुँचानेका दूसरा कोई अन्य सहारा नहीं है । राज्यकी प्रबलित भाषा अंग्रेजी है और सरकारी आलोचना जय तक अंग्रेजीमें न लिखी जाय, देखा या उसपर विचार नहों किया जा सकता ।

पर नवजीवनके प्रकाशनसे हमें नई बात मालूम हुर है । यहाँ इण्डियाकी ग्राहकसंख्या इस समय केवल १२,००० है पर नवजीवनकी ग्राहक संख्या १२,००० है और, यदि कोई छापनेवाला मिल जाय तो २०,००० प्रतियां तक खप सकती हैं । इससे

प्रत्यक्ष है कि मातृमाता की धीरे धीरे प्रतिष्ठा बढ़ने लगी है। हमें यह लिखते और भी प्रसन्नता होती है कि हमारे नवजीवनके उदार पाठकोंमें अनेक किसान और मजूर हैं। वे भी भारतके अङ्ग हैं। उनकी हीनता, दीनता और दरिद्रता भारतके लिये पाप है। उनका सुधार और उन्नति ही भारतको मनुष्यके रहने योग्य देश बना सकती है। उनकी संख्या भी कम नहीं है। प्रायः ८० प्रति सौकड़े इनको ही संख्या है। और अंग्रेजोंका अनुमान करते नो हँसी आती है। मारतमें उनकी संख्या भूसीमें अङ्गके डानेके बराबर है।

यही कारण है कि यद्यपि हमारा दृढ़ मत है कि भारतका उपकार करनेवाले प्रत्येक उदारचित्त महानुभावोंकी बेष्टा भारतवासियोंके समक्ष अंग्रेजी जाननेवालोंके सुविचारोंको मातृ-मायामें लिखकर रखनेकी होनी चाहिये, फिर भी जब तक हिन्दी गाष्ट्रमाया नहीं हो जाती और जब तक इसका प्रचार सारे भारतमें नहीं हो जाता, तथा जब तक प्रत्येक व्यक्ति इसके प्रयोगकी योग्यता नहीं प्राप्त कर लेता, जब तक हिन्दी शिक्षाका माध्यम नहीं उन जाती तब तक हमें वाद्य होकर उन लोगोंके स्वाल्से जिनमें हिन्दीका प्रचार नहीं है विशेषकर मद्रासवालोंके लिये, अंग्रेजी मायाका ही प्रयोग करना पड़ेगा।

* * * *

सर्वसाधारणके दोषों और ब्रुटियोंकी कड़ी आलोचना करते हुए यह इण्डियाका प्रधान लक्ष्य सत्याग्रहकी मीमांसा करना

और सत्याग्रहकी शिक्षा देकर जनता को सत्याग्रहके लिये तैयार करना होगा। सत्याग्रहके क्या रूप हैं, सत्याग्रहीको अपनी आत्मा किस प्रकार शुद्ध करनी चाहिए, सच्चा सत्याग्रही किस प्रकार हो सकता है, इत्यादि वातोंपर अधिक प्रकाश डालनेकी चेष्टा को जायगी।



प्रथम खण्ड

सत्याग्रह आन्दोलन

सत्याग्रह आनंदोलन

सत्याग्रहकी मीमांसा

सत्याग्रह आनंदोलनका आरम्भिक समालोचनाके रूपमें इस लेखको महात्मा गांधीने हगटर कंटेन्टोके समक्ष उपस्थित किया था। यह लेख यंग इंगिड्याके नवम्बर १९१९ के अंकमें प्रकाशित हुआ था।

साधारण सिद्धान्त

विगत ३० वर्षोंसे मैं सत्याग्रहका अभ्यास और प्रचार करता चला आ रहा हूँ। इतने दिनोंके अनुभवसे मुझे जो कुछ मालूम हुआ है उसके आधारपर मैं यही कह सकता हूँ कि सत्याग्रहका सिद्धान्त शनैः-विकासका सिद्धान्त है अर्थात् तपद्वारा आत्माको पूर्णहपसे जागृत करना ही इस व्रतका उद्देश्य है।

सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोधमें उतना ही अन्तर है जितना उत्तर और दक्षिणमें है। निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलोंका

अख्ल है और अपनी सिद्धिके लिये आवश्यकता पड़नेपर यह बल प्रयोगकी भी मोमांसा करता है अर्थात् निष्क्रिय प्रतिरोधक सिद्धान्तमें सर्वथा 'शान्ति' धारण किये रहनेकी मोमांसा नहीं हैं, आवश्यकता पड़नेपर बलप्रयोग किया जा सकता है । पर सत्याग्रह बलवानोंका अख्ल है और इसको स्वीकार करनेवालेको किसी भी अवस्थामें बलप्रयोगकी दीक्षा नहीं है, अर्थात् सत्याग्रही सदा शान्त रहेगा और किसी भी अवस्थामें बलप्रयोगसे काम न लेगा ।

सत्याग्रह शब्दको मैंने ही जन्म दिया है । इसका पहले पहल प्रयोग दक्षिण अफ्रिकामें उस युद्धका नाम प्रगट करनेके लिये किया था जिसे वहांके निवासी भारतवासी प्रोयः आठ वर्षोंमें चला रहे थे । उस समय निष्क्रिय प्रतिरोधका युद्ध संयुक्तराज्य, इंडलेण्ड और दक्षिण अफ्रिकामें चल रहा था । उस निष्क्रिय प्रतिरोधके युद्धसे भारतीयोंके इस युद्धका भेद दिखलानेके लिये ही मैंने इस शब्दका प्रयोग किया था ।

इसका शान्तिक अर्थ है सचाई पर डटे रहना, इस लिये इसे सत्यमार्ग या सत्यबल कह सकते हैं । मैंने इसका नाम प्रेमबल या आत्मबल भी रखा है । जिस समय इस अख्लका प्रचार मैंने पहले पहल किया था उसी समय मुझे स्पष्ट हो गया था कि सत्यबलकी सफलता केवल इतनेसे हो नहीं हो सकती कि सत्याग्रही सदा इस बातको चेष्टा करता रहे कि वह अपने शत्रुपर अस्त्र प्रहार नहीं करता, उसके साथ ज्यादती नहीं

करता, वहिक इस बातसे है कि धैर्य और शान्तिके शस्त्रोंका प्रयोग करके वह अपने अन्तर्गत सभी बुराइयों और दुर्बलताओंको मिटानेकी चेष्टा करता रहे। व्यर्थोंकि सम्प्रब्रह्म है कि जो मुझे अच्छा और गुण प्रतीत होता हो वही दूसरेको बुरा और दुर्गुण प्रतीत होता हो। धैर्यके माने यह है कि अपने स्वयं कष्ट उठाना। इसलिये सत्याग्रहके सिद्धान्तका असली रूप यह हुआ कि इस व्रतको स्वीकार करनेवाला आत्म-बलपर सदा निर्भर रहकर अपने शत्रु^३को किसा तरहका कष्ट न देकर अपनी साधनाको पूरी करनेके लिये, जिस निमित्त सत्याग्रहका व्रत धारण करता है, उसे प्राप्त करनेके लिये, स्वयं कष्ट भोगेगा।

अब प्रश्न यह उठता है कि राजनीतिक क्षेत्रमें सत्याग्रहका क्या अभिप्राय हो सकता है? राजनीतिक युद्ध—जहां सत्याग्रहके प्रयोगकी आवश्यकता पड़ेगी—प्रायः राजा और प्रजामें होगा। उस अवस्थामें बुराइयोंका एकमात्र प्रतिकार अत्याचारी नियमोंका विरोध करना है। मान लीजिये कि व्यवस्थापकोंने किसी कानूनको बनाया जो सर्वथा जालिम और अत्याचारी है। प्रजाने अनुनय विनय तथा प्रार्थना पत्र द्वारा उन नियमोंमें परिवर्तन तथा सुधारके लिये यत्न किया। व्यवस्थापकोंने उसपर कान न दिया। अब प्रजाके लिये दो ही मार्ग रह गये। यदि वह उन बुरे कानूनोंको स्वीकार करना नहीं चाहती, तो वह बल प्रयोगसे व्यवस्थापकोंको लाचार कर दे कि वे उसकी बात

माननेके लिये वाध्य हो जायं या उन कानूनोंकी अवज्ञा करके उसका फल भुगतनेके लिये तथा उसके कारण यातनाये सहनेके लिये तैयार हो जाय। इस उदाहरणसे सत्याग्रहिका अर्थ सविनय अवज्ञा या सविनय प्रतिरोध होता है। सविनय इस लिये कि यह हिंसाके भावसे रहित है।

इतना लिखनेके बाद सत्याग्रही और साधारण कानून तोड़नेवालेमें जो भेद है उसे भी यहीं लिख देना आवश्यक होगा। साधारण कानून तोड़नेवाला चालबाजीसे या धोखा देकर कानून तोड़ता है और कानून तोड़नेके निमित्त जो दण्डकी धाराये बनी हैं उनसे सदा बचे रहनेकी चेष्टा करता रहता है, अर्थात् कानून तोड़ता है पर दण्डसे डरता है। पर सत्याग्रहीका आचरण इससे एक दम मिल होता है। सत्याग्रही राज्यके कानूनोंको डरके मारे नहीं मानता, उनको इसलिये नहीं मानता कि अन्यथा उससे बलपूर्वक स्वीकार कराये जायेंगे बल्कि इसलिये कि वह उन्हें उस समाजकी समृद्धिके लिये उपयोगी समझता है जिसमें वह रहता है। पर कभी कभी—बहुत कम—ऐसा भी अवसर आ जाता है कि वह किसी कानूनको इतना अनुचित समझता है कि उनको मानना वह नितान्त अनुचित और अपमान जनक समझता है। ऐसा अवस्था उपस्थित होने पर वह सत्याग्रह करता है और सविनय अवज्ञा द्वारा उन कानूनोंको भंग करता है और शान्तिपूर्वक उनके तोड़नेके निमित्त दिये गये दण्डको भुगतता है। इतना ही नहीं।

व्यवस्थापकोंकी बेर्हमानी और अन्यायके प्रति अपनी नाराजगी दिखलानेके लिये वह प्रचलित शासन प्रणालीके साथ या राज्यके साथ असहयोग कर लेता है। उस अवस्थामें वह राज्यके उन अन्य नियमोंकी भी अवज्ञा करता है जिनके ताड़नेसे चारित्रिक पतनकी सम्भावना न हो।

मेरे मतसे सत्याग्रहका बत इतना पूर्ण तथा महान् है और इसके सिद्धान्त इतने सरल है कि इसकी शिक्षा छोटे छोटे लड़कों तकको दी जा सकती है। इसकी शिक्षा मैंने हजारों उन नर नारियों, वालवृद्ध तथा युवकोंको दी थी जिन्हें लोग शर्तबन्द कुली कहते हैं और यह लिखने मुझे अतिशय प्रसन्नता होती है कि इसमें मुझे पूरी सफलता मिली।

रौलट विलस

इसी सिद्धान्तके आधारपर मैंने रौलट बिलोंका विरोध किया। जिस समय रौलट बिलोंका मजमून सरकारी गजटमें निकला मैंने उन्हें पढ़कर देखा कि मनुष्यको स्वतन्त्रताको छीननेका उनमें इतना जवर्दस्त बल है कि उनका विरोध पूर्ण शान्तिके साथ होना आवश्यक है। मैंने यह भी देखा कि प्रत्येक विचारवान भारतवासीका यही मत है। मैं इस बात को जोर देकर कह सकताहूँ कि कितना भी उच्छृंखल शासन क्यों न हो उसे इस बातका जरा भी अधिकार नहीं है कि वह ऐसे कानून बनावे जिसके द्वारा सारी प्रजा पर एक साथ हो बङ्गपात

हो, फिर भारत सरकारके विषयमें तो यह बात और भी अधिक लागू है क्योंकि उसका सञ्चालन स्थिर सिद्धान्त और नियमोंके द्वारा होता है। मैंने यह भी देखा कि यदि बलप्रयोग, रक्षापात और असफलतासे इन अन्दोलनकी रक्षा करनी है तो इसके लिये कोई निर्दिष्ट मार्ग बना लेना भी आवश्यक होगा, जिस परसे होकर लोग चलें।

छठी अप्रेल

इतना देख भालकर मैंने यही स्थिर किया कि ऐसी अवस्थामें एकमात्र सत्याग्रह ही हमारा रक्षक हो सकता है। निदान मैंने देशके सामने सत्याग्रहका सिद्धान्त रखा। मैंने इसके सविनय प्रतिरोधके अंगपर विशेष ज्ञान दिया। मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि सत्याग्रहका मूलमन्त्र अन्तरात्माकी पवित्रता है, इसलिये मैंने अनुरोध किया कि छठी अप्रेलको लाग सारा कामकाज बन्द कर दें, दिन भर (२४ घण्टेतक) उपवास करें, तथा आत्मशुद्धिके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करें। यह काम इतना जल्दी किया गया था कि न तो इसके लिये किसी तरहका संगठन हो सका था और न किसी तरहकी तैयारी की गई थी। फिर भी समस्त भारतकी जनताने इसको जिस प्रकार अपनाया उसका उदाहरण नहो। यहांतक कि सुदूर देहातोंमें भी छठी अप्रेल मनायी गई। मेरे मनमें यह बात ज्योंही आई थी मैंने उसे प्रगट कर दिया था। छठी अप्रेलको जनताने

किसी तरहका बल प्रयोग नहीं किया और न पुलिसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हुई जिसका वर्णन किया जा सके। हड़ताल आपसे आप हुई थी। लोगोंने अपनी इच्छाके अनुसार ही हड़ताल किया था।

मेरी गिरफ्तारी

छठीं अप्रेलके उपवास और ब्रतके बाद ही सविनय अवश्य प्रारम्भ होनेवाली थी। इसके निमित्त सत्याग्रह सभाकी निर्धारिणी समितिने चन्द्र मिशिल कानूनोंको चुना, जिनको तोड़नेका निश्चय था। इनमेंसे एक कानून यह भी था कि जबल पुस्तकोंको खुले तीर पर बांटना और बेंचना। यह काम हम लोगोंने जारीमें जारी किया और अनेक जबल पुस्तकें बेंचो और बांटी जाने लगी।

उपद्रव

छठीं अप्रेलने भारतमें एक अपूर्व ज्योतिका उदय कर दिया। लोगोंके हृदयोंमें वह प्रकाश और वह शक्ति आ गई जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जिन लोगोंके दिलोंमें लाल पगड़ीका हीआ समाया था वे अब बड़े बड़े अधिकारियों तककी परवा नहीं करने लगे। इसके अतिरिक्त आज तक साधारण जनता उदासीन पड़ी थी। नेताओंने उन्हे जगानेका प्रबन्ध नहीं किया था, उनका सञ्चालन नहीं किया था। निदान उनमें संगठनका सर्वथा अमाव था। उनके हाथमें एक बलिष्ठ अख्य आ गया सही

पर न तो वे इसके समझ सकते थे और न इसके प्रयोगके बारेमें कुछ जानते थे ।

दिल्लीका जनता जो आजतक निश्चेष्ट और उदासीन पड़ी थी, एकाएक उठ खड़ी हुई । वहाँके नेतागण उनपर अधिकार न कर सके । अमृतसरकी अवस्था तो नाजुक थी । डाकूर सत्यपालने मेरे पास लिखा था कि आप यहाँ आकर लोगोंको सत्याग्रहका मर्म सुना जाइये नहीं तो महा अनर्थ होगा । इस समय भी दिल्लीसे स्वामी श्रद्धानन्दने तथा अमृतसरसे डाकूर सत्यपालने लिखा कि जनता उत्तेजित हो गई है । आपके जानेमें शान्ति हो जानेकी संभावना है । इसलिये आप चले आइये । इस निमित्त न तो मैं कभी पञ्चावमें ही गया था और न अमृतसरमें ही । अधिकारियोंने इन दोनों पत्रोंको पढ़ लिया था और वे जानते थे कि मेरी इस यात्राका उद्देश्य शान्तिमय है ।

आठवीं अप्रैलका मैंने बम्बईसे दिल्ली और पञ्चाव जानेके लिये प्रस्थान किया । मैंने डाकूर सत्यपालको तार दे दिया था कि मुझसे दिल्लीमें मिलिये क्योंकि मेरा इनके साथ कभी पहले-का परिचय नहीं था । मथुरा पहुँचते न पहुँचते मुझे सरकारी सूचना द्वारा दिल्ली प्रान्तमें प्रविष्ट होनेसे रोका गया । मैंने देखा कि इस आज्ञापत्रको मैं स्वीकार नहीं कर सकता । मैंने इसकी घब्बा की और आगे बढ़ा । पलवाल पर मुझे दूसरी नोटिस मिली । इस नोटिसके द्वारा मेरा पंजाबमें प्रवेश रोका गया था और बम्बई प्रान्तके बाहर कहीं

अन्यत्र जानेका मुझे अधिकार नहीं दिया गया था। वहाँ पर पुलिसके एक दलने मुझे गिरफ्तार कर गाड़ीसे उतार लिया। पुलिसके जिस सुपरिणटेंडेन्टने मुझे गिरफ्तार किया उसने मेरे साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया। वहाँमे मैं सबसे पहली गाड़ीमे मथुरा लाया गया। वहाँसे माल गाड़ीमे रवाना होकर दूसरे दिन प्रातःकाल सिवाई मधुपुर पहुँचा। यहाँसे पेशावरसे आनेवाली वस्त्रें मेलमें सवार कराया गया और सुपरिणटेंडेंट वाउरिंग मेरे निरीक्षक हुए। ता० २० अप्रैलको मैं वस्त्र लाकर छोड़ दिया गया।

इनमे ही समयमें मेरो गिरफ्तारीका समाचार सारे भारतमें कल गया। अहमदाबाद, वाराणसी और गुजरातमें इसका विशेष प्रमाच पड़ा। जतनामें घोर उस्तेजना फैल गई। दूकानें बन्द हो गईं कारबाहर रुक गया, चारों तरफ भोड़ इकट्ठा होने लगा और उपद्रव आरम्भ हो गया। चिना किसी रोक टोकके उत्तरे जित जनता जां कुछ कर सकती है वह हुआ। मारपीट लूट पाट, हत्या, भाग लगाना, तारके सामानोंको काट देना और गाड़ियोंको लाइनों परसे उलट देना, इत्यादि सभी प्रकारके उपद्रव हुए।

उपद्रवका कारण

इसके खोड़े ही दिन पूर्व खेरागढ़की घटना हुई थी। उस समय मैंने वहाँके दीन किसानोंके साथ काम किया था।

हजारों नरनारियोंसे मेरी जान पहचान हो गई थी। श्रीमती अनुसूया साराभाईके आग्रह करनेपर उनके साथ मैंने अहमदाबादको मिलोंके कुलियोंके साथ भी काम किया था। मिलोंके मज़ब उनकी उदार हृदयतापर मुश्व थे और उनको देवताकी तरह मानते थे। उसी समय अहमदाबादमें गौगा (अफवाह) फैला कि श्रीमती अनुसूया साराभाई भी गिरफतार कर ली गई। मिलके मजूर इस सम्बादसे बेतरह उत्सेजित हो गये। उनका क्रोध उबल आया। गिरगांवके मिल-के कुलियोंमें भी हम दोनोंने काम किया था और संकटके दिनोंमें उनकी सहायता की थी। इससे ये भी उत्सेजित हो गये। इन स्थानोंमें जो कुछ ज्यादतियां हुईं उनका एकमात्र कारण मेरी गिरफतारी और श्रीमती अनुसूया साराभाईकी गिरफतारीका गौगा था।

इससे पहले भी मुझे भारतके कोनेकोनेमें जानेका और हर तरहके लोगोंसे मिलनेका अवमर मिल चुका था। मेरे साथ लोगों-का बड़ी स्वतंत्रताके साथ मिलनाजुलना होता था। मेरा पक्ष विश्वास है कि यह धारणा एकदम निर्मूल है कि इन ज्यादतियों-के पीछे जनताकी क्रान्तिकी प्रवृत्ति छिपी थी। ऐसी कोई बात नहीं था और न इसका कोई लक्षण ही था। उत्सेजित लोगोंने जो कुछ किया था उसे 'क्रान्ति' का रूप किसी भी प्रकार नहीं दिया जा सकता।

कार्यवाई

सरकारी कार्यवाई एकदम अनुचित थी। लोगोंपर राज-विद्रोहका अभियोग चलाना सरासर भूल था। इस आचरणसे सरकारने लोगोंके माथ बड़ी सख्तीका बर्ताव किया और कहीं कहीं अधिक दण्ड प्रदान किया। क्षतिपूर्तिके लिये अहमदाबाद नगरपर जो जुर्माना बैठाया गया वह अनुमानसे भी कहीं अधिक था और जिम्म तरह यह जुर्माना गरीब मजूरों और कुलियोंसे बसूल किया जा रहा था नितान्त क्रूर और उत्तेजक था। मेरी समझमें नहीं आता कि गरीब मजूरोंपर एक लाख सरसठ हजार रुपया जुर्माना ठोक देना कहाँका न्याय था। बरेजडीहके किसानोंसे तथा नदियादेके बनियों और किसानोंसे जो रकम बसूल की गई थी उसमें क्रता और बदलेकी बू आती था। मेरी समझमें अहमदाबादमें मार्सल लाके जारी करनेका भी सरकारके पास कोई यथेष्ट कारण नहीं था और न इसकी आवश्यकता ही थी। इसके प्रयोगमें जिस लापरवाही और बेरहमीसे काम लिया गया है, उससे हजारों बेकसूरोंकी जानें मुफ्तमें गईं हैं।

मेरी समझमें बम्बईके अधिकारियोंने इस समय दूरदर्शिता और धीरतासे काम लिया, क्योंकि उस समयकी अधिकारियोंको उत्तेजनाकी प्रवृत्ति और जनताके अधिश्वासका स्मरण करके उनके आचरणपर आश्वर्य होता है। विशेष कर ऐसे समय जब कि जनताकी उस गाड़ीको उलट देनेकी चेष्टाके कारण—जिसमें

शान्ति स्थापित करनेके लिये सेना आ रही थी—उनका मिजाज़
और भी बिगड़ गया था ।

महात्माजीका व्याख्या

लाई हगदरमें प्रश्नोच्चर ।

प्रश्न—मिस्टर गान्धी, मेरी समझमें आप ही इस सत्याग्रह
आन्दोलनके जन्मदाता हैं ?

उत्तर—जी हाँ ।

प्रश्न—क्या आप संक्षेपमें सत्याग्रहका परिचय हमें दे
सकते हैं ?

उत्तर—यह आत्मबल और सत्यका विद्वान्त है। पशुबल
और हिंसाको रोककर उसके स्थानपर इसका प्रचार करनेका
मेरा अभिप्राय था। यह एक तरक्की घरेलू अख्ति है। इसका
प्रचार में राजनीतिक क्षेत्रमें भी करना चाहता था। मुझे जो
कुछ अनुभव प्राप्त हुआ है उससे मेरी यही धारणा हा। गई है कि
राज्यकी प्रचलित युराइयोंको रोकनेके लिये अन्य देशोंमें जो
हिंसाकी प्रवृत्ति वर्तमान है उससे बचकर भारत यदि अपना
उद्धार करना चाहता है तो उसके लिये एकमात्र यही शब्द है।

प्रश्न—आपने रीलट ऐकूके विरोधमें इस शब्दका प्रयोग
किया था और उसी सम्बन्धमें आपने लागोंसे सत्याग्रहके
प्रतिशापनपर हस्ताक्षर करनेका अनुरोध भी किया था ?

उत्तर—जी हाँ ।

प्रश्न—क्या आप इस आन्दोलनमें अधिकाधिक लंगोंका लाना चाहते थे ?

उत्तर—हाँ, वही तक जहाँ तक सत्य और अहिंसाके सिद्धान्तके अनुकूल था। यदि मेरी समझमें पूरे एक करोड़ आदमी इस सत्य और अहिंसाके सिद्धान्तके अनुसार चलनेके योग्य हो जाने ता में विना किसी स्रोत विचारके सवालों साथ लेनेको तैयार था।

प्रश्न—क्या यह आन्दोलन सरकारकी मन्त्रालयके एक दम विछद्ध नहीं था, क्योंकि आप सरकारकी आज्ञाके सामने सिर न झुकाकर सत्याग्रह क्रमटोकी आज्ञाओंका पालन करना चाहते थे ?

उत्तर—इस आन्दोलनका इन रूपमें किसीने भी नहीं समझा था और न जनताने ही इसका यह अभिप्राय लगाया था।

प्रश्न—मेरा अनुराग है कि आप सरकारकी दृष्टिके अनुसार इस आन्दोलनपर विचार करें। मान लीजिये कि आप किसी देशके शासक हैं और उस देशकी प्रजाने उसी तरहके कानूनोंको तोड़नेके लिये आन्दोलन उठाया जिस तरहके कानूनोंके तोड़नेकी राय आपकी सत्याग्रह क्रमटो दे रही है। ऐसी अवस्थामें आप उस आन्दोलनको किस दृष्टिसे देखते ?

उत्तर—इस प्रकार सत्याग्रहके उच्च सिद्धान्तकी पूरी तरहसे मीमांसा नहीं हो सकता। आपके ही कथनानुसार यदि मैं किसी देशका शासक हाता भोर यदि मेरे सामने ऐसी समस्या

उपस्थित होती कि कुछ लोग सत्यको खोजमे अहिंसाके पथ पर अटल रह कर अत्याचारी कानुनोंसे अपनी रक्षाका यत्न कर रहे हैं तो मैं उनका सहर्ष स्वागत करता और उनकी गणना न्याय-प्रेमियोंकी सर्वोच्च कोटिमें करता और शासककी हैसियतसे मैं उन्हें अपना दाहिना हाथ बना लेता क्योंकि उनकी सहायतासे मैं कभी सत्य और न्याय मार्ग से भ्रष्ट नहीं हो सकता था।

प्रश्न—एवं प्रत्येक कानूनके विषयमे मतभेद हो सकता है कि यह उचित है कि अनुचित, संगत है या असंगत?

उत्तर—यही कारण है कि सत्याग्रह सिद्धान्तमे हिंसाकी प्रवृत्तिको स्थान नहीं दिया गया है। सत्याग्रही अपने शत्रुओं और प्रतिद्वन्दीको भी उतनी ही स्वतन्त्रता देना चाहता है जितना आप भोगना चाहता है और इसीलिये वह आप कष्ट भेलनः स्वीकार करता है पर दूसरोंको कष्ट देना नहीं चाहता।

प्रश्न—मैं इसपर दूसरी दृष्टिसे विचार कर रहा हूँ अर्थात् शासनकी सार्थकताकी दृष्टिसे। मैं यह देख रहा हूँ कि क्या ऐसी अवस्थामे किसी प्रकारका शासन चल सकता है जब वहांकी प्रजाका एक दल सरकारके सिद्धान्तों और मतोंको न स्वीकार कर एक स्वतन्त्र दलको आज्ञाको माननेके लिये तैयार हो?

उत्तर—मेरा अनुभव तो आपके कहनेके एकदम प्रतिकूल है। दक्षिण अफ्रिकामें मैंने यह संग्राम आठ वर्ष तक चलाया था और मैंने देखा था कि शासनके कार्यमें इसके द्वारा किसी तरह-

की वाधा नहीं पड़ती थी। उस समय दक्षिण अफ्रिकाके प्रधान शासक जनरल स्प्रट्स थे। आठ वर्षतक उन्हें कड़ी आंचमें तपना पड़ा था। पर अन्तमें उन्होंने यही कहा था :—यदि प्रत्येक प्रजाका इन्हीं सत्याग्रहियोंकासा आचरण हो जाय तोभी डरनेकी काई बात नहीं है।

प्रश्न—पर जिस प्रकारकी प्रतिज्ञा आपके इस सत्याग्रह अन्दोलनमें है उसका बहाँ कहीं चर्चा तक नहीं थी?

उत्तर—ठोक यही बातें बहाँ भी थीं। प्रत्येक सत्याग्रही-को इस बातकी प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि वह ऐसे किसी भी नियमको स्वीकार नहीं करेगा जिनको वह न्यायशूल्य और अनुचित समझता है पर जो फौजदारी कानूनकी ध्वनि नहीं रखते और इसीके द्वारा वह सरकारको अपने सामने भूका देगा।

प्रश्न—सत्याग्रहकी प्रतिज्ञामें यहीं लिखा है न, कि केवल उन्हीं कानूनोंका तोड़ा जायगा जिनके नोडनेकी सत्याग्रह कमेटी अनुमति देगी?

उत्तर—जी हाँ। यहाँ पर मैं आपकी कमेटीको यह समझा देना उचित समझता हूँ कि कानून भंग करनेके लिये कमेटीकी शिफारिसपर इतना जार क्यों दिया गया था। व्यक्तिगत खच्छन्दता और उसके कारण होनेवाली उच्छृङ्खलताको रोकनेके लिये ही यह सब किया गया था। चूँकि यह आन्दोलन सबसाधारणका था अर्थात् सामूहिक आन्दोलन था, इस

लिये मेरी समझमें एक ऐसी कमेटीको होना नितान्त आवश्यक था और इसीलिये हमलोगोंने उस कमेटीको बनाया ताकि कोई भी सत्याग्रही अपना कर्तव्य आप ही निर्धारित न कर ले और इसीलिये हमलोगोंने कमेटीको यह अधिकार दिया कि वह निश्चय करे कि कौन कानून तोड़े जायें।

प्रश्न—एक ही बीमारीके निदानमें भिन्न भिन्न डाकूरोंके भिन्न भिन्न मत होते हैं। क्या सत्याग्रहियोंमें उस तरहका मतभेद सम्भव नहीं है?

उत्तर—आपका कहना सर्वथा सत्य है। मुझे भी यहो अनुभव हुआ।

प्रश्न—मान लीजिये कि कोई सत्याग्रही किसी एक कानूनको व्यायसंगत और उचित समझता है परं निर्धारणों समिति उसे असंगत समझती है और उसकी अवज्ञाकी मन्त्रणा देनी है, ऐसी अवस्थामें नह सत्याग्रही क्या करेगा?

उत्तर—यह आवश्यक नहीं है कि वह उस कानूनको अवज्ञा करे। ऐसे अनेकों सत्याग्रही हमारे साथ थे।

प्रश्न—क्या यह आनंदोलन भीषण नहीं है?

उत्तर—यदि आप मेरा दृष्टिसे विचार करे और यह देखें कि इसका मुख्य लक्ष्य देश और जनतामेंसे हिंमाकी प्रवृत्ति दूरकर देनी है तो आप भी मेरी भाँति इसके पूर्णसमर्थक और पक्षपाता हो जायेंगे। मेरी तो यही धारणा है कि किसी भी उपायसे इस आनंदोलनको परम पवित्र बनाये रखना चाहिये।

प्रश्न—सत्याग्रहकी प्रतिज्ञाद्वारा बया आप उस व्यक्तिके आत्मनिर्णयपर प्रतिबन्ध नहीं रख रहे हैं ?

उत्तर—तत्याग्रहकी जा व्याख्या मैंने की है यदि आप उस पर गौग्से विचार करें तो आपको निश्चय हो जायगा कि आपकी यह धारणा निमूँल है। यदि आप यह दिखला दें कि मैंने सत्याग्रह प्रतिज्ञाकी व्याख्या गलत तरीकेसे की है तो मैं उसका संशोधन और सुधार करनेके लिये तैयार हूँ (इतना सुनकर लाड हण्टरने कहा, नहीं मिस्टर गांधी, मेरा यह अभिप्राय नहीं है), मैं चाहता हूँ कि मैं कमेटीके हृदयमेसे यह बात निकाल दूँ कि सत्याग्रहका सिद्धान्त किसी भी प्रकार भयावह है और यह मिद्द करके दिखला दूँ कि इसका प्रधान और सर्व प्रथम लक्ष्य देशमेसे हिसाके भावको दूर कर देनेका है।

इसके बाद लाड हण्टरने संक्षिप्तमें उन अवस्थाओंका वर्णन किया जिनके कारण रॉलट पेकूका निर्माण हुआ, भारतीयोंके एकमन होकर इसके विरोध करनेका वर्णन किया। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधीसे पूछा कि इसके निर्माणमें क्या आपत्तिथी जो लोगोंने इसका इस तरह विरोध किया।

उत्तर—मैंने रॉलट कमेटीकी रिपोर्टको शुरूसे अन्त तक पढ़ा और उन कानूनोपर भी विचार किया जिनके निर्माणका शिफारिस की गई थी। पूरी तरहसे विचार करनेके बाद मैं इस परिणाम पर पहुँचा कि कमेटीने अपनी रिपोर्टमें जिन बातोंका उल्लेख किया है वास्तवमें उनका कहीं नाम निशान

नहीं हैं। मैंने यह भी देखा कि इस विधानके द्वारा मनुष्य-की नैसर्गिक स्वतन्त्रतापर भावण चञ्चप्रहार होगा और जिस देश, जाति या व्यक्तिको आत्म गौरवका लेशमात्र भी ध्यान है वह इस तरहके कानूनको कभी भी नहीं जारी होने देगी। व्यवस्थापक सभाओंके गैरसरकारी सदस्योंने जिस उत्साहसे इसका विरोध किया था उसे पढ़कर मेरी धारणा और भी पुष्ट हो गई। जब मैंने चारों ओरसे इसके प्रतिकूल आनंदोलन उठते देखा तो आत्माभिमानी पुरुषकी हैसियतसे चुपचाप बैठे रहना और इसकी उपेक्षा करना मेरे लिये नितान्त अनुचित और असम्भव था। निदान मैंने इसका पूर्णरूपसे विरोध करना ही स्थिर किया।

प्रश्न—उन कानूनोंका अभिप्राय अराजकता और क्रान्तिको दबानेका है। क्या आप इनको दबाना उचित नहीं समझते?

उत्तर—जो अभिप्राय घटलाया गया है नितान्त उचित और प्रशंसनीय है।

प्रश्न—तो आपका विरोध इनके प्रयोगके तरीकेसे है?

उत्तर—बहुत ठीक।

प्रश्न—कदाचित आपका अभिप्राय यह है कि प्रवन्धकोंके हाथमें आवश्यकतासे अधिक अधिकार दे दिया गया है?

उत्तर—कहीं अधिक।

प्रश्न—क्या भारत रक्षा कानूनक अन्तर्गत प्रवन्धकोंके हाथमें इतना ही अधिकार नहीं दे दिया गया था?

उत्तर—आपका कहना बहुत ठीक है। पर भारत रक्षा कानूनका निर्माण एक आवश्यक स्थितिके लिये किया गया था।

उस समय यूरोपीय महासमर हो रहा था। युद्धके दिनोंमें घरकी अशान्ति या कलह बड़ी ही भयानक होती है। यदि भारतमें किसी तरहकी अशान्ति उत्पन्न हो जाती तो युद्धपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता। इसीलिये इस कानूनका निर्माण किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति इस काममें सरकारकी सहायता करे जिससे इस समय किसी भी भाँति देशमें हिंसावृत्ति न जागने पावे। और व्यवस्थापक सभामें बड़ी ही खीचातानीके बाद इनपर अनुमति दी गई थी। पर रौलट ऐकृ भारतरक्षा विधानसे एकदम मिल है। दूसरे, भारतरक्षा कानूनका जिम प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है उससे भी इस विधानके विरोधकी अधिकाधिक आवश्यकता प्रतीत होती है।

प्रश्न—मिस्टर गान्धी, आपको मालूम होगा कि रौलट ऐकृका प्रयोग तभी सम्भव है जब प्रान्तीय सरकारको यह पक्का विश्वास हा जाय कि देशमें अराजकताकी सम्भाचना है ?

उत्तर—पर व्यवस्थापकको हैसियतसे में उस प्रबन्धक विभागके हाथोंमें इतना भी अधिकार नहीं देखना चाहता जिसे मैंने समय समयपर इस देशमें पागलोंकी भाँति काम करते देखा है।

प्रश्न—इससे विदित हाता है कि आपके विरोधका कारण यह है कि भारतसरकारने किसी उपयोगी कानूनके चारमें गलत तरीकेसे काम लिया। तो क्या इस बातका प्रतीकार कानूनी

कारेवाईसे नहीं हो सकता था। क्या सरकारको उस कानूनके सुधारकी आवश्यकता दिखलाकर उसमें उचित संशोधन नहीं किया जा सकता था?

उत्तर—मैंने अनिश्चय विनीत भावसे दीनतापूर्वक लार्ड चेम्स्टफोर्डसे प्रार्थना की। मैंने इस विधानकी अनुपयोगितापर उससे बादविवाद किया। इसाँतरहरा बादविवाद मैंने उन अन्य अंग्रेज अफसरोंके साथ किया जिनसे मैं मिल सका। मैंने अपना मत उनके समझ रखा। पर उन लोगोंने एक स्वरसे यही उत्तर दिया कि हमलोग लाचार हैं और रौलट कमेटीने ज्ञाशिकारिसें की है उनपर अमल किया जाना नितान्न आवश्यक है। इन तरहके प्रतीकारके जिनने तरीके थे सबसे हम लोगोंने काम लिया पर सब निष्फल हुआ।

प्रश्न—अदि आपका किसीसे मतभेद है तो आप उसे एक ही दिनमें अपने मतका नहीं बना सकते। इसके लिये आपका कुछ समय तक ध्येयपूर्वक अनवरत चेष्टा करनी होगी। ऐसा न करके एकदमसे कानूनोंका भड़क करनेके लिये तुठ जाना क्या उताचलापन नहीं कहा जायगा?

उत्तर—इस विषयमें मेरा आपसे योर मतभेद है। यदि मुझे चिह्नित होता है कि स्वयं मेरे पिनाने मेरे ऊपर ऐसे कानूनका बोझ लाद दिया है जो मेरे आत्मगौरवके सर्वथा प्रतिकूल है तो यदि मैं विनयपूर्वक उससे निवेदन कर दूँ कि मैं इसको न माननेके लिये विवश हूँ तो इसमें मैं किसी तरहकी ज्यादती नहीं करता।

इस उपायका अवलम्बनकर मैं अपने पिताके साथ सिवा न्यायके और कुछ नहो कर रहा हूँ। यदि मेरे निष्ठलिखित कथनसे कमेटीकी किसी तरहकी हतक इज्जती न हो तो मैं जोर देकर कह सकता हूँ कि मैंने सदा इसी नीतिका अवलम्बन किया है और इसे सदा लाभदायक पाया है। यही कारण है कि मैं इस नीतिकी शिक्षा देनेमें और भी अधिक दत्तचित्त रहता हूँ। यदि उपरोक्त प्रकारसे अपना मत स्पष्ट कहकर मैं अपने पिता और मित्रका किसी तरहका अपमान नहीं करता ता मैं सरकारका भी किसी तरहका अपमान नहीं करता।

प्रश्न—रॉलट ऐकूंक विराघके लिये सत्याग्रह आन्दोलनको आरम्भ करते समय आपने सारे भारतवर्षमें हड्डताल मनाये जानेकी अनुमति दी थी। उस हड्डतालके दिन हरतरहका कारवार बन्द होना था और जननाको अपने आचरणोंद्वारा यह प्रगट कर देना था कि वह सरकारकी इस कारवाईको नापसन्द करती है। सर्वव्यापी हड्डतालके माने देशभरमें हरतरहके कारवारको बन्द कर देना है। क्या इससे भयानक विपक्षिके उपस्थित होनेकी सम्भावना नहीं थी?

उत्तर—यदि कारोबार अधिक कालतक बन्द रहे तो किसी प्रकारके विपक्षिकी सम्भावना हो सकती है।

यहाँपर महात्मा गान्धीने यह बतलाया कि किस प्रकार कुछ प्रान्तोंमें २० मार्चको ही हड्डताल हो गई और शेष स्थानोंमें ५ अप्रैलको हुई। आपने बतलाया कि इसका कारण लोगोंका

गलत अनुमान नहीं था, बलिक सरकारी निर्णयका संवाद था। निष्ठ्य यह किया गया था कि रीलट ऐकू पास होनेके बाद जो रविवार पढ़ेगा उसी पहले रविवारको हड्डताल मनाई जायगी। कुछ लोगोंको खीकृतिका समाचार ३० के पहलेही लग गया और उन्होंने ३० को ही हड्डताल मनाया।

प्रश्न—आपने घायणा को धी कि कारवार बन्द करनेके लिये किसीके ऊपर किसी तरहका दबाव न डाला जाय। हड्डताल आपसे आप होनी चाहिये। जिसकी रुचि हो हड्डताल करे, न रुचि हो न करे?

उत्तर—आपका कहना एकदम ठीक है। मैंने सूचित किया था कि हड्डताल करनेके लिये उम दिन किसी तरहका दबाव नहीं डाला जाना चाहिये। पर हड्डतालके लिये अन्य दिन नोटिस तथा व्याख्यान आदिके द्वारा प्रार्थना को जा सकती है। और जबतक पशुबलका प्रयाग न किया जाय मैं इस प्रकारके साथ-नोंको नितान्त उचित और सङ्गत समझता हूँ।

प्रश्न—यदि हड्डतालके दिन कोई व्यक्ति किरायेकी गाड़ी चलानेवालोंको रोकना चाहे या रोकनेकी चेष्टा करे तो आप उसकी कारवाईको उचित समझते हैं या अनुचित?

उत्तर—मैं उसकी कारवाईको नितान्त अनुचित समझता हूँ।

प्रश्न—यदि ऐसे लोगोंके साथ पुलिस किसी तरहको कारवाई करे तो क्या आप उसे अनुचित समझेंगे?

उत्तर—यदि पुलिसने अपनी मर्यादाके भीतर रहकर उचित तरीकेसे हस्तक्षेप किया तो मैं उसे किसी भी तरह अनुचित नहीं समझता ।

प्रश्न—इस बातको आप स्वीकार करते हैं कि हड़तालके दिन किसीके साथ जबर्दस्ती करना और गाड़ावालोका रोकना नितान्त अनुचित था ?

उत्तर—एक सच्चे सत्याग्रहीका हैसियतसे मैं इस तरहके कार्रवाईको धार पाप समझता हूँ ।

प्रश्न—आपके प्रधान नायक खामी श्रद्धानन्दने दिल्लीसे आपके पास पत्र लिखकर आपको सचेत किया था कि दिल्ली तथा पञ्चाबकी घटनाओंको देखकर यही धारणा होती है कि यदि सर्वव्यापी हड़ताल की जायगी तो शान्ति भड़ू होनेकी सम्भावना है ? (यहाँपर महात्मा गान्धीने लाई हण्टरको रोककर कहा कि खामी श्रद्धानन्द मेरे नायक नहीं विकिमेरे साथी है) ।

उत्तर—मुझे अच्छी तरह याद नहीं है कि उस पत्रमें क्या लिखा था । जहांतक मुझे स्मरण है किसी पत्रमें उन्होंने इससे भी अधिक लिखा था । यहांतक कि उनका मत था कि विना किसी तरहके शान्ति भड़ूके सामूहिक सविनय अवज्ञा नहीं चल सकती । हड़तालके बारमें उन्होंने कुछ नहीं लिखा था । पर यह सब पत्र व्यवहार तब हुए जब मैंने सविनय अवज्ञा स्थगित कर दी । जिस तरहका अधिकार मैं जनतापर रखना चाहता था उस प्रकारका अधिकार मैं न रख सका और इसीलिये मैंने

सत्याग्रह आन्दोलनका स्थगित कर देना उचित समझा । स्वामी अद्धानन्दका मत था कि सामूहिक सविनय अवज्ञा चल ही नहीं सकती । पर मैं इस मतसे सहमत न था । मैं नहीं कह सकता कि आज भी उनके मतमें परिवर्तन हुआ है या नहीं । * उस समय सविनय अवज्ञाका स्थगित कर देना उतना ही आवश्यक था जितना कानूनको भंग करनेवालेको दण्ड देना आवश्यक है । मैं कमटीको हड्डताल और सविनय अवज्ञाके बीचके अन्तरको दिखला देना चाहता हूँ । हड्डताल केवल जनता और सरकारकी हृषिको आकर्षित करनेके लिये को गई थी और सविनय अवज्ञा उन लोगोंके आचरणकी परीक्षा थी जो सत्याग्रहके मन्त्रको स्वीकार करने जा रहे थे । भारतकी जनताकी मानसिन मितिको समझनेके लिये इस प्रकारके किसी अख्यके प्रयोगकी नितान्त आवश्यकता थी । हड्डतालसे मुक्त इस शातका पता लगाना था कि सविनय अवज्ञामें मुक्त कहातक भफलता सम्भव है ।

प्रश्न—यदि एक तरफ हड्डताल हो और साथ ही दूसरी तरफ सत्याग्रहको भी शिक्षा दी जाय तो क्या यह नहीं कहा जा सकता कि यह सब शान्ति भंग करनेकी प्रेरणायें हैं ।

उत्तर—मेरा अनुभव इससे विपरात है । हजारो पुरुषों, लियों, लड़के लड़कियां, बुढ़ादोंको एकात्रित होकर पूर्णशान्तिके साथ

* अकाली आन्दोलनमें उत्साहसे भाग लेना ही उनके मत परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रमाण है । उन्हें अवश्य विश्वास हो गया है कि सविनय अवज्ञा सामूहिक भी सम्भव है ।

कतार बांधकर जाते देखकर मैं चाकित हो गया । मेरी तो यही धारणा है कि यदि सत्याग्रहके व्रतकी उचित तरहसे शिक्षा न दी गई होती तो इतनो शान्तिके साथ हड़तालका निस्पादन असम्भव था । पर मैंने अभी बतलाया है कि हड़ताल और सर्विनय अवज्ञामे किसी तरहका भी व्यवहारिक सबंध नहीं है ।

इसके बाद लाई छाटके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए महात्माजीने अपनी गिरफतारीके सम्बन्धकी सभी बात कह सुनाई । उन्होंने कहा कि पलवालमे मुझे रोकना और वहाँसे पुलिसकी निगरानीमे मुझे बम्बई लोटावा गिरफतारीके अतिरिक्त और बया कहा जा सकता है । पर मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कहीं कहीं लागोंमें इसे गिरफतारी नहीं बतलाया है बल्कि गिरफतारीकी सम्भावना लिखा है । पलवालमे मुझपर नोटिस जारी की गई कि आप पञ्चाब और दिल्लीके अन्दर नहीं घुस सकते और बम्बई प्रान्तके आगे नहीं बढ़ सकते । जिस अफसरने यह नोटिस तामील की बड़ा ही सम्भव था । नोटिस पढ़कर मैंने पुलिसके अफसरसे साफ साफ कह दिया कि मैं इस आज्ञाको स्वीकार करनेके लिये तैयार नहीं हूँ । दिल्ली और पञ्चाब जाना मैंने निश्चय कर लिया है । मेरा उत्तर सुनकर उसने मुझसे कहा कि मिस्टर गांधी, इस अवस्थामें ऐसे छोटे स्टेशनपर हमे आपको गिरफतारकर बड़ी असुविधामें डाल देना होगा ; जब मैं पलवाल पहुंचा तो पुलिस सुपरिएटेएट दिल्ली अपने आदमियोंके साथ वहाँ मीजूद थे ।

उन्होंने मेरे कन्धे पर हाथ रखकर कहा कि मिं० गान्धी मैं आपको गिरफतार कर रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपने आदमियोंसे गाड़ीसे मेरा असचाब फैरन उतार लेनेके लिये कहा। यह सब हो गया। मैं कुछ पुलिस कांस्टेबिलोंकी निगरानीमें रख दिया गया। जितनी कार्रवाईयाँ हुईं, उनसे व्यक्त था कि सिवा गिरफतारीके और कोई बात नहीं थी। यहाँ तक कि थूकनेके लिये मैं एक बार उठकर लेटफार्मकी तरफ से लाइनका तरफ बढ़ने लगा तो एक पुलिस कर्मचारीने मुझे जानेसे रोक दिया। इससे मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि उस कर्मचारीने कोई अनुचित काम किया, क्योंकि मैं गिरफतार था और मुझे अपने मनसे कही जानेसे रोक कर वह अपने कर्त्तव्यका पालन ही कर रहा था।

इसके बाद महात्माजीने बयान किया कि जिस अफसरने मुझे गिरफतार किया था उसे यहाँ तक पता नहीं था कि मुझे किस गाड़ीसे, किस मार्गसे, किस प्रकार, कहाँ ले जाना होगा। जब मैं सचाई माधोपुर लाया गया और पञ्चाब मेलमें बैठाया गया तब मिं० वाडरिङ्गने एक दूसरे अफसरसं राय मिलाकर मुझसे कहा कि आप यहाँसे बम्बई ले जायें जायेंगे और वहाँ छाड़ दिये जायेंगे।

प्रश्न—जो नोटिस आपपर तामील को गई थी उसमें यही लिखा था कि आप दिल्ली या पञ्चाबमें घुसनेसे रोके जाने हैं! और उस नोटिसका यही अभिप्राय था :

उत्तर—नहीं, पालवाल तक जानेमें मैं कानून सुइ चुका था क्योंकि नोटिस पहले ही तामील की जा चुकी थी। इस लिये मुझसे लोट जानेके लिये नहीं कहा गया बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिसकी निगरानीमें बम्बई पहुंचाया गया।

प्रश्न—आपने जो कुछ कहा है उससे तो यह मतलब निकलता है कि सरकारने आज्ञापत्र द्वारा आपको सूचित किया था कि आपको दिल्ली और पञ्चाब जानेकी मनाही है, इस लिये आप इन प्रान्तोंमें नहीं घुसने पावेंगे पर यदि बम्बई प्रान्तमें हो रहना चाहें तो वहां आप सुखपूर्वक, स्वतन्त्रताके साथ विचर सकते हैं?

उत्तर—हाँ, यही मतलब था।

प्रश्न—तब तो इससे और आपको गिरफ्तारकर जेलमें भेज देनेमें कुछ भेद अवश्य है। क्या आप भी इसे स्वीकार करते हैं?

उत्तर—पर मैं तो इसके सम्बन्धमें कोई अन्य बात नहीं कह रहा हूँ। मेरा तो केवल यही कहना है कि सरकारको कोई अधिकार नहीं था कि वह मुझे इस प्रकार रोक कर मेरे शान्ति स्थापित करनेके कार्यमें बाधा डालती।

प्रश्न—पर यदि सरकारके हृदयमें इस बातका पक्का विश्वास जम गया हो तो आपके पञ्चाब या दिल्लीमें जानेसे अशान्ति और भी बढ़ जायगी, जिस आनंदोलनके कारण लोगोंमें पूर्ण

उत्तेजना आ रही थी उसीका प्रचार करने जो व्यक्ति जा रहा था वह लोगोंको और भी उत्तेजित कर सकता है ? ऐसी बाधामें उसकी उपरोक्त कार्रवाई जायज़ थी या नाजायज़ ?

उत्तर—उस विचारसे मुझे कुछ कहना नहीं है ।

प्रश्न—आपको गिरफतारीके बाद पंजाब, दिल्ली और अहमदाबादमें भीषण दुर्घटनायें हो गईं ?

उत्तर—हाँ ।

प्रश्न—यहाँ पर केवल हमें अहमदाबादकी दुर्घटनाके बारेमें कुछ पूछताछ करना है । मैंने सुना है कि अहमदाबादकी मिलोंके मज़र आपको बहुत मानते हैं, आपको उनमें बड़ी इज़ात है, वे आपपर प्राण दंनेके लिये तैयार करने हैं ?

उत्तर—हाँ ।

प्रश्न—मालूम होता है कि आपको गिरफतारीके सम्बादसे वे अतिशय उत्तेजित हो गये और भयानक कारण करनेके लिये तयार हो गये । जिसका परिणाम १०, ११, १२ अंग्रेज़की अहमदाबाद और चिरामगाँवका भीषण दुर्घटनायें हैं ।

उत्तर—हाँ ।

प्रश्न—इन दुर्घटनाओंके बारेमें आपको आँखों देखी कोई जानकारी नहीं है ?

उत्तर—नहीं ।

प्रश्न—मेरी समझमें इन घटनाओंके बारेमें आप कोई ऐसी बात हमलोगोंके सामने नहीं पेश कर सकते, जिससे सभी

दशाका ज्ञान प्राप्त करनेमें हमलोगोंको सुविधा हो, हमलोग अपना मत स्थिर कर सकें।

उत्तर—मुझे निर्क इतना कहना है कि अहमदाबाद और विरामगाँवको जनताने नितान्त अनुचित काम किया। उनका आचरण बड़ा बुरा था। किसी भी अवस्थामें उन्हें आपेसे बाहर हो जाना उचित नहीं था। इससे बढ़कर और कोई बात दुःखदायी नहीं हो सकती। साथ ही मुझे एक बात और कहनी है। सरकारकी कार्रवाई भी उचित नहीं थी। मुझे गिरफतारकर सरकारने अदूरदर्शितका काम किया। जिन लागोंमें मैं विच्छात हूँ, सही या गलत, जो लोग मुझे श्रद्धा भक्षिसे देखते हैं सरकारने उनकी कड़ी परीक्षा लेनी चाही। उसे जरा और समझारेसे काम लेना रहा। स्थिर होकर घटनाका पूर्वावर अवस्था पर जरा और विचार कर लेना था पर इससे मेरा अनिप्राय यह नहीं है कि उसका दोष अक्षम्य है और उसके मुकाबिलेमें जनताका दाय कुछ नहीं है। चलिक मेरा तो यह कहना है कि यदि किसी प्रकार सरकारका दोष क्षम्य हो सकता है तो जनताका आचरण सर्वथा अक्षम्य है।

इसके बाद महात्माजीने बतलाया कि मैंने अपनी शक्ति भर इस शोचनीय अवस्थाको सुधारनेका यत्न किया। मैंने अपनेको पूरी तौरसे अधिकारियोंके हाथोंमें सौंप दिया। मिठा प्रैट तथा अन्य प्रधान कर्मचारियोंके साथ मैंने सलाह मश-विरा किया। मेरी इच्छा थी कि १३ अप्रैलको मैं जनताकी

एक महती सभा कर'। पर मुझसे कहा गया कि उस दिन सभा करना असम्भव है क्योंकि कर्नेल फ्रेजरने मनाहीकी सूचना निकाल दी है। सभा करनेके लिये अधिकारीवर्ग मेरी हरतरहसे सहायता करनेको तैयार थे पर उनका कहना था कि आज लोगों तक सूचना नहीं पहुँचायी जा सकेगी। इस लिये १५ अप्रैलको सभा हुई। उस सभामें मैंने मारी घटना-का उल्लेख करके जनताकी निर्भत्स्ना की। कुछ लोगोंका कहना है कि मैंने उसी प्रसङ्गमें कहा था कि जिस तरहका आचरण आपलोगोंने किया है उससे आशंका हो सकती है कि इसके लिये आपने पहलेसे तैयारी किया था, आपका यह आचरण सुसँगठित और जानकारीमें हुआ है। बादमें यही शब्द मेरे और उन लोगोंके विरुद्ध अनेक वार प्रयोग किये गये। मैंने गुजराती भाषामें व्याख्यान दिया था। वास्तवमें उन शब्दोंका क्या अभिप्राय था और गुजराती भाषामें उनका क्या अर्थ हो सकता है इसका पता उन शब्दोंके प्रयोगसे तथा उस प्रसङ्गसे जाना जा सकता है। मेरा अभिप्राय केवल “साक्षरलोगोंसे” था और मैं मिस्टर चिम्पनलाल सिनलवाड़से प्रार्थना करूँगा कि वे उस भाषणको पढ़कर निश्चय कर लें कि उन शब्दोंका वास्तवमें क्या तात्पर्य है।

मेरा यह अभिप्राय नहीं था कि जनताकी कार्यवाही पूरी तरहसे सुसङ्गठित थी। इस प्रसङ्गमें भी मैं यही प्रार्थना करूँगा कि मेरा भाषण पढ़कर उन शब्दोंका शब्दार्थ और प्रासङ्गिक अर्थ

निश्चित कर लिया जाय। मेरे कहनेका केवलमात्र यही अभिप्राय था कि यह दुर्घटना जिस प्रकार हुई है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि मानों इसकी पहलेसे तैयारी की गई थी और वह सुसङ्गठित थी। उस सभामें मैंने जो कुछ कहा था केवल अहमदाबादके लिये कहा था क्योंकि उस समयतक मुझे अन्य स्थानोंको घटनाओंका कुछ भी पता न था और न मुझे यही मालूम था कि विरामगांवमें क्या दुर्घटना हुई है। मैं इस बातको स्वीकार करता हूँ कि घटनावलीको देखकर यही कहना पड़ता है कि यह उपद्रव सुसङ्गठित था पर उससे किसी तरह भी व्यक्त नहीं होता कि क्रान्तिके किसी तरहके भाव लोगोंके दिलमें जमे वैठे थे। अन्तमें मेरा यह कहना है कि एक बात आप लोगोंको मदा ध्यानमें रखना चाहिये कि मैं उस समय जनताको निर्भत्स्ना दे रहा था न कि किसी पुलिसके अफसरके सामने गवाही दे रहा था।

यदि मिस्टर गाइडरका यह कहना है कि मैंने अपराधियोंके नाम छिपाये और एकका भी नाम नहीं बताया तो वे मेरे प्रति घोर अन्याय करते हैं और इस बातको भूल जाते हैं कि मेरा क्या उद्देश्य था और साथ ही वे “सुसङ्गठित” शब्दपर अनुचित जोर दे रहे हैं। जनताने इनना भीषण उपद्रव क्यों मनाया, यह बुरा आचरण क्यों किया? इसका एक मात्र कारण श्रोमती अनुसूया साराभाईकी गिरफ्तारीका भ्रमपूर्ण सम्बाद था। अहमदाबादमें कुछ लोगोंका एक दल है जिन्होंने

थोड़ी शिक्षा प्राप्त कर ली है और वायस्कोपों, थेटरोंमें जा जाकर इसी तरहके भ्रमपूर्ण सम्बाद इकट्ठे करते हैं और उन्हें फैलाने हैं। उनके हृदयोंमें इस तरहके कान्तिकारी भावोंका आना गन्दे उपन्यासों और स्वमान्य नेताओंके द्वारा भी होता है। मैं उनसे मिल चुका हूँ और उनको उस भ्रमपूर्ण मार्गसे हटानेकी भी चेष्टा कर चुका हूँ। इस काममें मुझे सफलता भी मिली है। आज सैकड़ों आदमों हम आपके सामने पेश कर सकते हैं जो किसी समय उसी दलके उत्साही मेम्बर थे और कान्तिकारी वायुका सेवन कर रहे थे। पर अब वे उससे एकदम अलग हो गये हैं।

उस समयमें मैंने जो कुछ कहा था उसका यही अभिप्राय था जो कुछ मैंने अभी आपलोगोंके सामने बयान किया है। मैंने कभी भी नहीं कहा था कि इस उपद्रवमें कालेजके छात्र या प्रोफेसर मरमिलित हैं, मैंने यह भी कभी नहीं कहा था कि ये लोग ऐसा आचरण नहीं कर सकते हैं। पर मैंने केवल यह कहा था कि जहांतक मुझे मालूम है इसमें किसी पढ़े लिख समझदारका हाथ नहीं है जो इन अनपढ़ जनताको उत्तेजित करता रहा हो।

प्रश्न—क्या आपके कहनेका यह नात्यर्थ है कि सभी उप-द्रवी एक ही अभिप्रायको लेकर उठे थे और उन सबका एक ही लक्ष्य था ?

उत्तर—मेरा कभी भी यह मत नहीं है और न मैं ऐसा कही सकता हूँ। इस तरहकी कोई बात कहनी अत्युक्ति होगी। पर

मेरे चिचारसे इतना अवश्य संभव है कि प्रत्येक छोटे छोटे दल एक ही अभिप्राय और उद्देश्यसे काम करते थे।

प्रश्न—क्या यह आनंदालन इस तरहसे युरोपियनोंके विरुद्ध नहीं था?

उत्तर—मैं यह निःसङ्कोच कह सकता हूँ कि यह उपद्रव सरकारके विरुद्ध था पर युरोपियनोंके विरुद्ध था या नहीं, इसका निर्णय मैंने अभी तक नहीं किया है। पूरी तरहसे जांच करनेके बाद ही इस विषयमे मैं अपना स्थिर मत प्रगट कर सकता हूँ।

प्रश्न—मैं नहीं जानता कि आप इस प्रश्नका उत्तर दे सकते हैं या नहीं पर मैं इस प्रश्नको पूछता हूँ। क्या आप बतला सकते हैं कि सत्याग्रहके सिद्धान्तके अनुसार उन लोगोंको—जिन्होंने उपद्रव किया है—सिविल अदालत द्वारा सजा मिलनी चाहिये कि नहीं?

उत्तर—इस प्रश्नका ठीक उत्तर देना जरा कठिन काम है, क्योंकि सजाका अभिप्राय बाहरी शक्तिद्वारा दबाव डालना है। पर मैं यह नहीं कहना चाहता कि सिविल अदालत द्वारा दण्ड देना अनुचित है लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूँ कि इससे भी अच्छे तरोंके मौजूद हैं। मैं इनना जोर देकर कह सकता हूँ कि सजा सत्याग्रही दण्डसे कभी भी विचलित नहीं होगा और न भागेगा। यदि उसने सत्याग्रह किया है तो वह हरतरहके दण्ड भोगनेके लिये तैयार रहेगा और इसके लिये वह सरकारका विरोध किसी भी अवश्यामें नहीं करेगा।

प्रश्न—यदि सत्याग्रही इस तरहके उपद्रवके समाचार देकर पुलिसकी सहायता करता है तो क्या वह सत्याग्रहके सिद्धान्तको तोड़ता है ? क्योंकि सत्याग्रहके सिद्धान्तका कदाचित पहला नियम यही है कि सरकारको उसके काममें किसी तरहकी सहायता नहीं देनी चाहिये ?

उत्तर—सत्याग्रहके सिद्धान्तोंमें केवल यही लिखा है कि पुलिस जिन तरीकोंसे काम लेती है और अनुसन्धान करती है उनमें एक सच्चे सत्याग्रहीको किसी तरहसे हाथ नहीं बटाना चाहिये । पर यदि वह सरकारकी या पुलिसकी सहायता इस लिये करता है कि लोग (सरकार और पुलिस भी) कानूनोंकी मर्यादा ठीक तरहसे पालेंगे तो उसकी कार्यवाही सत्याग्रहके सिद्धान्तकी दृष्टिसे भी अनुचित और हैरान ही है ।

प्रश्न—मान लोजिये कि इस तरहके उपद्रवोंमें किसीने अतिशय भीषण अन्याचार किया और किसी सत्याग्रहीने ऐसा करते उसे देख लिया, ऐसी दशामें एक सच्चे सत्याग्रहीका क्या धर्म होना चाहिये ? उसें उचित है कि वह उसकी सूचना सरकारी कर्मचारीको दे दे या नहीं ?

उत्तर—इसके पहले ही मैंने इस प्रश्नका उत्तर मिस्टर गाइडरको दे दिया है और उसी उत्तरको मैं आपकी कमेटीके सामने भी दोहरा देना चाहता हूँ । मैं इस देशके नवयुवकोंको बुरे मार्गपर ले जाकर पथभ्रष्ट नहीं करना चाहता । पर यह कठिन है कि कोई भी नवयुवक अपने भाईके विरुद्ध गचाही दे ।

इस कथनमें मैंने जाति विशेष या देश विशेषके ख्यालसे कोई बात नहीं कही है। क्योंकि सत्याग्रहीको दृष्टिमें इस तरहके भेदभाव कोई महत्व नहीं रखते या यों कहिये कि वह इस तरहके भेदभावसे सर्वथा रहित है। इस अवस्थामें सत्याग्रहीको वही हालत है जो किसी अभियुक्तके वकीलकी होती है। मुझे बड़े बड़े भयानक गुनहगारोंका नाम याद है जिनको मैंने अनेक पापाचरणसे हटाया है। मैं उनमेंसे एकका भी नाम नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा करना उनके प्रति घोर विश्वासघात करना है। मान लीजिये कि मैं कुछ ऐसे लोगोंको जानता हूँ जो भोपण गुनाह करनेवालोंमेंसे हैं। मैं उनमें शामिल होकर उन्हें उस पापाचरणसे हटाना चाहता हूँ। कोशिश करनेपर भी मुझे सफलता न मिली। तो उस समय मेरा धर्म क्या होगा ? क्या मुझे उचित है कि मैं जाकर पुलिसको सूचित करूँ और उन्हें पकड़वा दूँ ? मुझे यह कहनेमें जरा भी सङ्कोच नहीं होता कि सत्याग्रहीका सज्जा धर्म यही है कि वह अद्वालतके सामने किसी भी अवस्थामें उन अभियागोंके खिलाफ गवाही देने न जाय जो उसकी आंखोंके सामने भी किये गये हों। पर इस रिद्दान्तका प्रयोग कठिन है और बहुत हो कम होना चाहिये क्योंकि मैं स्वयं निश्चय नहीं कर सकता कि यदि कोई व्यक्ति मेरे सामने गुनाह करते पकड़ा जाय तो उसके खिलाफ मैं गवाही देनेके लिये उद्यत होऊँगा या नहीं ।

प्रश्न—साधारणतया इस स्थितिके बारेमें आपकी क्या राय

उद्धर—सरकारने बड़े धैर्यसे काम लिया और उसे भीषण कठिनाईका सामना करना पड़ा । मार्शल ला जारी है ही । जिस गाड़ीमें फौज भर कर आ रही थी उसको उलटनेकी चेष्टा नितान्त अनुचित थी । यदि कोध और आवेशमें आकर वे फौजी सिपाही किसी तरहकी ज्यादती कर देते तो उन्हें दोष देना उचित नहीं होता क्योंकि यह स्वामाधिक है । मैं फौजी सिपाहियोंकी अवस्थासे भलीभांति परिचित हूँ । पर सैनिक शासनके सूचनाएँ जिस भाषामें निकाले गये थे उनका पढ़कर अनेक तरहके भ्रम उत्पन्न हो सकनेवाली सम्भावना थी । मुझे जहांतक पता लगा है विना सूचनाके लोगोंपर गोलियाँ चलाई गईं । मान लीजिये कि ह आदमी कही जा रहे थे और मार्गमें एक आदमी उनमें मिल गया जो उनका साथी नहीं था । केवल उसके मिल जानेसे सैनिक शासनके अनुसार वे दस हो गये ॥ पर पूरी तौरसे विचार करनेपर क्या उनपर गोली चलाना किसी भी दशामें उचित प्रतीत होगा । और जिन लोगोंको मार्शल लाको घोषणाका पता ही न था उनको सूचना देना किस कामका था ।

प्रश्न—सरकारकी ओरसे जो व्यास अदालत बैठी थी उसके बारेमें आपकी क्या राय है ?

३ सैनिक शासनमें इस बातकी घोषणाकर दी गई थी कि किसी भी स्थानपर सैनिक शासनका संसाकं भीतर यदि दस आदमी एक साथ जाते या परस्पर गोप्टा करते पायें जायेंगे तो उनपर फौरन गोली चलाई जायगी ।

—अनुबादक

उत्तर—सरकारके साथ युद्ध करनेका दोष लगाकर अभियुक्तोंको दण्ड देनेमें सरकारने भीषण भूल की। यह निःसंकोच स्वीकार किया जा सकता है कि उन खास अदालतोंने कानूनोंका जिस तरह प्रयोग किया था उस तरह उनका प्रयोग किसी असम्य देशमें भी नहीं हो सकता। अभियुक्तों पर जो दफाएं लगाई गई थीं उनकी चर्चा भी नहीं की जानी चाहिये थी। अभियुक्तोंका विचार करनेमें बड़ी जल्दीबाजी कीगई और इससे लोगोंकी बड़ी दुर्दशा हुई और कठिन यातनायें भोगनी पड़ीं जिनका न तो कोई परिमाण है न हिसाब है। अहमदा-बादकी गरीब और निर्धन जनतापर बेशुमार जुर्माना लगा दिया गया है और जिस प्रकार यह जुर्माना वसूल किया जा रहा है वह आवश्यकतासे अधिक कठार और उत्तेजक है। मैं दृढ़तासे कह सकता हूं कि आपने मिस्टर अम्बालालका जो मत अभी उद्धृत किया है उससे मेरा धोर मत भेद है। और मैं यह भी दृढ़तासे कह सकता हूं कि इस तरहका मत प्रगटकर मिस्टर अम्बालालने अपने देशभाईयोंके साथ धोर अन्यथा और अतिशय ज्यादती की है। मेरी समझमें बरंजडिह और नदियादमें अतिरिक्त पुलिस रखकर सरकारने बड़ी भूल की और किसी भी तरह वह अपने इस नीतिका समर्थन नहीं कर सकती। नदियादके कलकटरने जो दलील पेश की है उसको पढ़नेसे स्पष्ट मालूम हो जाता है कि उसमें कोई सार नहीं है, और प्रतिहिसाके भावसे प्रेरित होकर इतना अधिक जुर्माना

लगाया गया है। मुझे इस बातकी प्रसवता है और मैं यह अभिमानके साथ कहता हूँ कि नदियादकी जनताने फौजसे भरी गाड़ीको उलटनेमें किसी तरहका भाग नहीं लिया था वल्कि सरकारकी यथासाध्य सहायता की थी और अभियुक्तोंके गिरफ्तार करनेमें सरकारकी बड़ी मदद की थी। इस सहायताके लिये स्वानीय कलकृते उनकी बड़ी प्रशसा की है और कृतज्ञता प्रकाश की है।

जमिट्स रकिनकी जिरह

प्रश्न—मिस्टर गांधी, मैं आपसे इस घटनाके सम्बन्धमें कुछ नारीबोंको जनाना चाहता हूँ।

उत्तर—सत्याघ्र बतकी प्रतिक्षा फरवरीके तोसरे सप्ताहमें लो गई थी। उस समय तक रौलट एक्ट न० २ स्वीकृत नहीं हुआ था।

प्रश्न—इन ऐक्टके स्वीकृत होनेके पहलेही देशमें इसके विरोध करनेके लिये तरह तरहके मंसूबे गठे जा रहे थे? एक तरीका यह भी बतलाया गया था कि सरकारी मालगुजारी देना बन्द करके इन कानूनोंका विरोध किया जाय?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—मजिस्ट्रेटकी निकाली आज्ञाओंको भड़ करनेकी भी व्यवस्था थी?

उत्तर—मैं इसका विरोधी था। मैंने घोषणा कर दी थी कि

हड़तालके दिन पुलिसकी हर तरहकी आशायें विना किसी तरहके इतराजके मानी जानी चाहिये ।

प्रश्न—क्या आप अपने व्यानको किसी तहरीर द्वारा तमाम्बीक करेंगे ?

उत्तर—जो कुछ कागजी तहरीरें मेरे पास हैं उन्हें मैं अदा लतमें पेश कर दूँगा ।

प्रश्न—क्या आप दिल्ली जाकर अधिकारियोंका विरोध नहीं करना चाहते थे ? क्या आपका यह इरादा नहीं था ?

उत्तर—नहीं, मुझे अमृतसरसे डाकूर सत्यपालका पत्र मिला था कि आप यहां आकर लोगोंको सत्याग्रहका सिद्धान्त समझा दीजिये । इसी बीचमें स्वामी श्रद्धानन्दजीका दिल्लीसे पत्र आया कि आप इधरसे होते जाइयेगा क्योंकि यहांकी जनता हाथसे बाहर होती जा रही है ।

प्रश्न—वह आपको उद्धृत जनताकी शान्त करनेके लिये नहीं बुला रहे थे बल्कि सत्याग्रहके आनंदोलनको उन्नति करनेके लिये तो ।

उत्तर—नहीं, इस अभिप्रायसे उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था । स्वामी श्रद्धानन्दने लिखा था कि जनता मेरे हाथसे बाहर होती जा रही है, इसलिये आप यहां आकर लोगोंको शान्त कीजिये । मैं सत्याग्रहकी प्रतिष्ठाके अनुसार सरकारकी आशाओंको भेंग करनेके निमित्त वहां नहीं जा रहा था ।

मेरा विचार वहाँ जाकर सरकारी कर्मचारियोंकी सहायता करनेका था ।

मिस्टर रैकिनने महात्मा गांधीसे इस सम्बन्धमें लिखित कागज पत्र माँगा जिससे यह व्यक्त होता हो कि महात्माजीकी याचाका क्या उद्देश्य था ।

प्रश्न—मिस्टर गांधी, १५ अप्रैलको भाषण देते हुए आपने कहा था कि उपद्रवियोंकी कार्रवाईसे मैं लाचार हो गया नहीं तो मैंग इरादा एक बार फिर दिल्लीकी ओर जाने और अपनेको गिरफ्तार करनेका था ? मैं समझता हूँ कि आपका यह कथन केवल प्रासंगिक नहीं था ?

उत्तर—नहीं, मैंने पुनः दिल्ली जानेका दृढ़ कर लिया था ।

प्रश्न—गिरफ्तार होनेकी आपकी क्यों मंशा थी ?

उत्तर—मैं नवतक गिरफ्तार होना चाहता था जबतक इस प्रकारके अनुचित कानून उठा न दिये जायें ।

प्रश्न—जहाँतक मैं समझ सका हूँ सच्चे सत्याग्रहीका यह अभिप्राय न होना चाहिये ।

उत्तर—ऐसी बातें सत्याग्रही सदा नहीं करता । आत्म-पीड़ाके हेतु मैंने ऐसा करनेका इरादा किया था ।

प्रश्न—क्या आप समझते थे कि आपकी इस प्रकारकी गिरफ्तारीसे देशमें उत्तेजना फैलेगी और सरकार लाचार होकर उन कानूनों (रौलट ऐक्ट) को उठा देगी ।

उत्तर—कदापि नहीं। यदि मेरा यह इशादा होता तो मैं माथे दिलोंके लिये पुनः रचाना हो गया होता। तबतक मुझे अमृतसर तथा अन्य स्थानकी घटनाओंका कुछ भी पता नहीं था। जिस समय मैं गिरफ्तार करके बम्बई लाया गया उसके दूसरे ही दिन अहमदाबादसे बड़े ही जरूरी समाचार मेरे पास आये थे।

इसके बाद महात्माजीने बतलाया कि सविनय अवज्ञा क्यों खण्डित की गई और यह भी कहा कि यद्यपि मेरा विचार सविनय अवज्ञा पुनः प्रागम्भ करनेका था पर बम्बई सरकार छारा उसी समय लार्ड चेम्सफोर्डेंकी प्रार्थना पहुँची और मुझे उसके अनुसार पीछे हटना पड़ा। पर प्रचारका काम बराबर जारी रहा। दूसरी प्रतिज्ञा तैयार कराई गई जिसमे लोगोंको केवल सत्य और अहिंसा पर अधिक तत्पर रहनेके लिये कहा गया था।

प्रश्न—क्या यह बात सच नहीं है कि भारतके प्रायः प्रत्येक प्रान्तमे लोगोंने आपके सिद्धान्तका गलत मनलब लगाया और उसका दुरुपयोग कर अराजकताको अधिकाधिक फैलानेकी चेष्टा की?

उत्तर—मैं नहीं समझता कि आपकी बातें सर्वथा सत्य हैं।

प्रश्न—मिस्टर गांधी, इस प्रश्नके लिये मुझे क्षमा कीजियेगा। क्या आपकी आत्मा इस बातको नहीं स्वीकार करती कि आपने न्यायप्रिय भारत प्रजाके हृदयोंमेंसे न्यायके प्रति जो

अद्वा थी उसपर भीषण आघात करने और उसका मठियामेट करनेकी चेष्टा की थी।

उत्तर—इसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। कुछ आदमियोंके हृदयोंमें इस तरहके भाव तो हमने अवश्य भरे हैं।

प्रश्न—क्या इस बातको आप मानते हैं कि कितने ही प्रान्तोंमें—विशेषकर पंजाबमें—आपके सिद्धान्तोंके उलटे अर्थ लगाये जानेकी सम्भावना थी?

उत्तर—नहीं, कुछ लोग ऐसे थे जो इसका गलत माने समझ सकते थे। पर पंजाबके लिये तो आपकी आशंका सबवेषा निर्मूल है। मैंने अच्छी तरह जाँड़कर देखा है कि पंजाबके लोग सत्याग्रह ब्रतकी मीमांसाको सबसे अधिक समझ सके हैं और पंजाबमें जहाँ कहीं मैं गया, मैंने देखा कि लोगोंको इस दुर्घटनाका हार्दिक दुःख है।

प्रश्न—आपने अपने व्यानमें कहा है कि किन कानूनोंको भड़ा करना चाहिये, इसका निर्णय करनेके लिये जो कमेटी बनाई गई थी उसका अभिप्राय केवल नियन्त्रण था। तो क्या आप प्रत्येक प्रान्तके लिये ऐसा भिन्न भिन्न कमेटियाँ बनाता चाहते थे?

उत्तर—हाँ, प्रत्येक प्रान्तके लिये अलग अलग कमेटियाँ बनानेका निश्चय था। पर सर्वत्रके सिद्धान्तोंमें समता रखनेके लिये प्रत्येक प्रान्तकी कमेटियोंका मैं ही अध्यक्ष बनाया गया था।

मुझे इस बातकी आवश्यकता प्रतीत हुई कि प्रत्येक प्रान्त भिन्न भिन्न कानूनोंको तोड़े ।

यहीं पर महात्माजीने निष्क्रिय प्रतिरोध और सविनय अवश्यामें भेद बतलाया और कहा कि निष्क्रिय प्रतिरोधमें विरोधके तरीकोंका अन्त नहीं हो जाता ।

सर चिम्मनलाल शीतलबाड़ीकी जिरह ।

प्रश्न—जहांतक मेरी समझमें आया है सत्याग्रह वृतका अभिप्राय सत्यका पालन करना है और उस सत्यवृतके आचरणमें जो कुछ आपदायें उपस्थित हों उन्हें अपने सिरपर ओढ़ लेना है, पर किसी तरहकी हिंसा प्रवृत्तिको जगाकर दूसरोंको कष्ट देना नहीं है ?

उत्तर—ठीक है ।

प्रश्न—क्या यह सम्भव नहीं है कि सत्यका अन्वेषण करनेमें एक मनुष्य कितना भा तत्पर तथा दक्षचित् क्यों न हो, उसका मत अन्य सत्यान्वेषियोंसे भिन्न हो सकता है ? ऐसी अवस्थामें उचित मार्ग क्या है, इसका निश्चय कीन करेगा ?

उत्तर—ऐसी अवस्थामें उसी व्यक्तिको अपना निर्णय करना होगा ।

प्रश्न—सत्यके बारेमें तो भिन्न भिन्न व्यक्तियोंकी भिन्न भिन्न धारणा हो सकती है ? क्या इससे किसी तरहकी गड़बड़ी नहीं मच सकती ?

उत्तर—गड़बड़ीका कोई कारण नहीं प्रतीत होता ।

प्रश्न—पर शुद्ध हृदयतापूर्वक सत्यकी तलाश करना। प्रत्येक अवस्थामें, प्रत्येक व्यक्तिके लिये भिन्न भिन्न हो सकता है ?

उत्तर—इसीके लिये तो 'अहिंसा' की शर्त रखी गयी थी। यदि यह नहीं रहता तो गड़बड़ीकी सम्भावना थी।

प्रश्न—क्या इस बातको आवश्यकता नहीं है कि सत्याग्रहका बृत लेनेवाला उच्च आदर्शवाला, सदाचारो और प्रगाढ़ पण्डित हो ?

उत्तर—यह कोई आवश्यक नहीं है। प्रत्येक व्यक्तिमें इन गुणोंका पाया जाना यदि असम्भव नहीं तो नितान्त कठिन है। यदि गोविन्दने सत्यकी कोई मीमांसा की है तो उसपर मकुन्द और श्यामको चलता है तो मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि मकुन्द और श्याममें भी वही योग्यता हो जा गोविन्दमें है।

प्रश्न—मेरी समझमें आपका यह अभिप्राय है कि प्रकृष्ट चुदिवाला मनुष्य किसी सिद्धान्तको स्थिर करता है और निष्कृष्ट चुदिवालोंको उसे बांध मूँदकर स्वीकार करना पड़ता है और उसीपर आचरण करना पड़ता है ?

उत्तर—आपने गलत समझा है। मेरा कभी भी यह अभिप्राय नहीं है। मेरे कहनेका यहाँ तात्पर्य है कि यदि काई आदमा अपनी आत्माकी प्रेरणाके अनुसार स्वतन्त्ररूपसे सत्यका अव्यैषण नहीं कर सकता तो उस व्यक्तिकी सहायता लेना “चाहिये जिसने सत्यका पालन किया है और उसका सिद्धान्त स्थिर किया है।

प्रश्न—पर आपके सिद्धान्तमें तो यही बात देखनेमें आती है कि प्रब्रह्म वुद्धि और सदाचारी लोग सत्यकी मीमांसा करें और जिन लोगोंमें ऐसी योग्यता नहीं है कि वे अपनो वुद्धिसे सत्यकी जांच कर सकें या पता लगा सकें वे आंखें मूँदकर उसो सत्यका अनुकरण करें हैं ?

उत्तर—पर मैं उनसे उतना ही चाहता हूँ जितना साधारण वुद्धि रखनेवाला व्यक्ति कर सकता है ।

प्रश्न—मेरी समझमें आपके आन्दोलनकी शक्ति अनुयायियों की मात्रापर है ? यदि अधिक अनुयायी होंगे तो आपकी शक्ति प्रवल होगी ?

उत्तर—यह कोई आवश्यक बात नहीं है । सत्याग्रहकी-सफलता केवल एक व्यक्तिके आचरण पर भी सम्भव है यदि वह व्यक्ति सत्याग्रहके सिद्धान्तकी मीमांसा जानता है और उसका अनुसरण करता है ।

प्रश्न—मिस्टर गांधी, आपने अपने व्यानमें कहा है कि आप अबतक अपनेको भी सदा सत्याग्रही नहीं समझते । क्या इससे मैं यह अभिप्राय निकाल सकता हूँ कि आपसे नीचेके लोगोंकी अवस्था तो आपसे कहीं खराब होगी अर्थात् वे तो सत्याग्रहके सिद्धान्ताको और भी कम समझ सके होंगे ?

उत्तर—आपका तर्क स्मात्मक है । मैं अपनेको कोई असाधारण व्यक्ति नहीं समझता । ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सत्यका निर्णय करनेमें मुझसे अधिक योग्यता रखते हों ।

दक्षिण अफ्रीका के ४० हजार प्रवासी भारतवासी एक दमसे अशिश्वित और मूर्ख थे। पर उन्होंने हृदय से निश्चय कर लिया था कि वे सत्याग्रही होंगे। यदि आपको ट्रांसवाल की घटनाओं का वर्णन सुनाऊं तो आप चकित हो जायगे कि दक्षिणी अफ्रीका में आपके देश भाइयोंने किस साहस और आत्म संयम से काम लिया था।

प्रश्न—एर वहाँ पर आप सब एक मतके थे?

उत्तर—वहाँ से यहाँ की अवस्था किसी तरह भी खराब नहीं है। मतैक्यता की दृढ़ता यहाँ कही अधिक है।

प्रश्न—एक बात और थी। वहाँ आपका कर्तव्य निश्चित था और मार्ग निर्दिष्ट था। पर यहाँ वह बात नहीं है।

उत्तर—यहाँ की अवस्था भी ठीक वहाँ की सी है। यहाँ भी हमलोगों का मार्ग साफ है और कर्तव्य निर्दिष्ट है अर्थात् रौलट ऐकूका विरोध।

यहाँ पर महात्मा जीने बतलाया कि हमने जनता को यह बात भलीभांति समझा दिया है कि सत्याग्रह का बल हिंसासे कहीं प्रबल है।

प्रश्न—बराबर यातना सहते रहने के लिये असाधारण आत्म संयम की आवश्यकता है?

उत्तर—किसी तरह के असाधारण आत्म संयम की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्रत्येक माताको कितनी यातनाये भोगनी पड़ती है। मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है कि हमारे देशवासियोंमें

आत्म संयमकी अधिकता है और आवश्यकता पड़नेपर उन्होंने इसका उल्लंघन उदाहरण दिया है।

प्रश्न—अच्छी बात है। अहमदावादकी घटना तो अभी नहीं है। यहाँकी जनताने भी आत्म संयमका अच्छा परिचय दिया था?

उत्तर—मैं इस बारेमें अधिक नहीं कहना चाहता। पर मुझे केवल इतना ही कहना है यदि आप सारी भारतकी घटनाओंका पर्यवेक्षण करके देखेंगे तो आपको विदित होगा कि जहाँ कहीं उपद्रव हुआ है वहाँ यदि आपेसे बाहर हो जानेवालोंकी संख्या दस है तो आत्म संयमकी त्वरण सीमापर ढटे रहनेवालोंकी संख्या १०० है। अहमदावाद तथा अन्य स्थानोंकी घटनाओंसे यह साक्षित होता है कि यहाँके लोग अभी अपनी आत्मापर पूरा अधिकार नहीं कर सके हैं। पर खेरागढ़की जनताकी क्या अवस्था थी? पारसाल उनको उभाड़नेके लिये जो उत्तेजनायें दी गई थीं उनके मुकाबिलेमें उन्होंने असीम आत्म संयमका परिचय दिया था।

प्रश्न—क्या आपका यह अभिप्राय है कि हिंसाकी इस तरह प्रवृत्ति असम्भावित दुर्घटनायें हैं।

उत्तर—नहीं। पर इस तरहकी दुर्घटनायें बहुत ही कम हुई हैं और ज्यों ज्यों सत्याग्रहके मर्मको लोग समझते जायेंगे त्यों त्यों इनकी सम्भावना भी उठती जायगी। मेरी समझमें देशने इस सिद्धान्तके मर्मको भलीभांति समझ लिया है और इस बातकी आवश्यकता है कि सत्याग्रह एकबार पुनः जारी किया

जाय। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सत्याग्रहकी जिस आँचमें
इस समय देश तपाया गया है उसमें उसकी आत्मा और भी
उश्त नहीं गई है।

प्रश्न—साधारणतया आपके सत्याग्रह सिद्धान्तकी यही नीति
है कि सरकारसे पूर्ण असहयोग किया जाय, वर्ग बगे तथा
जाति और सम्प्रदायकी परस्पर घृणा वृत्तिको दूर किया जाय
और इसके हेतु हर तरहकी यातनायें उठायी और सही जायें।
क्या इस तरहकी यातनाओंसे घृणा और विद्वेष बढ़ नहीं
सकता?

उत्तर—मेरा तीस वर्षका अनुभव आपके परिणामके एक-
दम चिपरीत है। मैंने एक भी उदाहरण ऐसा नहीं पाया जहाँ
सत्याग्रहके ब्रतको स्वीकार कर दखड़ दिये जानेके कारण किसी
भी व्यक्तिने सरकारके प्रति किसी तरहकी कुचेष्टायें या असद्वाव
प्रगट किया हो। दक्षिण अफ्रिकाका उदाहरण ले लीजिये। भारत-
वासी लगातार १० वर्षेतक सरकारके साथ सत्याग्रहका भीषण
युद्ध करते रहे। पर युद्धके समाप्त होनेपर उनके मनमें किसी तर-
हकी मैल नहीं रह गई थी। दोनोंका सम्बन्ध प्रेमपूर्ण था और
पूर्ववत् बना रहा। जनरल स्मृत्सको भारतीय जनताने सर्व-
सम्मतिसे मानपत्र दिया था।

प्रश्न—क्या सत्याग्रहका ब्रत लिये बिना और प्रतिज्ञा पत्रपर
हस्ताक्षर किये बिना भी कोई व्यक्ति सत्याग्रह आन्दोलनमें भाग
ले सकता है?

उत्तर—हाँ, वही आ जानीसे । सविनय अवज्ञाके अंशको छोड़कर वह अन्य सभी अंशोंमें भाग ले सकता है । सर्वसाधारण जबतक व्रत प्रहण करके प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर न कर लें तबतक वे सविनय अवज्ञाके अंशको कार्यक्रममें नहीं ला सकते । इसीलिये जो सविनय अवज्ञा नहीं करना चाहते थे उनके लिये यह दूसरा प्रतिज्ञापत्र तैयार किया गया था कि वे हरतरहसे सत्यका पालन करेंगे और हिंसाको प्रवृत्तिसे दूर रहेंगे । उस समय मैंने सविनय अवज्ञा बन्द कर दी थी । चूंकि यह निष्ठ्य कर लिया गया था और सञ्चालकको यह अधिकार दे दिया गया था कि वह आवश्यकता और स्थितिके अनुसार सत्याग्रहके किसी भी अंशपर जोर दे सकता है, इसलिये मैंने सविनय अवज्ञाके अंशको छोड़ दिया क्योंकि इसका पालन जनताकी मानसिक स्थितिके बाहर था और सत्य पालनके अंशपर अधिक जार दिया और उसी पर उनकी दृष्टि आकृष्ट की ।

प्रश्न—क्या सत्याग्रह व्रतमें रौलट पेकूके विरोधकी चर्चा प्रत्यक्षरूपसे की गई थी ? क्या इस विषयमें आपसे और मिसंज एनी वेसेण्टसे किसी तरहका मतभेद था ?

उत्तर—बम्बईमें मुझे मालूम हुआ कि मिसंज वेसेण्टने भी सत्याग्रहका व्रत प्रहण किया है केवल उन्होंने कानून भड़क करने-के लिये जो शिफारिस कमेटी बैठाई गई थी उसीकी सत्ता स्वीकार नहीं की है । पर बादको उन्होंने कहा था कि मैंने सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा नहीं की है ।

प्रश्न—क्या उन्होंने यह नहीं लिखा था कि रौलट ऐकृ नम्बर एकका विरोध करनेका अभिप्राय अराजकता स्वीकार करना है ?

उत्तर—हां, उन्होंने इस विषयपर लेख लिखा था। पर निश्चय यह किया गया था कि रौलट ऐकृको किसी व्यवस्थित रूपसे तोड़नेकी चेष्टा न की जायगी।

प्रश्न—सत्याग्रह आन्दोलनका भीतरी भाव सरकारको तड़ करनेका है ?

उत्तर—कदापि नहीं। सत्याग्रहीकी आन्तरिक इच्छा कभी भी किसीको तड़ करनेकी नहीं रहती। वह सदा अपनी आत्माको सङ्कुटोंके सामने रख कर ही विजय लाभ करना चाहता है।

प्रश्न—पर क्या सत्याग्रह व्रतको चलानेमें सङ्कृष्टित सरकारका काम असम्भव नहीं हो जायगा ?

उत्तर—यदि कानून भड़ करनेवाले सच्चे सत्याग्रही है और पूणे अहिंसासे काम लेते हैं तो सरकारके कार्य सञ्चालनमें किसी तरहकी वाधा नहीं पड़ सकती। पर यदि सरकारने अपनी विचार शक्ति एकदमसे त्याग दी है तो उसका कार्य असम्भव कर देना ही उचित होगा।

प्रश्न—सत्याग्रह व्रत ग्रहण करनेवालोंके नाम आपने जो संदेशा भेजा था उसमें आपने लोगोंसे नम्र निवेदन किया था कि किसी भी तरह अहिंसाको शान नहीं दिया जाय, फिर भी

हिंसा हो ही गई। क्या इससे यह परिणाम नहीं निकलता कि साधारण प्रवृत्तिके लोगोंके लिये अहिंसात्मक रह जाना कठिन है?

उत्तर—अनेक कालसे जो लोग हिंसा पर ही चलते आये हैं उनके लिये इसका एकाएक त्याग कठिन है।

प्रश्न—मिस्टर गान्धी, हम लोगोंकी धारणा है कि इस उपद्रवके लिये पहलेसे ही सङ्घठन किया गया था और लोग तैयार किये गये थे। क्या इसकी पुष्टिके लिये आप कोई प्रमाण-यदि आपके पास हो—देकर हम लोगोंकी सहायता कर सकते हैं?

उत्तर—आप लोगोंकी धारणा ठीक है। मेरे पास इस सम्बन्धमें जो कुछ प्रमाण मौजूद हैं मैं विना किसी एतराजके आपके सामने रखनेको प्रस्तुत हूँ। पर मैं किसी भी अवस्थामें उन लोगोंका नाम नहीं बताऊँगा। उन प्रमाणोंसे यही विदित होता है कि उन लोगोंकी आन्तरिक कामना जानकी हानि करनेकी नहीं थी केवल मालकी हानि करनेकी थी। इस उद्देश्यसे १० और ११ अप्रैलको एक दल खड़ा किया गया था। इस विषयमें मैंने उन लोगोंके व्यापार लिये हैं जिनसे उपद्रव करनेके लिये कहा गया, जिन्होंने उपद्रव किया और करवाया और उन लोगोंका जिन्होंने उन घटनाओंको होते देखा था। मेरे पास इसके अनेक प्रत्यक्ष उदाहरण मौजूद हैं। मेरे पास अनेक ऐसे लोग आये जिनके पास शक्तिशाली थे और वे उन्हें मेरे

हवाले कर देना चाहते थे पर उन्हें साहस नहीं होता था। सूचना देनेवालोंमेंसे चन्दको मैं सिनाखत भी कर सकता हूँ पर सबको पहचानना कठिन है। आसपासके नगरोंसे अनेक लोग मेरे पास आये और अपने आचरणपर आन्तरिक खेद प्रगट करते थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो कुछ हमलोगोंने किया उसका प्रधान कारण हमलोगोंके हृदयमें आपके प्रति प्रेम और श्रद्धा भक्तिकी पराकृष्णा थी।

प्रश्न—मिस्टर गान्धी, आप यह किस तरह कह सकते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा, सच है?

उत्तर—मैं समझता हूँ कि मुझमें इनी योग्यता अवश्य है कि मैं सच झूटका पता लगा सकूँ। उन लोगोंने जनताकी उर्द्दो-जनाका दुरुपयोग किया और इस प्रकारके भाव उनके दिलमें भर दिये। खैरागढ़में गाड़ों उलटनेकी सारी जिम्मेदारी केवल दो या तीन व्यक्तियों पर है। तीनों पक्के शारीरी हैं। इससे मैं नहीं कह सकता कि उनकी यह कार्रवाई किसी चेष्टासे हुई है और उन्होंने इसके लिये पहलेसे ही प्रबन्ध किया था। मेरी तो यही धारणा है कि नगरवासियोंको इस दुर्घटनाका पता नहीं था नहीं तो इसके रोकनेकी अवश्य ही चेष्टा कीगई होती। जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसका आधार उन कनिपय मनुष्योंका व्यान है जिसके ऊपर मेरी असीम श्रद्धा है। मैं यह नहीं कह सकता कि जिन लोगोंको दण्ड दिया गया है वे वास्तवमें दोषी हैं व्यर्योंकी मुझे उनका नाम याद नहीं है।

मैंने सविनय अवज्ञा इसलिये बन्द किया कि मैंने देखा कि वर्तमान अवस्थामें यह सामूहिक रूपसे नहीं चलाया जा सकता। मुझे इस बातकी उतनी चिन्ता नहीं रहती कि लोग सत्याग्रहके ब्रतकी आन्तरिक असीम शक्तिकी मर्यादाको समझ लें जितनी इस बातकी कि सत्याग्रहके ब्रतमें दीक्षित न होते हुए भी उन्हें अहिंसासे दूर रहनेकी चेष्टा करनो चाहिये।

प्रश्न—आपने अपने पत्रमें 'सत्याग्रह' फिर कब जारी किया जायगा?' शीर्षक लेखमें लिखा था कि जनताको सत्याग्रहके लिये तैयार हो जाना चाहिये क्योंकि तभी सांग्रामिक सेनाकी नियुक्तिका काम पूरा और चरितार्थ होगा। क्या इससे आपका यह मतलब नहीं था कि सैनिक सत्ता प्रत्येक नगरमें स्थापित कर दी जाय ताकि लोगोंको कानून भंग करनेमें सुभीता हो।

उत्तर—मेरे शब्दोंका जो अर्थ आप लगा रहे हैं वह कहींसे भी नहीं निकलता। मैं इतना भाषण पाप करनेका दोषी कभी भी नहीं होना चाहता। जैसा मैंने अनुमान किया था मैंने पहली जुलाईको सत्याग्रह नहीं जारी किया यद्यपि मेरे इस आचरणसे मेरे अनेक साथी बड़े ही असन्तुष्ट हुए। मेरे सत्याग्रह आन्दोलन न आरम्भ करनेका एकमात्र कारण यही था कि भारतके बड़े लाट तथा बर्बादीके गवर्नरने मेरे पास लिखा था कि यदि आप सत्याग्रह आन्दोलन जारी कीजियेगा तो आपका यह देश केवल सैनिकोंसे भर दिया जायगा। इस बातको भलीभांति

समझकर तब आप पुनः सत्याग्रह आन्दोलनमें हाथ लगाहैये, और उन्हींकी बातोंपर मैंने आन्दोलनको स्थगित भी किया ।

प्रश्न—अहमदाबादके लोगोंपर जो अर्थदण्ड लगाया गया है उसके बारेमें आपकी क्या राय है ?

उत्तर—अर्थदण्ड लगानेका तरीका एकदम खराब है । उसके बसूल करनेका जो समय रखा गया है वह और भी खराब है । जिस तरहसे ये जुर्माने बसूल किये जा रहे हैं उनको देखकर दिल और भी घबरा उठता है । किसी किसी अवस्थामें तो ऐसे लाग भी इसके शिकार बना दिये गये हैं जिनसे इस दुर्घटनासे कोई किसी तरहका संबंध तक नहीं था । जो लोग अर्थदण्डसे बढ़ी कर दिये गये हैं उनके बारेमें मुझे कुछ नहीं कहना है और न मैं यहांपर अधिकारियोंके अधिकारके विषयमें ही कुछ कहना चाहता हूँ । हाँ, मैं अहमदाबादके कल्याणकी प्रशंसा किये विना नहीं रह सकता क्योंकि उन्होंने पूर्ण योहतासे काम लिया और अवसरके अनुकूल काम कियो ।

परिदृष्ट जगत नारायणकी जिरह

प्रश्न—महात्माजी, यदि सरकार अराजकता दबानेके लिये सैनिक बलका प्रयोग कर रही हो तो आप उसका विरोध करेंगे ?

उत्तर—कभी भी नहीं, पर अराजकताके अभियोगोंकी जांच भी तो साधारण फौजदारी कानूनके अन्तर्गत हो सकती है ?

प्रश्न—उपरकी बात जब आप स्वीकार करते हैं तब फिर आपने रौलट कानूनोंका विरोध क्यों किया ?

उत्तर—उसके विरोधको प्रधान कारण यह है कि उसके अन्तर्गत समस्त भारतके ऊपर कलंकका भावना है।

प्रश्न—आप जानते हैं कि राज्यमें सबकी रक्षाकी उचित व्यवस्था रहती है?

उत्तर—बचावकी मर्यादाके विषयमें यदि मेरी राय चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि मेरा अनुभव तो यही कहता है कि वे केवल दिखौआ और भ्रमात्मक ही नहीं हैं बल्कि भयानक फन्दे हैं जिसमें जाकर लोगोंके फँसनेकी अधिक सम्भावना रहती है। ये तो एक तरहके भ्रमजाल हैं और इनसे प्रबन्धकोंकी उच्छृङ्खलता और भी अधिक बढ़ जाती है।

प्रश्न—लोगोंका कहना है कि सत्याग्रह आन्दोलनसे सरकारके हाथपांच बंध जायगे। क्या आपको अपनी कार्रवाई-से इस बातकी आशंका नहीं है?

उत्तर—सरकारको तड़करना या उसका हाथपांच बांधकर उसका काम बन्द कर देना सत्याग्रह आन्दोलनकी आन्तरिक इच्छा नहीं है। इस कामके लिये तो अन्य साधारण राजनीतिक आन्दोलन चलाये जा सकते हैं। यदि सत्याग्रही देखता है कि उसकी कार्रवाईसे सरकार तड़क हो रही है तो उसका सामना करनेसे भी नहीं डरेगा।

प्रश्न—मेरी धारणा है कि प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलनकी सफलता उसके अनुयायियोंकी संख्यापर निर्भर करती है। मैं समझता हूँ इस विषयमें आप मुझसे सहमत होंगे?

उत्तर—यदि आचरण न्याय पूर्ण है तो उसमें संख्याकी कोई अवश्यकता नहीं ; और उन मामलोंमें प्रत्येक आदमी चाहे वह कुंच हो या नीच अपने दुष्खोंका प्रतीकार करा सकता है।

प्रश्न—पर आप इतनी चेष्टा तो अवश्य करना चाहेंगे कि आपके आन्दोलनमें यथासाध्य अधिकाधिक आदमी शामिल हो जायें ?

उत्तर—यह कोई आवश्यक नहीं। सत्याग्रहीकी विजय तो सच्चाई और उसके लिये संकट भोगनेके लिये उसके साहस पर निर्भर है।

प्रश्न—महात्माजी, मेरी समझमें यह नहीं आया कि राजनीतिक क्षेत्रमें एक आदमीकी बातें कौन सुनेगा ?

उत्तर—इसी धारणाको गलत साचित करनेकी तो मैं चेष्टा करता आ रहा हूँ।

प्रश्न—क्या आपका हृदृ विश्वास है कि कोई भी अंग्रेजी अफसर इस तरहके एकाकी प्रयासकी जरा भी परवा करेगा और उसपर ध्यान देगा ?

उत्तर—मेरा अनुभव तो यही कहता है। इतिहास भी इस बातकी साक्षी हैता है। केवल एकमात्र श्रीकेशवचन्द्र सेनके प्रयाससे लाड बेनटिंक, लार्डसे मिस्टर हो गये।

प्रश्न—पर केशवचन्द्र सेन असाधारण जीव थे।

उत्तर—असाधारण व्यक्ति कोई अलग नहीं उत्पन्न होते। कोई भी साधारण व्यक्ति अपने चरित्र बलका संगठन करके उस

पदपर पहुँच सकता है। मैं अपने देशवासियोंकी अयोग्यता देखकर दुःखित होता हूँ। शिक्षाके अभावके कारण उनमें सभी दोष बतलाये जा सकते हैं। उन्हें शिक्षित करनेकी नितान्त अवश्यकता है पर इसके माने यह नहीं है कि इन अनगढ़ लोगों-के हृदयोंमें सत्याग्रहके सिद्धान्तोंका पूर्णरूपसे जमा देना असम्भव है। सत्याग्रहके भाव इनके हृदयोंमें पूर्ण सफलताके साथ भरे जा सकते हैं, यह हमारा बहुत दिनोंका प्राचीन अनुभव है।

आपने सत्याग्रह और हड़तालमें भेद पूछा है। हड़तालसे सत्याग्रहसे कोई सम्बन्ध नहीं। नितान्त आवश्यकता पड़नेपर ही हड़तालहृषी अख्का प्रयोग करना चाहिये। मिस्र द्वारा निर्मिनके निर्वासन और खिलाफन आन्दोलनके अवसरोपर मैंने इस शब्दसे काम लिया था और मैं इसके प्रयोगमें पूर्णरूपसे सफल रहा।

प्रश्न—इन उच्छृङ्खल विदेशी अफसरोंके विरुद्ध प्रयोग करनेका आपके पास कोई अन्य अख्क नहीं था, इनीलिये आपने सत्याग्रह आन्दोलनका सहारा लिया। क्या मेरी यह धारणा ठाक है?

उत्तर—मैं इसका कोई ठोक उत्तर नहीं दे सकता। मेरी धारणाहै कि हमलोगोंको इस अख्कका प्रयोग आनेवाले जिम्मेदार शासनके विरोधमें भी करना पड़ेगा। क्योंकि विदेशियोंकी रक्षा-का तो ‘अनज्ञानकारीका’ साधन अब भी मोजूद है पर हमारे देशवासी ता इससे सदा वञ्चित रहेंगे।

प्रश्न—स्वराज्यके जो अधिकार हमें दिये जायेंगे उनके द्वारा हम मन्त्रियोंको हटा भा सकते हैं?

उत्तर—उस बातपर मेरा दिल नहीं जमता और न मुझे इसकी सम्भावनापर ही विश्वास होता है। इड्सलैण्डमें अबतक यह बात देखनेमें आती है कि कभी कभी मंत्री जनताका पूरा विश्वास खोकर भी अपने पदपर कायम रह जाते हैं। तो क्या इस बातकी इस देशमें और भी अधिक सम्भावना नहीं है। ऐसी दशामें स्वराज्य हो जाने पर भी सत्याग्रहको आवश्यकता पड़ सकती है।

प्रश्न—क्या आप चाहते हैं और समझते हैं कि सत्याग्रह आन्दोलनके आरम्भ हो जाने पर किसी तरहकी अशान्ति नहीं उत्पन्न हो सकती?

उत्तर—नहीं, मेरा ऐसा विश्वास नहीं है। याद मेरी और श्रीमती अनुसूयाकी गिरफतारीपर किसी तरहका क्षोभ न उत्पन्न हो तो मुझे आश्चर्य और असन्तान्ध होगा। पर वह क्षोभ या अशान्ति हिंसाका रूप नहीं धारण करेगा। सत्याग्रही दूसरेको यन्त्रणा सहते नहीं देख सकता। इसलिये एकके बाद दूसरा सत्याग्रही जेल जानेकी चेष्टा करेगा। इस तरहको गिरफतारीको में सदा ग्रोत्साहन देता रहता हूँ।

प्रश्न—११ अप्रेलका बम्बई पहुँचकर आप पिटोनी क्यों गये?

उत्तर—वहांसे हिंसा और उपद्रव आरम्भ होनेकी सम्भावनाके समाचार आये। इसीलिये मैं वहां गया।

प्रश्न—मैंने सुना कि वहांकी जनताने आपको बातें न सुनो?

उत्तर—यह कहना अनर्गल है कि वहांकी जनताने मेरी बातें

मानना स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने मेरी बातें सुनीं वे तुरत
मेरा अनुसरण करनेके लिये तेयार हो गये।

प्रश्न—मुझे मालूम हुआ है कि आप अपना सब काम बड़ी
फुर्तीके साथ सम्पादित करते थे पर बीमार रहनेका सदा बहाना
किया करते थे

उत्तर—आपको इस सम्बन्धमें जो कुछ मालूम हुआ है सब
गलत है।

प्रश्न—उसी सूचनामें लिखा है कि आप इतने भयभीत हो गये
कि आप भागकर एक मकानमें जा छिपे।

उत्तर—यह भी गलत है। मैं जनताके साथ अन्तिम क्षणतक
रहा। मेरीहो आंखोंके सामने घुड़ सवारोने जनतापर गोलियाँ चलाईं।
इसी विषयपर बातचीत करने मैं मिस्टर ग्रिफिथ्सके पास गया था।

मिस्टर केम्पकी जिरह

प्रश्न—आपने अभी कहा है कि अहमदाबादमें मार्शल ला
जारी करनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आपके इस कथ-
नका क्या आधार है?

उत्तर—मेरा यही दृढ़ विश्वास है।

प्रश्न—पर यदि संनिक अधिकारी मार्शल लाकी आवश्य-
कता बतलाते हैं तो ऐसी अवस्थामें आप क्या करेंगे?

उत्तर—जो कुछ सबूत मेरे पास मौजूद हैं उनसे मैं दृढ़ता-
पूर्वक कह सकता हूँ कि उन्होंने कभी भी इसकी आवश्यकता
नहीं बतलाई थी।

प्रश्न—आपने अमौ कहा है कि अनेक निर्दोष व्यक्ति भी मारे गये ?

उत्तर—हां, यह मेरा गवेषणा पूर्ण विचार है।

प्रश्न—क्या अपने इस कथनको पुष्टिके लिये आपके पास पर्याप्त प्रमाण है ?

उत्तर—अपनी धारणाको ढूढ़ करनेके लिये मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं।

प्रश्न—क्या आपने इसके संबंधमें मिस्टर चेटफील्डको लिखा था ?

उत्तर—हां, मैंने लिखा था।

प्रश्न—क्या उन्होंने कर्यादियोंको पेश करनेके लिये आपके पास लिखा था ?

उत्तर—हां, लिखा था।

प्रश्न—आपने उस पर कोई कार्रवाई की ?

उत्तर—मैंने उसपर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्टर चेटफील्डके पास लिखा उसके दूसरे ही दिन मार्शल ला उठा लिया गया। मेरी समझमें मिस्टर चेटफील्ड बड़े ही सज्जन अधिकारी हैं। चन्द्र घटोंमें उनकी नेक नियती और सचाईका पूरा अनुभव मुझे हो गया। इसलिये मैं उन बातोंको किसी भी प्रकार कहना उचित नहीं समझता जिसके कारण उनके आचरणपर किसी तरहका दोष आता हो। जहां कहीं उन्होंने भूल की है उसमें भी मैंने उनको उदा-

रता देखी है। मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि इस प्रश्न पर आप अधिक पूछताछ न करें। मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि अप्रेल मासमें बर्मर्ड सरकारने जिस साहस, धैर्य और सहिष्णुताका परिचय दिया उसके सामने शिकायतकी कोई बात नहीं रह जाती।

पर जब मैं सम्पूर्ण स्थितिकी पड़ताल करता हूँ तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अत्यन्त नम्रताके साथ उसकी भूलोंको भी बतला दूँ। और मैंने वेसा ही किया है। मैं इस बात पर जोर देकर कि चन्द्र बेक्सूर भी मारे गये इस शिकायतको बड़ा नहीं बना देना चाहता।

मिसूर केम्प—महात्माजी, इस बातको मैं बड़े हर्षके साथ स्वीकार करता हूँ कि आपका व्यान साफ, स्पष्ट और सच्चा है। अब आपको अधिक कष्ट नहीं देना चाहता।



सत्याग्रहकी सर्वव्यापकता

(जून २५, १९२०)

वह समय अभी बहुत ही दूर है जब प्रेमकी सर्वव्यापकता स्वीकार हो सकेगी। सरकारी कर्मचारी प्रजाके हृदयको एक दूसरेसे अलग रखनेके लिये स्वयं वाधारूप होकर बीचमे खड़े हो गये हैं। पर यूरोप और पूर्वीय एशियाकी हालकी घटनाका कच्चा चिट्ठा खोलकर देखें तो हमें तुरन्त विदित हो जायगा कि अब धीरे धोरे संनारके सभी लोग इस बातको समझने लग गये हैं कि व्यक्ति अकिंकी मांति जानि जातिके प्रश्नका निपटारा भी बलशक्ति द्वारा सफलता पूर्वक नहीं हो सकता। पर अमहायोगकी आर्थिक उपयोगिता सांग्रामिक और नाविक शक्तिसे कहीं प्रबल है और इसका प्रभाव उत्कृष्ट है। युद्धके बाद विजयी राष्ट्रोंकी भी क्या अवस्था हुई है। उनके सिरका बोझ हल्का होनेके बनिस्पत और भी बढ़ गया है। विजित राष्ट्रोंके पेट और व्यवसायका प्रश्न विजित और विजेता दोनोंकी चिन्ताका कारण हो रहा है। इस समय मित्रराष्ट्रोंकी सारी बुद्धि केवल इसी प्रश्नको हल करनेमें लगी है कि कौनसा उपाय निकाला जाय जिससे अपनी मर्यादा (विजेता होनेकी मर्यादा) की रक्षा करते हुए भी उसपर किसी तरहका

आघात न पहुँचाकर हमलोग विजित राष्ट्रको ऐसी दशामे ले आवें जिससे वह दिवालिया न बनकर सुखसे अपना दिन काटे और संसारका काम चल सके। अमरीकाके स्वतन्त्र दलने जिस अन्तर्राष्ट्रीय मन्तव्यकी सूचना निकाली है उसे पढ़ कर यही धारणा होती है कि सूदूर पूर्वीय देश अब इस बातका समझने लगे हैं कि राष्ट्र संघका अन्तिम लक्ष्य अख्य शब्द की बाढ़न हाकर अन्तर्राष्ट्रीय वहिष्कार होना चाहिये अर्थात् प्रत्येक राष्ट्रोंका परस्पर असहयोग। इतना कर लेने पर प्रेमके सिद्धान्तको स्वाकर कर लेनेमें कोई अधिक कठिनाई नहीं रह जायगी। इस मनके चरितार्थ करनेके लिये जब तक किसी नई शक्तिकी योजना नहीं की जायगी तब तक पुराने मनके प्रतिपादक इसे अव्यवहारक, मन मोदक कहकर इसकी हँसी उड़ावेंगे। इतिहासके पढ़नेवालोंको विदित होगा कि जिस समय पहले पहल भाफ द्वारा गाड़ी चलानेकी चर्चा चली थी उस समय घोड़ासे गाड़ी चलानेवालोंने व्यङ्गकी हस्ती हँसा थी पर जिस दिन उन्होंने यह देख लिया कि इसकी सहायतासे गाड़ी क्या, घोड़े भी एक स्थानसे दूसरे स्थानको ले जाये जा सकते हैं तब जाकर कहीं उनका विश्वास टूट दुआ। यही बात उस इत्तीनियरके बारेमें भी कही जा रही थी जिसने विजलीका ईजाद किया। पर जब उसने ताम्बेंके तारोंपर विजलीकी प्रवाहको दौड़ाकर दिखा दिया तो संसार मौंचकसा होकर उसका मुँह निहार-

ने लगा। इसी तरह प्रेमका अन्तर्राष्ट्रीय जाला अनन्त काल तक फैले, उसके फैलनेमें अधिक समय लगे पर अमरीकाके प्रजातन्त्र दलने जिस अन्तर्राष्ट्रीय असहयोगकी व्यवस्था को है उससे सच्ची उन्नतिकी सम्भावना है और इसके द्वारा सभी प्रश्न हल हो सकते हैं।

इसके संबंधमें सबसे प्रधान संवाद आयर्लैण्ड विषयक अफवाह है। लैण्डनके आवज्ञार पत्रने लिखा है कि ब्रिटिश सरकारके मन्त्री आयर्लैण्डसे मार्शल ला उठाकर, सैनिक बलका प्रयोग न कर उसके साथ पूर्ण असहयोग करना चाहते हैं। उसने लिखा है कि जबतक आयर्लैण्ड अपना होश नहीं सम्भाल लेगा उसे एक दमसे छोड़ दिया जायगा और उपेक्षाकी दृष्टिसे देखा जायगा। न तो वहां पुलिस रखी जायगी, न सेना रखी जायगी, न तो व्यवसाय रहेगा, न तो शिक्षाका प्रबन्ध रहेगा, न मालगुजारी रहेगी, और न रेलवे रहेगी। शासन व्यवस्थाका एक दमसे वहिष्कार किया जायगा। सत्याग्रहकी यही खूबी है। किसी संग्राममें कोई भी दल इसका उपयोग कर सकता है। उसमें नियन्त्रणके साधन हैं जो आपसे आप उस दलको सत्यनिष्ठा और न्याय परायणता व्यक्त करते हैं और ये उन्हींके लिये लाभदायक हो सकते हैं जिसमें सत्य और इमानदारीको अधिक मात्रा पाई जाती है। इसका प्रयोग राजा और रंक सभी बराबर कर सकते हैं। राजा और प्रजा दोनोंके लिये वे बराबर हैं। यदि राजा सच्चा है और प्रजा भ्रममें है और बदनि-

यतीसे काम करती है तो प्रजाकी हार होगी और यदि प्रजा उचित मार्ग पर है और राजा न्यायसे विमुख हो जाता है तो यह राजाके लिये धातक है। यदि युद्धमें सत्याग्रह अख्यासे काम लिया गया तो बनावटी आन्दोलन—अर्थात् जो आन्दोलन सच्चे दिलसे नहीं किया गया है और जिसके चलानेके लिये जबर्दस्ती शक्तिका संचय करना पड़ता है—का एक दमसे नाश हो जायगा। थोड़ी देरके लिये मान लीजिये कि किसी देशकी प्रजा अपना शासन करनेके अयोग्य है अथवा किसी उच्च आदर्श या महत्वपूर्ण सिद्धान्तके लिये बलिदान करनेके लिये भी तैयार नहीं है तो चाहे वह असहयोगको लेकर कितना भी शोर गुल क्यों न मचावे उसकी विजय नहीं हो सकती। मान लीजिये कि कोई सरकार अच्छी है, उसकी शासन व्यवस्था प्रजाके हित साधनके अनुरूप है, प्रजाके दुःख वास्तविक दुःख नहीं हैं प्रजा स्वमें है, या उसके दुःख इनने ओछे हैं कि उस सरकारसे प्राप्त वरकर्तोके मुकावले उनकी कोई गणना नहीं है, ऐसो अवस्थामें कोई भी दल असहयोग घत ग्रहण कर सकता है। इसका अन्तिम परिणाम यह होगा कि यिना किसी तरहके रक्तपातके विवादके प्रश्नका पूणतया निपटारा हो जायगा। चाहे इसका किसीको ज्ञान न हो पर महात्मा गांधीने इस बातको बराबर बतलाया है कि सत्याग्रहका अख्य राजा और प्रजाके लिये बर-बर लागू है अर्थात् जिस तरह राजाके विरुद्ध प्रजा इसका प्रयोग कर सकती है उसी प्रकार प्रजाके विरुद्ध राजा इसका प्रयोग कर सकता है। यदि यह बात सच है कि आयलैण्डकी अशान्तिकी औषधिके रूपमें इस शाखके प्रयोग पर विचार किया जा रहा है और यदि इसके प्रयोगकी सम्भावना है तो सत्याग्रहके सर्वव्यापकताका यहीं प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जायगा।

“बीती ताहि विसारि दे, आगेकी सुधि लेहु”

(नवम्बर ५, १९६८)

पारसालकी घटनाओंका चिट्ठा उत्तरता कठिन है। युद्ध समाप्त हो गया पर उससे कोई लाभ न हुआ। जिन आशा-ओंको वह सीच रहा था वे अब मुरझाने लगी है। जिस शान्तिको हम लाग स्थायी समझ रहे थे वह केवल नाममात्रको शान्ति निकला। जिस युद्धकी भीषणताकी तुलना महाभारतसे को जा सकती है उसका अन्तिम परिणाम क्या निकला? उसके अन्तिम परिणामको देखकर तो यही कहना पड़ता है कि यह युद्ध एक भीषण युद्धका आरम्भमात्र है। इस समय अमरीका, फ्रांस और इंग्लैण्डम् भीषण अशान्ति फैल रही है जिसकी कल्पनामात्रसे दिल दहल उठता है। जो कुछ हो रहा है वह एक पहेलीकी तरह है। भारतके काने कोनमें अस-लाप और निराशा झलक रहा है। सबकी पूण विश्वास था कि युद्धके बाद भारतको कुछ उपयोगी और भारपूण वस्तु मिलेगी पर सब आशा निराशामें परिणत हो गई। जो कुछ हम लोगोंको बिदित है उससे तो हम यही चाहते हैं कि शासन सुधारका कानूनीरूप न दिया जाय। पर यदि वे आनी गये तो सर्वथा बेकार होंगे। कांग्रेस लीग स्कीम, दिल्ली

कांग्रेसको स्कीम तथा इस तरहकी अन्य स्कीमें अब केवल हवाकी बाते नहीं रह गईं। अभी हम लोगोंको प्रतीक्षा करनी होगी। पञ्चाबमें महान् अवर्थकारी दृश्य उपस्थित हो गया। हजारों बेगुनाहोंकी जानें चली गईं। अत्याचारका राज्य स्थापित हा गया। राजा और प्रजाका भेद और भा अधिक बढ़ गया। इन सब बातोंकी असलियत निकालकर स्थितिका टीक पता लगाना कठिन है अर्थात् न्यायका पक्ष कितना प्रबल है और उसके साथ कितने अत्याचार लगे हैं, अथवा न्यायका अंश हो नहीं रहा है और हम लाग केवल अन्यायको लेकर काम करनेके लिये प्रस्तुत हैं।

क्या इस प्रकारकी निराशाके घार नमके बीचमें आशाकी पतलों पर निर्मल किरण अवशिष्ट शां? इसा समय है ठी अप्रेलको सारे भारतको प्रकाशित करनेके लिये सत्याग्रह सूक्यका उदय हुआ। निराशाका मंत्र इन्हर उधर तितर वितर हो गया और बीचमेंसे आशाकी उज्ज्वल किरणे दिखाई देने लगीं। पर उम उपानिषद्य सूर्यपर गहुकी कूर दृष्टि लगो हुई थी। पञ्चाब और अदमदावादमें उसने उसे यम लिया और उसकी (गहुकी) मीषण छाया आज भी हम लोगोंका पाढ़ा कह रही है। पर तो भी लोगोंके हृदयमें सत्याग्रह धीरे धीरे अपना दृढ़ आसन जमाता चला जा रहा है। हड्ताल सर्वव्यापी थी। अधिकांश स्थानोंमें पूर्ण शान्तिसे बीती। जिन्हें सत्याग्रहपर पूरा विश्वास था उन्होंने उपवास किया और प्रार्थना तथा अराधना आदिमें दिन

विताया। मुसलमानोंपर (खिलाफतके कारण) जो विपक्षिका पहाड़ गिरा था उसमें हिन्दुओंकी सज्जी सहानुभूति थी। इससे मुसलमानोंकी आशालता और भी हरी भरी हो गई और दोनोंका सम्बन्ध और भी दूढ़ हो गया। यह सम्बन्ध इतना दृढ़ हो गया है कि उसका तोड़ना अतिकठिन है।

यदि कोई प्रश्न करे कि गत वर्ष कौनसी उल्लेख योग्य और महत्वपूर्ण घटना हुई तो हमलोग निःमङ्गोच कह सकते हैं कि राजा और प्रजा दोनोंने सत्याग्रहका बत ग्रहण किया। उस बतकी मर्यादा किन्तु भी कम क्यों न हो, चाहे उसे अनजानमें ही क्यों न स्वीकार किया गया हा। अपने कथनके समर्थनमें हम २७ अक्टूबरका उल्लेख कर देना हो पर्याप्त समझने हैं।

भारतकी सम्पूर्ण आशाका फलवत्ता होना एकमात्र सत्याग्रहपर निर्भर है। पर सत्याग्रह है क्या ? समय समयपर हमने इसकी मीमांसा की है। जिस तरह सहब्ब मुख्यवाले द्वेषनाग भी सूर्ये भगवानकी व्याप्ति पूर्ण रूपमें नहीं कर सकने, उसी प्रकार सत्याग्रह सूर्योंका वर्णन करना भी अति कठिन कार्य है। वह नहीं हो सकता। जिस प्रकार हम लोग सूर्यको प्रतिदिन सुबहसे शामतक देखते रहनेपर भी उसके बारेमें बहुत कम जानते हैं उसी प्रकार हम लोग सत्याग्रह सूर्यको देखते रहनेपर भी उसकी उपर्योगिताके बारेमें बहुत कम जानते हैं।

सत्याग्रहकी परिधि (सोमा) के अन्दर तीन बातें आ जाती हैं :— स्वदेशी, सामाजिक सङ्गठन और राजनीतिक सुधार।

इनका स्थायी सुधार तभी हो सकता है जब इनका आधार सत्याग्रह हो, नहीं तो इसकी कोई आशा नहीं है। आज तक ससार जिन उपायोंका अचलमन करके इन बातोंकी प्राप्ति करता आया है उनसे सत्याग्रहका मार्ग एकदम भिन्न है। और उसके मार्गका पता लगा लेना महज काम नहीं है। उस मार्गका अनुसरण करके चलनेका साहस अभीतक बिल्ला ही किसीने किया है। इसलिये ऐसा कोई उदाहरण भी इतिहासमें बतेमान नहीं है जिसकी रेखा या पद्धतिका अनुकरण करके लोग आगे बढ़ सकें। इसीसे लोग सत्याग्रहके नामसे डरते हैं। पर ऐसे लोगोंका अभाव नहीं है जो यह सब जानकर भी उसको स्वीकार करनेको तैयार हैं और उस मार्गपर अनवरत बढ़ रहे हैं यद्यपि उनकी गति अभीतक मन्द है।

जिन लोगोंकी दृष्टिमें सत्याग्रहका अभिप्राय केवल शान्तिमय असहयोग है अर्थात् जो लोग शान्तिमय असहयोगको ही सत्याग्रहका सर्वेसर्वा मानते हैं उन्होंने सत्याग्रहका मर्म नहीं समझा है। यह निर्विवाद है कि सत्याग्रहकी सीमाके अन्तर्गत सविनय अवश्या आ जाती है पर यदि सत्याग्रहकी परिभाषा सब तरहसे बटोर कर को जाय। पर सविनय अवश्याको सफलता पूर्वक वही चरितार्थ कर सकता है जिसने कानूनकी मर्यादाको पालन करनेमें प्रवीणता प्राप्त कर ली है। कहा भी है कि किसी वस्तुको ढहानेका साहस उसीको करना चाहिये जो उस वस्तुका पुनः निर्माण कर सकता है। कवियोंने भी कहा है :—

“सत्यके मार्गका अनुसरण केवल साहसिक योद्धा ही कर सकते हैं, दुर्वल आत्माओंकी शक्तिके यह बाहर है।”

स्वदेशीका व्रत सत्याग्रहका व्रत है। दुर्वल आत्माओंमें इतना साहस कहाँ कि वे स्वदेशीका व्रत प्रहण करे और उसका पालन करे। दुर्वल आत्माये हिन्दू मुसलमानोंमें मेलका प्रचार भी नहीं कर सकतीं। यदि एक मुसलमान हिन्दू पर आघात करे या एक हिन्दू मुसलमानपर आघात करे तो उस तीव्र चोटको धैर्य पूर्वक वर्दाश्त कर लेना सहिष्णुताकी पराकाष्ठा है। क्या इसकी आशा दुर्वल आत्माओंसे की जा सकती है? यदि इस नरहके सहिष्णुताके नाम दिन्दू और मुसलमान दोनोंमें आ जायं तो स्वरात्य चुटकी बजाने प्राप्त हो जा सकता है। सत्याग्रहके मार्गपर चलतेमें हमें कोई रोक टोक या विघ्न चाहा नहीं है। हमें कोई मना करनेवाला भी नहीं है। स्वदेशी और हिन्दू मुसलमानोंका मेल दानों बानें सत्याग्रहके अङ्ग हैं और धार्मिक हैं। भारतवर्ष धार्मिक देश है। इसलिये हमें पूर्ण आशा है कि इस धर्माचरणमें भारत दृढ़तासे डटा रहेगा और कभी भी पीछे कदम नहीं हटावेगा। इन नये सालके समारोहमें हमारी यही प्रार्थना है :—

“द्यामय, इस पूण्य भूमिको सत्यका मार्ग दिखलाइये, इस धर्मशील देशको स्वदेशीके धर्ममें दीक्षित कीजिये और भारत माताकी प्रत्येक सन्नानको—चाहे वे हिन्दू हों, मुसलमान हों, इसाई हों, पारसी हों या यहूदी हों,—सबको सौजन्यता, प्रेम, सद्गुर और पक्ताके दृढ़ वन्धनमें वांध दीजिये।”

लीडरकी भूल ।

(जनवरी २८, १९२०)

प्रयागका लीडर पत्र इस बातके फैरमें पढ़ा है कि सत्याग्रह आन्दोलनकी बुराई करनेमें वह मध्यसे आगे बढ़ा रहे। इस हेतु हस्टर कमेटीके सामने महात्माजीने जो बयान दिया है उसमेंसे कुछ अंश उद्धत करके सत्याग्रह आन्दोलनकी हीनता दिखलानेमें वह इतना व्यग्र है कि वह यह बात भूल ही गया कि महात्माजीने लिखित बयान भी दिया है और उसपर विचार नहीं किया। अपने बयानमें महात्माजीने स्वीकार किया है कि 'सत्याग्रह आन्दोलनसे चन्द लोगोंके हृदयमेंसे न्यायकी मर्यादा कुछ कालके लिये उठ गई थी।' इसी बातको लेकर लीडरने आकास पाताल एक करते हुए इस बातको सावित करना चाहा है कि सत्याग्रह आन्दोलनसे क्या भीषण परिणाम हो सकता है। उसने लिखा है—'क्या सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ करनेमें महात्माजीने जल्दी नहीं की? क्या रौलट ऐकूंको रह करनेके न्यायसङ्गत और इससे सहल अन्य तरीके बेकार हो चुके थे?' इस तरह अपने मनको तमल्ही देकर कि सत्याग्रह आन्दोलन कुसमय आरम्भ किया गया वह सार्वजनिक हित साधनके लिये चरित्र बल तथा मानसिक अन्य गुणोंकी आवश्यकताकी वही

पुरानी डफली पीटता है। अन्तमें उसने लिखा है :—‘सब साधारणमें यह योग्यता नहीं है कि वह सत्याग्रहके सिद्धान्तोंको सफलता पूर्वक अड़ीकार कर सकें।’

महात्मा गान्धीने हण्टर कमेटीके सामने बयान देते हुए इन सभी एतराजोंका पूरी तरहसे उत्तर दिया है। सत्याग्रह आन्दोलनके कुसमय आरम्भ करनेके विषयमें महात्माजीने अपने बयानमें कहा है :—“लाई चेम्सफोर्ड तथा उन अन्य अंग्रेज अफसरोंके सामने—जिनसे मैं मिलने गया—मैंने विनीत भावसे नम्र निवेदनके साथ अपने हृदयके भाव प्रगट किये पर सभोंने एक ही उत्तर दिया—हम लाचार हैं, हम लाचार हैं……हम लोगोंके हाथमें जितने भी अन्य उपाय थे जिनका हम सहारा ले सकते थे हमने लिया।” व्यवस्थापक समाके सभी गैरसरकारी सदस्योंने इस कानूनका घोर विरोध किया। सारे देशने इसका एक स्वरसे विरोध किया। प्रत्येक स्थानपर सभायें की गईं और हजारों तथा लाखोंकी संख्यामें उपस्थित होकर जनताने एक मतसे अपनी नाराजी जाहिर की। इस कानूनका विरोध करनेमें कहीं भी मतभेद नहीं था। ऐसी अवस्थामें हमारी समझमें कोई न्याय सङ्कृत और सहल तरीका नहीं रह गया था जिसका प्रयोग नहीं किया गया हो। कदाचित हमारे सहयोगीको कोई ऐसे गुप्त तरीके मानूम हों। यदि ऐसा कोई उपाय या युक्ति शेष रह गई थी तो महात्मा गान्धीने सत्याग्रह आन्दोलन खगित करके उन लोगोंको जो अवसर दिया उसमें उन नेताओंने

इसकी समीक्षा परीक्षा अवश्य की होगी। प्रायः हमास हाते हैं कि महात्मा गान्धीजीने अब्दुल अजीजके पत्रके उत्तरमें निम्न लिखित शब्द लिखे थे :—

यदि आपके पास सविनय प्रतिरोधके अतिरिक्त और कोई उपचार है तो आप उसका प्रयोग अवश्य कीजिये और यदि आपको सफलता मिली तो सत्याग्रह आपसे आप ही मर जायगा। जितने दिनोंतक सत्याग्रह रुका रहेगा उतने दिनोंतक आपको तथा उन अन्य नेताओंको—जो कि सत्याग्रहको हीआ समझ कर उससे डरते हैं—अपने अपने तरीके बरतने का और उससे अभिवाञ्छित फलकी प्राप्तिका अच्छा अवसर मिला है। आप लोगोंको अपनी शक्तिभर चेष्टा कर लेनी चाहिये।”

दूसरे महात्माजीके व्यापका वही अंश लेकर कि ‘सत्याग्रह आन्दोलनसे कितने ही लोगोंके हृदयमें कानूनकी मर्यादाकी अवस्थाके भाव आ गये हैं’, लीडर पत्र लिखना है कि यदि सत्याग्रह आन्दोलन कुछ समय तक और जारी रहता तो इसका विषेश असर और भी बहुत लोगों पर पड़ा होता और इससे बहुत बुरा परिणाम निकलता। लीडरकी आशंका तो यहां तक चढ़ गई है कि इस आन्दोलनसे लोगोंके हृदयोंमें अराजकताके भाव उदय होनेकी भी सम्भावना थी। पर अपनी इस आशङ्काके समर्थनके लिये न तो लीडरने किसी घटनाका उल्लेख किया है और न तर्कसे ही काम लिया है। हमारी तो यही धारणा है—और यही यथार्थ है—कि सत्याग्रह

आनंदोलनकी ही बरकत थी कि सरकारकी इस प्रकारकी अनुचित कार्रवाईयोंके होनेपर जो परिणाम निकलता वह न घटित हो सका। इसमें कोई सन्देह नहीं कि लोगोंके हृदयोंमें कानूनको नरफसे एक प्रकारका जो हौआ समाया था वह तो दूर होगया, पर उनके हृदयमें कानूनको आरसे एक प्रकारकी असीम श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। क्योंकि वे लोग समझने लग गये हैं कि समाजकी स्थिति और उसकी उन्नतिके लिये कानूनकी आवश्यकता अति प्रबल है।” सत्याग्रही राज्यके कानूनोंका इस भयसे स्वीकार नहीं करता कि अन्यथा वे उम्मपर जबर्दस्ती मढ़ दिये जायेंगे बल्कि इन लिये कि वह जिस समाज न रहता है उसके हित तथा कल्याणके लिये वह उन्हें आवश्यक समझता है, और यदि कभी अपना मर्यादा-तथा आत्मगौरवकी रक्षाके लिये वह किसी कानूनकी नाड़ता है तो वह अपनी कार्रवाई खुली रखता है और शान्ति भंग नहीं होते देता। इसलिये उसकी कार्रवाईसे सरकारको तंग होनेका भय नहीं रहता। दक्षिण अफ्रिका, चम्पारन तथा बीरागढ़के अपढ़ु किसानोंने जिस दृढ़ता तथा बीरनाके साथ इस आनंदोलनका पकड़ा था उसका इतिहास पढ़कर सत्याग्रहकं आत्मनिप्रहपर किसी नगहका सन्देह नहीं रह सकता। रीवट ऐकूके विरोधके अवसरको ही ले लीजिये। सरकारकी तरफसे उसे जनाके प्रत्यक्ष साधन संग्रह कर दिये गये थे पर जनता अन्त तक शान्त रही, सत्याग्रहकी शान्तिप्रियताका ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित किया और यदि कहीं एकाध स्थानोंपर लोगोंने आत्म

संयम खो दिया और उपद्रव कर बैठे तो वहां भी सत्याग्रहियोंकी तरफसे कुछ नहीं हुआ था। उस अवस्थामें भी वे न्यायकी मर्यादा पालने ही जा रहे थे। लीडरने लिखा है—‘इन उपद्रवोंकी सारी जिम्मेदारी सत्याग्रह आन्दोलनके ऊपर है। यदि आज सत्याग्रह जारी न किया गया होता तो इस तरहके उपद्रवोंके उठनेकी सम्भावना ही न थी।’ पर बास्तवमें बात ऐसी नहीं है। उपद्रव होनेको प्रधान कारण यह हुआ कि लोगोंने सत्याग्रहका पूरी तरहसे प्रचार नहीं किया और लोगोंमें अभी तक इतनी सहनशीलता नहीं आ गई है।

इन बातोंके उल्लेख कर देनेके बाद भी क्या लीडरकी यही धारणा बनी रहेगी कि सत्याग्रह आन्दोलन—जिसका आधार सत्यबल और अहिंसा है—जनतामें प्रचार करने योग्य नहीं है। यदि अब भी उसकी यही धारणा रह गई तो हमें बाध्य होकर लिखना पड़ेगा कि उसमें न तो मानव प्रकृतिको समझनेकी योग्यता है और न उसका इसमें विश्वास है कि भलाई बुराई पर अवश्य विजय पा सकती है।



छठीं और तेरहवीं अप्रैल ।

—२४७—

मार्च १०, सन् १९२० के बंग इण्डिया में महात्मा गांधीने अपनामसे निम्न लिखित लेख प्रकाशित किया है :—

छठीं और तेरहवीं अप्रैल ने प्रत्येक भारतवासीके हृदयपृष्ठ आसन जमा लिया है। ये दोनों पवित्र तिथियाँ कभी भूली नहीं जा सकतीं। छठीं अप्रैलको भारतमें जागृतिके बीज रोपण हुए थे। सारे देशमें एक नई स्फूर्ति पैदा हुई थी, न शक्तिका संचार हुआ था और १३ वीं अप्रैलको बेगुनाहों खूनकी नदियाँ बहाई गईं जिससे पंजाब प्रान्त प्रत्येक भारतवासीके लिये पवित्र पुण्यक्षेत्र हो गया। छठीं अप्रैलको सत्य ग्रहका जन्म हुआ। सत्याग्रहके सविनय अवज्ञावाले अश्व मतभेद हो सकता है पर इसपर किनी प्रकारका मतभेद न हो सकता कि सत्यबल, शान्ति और अहिसाका यह एक पवित्र शब्द है। सत्यके साथ अहिसाका मिलाकर आप संसार प्रबलतम शक्तिका दमन कर सकते हैं। सत्याग्रहका मर्म राजनेतिक जीवनमें अर्थात् राष्ट्राय जीवनमें सत्य और विनय समाविश करना है। अब चाहेकोई सत्याग्रह बन ग्रहण करा न करे पर इतना तो निश्चय है कि प्रत्येक व्यक्तिके हृदय सत्याग्रहने अपना खान बना लिया है। पंजाबमें भ्रमण का

समय मुझे लाखों पंजाबियोंसे मिलने और बातचीत करनेका अवसर प्राप्त हुआ था और उससे मैं इसी परिणाम पर पहुंचा हूँ।

सत्याप्रहके जन्मके अलावे छठीं अप्रैल अन्य दो प्रधान और महत्व पूर्ण घटनाओंके लिये चिरस्मरणीय रहेगी। इसो दिन मुसलमान और हिन्दूकी एकताकी पहली गांठ बैंधी और स्वदेशीका ब्रत ग्रहण किया गया।

छठी अप्रैलने ही रौलट ऐकृपर भाषण आधात किया और उसका सदाके लिये मृत घना दिया। १३ चौं अप्रैलका स्मरण केवल इसीलिये नहीं किया जाता कि उस दिन बेगुनाहोंका रक्त नाहक बहाया गया था बल्कि इसलिये कि उस दिनकी दुर्घटनासे हिन्दू मुसलमानोंका रक्त एकही धारामें होकर बहा और हिन्दू मुस्लिम एकताकी गांठपर पक्का मुहर करता गया।

इन दो राष्ट्रीय पुण्य तिथियोका उत्सव किस प्रकार मनाना चाहिये। मेरा विनीत प्रार्थना है कि जो लोग कर सकते हों वे लोग आगामी छठी अप्रैलको (२४ घटेका) उपचास ब्रत कर और प्रार्थना करें तथा सात बजे शामको प्रत्येक स्थानपर सभाये करके रौलट ऐकृका विरोध किया जाय कि जब तक भारत सरकार इन अवर्गल कानूनोंको रद्द नहीं कर देती प्रजाओंके चित्तमें शान्ति नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि रौलट ऐकृ मुद्रा हा गया है अर्थात् भूलकर भी उसके प्रयोग-को चेष्टा नहीं की जायगी पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। जब

तक वह कानूनकी पुस्तक पर है, हमारे अपमानका कारण है। इसलिये उसका न होना हो चाहिये। इसलिये उसे यथाशीघ्र रह कर देना चाहिये। यदि शामन सुधारोंके पूर्व ही भारत सरकारने इसके रह करनेकी योजना कर दी तो यह भी उसकी सदिच्छाका एक ज्वलन्त प्रमाण समझा जायगा।

यह सप्ताहका सप्ताह (अर्थात् छठी अप्रेलसे लेकर नेरहवी तक) १३ वीं अप्रेलकी दुर्घटनासे संबन्ध रखने वाले किसी शुभ कार्यमें विताना चाहिये। इसलिये हमारी राय है कि इस सप्ताहमें जलियांवाला बागके कोषके लिये चन्दा बसूल करना चाहिये। हमलोगोंको स्मरण रखना चाहिये कि इस निमित्त हमें १० लाख रुपये इकट्ठे करने हैं। प्रत्येक ग्राम या नगर अपनी सुविधाके अनुसार चन्दा संग्रह करनेकी व्यवस्था कर सकता है। पर प्रत्येक अवस्थामें इस बानका ध्यान रखना चाहिये कि कोई व्यक्ति धोखेवाजीसे इस द्रव्यका दुरुपयोग नहीं करता। चन्दा संग्रह करनेका काम १२ अप्रेलकी शाम तक समाप्त हो जाना चाहिये।

१३ वीं अप्रेलको उपवास व्रत करना चाहिये और प्रार्थना करना चाहिये। उस दिन हिंसा और द्वेषके सभी भाव हृदयसे निकाल देना चाहिये। हमलोग उस दिन उन वेगुनहोंका स्मरण करेंगे जिन्होंने मातृभूमिकी बेड़ी पर अपनी बलि बढ़ा दी है। हमलोग यह उत्सव पापियोंके पापाचार और जालिमोंके जुलमको स्मरण करनेके लिये नहीं मना रहे हैं। आत्मत्यागकी तरफ

तत्परता दिखानेसे ही राष्ट्रका उत्थान हो सकता है न कि बदलेकी आगमें जलनेसे । उस दिन हमें जनताको ओरसे की गई ज्यादतियों और उपद्रवोंको भी स्मरण करना चाहिये । और उसके लिये खेद प्रगट करना चाहिये तथा पश्चात्ताप करना चाहिये । शामको भारतके प्रत्येक शानमें सभा कर ब्रिटिश तथा भारत सरकारसे प्रार्थना करनी चाहिये कि वे समुचित कारबाई द्वारा इस तरहकी दुर्घटनाओंका होना सदाके लिये असम्भव कर दें ।

इस सप्ताहमें मत्याग्रहके सिद्धान्तोंका ज्ञान प्राप्त करनेकी भी पूरी चेष्टा करनी चाहिये । हिन्दू मुस्लिम एकताको बढ़ाना चाहिये और स्वदेशीका प्रचार करना चाहिये । हिन्दू मुस्लिम एकताको बढ़ानेके लिये १२ वीं अप्रैल शुक्रवारको सात बजे शामको हिन्दू मुसलमानोंका महतो समा होनी चाहिये और भारत सरकार तथा ब्रिटिश सरकारपर इस बातका दबाव डालना चाहिये कि खिलाफतका प्रश्न मुसलमानोंकी धार्मिक व्यवस्थाके अनुसार हल किया जाना चाहिये ।

इस प्रकार यह राष्ट्रीय सप्ताह आत्माकी पवित्रता, परीक्षा, आत्मत्याग, नियन्त्रण तथा राष्ट्रीय उदार भावोंकी घायणामें बिताना चाहिये । मनोमालिन्य, विद्वेष, तथा क्रोध मनमा, वाचा या कर्मणा किसी भी प्रकार न प्रगट किया जाना चाहिये ।

किनने लोगोंने पूछा है कि छठी और तेरहवींको हड़ताल

होनी चाहिये कि नहीं। हमारा उत्तर है कि नहीं। यह सप्ताह उन लोगोंके लिये सत्याग्रह सप्ताह है जिन्हें सत्य और अहिंसा पर हृदय विश्वास है। छठा अप्रैलकी हड़तालको ‘सत्याग्रहकी हड़ताल’ की उपमा इसलिये देते हैं कि सत्याग्रह आन्दोलनका सूत्रपात करनेके लिये यह पथ प्रदर्शक थी। यद्यपि यह हड़ताल आपसे आप हुई थी पर उस दिन लोगोंको गाड़ियोंका इस्तेमाल आदि करनेसे लिये रोक कर बाहर प्रेरणाका कलंक इस पर अवश्य लगाया गया। इसलिये इस तपस्या और आत्मनिग्रहके सप्ताहमें हड़ताल नहीं होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त हड़तालोंका मूल्य भी इस तरह घट जायगा। इसका प्रयोग अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर ही होना चाहिये।

हमें पूरी आशा और भरोसा है कि प्रत्येक दल प्राणपणसे चेष्टा करेंगे कि यह राष्ट्रीय सप्ताह पूर्ण समारोहके साथ मनाया जाय और राष्ट्रीय जागृतिमें यह सच्ची ज्योतिको प्रज्वलित करता रहे।



सत्याग्रह सप्ताह ।

(मार्च २४, १९२०)

कई एक दिनमें ही सत्याग्रह सप्ताह आ उपस्थित होगा । हमे पूर्ण आशा है कि इस एवित्र तेवहारकी हम पूर्णतया मर्यादा रखेंगे ताकि उसका महत्व किसी भी अंशमें कम न होने पावे । पंजाबके कागड़का हमलोगोंके हृदयमें क्या भाव है, पंजाबकी तरफ हम लोग किस दृष्टिसे देखते हैं, इसके जांचकी कस्तीटी हम लोगोंकी वह उदारता और तत्पुर्ता होगी जो हम लोग उन देश भक्तोंके चलिदानकी तिथि १३ बीं अप्रैलके स्मारकके निमित्त चन्दा संग्रह करनेमें दिखावेंगे । यही सच्ची जांच है जिसमें हम लोग पूरी तरहसे तौले जा सकेंगे । इसके निमित्त हमें केवल दस लाख रुपया चाहिये । ३३ करोड़की आवादीमेंसे १० लाख रुपया इकट्ठा कर लेना कोई कठिन काम नहीं है । केवल उत्साही और योग्य काम करनेवालोंकी आवश्यकता है । यदि प्रधान प्रधान महिलायें और पुरुष लोग इस कामको किसी प्रकार उठा लें तो १० लाख रुपया इस सप्ताहके भीतर ही भीतर एकत्रित हो सकता है । इस स्मारक कोषके लिये रुपया संग्रह करनेका सबसे उचित उपाय प्रत्येक प्रान्तोंकी हैसियतके अनुसार चन्दा होना चाहिये । इस बातको सूचना (किस प्रान्तको कितने

भंगकी रंग जम रही है तो किसीमें सोलहों परीकी नाच हो रही है (जूआ खेला जा रहा है) तो कहीं एकवासोंकी ही फिकने व्यस्त कर रखा है। भला ऐसे ब्रतोंसे आत्मा पवित्र होकर ऊपरको कैसे उठेगी! उलटे इससे तो और भी अधिक पतन होनेकी संभावना है। यदि उपवासका सच्चा उपयोग करना है तो उपवासके दिनको केवल सद्विचारोंमें भी विनाना चाहिये और बुरे तथा कुमार्गमें ले जानेवाले विचारोंके दमनकी दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिये। इसी प्रकार यदि प्रार्थनाका सुफल प्राप्त करना है तो वह विदित और भावगम्य होना चाहिये। प्रार्थना करनेवालेको उसी प्रार्थनामें रत हो जाना चाहिये। शरीर और आत्माको उसीका अवश्यव बना देना चाहिये। एक नगफ तो अंगुलियोंके सहारे मालाकी मनिया (दाना) धूमाते रहना और दूसरी ओर मनकी प्रवृत्तिको बहक कर इधर उधर जाने देना, इस प्रकारकी प्रार्थना निरर्थक और बेकार है। इसका फल बुरा ही होता है। इसलिये हमें पूर्ण आशा है कि आत्मलयाग और आत्म समर्पणके आगमी समाहमें प्रार्थना और उपवासका ब्रत राष्ट्रीय महत्त्वाका सच्चा द्योतक होना चाहिये न कि केवल नाम मात्रके लिये, केवल दिखलानेके लिये इसे स्वीकार करना चाहिये।

* * * *

हजारों मुसलमानोंका एक दलमें प्रार्थनाके लिये जाना और सच्चे हृदयसे सत्यकी विजयके लिये प्रार्थना करना सफलताको

और भी निकटवर्ती बना देनेका साधन हुआ है। हमें पूर्ण विश्वास है कि केवल प्रार्थनाके ही द्वारा खिलाफ़तके प्रश्नका पूर्णतया निपटारा हो सकता है। लोग कहते हैं कि प्रार्थनाका द्वारा दोनोंके लिये बराबर खुला है अर्थात् इससे जितना लाभ हम उठा सकते हैं उतना ही हमारा शत्रु—जिसके मुकाबलेमें हम प्रार्थनाके साधनका प्रयोग करना चाहते हैं—उठा सकता है। इसे बतलानेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह साधारण बात सब कोई जानते हैं। पर इससे प्रार्थनाकी सार्थकता पर कोई ध्यति नहीं पहुंचती। उसका मूल्य तो सदा बराबर है। हम लोगोंने प्रार्थनाका जो मूल्य रख लिया है उसके विरुद्ध ये सब बातें लागू हो सकती हैं। ईश्वरके साथ शर्तबन्दी करना उचित नहीं प्रतीत होता। केवल इतना हो जान लेना पर्याप्त है कि अनादि कालसे प्रार्थना और आराधना राष्ट्रीय तथा वैयक्तिक सङ्कटोंके निवारणमें सदा प्रधान सहायक होता आया है। हमारी यही आन्तरिक कामना है कि इस सत्याग्रह सप्ताहमें उस प्राचीन व्यवस्थाका पुनरुद्घाटन हो और वह अपना पूर्ण विकास प्रगट करके अपनी असली सत्ता फिर शापित कर सके।



हिंसा और अहिंसा ।

— — — — —

महात्माजीने २४ मार्च १९२० के यंग इगिडयामें निम्नलिखित लेख लिखा है :—

खिलाफतकी तिथि आई और चली गयी । सत्याग्रहकी विजयका यह उबलन उदाहरण था अर्थात् सविनय अवश्याका नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा का । जैसी हड़ताल इस बार हुई कभी नहीं हुई थी । १६ मार्चकी हड़तालमें एक विशेषता यह थी कि इसके लिये किसी तरहको प्रेरणा नहीं की गई थी । १६ मार्चको तो किसीने कही जवानतक नहीं हिलाई । मिलके मजूरोंको हड़तालमें शामिल न होनेकी राय दंकर खिलाफत कमेटीने अताव दूरदर्शिता और आत्म संयमका परिचय दिया है । कमेटीका प्रबन्ध नितान्त सराहनीय था और हस्तक्षेप न होने देनेका जो यत्त्र कमेटीने किया था उसके लिये भी वह अतिशय धन्यवादकी पात्र है । जनताने जिस आत्म संयमका परिचय १६ मार्चको दिया है यदि उसी तरहके आत्म संयमका परिचय भविष्यमें दिया, और यदि आत्मत्यागमें भी उसी तरहकी तत्परता दिखाई तो खिलाफतके सम्बन्धमें हम लोगोंकी आशाके फलवती होनेमें किसी तरहकी वाधा नहीं उपस्थित हो सकती ।

एक वर्ष पहले कोई इस बातका स्वप्नमें भी संभावना नहीं करता था कि ऐसे विकट प्रश्न—जिसमें मुसलमानोंका कट्टरपन जानमालकी भी परवा नहीं करता—इस प्रकारकी शान्तिसे काम लिया जा सकता है। तिसपर भी ऐसे दिन जब लोगोंकी बेकारी एकदमसे बढ़ जाती है और लोग फालतू हो जाते हैं। पर प्रार्थनाने बेकारीके प्रश्नको हल कर दिया था। सबके लिये यह कर्तव्य निर्दिष्ट कर दिया गया था कि कोई न दङ्गा सफाद कर, न क्रोध या गुस्सा करे, केवल न्याय और सचाईके लिये तन, मनसं प्रार्थना करे। यह सच है कि सबने प्रार्थना नहीं किया पर प्रार्थनाका भाव घट घटमें आप रहा था। और यह भाव क्रोध, गोप, आवेश तथा हिंसाके भावके कहीं ऊपर विराज रहा था। यही कारण था कि हड्डतालका दिन इतनी शान्तिके साथ बीत गया मानों किती भी प्रकारकी अराधारण घटना नहीं घटी है। बर्बाईकी महती समा जिसमें तीस हजार आदमी उपस्थित थे विचित्र दृश्य उपस्थित कर रहो थे। जो लोग वहांपर उपस्थित थे उनके चेहरेको देखकर यहां प्रतीत होता था कि उनमें पूरी ढूढ़ता है। पर उन लोगोंने अपनी ढूढ़ताको प्रगट करनेका कोई भी वाह्य उपकरण नहीं उपस्थित किया। प्रबन्धकोंका इस बातका श्रेय है कि उन्होंने एक बार पुनः प्राचीन शान्ति, स्थिरता और एकताको बतेमान अशान्ति, शोर-गुल और जोश खरोशके स्थानपर ला जमाया। आजकलके भावका फल हिंसा है और प्राचीन कालके भावका फल सत्याग्रह

है और इस हड़ताल और महती सभाका अभिप्राय हिंसा न होकर अहिंसा है। हमें पूर्ण आशा है कि अधिकारी वर्ग इस स्थितिको अनुचित प्रकारसे न देखेंगे। हमें पूर्ण आशा है कि वे इस समस्त कार्यवाहीका सच्चा अभिप्राय भलीभांति समझ जायेंगे और इस महत्वपूर्ण प्रस्तावके अभिप्रायको भी अच्छी तरह समझ लेंगे। आजको सभामें जो प्रस्ताव किये गये हैं उसमें किसी तरहका विरोध भाव प्रगट करना किसी भी सच्चे देशभक्तके लिये असम्भव है। हमें इस बातकी भी आशा है कि वे लोग इस आन्दोलनकी गतिको भी पूरी तीरसे ध्यान पूर्वक देखेंगे और इसका भाव समझेंगे। हमें पूर्ण आशा है कि असाधारण धैर्य, आत्मसंयम, और पूर्ण शान्ति—जिसकी हम लोगोंमें शनैः शनैः उत्तिं हो रही है—अपना पूर्ण प्रभाव प्रगट करेंगी और भारत तथा ब्रिटिश सरकारको बतला देंगी कि यद्यपि देश एक ओर पूर्णरूपसे शान्त है तथापि दूसरी ओर उसके हृदयमें हृद प्रतिज्ञाके भाव मरे हैं जो अब 'नकारात्मक' उत्तरसे संतुष्ट होने-वाले नहीं हैं। हमें पूर्ण आशा है कि सरकार विगत सालकी अग्रेलको तग्ह किर भूल नहीं करेंगी और न अत्याचार द्वारा उस जागृतका दबानेकी भ्रमपूर्ण और निरर्थक चेष्टा करेंगी क्योंकि जो जागृति इस समय प्रगट हो गई है उसके बशीभूत मनुष्य हीनता, दीनता, अपमान और पराजयके अतिरिक्त सब कुछ महनेको तैयार है।

हमें यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि लिवरल लीगके समान

सम्मानित और प्रतिष्ठित संस्थानें विना समझे बूझे और पूर्ण-तथा विचार किये उतावलापनके साथ हड़तालकी निन्दा कर दी है। जिस मनुष्य या जातिका हृदय शोक और आवेशसे भरा है और निराशा अपनी लाल लाल आंखे काढे जिसकी ओर कुरनेओंसे देख रही है मानो वह उसे निगल जानेके लिये प्रतिक्षण तैयार बैठी है, ऐसी जातिके लिये अपने हृदयस्थ वेदनाके मावोंकी प्रगट करनेके लिये कोई उपयुक्त साधन होना चाहिये। अभी थोड़े दिन पहले ही हमारी आत्मापर इतना भय लाद दिया गया था और हमलोग अपने हृदयके सब्जे उद्धारोंको लिखकर या कहकर प्रगट कर देनेसे इतना डरते रहे कि हम लोगोंकी आत्मा इतनी पतित हो गई थी जैसे सूर्यके प्रकाशको चिरकाल तक न पानेके कारण किसी वस्तुपर भुकड़ी लग गई हो। यही कारण था कि हमलोगोंमेंसे कितनोंने ही गुप्तमभायें कायम की थीं। पर आज हमलोग उस अन्यकार-मय और बुरे युगसे आगे बढ़ गये हैं। आज हमलोग अपने हृदयके भावोंको लिख और कहकर दूसरों तक पूर्ण स्वतन्त्रता पूर्वक पहुंचा सकते हैं। आज कल हमलोगोंपर कानूनका केवल उतना ही दबाव है जितना प्रत्येक स्वतन्त्र मनुष्य पर होना चाहिये। लिवरल लीग तथा अन्य ऐसी संस्थाओंके सदस्योंसे हमारा सानुनय अनुरोध है कि वे हमारे उपरोक्त कथनपर धीरताके साथ विचार करें और डरसे दबकर हम लोगोंकी जो अवस्था हो रही थी उसके मुकाबलेमें इस साद-

सिकताकी उचित प्रशंसा करें। यदि वे उन समग्रशक्ति-योंको जो राष्ट्रके उत्थानके साधन रूपमें दिन प्रति दिन दृष्टिगोचर हो रही है, एक नाथमें नाथना चाहते हैं; यदि वे नये राष्ट्रीय उत्थानमें प्रतिष्ठाका स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उचित है कि समयकी प्रगतिको वे उपेक्षाकी दृष्टिसे न देखें, नई पीढ़ीके आगे बढ़नेमें वाधा न उपस्थित करें, उनके बढ़ते उत्साहको भड़न करें बल्कि उन्हें उचित है कि वे इन नवयुवकोंके बढ़ते दलका नेता बन बैठें और इनके उत्साहको बढ़ावें। उनके प्रत्येक कामोंके साथ सहानुभूति दिखावें, उनके हृदयके ऊफानोंको और भी उठने दें, और उनका नियन्त्रण करें। इससे दोनोंका लाभ होगा। नवयुवकोंको ऐसे लागोंके निरीक्षणकी सहायता मिल जायगी जो समय और कालका पूर्ण अनुभव प्राप्त करके परिपक्व बुद्धिके हो गये हैं और उन वृद्धोंको एक ऐसा दल मिल जायगा जो पूर्ण नियन्त्रणके साथ मानवभूमिके चरणोंपर अपना सर्वस्व बारनेको सदा तैयार है। पर यदि उनकी परवा नहीं की गई, यदि उन नवयुवकोंको किसी तरह विद्वित हो गया कि ये वयों बृद्ध लोग हमारी आवश्यकताओंकी चर्चा सुननेके लिये तैयार नहीं हैं, हमारी सहायता करनेके लिये तैयार नहीं हैं, तो संभव है कि वे हनाश और निराश हो जायें और निराशाका जो भयझुक परिणाम होता है वह किसीसे छिपा नहीं है। निराशा-के वशीभूत होकर मनुष्य बुरासे बुरा काम करनेके लिये सज्जद

हो जाता है। हमारी समझमें सत्याग्रहके सिद्धान्तकी शिक्षा देने और उसका प्रचार करनेके लिये इस देशमें इससे उपयुक्त समय कभी भी उपलिख्य नहीं दूखा था। सत्याग्रहसे हमारा अभिप्राय सत्यविनय अवज्ञाका नहीं है वलिक सच्चाई और अहिंसाके भावके प्रचारका है। इसमें किसी तरहके पराजयकी सम्भावना नहीं और यदि इसमें किसी प्रकारकी क्षति होनेकी सम्भावना है तो उसका भोगनेवाला खयं कर्ता होगा।



अदालतोंका अपमान

मार्च २४, १९२० के यांग इंडियामें महात्मा गांधीने निम्न लिखित सेवा प्रकाशित किया है :—

अहमदाबादके जिला मजिस्ट्रीटने सत्याग्रह वन धारण करनेके अपराधमें १७ वकीलोंपर अभियोग चलाया था उसके सम्बन्धमें जिलाधीश तथा वर्कालोंमें यत्र व्यवहार हुआ था। यहां इण्डियामें वे पत्र प्रकाशित कर दिये गये थे और सम्पादकीयमें उनपर नोट भी लिखा गया था। इनपर यहां इण्डिया-के सम्पादक और प्रकाशकपर मुकदमा चलाया गया था। उसका विचार हो गया और फैसला भी मुना दिया गया। अदालतने सम्पादक तथा प्रकाशकको किसी प्रकारका दण्ड न देकर केवल उन्हें कड़ी चेतावनी दे कर छाड़ दिया। हमारी इच्छा होती है कि हम उस फैसलेपर दो चार शब्द लिखें क्योंकि सत्याग्रहीके हैसियतसे हम उसमें से कुछ शिक्षा निकालना चाहते हैं। उस समय हमारे कितने हो बनिए मित्रोंने हमे यही राय दी कि हम दोनों (सम्पादक और प्रकाशक) खुली अदालतमें क्षमा मांग लें। पर हमलोगोंने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया। इसमें हमलोगोंकी जिद नहीं थी वहिंक हमने देखा कि ऐसा करनेसे एक बड़े सिद्धान्तकी हत्या हो रही है। उस समय हमें कानूनकी मार्यादा रखते हुए सम्पादककी स्वत-

न्त्रिता की रक्षा करनी थी। जहां तक हमें अनुभव है हमने भली भाँति देख लिया था कि हमारी कार्टवाईसे अदालतका किसी भी तरहसे अपमान नहीं हुआ है। हमारा पैरवी करना इस बातपर निर्भर था कि क्षमा प्रार्थना तो नहीं ही करना था वर्त्कि भविष्यमें भी ऐसी अदस्या उपस्थित हो जाने पर हम किर उसी तरहको आलोचना और प्रत्यालोचना करनेके लिये तैयार थे। हमारी धारणा है कि अदालतके सामने क्षमा प्रार्थना करनेके बाद मनुष्यको उसके पालनेकी भी चेष्टा करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त अदालतके प्रति भी हमारा एक कर्तव्य था। चीफ जस्टिसकी सलाहको स्वीकार कर लेना हमारे लिये माध्यरण बात नहीं थी विशेषकर ऐसी अवस्था-में जब कि वे हमारे साथ पत्र व्यवहार करनेमें बड़े ही सांजन्यतासे काम लेते हैं। हमारी स्थिति दोलायमान थी। इस लिये हमने यही निश्चय किया कि हम किसी तरहकी पैरवी नहीं करेगे केवल मात्र लिखित बयान देकर साफ शब्दोंमें मन्त्री स्थितिका विग्रहण करा देंगे और इस बातका फैसला अदालतके हाथमें छोड़ देंगे कि वह जो उचित समझे करे। केवल यह बात दिखलानेके लिये कि हमारी मन्त्रा अदालतका किसी तरहसे अपमान करनेकी नहीं है और न हम यही चाहते हैं कि इस अभियोगको लेकर चारों ओर ढिढ़ोंरा पीटा जाय इसलिये हमने इसके प्रकाशनको रोकनेकी चेष्टा की। आज हम इस बातको साहसके साथ लिखते हैं कि हमने अदालतको

अच्छी तरह बतला दिया कि मेरी अवज्ञा—यदि इसे अवज्ञा कह सकते हैं—घृणाके भावमें भरी न रहकर उदासीनताके भावसे भरी थी। हमारे हृदयमें किसी प्रकारका रोप या द्वेष नहीं था वलिक पूर्ण आत्मसंयम और आदरका भाव भरा था। हमने क्षमा प्रार्थना नहीं की, इसका प्रधान कारण यही था कि सदिच्छासे रहित क्षमा प्रार्थना हमारी प्रकृतिके एकदम विपरीत है। हमारो धारणा है कि सविनय अवज्ञाका इससे उत्तम दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। हमें इस बातका भी प्रश्नास है कि इस अवज्ञाहें भावबे पीछे शान्ति और नम्रताका जो भाव भरा था उसको अदालतने भली भाँति समझ लिया। जमिटन प्रारंभने अदालतके अपमानकी धाराकी व्याख्या करके अपना बुद्धिका प्रब्रह्मताका परिचय दिया है और हमारे चिरुद्ध फैलला किया है। पर हमें इस बातका प्रतिशय हवा है कि उन्होंने कहीं यह नहीं लिखा है कि हमने अनधिकार चर्चा की। जस्टिस हेवर्डने अपने फैसलेमें इसे निष्क्रिय अर्थात् सविनय अवज्ञाका रूप दिया है और यहां कारण है कि उन्होंने किसी तरहके दण्डकी मीमांसा नहीं की। इस स्थानपर सविनय अवज्ञाका ज्वलन्त उदाहरण हमलोगोंके सामने है। यदि अवज्ञा सविनय होनी है तो सदिच्छापूर्ण, उदार, नियन्त्रित, अनुच्छेद्यत होना। हिये धार किसी पूर्ण अनुभव किये हुए सिद्धान्तके आधारपर होनी चाहिये। उद्धत न होना चाहिये और सबसे बढ़कर इसके अन्तर्गत असद्वाव और घृणा न होना चाहिये। जिस तरहका अवज्ञा हमने तथा श्रीयुत देसाईने का थी उसमें ये सभी भाव विद्यमान थे।

सत्याग्रह सप्ताह

(मार्च ३१ १९२०)

इस परम परिव्रत्र राष्ट्रोय सप्ताहमें सर्व प्रथम और प्रधान करणीय काम उपवास और प्रार्थना है। राष्ट्रोय जीवनके विकासमें इसका किनना ऊँचा स्थान है इसके बारेमें हमने समय समयपर काफी लिखा है। इस सापेक्षमें हमारा निजी अनुभव बहुत ही अधिक है। एक बार इसी विषय पर हम अपने एक मित्रको लिख रहे थे उन समय कवि टेनिसनकी कुछ कवितायें हमें स्मरण आ गईं जिन्हें उन्होंने प्रार्थनाके विषयमें लिखी हैं। आशा है कि इससे हमें न्यायता मिलेगी। इसीसे हम इसे उद्भूत कर देना उचित समझते हैं। टेनिसनने लिखा है :—

“संसार जितना समझता है उससे कहीं अधिक मनोरथ प्रार्थना द्वारा पूरा हो सकता है। इनलिये मनुष्यको निरन्तर उसी परब्रह्म परमात्मामें ध्यान लगाये रहना चाहिये। जो मनुष्य ईश्वरका अस्तित्व मान कर भी प्रार्थनाके लिये हाथ नहीं उठाते। उनका जीवन भेड़ बकरियोंके समान है क्योंकि बुद्धिकी उपर्योगिताका ज्ञान उन्हें नहीं है। यह निखिल विश्व नोनेकी जजीरों द्वारा ईश्वरके चरणोंमें बंधा है।”

भारतमें दौरा करते समय हमें हरतरहके आदिमियोंसे सह-

चास हुआ है। हमने जिस जोश और उत्साहसे उनके साथ राष्ट्रीय प्रश्नपर विचार किया है उनका वर्णन इस समय करना कठिन है। इससे हमें अनुभव हुआ कि अभी तक हमारी आत्मा इतनी ऊपर नहीं उठ सकी है कि हम अपनी राष्ट्रीय स्थितिका सच्चा दिग्दर्शन कर सकें। अभी तक हमलोगोंमें वह स्थिरता नहीं आई जिससे हम लोग उस स्थितिका दिग्दर्शन कर सकें। हमारी समझमें इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करनेके लिये प्रार्थना और उपचाससे बढ़कर अन्य कोई भी साधन मौजूद नहीं है। आत्मत्यागके भाव, दृढ़ता तथा नम्रताके भाव इसी तरह उत्पन्न होते हैं और यिनी इनके उन्नतिका होना असम्भव है। इसलिये हमें पूर्ण आशा है कि इस देशके करोड़ों नर नारी इस सप्ताहका आरम्भ उपचास और ब्रतद्वारा ही करेंगे।

इस सप्ताहमें हम सत्याग्रहके सविनय अवज्ञाके अश पर जार देना नहीं चाहते। हमें सत्य और अहिंसाका ही आवाहन करना चाहिये और उनकी स्वार्थकताका पर्यवेक्षण करना चाहिये। यदि हममेंसे प्रत्येक अपने जीवनको सत्य और अहिंसाके आधारपर चलावें तो हमारी समझमें फिर हमारे लिये सविनय अवज्ञा आदिकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। सविनय अवज्ञाकी तभी आवश्यकता पड़ती है जब विरोधक सामने केवल कुछ ही लोग सत्य और अहिंसाके वृत्तको स्वीकार करनेके लिये तैयार रहते हैं। सत्यको जानना अति कठिन है,

जबकि उसकी सविनय अवज्ञा से रक्षा करनी है और सत्यकी खोजमें सविनय अवज्ञा करके हिंसासे दूर रहनेका उपाय भी सौचना अति कठिन है। यह सप्ताह राष्ट्रीय उत्थानका महान साधन है। इसमें जातिपांतिके भेदभावको दूर करके सबकी सहायताकी आवश्यकता है। इसलिये ऐसे अवसर पर सविनय अवज्ञाकी सलाह देना उचित नहीं प्रतीत होगा।

६ और १३ को तो प्रार्गना और उपवास करना है। साथ ही जलियांवाला वागके स्मारक कोष के लिये चन्दा इकट्ठा करना है। हमें पूर्ण आशा है कि प्रत्येक प्रान्त, प्रत्येक ज़िला और प्रन्थक नगरमें इसके निमित्त पूर्ण संगठन होगा।

तीसरा प्रधान कार्य सप्ताहमरमें तीन सभायें करनी हैं, ये सभायें भारतके सभी स्थानोंपर एक नियत समयपर होनी चाहिये और उनमें निर्दिष्ट प्रस्ताव पास होना चाहिये। एक प्रस्ताव रौलट ऐकृपर होना चाहिये जिसके कारण सत्याग्रहका जन्म हुआ है, दूसरा प्रस्ताव खिलाफतपर होना चाहिये क्योंकि यही हिन्दूमुस्लिम एकताका बीज है। तीसरा प्रस्ताव जालियांवाला वागके सम्बन्धमें १३ अप्रैलको पास होना चाहिये। इस प्रस्तावमें सरकारसे प्रार्थना करनी चाहिये कि वह ऐसी व्यवस्था कर दे जिससे भविष्यमें इस तरहके अनर्थ होनेकी सम्भावना उठ जाय, जिस तरहके अनर्थ हमलोगोंने मार्शल लाके दिनोंमें पञ्चाबमें होते देखा है और जिसका प्रारम्भ मर्शल ला जानी करनेके पहले ही १३ तारीखके कलें आमके

रूपमें हुआ था। हमारी समझमें तीनों प्रस्तावोंका मिश्रलिखित रूप होना चाहिये।

छठीं अप्रैल

अमुक नगरके निवासियोंकी यह सभा अपना दृढ़मत प्रगट करती है कि जबतक रौलट ऐकू उठा या रह नहीं कर दिये जाते तबतक देशमें शान्तिकी स्थापना नहीं हो सकती और इसलिये यह सभा भारतसरकारसे प्रार्थना करती है कि वह यथाशीघ्र इस कानूनको रद्द करनेकी व्यवस्था करदे।

ईंवीं अप्रैल

अमुक स्थानके हिन्दूमुसलमान तथा अन्य जातियोंकी यह सभा पूर्ण विश्वास करती है कि बिलाफतका प्रश्न भारतीय मुसलमानोंकी न्याययुक्त मांगोंके अनुसार निपटाया जायगा और युद्धकालमें ब्रिटिश साम्राज्यके मन्त्रीने भारतीय मुसलमानोंको जो वचन दिया था उसका पूणत पालन किया जायगा। यह सभा इस निमित्त यह घोषणा करती है कि यदि भारत सरकारने इसके विरुद्ध आचरण किया ता प्रत्येक भारतवासीका धर्म होगा कि वह सरकारके साथ तबतक सहयोग करना छाड़ दे जबतक वचन पूरे न किये जाय और मुसलमानोंकी धार्मिक अशान्तिका शमन न किया जाय।

१ दर्शी अप्रैल

अमुक स्थानके नागरिकोंकी यह सभा दुःख और वेदनाके साथ स्वीकार करती है कि अतिशय उत्तेजित किये जानेपर साधारण जनताने उपद्रवमें ज्यादती किया इसलिये उनकी निन्दा करनी चाहिये। पर जनरल डायरका जालियांवाला बागमें निहत्या और बेगुनाहोंको हत्या बबताका सबसे निष्ठ नमूना है। इन्हिये यह सभा पूर्ण आशा करती है कि भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार तुरत ऐसी कोई कार्रवाई करें जिससे इस तरहको असम्य घटनायें फिर कभी दोहराई न जायें और आशा करती है कि राष्ट्रीय महासभाकी सबकमेंटीने जिन बानोंकी शिफारिमें की हैं उन्हें पूरी तरहसे खीकार करेंगी।



सविनय अवज्ञा

(जून ५, १९२०)

यंग इण्डियाके प्रत्येक पाठक कदाचित इस बातको न जानते होंगे कि परसालकी अग्रेलकी दुर्घटनाके लिये अहमदाबादके लोगोंके ऊपर कड़ा जुर्माना लगाया गया था। यह जुर्माना अहमदाबादके नागरिकोंसे वसूल किया गया पर उनमेंसे अनेकोंको कलकृरने अपनी इच्छासे बरी कर दिया। इस जुर्मानाके देनेवालोंमें मालगुजारी देनेवाले ही अधिक थे। और उनसे मालगुजारीकी तिहाई रकम जुर्मानेमें ली गई थी। ऐसे लोगोंमें मिस्टर बी० जे० पटेल वारिस्टर-एट-ला और डाकूर कनूगा थे जो जुर्माना देनेमें असमर्थ थे। इन लोगोंने शान्ति स्थापित करने और उपद्रव हटानेमें अधिकारियोंकी बड़ी सहायता की थी। सच्चे सत्याग्रही होते हुए अपनी जानको खतरेमें डालकर उन्होंने उपद्रवियोंको शान्त करनेको चेष्टा की थी। पर अधिकारी वर्ग उन्हें नहीं बरी कर सकते थे। ऐसी अवस्थामें उनके सामने विकट समस्या थी। यह जानकर कि हम लोग दोषी नहीं हैं, हम लोगोंने शान्ति भंग करनेके प्रतिकूल शान्ति स्थापित करनेको चेष्टा को थी, ऐसी दशामें जुर्माना कैसे दें और चिना कमेटीकी आज्ञाके अपने मनसे अवज्ञा कैसे करें। वे अधिकारियोंके मार्गमें बाधा नहीं उपस्थित करना चाहते थे। पर

वे आत्म गौरवको भी बेचना नहीं चाहते थे। निदान इसके लिये उन्होंने किसी तरहका आन्दोलन खड़ा करना उचित न समझकर केवल अधिकारियोंको इस बातकी सूचना दे दी कि ऐसी अवस्थामें हम लोग जुर्माना देनेमें सर्वथा असमर्थ हैं। इस लिये उनके नाम कुर्कों जारी की गई। डाकूर कानूगाकी डाकूरी अच्छी है इसलिये उनकी सन्दूक सदा भरी रहती है। चालाक कुर्क अमीनने इसी सन्दूकको नीलाम पर चढ़ाया और जुर्माना वसूल करनेके लिये काफी रुपया ले गया। पर वकीलका पेशा ऐसा है कि वह सन्दूक लिये लिये नहीं फिर सकता इसलिये कुर्क अमीनने उनकी (श्रीयुत पटेलकी) एक पलंगको नीलाम करा ली। इस प्रकार इन सत्याग्रहियोंने अपने आत्म गौरवकी पूर्णतया रक्षा की।

संभव है अदूरदर्शी लोग इसे बेवकूफीका नमूना बताकर इसकी हँसी उड़ावें कि सीधी तौरसे जुर्माना न देकर माल असवाब कुर्कों पर चढ़ावानेसे क्या लाभ था? पर इस तरहके उदाहरणोंकी बहुलतापर विचार करके देखिये कि अधिकारियोंको हजारों कुर्कों निकालनेमें कितनी कठिनाईका सामना करना पड़ेगा। चन्द आदमियोंके लिये ही कुर्कों निकालना सम्भव है। पर यदि इनका प्रयाग अधिकांश उन महात्माओंके लिये प्रयुक्त होता है जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और जो किसी सिद्धान्तको चरितार्थ करनेके लिये जुर्माना देना स्वीकार नहीं करते, तो वड़ी कठिनाई उपस्थित हो

जाती है। संभव है कि इस सिद्धान्तका वैयक्तिक अवलम्बन अभीष्ट फलदायक न हो। पर ऐसे सच्चे उदाहरणोंमें एक जबर्दस्त योग्यता सदा बढ़ते रहने की है। उनकी ख्याति बढ़ जाती है और उनकी तरफ अंगुलों न उठाकर लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। थाँड़ सदूर महात्माओंने ही अपनी आत्माको कष्टमें डालकर दासताकी प्रथाको तोड़ा और उसका अन्त कर दिया। भाँझने लिखा था :—मुझे पक्षा विश्वास है कि यदि एक हजार, एक सौ या दस ही आदमी जो कि गणनाके योग्य हो, बल्कि यदि एक ही सच्चे हृदयवाला व्यक्ति—जो इस मसाचस्टी राज्यमें गुलाम रखना छोड़कर इस राज्यसे संबंध त्याग दे और इसके दण्ड स्वरूप जेल जाना स्वीकार करं तो उसी दिन अमरांका-से गुलामी उठ जायगा। चाहे कार्यारम्भ कितना भी नाप्रय हा पर यदि वह सत्कार्य है तो उसका अस्तित्व स्थायी है।” आगे बलकर उन्ने पुनः लिखा है :—मैंने विचार कर देखा ता मुझे प्रतीत हुआ कि इस कामकी सफलताके लिये राजनीय आज्ञाधोंकी अवज्ञा करनेवालेको अर्थदण्ड न देकर जेल भेज देनेमें ही अधिक लाभ हो सकता है क्योंकि यद्यपि दानोसे एक ही अभिप्रायको सिद्धि होगा पर कुर्कीसे इतना लाम नहीं होगा क्योंकि जिसकी आत्मा इतनी उद्धत हो गई है उसके चित्तमें धनके लिये इतनी प्रवल किप्सा रही नहीं सकता। “यही कारण है कि हम मिस्टर पटेल और डाकूर कानूनाका इस बातकी हादिक बधाई देते हैं कि उन्होंने उचित अवसर पर महत्व पूर्ण कार्यके लिये अपूर्व उदाहरण उपस्थित किया है।

दुर्गादास अद्वानी

(दिसम्बर ३, १९१६)

जिन लोगोंसे हमें आजतक मिलनेका सुअवसर प्राप्त हुआ है उनमें दुर्गादास अद्वानी सबसे उत्साही कार्यकर्ता प्रतीत हुए है। जिस समय हम १९१५ में भारत लौटकर आये थे हमारा उनके साथ प्रथम परिचय पत्रद्वारा हुआ था। जिस अवस्थामें पत्र लिखा गया था उससे ही हमने उनकी आत्माकी उत्कृष्टताका पता पा लिया था। सिव्य प्रदेशमें वे बड़े ही उत्साही कार्यकर्ता रहे हैं और कई वर्ष तक अनवरत परिश्रमसे कार्य किया है। अभी हालमें ही उन्हें एक वर्षके लिये कड़ी सजा हुई है। अपील अदालतके फैसलेपर हमसे मत मांगा गया है। हमारी समझमें फैसलेमें कोई दम नहीं है। अदालतने “युन-राहान” (न्यू काल्स) नामी परचेको विद्रोही माननेमें भारी भूल की है और इस अवसरपर अद्वानीको दोषी ठहरानेके लिये उसने गवाहियोंका पर्यवेक्षण करनेमें अतुल परिश्रम किया है। पर समझ है कि दुर्गादासके प्रति स्वाभाविक अनुरागके कारण हमी भूल कर रहे हों। पर जहां तक हमारा अनुमान है हम दूढ़तासे कह सकते हैं कि जेलसे बचनेके लिये वह भूठ बोलनेवालोंमें नहीं है। समझ है कि अपील अदालतने जो अभिप्राय निकाला है गवाहियोंसे वही अभिप्राय निकलते हों।

सच्चे सत्याग्रही और घनिष्ठ मित्रके नाते हम इस दण्डाका पर न तो दुर्गादासके लिये खेद ही प्रगट कर सकते हैं और न उनके परिवारके साथ समवेदना ही प्रगट कर सकते हैं। दुर्गादासने खूब सांच ममझकर सत्याग्रहका ब्रत प्रहण किया था। इस अवसरसे लाभ उठा कर हम अपने पाठकोंके सामने ऐसे मामलोंके विषयमें अपना मत रखना चाहते हैं। मुकदमेवाजीमें हम लोग असच्च धन फूंक देते हैं। हम लोग जेलके नामसे हा थरा उठते हैं। हमारी पकी धारणा और दृढ़ निष्पत्ति है कि यदि व्यायालयोंपर हम लोग इनना अधिक निर्भर करना छोड़ दें तो समाजकी अवस्था इससे कही अधिक उत्तम हो जाय। अच्छे वकीलको तलाश करना नितान्त अनुचित और निन्दनीय है। और यदि यही काम सार्वजनिक सम्पत्तिके सहारे किया जाय तो अक्षम्य है और यदि सत्याग्रही इस प्रकार मुकदमेवाजीमें अपव्यय करते हैं तो वह घोर पाप करते हैं। इसलिये हमें यह सुनकर मार्मिक चेदना हुई कि दुर्गादासके मुकदमेकी अपील की गयी थी। यदि हमने गुनाह किया है तो वीरोंकी भाँति हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिये और उसके लिये जो उचित दण्ड हो उसे भोगनेके लिये तैयार रहना चाहिये। यदि दोषी न होने पर भी हम पर दोष प्रमाणित होता है और हम जेल भेज दिये जायं तो यह हमारे लिये अप्रतिष्ठाका कारण नहीं हो सकता। और यदि हम सच्चे सत्याग्रही हैं तो जेल जीवन-की यातनायें हमें किसी भी तरह भयभीत नहीं कर सकतीं।

इस देशमें तो ज़ेल जीवनकी ओर भी अधिक आवश्यकता है क्योंकि एक तो इस देशकी वायुमें सन्देह और अविश्वासके जीवाणु भर गये हैं, दूसरे वृक्षिया विभागका इतना अधिक जोर है कि संसारमें इसकी कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती और इसकी चालबाजियां और उच्चछूँखलतायें इतनी जबर्दस्त हाती हैं कि बिना इस प्रकार यातना भीगे इसका दूर होना कठिन है।

यदि इस तरहके अविश्वास और गुप्त पुलिस विभागसे देशकी रक्षा करनी है तो सबसे उत्तम उपाय यही होगा कि लोगोंके हृदयोंमें से भयके भाव तथा हिंसाकी प्रवृत्ति दूर की जाय। पर जबतक यह सुदृढ़ नहीं उपस्थित होता प्रत्येक भारतवासीको जेल ही घर बना लेना चाहिये।

इसलिये हमें पूर्ण विश्वास है कि दुर्गादासके मित्र क्षमा याचनाके लिये न तो उन्हें सलाह देंगे और न उनकी पत्तीको। और न तो उनकी पत्तीके साथ सहानुभूति प्रगटकर उसके सुख और शान्तिमें बाधा पहुँचावेंगे। उसे अपने हृदयको कड़ा-करके इस बातपर हर्ष मनाना चाहिये कि उसका पति बिना किसी दोषके, आकरण जेल मेज़ दिया गया है। हमलोगोंका परम करेव्य दुर्गादासकी पत्तीको आवश्यक सहायता देना है। हमें विदित हुआ है कि दुर्गादासके मुकदमेमें प्रायः १५,०००) रु० व्यय हुए। इन रुपयोंका किसी अच्छे काममें प्रयोग हुआ होता। जहां हमलोग न्यायकी संभावना नहीं देखते वहां

व्यथेकी लडाई लड़कर दरिद्र बन जाना हमारी दृष्टिये बुद्धि-मानी नहीं है। राजनैतिक अभियोगके लिये किसी प्रकारकी चिन्ता करना मनुष्यत्वके विरुद्ध है क्योंकि उसमें किसी तरहका अपमान नहीं।

पंजाबमें मैंने विदीणहृदय माताओंका अपने पुत्रोंके लिये जारजार रोते देखा है क्योंकि उन्हें अकारण जेल दिया गया। हमें विदित था कि हम लाचार थे। पर उन्हें सान्त्वना देना कठिन कार्य था क्योंकि झूटी आशामें उन्हें बांधकर हम पापके भागी नहीं होना चाहते थे। उन्हें यह कहकर समझाता कि जो होना था सो हो गया, अबतो इसका प्रतीकार नहीं हो सकता — किसी तरह भी लाभदायक नहीं हो सकता था। इसलिये हम अति कठिन कार्य करनेकी चेष्टा कर रहे थे अर्थात् हम उन्हें पूर्ण-सत्याग्रही होकर इस बातका समझानेकी चेष्टा कर रहे थे कि जबतक हमलोग अपने बन्धुवान्धवोंको इस तरहको गिरफ्तारी और राजनैतिक अभियोगपर आंसू बहाते रहेंगे तबतक यह यन्मणा और भी कठिन होती जायगी। यह लिखनेकी आवश्यकता न होगी कि हमारा अभियाय उस सजासे नहीं है जो वास्तवमें अपराधके लिये दी जाती है।



सत्याग्रही वकील ।

(अक्टूबर २२, १९१६)

हाईकोर्टने सत्याग्रही वकीलोंके अभियोगका फैसला सुना दिया । फैसला नितान्त असन्तोषजनक है । हाईकोर्टने मूल विषयको अलग रख दिया है । तर्क यही कहता है कि मुकदमा संगित करना उचित नहीं था, उचित तो फैसला ही कर देना था । सत्याग्रही वकीलोंने किसी तरहका पाश्चात्याप नहीं प्राप्त किया । आवश्यकता पड़नेपर वे सचिनय अवक्षाके लिये अब भी तैयार हैं । जब अभियोग चलाया गया तो वकीलोंने क्षमादान न चाहकर विचार और निर्णय चाहा । हाईकोर्टने उनकी स्विति सन्दिग्ध रख दी ।

विद्वान जजोंने कानूनी आचरणकी जो मीमांसा की है वह हम लोगोंके मतसे विवादप्रस्त है । जजोंने फैसलेमें लिखा है— “जो कानूनके द्वारा जोविका कमाते हैं उन्हें कानूनकी मर्यादाका पालन करना चाहिये ।” हमारी समझमें नहीं आया कि जजोंका इससे क्या अभिप्राय है? यदि जजोंका यह अभिप्राय है कि किसी भी अवस्थामें वकीलोंको सचिनय अवक्षा नहीं करनी चाहिये नहीं तो उन्हें अदालतकी अप्रसन्नताका कारण होना पड़ेगा तो हमें वाध्य होकर कहना पड़ेगा कि यह एकदम

फल्जूल है। वकील ही सबसे प्रथम व्यक्ति हैं जो कानूनोंकी बुराईको सबसे प्रथम समझ सकते हैं। इसलिये उनका कर्तव्य यही होना चाहिये कि यदि वे किसी अनुचित कानूनका निर्माण होते देखें तो सबसे पहले उसकी सविनय अवश्य करना आरम्भ कर दें ताकि अशान्ति और उपद्रव न होने पावे। वकीलोंको कानून और सतत्वताका अभिभावक होना चाहिये और इस हैसियतसे उन्हें सदा इस बातकी चेष्टा करनी चाहिये और ध्यान रखना चाहिये कि कानूनकी पुस्तकमें किसी तरहके बुरे कानून न भरे जाय। पर बड़बड़ हाईकोर्टके जजोंने उनके पद-को केवल पेसा कमानेवाला बतलाया है और जजों तथा वकीलोंके कर्तव्यको अन्धेरेमें डाल दिया है। इस असहा स्थितिके निवारणका एकमात्र यही उपाय है कि सत्याग्रही वकील अपने अभियोगको बोर्डमें पुनः विचारके लिये उपस्थित करें और फ़ेसला करा लें। इस बातकी प्रसन्नता है कि जजोंने इस मार्ग-को अवश्य नहीं कर दिया है।



सफाई

(फरवरी २५, १९२०)

एस० इवल्यू० होम्सके साथ महात्मा गांधीका जो बातोंलाए हुआ वह पहले पहल लखनऊके इण्डियन विटेस नामक पत्रमें प्रकाशित हुआ था और बादको वही यंग इंडियामें उद्भूत किया गया :—

प्रश्न—मिष्टर गान्धी, पूर्वोंय देशोंके—विशेषकर भारतके—चिकासके लिये पश्चिमी राष्ट्र क्या योगदान कर सकते हैं ?

उत्तर—भारत इस समय अचेत पड़ा है। उसमें अनेक ऐसी बातें आ गई हैं जो निरर्थक और अकारण हैं। पाञ्चाल्य राष्ट्रोंके पर्यवेक्षणसे हमने दो बातें सीखी हैं। एक तो निर्मलता और दूसरी शक्ति। हमारा दृढ़ मत है कि जबतक भारतके लोग निर्मलता नहीं सीख लेते भारतका आत्मिक उद्धार नहीं हो सकता। पश्चिमके लोगोंमें बड़ी स्फूर्ति होती है। पर उन्होंने भौतिक पदार्थके लिये ही अपनी शक्तिका प्रयोग किया है। यदि भारतके लोग शक्ति सम्पन्न हो जायं और उसका सदुपयोग करें तो उन्हें अधिक लाभ हो सकता है।

प्रश्न—क्या आप बतला सकते हैं कि बत्तमान राष्ट्रीयताके भावके आधारपर ईसाईधर्मसे भारतका क्या उपकार हो सकता है ?

उत्तर—इमे सहानुभूतिकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जिस समय में अफ़्रिकामें या मुझे यह अनुभव हुआ। जो लोग जलके निर्मल स्रोतका दर्शन करना चाहते हैं उन्हें गहरा कुओं खोदना चाहिये। जो लोग हमारे देशमें आकर यहाँके निवासियों-का परिचय पाना चाहते हैं वे केवल ऊपरकी मिट्टी ही हटाकर काम चला लेना चाहते हैं। यदि सच्ची सहानुभूति दिखाकर वे अन्तस्तलतक प्रवेशकर जायें तो उन्हें विदित होगा कि वहाँ निर्मल जलका भरना वह रहा है।

प्रश्न—क्या आप बतला सकते हैं कि किन पुस्तकों और मनुष्योंने आपको सबसे अधिक भावान्वित किया है। (मुझे पूर्ण आशा थी कि महात्माजी वेद या अन्य धर्मेश्वर्योंका नाम लेंगे। पर उनका उत्तर सुनकर मैं चकित हो गया।)

उत्तर—मैं निरर्थक पढ़नेवालोंमें नहीं हूँ। मैंने केवल चन्द्र चुनी किताबे पढ़ी हैं। बाइबिल, रस्किन और टालस्टाय हमारी प्रधान पाठ्य पुस्तकें हैं। कभी कभी मैं किसी निर्णय पर न पहुँ चर्चेके कारण निश्चेष्ट हो जाता था। उस समय मैं बाइबिल उठाकर पढ़ता और आश्वासन ग्रहण करता।



होमरुल लीगके मेम्बरोंको सन्देश

(अंग्रेज २८, १९२०)

ऐसी संस्थासे संबन्ध रखना जो पूर्णरूपसे राजनीतिक है मेरे लिये एकदमसे नई बात है और अपने पथसे एकदम हटना है। पर अपने कतिपय इष्टमित्रों तथा हितेष्यियोंसे सलाह करनेके बाद मैंने इस संस्थाका सदस्य होना तथा इसके सभापतिका पद स्वीकार करना उचित समझा। अनेक मित्रों तथा हितेष्यियोंने यह भी कहा कि हमे राजनीतिमें भाग नहीं लेना चाहिये क्योंकि उस अवस्थामें हम अपने इस पदसे न्युत हो जायगे। मैं निःसंकोच स्वीकार करता हूँ कि इस चेतावनीका मुख्यपर बड़ा प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ मेरे हृदयमें यह भी भाव उठा कि यदि होमरुल लीगने इसी अवस्थामें मुझे स्वीकार कर लिया तां उस आन्दोलनमें अपनेको रत न कर देना चाहे पाप होगा। इतने दिनोंसे मैं जिस बातका अनुभव करता आया हूँ, जिसमें मैंने असीम बोग्यता प्राप्त की है, जिसे मैंने अनुभवों द्वारा शीघ्र सफलता देते देखा है उसका प्रयोग इस संस्थाके उद्देशकी सिद्धिके लिये न करना पाप होगा। जिन उद्देश्योंका मैंने जिक्र किया है वे स्वदेशी आन्दोलन, हिन्दू मुस्लिम एकता, हिन्दीको राष्ट्र

भाषा बनाना, और भाषाके आधारपर प्रोल्टोका संगठन है। यदि मैं इसके सदस्योंको अपने मतका बना सका तो मैं लीग-का ध्यान इन बातोंपर आकृष्ट करूँगा।

मैं यहीं पर स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि मेरी राष्ट्रीय संगठनकी व्यवस्थामें सुधारोंको गौण स्थान दिया जायगा। इसका कारण यह है कि यदि देशने मेरी व्यवस्था स्वीकार कर की और इसमें तत्परता दिखाई तो सारे अभिवाज्ञित सुधारों की योजना हो जायगी और पूर्ण स्वाधीनताकी प्राप्ति भी इसके द्वारा कमसे कम समयमें हो सकती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन उपायोंके अवलम्बनसे स्वराज्य प्राप्तिका मार्ग सरल हो जायगा। इसी उद्देश्यसे मैं इस मन्त्रव्यक्तोंलीगके सामने रख रहा हूँ। मैं लीगको किसी व्यक्ति या दल विशेषमें रहा हूँ और न दलबन्दीमें मेरा विश्वास है। भविष्यमें भी मैं किसी दल विशेषका हांकर नहीं रहना चाहता। हाम-कल लीगके उद्देश्योंमें कांग्रेसके उद्देश्यको बढ़ानेकी भी शर्त है पर मैं कांग्रेसको भी दल विशेषकी संस्था नहीं मानता। जिस तरह ब्रिटिश पार्लिमेंट सदा किसी न किसी दल विशेषके हाथमें रहती है पर वह अभी भी दल विशेषकी संस्था न कहलाकर सारे इंग्लैण्ड निवासियोंकी संस्था कहलाती है उसी तरह कांग्रेस यद्यपि अवस्था भेदके कारण दल विशेषके हाथमें हो जाती है पर वह सारे भारतवासियोंकी संस्था है।

मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि सभी मतके लोग इसमें सम्मिलित होकर अपना अपना मत जानताके समक्ष उपस्थित करेंगे और उचित नीति निर्धारित करेंगे। मैं भी उसी बातकी चेष्टा करूँगा कि लीग ऐसी नीतिपर चले जिससे कांग्रेस किसी दल विशेष-की संस्था न होकर राष्ट्रीय बनी रहे।

यहाँ पर मैं कार्यक्रमके तरीकेके बारेमें दो शब्द कह देना उचित समझता हूँ। मेरी धारणा है कि किसी देशके राष्ट्रीय जीवनमें अन्तर्हित सत्य और अहिंसाका प्रचार किया जा सकता है। यद्यपि मैं लोगको सचिनय अवक्षाके कार्यक्रमको स्वीकार करनेके लिये बाध्य न करूँगा तथापि मैं सत्य और अहिंसा-के भावको धारण करनेके लिये लोगको अधिकाधिक दबाऊँगा। यह हमारे राष्ट्रका प्रधान अङ्ग होना चाहिये। ऐसी अवस्थामें हमें सरकारी कार्रवाइयोंसे भय या सन्देह नहीं होगा। मैं इस बातपर अधिक जोर नहीं देना चाहता। मैं सब बातें समयके ही हाथों छोड़ देना हूँ। वही इन प्रश्नोंका निपटारा करेगा। इस समय न तो मैं अपने सिद्धान्तकी व्याख्या करना चाहता हूँ न तो उसकी उपर्योगिताका ही दिग्दर्शन कराना चाहता हूँ। मैं केवल लीगके सदस्योंको अपने मतका बनाकर जिन सिद्धान्तोंको मैंने लीगके सामने रखा है उसपर केवल उनका मत चाहता हूँ।

अंगरेज रमणीकी आशीष ।

‘एक अंगरेज महिला’ ने कलकत्ते से एक पत्र भेजा है। उसमें उन्होंने अपना नाम और पता भी दिया है। आप लिखती हैं— श्रीगांधीजी जिस अनोखे ढङ्ग से हमें सत्यका दर्शन करा रहे हैं और हमारी आंखें खोल कर हमें अपनी उच्च-हृदय कहलाने वाली स्मरकारके हीन काम देखनेका अवसर दे रहे हैं उसे देखकर मन मुराघ हो जाता है। एक ‘अंगरेज पादरिन’ ने जो पत्र उन्हें भेजा है वह भी प्रशंसनीय है। मेरा ख्याल है कि ऐसे और भी कितनेही लोग होंगे; पर अभिमान वश वे गांधीजीके उच्च कार्यको माननेके लिये तैयार नहीं हैं। उनका धैर्य और कार्य एक गहरे पृथ्वीके-पेटमें छिपे हुए भरनेको तरह है। संसार चाहे किसी बातका उपदेश करता रहे, परन्तु हंश्वर उन्हें उनकी आशासे भी बढ़ कर सफलता देगा। जो लोग शान्तिके साथ चुपचाप कार्य करते हैं वही सफलताके अधिकारी होते हैं। लाखों आदमी आज उनपर हृषि जमाये हुए हैं और उनके विषयमें विचार कर रहे हैं। परन्तु इन सबसे बढ़कर एक शक्ति है जो उनके दैनिक जीवनके युद्धको बड़े गौरसे देख और विचार रही है और जब उनके ये दीर्घ परिश्रम और युद्धके दिन समाप्त हो जायगे तब उनका काम और नाम संसारमें अमर हो जायगा। उनके कठोर परिश्रमके द्वारा जिन लाखों लोगोंको आजादी


मिलेगो वे उनके नामकी पूजा करेंगे। परमात्मा उन्हें तथा उनको धर्मपत्नीको आशीर्वाद दें, उन्हें चिरायु करें और आरोग्य नथा बल प्रदान करें जिससे वे इस युद्धमें शीघ्रही जयलाभ करें।'

पाठकोंके सम्मुख इस पत्रको उपस्थित करते हुए मुझे सङ्केत हो रहा है। व्यक्ति-विषयक न होते हुए भी यह कितना व्यक्ति-विषयक है। परन्तु मेरा ख्याल है कि मैं अहङ्कारसे लिप्त नहीं हूँ। मैं नमस्करता हूँ कि मैं अपनी दुर्बलताओंको खूब जानता हूँ। परन्तु मेरे हृदयमें ईश्वरके, उसकी शक्तिके और उसके प्रेमके प्रनि जो श्रद्धा है वह अटल है, आवचल है। मैं तो उस जगत्कर्ताके हाथका एक खिलौना मात्र हूँ। और, इसलिये, भगवद्गीताकी भाषामें कहूँ तो, ये सब स्तुति-स्तोत्र उसीके चरणोमें समर्पित करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसे आशीर्वचनोंसे शक्तिका संचार होता है। परन्तु इस पत्रको प्रकाशित करनेमें मेरा उद्देश यह है कि इससे प्रत्येक सच्चे असहयोगीको अपने अहिंसाके पथमें बढ़ते हुए उत्साह मिले और बनावटों लोग अपनी गलतियोंसे बाज आवें। यह एक सच्ची लड़ाई है—भयंकर सच्ची लड़ाई है। यद्यपि इसमें छेष करनेवाले लोग शामिल हैं तथापि इसका आधार छेषपर नहीं है। इस संग्रामकी भित्ति तो शुद्ध और निर्मल प्रेमपर है। यदि अङ्ग्रेज-माइयोंके प्रति या उन लोगोंके प्रति जो 'अन्धेनेव नीयमाना' यथान्वया: की तरह नौकरशाहीके पिट्ठू

बने हुए हैं, मेरे मनमें जरा भी द्वेष-भाव होता तो मुझे इतना साहस अवश्य है कि मैं इस संग्रामसे अलग हो जाऊँ। जिस मनुष्यके मनमें ईश्वरके अथवा उसकी दयालुता अर्थात् न्याय-परायणताके प्रति जरा भी अद्वा है, वह मनुष्योंके प्रति द्वेष-भाव रख ही नहीं सकता—हाँ, उनके कुकार्योंका तिरस्कार तो उसे अवश्य करना चाहिए। परन्तु वह मनुष्य खुद भी तो बुराइयोंसे बरी नहीं है। उसे हमेशा दूसरेकी दयाकी आवश्यकता रहती है। अतएव उसे उन लोगोंसे द्वेष कभी न करना चाहिये जिनमें वह बुराई पाता हो। सो इस युद्धका तो उद्देश इसी यह है कि अंगरेजोंके साथ, और सारे संसारके साथ, भारतकी मैत्री हो। यह हेतु छूटी खुशामदसे सिद्ध नहीं हो सकता; बल्कि तभी होगा जब हम भारतके अंगरेजोंसे साफ साफ कहेंगे कि भाइयों, आप कुमार्ग पर जा रहे हैं और जबतक आप उसे न छोड़ेंगे तब तक हम आपके साथ सहयोग नहीं कर सकते। यदि हमारा यह ख्याल गलत हो तो ईश्वर हमें क्षमा कर देगा; क्योंकि हम उनका बुरा नहीं चाह रहे हैं और उसके लिये हम उनके हाथों कष्ट भोगनेको भी प्रस्तुत हैं। यदि हम सचाई पर हैं, मेरा यह टिप्पणी लिखना जितना निश्चित है उनने ही निश्चय-के साथ यदि हम सच्चे हैं, तो हमारे कष्ट-सहनसे उनकी आँखें खुल जायेंगी-ठीक उसी तरह जिस तरह कि 'इन अंगरेज महिलाओं' की खुल गई है। यह एक ही उदाहरण ऐसा नहीं है। सफरमे अक्सर बीसों अंगरेज भाइयोंसे मेरी मुलाकात

होती है। मैं उन्हें नहीं पहचानता; पर वे बड़े शौकसे मुझसे हाथ मिलाते हैं, और मेरी सफलता चाहते हैं और चले जाते हैं। हाँ, यह सच है कि जहाँ बीसों अंगरेज मुझे आशीर्वाद करते हैं तबाँ सैकड़ों ऐसे भी हैं जो मुझे शाप देते हैं। इन शापोंको भी हमारे यहाँ उसीके चरणों पर चढ़ा देनेको आशा दी गई है। इसका कारण है उनका अज्ञान। कितने ही अंगरेज भाई तथा कुछ हिन्दुस्तानी भी मुझे तथा मेरी हलचलोंको दुष्ट और कुटिल समझते हैं। ऐसे लोगोंके साथ भी असहयोगियोंको सहिष्णुता धारण करना चाहिए। यदि उन्होंने क्रोधको और वैरभावको अपनाया तो युद्धमें हारे ही समझिए; पर यदि वे उन्हें सहन करते रहे तो उनकी जय निश्चित है, उसमें विलम्ब नहीं। मुझे निश्चय ही चुका है कि इस सारे विलम्बका कारण है हमारे कर्तव्य पालनमें त्रुटियाँ। हम हमेशा ही शान्तिमय नहीं बने रहे हैं। हमने, अपनी प्रतिज्ञाके खिलाफ, दुर्भावको अपने हृदयमें स्थान दिया है। हमारे प्रतिपक्षी, अंगरेज शासकवर्ग, उनके साथ सहयोग करनेवाले, तालुकेदार तथा राजा लोग हम पर अधिवास रखते आये हैं और हमसे भय छाते आये हैं। अपनी प्रतिज्ञा-के अनुसार हम उनको हर तरहसे सुरक्षित रखनेके लिए बाध्य हैं। हाँ, हमें उनको दीन-दुर्बल लोगोंकी आर्थिक लूटमें तो किसी तरह सहायता न देना चाहिए परन्तु हमें उन्हें किसी तरह नुकसान भी न पहुँचाना चाहिए। यद्यपि उनकी संख्या कहुत ही कम है तथापि हमें अपने मध्यमें उन्हें संगीनोंकी सहायता की

अपेक्षा अधिक सुरक्षित कर देना चाहिए। यदि हमारी संख्या मुहूर्मुहूर होती तो हमारी स्थिति अधिक आसान रही होती, बहुत पहले ही हम अपने धर्मकी सचाई सिद्ध कर पाते। परन्तु हमारी संख्या तो बहुत बढ़ी चढ़ी है और इसीसे हम दिक् हो जाते हैं। वर्तमान राज्यसे तो हम दोनों असन्तुष्ट हैं, परन्तु अहिंसामें दोनोंकी अज्ञा एक सी दृढ़ नहीं है। हमें तबतक दम न लेना चाहिए जबतक हम महारासके जैसी शर्म दिलानेवाली दुर्घटनायें असम्भव न कर दें। ‘अहिंसा’ का जप करते हुए हमें अद्वालतोंकी कार्रवाईमें बाधा न डालनी चाहिए। या तो हम जेलोंका आवाहन ही करें या उससे मुत्लक दूर रहें। यदि हम ऐसा चाहते हैं तो सरकार हमें जितनी जल्दी उठा ले जाना चाहे उतनी जल्दी उसे उठा ले जाने देना चाहिए। जिस हृदयक हम अहिंसाकी उलझनोंको न समझेंगे उसी हृदयक इस युद्धकी उम्मीद बढ़ती जाती है।



द्वितीय खण्ड ।

पञ्चावकी दुर्घटना

पंजाबका सन्देश ।



(मार्च २४, १९३०)

ता० २७ फरवरीको श्रीमती सरलादेवी चौधरानीने अहमदाबादमें
निम्नलिखित भाषण हिन्दीमें दिया था:—

“यह पवित्र भूमि है। उसमें पञ्जाबको परम पवित्र मानना
चाहिये। प्राचीन ऋषियोंका यह प्रान्त निवासस्थान रहा है।
जिस समय आधुनिक सभ्यताके चकाचौथमें पड़कर हम उसके
दास हो जाते हैं और अपनी महत्त्वाको इतनी हेठ समझने लगते
हैं कि उसका नाम लेते भी शर्माते हैं उस समय हमें उन
जानोंको खोद निकालनेकी धुन समाती है जो वेदोंमें छिपे हैं
और हम उन्हींकी तलाशमें तह्मीन होकर अपनी आत्माको शांति
देते हैं और जब हमें उन ऋषियोंके गानोंकी मधुर ध्वनि उन
पोथियोंसे मिल जाती है तो हम अभिमानके मारे फूल उठते हैं,
हमें अपनी प्राचीन सभ्यताका बार बार स्मरण आने लगता है
और हम उसके गुणगानमें मस्त हो जाते हैं। इस अतुल सम्प-
त्तिको उन ऋषियोंने वेदोंमें छिपाकर सुरक्षित कर दिया है।
वेदोंको हम लोग ईश्वरवाक्य मानते हैं। ये वाक्य उन ऋषियोंको
पञ्जाबकी नदियोंके तटपर आपसे आप प्रादुर्भूत हुए थे। यही
कारण है कि पञ्जाबका नाम ही प्राणीमात्रके हृदयको साहस,

उमड़ और आशासे भर देता है। उसी भूमिमें पलकर लोगोंने प्रवर पण्डित ऋषियोंसे सत्क्रान्त उपार्जित किया था। इस भूमिमें एक महर्षिकी पत्तीने अपने पतिदेवसे कहा था:—

“इन भौतिक पदार्थोंसे क्या लाभ यदि ये मृत्युकी विभीषिकाको नहीं मिटा सकतीं।” कालान्तरमें वही ऋषिपत्ती स्वर्गकी देवी बन गई और आज भी करोड़ों भारतवासी उनके गान गाते हैं जिसका अभिप्राय है:—“हे प्रभु, अनृत्से मेरी रक्षाकर, सत्यका मार्ग मुझे दिखा, अंधेरेसे निकालकर मुझे प्रकाशमें ले चल, मृत्युके भयसे हटाकर मुझे अमर बना दे और मुझे अपना दर्शन दे और अपनी सहज उदारतासे री रक्षा कर।” यह वही भूमि है जहां युवक कुमार नचोकेतने सांसारिक सुखों और भोगोंको ठुकराकर अमरत्वको प्राप्त किया था। नचोकेतनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर धर्मेराजने उसे एक वर देना चाहा। उसने धर्मेराजसे कहा—“धनसे कोई महान नहीं बन सकता, मैं केवल यही चाहता हूँ कि आप मुझे परलोकका ज्ञान दे दीजिये।” इसी पञ्चाबमें देवता लाग स्वर्गके विहित सुख और आनन्दोंको त्याग कर ऋषियोंको सेवामें रहकर ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करते थे।

यह तो प्राचीन कालकी बातें हैं। आधुनिक समयमें पञ्चाब धार्मिक विकासका जन्मधेत्र रहा है। सिक्ख धर्मका प्रादुर्भाव इसी भूमिमें हुआ। इन गुरुओंने धर्मके लिये जो त्याग किया है, जो बलि दिया है उसे स्मरण करके रोमाञ्च हो जाता है। ये धार्मिक भाव, ये अनन्यत्याग हम लोगोंके लिये अनुकरणीय हैं।

पर कुछ समयसे पंजाब अपनी इस प्राचीन गौरवको भूल गया सा प्रतीत होता है। उन झृषियोंकी ये सन्तानें यथपि रङ्गरूपमें झृषि सन्तान प्रतीत होती है पर ये उनकी शक्ति और शिक्षाको या तो भूल गईं या उसका उलटा अभिप्राय लगाया। उन झृषियोंने कहा था:—“शक्ति विज्ञानसे बढ़कर है। एक बलिष्ठ आदमी सेकड़ों वैज्ञानिकोंके लिये पर्याप्त है। शक्तिके बलपर ही पृथ्वी, तेज, आकाश, पर्वत, देवता, मनुष्य, पशुपक्षी, कीड़े मकोड़े, तथा वनस्पतियां उठारी हैं। इसलिये इसीकी उपासना करनी चाहिये।”

पंजाब शारीरिक शक्तिके सामने इस आत्मबलकी भूल गया। वह इस बातको भूल गया कि झृषियोंने शारीरिक बलपर जोर नहीं दिया था बलिक आत्मबल पर। यह बल सब अवस्थामें सभी स्थानोंपर मनुष्यका सहायक हो सकता है पर यह अगोचर है, अगम्य है, अव्यक्त है। यह आत्मबल अतिशय लाभदायक है और पशुबलसे यह एकदम भिन्न है। इसमें वह शक्ति है जिसके द्वारा विशिष्ट विश्वमित्रपर विजय लाभ की थी। क्या पंजाब पश्चिमी जातियोंके पशुबलकी उपासनाके संबंधमें आसका होता ? पशुबलके दो विशिष्ट आकार हैं:—ज़ुल्म और बुजदिली अर्थात् दुर्बलोंको सताना और बलवानोंसे छरना। इसके एकदम प्रतिकूल आत्मबलमें दुर्बलोंकी रक्षा और जालिमोंसे निर्भय रहनेका गुण है। इस संबंधमें उन्हीं अमरकीर्ति झृषियोंने लिखा है कि दोनोंमेंसे पसन्द करनेका अधिकार हमारे

हाथमें है। जिनपर देवताओंकी कृपा होती है वे ही सद्गुरोंका अधलम्बन करते हैं। कुछ कालके लिये देवता लोग पंजाबको भूल गये। जब उन्हें इस भूमिका एक बार पुन स्मरण आया तो आकाश बाणी हुई कि, :—

उत्तिष्ठत, जाप्रत प्राप्य वरान् निवोधत

उठो, जागो और गुरुजनोंके चरणोंमें उपस्थित होकर ज्ञान प्राप्त करो।

पंजाबको जगानेवाला गुरु गुजरातमें था। उसने पंजाबको आंखसे कभी भी नहीं देखा था पर उसने पंजाबके लिये एक सन्देश रख छोड़ा था। इस सन्देशको बहुतोंने पढ़ा पर विरलोने ही इसके मर्मको समझा। परिणाम यह हुआ कि एक प्रकारकी उत्तेजना लोगोंमें हृषिगोचर होने लगी। पंजाब निवासियोंने उनकी प्रतिशापर हस्ताक्षर नहीं किया था। उन्होंने सत्याप्राहके आन्तरिक भावको नहीं समझा था; तोभी उसमेंसे स्वतन्त्रताकी जो ध्वनि निकल रही थी वह सारे पंजाबमें फैल गई और पंजाब जागृत हो उठा। पंजाबियोंमें एक नई शक्तिका संचार हुआ अर्थात् पीड़ा सहनेकी शक्ति और यही कारण था कि विना चूं किये ही लाहोरके निवासियोंने गोलियोंकी मारको छातियों पर वर्दीश्त किया। आज ही समाचार मिला है कि जिन २१ आदमियोंको सेनिक अद्वालतने भारी भारी दण्ड दिया था—जिसमें कांसी तकके दण्ड थे—उनकी अपीलको प्रिवी

कोंसिलने खारिज कर दो। इस संवादको भी पंजाबके निवासी अमृतका घूँट समझ कर पी जायगे। अनेक निर्दोष व्यक्ति, बड़े बड़े नेतागण जेलमें भेज दिये गये, कितनोंका सर्वस्व लुट गया, कितने अनाथ हो गये, सैकड़ोंको अब दान और सदाचर्तका मुँह ताकना पड़ रहा है। पर गिनेगिनाये कुछको छोड़कर सभीने इन यातनाओंको पूर्ण शान्ति और सहनशीलताके साथ वर्दान्त किया। यह सत्याग्रहके सन्देशका प्रभाव था। सुख और दुःख, जेल और राजमहल, जीवन और मरण आज एक ही प्रश्नके भिन्न भिन्न रूप हो रहे हैं। यदि हममें सत्यबल है तो हम डायर अथवा ओडायरका भय क्यों करें? हम लोगोंका सत्यबल हमें स्वतन्त्र कर देगा। आज पंजाबसे आवाज आ रही है :—

दुर्बलोंके पास आत्मबलका अभाव रहेगा।

यदि आज पंजाब अपने शत्रुओंको क्षमा कर देता है तो यह दुर्बलोंकी भययुक्त क्षमा नहीं है बलिष्ठोंके हृदयकी असीम उदारताके लक्षण है।



हण्टर कमेटीकी जांच

(दिसम्बर १७, १९१६)

अहमदाबाद और खेरागढ़के उपनग्नके सम्बन्धमें रावसाहब होरालाल देसाईके प्रश्नका वर्णवई सरकारने जो उत्तर दिया है उसे पढ़कर प्रत्येक व्यक्तिको दुःख होगा, क्योंकि उसे पढ़कर प्रत्यक्ष हो जाता है कि सरकार सभी बातका दिग्दर्शन न करानेके लिये केवल टाल मटोल कर देती है। रावसाहबके प्रश्नों पर विचार करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि वर्णवई सरकारने उनका अधीरताका दुरुपयोग किया है और जननाको उन कई आवश्यक बातोंके सम्बन्धमें एकदम अंधेरेमें रखना चाहा है। उनमेंसे कितनेही प्रश्न ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष घटनासे है और कितने ऐसे हैं जो विवादप्रस्त हैं जिन्हें किसी न किसी प्रकार अशान्तिका कारण माना जा सकता है और उन्हींके भाघार पर उन उपर्योंको जांच हो सकती है जो उनको शान्त करनेके लिये प्रयोग किये गये थे। पर खेद है कि रायसाहबने इन विषयों पर जानकारीके लिये सब प्रश्नोंको एकमें ही मिला दिया और उस बातको भूलही गये। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्णवई सरकारको टाल मटोल करनेका अवसर मिल गया।

इस स्थानपर रावसाहबके प्रत्येक प्रश्नोंपर विचार नहीं किया जा सकता फिरभी खास खास प्रश्नोंको ले कर उनका दिग्दर्शन कराना आवश्यक है। रावसाहबने पूछा है :—“क्या बम्बई सरकार बतला सकती है कि अहमदाबादमें किस तारीखको और किस समय मार्शल ला जारी किया गया तथा किस तारीखको और किस समय उठा लिया गया ?” सरकारने इस प्रश्नका कोई उत्तर नहीं दिया है। हमारी समझमें नहीं आता कि बम्बई सरकार इतने साधारण प्रश्नका उत्तर देनेके लिये क्यों तैयार नहीं थी ? यह प्रश्न केवल एक घटनाको प्रश्न था और इससे मार्शल लाके जारी करनेकी उपयोगिता या क्षमताके प्रश्नसे कोई सम्बन्ध नहीं था। पर बम्बई सरकारने इस प्रश्नका उत्तर देना भी उचित नहीं समझा ।

रावसाहबका दूसरा प्रश्न था—“क्या बम्बई सरकार उन लागोंका नाम, पता, अवस्था, जाति और बलिदयत बतला सकती है जिन्हें अहमदाबादमें गोलियोंका शिकार होना पड़ा है ?” ऐसे प्रश्नोंका उत्तर न देनेके सरकारके पक्षमें कोई भी यथोष्ट कारण नहीं दिखाई देते। पाठकोंको स्मरण होगा कि बड़ी व्यवस्थापक सभाकी सितम्बरकी बेटकमें परिणित मदनमोहन मालवीयने भी इसी तरहका प्रश्न किया था। उनके निझ लिखित शब्द थे :—“क्या भारत सरकार बतलावेगी कि पंजाबकी हुर्घटनामें मार्शल लाके शिकार होकर कितने लोग मर गये, कितने लोग आहत हुए, उन आहतोंमेंसे कितने मरे और

कितने जो गये और उनका पता छिकाना तथा अवस्था क्या है ?” सरकारकी ओरसे जिन शब्दोंमें उत्तर दिया गया था उन्हें भी यहाँ उद्धृत कर देना उचित होगा । “अभी तक जो कुछ पता लग सका है उससे प्रगट होता है कि लाहोरमें १४, अमृतसरमें ३०१ गुजरानबालामें १७, गुजरातमें २ आदि मरे । उनके नामादिकी सूचना नहीं दी जा सकती ।” हमारी समझमें नहीं आता कि अहमदाबादके उपद्रवके विषयमें बम्बई सरकार इतनी भी सूचना क्यों नहीं दे सकती थी ? हम यह माननेके लिये तैयार हैं कि उसी ऊपरवाले प्रश्नका दूसरा भाग—जिसमें पूछा गया है कि बम्बई सरकार उस संबंधमें भी तारीख आदिको बतलावे जहाँ उपद्रवके कारण गोली छलाना अनिवार्य था—हण्टर कमेटीकी जांचका विषय है । इसी प्रकार प्रश्न नं० १२, १३, २२, २३ भी हण्टर कमेटीकी जांच के विषय हैं । पर क्या बम्बई सरकार उन प्रश्नोंको छोड़कर केवल उतनेका ही उत्तर नहीं दे सकती थी जो उसके हाथके थे और जिनका दौरा हण्टर कमेटीकी जांच पर निर्भर था उन्हें छोड़ देती ?

इसके बाद प्रश्न ६, ६ और १६ आते हैं । रावसाहबने इन प्रश्नोंको जिला पुलिस एकू धारा २५ (ए) के अनुसार निकाले हुए एक आङ्हापत्रके संबन्धमें किया था । इनका सीधा संबन्ध स्थानीय सरकारके कौजदारी धाराओंके प्रयोगके विषयसे था और इनसे प्रश्न्यकोंकी शासन संबन्धी उपयोगिता

और अनुपयोगिताका पता चलता था। इसलिये ऐसे प्रश्नोंपर
पूर्ण प्रकाश ढालना नितान्त उचित और आवश्यक था।
इस बातको भी ध्योनमें रखना उचित होगा कि रावसाहब
हीरालाल देसाईने इन प्रश्नोंमें उन कार्रवाइयोंके काननी अधिका-
रका प्रश्न नहीं उठाया था, क्योंकि ऐसी अवस्थामें ये प्रश्न हण्टर
कमेटीकी जांचके विषय हो जाते। उन्होंने केवल इतना ही पूछा
था—“क्या बम्बई सरकार बतला सकती है कि अहमदाबादमें
अशान्तिके दिनोंमें पुलिस ऐकृका जिस प्रकार प्रयोग किया गया
था वह न्याययुक्त था?” इस प्रश्नका उत्तर न देकर केवल
टालमटोलसे काम लेकर बम्बई सरकारने साधारण न्यायका भी
गला घूंट दिया है। जहांतक हमलोग समझते हैं हण्टर कमेटी
इन बातोंकी जांच करने नहीं जारही है कि उपद्रवके दिनोंमें ओ
सरकारी इमारतें जला या ढहा दी गईं थे किस संबंधमें बनाई
गई थीं, उनमें कितना खर्च लगा होगा और उनका बर्तमान मूल्य
क्या होगा, कुछ लोग जर्माना देनेसे बरी क्यों किये गये और जो
लोग बरी किये गये हैं वे ही बरी होनेके योग्य हैं? ऐसी दशामें
बम्बई सरकारकी कार्रवाई और भी मर्यादाहीनप्रतीत होने लगती
है क्योंकि इस प्रकारके प्रश्नोंपर पूर्ण प्रकाश ढालनेका एकमात्र
साधन सरकारका उत्तर था।

हमलोग इस विषयमें भी पूर्ण अन्यकारमें हैं कि हण्टर
कमेटीने पहलेसेही इन विषयोंको अपनी जांचके अन्दर रख लिया
था अथवा बम्बई सरकारके उत्तरके बाद अपनी सीमाको बढ़ाकर
उन्हें भी अपने अन्दर ले लिया है? हमें आशा है कि चाहे
भारत सरकार चाहे हण्टर कमेटीके मन्त्री इस प्रकारकी
सूचना निकालकर जनताको सच्ची बातकी सूचना देंगे और इस
विषयपर पूर्ण प्रकाश ढालेंगे।

झूठ कि लापरवाही ।

—८३५—

(जनवरी ७, १९२०)

कृत्रका तार है कि मिस्टर स्वानके प्रश्नका उत्तर देते हुए मिस्टर माण्टेग्ने कहा था:—कांप्रेस चाहती थी कि जबतक हण्टर कमेटी जांच कर रही है तबतकके लिये सभी मार्शल लाके केवी चिना किसी शर्तके जमानतपर छोड़ दिये जायं । पर उनकी मांग पूरी नहीं की गई, इसीलिये उन्होंने जांच कमेटीका बहिरकार किया ।” हमारी समझमें नहीं आता कि मिस्टर माण्टेग्ने के उपरोक्त बयानमें जो परस्पर विरोधी भाव है उनकी जिम्मेदारी किस पर है? मिस्टर माण्टेग्नपर कि कृतरपर । पर कृत इतनी भारी बात नहीं दबा सकता । क्योंकि कांप्रेस कमेटीकी मांग थी कि हण्टर कमेटीकी जांचके समयतक उन प्रधान नेताओंको छोड़ दिया जाय जो मार्शल लाके शिकार बन कर जेलमें भर दिये गये हैं । इसमें सन्देह करनेकी कोई बात नहीं कि जिस समय मिस्टर माण्टेग्ने मिस्टर स्वानके उपरोक्त प्रश्नका उत्तर दिया था उनके पास सब्दी घटनावलीका संवाद पहुंच गया था, क्योंकि १७ नवम्बर १९१९ को परिषद माल-खायजीने उनके पास निम्नलिखित तार मेजा था:—“कामन्स समामें कर्नल बेजबूढ़के प्रश्नोंका आपने जो उत्तर दिया है उसका

समाचार पत्रों द्वारा अभी मिला है। आपने कहा है कि हण्टर कमेटीको यह अधिकार है कि वह सैनिक अदालतके फैसलोंकी पुनः निगरानी करा सकती है। यदि हण्टर कमेटी ऐसी शिकायित्स कर सकती है तो इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रधान प्रधान के दी नेता जमानतपर अवश्य छोड़ दिये जायें। पर प्रांतीय सरकारने किसी भी अवश्यामें उन नेताओंको इजलासमें आनेसे रोक दिया है। साथ ही जिन अफसरोंकी कार्रवाईकी जांच हो रही है वे खुली तौरसे अदालतमें आते हैं और आवश्यक विषयोंपर सरकारी वकीलकी सहायता करते हैं।” इसके साथ ही साथ सर शडूर नायरके पास भी एक तार भेजा गया था जिसमें लिखा था:—कांग्रेस सचिवकमेटी केवल इतना चाहती है कि “मार्शल लाके के दी ६ प्रधान नेता केवल उस दिनके लिये खतब्ब कर दिये जायें जिस दिन उनका बयान हो पर प्रत्येक नगरके प्रधान प्रधान के दी नेता पुलिसकी रक्षामें जांच कमेटीकी कार्रवाईमें कमसे कम उन दिनोंमें उपस्थित किये जायें जिस दिन उनके जिलेके उपद्रवकी जांच हो ताकि आवश्यकता पड़नेपर वे अपने वकीलोंकी सहायता करें जिससे वे सरकारों गवाहोंके बयानकी असलियतकी पता लगा सकें।” यह तार लण्डनके समाचार पत्रोंमें भी प्रकाशित हुआ था। तो क्या मिस्टर माणटेग्ने असली बातको छिपाया? पर यदि उन्होंने पेसा नहीं किया—जैसा कि हमें विश्वास है कि वे नहीं कर सकते—तब यह समस्या किस प्रकार हल हो सकती है? इस जटिल प्रश्नका पूर्ण उत्तर पंछित

मालबीयजीके उस तारसे मिल जाता है जो उन्होंने मिस्टर मांटें-गूके पास १३ नवम्बरको भेजा था जिसमें लिखा था—“कांग्रेस सबकमेटी जांचके लिये जमानतपर पञ्चाबके उन प्रधान नेताओं की मुकिकी प्रार्थना करती है जो इस समय राजनेतिक केंद्रीकी हैसियतसे जैलमें बन्द हैं। पञ्चाब सरकारसे प्रार्थना किया गया पर उसने उसपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इसलिये लाचार होकर कांग्रेस सबकमेटीने हण्टर कमेटीकी कार्रवाईमें मांग लेना अथवा योग देना स्वीकार नहीं किया है।” समझ है कि मिं मांटेंगू उस समयतक इसी तारके शब्दोंमें पड़े रहे हों और पण्डित मालबीयजीके दूसरे तारके शब्दोंको पढ़नेकी परवा नहीं किये हों और वे उस समय तक इसी भ्रम और धोखेमें पड़े हों, कि कांग्रेस कमेटीकी मांग चिना किसी शर्तके छुटकारा है। यदि यह बात सच है तो इससे मिस्टर मांटेंगूकी भीषण लापरवाहीका पता लगता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि ब्रिटिशकी जनताको कुछ कालके लिये इस भ्रममें डाल दिया गया है कि कांग्रेस कमेटीकी मांग बहुत अधिक थी और इसी कारण यह कठिनाई हल नहीं हो सकी। यदि मिस्टर मांटेंगूने थोड़ी तत्परतासे काम लिया होता तो यह घटना कभी भी उपस्थित न हुई होती।



मुकाबिला ।

(नवम्बर १६, १९१६)

सरकारने अपना अन्तिम निर्णय सुना दिया । उसकी समझमें कांग्रेस सदकमेटीकी प्राधीनाको स्वीकार करके काफी जमानत लेकर भी चन्द्र दिनके लिये पञ्चाबके प्रधान प्रधान केंद्रियोंको छोड़ देना असम्भव था । यह मांग कमसे कम थी । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो यही है कि यदि ऐसा न होता तो पण्डित मालवीयजोंके समान व्यक्ति इसके लिये इतना अधिक जोर न देते । इन नेताओंकी अस्थायी मुक्तिकी नितान्त आवश्यकताके प्रश्नपर बादबिवाद करना निष्प्रयोजन या सूर्यको दीपक दिखाना है । इसको आवश्यकता प्रत्येक व्यक्तिको उतनी ही स्पष्ट विदित होती होगी जितनी सूर्यके प्रकाशकी आवश्यकता । इस बातका हमें अत्यन्त खेद है कि प्रेस्टीज (मर्यादा) की गलतफहमीने सरकारकी आंखोंपर इतनी मोटी पट्टी बांध दी थी कि उसको सच्ची अवस्थाका पतातक लगाना कठिन हो गया, उसकी दृष्टिक सच्चा प्रकाश पहुंचने ही नहीं पाया । पण्डित मदनमोहन मालवीयजीने लार्ड हण्टरको जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने सालमन कमेटीका पूरा हवाला दिया था । यह हवाला देना नितान्त उचित और आवश्यक था क्योंकि हण्टर कमेटीका यह कर्तव्य था कि

वह इस बातपर पूर्ण विचार करके देखे कि यदि उसकी जांच केवल तमाशा न होकर कुछ महत्व रखना चाहती है तो आवश्यक है कि जनताको अपने अभियोगको उसके सामने रखनेकी पूर्ण स्वच्छन्दता और सुविधा मिलनो चाहिये।

इस स्थानपर हण्टर कमेटी तथा सालमन कमेटीकी जांच विधिकी मुकाबिला करना स्थानान्तर या अनुपयुक्त न होगा। यह कमीशन प्रवासी भारत वासियोंकी अवस्थाकी जांच करनेके लिये दक्षिण अफ्रिकामें बैठाया गया था। जिस समय इस कमीशनकी बैठक प्राटोरियमें हो रही थी उस समय (नवम्बर १९१३) महात्मा गांधी, की० कालीनवाच तथा महात्मा पोलक जेलमें थे। सर विलियम सालमन वडे ही निपुण जूरीस्ट थे। उन्होंने देखा कि जांच आरम्भ करनेके पूर्व कुछ इतर प्रकारकी कार्रवाईकी भी आवश्यकता है। विदान कमीशनकी पहलीही बैठकमें उन्होंने निम्न लिखित घोषणा कर दी:—हमारे पास यार बार इस बातके लिये प्रार्थना पत्र नहीं आना चाहिये कि यदि फरीकेन पैरवीके लिये अपना बकील भी साथ लावें तो उन्हें और जांच-कमीशन दोनोंको बड़ी सुविधा होंगी। यदि भारत सरकार इस कमीशनके सामने उपस्थित होकर गवाही देना चाहे तो उसे इस बातकी पूर्ण स्वाधीनता है। और जांचकमीशनको अपना काम पूर्ण सफलताके साथ निपादन करनेके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि—जबकि इस समय भारतीयोंकी नेटालमें इडताल बन्द हो गयी है—महात्मा गांधी, की० कालीनवाच तथा

महात्मा पोलक आदि प्रधान हड़ताली नेता—जो इस समय जेलके बएड भोग रहे हैं,—छोड़ दिये जायें। इन तीनोंमेंसे महात्मा गांधीको दस मासकी अवधि और भी बितानी थी। पर वे कौरन विना किसी शर्तके छोड़ दिये गये। समझनेकी बात है कि इन नेताओंको छोड़नेके लिये जनताकी ओरसे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। कमीशनने यह कार्रवाई अपनी ही प्रेरणासे की थी। नेताओंमेंसे भी कोई मुकिलाभके लिये चिन्तित नहीं था क्योंकि जेलसे बाहर होते ही सबोंने एक स्वरसे कहा था कि जेलका शान्तिमय जीवन इस अवस्थासे कहीं उत्तम है। इसी संबन्धमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जानबूझ-कर कानन तोड़नेके अपराधमें ये नेतालोग जेल भेजे गये थे। पर हस्टर कमेटीकी क्या अवस्था है। जनता ही प्रार्थनाप्रश्नपर प्रार्थनापत्र भेज रही है कि ये नेतागण छोड़ दिये जायें। जनता इस बातको भी भलीभांति जानती और समझती है कि ये विना किसी अपराधके जेलमें भेज दिये गये हैं। दक्षिण अफ्रिकामें अपने छुटकाराके लिये उन नेताओंको अपनी सिनाइट तक नहीं देनी पड़ी थी पर यहाँकी सरकार अस्थायी छप्पने पूरी जमानत तक लेकर जांघके कामके लिये छोड़ने तकको तैयार नहीं है। इससे बढ़कर हुःखदायी घटना और क्या हो सकती है।

- सरकारकी इस तरहकी अवस्था अभद्रतापूर्ण है। भविल
भारतवर्षीय कांग्रेस सबकमेटीकी इस साधारण प्रार्थ-
नाको उपेश्वाको हृषिसे देखना, उसपर विचार न करना
- तथा समुचित कार्रवाईसे इनकार करना नितान्त अनुचित है। इस नाजायज कार्रवाईको सफाई सभ्य संसारके सामने किसी भी अवस्थामें नहीं दी जा सकती। इस अनुचित कार्रवाईके लिये सरकार पूर्णरूपसे जिम्मेदार है।

राजनैतिक वन्धुत्व ।

(जून ६, १९२०)

फ्रीमेशनरी एक विचित्र प्रकार भी संस्था है। इसका उहैश्य स्माल्भाव स्थापित करना है। इसकी कार्यवाही नितान्त, गुप्त रखी जाती है। इसके नियम बड़े कड़े होते हैं। आज तक इसने समाजका कोई उपकार किया है या नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता। पर इसकी रहस्यमयी और कठोर नियमोंके कारण ही इसमें प्रवेश पानेके लिये अच्छे अच्छे लोग उत्सुक रहते हैं। ठीक यही अवस्था भारतके शासनके संबंधमें है। भारत सरकारके अधिकारीवर्गके संचालनके लिये कुछ ऐसे गुप्त नियमोंके होनेकी सम्भावना प्रतीत होती है जिसके सामने विद्युत जातिके उद्घासे उच्च विचारवाले भी अपना माथा झुका देते हैं और अनजानकारीमें ऐसे भीषण अन्याय करनेके कारण बन जाते हैं जिसकी सम्भावनासे ही वे अपनी व्यक्तिगत अवस्थामें फाँप उठते हैं। हएवर कमेटीकी अधिक सदस्योंकी रिपोर्ट, भारत सरकारके ज्ञानीते और भारत मन्दीने इसका जो उत्तर दिया है, उसे पढ़कर यही धारणा उत्पन्न होती है। जिस समय कमेटीके निर्माणकी सूचना प्रकाशित हुई, प्रायः सभी देशी समाचार पत्रोंने यह कहकर इसका विरोध किया कि कमेटीके

सदस्य विश्वासनीय नहीं हैं। निदान जब तीन हिन्दुस्तानियोंको भी स्थान मिला तथ जनताका विश्वास उनपर जमा। जिस समय कमेटी पंजाबमें जांच कर रही थी उस समय अखिल भारत वर्षीय कांग्रेस सचकमेटीने लार्ड हएटरसे प्रार्थना की कि यथेष्ट जमानत लेकर जांच तकके लिये पंजाबके बड़े नेताओंको बयानादि देने तथा मुकदमेमें सहायता देनेके लिये छोड़ दिया जाय। पर लार्ड हएटरने साफ इनकार कर दिया। यह जनताके विश्वासपर प्रथम कुठाराघात था। बचा बचाया विश्वास—यदि किसीके हृदयमें कुछ रह गया था—रिपोर्टके प्रकाशित होनेके साथ ही उड़ गया। जो परिणाम निकला उससे यही कहना पड़ता है कि कांग्रेस कमेटीने भाग न लेकर अच्छा ही किया। कांग्रेस कमेटीने जो रिपोर्ट तैयार की है उसे पढ़कर स्पष्ट विदित हो जाता है कि हएटर कमेटीने जान बूझ-कर क्यों उसे इनकार किया?

तीनों हिन्दुस्तानी सदस्योंने अपनी अलग रिपोर्ट तैयार की है जिसे अल्प मतकी रिपोर्ट कहते हैं। यह हएटर कमेटीकी रिपोर्ट इपी मरुस्थलमें जलाशयके समान है। इन हिन्दुस्तानी सदस्योंको जिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा और जिस दृढ़ता और साहसके साथ उन्होंने उन कठिनाइयोंको खेलते हुए भी अपने कर्तव्यका पालन किया उसके लिये सारा देश उनका कृतज्ञ है और वे धन्याचादके पात्र हैं। वे अपने कर्तव्यका और भी पूरी तरहसे पालन किये होते यदि वे सत्याग्रह

आन्दोलनके सविनय अवक्षाके अंशपर अपने साथियोंसे भिन्न मत स्थिर किये होते। तोस मार्चको दिल्लीकी जनताने जिस उद्हारण्डताका परिव्यय दिया था केवल उसके आधारपर उस आन्दोलनकी निन्दा करना कितना अनुचित और गर्हणीय है जिसका आधार आत्मबल है, जिसका प्रयोग ही साधारण जनताकी उद्हारण्डता रोकने तथा उसके हृदयमेंसे अहिंसाके भाव दूर करनेके लिये किया गया है तथा जिसका प्रयोग सविनय अवक्षा द्वारा अधिकारियोंकी कानूनी सच्छुद्धता मिटानेके लिये उसी अवस्थामें किया जाता है जब अपनी उच्छृंखल कार्रवाईसे सरकार अपनी सारी मार्यादा खो देती है। ३० मार्चको तो सविनय अवक्षाकी चर्चा तक न थी। संसारका इतिहास साक्षी है कि जहाँ कहीं इतने बड़े समारोह हुए हैं थोड़ा बहुत उपद्रव अवश्य हुआ है। ३० मार्च और ६ अप्रैलके समारोहको सत्याग्रहका नाम न देकर कोई और ही नाम दिया जा सकता था। पर मैं यह बात दृढ़ता-के साथ कह सकता हूँ कि सत्याग्रहके भावके न होनेपर यह दुर्घटना और भी भीषण और हिंसायुक्त हुई होती। जनताने सत्याग्रहके भावको जितनी शीघ्रताके साथ धारण किया था और अपनाया था उसीका यह प्रसाद था कि सारे भारतमें अशान्ति होनेसे एक बड़म बच रही और आज भी यदि जनता पूर्ण धैर्य, शान्ति और आत्म संयमसे काम ले रही है तथा किसी तरहकी अशान्तिकी प्रवृत्ति नहीं दिखला

रही है तो इसका कारण जेनरल डायरको उस वर्वरता और अत्याचारकी समृद्धि नहीं है बल्कि यह सत्याग्रहका प्रभाव है जो उनकी इच्छाके प्रतिकूल भी उन्हें हाथ उठानेसे रोक रहा है। इन अनुचित अक्षेपोंसे सत्याग्रहको खरी रखनेके लिये मैं सफाई देनेमें जनताको अधिक काल तक अटकाना नहीं चाहता। यदि वास्तवमें सत्याग्रह भारतकी जनतापर अपना कुछ भी प्रभाव डालनेमें समर्थ हुआ है तो निश्चय है कि इस तरहके आक्षेपोंको पार करके वह और भी देवीप्यमान हो गया है जिनका उल्लेख हण्टर कमेटीके अधिक संख्यक सदस्योंने किया है और जिनका अंशतः समर्थन अन्यमत सदस्योंने किया है। यदि अल्पमत सदस्योंकी रिपोर्टमें केवल इतना ही दोष होता तो हर तरहसे उसकी प्रशंसा ही की जानी क्योंकि राजनीतिक क्षेत्रमें सत्याग्रह नया अनुभव था और यदि कोई व्यक्ति विना दीर्घ विचार किये इसके साथ किसी भी अशान्तिको झोड़ दे तो वह अक्षम्य है।

कमेटीकी रिपोर्टपर तथा भारत सरकारके खरीते पर जनता-ने एक मतसे जो विरुद्ध मत प्रगट किया है उसको स्परण कर अत्यन्त कष्ट होता है। सदस्योंने पञ्चाबके अधिकारियोंकी कूरतम तथा वर्वरतायुक प्रायः प्रत्येक आचरणों और कार्ब-वाइयोंकी सार्थकता दिखानेकी तथा उनपर सफेदी पोतने-की जी जानसे चेष्टा को है और यदि कहीं निर्भत्स्ना की है तो


बहां वे केसा करनेके लिये लाचार थे क्योंकि उन कर्मचारियोंने अपने मुँहसे अपने दोषोंको स्वीकार किया है। जेनरल डायरने अपनी क्रूरतम करनीको कबूल किया है पर कमेटीके सदस्योंने उतने परमी उसको नृशंस कार्रवाईके समर्थन करनेकी ही चेष्टा की है। सर माइकल ओडायर (जो उस समय पंजाबके छोटे लाट थे) की उद्धण्डता और उच्छृङ्खलताके कारण ही उनके मातहदोंने इस प्रकारकी कार्रवाई की थी और यह सब जानते हैं कि वही प्रधान अपराधी है। फिरभी कमेटीके सदस्योंने उसकी प्रशंसाके पुल बांध दिये हैं और अप्रेलकी दुर्घटनाके पहलेके उसके अत्याचारको समीक्षा परोक्षा तथा जांच करनेसे इनकार कर दिया है। उसके आचरण इतने दोषपूर्ण थे कि कमेटीको उसपर पूर्ण विचार करना चाहिये था; अधिकारीघर्गंकी ओरसे जा याते कही गई उन्होंने पर भरोसा न करके, उन्हें ही सर्वथा सच न मानकर कमेटीको उचित था कि वह अपनी विवेक चुदिसे काम लेती और उपद्रवके असली कारणको ढूँढ निकालनेकी चेष्टा करती। इन उपद्रवोंकी असलियतका पता लगानेके लिये उसे हर तरहके उपायोंका प्रयोग करना चाहिये था। कमेटीका कर्त्तव्य था कि वह अधिकारियां द्वारा खड़ी को गई झूठको मोटी टही फाड़कर वह भीतर प्रवेश करती और सच्चा कारण ढूँढ निकालती। पर ऐसा न करके कमेटीने केवल सरकारी बयानोंपर भरोसा करके भारी भूल की।

कमेटीकी रिपोर्ट तथा भारत सरकारके खरीदोंको पढ़कर यही धारणा होती है कि इसके द्वारा अधिकारीवर्गकी उच्छृंखलता नथा अराजकताको छिपानेकी ओर चेष्टा की गई है। जिस उदासीनताके साथ जेनरल डायरके कलें आम तथा पेटके बल रेंगनेकी घृणित आज्ञाकी निन्दा की गई है उसे पढ़कर निराशा और असन्तोषकी काली घटा छा जाती है। कमेटीकी इस रिपोर्ट तथा भारतसरकारके खरीदोंकी निन्दा सभी देशी पत्रोंने की है चाहे वे नरम दलके रहे हों या गरम दलके। इसलिये उसकी यहां सविस्तर समीक्षा करनेकी आवश्यकता नहीं। प्रश्न उठता है कि इस रहस्यका उद्घाटन किस तरह किया जाय। इसका परदा कैसे खोला जाय। यदि भारतको साम्राज्यका बराबरका साथी होना है, यदि उसे अपने आत्म गौरवका जरा भी स्वाल है तो इस तरहकी खुराई और हीनताको वह बर्दाशत नहीं कर सकता। इस रिपोर्टके प्रकाशित होनेसे जा खिति उत्पन्न हो गई है उस पर तथा अन्य अनेक विषयोंपर विचार करनेके लिये अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीने कांग्रेसका विशेष अधिवेशन करनेकी मन्त्रणा दी है। मेरे मतसे वह समय आगया है कि जब हमें केवल अनुनय विनय और पालिमें हमें प्रार्थनापत्र भेज कर ही सन्तुष्ट न हो जाना चाहिये। प्रार्थनापत्र तभी कारगर होते हैं, उन पर तभी विचार किया जाता है जब प्रार्थी राष्ट्रमें इस बातकी शक्ति होती है कि वह अपनी इच्छाकी पूर्ति

बल प्रयोग द्वारा भी करा सकता है। पर क्या हमलोगोंमें
इस तरहकी कोई भी शक्ति है? जब हमलोगोंका पक्षा विश्वास
है कि हमलागोंके साथ बार अन्याय और कूरतम अत्याचार
किया गया है और जब सबसे बड़े अधिकारोंके पास प्रार्थना
पत्र भेजनेपर भी हमारे दुखोंपर विचार न हुआ—न्याय पाना
तो दूर रहा—तो इसके प्रतिकारके लिये हमारे हाथमें किसी
शक्तिका होना आवश्यक है। यह ठोक है। कि अधिकांश
अवस्थामें साधारण कार्टवाईके असफल हाँ जानेपर उसे चुप
लगाकर उस दुराचारको वर्दाश्त करते रहना चाहिये जब तक
कि उनके द्वारा उसके किसी प्रधान अंगपर कुठाराघात न होता
हो। पर प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्रके निर्दिष्ट अधिकार होते
हैं और यदि उनपर कहींसे भीषण आघात होता है तो उसका
विरोध करना उनका परम धर्म है। मैं सशब्द आन्दोलनमें
विश्वास नहीं करता। जिस विमारीको दूर करनेके लिये
इस उपचारका प्रयोग किया जाता है उसके परिणामसे इनका
परिणाम कहीं भीषण हो जाता है। ये बदला, अधोरता तथा
कोथके रूप हैं। हिंसाका अन्तिम परिणाम कभी भी
सुखदायक नहीं हो सकता। जर्मनीके मुकाबिलेमें मित्रराष्ट्रोंने
शब्दका प्रयोग किया था। उसका क्या परिणाम निकला?
क्या उनकी अवस्था ठोक जर्मनीको भाँति नहीं हो गई है।
जर्मनीका जैसा चित्र उनलोगोंने हमारे सामने खींचा था उनकी
अवस्था भी उसीकी तरह हो रही है।

हमलोग इससे उत्तम अख्यका प्रयोग कर सकते हैं। हिंसाके अस्त्रके एकदम प्रातःकूल इस शख्के प्रयोगमें धर्य तथा आन्ध्रबलकी नितान्त आवश्यकता है पर साथ ही साथ साहस और दृढ़ताकी भी आवश्यकता है। वह तरीका यह है कि हमें उन युराई करनेवालोंके साथ सहयोग करना छोड़ देना चाहिये। जालिम अपने जुलममें कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। यदि उसके सहायक जुलम भोगनेवालोंमेंसे न हों अर्थात् जिनपर वह अत्याचार करना चाहता है उनकी सहायता विना वह अपने अत्याचारको कभी भी चरितार्थ नहीं कर सकता, चाहे वह उनको सहायता बलप्रयोगसे ही क्यों न ले। अधिक-तर लोग अत्याचारीके अत्याचारके प्रतिरोध करनेके बनिस्वत उसको चुपचाप सहलेना ही अधिक उचित समझते हैं और यही कारण है कि अत्याचारीका अत्याचार दिन दिन बढ़ता जाता-है। इतिहासमें ऐसे भी अनेक उदाहरण मौजूद हैं जहां प्रजा-को दृढ़ताने अत्याचारियोंके अत्याचारको चरितार्थ नहीं होने दिया है। भारतके लिये भी इस समय विचारका प्रश्न उपस्थित हो गया है। यदि हमलोग यह मानते हैं कि पञ्चाब सरकारकी कार्रवाइयां क्रूर हैं, यदि लाड़ हाण्टरकी कमेटीकी रिपोर्ट, भारत सरकारके खरीते तथा भारतमन्दीका उत्तर और भी असत्य है—क्योंकि इन लोगोंने अधिकारियोंकी इन कार्रवाइयों-का समर्थन किया है—तो हमलोगोंको सरकारकी इस घृणित कार्रवाइको कभी भी स्वीकार नहीं करनी चाहिये। यदि आप-

लोग आवश्यक समझते हैं तो पार्लिमेण्ट के पास प्रार्थना पढ़ में जैसे पर यदि पार्लिमेण्ट हमलोगोंकी प्रार्थनाओंपर विचार नहीं करती और यदि हम अपना राष्ट्रीय अस्तित्व बनाये रखना चाहते हैं तथा उसका हमारे हृदयोंमें कुछ भी मान है तो हमें उस सरकारके साथ निश्चय ही असहयोग कर देना चाहिये ।



पंजाबकी गैर सरकारी रिपोर्ट ।

(मार्च ३१, १९००)

जिस रिपोर्टकी सारा देश प्रतोक्षा कर रहा था वह प्रकाशित हो गई । जिस सुश्वरस्थित तरीकेसे तथा संयमसे कमिश्नरोने काम किया है, इस चिकट तथा कठिन भारको निवाहा है उसके लिये उन्हें बधाई है । रिपोर्टमें जिन बातोंका समावेश है उससे ही उसकी महत्ता प्रगट होती है फिर कमेटीके सदस्योंकी नामावली उसे और भी महत बना देती है । कमिश्नरोने रिपोर्टमें जो कुछ लिखा है पूरे बयानके आधार पर लिखा है । अपने मनसे उन्होंने एक अक्षर भी नहीं लिखा है । इसलिये पाठक, यदि चाहे तो ख्याल ही परिणामकी जांच कर सकते हैं । शिकारिसें न तो अधिक हैं न कमज़ोर हैं । कमिश्नरोने दूढ़ता और साहसके साथ लिखा है कि बड़े लाट चापिस बुला लिये जाय, और सर माइकल ओडायर, जेनरल डायर आदि सभी नृशंस अधिकारी नौकरीसे छोड़ा दिये जायं । ये ही दो शिकारिसें हैं जिन पर किसी तरहका मतभेद और वादविवाद हो सकता है । पर कमिश्नरोने प्रत्येक शिकारिसोंके लिये यथेष्ट और निर्विवाद कारण बतलाये हैं । इसलिये यदि उनके उल्लिखित कारणोंको सार्थकतामें किसी तरहका मतभेद नहीं है तो उनकी शिकारिसोंपर भी कोई मतभेद नहीं हो सकता ।

बड़े लाटके वापिस बुला लिये जानेके विषयमें हमारा मत कमेटीके सदस्यासे पूरी तरहसे मिलता है। इस निर्णय पर पहुँचनेमें हम लोगोंको हादिक दुःख हुआ है। हम लोगोंको पूर्ण विश्वास है कि बड़े लाट महोदय सुशिक्षित तथा सभ्य अंग्रेज है और हृदयसे भारतकी मलाई चाहते हैं और सदा न्याय करनेके लिये चिन्तित सौर सचेष्ट रहते हैं। पर बड़े लाटके उच्च पदके लिये केवल इतने ही गुण यथेष्ट नहीं हैं। लार्ड चेम्सफोर्डने अदूरदृशिताका प्रथम परिचय दिया है। उन्होंने भारतके शासनमें उपनिवेशोंके गवर्नरोंकासा आचरण किया है जिनकी प्रत्येक कार्यवाही मन्त्रियोंके अदेशानुसार होती है। जो अपनी धारणाके अनुसार कोई काम नहीं कर सकता और जिसे केवल उपनिवेशोंकी नीति पर चलना पड़ता है अर्थात् स्वशासित उपनिवेशोंके गवर्नर शासनके कार्यमें मन्त्रियों पर किसी बातके लिये दबाव नहीं डाल सकता, केवल उन्हें मलाई मात्र दे सकता है। जनताके विचारोंको माफिक बनानेके लिये वह किसी तरहके बल प्रयोगका स्वाहस नहीं कर सकता बल्कि सामाजिक तथा अर्ध राजनीतिक सम्मेलनोंमें उनके साथ मिल जुलकर उनसे मैत्री करता है और उस मैत्रीके प्रभावसे अपना काम निकालना चाहता है। लार्ड चेम्सफोर्डमें ये गुण अवश्य हैं पर जिन गुणोंके कारण उपनिवेशोंका गवर्नर योग्य और चतुर समझा जायगा तथा सफल होगा वे ही गुण लार्ड चेम्सफोर्डको बड़े लाटके पदके लिये अयोग्य प्रमाणित करने हैं। भारतके बड़े लाटके हाथमें अतुल

शक्ति है। वह पूर्ण स्वच्छन्द है, वह प्रवन्धक समाजे मतके विरुद्ध आचरण कर सकता है। उसको साधारण राय कानूनसे अधिक बल रखती है। शासनकी नीतिका निर्धारण और संचालन उसके हाथमें रहता है। प्रान्तोंके शासनकी देख रेख और पूर्ण हस्ताक्षेपका अधिकार उसके हाथमें है। इसलिये बड़े लाटको अनुल शक्तिशाली, सुदीर्घ सोची और जनप्रिय होना चाहिये। हृदयमें अनेक तरहकी सद्भावनाओं और सुविचारोंके होते हुए भी लाट चेम्सफोर्डने कठिन समय पर नितान्त कमज़ोरी दिखलाई है। अपने सहकारियों और अनुयायियोंका संचालन स्वयं न करके उन्होंने अपनेको उनके हाथों सौंप दिया और उन्हें मनमाना प्रयोग करने दिया। इसका परिणाम अहमदाबादकी दुर्घटना और पंजाबका हत्याकाल है। यदि प्रधान शासकमें ये गुण वर्तमान होते, यदि वह अपने मातहतोंपर अपना प्रभाव ढाल सकते, यदि वह अपने मनसे काम करनेकी योग्यता रखते तो इस प्रकारके प्रतिरोधी वातोंका होना असम्भव था। इस काममें लाडे चेम्सफोर्डने पूर्ण अयोग्यता दिखाई। इसलिये इस प्रकारके उचलन्त उदाहरण उनके सामने होते हुए भी यदि कमेटीके सदस्य बड़े लाटके वापिस बुलाये जानेकी राय न देते तो वे अपने कर्तव्य पालनसे च्युत समझे जाते।

जिस निर्णयपर कमेटीके सदस्य पहुंचे हैं उसमें यदि कोई दोष है तो कमीकी है। उनकी शिफारिसें और मांगें नितान्त कम हैं। पर अभी इसपर मत देना उचित नहीं। सरकारी

क मेट्रीकी रिपोर्टके प्रकाशित हो जानेके बाद ही गेर सरकारी कमेट्रीकी शिफारिसोंकी छानबीन करना उचित होगा । गेर सरकारी कमेट्रीके सदस्योंने जिन सबूतोंको संग्रह किया है उन्हें देखकर यही कहना पड़ता है कि इससे मिल किसी अन्य निर्णय-पर वे नहीं पहुँच सकते थे । सबूतोंको पढ़नेसे स्पष्ट हो जाता है कि जिन बातोंके लिये उन्हें पर्याप्त प्रमाण नहीं मिल सका है उन विषयोंपर उन लोगोंने अपना कोई भी मत प्रकाशित नहीं किया है ।



पंजाबमें दण्ड विधान।

अप्रैल ७, १९२१।

कॉर्प्रेस पंजाब सबकमेटोने बाइसराय पर अदूरदर्शिताका दोष लगाया है। फांसीके दण्ड प्राप्त पांच अभियुक्तोंमेंसे दोके दण्डकी कमीकी प्रार्थना पर कान न देकर बड़े लाटने उक्त दोषारोपणको चरितार्थ कर दिया है। प्रियो कौंसिलने भी इनकी अपील खारिज कर दी पर इससे इनका दोषों हांना उसी तरह प्रमाणित नहीं हो सकता जिस तरह स्वेनिक अदालतकी कार्बाइयोका खण्डन कर देना उन्हें निर्दोष नहीं सावित कर सकता था। इसके अतिरिक्त सप्राटकी घोषणाका जो अर्थ पंजाब करकारने लगाया है उसके अनुसार ये अभियुक्त भी उस घोषणाके अन्दर आ जाते हैं। जिन लोगोंने इन हत्यायें की हैं उनके साथ किसी तरहका व्यक्तिगत वेमनस्य नहीं था। यद्यपि ये हत्यायें बहुत भीषण हैं तथापि इनका प्रादुर्भाव राजनीतिक कारणसे हुआ था। इसके अतिरिक्त इन हत्याओं तथा आतिशज्जनोंके लिये काफी माजरा ले लिया गया है। ऐसी अवस्थामें साधारण बुद्धि भी इन दण्डोंके कम करनेके पक्षमें हागी। सर्वसाधारणकी विश्वास है कि ये अभियुक्त सबेथा निर्दोष हैं और उनका विचार न्यायकी

दृष्टिसे नहीं हुआ है। इनके विचारमें इतना अधिक समय लगा दिया गया है कि इन अवस्थामें उन्हें फांसीपर लटकाना लोगोंको अतीब दुःखदायो होगा। कोई भी बड़ा लाट इन सब अवस्थाओंका पर्यवेक्षण करके मृत्युदण्डको अवश्य हटा दिये होता पर लाट चेम्सफोर्ड ऐसा नहीं कर सके। उनकी धारणा है कि जब तक एक दो आदमियोंको फांसी न दी जायगो न्यायकी मर्यादाका पूर्णतः पालन नहीं हो सकता। उनके प्रति जनताके जो भाव हैं, उसका उन्हें (बड़ेलाटको) परवा नहीं है। हमें अब भी आशा है कि लार्ड चेम्सफोर्ड या भारत मन्त्री मिस्टर माण्टेगू इस दण्डविधानको अवश्य बदल देंगे।

यदि सरकारने भूलकी पराक्रमा प्रगट की और इन दण्डोंको ज्यों का त्यों रहने दिया और जनताने इसपर किसी तरहका क्रोध या रोष प्रगट किया तो उनके सिरपर भी कम दोष नहीं आवेगा। जब तक कि हमारी राष्ट्रोयतामें इतना बल न आजाय कि संसारके राष्ट्रोंमें हमारी भी पूछ होने लगे हमलोगोंको पूर्ण शान्ति और धैर्यके साथ इस तरहके हजारों और लाखों बलिदान देने होंगे। इसलिये हमें पूरे आशा है कि इस तरहकी घटनावलीसे हताश होनेके बदले हमें साहस प्रहण करना चाहिये और फांसी आदि दण्डविधानोंको जीवनकी साधारण घटना समझनी चाहिये।

[नोट—इस समाचारके छप जानेपर समाचार मिला कि उनकी फांसीका दण्ड किसी भी प्रकार घटाया नहीं गया। बड़े लाट साहबने भारतीयोंकी आन्मापर वह बज्र प्रहार करके ही ढोड़ा। पर हमारा कर्तव्य है कि इस भीषण आवातको भी पूर्ण शान्तिके साथ बदाश्त कर।—सम्पादक यंग इशिया]

बड़े लाटकी कार्य क्षमता ।

अक्टूबर ६, १९३०।

श्रीमती सरोजनी नायडूने भारत सरकारपर विद्रोहके दिनोंमें पञ्चाबकी लियोंके अपमान करनेका दोषारोपण किया है। इस आक्षेपका प्रतिवाद करते हुए बड़े लाटने मारत मन्त्री मिस्रुर मांटेगूके पास तार भेजा है। श्रीमती सरोजनी नायडूने इस प्रतिवादका उत्तर भी दिया है। बड़े लाटने अपनी जिम्मेदारोंके जितने भी काम किये हैं, उनको जिस तरह निबाहा है उसे देखकर यही कहना पड़ता है कि जिस महान पद पर ये बेठाये गये हैं उसके बे सर्वथा अयाम्य है। श्रीमती सरोजनी नायडूने जितने आक्षेप बड़े लाटके ऊपर किये हैं उनसे हो उनकी (बड़े लाटकी) हीनताका पूरा परिचय मिल जाता है। हम अपनी ओरसे उसमें एक शब्द भी जोड़ना नहीं चाहते। पर हम पाठकोंका ध्यान उन चन्द्र प्रधान आक्षेपोंकी ओर आकृष्ट करेंगे जिन्हें बड़े लाटने सर्वथा उपेक्षासे देखा है। बड़े लाटने लिखा है कि बेश्याओंको गवाहियोंका कोई मूल्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनका पेशा इतना हेय है कि वे किसी तरह भी प्रतिष्ठा और आदरके योग्य नहीं। हम भी थोड़ी देरके लिये स्वीकार करते हैं कि उनके बयानको स्वीकार नहीं करना

उचित था। पर मनियांवालाकी ख्रियोंके बयानके संबंधमें बड़े लाट महोदयको क्वा कहना है क्योंकि उनके चरित्रपर ता कोई दोषारोपण नहीं किया गया है। हम यहांपर मझल जाटकी विद्यवा पली गुरुदेवीके बयानको अक्षरशः उद्धृत कर देते हैं। इस बयानको अन्य अनेक ख्रियोंने तसदीक किया है। उनका बयान इस प्रकार है:—

“मार्शल लाके दिनोंमें एक दिन मिस्टर बस्वर्थ स्मिथने ८ वर्षसे अधिक अवस्थाके सभी आदमियोंको डका ढहा बड़लेमें इकट्ठा किया। यह बड़ला हमारे गांवसे नजदीक ही है। यह बटोर जांचके लिये हुआ थी। जब सब आदमी बड़लेपर पहुंच गये तो वह घोड़े पर सवार होकर हमारे गांवकी तरफ आये और गास्टेमें जितनी ख्रियां मिलीं सबोंको अपने साथ लौटा लाये। ये ख्रियां अपने आदमियोंका भोजनादि लेकर बंगलेकी तरफ ही जा रही थीं। गांवमें पहुंचकर वह गली गली घूमा और सब ख्रियोंका घरोंसे बाहर निकल आनेके लिये कहा, जो यों नहीं निकल आती थीं उन्हें कोडोंकी मारसे बाहर करता था। उन्हें हम लोगोंको दायराकी तरह छढ़ा किया। ख्रियां हाथ जोड़े खड़ी थीं। वह बराबर बुरी बुरी गालियां देता रहा, उन लोगोंके मुंहपर थूका और कितनोंको बेतें जमाई। दो बैंत हमें भी जमाई और मेरे मुंहपर थूक दिया। उसने जबदेस्ती हम लोगोंका मुंह खोलाया, यहां तक कि अपनी छड़ीसे हम लोगोंका धूंधट हटाता रहा।”

“वह बराबर बुरी बुरी गालियां देना रहा और कहता था:—
कुन्तियो, शैतानकी बच्चियों, तुम लोग तो अपनी खसमको लेकर
सोती रही होगी। तुमने उन्हें इस हत्याकाण्डसे क्यों नहीं
रोका। अब पुलिसके अफसर तुम लोगोंके लहंगोंको उठा
उठाकर तुम्हारी मर्यादा विगाड़ेंगे।” उसने मुझे ठोकर भी
मारी। उसने हम लोगोंको घुटनेके बल बैठाया और जांघकी
बीचमेंसे हाथ ढालकर कान एकड़ाया।

“हम लोगोंके साथ इस प्रकारके अत्याचार उस अवस्थामें
किये गये थे जब हमारे घरके मर्द बंगलेमें बुला लिये गये थे।”

यदि ऊपर उल्लिखित घटनावली सच है तो क्या इससे भी
अधिक नीचता और चर्वताका पूर्णित नमूना कहीं मिल सकता
है? और इन्हीं नीचतम करनीके लिये सरकार इन नीचोंको
अपने खजानेसे पेशन देने पर तुली है। गैर सरकारी कमेटीने
जो गवाहियां ली हैं उनके पढ़नेसे इन अधिकारियोंकी नीचताके
पाठकोंको ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे। इन बयानोंको श्रीयुत
अण्डरुज और श्रीयुत लाभसिंह वेरिस्टर-एट-ला ने लिया था: जो
उन खियोंको देखनेके लिये और जांच करनेके लिये मनियांवाला
भेजे गये थे। श्रीयुत अण्डरुजने वहाँ खुली तौरसे जांच की थी
जहाँ सब जा सकते थे।

मिस्टर माण्टेगूका ध्यान इस नीचताका ओर आकृष्ट किया
गया। उन्होंने भारतके अधिकारीवर्गके अनुरूप उद्धण्डताके कारण
श्रीमती सरोजिनी नायड़ पर इस निराधार चिवरणके लिये

आक्षेप किया। इसीलिये उन्होंने जांच भी कराई। पर बड़े लाटने उनकी आज्ञाको ताकपर रख दी और जांचकी आवश्यकता ही नहीं समझी। उन्होंने गवाही विधानकी एक नयी धारा ही बना डाली कि वेश्याओंका बयान प्रमाणिक नहीं हो सकता। बड़े लाटकी बातोंसे यह ध्वनि निकलती है कि सताई हुई भी वेश्याको तबतक न्यायकी आशा नहीं करनी चाहिये जबतक कि अन्य गवाहों द्वारा उनका समर्थन न हो। किसी भी तरह बड़े लाटकी बातोंको मिस्टर मांटेगूने स्वीकार कर लिया है और इस प्रकार असहयोगके कामको और भी पुष्ट कर दिया है। कथा भारतवासी एक ध्वनिके लिये भी उस उच्छृङ्खल सरकारके साथ हाथ मिलानेको तयार है जो स्त्रियों पर इस तरहके भीषण ज़ुल्म करनेवाले अफसरोंके भी अपराधको चूपचाप देख लेती है और कोई उपचार नहीं करती?

श्रीमती सरोजनी नायडूका भारतमन्त्रिके नाम पत्र।

महाशयजी, आपके मन्त्रीका २४ अगस्तका पत्र आज मिला। इस पत्रके साथ भारत सरकारके भेजे तारका मसौदा भी है। मैं बाहर चली गई थी नहीं तो इसका उत्तर पहले ही भेज दिया गया होता।

आपने लिखा है कि यह समाचार अखबारोंमें भी दे दिया गया है। पर इसमें एक भूल की गई है। इसके साथ उन पत्रोंको भी भेज देना था जो इसके पहले हमारे और आपके बीचमें गुजरे

ये क्योंकि उनके चिना सम्पूर्ण स्थितिको पूरी तरह समझ लेना जरा कठिन है।

मुझे विश्वास नहीं होता कि भारत सरकारने उन भीषण आक्षेपोंके उत्तर देनेका साहस कै कि यह तार आपके पास भेजा है। उन आक्षेपोंमें इनने बलिष्ठ प्रमाण है कि उनका प्रतिवाद करना कठिन है। जिस कमेटीने गवाहियाँ ली थीं उसमें देशके प्रधान प्रधान और गण्यमान लोग ही थे। उनमेंसे प्रायः सभी हाईकोर्टके बकील थे। उनमेंसे एक तो जज भी रह चुके हैं, और दो अपने अपने प्रान्तके मवसे बढ़े चढ़े बकील हैं। इसके अतिरिक्त महात्माजीको सतर्कताके बारेमें कुछ लिखना चर्य है। जिन गवाहियोंको पूरी तरहसे जिरह करनेके बाद इन महान व्यक्तियोंने प्रकाशित किया है उसे असत्य प्रमाणित करनेकी चेष्टा धृष्टना होगी।

यदि इन व्यक्तियोंमें हम लोगोंका जरा भी विश्वास है तो क्या यह किसी भी अवस्थामें भी उचित होगा कि हम लोग डिप्टी कमिश्नर सहूश साधारण अधिकारीके इनकार करनेको प्रमाणित मान लें जबकि वह स्वयं उसका जिम्मेदार है, और साथ ही जब कि उन्हें अपनी सफाईका आधार उन बातोंको बताया है जिनकी सार्थकता पर किसी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या केवल आचरणके दोषारोपणसे उन पाश्चात्यिक कृत्यों और हेय आचरणोंपर तोपन पड़ सकता है!

मुझे इस बातको समरण करके शमें आतो है कि ब्रिटिश

शासनका इतना जिम्मेदार अधिकारी यह बात मनमें लावे कि इस तरहके पाश्चात्यक और घृणित आचरण इतनी आसानीसे और इतनी साधारणती बात पर परदेमें डाल दिये जा सकते हैं कि जिनके साथ इस तरहका अवहार किया गया है वे इतने पतित हैं कि उनकी गणना मनुष्यमें की ही नहीं जा सकती।

क्या मुझे आपको पुनः स्मरण दिलाना पड़ेगा कि उन अवसरों पर अनेक लियोंके साथ अति घृणित पाश्चात्यक आचरणका दोषारोपण किया गया है ? मैं आपका ध्यान कांग्रेस कमेटीकी रिपोर्टके १४७ वें बयानकी ओर आकृष्ट करती हूँ। भारत सरकारने अपने तारमें इसके विषयमें कुछ नहीं लिखा है। इसका भी नो प्रतिवाद होना चाहिये था।

भारत सरकारने लिखा है :—“ओरतोंको कोतवालीके पास एक गलीमें खड़ा किया गया था। वह स्थान ऐसा था कि कोई भी सरकारी अफसर लियोंके साथ किसी भी तरहकी ज्यादती नहीं कर सकता था।” आप ही बताइये कि क्या ऐसी बातोंपर विश्वास किया जा सकता है, विशेषकर ऐसी अवस्थामें जबकि मार्शल लाके कारण प्रजा व्याकुल हो गई थी और अधिकारी-घर्गें अत्याचारोंसे सबका प्राण निकल रहा था।

इसके अतिरिक्त यह कहना कि भारतकी छाटा जातिकी लिया अपनी शिकायतोंको इसी तरहका रूप देती है और भी निन्दित है क्योंकि इस तरह जान बूँद कर घटनावलोंका छापानेकी चेष्टा की गई है। मैं इस बातको पूणे अभिमानके साथ कह

सकनी हुं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहांकी खियोंमें इतनी अधिक हया होती है कि जबतक वे एक दमसे विवश न हो जायं इस तरहकी बातें मुँहपर ला हो नहीं सकनी चाहे उनके माथ किनता भी भीषण बलात्कार क्यों न किया गया हा ।

भारत सरकारने लिखा है कि प्रतिहिंसाके कारण इस तरहके बयान दिये गये हैं । इन तरहका बातें केवड़ अविश्वसनीय और अयाम्य हा नहीं है बल्कि इनकी माथकताका नाश भारत सरकारके हा कथनसे हा जाता है कि उस समय किसी तरहकी शिकायत नहीं की गई और जब उस कमेटीने अपनी जांच शुरू की जिससे उन्हें डरनेका कोई कारण नहीं था तब इन बातोंका पता लगने लगा ।

भारत सरकारके तारके अन्तिम शब्दका इन आक्षेपोंसे क्या मंवंध है इसका पता तो इसके पढ़नेसे नहीं लगता पर इसमें एक बात जानने लायक है और वह यह कि जिस विशेष अदालतने इन अभियुक्तोंकी जांच का उसके पास इन लोगोंके बारेमें गुस्स सूचनाये थी ।

इतने भीषण आक्षेपोंका प्रतिवाद इस प्रकारके निरर्थक प्रमाणों द्वारा करना जेनरल डायर आदिके मित्रोंका भले ही सन्तोष जनक प्रतीत हो पर मुझे पूरा विश्वास है कि यहांकी जनता इतनी आसानीसे इन प्रमाणोंको न स्वीकार कर लेगी और भारतके बे निवासी जो देशमें कुछ भी अद्वाभक्ति रखते हैं सरकारके इन प्रतिवादों पर जरा भी ध्यान न देंगे । क्योंकि

पंजाबके अत्याचारोंका जिस तरह उन लोगोंने अपने कागजोंमें वर्णन किया है उनसे उन परसे सारा विश्वास उठ गया है।

मेरा यह विश्वास तो नभी डिग सकता है जब इनको पूरी तरहसे जांच हो। क्या मैं अभीसे मान लूँ कि अब आप भारत सरकारके पास किसी तरहसे जांचके लिये नहीं लिखेंगे। मुझे धारणा थी कि आपके १० वीं जुलाईके पत्रमें लिखे “विशेष जांच” का अभिप्राय केवलमात्र डिपटी कमिश्नरसे पूछ लेनेका नहीं था।

क्या मैं आपका ध्यान उन अन्य अभियोगोंकी ओर भी आकृष्ट करूँ जो उतने ही भीषण हैं? इसमें भी एक सरकारा कर्मचारीका किसी एक अंशमें खियों पर किये गये अत्याचार और ज्यादतियोंसा विवरण है जिसकी चर्चा मैंने अपने १२ जुलाईके पत्रमें की थी। भारत सरकारने अपने तारमे इनके विषयमें कुछ नहीं दिला है।

अन्तमें मैं जानना चाहती हूँ कि पक्षपात शून्य जांचके लिये आपने क्या बन्दोवस्त किया है?

आपको विश्वासिनी

(हस्ताक्षर) मरोजनी नायडू

भारत सरकारके तारकी नकल

कांग्रेस कमेटीकी रिपोर्टमें पंजाब विद्रोहका विवरण देखा। जिन औरतोंका हवाला दिया गया है उन्होंने किसी तरहकी ज्याद-तीकी शिकायत नहीं की थी। हिपटी कमिश्नरने सूचना भेजी

है कि मुसम्मात बलोचन तथा अन्य औरतें—जिनका विवरण कांग्रेस कमेटीकी रिपोर्टमें है—वेश्यायें हैं और सफदाह तथा परना सदृश बदमाश जानियोग्यमेंसे हैं जो वेश्या कर्मके लिये अमृत-सरमें रहने लगी हैं। बदमाश जातिके लिये जो विधान बने हैं उनके अनुसार इनमेंसे कितनोंको दण्ड भी हो चुका है।

सूचना पाकर पुलिसने मुसम्मात रानीका मकान बेर लिया और मिगानिस तथा परनाको गिरफ्तार किया। ये लोग वहाँपर नेशनल बंकसे लूटी सम्पत्तिको आपसमें बांट रहे थे। बंकका बहुतमा माल बरामद हुआ और ये लोग पकड़ लिये गये। उस नमय अनेक परनी वेश्यायें उस मकान पर पहरा दे रही थीं। गिरफ्तार शुदा आदमियोंमें चारको नेशनल बंकके अधियोगमें फांसीका दण्ड दिया गया पर बादको फांसीका दण्ड हटाकर कालापानीका दण्ड दिया गया। चारीका माल रखनेके अपराधमें अन्य पाँचको नात सात चर्चोंकी कड़ी सजा मिली थी पर वे विगत दिसम्बरमें छोड़ दिये गये। मुसम्मात बलोचन तथा अन्य परनी लियां जो पहरे पर गिरफ्तार की गई थीं कोतवाली लायी गईं पर शामको वे इस शर्त पर छोड़ दी गईं कि कल वे अदालतमें हाजिर हो जायेंगी क्योंकि औरतोंपर मुकदमा चलाना उचित न समझा गया। इन दोनों दिन स्त्रियां कोतवालीके पासवाली गलीमें बैठो थीं जहां उनके साथ किसी तरहकी ज्यादती करनेका किसी सरकारी अफसरको साहस नहीं हो सकता था। भारतमें

प्रायः देखनेमें आता है कि नोच पेशेकी स्त्रियां इन्हीं शब्दोंमें शिकायत करती हैं। डिपटी कमिश्नरका कहना है कि इन आश्वेषोंका कोई आधार नहीं है और ये झूठ है। यह केवल प्रतिहिसामें किये गये हैं जिससे उन कर्मचारियोंको दण्ड मिले जिन्होंने मार्शल लाके दिनोंमें लूटका माल चरामद करनेमें बड़ी लेण्ठा की और सैनिक अदालतके सामने इनके विरुद्ध गवाहियां दीं।

परना जातिके दो आदमी गिरफ्तार करके मुकदमा चलाये जानेके लिये लाहोर भेजे जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर उन्होंने बड़ी शार गुल मचाई। अपन घरबालोंसे कहा कि इन कांस्टेबिलोंपर रिश्वत लेनेका मुकदमा अवश्य चलाना। उन्होंने इस बातकी भा धमकी दी कि यदि हमलोग हूट गये तो इन कांस्टेबिलोंकी खबर चबर लेंगे। जिस विशेष अदालतने नेशनल बंकके अभियोग पर विचार किया उसके बास इसके सम्बन्धमें दो गुप्त प्रमाण थे।



पंजाब सीमान्त प्रदेश है ।

। दिसम्बर १०, १९१६ ।

हसटर कमर्टिके मामने लाहोरके कमिश्नर मिस्टर किचिनका व्यापार लेते हुए शाहबजादा छुलनान अहमदने इस प्रकार जिरह किया ।

प्रश्न—भारतके भूमि प्रान्तोंमें हड़ताल मनाई गई पर केवल पंजाबमें ही उपद्रव क्यों हुआ ?

उत्तर—क्योंकि यह सीमान्त प्रदेश है ।

प्रश्न—आपने अभी कहा है कि केवल पंजाबमें उपद्रव इसलिये हुआ कि यह सीमान्त प्रदेश है । इसका क्या कारण है ?

उत्तर—यहाँ सेना थी ।

प्रश्न—चूंकि इस प्रान्तमें अधिक सेना थी इसलिये यहाँ उपद्रव हुआ । मेरी समझमें तो इसका उल्टा ही परिणाम होना चाहिये था अर्थात् सेनाके रहनेमें उपद्रव नहीं होना चाहिये था ।

उत्तर—आपका अनुमान ठीक है । पर पंजाबकी सेनिक सत्ता अन्य प्रान्तोंकी सेनिक सत्तासे बढ़ी चढ़ी है ।

प्रश्न—मैं इसे स्वीकार करता हूँ । पर मेरी समझमें यह बात नहीं आई कि पंजाब सीमान्त प्रदेश है इसलिये यहाँ उपद्रव हो गया और अन्य राजनीतिक आन्दोलन अति भीषण था ।

उत्तर—मेरे कहनेका तात्पर्य यह है कि अन्य प्रान्तोंके मुकाबिलेमें यहाँ राजनीतिक आन्दोलन अति भीषण था ।

प्रश्न—तो यहां उपद्रव आन्दोलनके कारण हुआ न कि सीमान्त प्रदेश होनेके कारण ?

उत्तर—मैं सम्पूर्ण बातोंको नहीं समझा सकता ।

प्रश्न—क्या आप इसकी व्याख्या नहीं कर सकते ?

उत्तर—नहीं ।

इसके लिये हम मिठा किचिनपर किसी तरहका दोषावोपण नहीं कर सकते । उसने मुख्य प्रश्नका उत्तर दे दिया था । इसी प्रश्नपर विचार करनेके लिये, इसीकी जांच करनेके लिये ही हएठर कमेटी भ्रमण कर रही थी । अब यह साहजादा सुल-नान अहमदपर था कि वे उसका आन्तरिक अर्थ निकालते । कमिश्नर साहब स्वयं एक अधिकारी थे । इसलिये इससे अधिकारी आशा करनी उससे व्यर्थ थी । उसके इस कहनेका कि पञ्चाय सीमान्त प्रदेश था—यह अभिप्राय था कि पञ्चायमें प्रेमका शासन नहीं होता; बल्कि भयका राज्य रहता है और सेनाके बल शासन किया जाता है । उसके बाद ही दूसरे प्रश्नके उत्तरमें उसने कहा—‘क्योंकि वहां सेना थी’ इस कथनसे उसका अभिप्राय यही था कि सेनाके रहते अधिकारियोंको समझौता करनेका विचार ही उत्पन्न न हुआ और सेनाका प्रयोग करके उन्होंने जनताका उत्तेजित करना ही उचित समझा । तीमरे प्रश्नके उत्तरमें उसने जो कुछ कहा उससे उपद्रवके कारणसे काई सम्भव्य नहीं था बल्कि उससे प्रगट होता था कि यह सब क्यों किया गया अर्थात् राजनीतिक आन्दोलनको

दबाने के लिये। पर वह प्रश्न अभीतक उयोंका तयों बना है कि पंजाब सीमान्त प्रदेश था और यही कारण था कि उस प्रान्तमें साधारण राजनीतिक आन्दोलन भी असहा था और सैनिक शासनकी आवश्यकता प्रतीत हुई।

इस बयानसे स्पष्ट है कि मिस्टर किचिनने इस प्रश्नका उत्तर स्पष्ट दे दिया। इसने उस प्रश्नका स्पष्ट और विस्तृत उत्तर दिया। पर जब उसे विदित हुआ कि वह अपने उत्तरोंसे फँस गहा है तो उसने उत्तर देनेसे इनकार कर दिया।



लाला लाभसिंह ।

—२५४—
। दिसम्बर १०, १९१८ ।

गुजरानवालाके वैरिस्टर लाला लाभसिंहको सेनिक अदालतने आजन्म कालापानी और सम्पत्ति अपहरणका दण्ड दिया । बादको उनका दण्ड घटा कर ही मासकी सजा कर दी गई । दण्डको भोगकर वे अब आ गये हैं । जेलमेंसे न्यायके लिये लाला लाभसिंहने बड़े पाठके पास प्रार्थनापत्र भेजा था । उमर्में उन्होंने साहसके साथ लिखा था :— “केवल प्रियाद घटा देनेसे ही मुझे सन्ताप नहीं हो सकता और न यह मेरे ऊपर किये गये अन्यायका परिमार्जन कर सकता है और न न्यायका असली रूप प्रगट कर सकता है ।” ऐसे अकिंक लिये जेलसे छुटकारा पाना किसी भी प्रकार शान्ति प्रद नहीं हो सकता । पाठकोंको स्मरण होगा कि लाला लाभचन्दपर अभियोग केवल सरकारी गवाहके बयानपर चलाया गया था और उन्हें तथा उनके साथी अन्य अभियुक्तोंको इस बातका भी अवसर नहीं दिया गया था कि वे उसके चाल चलनके बारेमें भी जिरह करते । इतनेपर भी जजोंने लाभसिंहके लिलाफ केवल इतना ही लिखा था :— “अभियुक्त न० ४ लाभसिंहने रीलट ऐक्टके विरुद्ध आन्दोलन करनेमें प्रधान भाग लिया था और १२ तथा १३ अप्रैलकी सभामें

उपस्थित था। गवाहोंके व्यानसे विदित होता है कि १३ तारीखको उसने अहंसा और उपद्रवका घोर चिरोध किया पर बादको राजी हो गया। १४ तारीखको बलबाइयोंके साथ वह अनेक खानोंपर देखा गया था पर उस दिन उसने अधिकारियोंकी सहायता की थी। हम लोग इसे ताजिरात हिन्दू दका १२१ के अनुमार दाष्ठी ठहराते हैं अर्थात् बगावत करनेका दोष इसपर लगाया जाता है।” यहांपर इस प्रकरणको उद्धृत करनेका हमारा पक्षमात्र अभिप्राय पाठकोंको उस घोर अन्यायका—जो कि लाला लाभसिंहके साथ किया गया था—आभासमात्र दे देना है। यह बात स्मरण रखने योग्य है कि सजाकी मियाद-को भटाना और बादको छाड़ देना—पर अभियुक्त उसी प्रकार दोषों बना है—लाला लाभसिंहके शब्दोंमें ही ‘न्यायका गला घोटना’ को पूर्णतया चरितार्थ करना है। इस तरहके अनेक उदाहरण मिल सकते हैं जिनमें न्यायके नामपर घार अन्याय किया गया है। हम लोग उन्हें सहजमें ही नहीं भूल सकते। जबतक हमारे निर्दोषी पञ्चाबी भाई इस तरह कानूनके अन्दर अन्यायसे दोषी बने तबतक सच्चे भारतवासीको हँसियतसे हमें धैर्य और शान्ति नहीं प्रह्लण करनी चाहिये।



कसूरकी घटना

— ४५ —

दिसम्बर १०, १९६६।

कसूरकी घटनाके संबन्धमें लाहोरके ट्रिभ्युन पत्रमें जो समाचार प्रकाशित हुआ है और जिसका महात्मा गान्धीने समर्थन किया है उसकी यदि हमलोग आलोचना और प्रत्यालोचना करें तो स्पष्ट हो जाता है कि पञ्चावके अधिकारी जरा जरासा बातपर, अति साधारण उत्तेजनापर बल प्रयोगके लिये तुले हैं। पर इस घटनाका महत्व—यद्यपि यह साधारण है—अन्य बातसे है। मिठा मास्टर्डने कानूनको अपने शाश्वते लिया सही पर उन्होंने तुरन्त ही उसके लिये यशाशक्ति प्राप्तिकृत भी की। महात्मा गान्धीकी उपस्थितिको उन्होंने अनुषिकार हस्ताक्षण समझ कर किसी तरहका रोप नहीं प्रगट किया। उन्होंने महात्माजी-को सब बातें समझानेके लिये बुलाया और जब महात्माजीने उन्हें यह समझाया कि जो क्षतिपूति आपने किता है वह पर्याप्त नहीं हा सकती जबतक कि खुली तौरपर किये गये अपराधके लिये खुली तौर पर पश्चात्ताप नहीं प्रगट किया जाय तो उन्होंने उसे महत्व खोकार किया और महात्माजीका अधिकार दे दिया कि वे इस बातको पत्रोंमें प्रकाशित कर दें कि हमें (मिठा मास्टर्डनको) इस घटनाके लिये हार्दिक दुःख है। इस प्रकारके खेद प्रकाशन-

का जनतापर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। वह सन्तुष्ट हो गई। वह उस घटनाको एक दम भूल ही नहीं गई बलिक उनको (मि० मार्स्डनको) और भी अधिक अद्वा तथा भक्षिसे देखने लगी। इससे कितनी उत्तम शिक्षा मिलती है। धैर्यपूर्ण सत्यव्यवहार-का फल सदा अच्छा हाता है। जनताने उसे जनावश कोई उपद्रव न करके अधिकारीको उसकी भूल बतला दी। अधिकारी-ने अपनी भूल स्वीकार कर ली और उसके लिये काफी प्रतोकार कर डाला। सच्चाई पर अवलम्बित रहकर जो विजय प्राप्त की जाती है उसके लिये दूसरा उचलन उदाहरण अधिकारी वर्गके लिये नहीं मिल सकता। यह निर्विवाद है कि मि० मार्स्डनने भारी भूल की थी। पर भूल स्वीकार करनेपर उन्हें विदित हुआ कि जनताकी दृष्टिमें उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई है।

यदि भारतके अधिकारियोंमें इस तरहके और भी अफसर निकल आवे तो राजा और प्रजामें प्रेम और सदृश्व दृढ़ होता जाय तथा इस तरहकी दुर्घटनायें उपस्थित ही न हों।

ट्रिब्यूनके सम्बाददाताका पत्र

महात्मा गान्धी डाकूर परशुरामके साथ कल कसूर आये थे उन्होंने उन दोनों हिन्दुस्तानियोंको देखा जिन्हें गत शुक्रवारको सबडिविजनल अफसर मि० मार्स्डनने पीटा था। जो कुछ हुआ था उसके बारेमें उन्होंने महात्माजीको लिखित बयान दिया। एकका नाम कादिरबख्शा है। वह तरकारी बेचता है। उसे मि० मार्स्डनने दूरी तरह पीटा था, क्योंकि उसपर

यह शक किया गया था कि उसने अपनी दीवारपर खिलाफत-का पोस्टर चिपकाया था। दूसरेका नाम गुलाम मुहम्मद है। वह गल्लेका व्यापारी है। उसने भी वही बयान दिया है। जिन नोटिसोंके लिये उन्हें दण्ड दिया गया है वे भी उखाड़ दी गई थीं। पर थांडी ही देर बाद मिं. मार्सेडनका विदित हुआ कि उन्होंने भूल की है। उन्हें मालूम हुआ कि नोटिसोंमें कोई बात गैरकानूनी नहीं थी और उन्हें कसूरक प्रसिद्ध बकील महयूहीनते चिपकाया था। उन्होंने फौरन क्षमा मांगी और बतौर हजाराके कादिरयखाको दश रुपये दिये। इनी बीचमें मिं. मार्सेडनके बुलानेपर महात्माजी उनसे मिलने गये और उस घटनापर चादविचाद हुआ। महात्माजी उसी दिन तीसरे पहर कसूर निवासियोंकी एक महानी सभामें भाषण करनेवाले थे। मिं. मार्सेडनने महात्माजीसे कहा कि आप खुली सभामें इस बातकी सूचना दे दें कि हमने जल्दीमें जो कुछ किया उसके लिये हमें धार पश्चात्ताप है। महात्माजीने उस सावंजनिक सभामें लोगोंको बतलाया कि किस खुराके साथ मिं. मार्सेडनने अपने अपराधके लिये क्षमा मांग ली है। उस सभामें प्रायः इ हजार पुरुष और तीनसे चार सौ तक ख्याली थीं। × × × ×

महात्माजीका विवरण

कसूरकी उपरांक घटनाके बारेमें महात्माजीने निम्नलिखित शब्दोंमें लिखा है जिससे ट्रिव्युनके संवाददाताका पत्र पूरी

तरहसे प्रमाणित हो जाता है। महात्माजीने लिखा है:—कसूरसे एक तार मिला है कि वहाँके सबडिविजनल अफसरने एक मुसलमानको बड़ी निर्दयताके साथ पीटा है। उसपर यह अगराध लगाया गया था कि उसने दीवारपर खिलाफतका पोस्टर लगाया था। अनुसन्धानसे विद्यि दुआ कि उसने पोस्टर नहो चिपकाया था और वह सर्वथा निर्दोष था। मेरी समझमें यह बड़ी भारी बात हो गई। ब्रिटिश अधिकारी इस प्रकार कानूनको अपने हाथमें ले लें और इस तरहके अत्याचार करें, यह असह्य है। इसलिये डाकूर परशुरामको लेकर मैं कसूर गया। मैंने दोनों मुसलमानोंका गवाहियां ली जिन्हें सबडिविजनल अफसरने पीटा था। उनी सभय मिस्टर मार्सेडनने पत्र लिखकर मुझे बुलाया। मैं उनसे मिला। उन्हाँने मुझसे कहा कि मैंने उन मुसलमानोंसे क्षमा मांग ली है और हर जानेके तौरपर उन्हे १०) ६० दिया है। मैंने उनसे कहा कि आपने खुली तौरपर उन्हें मारा है इसलिये खुली तौर पर क्षमा भी मांगनी चाहिये। वे मेरी बात मानकर तैयार हो गये। दीवाल पर वे पोस्टर पुनः लगाये गये। इसके बाद ही मैंने एक महत्वी सभामें भाषण किया जिसमें प्रायः ४००० नरनारी उपस्थित थे। मैंने अपने भाषणमें मिस्टर मार्सेडनके बिना किसी शर्तके क्षमा मांगनेकी बात कही और वे सन्तुष्ट हो गये।”

जेनरल डायर ।

जुलाई १४, १९३० ।

आमों कौसिलने जेनरल डायरको दोषी ठहराया है कि उसने 'समझकी भूल' की और फैसला किया है कि राज्यके अन्तर्गत उसे काई पद नहीं मिलना चाहिये । जेनरल डायरके आचरणकी निन्दा करनेमें मिस्टर मांटेगूने कोई वात उठा नहीं रखी है । पर तोभी न जाने क्यों मेरो यही धारणा है कि जेनरल डायर सबसे बड़ा अपराधी नहीं है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसने घोर बूचड़पनका काम किया । आमों कौसिलके सामने अपनी सफाईके लिये उसने जो कुछ कहा है उसके प्रत्येक शब्दमें उसकी हानता और सिपाहांके अयाम्य बुज़दिली टपकती है । उसने उस निरख नर-नारी और बालक तथा बृद्धोंके दलको बिद्रोही दल बतलाया है । वह समझता है कि उसने उन आदमियोंको जोकि एक अहातेमें बन्द कर दिये गये थे—कुन्ते बिलियों या चूहोंकी तरह बेकसीकी अवस्थामें मारकर पञ्चायका उद्धार किया । ऐसा व्यक्ति सैनिककी श्रेणीमें गिने जानेके सर्वधा अयोग्य है । उसके आचरणमें वीरताका कहींसे गन्ध भी नहीं था । उसको किसी तरहके खतरेका समाना नहीं करना पड़ा था । उसने चिना सूचना दिये ही धड़ाधड़ गोलो चलाना आरम्भ

कर दिया था और किसीके मुकाबिले में आनेका उसे भय नहीं था। इस प्रकारके आचरणको “समझकी भूल” नहीं कह सकते। किसी असम्भावित भयकी सम्भावनासे इसे हतयुद्धि कह सकते हैं। यह असीम निर्दयता और पावाण हृदयताका नमूना है। पर जेनरल डायरपर जो क्रोध प्रगट किया गया है वह सर्वथा उचित नहीं है। यह ठीक है कि गोलो चलानेमें उसने भीषण वर्चरतासे काम लिया। उससे बेगुनाहोंकी जो जाने गईं उनके लिये जितना ऐद प्रगट किया जाय, थोड़ा है। पर उस काएँडके बाद लोगोंका धीरे धीरे सताया जाना, अपमानित होना और निःशक्त करना उससे कहीं भीषण था, बहुत भयानक था, बहुत दुःखदायी था, बहुत ही हीनता पूर्ण था, आठमापर आघात करनेवाला था और जिन अफसरोंने इस तरहकी कार्रवाईयोंमें भाग लिया या सहायतादी उनका निर्भत्स्ना अथवा निन्दा जेनरल डायरसे कहीं अधिक होनी चाहिये। जेनरल डायरने तो कुछ लोगोंके केवल प्राण ही लिये पर ये लोग तो एक राष्ट्रकी आत्मापर ही आघात करनेपर तुले हुए थे। करनल फूंक जानसन इस काएँडका सबसे बड़ा अपराधी है। पर उसकी कोई चर्चातक नहीं करता। उसने निर्दोष लाहोरमें भय और उत्पीड़नका राज्य चला दिया था और अपनी पाश्विक आज्ञासे मार्शल लाके सभी अधिकारियोंका साहस बढ़ा दिया था। पर हमें कर्नल फूंक जानसनके विषयमें भी उतना अधिक नहीं कहना है। पञ्चाब निवासी तथा भारतीयोंका सर्व प्रथम और सबे

प्रधान कर्तव्य यह है कि वे प्राणपणसे चेष्टा करके कर्नल खोद्दा-यन, मिठो बख्थे स्मिथ, राय श्रीराम तथा मिस्टर मलिक खांको नीकरीसे हटा दें। वे लोग आज भी अपने पदपर विराजमान हैं। उनका अपराह्न उतना ही भीषण है जितना जेनरल डायरका। यदि जेनरल डायरके फैसलेसे ही हम लोग सन्तुष्ट हो गये और पञ्चाबके शासन विवागके परिशोध करनेके प्रधान कर्तव्यकी ओरसे लापरचाह हो गये तो हम अपने कर्तव्यका पूर्णकासे पालन नहीं कर रहे हैं। इस काममें केवल लड़बी औड़ी स्पोर्ट्स और बड़े बड़े प्रस्तावोंसे सफलता नहीं मिलती है। यदि हम लोग अपना व्यक्तित्व आगे रखना चाहते हैं, यदि हम लोग अधिकारियोंको यह बात भली भांति समझा देना चाहते हैं कि उन्हें अपनेको जनताका अनन्य स्वामी नहीं समझ लेना चाहिये, बल्कि उनके संरक्षक और नाकर और यदि उन्होंने अपना आचरण ठीक नहीं रखा और अपने कर्तव्यका पालन ठीक तौरसे नहीं किया तो हमें कड़ाईसे काम लेना होगा।



जलियांवाला बाग

(फरवरी १८, १९२०)

इस बागको खरीदनेमें राष्ट्रको कुछ सम्पत्ति हो रही थी। पर पण्डित मदन मोहनजी मालवीय, स्वामी श्रद्धानन्दजी तथा पञ्चायत्रे के अन्य नेताओंके प्रयाससे यड समस्या अब हल हो गई। यदि हे अप्रेलसे लेकर तीन मासके भीतर कुल लागत मूल्य है दी जाय तो यह बाग राष्ट्र की सम्पत्ति हो जायगा। इसका मूल्य ५,३६,०००) रु० है। इतनी रकम तीन मासके भीतर ही भीतर बटोरनी है।

इस सम्पत्तिको राष्ट्रके लिये खरीदना उचित है या अनुचित, इस प्रश्नपर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि इस व्यवस्थापर कुछ पढ़े लिखे समझदार लोगोंने भी इतराज किया है। कानपुरके स्मारकका स्मरण करके इस नरहके विचारपर आङ्गर्य नहीं करना चाहिये। पर मैं यह कहनेके लिये विवश हूँ कि यदि बाग राष्ट्रके लिये खरीदन लिया जाय तो हमारे लिये यह धोर अपमानकी बात है। क्या हम किसी भी अवस्थामें उन ५०० या इससे अधिक निर्दोषोंकी समृतिको मूल सकते हैं जो विना कारण हो, विना किसी अपराधके ही कीड़े मकोड़ोंकी तरह मार डाले गये। यदि वे जानकर राजीसे प्राण गवाये होते, अपनी निर्दोषिताको जानकर यदि वे अपनी जगह पर अड़े रहते और बन्दुकोंके निशानोंको फूलका बार समझकर

सहते तो आज इतिहासमें उनकी गणना महात्माओं, वारों और त्यागियोंमें हुई होती। पर जो कुछ हो इस दुर्घटनाका राष्ट्रीय महत्व किसी भी तरह कम नहीं हो सकता। राष्ट्रका जन्म इसी तरहकी ओर यातनाओं आर असीम कष्टोंके सहनसे होता है। इस राष्ट्रीयताके संग्राममें जिन लोगोंने यिना किसी कारण अथवा दूसरोंके दोषसे अपने प्राण गंवाये या असीम कष्ट सहे, उनकी स्मृतिको यदि किसी भी प्रकार हम लाग चिरस्थायी नहीं बना सकते तो हमे राष्ट्र कहलानेका अधिकार नहीं है। जिस समय हमारे निर्दोष भाई असीम निर्दयताके साथ हलाल किये जा रहे थे हम लोग किसी भी प्रकार उनकी रक्षा नहीं कर सकें। चाहे हम लोग बदला न लें, प्रतिहिंसाके भावको हृदयोंमें न उत्तय होने दें पर यह क्य सम्भव है कि हम लोग उनके समृति चिह्नों बना कर उनके वन्धुवान्धवों को यह न बता दें कि इन त्यागियोंके साथ हमारी पूर्ण सहानुभूति है और संसार को भी बतला दें कि इनकी मृत्युको हम अपने प्रियतमकी मृत्युसे कहीं अधिक समझते हैं। यदि राष्ट्रीय वन्धुत्वमें इतना भी भाव नहीं आ सकता तो फिर उसका क्या प्रश्नीजन है। भावी नन्तति को हम अभीसे सचेत कर देना चाहते हैं कि खतन्त्रताके मार्गमें आगे बढ़नेके लिये हमें सदा इस तरहकी (जालयांवाला बाग मदूर) घटनाओंका सामना करनेके लिये तैयार रहना चाहिये। बल-भर इस तरहकी घटनाओंके निवारणकी चेष्टा करेंगे, इन्हें लानेकी चेष्टा न करेंगे पर यदि कहीं ये घटित हो गईं तो हम इनका

चीरतासे सामना करेंगे। हम नहीं चाहते कि हममेंसे कोई भी राष्ट्रीय युद्धमें पीछे कदम हटावे। अमृतसरकी कांग्रेसने यही शिक्षा दी है कि प्राचीयकी यातनाओंने लोगोंके हृदयोंको दुर्बल नहीं बना दिया है बल्कि राष्ट्रने इसे सम्भावित मान लिया है। हम लोगोंमेंसे कुछने भीषण भूल की ओर उसका फल उन निर्दोषोंको भोगना पड़ा। भविष्यमें हमें सतर्क रहना चाहिये ताकि ऐसी भूलें न हों पर यह कब समझ है कि पूर्णयज्ञ करनेपर मां हम सब से ठीक मार्गपर ला सकेंगे। इसलिये हमें सदा इस तरह निर्दोष होकर भी यातना भोगनेके लिये तेजार रहना चाहिये। इसके लिये हमें पगड़ कर देना चाहिये कि हम लोग निर्दोषोंके अतुल त्यागको भूल नहीं गये हैं बल्कि उनको पवित्र स्मृति सदा ध्यानमें जमी रहती है और राष्ट्र सदा उनके घन्थवान्धगोंके साथ है। स्मृति चिह्नका यही यथार्थ अभिप्राय है। क्या मुसलमानोंका रक्त हिन्दुओंके रक्तसे मिलकर नहीं बहा है? क्या सिन्धियोंका रक्त सनातनी तथा समाजियोंके रक्तमें मिलकर नहीं बहा है? यह स्मृति चिह्न हिन्दू मुस्लिम मेलको बढ़ानेके लिये राष्ट्रका ज्ञा प्रतिरूप होना चाहिये।

पर जिन लोगोंने इस कामको नायसन्द किया है उनके सन्तोषके लिये भी दो शब्द कहना है। उन लोगोंका कहना है कि इससे गिरंघ और असद्वावका प्रचार होगा। यह संचालकों पर निर्भर है। जहांतक उन्हें मैं आनता हूँ मैं कह सकता हूँ कि उनकी यह मन्द्या नहीं है। मैं यह भी

आनता हूँ कि राष्ट्रीय महासभाका यही उद्देश्य नहीं था । मैं यह नहीं कह सकता कि लोगोंके हृदयमें रोष नहीं था । जो कुछ विद्वेषके भाव थे, व्यक्त थे । पर स्मृति चिह्नमें उनसे कोई सम्बन्ध नहीं था । जनताको उन जालिमोंकी जालिमाना कार्रवाईको भूल जाना चाहिये । जो कुछ जेनरल डायरने किया था हम भी कर सकते हैं यदि हम उनने ही उच्छृंखल हो जायं और अवसर पा जायं । मनुष्यसे भूल हो ही जाती है पर मनुष्यको भूल जाना चाहिये । यदि हम चाहते हैं कि हमारी भूलको लोग भूल जायं, हमें क्षमा कर दें और बार बार उसका स्मरण न दिलाया करें तो हमें अपने शत्रुओंको भा क्षमा कर देना चाहिये । पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हम जेनरल डायरकी घरखास्तगी-के लिये जोर न दें । यदि हमारा पड़ासी पागल हो गया है और हमें सताता है तो हम उसे वहां कभी नहीं रहने देंगे । पर जिस तरह हम उस पागलके प्रति किसी तरहका दुर्भाव नहीं रखते उसी तरह जेनरल डायरके प्रति भी किसी तरहका दुर्भाव नहीं रखना चाहिये । इसलिए स्मारकमें हम दुर्भाव और विद्वेषके किसी तरहके भावको स्थान नहीं देना चाहते बल्कि उसे परम पवित्र मन्दिर और तीर्थक्षेत्र बना देना चाहते हैं जहां प्रत्यक्ष व्यक्ति विना किसी तरहके जात पातके मेदभावके दर्शन करनेके तिमित जा सके । मुझे माशा है कि प्रत्येक अंग्रेज सब्जे हृदयसे मेरी इस बातका

समर्थन करेगा, चन्दा आदि देकर इस सत्कार्यमें योग दान करेगा और हमलोगोंकी आत्मोन्नतिमें यथासाध्य सहायता करेगा और हमें उपर स्वतन्त्रताके मन्दिर तक पहुँचनेमें सहायता देगा, जिसका वह स्वयं उपर्योग करता है, हिन्दू मुसलमानोंकी एकत्रमें सहायता देगा क्योंकि विना इसके भारतकी सख्ती उत्तरति हो लो नहीं सकती।

एक पीड़ित पंजाबी

(श्रावकदृष्टवर १५, १९१६)

विहारीलाल सचदेवकी अवस्था केवल २४ वर्षकी है। वह गुजरानवालाका रहनेवाला है। उसके अलावा उसके घरमें उसकी युवती रुही और ७२ वर्षके बृद्ध पिता हैं। इसपर भी बगावतका अभियोग चलाया गया था और सैनिक अदालतने इसे दोषी ठहराकर आजन्म कालापानी तथा सम्पत्ति हरणका दण्ड दिया था। उसने पञ्चावके छोटे लाटके पास प्रार्थनापत्र भेजा जिसपर कालापानीका दण्ड हटाकर उसे चार वर्षका कारावासका दण्ड मिला। जिस अभियुक्तने काई दोष नहीं किया, उसे भला इससे क्या तसद्दी मिल सकती है और बृद्ध पिताकी अवस्थाका वर्णन करना ही कठिन है, जिसे मरते समय इतनी भीषण विपत्तिका सामना करना पड़ा हो।

पहले प्रार्थनापत्रका यह उत्तर पाकर विचारा विहारी लाल हताश नहीं हुआ। उसने सोचा कि किसी भूलके कारण उसके अभियोगपर पूर्ण विचार नहीं किया जा सका। यह सोचकर उसने दूसरा प्रार्थनापत्र भेजा। प्रार्थनापत्रके शब्द यड़े ही जोरदार, भावपूर्ण और गम्भीर हैं। वह इस तरहसे लिखा गया है कि अवश्य निगरानी होगी। फूल बातोंका उसमें कहीं नाम निशान भी नहीं है। केवल मुख्य बातोंका उसमें समावेश है और इनना सूक्ष्म है कि बहुत काममें व्यस्त अदमी भा उसे पढ़नेके लिये समय निकाल लेगा।

फई दिन हुए एक मित्रने मुझसे कहा—“लगातार ४० वर्षोंसे पञ्चाय ब्रिटिश छत्रछायाका अनन्य भक्त रहा है और उसकी जड़ मजबूत करता आया है। आज उसे ब्रिटनका असली रूप विदित हुआ है। मेरा ब्रिटिश न्यायमें विश्वास नहीं रहा। मुझे सुधारकी कुछ भी परवा नहीं। यदि हमारी मर्यादा और हमारा जीवन मुरक्खित नहीं है, यदि हम इस समय भय-के चक्रमें फ़से रहते हैं तो इन सुधारोंसे हमें क्या लाभ।”

विहारीलाल सचदेवक! अभियोग इसी प्रकारका है। अफ-सरोंके गलत फहमीका एक नमूना है। यह युवक एकदम निर्दोष प्रतात होता है। फैसलेमें लिखा है कि अभियुक्त ४, ५, १२ और १३ अप्रेनकी सभाओंमें उपस्थित नहीं था। प्रधान व्याहका वयान काविल इतमीनाम नहीं है। अन्य गवाहियाँ बतायी गई हैं। पर यदि उन्हें सच भी मान लिया जाय तो

इनसे अभियुक्तपर काई दोष नहीं आरोपित होता। सफाईके गवाह सभी प्रतिष्ठित और माननीय व्यक्ति थे पर अदालतने उनपर पतनार नहीं किया। पंजाबकी अवस्थासे हम सब भली भाँति परिचित हो गये हैं इनलिये विशेष आदलतोंकी इस तरहकी कार्रवाईपर हमें अचम्भित नहीं होना। चाहिये। केवल यह देखना विस्मय होना है कि जब पूरी तरहसे शान्ति हो गई तब भी इन निर्दोष अभियुक्तोंके मामिलोंपर विचार निरपेक्ष नहीं हो रहा है। पंजाब सरकारकी भाँति जो सरकार प्रजाकी सतनामाको इतना हेठल मम्रनी है वह सम्मान और प्रतिष्ठाके योग्य नहीं।

शोचनीय अवस्था

(मई २६, १९३०)

श्रीयुन रतनचन्द्र और बुगांक घासे हमें निम्न लिखित तार अभी मिला है:—

बुगा और रतनचन्द्रको कोलापानीका दण्ड मिला है और वे लोग अन्दरन छाप भेजे जा रहे हैं। बुगांको दस वर्षसे भाँत उतरने और बवासीरकी बीमारी है। उनका चीरा भी हो चुका है। रतनचन्द्रकी अवस्था ५० वर्षसे अधिक है, इसलिये जेन मैनुपल धारा ७२१ के अनुसार वे अन्दरन छाप नहीं भेजे जा सकते।

पाठकोंको स्परण होगा कि जिन पांच अभियुक्तोंकी अपील प्रिवी कॉसिलमें की गई थी उनमेंसे ये दो भी थे और इनकी अपील खारिज कर दी गई । कारण कुछ नहीं । परिणाम आतोलाल नेहरूने विवेचना करके दिखला दिया है कि जितना दोष अब तीन अभियुक्तोंपर था उतना ही इनपर भी हो सकता है । पर जिन अब अभियुक्तोंको पहले फाँसीका दण्ड मिला था, उनके दण्ड बादको छढ़ा दिये गये और अन्तमें वे छाड़ भी दिये गये । क्या कारण है कि इन अभियुक्तोंको उनसे मलग किया गया है ? क्या यह अपीलके कारण हुआ है ? यदि उन्होंने अपील न की होती या उस उदार बकीलने उनकी अवस्थापर दया करके, अनेक कठिनाइयोंको सहकर भी उनके मुकदमेकी पैरवी न की होती तो उनका किसी प्रकार उदार हुआ होता और उन्हें शून्यीपर चढ़ा ही दिया गया होता । पंजाबके छोटे लाट उन लोगोंपर विचारपूर्ण दया दिखला रहे हैं जिन्हें विगत अप्रैल तथा जूनके बीचमें याननाये भोगनो पड़ी थीं । प्रिवी कॉसिलमें अपील खारिज होनेके बाद यदि वे चाहते तो उन्हें फाँसीपर चढ़ा सकते थे । यद्यपि बड़े लाटने अपनी दया दिखाकर फाँसीका दण्ड उठा दिया और कालोपानोका दण्ड दे दिया पर यदि सप्ताष्टकी घोषणाको पूर्ण महत्व देना है तो श्रीयुत चुग्गा और गतन-चन्द भी मुक्त कर दिये जायें । साम्झाज्यके लिये वे लोग लाला हरकिशनलाल १० रामभजदत्त चौधरी आदिसे अधिक भया-

वह नहीं है। पर अब उनकी मुक्ति कठिन है। इसलिये मैं उसके विषयमें कुछ नहीं कह रहा हूँ। हमारा यही अनुरोध है कि उन्हें पंजाबके ही अन्तर्गत रखा जाय। और यदि वे बाहर भेज दिये गये हैं तो उन्हें लौटा लिया जाय। यदि और कुछ नहीं तो इन विचारोंकी दुखिया स्थियोंकी अवस्था पर तो दया की जाय। हमारा अनुरोध है कि सरकार जनताको इस बातपर स्पष्ट मत हो जानेके लिये अवसर न दे कि भारत सरकारके काममें विचार और न्यायका स्थान नहीं है, उनका सारा काम अपनी सुविधाके अनुसार भय दिखलाकर किया जाता है।

—०—

सुपरिण्टेण्टका आर्डर

जुलाई १४, १९२०।

महात्माजीने लिखा है :—

पण्डित मदनमोहन मालवीयने मेरे पास गुजरानवालाके पुलिस सुपरिण्टेण्टसि। पफ० ३० हिरोनके हस्ताक्षरका एक दुष्प्रभाव नामा भेजा है। पण्डितजीने लिखा है कि गुजरानवालामें भ्रमण कर वहांकी स्थितिका जो कुछ अनुभव आएने प्राप्त किया है उसके आधारपर इस आक्षण्यकी उचित समालोचना करके आप इसे पत्रोंमें प्रकाशित कर दीजिये। इस

लाको अदालतके समक्ष विचारार्थ अधिकारिक मुकदमे उपस्थित किये जाने चाहिये। अन्य ज़िलोंके मुकाबिलेमें इस ज़िलेसे बहुत कम अभियुक्त विचारार्थ भेजे गये हैं, इससे स्वभावतः इस ज़िलेके अफसरोंपर दोष लगाया जा सकता है कि वे दोषियों-की लोज और मुकदमोंके अनुसन्धानमें मुस्तैदी और तत्परता नहीं दिखाते हैं। पर अब भी समय है। इस तरहके आक्षेपोंको धो डालनेके लिये अब भी कुछ किया जा सकता है। यदि हमारे सभी अधीनस्थ कर्मचारी इसके लिये जी जानसे चेष्टा करें तो कोई कारण नहीं कि अमृतसर तथा लाहोरमें, जिनके हाथमें जांचका काम रहा है उनके मुकाबिलेमें इनके यश, मुस्तैदी तथा कार्यदक्षतामें किसी तरहका धब्बा लगे। पर यदि अभियुक्तोंकी सख्त्या इस ज़िलेमें इतनी ही रही तो सबकी कदर और प्रतिष्ठा उठ जायगी और सबके साथ वे भी हानि उठावेंगे जिन्होंने इस प्रतिष्ठाके अनुरूप काम किया है।

७-८-१९१६

(हस्ताक्षर) एफ० ८० हीरोन

पुलिस सुपरिणिटेण्टर गुजरानवाला

कांग्रेस सबकमेटीके सामने अनेक गवाहोंने बयान किया कि मार्शल लाके अन्तिम दिनोंमें इस ज़िलेसे दलके दल अभियुक्त पकड़ पकड़कर मार्शल लाके अदालतके सामने उपस्थित किये जाते थे। अदालतकी फार्मवाई रात रात होती रही और नफाईके गवाहोंका बयान लिये बिना ही अफसर लोग एकदम निर्वाचियोंको मनषा १ सजा देते थे। जिन लोगोंके ऊपर

इन मुकदमोंके विचारका भार या उनमेंसे एक तो कर्नेल ओब्रायर था और दूसरा वस्वर्थ स्मित था। पुलिस सुपरिणटेंडेंटका आहारपत्र कांग्रेस कमेटीके रिपोर्टपर काफी प्रकाश डालता है और स्पष्ट तरहसे दिखला देता है कि लोगोंपर किस तरहके मुकदमे चलाये गये। इसी तरहको कार्रवाईके आधारपर अकालगढ़, रामनगर आदि जगानोंमें अनेक निर्दोषोंको जेलमें ठूस दिया गया और इनको इस प्रकार ठूसनेवाले अभी तक अपने पदोंपर मौजूद हैं और उन दुष्ट भाजपोंका अधिकार रखते हैं।

—०—

मार्शल लाका दूसरा शिकार ।

(अक्टूबर २६, १६१२)

श्रीयुत परसोतमसिंहने अपने पिता श्रीयुत जपायतसिंह जगाके अभियांगका विवरण भेजा है। ये बजीरावादके सौदा-गर और महाजन हैं। इनकी अवस्था इस समय ६२ वर्षको है और आंखकी दीमारीसे बहुत तड़क रहते हैं। विशेष अदालतने इन्हें १८ मासका कड़ा कारावास और १०००) १० जुर्मानाका दण्ड दिया था और जुर्माना न दाखिल करनेपर ६ मासतक और छठिन कारावासका दण्ड भोगना था। मैं पूरे फैसलेको पढ़ गया। मैं साइसके साथ कह सकता हूँ कि इस फैसलेको

पढ़कर कोई भी इस फेसला के लिखने गाले को जज नहीं कह सकता। सारा फैसला तर्कशून्य है। अनुमान को खीचतान-
कर असंबद्ध तर्क के आधारपर न्यायपति इस फैसले पर पहुंच सके हैं। और मुकदमे के विवरण में जिन बातों को परसोतम सिंहने लिखा है यदि वे सच हैं तो मैं आर हड्डताले साथ कह सकता हूं कि जिन अफसरों द्वारा इस मुकदमे का विचार किया है और ऐसा फैसला लिखा है वह उस पद के सर्वशा अयोग्य है। जमायतसिंह पर दोषारोपण किया गया है कि वह मस्जिदबाली समां में उपस्थित थे और हड्डताले पक्ष का समर्थन किया था। और दूसरा दोष यह था कि वे धनों हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेटने फैसले में लिखा है कि पक्षपात होने सकाई के गवाहों के व्यानपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि जमायतसिंह घनी महाजन है। आगे चलकर फिर माजस्ट्रेटने फैसले में लिखा है:—“क्या जमायतमिहना उन बलवाइयों के साथ में होना—जिन्होंने संनिकों पर पत्थर फेंका था—उसको दोषी ठहराने के लिये काफी प्रमाण नहीं है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि उसने चाहरदीवारी के तारों को तोड़ने से लड़कों को रोका। पर इसके लिये अन्य कारण भी हो सकते हैं। इतना तो निश्चय प्रमाणित हो जाता है कि वह बलवाइयों के साथ था।” इस प्रकार इस निर्णय पर पहुंचकर मजिस्ट्रेटने उन सभी बातों को सुनने से और उनपर विचार करने से इनकार कर दिया जो अभियुक्त के पक्ष में थीं। जो कुछ मैंने कहा है उसकी सचाई की

जांचके लिये पाठकोंको उस फैसलेको पढ़ जाना चाहिये। पर जमायनसिंहके पुत्र परसोतमसिंहने उस मुकदमेमें मेरे पास जो कुछ लिखकर भेजा है उसे पढ़कर तो इस फैसलेकी बेइमानी और भी कालिमामय हो जाती है। क्या यह बात सच है कि बिना किसी सूचनाके मजिस्ट्रेटने अभियुक्त-को संपत्ति जब्त कर ली, घरमें रहनेवालोंको हर तरहसे सताया गया उनकी घोर बेर्ज़ती की गई ? यदि ये बातें सच हैं तो क्या इसे न्यायका गला घोटना नहीं कह सकते ? क्या यह बात सच है कि सफाईके जिन गवाहोंका अभियुक्तने नाम दिया गया उनके पास हाजिर होकर बयान देनेके लिये समन तक नहीं भेजा गया और जिस समय अभियुक्त पर दोषारोपण किया गया उस समय उसके बकील भी इजलासमें नहीं रहने पाये ? अब आप ही समझ लोजिये कि इस तरहके फैसलेका क्या मूल्य होगा ?

फैसलेके पहले तथा बाद अभियुक्तके साथ जिस तरहका व्यवहार किया गया वह भी उस न्यायप्रिय (?) अदालतके सर्वथा अनुरूप था। अभियुक्तके हाथमें हथकड़ियाँ भर दी जाती थीं और अपना विस्तर बगलमें दबाकर उसे पैदल आना जाना पड़ता था। क्या यह व्यवहार पशुबत् नहीं था ? इसे पढ़कर जेनरल हृष्णनके भाषणका स्मरण आ जाता है जो उन्होंने हाथ और पैरके बल चलनेकी आज्ञाके सम्बन्धमें कहा था। सारी घटनासे यही प्रगत होता है कि अधिकारियोंका इस तरहका व्यवरण,

पेटके बल रेगनेकी आहाकी भाँति केवल भय पैदा करनेके नियमित था । जो अपमानजनक तथा क्रूर व्यवहार अभियुक्तके साथ किया गया था उसके सिवा इसे और किसी आधारपर चरितार्थ नहीं किया जा सकता । युद्धके जमानेमें इस व्यक्ति-ने बज़ीराबादमें चन्दा आदिसे सरकारकी सबसे अधिक सहायता की थी, रड्डूरुट जुटानेमें भी खासी मदद की थी । पर यह सब निष्फल था । सरकारने उसको सेवाओंसे प्रसन्न होकर राजमहिलकी सनद दी थी वह भा निरर्थक था । मार्शल छाके अभियावकोंने उसे कालकोठरीमें हूँस दिया और साधारण बदमाशोंमें उसकी गणना की गई ।

बादको पञ्चाब सरकारने इस दलडको घटाकर मास कर दिया है । इसके लिये पञ्चाब सरकारकी किमा तरहको प्रशंसा नहीं की जा सकती क्योंकि अभियुक्त सर्वथा निर्देषित था और उसे रिहा कर देना चाहिये था । परसातमदामके विवरणसे मालूम होता है कि इस मुकदमेकी पुनः जांच हासी और उसके लिये एक खास जज बैठाये गये हैं । मैंने इस तरहके जजका कार्रवाईके बारेमें अपनी आशंका पहले ही प्रगट कर दी है । चाहे कोई भी व्यक्ति इस पदपर क्यों न बैठा दिया जाय उसम किसी तरहकी इन्साफकी आशा नहीं करनी चाहिये । यदि सरकार इस तरहके अन्यायों और ज्यादतियोंका पूर्ण प्रतीकार नहीं कर सकती और केवल अपनी अनुचित कार्रवाईपर तोपन (पर्दा) ढालनेके लिये ट्रिब्युनल आदि बैठानेका प्रयास करती है तो निश्चय है कि उस

परसे प्रजाका एकदमसे विश्वास उठ जायगा और प्रजा उसके साथ सहयोग करना छाड़ देगी। जो लोग मर गये हैं तो भव लौट नहीं सकते, उनकी चर्चा करनी व्यथे हैं पर साथ ही यह भी असहा है कि जो लाग चिना किसी कारण जेलोंमें सड़ रहे हैं उन्हें अपना निर्दोषित प्रमाणित करनेके लिये अवसर नहीं दिया जा रहा है और ऐसे अदालतको आपना नहीं की जा रहा है जिसमें जनताका पूरा विश्वास हो।

अमृतसरकी अपील ।

(मार्च ३, १९२०)

प्रिवा कौंसिलने इन अपीलोंको खारिज कर दी। इनकी पैरचीके लिये मवसे सुयोग्य बकील नियुक्त किये गये पर सब बेकार था। प्रिवा कौंसिलने भी इस गैरकानूनी कार्रवाईकी पीठ ठोंकी। अभियुक्तोंके बकील सर सीमनकी बहसपर जर्जों-का जो कटाक्ष होता रहा उससे आशा थी कि प्रिवी कौंसिल न्याय करेगी और फैसला उलट जायगा पर हुआ कुछ उलटा ही। इतने पर भी मुझे किसी तरहका विस्मय नहीं हुआ। राजनैतिक अभियोगोंकी जहाँ तक हमने छानबीन की है उससे यही परिणाम निकलता है कि ऐसे मामलोंमें बड़ीसे बड़ी अदालत भी निरपेक्ष निर्णय नहीं कर पाती। ऐसी असोधारण

अवस्थामें अधिकसे अधिक सहकर्ते रहनेवाले न्यायपति भी विचलित हो जाते हैं। मनुष्य निमित सभी संसारमें प्रायः करके साधारण अवस्थामें ही सर्वोच्चम और सर्वथेषु होती हैं। असाधारण अवस्थामें उनमें भी दोष आ जाते हैं। फिर भला हमारी प्रियी कौंसिल उन दोषोंसे किस तरह बरी रह सकती है! यदि प्रियी कौंसिलका निर्णय इसके प्रतिकूल अभियुक्तोंके पक्षमें हुआ होता तो भारत सरकारके मतथे घोर कलड़ और हीनताका काला टीका लग जाता जिसको घोर प्रयत्न करनेपर भी वह बहुत कालतक नहो मिटा सकती थी।

इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा यह इस बातसे सहजमें ही समझमें आ जायगा। जिस भवय इस फेसलेका समाचार लाहोरमें पहुचा, चारों ओर शोक छा गया। निराशाकी भीषण काली घटाने लांगोंको इस तरह धावेष्टित कर लिया कि अब जनताके हृदयोंमें इतना भा उत्साह नहीं रह गया कि वह देशके दुलारे, आंखोंके तारे लाला लाजपतरायजीके स्वागतके लिये खड़ी हों जो इतने दिनोंके बाद मातृभूमिकी गोदमें आ रहे थे। उनके स्वागतकी जितनी तेयारियां को गई थीं सब जहाँकी तहाँ रह गईं। इस निर्णय पर पहुंचकर सरकारने अपनी मर्यादा कहीं अधिक ज्ञो दी, क्योंकि नहीं या गलत जनताकी यही धारणा हो गई कि राजनीतिक तथा जाति पक्षपातके सामने बिट्ठा राज्य न्यायको ताज्जपर रख देता है।

इस आपत्तिके निवारणका एक ही उपाय है। मानव

प्रकृति उदारताकी मूर्ति है—भारतीयोंने इसमें और भी चिह्न-बता प्राप्त कर ली है। मुझे आशा है कि प्रार्थनापत्र अथवा किसी तरहके आन्दोलनको अवसर न देकर पंजाबको सरकार अथवा भारत सरकार फांसीकी आड़ाको फौरन रद्द कर देगी और जहाँ तक सम्भव है अभियुक्तोंको मुक्त कर देगी।

दो कारणोंसे इस बातकी आवश्यकता प्रतीत होती है और दोनों कारण प्रधान या मुख्य हैं। पहला कारण, जनताके हृदयमें विश्वासका बोजारोपण करना है। इसकी चर्चा हमने ऊपर की है। दूसरा कारण सच्चाट्‌को घोषणाको पूर्णतया चरितार्थ करना है। मन्नाट्‌ने अपनी घोषणामें कहा है—“जिस राजनेतिक केंद्रीसे किसी प्रकारकी आपस्तिकी सम्भावना न हो उसे छोड़ देना चाहिये।” कोई नहीं कह सकता कि ये २१ अभियुक्त—जिनकी अटील की गई थी—यदि छोड़ दिये जायें तो किसी भी प्रकारसे समाजके लिये भयावह होंगे। उन लोगोंने इसके पूर्व कोई अपराध नहीं किया है। उनमेंसे कई एक आदरणीय प्रजाकी हैनियतसें माने जाते थे। किसी तरहके भी कान्तिकारी दलसे उनका संपर्क नहीं था। यदि उन्होंने कोई अपराध किया है तो उन्होंने क्षणिक जोशमें आकर किया है जो प्रबल उत्तेजनाके कारण उनमें आ गया था। इसके अतिरिक्त जनताका विश्वास है कि सेनिक अदालतोंने जितने फेसले किये हैं किसीका आधार प्रामाणिक नहीं है। इसलिये हमें पूर्ण आशा है कि जो सरकार आजतक अपराधयुक्त राज-

नेतिक केदियोंको छोड़नेमें भी उदारता दिखलाती आई है । विना किसी विचारके इन अभियुक्तोंको छोड़ देगी और समस्त भारत-के निवासियोंका कृपापात्र बनेगी । यह विजयका अवसर है । अपीलका खारिज हो जाना भारत सरकारके लिये विजयके बराबर है । ऐसे अवसरोंको उदारता बढ़ो ही कारगर होती है और विचित्र प्रभाव उत्पन्न करती है ।

हम अपने पंजाब भाइयोंसे प्रार्थना करेंगे कि वे हताश न हों । हमें शान्ति पूर्वक इससे भी बुरी दुर्घटनाके लिये तैयार रहना चाहिये । यदि विचार ठीक हुआ है, यदि इन अभियुक्तोंने बास्तवमें जान ली है, माल बरबाद किया है अथवा जान माल लेनेमें सहायता दी है तो इन्हें अवश्य दण्ड मिलना चाहिये । यदि वे लोग निर्दोष हैं—यदि उन्होंने ऐसा आचरण नहीं किया है—जैसा कि हम लोगोंको विश्वास है . कि इनमेंसे अधिकांशने नहीं किया है—तोभी हम लोगोंका इस तरहके दण्डोंका सामना करना हांगा क्योंकि जो एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी यही दशा होती है । संसारका इनिहास कम-से कम यही बताता है । यदि हम लोग उठना चाहते हैं तो इसके लिये त्याग करनेसे क्यों भागे ? विना बलिदानके राष्ट्रका उत्थान नहीं हुआ है और न हो सकता है । जहां निर्दोषका खून गिरता है वही बलिदान चरितार्थ होता है । अभियोग करके खून बहानेको बलिदान नहीं कह सकते ।

रामनगरकी दुर्घटना

(दिसम्बर १७, १९१६)

सिविल और मिलिट्री गजटमें समाचार निकला था कि १५ अप्रैलको रामनगरमें कुछ लोगोंने सप्लाइकी प्रतिमा बनाई और उसे ले जाकर नदीके किनारे जला दिया। इसके सम्बन्धमें कितने ही आदमी पकड़े गये और सेनिक अदालतके सामने मिस्टर ओब्राइनके इजलासमें उनका विचार हुआ। दो विशेष अधिकारियोंने इस घटनाका समर्थन किया। निदान परिणाम सदन मोहन मालवीय और परिणाम मोतीलाल नेहरूने श्रीयुत पुरुषोत्तमदास टरेडनको इसको जांचके लिये भेजा। जांचके बाद उन्होंने खुली चिट्ठामें लिखा था कि घटना सर्वथा असत्य है। रामनगरमें इस तरहकी कोई घटना नहीं हुई। पर सरकारकी ओरसे अभीतक उक्त पत्रका प्रतिवाद नहीं छपा है। परिणाम जगतनारायण तथा शाहबजादा सुलतान अहमदने कर्नल ओब्राइनकी जिरहसे जो बात निकाली उससे टरेडनजीके पत्रको थाले और भी अधिक प्रमाणित हो जाती है। कर्नल ओब्राइनने इस बातको स्वीकार किया था कि रामनगरकी दुर्घटनाकी जब पहले पहल रिपोर्ट में पास आई तो सप्लाइकी प्रतिमाके सम्बन्धमें कोई चर्चा नहीं थी। उन्होंने यह भी स्वीकार

किया था कि मैंने मुकदमेका विचार किया । प्रायः १०० गवाहोंके बयान लिये और अभियुक्तोंको अधिकसे अधिक दण्ड दिया । और मैंने समझ लिया कि न्यायसे काम लिया । जिन १०० गवाहोंके बयान लिया गया था उनमेंसे केवल तीनने—दो हिन्दू और एक मुसलमान—इस बातकी नसदीककी थी कि सप्ताटकी प्रतिमा जलाई गई और उन्हींके बयानको प्रमाण मानकर अभियुक्तोंको अधिकसे अधिक दण्ड दे दिया गया । यदि इसे भी न्याय-पूर्ण विचार न कहेंगे तो न्यायपूर्ण विचार और क्या हो सकता है ! हरहुर कमेटीके सामने गवाही देते समय कर्नल ओब्राइनने अभिमानके साथ कहा था कि मैं लोगोंको गिरफ्तार करता गया चाहे इस बातका मुख्य अधिकार या या नहीं । कमेटीके सदस्य स्वयं समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कितनी तत्परतासे न्याय कर करता है ।

इसके बाद महात्मा गांधीने स्वयं रामनगरमें जाकर अनुसन्धान किया । उन्हें पक्षा विश्वास है कि रामनगरकी जनता सबथा निर्दोष है । विना किसी अपराधके उनकी बेइज्जती की गई, उन्हें गालियां दी गईं और वे जेलमें ठूंस दिये गये और इस स्थाय भी उसी निराधार अभियोगके कारण रामनगरके २८ प्रतिष्ठित निवासी जेलकी कठोर यातना भोग रहे हैं ।



असन्तोष और दमनका दौरा ।

(नवम्बर २१, १९१६)

सर सकरम् नायरने भारत सरकारकी प्रबन्धकारिणी समा-
से अपना सम्बन्ध क्यों तोड़ा। इस विषयमें जबतक थे भारतमें
ये मौन धारण किये रहे। पर लण्डन पहुँचकर उन्होंने उसका
कारण स्पष्ट बतला दिया। इस सम्बन्धमें उन्होंने “भारतमें
असन्तोष और दमन” शीर्षक एक लेख श्रोमती पनी वेसेण्टके नये
सामाजिक पत्र युनाइटेड इण्डियामें लिखा है। उनके लेखको
पढ़नेसे स्पष्ट हो जाता है कि सरकारकी दमननीति—जिसका
उन्हें अपनी इच्छाके सर्वथा विरुद्ध समर्थन करना पड़ता था—
उनकी आत्माको सदा बेधती थी। उससे वे तङ्ग आ गये थे
जबकि उनके ही शब्दोंमें, पञ्चांशके विद्रोहमें उसका हद हो गया,
जहाँ सरकारको इसलिये मार्शल ला जारी करना पड़ा कि अंग्रे-
जोंकी जानमाल सुरक्षित नहीं है और बलवा उठ खड़ा हुआ है।
उन्होंने आगे चलकर लिखा है:—“इस बातको सदा स्मरण रखना
चाहिये कि पञ्चांश भारतके प्रान्तोंमें सबसे राजभक्त समझा जाता
था और प्रान्तीय गवर्नर इसके राजभक्तिकी तथा युद्धके समय
किये गये आत्मत्यागकी प्रशंसा करके भी नहीं अधाते थे तथा
अन्य प्रान्तोंके होमरुल वान्डोलनसे इसके राजभक्तिकी तुलना

बारबार करते थे। वे ही गवर्नर रातके बक्क मार्शल लाकी धोषणा करके चोरोंकी मांति उस प्रान्तको छोड़ भागे। इसे मैं स्वीकार करता हूँ कि सभी सरकार न्यायप्रिय प्रजाकी जान व मालकी रक्षा करनेमें जरा भी असावधानी नहीं दिखलावेगी पर कोई भी सरकार प्रजाका इस प्रकार सदा दमन भी नहीं करती रहेगी और न उनसे इतनी धूपणा करेगी। दमनको इस प्रकार आरी रखना राजनीतिज्ञानके दिखालाका सबूत है। एक तरफ तो उन्हेजनाकी चेष्टा की जाय और दूसरी तरफ उसका उसी तरह जवाब। यह हिंसा और दमनकी नोतिका प्रयोग सह्य नहीं हो सकता।” इन शब्दोंका पढ़कर ब्रिटिश राष्ट्र तथा अंग्रेज जातिका उनपर पूर्ण शान्तिके साथ विचार करना चाहिये तथा उसके अनुरूप समुचित कार्रवाई करनी चाहिये यदि वे जनताको यह विश्वास दिलाना नहीं चाहते कि अंग्रेज जातिने बुद्धिसे काम लेना छाड़ दिया है। उचित है कि इस श्यांतिकी जड़में जो दोष है उन्हें उपेक्षाकी दृष्टि न देखा जाय। अपने लेखके अन्तिम भागमें उन्होंने अपना अभिप्राय और भो स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने लिखा है:—जिस कानूनके द्वारा अक्तिगत स्वतन्त्रता या सम्पत्तिपर किसी तरहका आघात पड़ता हा या किसाके बालने या लिखनेकी स्वतन्त्रता छिना जाती हो, उस तरहके कानूनको भारत सरकार भारतायोंकी मर्जी बगैर न बनावे। इस शब्दका क्या अभिप्राय हो सकता है? सर संकरम् नायरने ब्रिटनको चेतावनी दी है कि यदि वह भारत सरकारकी मर्यादाका बिगाड़ना नहीं

चाहती, यदि वह ब्रिटिश न्याय प्रियतामें भारतीयोंका विश्वास जमाये रखना चाहती है तो उसे कानूनको सूचीमें रौलट ऐकूको क्षण भरके लिये भी रहते नहीं देखना चाहिये और पञ्चाबकी लज्जापूर्ण घटनाओंको भी उपेक्षाकी दृष्टिसे नहीं देखना चाहिये।

— o ——

क्षमादान कि विस्मृति

(मार्च १६, १९२१)

एक सम्मानित मिशने हमारे पास लिखा है:—जलियावाला बागकी दुर्घटना तथा पेटके बल रेंगनेकी घटनाको बारबार क्यों स्मरण कराया जाता है? इसका उत्तर बहुत ही सहज है। क्षमाकर देनेके माने भूल जाना नहीं है। अगर हमने दुश्मनका अपना दोस्त समझ लिया और उससे स्नेह किया तो हमारी क्या प्रशंसा और श्रेय है? यदि हम यह जानते हैं कि जिस व्यक्तिको हम प्रेम करते हैं वह प्रेमके योग्य नहीं है, हमारा दुश्मन है और तब भी हम प्रेम नहीं घटाते तो हमारी प्रशंसा उचित है। यद्यपि अपमानके प्रत्येक शब्द इस्लामके व्यार्द अलोको स्मरण थे, और यद्यपि वह अपने शत्रुके मुकाबिले कहीं बलिष्ठ थे पर उन्होंने उससे बदला नहीं लेना चाहा। भारत सर माइकल ओडायर तथा छायर सदूश अपराधियोंको

दण्ड नहीं देना चाहता बलिक वह उन नौकरोंकी बर्खास्तगों चाहता है जो अपने पदको अच्छी तरह नहीं निवाह सके और न उसकी मार्यादाका पालनही कर सके। जब तक उन्हें भारतीय खज्जानेसे पेशन मिलती रहेगी तब तक वे बर्खाश्रत किये हुए नहीं समझे जा सकते। यदि पिना उस पुत्रकी सहायता करता है जिसे अपनी बुरी करनीपैर पश्चात्ताप नहीं है तो वह भी अपने पुत्रके लिये पापका भागी होता है।

कांग्रेसकी गैर सरकारी कमेटीके सामने दो दण्ड विधान थे। या तो वह उनपर अभियोग चलवाना चाहती या उनकी बरखाश्तगी। उसने मनुष्यताके नाते उनकी बरखाश्तगी ही पसन्द की। इसमें उस किसी यातकी सुविधा नहीं थी। हम पाठकोंको यह बतला देना चाहते हैं कि इस निर्णयपर पहुँचनेमें कमेटीके सदस्योंको कई घण्टे तक विचार और परामर्शमें बिनाना पड़ा। रिपोर्टपर अन्तिम निर्णय काशीमें गङ्गाजीके तटपर हुआ। पूरे वादविवादके बाद वे सर्वे सम्मतिसे इसी निर्णय पर पहुँचे कि अभियोग न चलानेसे ही भारत फायदेमें रहेगा। अभी हालमें ही पटनामें भाषण करते हुए श्रीयुत देशबन्धु दासने कहा था कि कमेटीके सदस्योंने परस्पर यह बचन दे दिया है कि यदि हम अपनी मांगको अल्पतम रखते हैं तो हमें उचित है कि हम उसको पूरा करानेके लिये अपना प्राण तक निछावर कर दें। इसलिये कर्तव्यके लिहाजसे वे कमि-अर पूर्णकपसे असहयोगी हैं। उन्होंने दण्ड देनेके अधिकारका

प्रयोग नहीं करना चाहा। यह सत्य है कि सम्पूर्ण भारतवर्ष ने इस मानवों सिद्धान्तको नहीं अपनाया है अर्थात् क्षमादानका शब्द नहीं ग्रहण कर लिया है, हल्ता और फाँसीकी चर्चा बहुधा सुननेमें आती है। पर भारत आज भी ब्रिटनके गवर्नरों और सेनापतियोंके मुकाबिलेमें अपनेको नहीं समझता। आज भी वह उनसे उसी तरह डरता है। इसलिये सर माइकल ओडायर और जेनरल डायरकी क्षमाकी बातें निरथें हैं। पर भारत दिन प्रतिदिन क्षमा प्रदानकी शक्ति प्राप्त करता जा रहा है। यदि आज भी किसी भारतवासीके मुँहसे पञ्चावके अत्याचारी अफसरोंके दण्ड प्रदानको बात निकलती है तो वह कोध और आवेशके कारण है। पर हम हृदयासे कह सकते हैं कि यदि आज भारत स्वतन्त्र होता अर्थात् यदि उसमें उन्हें दण्ड देनेकी शक्ति होती तो वह निश्चय ही उन्हें क्षमा कर देता और दण्ड देनेसे मुँह मोड़ लेता। भारत केवलमात्र यही चाहता है कि जालियांवाला बागकीसी घटनाओंकी पुलाराखूति-की सम्भावना एक दमसे दूर हो जाय। असहयोग आम्होळन-का सारा कार्यक्रम केवल न्यायप्राप्तिके लिये रचा गया है न कि प्रतिहिसाके भावसे प्रेरित होकर।



पंजाबियोंका कर्तव्य ।

— :#: —

(जून २३, १९२०)

अलाहाबादके लीडर पत्रमें उसके संचाददाताका एक पत्र प्रकाशित हुआ है। लीडरके संचाददाताने मिस्टर वस्वर्थ स्मिथके सम्बन्धमें कुछ बातें लिखी हैं। मिस्टर वस्वर्थ स्मिथ पंजाब मार्शल लाके एक अफसर थे। मार्शल लाके दिनोंमें उन्होंने पंजाब के निवासियोंको यथानाम्य सताने और तगं करनेमें खूब रुक्यानि प्राप्त की है। लीडरके संचाददाताके पत्रसे प्रगट होता है कि इस करनीके लिये वरखाश्तगीके बदले उसकी तरक्की की गई है। मार्शल लाके कुछ ही दिन पहले मिस्टर वस्वर्थ स्मिथकी तनज़ुलो हुई थी अर्थात् अपने पदसे नीचे उतार दिया गया था। पर अब लीडरके संचाददाताके पत्रसे विद्वित होता है कि वह अपने पूर्व पदपर मुस्तकिल कर दिया गया। वह पुनः दूसरे दर्जे के डिपटी कमिश्नर बना दिया गया—जिस पदसे वह उतार दिया गया था—और जाविना फौजदारीकी ३०वीं धाराका उसे अधिकार भी दे दिया गया है। जबसे वह अम्बालाकी छावनीमें पहुंचा है वहांकी दीन हीन गरीब प्रजा जुलम और आसके मारे आहि आहि पुकार रही है। इस संबंधमें लीडरका संचाददाता लिखता है:— ‘जुलम और आस’ शब्दका प्रयोग मैंने जान खूबकर किया है,

बयोंकि जो कुछ वहां हुआ है उसको प्रगट करनेके लिये येही ही शब्द उपयुक्त हो सकते हैं। जूलम और त्रासकी मात्राका दिग्दर्शन करनेके लिये संवाददाताके पत्रके कुछ वाक्योंको उद्धृत कर देना उचित होगा। उसने लिखा है:—अक्तिगत फरियादमें वह फरियादीका बयान नहीं लिखता। अदालतके उठ जानेपर कोर्टका मुहर्रिर उन्हें लिख डालता है और दूसरे दिन उससे (मजिस्ट्रेटसे) हस्ताक्षर करवा लेता है। रिपोर्ट चाहे फरियादीके पक्षमें लिखी गई हो या विपक्षमें, मजिस्ट्रेट उसे पढ़नेकी परवा नहीं करता और चिना पूरी तोरसे विचार किये ही फरियाद स्थारिज कर दिये जाते हैं। यह अक्तिगत फरियादोंका किस्सा है। अब पुलिसके किये चालानकी दास्तान सुनिये। अभियुक्तके बकीलको अभियुक्तसे हवालातमें मिलकर बातचीत करनेकी इजाजत नहीं है। मुद्राईके गवाहोंसे वह जिरह भी नहीं कर सकते।मुद्राईके गवाहोंसे सिफके बघे सवाल किये जाते हैं। ...इस प्रकार उस अभियोगका सारा दारमदार पुलिसके गवाहपर रहता है। सफाईके गवाह पेश किये जाते हैं पर अभियुक्तका बकील उनसे कुछ पूछताछ नहीं कर सकता। यदि अपनी सफाईमें साहस करके अभियुक्त कुछ कहना चाहता है तो वह ढाटकर चुप कर दिया जाता है।छावनीका कोई भी कर्मचारी कागजके किसी टुकड़ेपर छावनीके किसी भी रिक्षायाका नाम लिखकर उसे दूसरे दिन अदालतमें हाजिर होनेके लिये कह सकता है। यही समनका तरीका है। यदि उपरोक्त

प्रकारका समन पाकर कोई व्यक्ति अदालतमें हाजिर नहीं होता तो फौरन उसकी गिरफ्तारीका घारघट जारी कर दिया जाता है।” संवाददाताके पक्षमें इस तरहकी अनेक वातें हैं जो उद्धृतकर देनेके योग्य हैं। पर हमारी समझसे जितना हमने उद्धृत किया है उतनेसे संवाददाताके अभिप्रायको सहजमें ही समझ लिया जा सकता है। यहीं पर हमें इस अफसरके मार्शल लाके जमानेके कागजपत्रोंके संबंधमें कुछ लिख देना उचित होगा। इसके इजलासमें अभियुक्तोंका विचार दलके दलमें होता था और विचारको तमाशा दिखलाकर इण्ड सुना दिया जाता था। गवाहोंने व्यापार दिया है कि यह लोगोंको गरोहमें इकट्ठा करता था और अँटी गवाहियां देनेके लिये वाभ्य करता था और लियोंका धूंधट उठाकर उनके चेहरेपर थूक देता था तथा उन्हें बुरी बुरी गालियां देता था। इसने ही शेखूपुराके निर्दोष बकीलोंपर मुकदमा चलवाया और उन्हें हर तरहसे तंग किया। भारतभक्त श्रीयुन अण्डरजने अनुसन्धान किया तो उन्हें भी इसी परिणाम पर पहुंचना पड़ा कि इससे घृणित आचरण किसी भी अधिकारीका नहीं था। इसने शेखूपुराके निवासियोंको एकत्रित किया, उन्हें हर तरहसे तंग किया, उनका अपमान किया और उन्हें ‘सुअर लोग’ ‘गन्दो मक्खी’ आदिकी गालियां दीं। हण्डर कमेटीके सामने इसने जो गवाही दी है उसे पढ़कर साफ समझमें आ जाता है कि इसको सचकी कोई परवा नहीं है और यदि लीड-एके संवाददाताका कहना ठीक है तो इस कर्मचारीका

तरही की जा रही है ! प्रश्न यह उठता है कि अभी तक यह सरकारी नौकरीमें क्यों कर बहाल रह गया और उसपर निर्वाचन नर नारियोंके लंग करने तथा मारनेका अभियोग क्यों नहीं चलाया गया ?

हमने सुना है कि सर माइकल ओडायर और जेनरल डायरके ऊपर मुकदमा चलानेका विचार हो रहा है। इसकी सार्थकतापर हम यहाँ कुछ नहीं लिखना चाहते। जेनरल डायरके ऊपर मुकदमा चलाये जानेपर मिस्टर शाखीको जोर देते सुनकर हमें बड़ा खेद हुआ। यदि अंग्रेज जाति अपने मनसे इनपर मुकदमा चलाना चाहती है तो हमें अतिशय प्रसन्नता होगी क्योंकि इससे प्रगट होगा कि जलियांवाला बागकी दुर्घटनासे वे सहमत नहीं हैं पर हम इस तरहकी व्यर्थ और निरर्थक कार्रवाईके लिये अपनी ओरसे एक पैसा भी नहीं छर्च करना चाहते। जो कुछ हाँ रहा है उससे अंग्रेजोंकी मानसिक स्थितिका पूरा पता चल गया है।

इन्हें इनके प्रायः सभी समाचार पत्रोंने इन अत्याचारियोंको रक्षा तथा इनकी धृणित करनीको छिपानेकी चेष्टा की है। उनपर गुप्त या प्रगट अभियोग चलाये जानेकी चर्चासे हम उन्हें और जोरदार बनाना चाहते हैं। यदि हम भारतको उनकी पूरी तरहसे वरखास्तगीके लिये ही राजी कर सकें तो हम सन्तुष्ट हैं। पर सर माइकल ओडायर, और जेनरल डायरको वरखास्तगीसे आवश्यक कर्नल ओब्रायन, मिस्टर

बस्वर्य स्मिथ, राय सोताराम तथा अन्य अधिकारी—जिनका नाम कांग्रेस सचिवमेटीकी रिपोर्टमें दिया गया है—की बरखा-स्त्री है। जेनरल डायर नीच है तो हमारी समझमें बस्वर्य स्मिथ नीचतर है। उसके अत्याचार जालियां-चाला शागके कहले आमसे कहीं घृणित हम समझते हैं। जेनरल डायरका यह हृद मत था कि लोगोंपर गोलियाँ चला कर उन्हें भयभीत कर देना सिपाहियाना बहादुरी होगी। पर बस्वर्य स्मिथ जानवूँकर जालिम नृशंस, नीच और पतित बना। उसके संबंधमें जो व्याप दिये गये हैं, यदि वे अक्षरता: सत्य हैं तो कहना पड़ता है कि उसमें मनुष्यताका लेश भी नहीं था। जेनरल डायरकी भाँति अपने किये हुएको स्वीकार कर लेनेका भी साहस उसमें नहीं है और जब प्रश्न किया जाता है तो बगलें झाकने लगता है और टाल मटोल करता है। इस अफसरको स्वतन्त्रता दे दी गई थी कि वह निर्देश और बेकसूर जनतापर अपना जालिम हाथ मनमाना चलावे और इस प्रकार जिस कानून और शासनकी रक्षाके लिये नियुक्त किया गया था उसीको अपमानित और कलंडिल करे।

पञ्चाबियोंका क्या कर्तव्य है? क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि जब तक मिस्टर स्मिथ तथा उनकी तरहके अन्य अपराधी अधिकारी नौकरीसे छोड़ा न दिये जायें, वे चैन न लें? यदि पञ्चाबके नेता जेलसे आकर अपनी पूर्णशक्तिका

प्रयोग करके स्मिथ आदि नीच कर्मचारियोंको दूर करके पञ्चाबका शासन शुद्ध तथा निर्मल बहीं कराया तो उनके छुटकारासे कोई लाभ नहीं हुआ । हमें पूरी आशा है कि यदि उन्होंने पूर्ण दृढ़ताके साथ इस बातका आनंदोलन उठायो तो सारा भारत उनको सोध देगा । हमारा उनसे यह अनुरोध है कि यदि वे लोग जेनरल डायर आदिको वास्तवमें दण्ड दिलाना चाहते हैं तो उन्हें उचित है कि जिन अधिकारियोंके विरुद्ध उन्हें पर्याप्त प्रमाण मिले हैं, उनको बुराईयोंको तुरन्त रोकनेकी चेष्टा करें ।

पेनिंगटनके प्रश्नोंका उत्तर ।

—३५४—

(सितम्बर ३६, १९३०)

मिस्टर पेनिंगटनने मेरे पास निम्न लिखित पत्र भेजा है । मैं इस पत्रका अन्य कागजोंके साथ ज्याका टर्डो प्रकाशित कर देता हूँ ।

पेनिंगटनका पत्र ।

महाशयजी, असहयोग आनंदोलनकी दिल्लीवा शान्तिरूप देकर जो आप भारत सरकारका बहिष्कार करना चाहते हैं उसमें मैं आपसे सहमत नहीं हूँ । मैं सदासे आपको इस बातका अभेय देता आया हूँ कि आप शान्तिमय क्रान्तिके ही पूर्ण पक्षपातो

है। पर शत १४वीं जुलाई के यह इंगिडयाके चौथे पृष्ठपर आपने जेनरल डायरके सम्बन्धमें जिन कड़े शब्दोंका प्रयोग किया है उन्हें पढ़कर मैं विस्मित हो गया। आपके आरम्भके शब्द हैं :— “उसे किसी भी प्रकार सबसे जालिम हत्यारा नहीं कह सकते।” यहांतक तो मैं किसी तरह आपसे सहमत हो सकता हूँ यद्यपि विचार न होनेके कारण किसीपर भी दोषारोपण या आशेष करना उचित नहीं प्रतीत होता। पर आगे चलकर आपने लिखा है —“पर उसको पशुतामें किसी तरहकी आशंका नहीं को जा सकती × × × उसकी नीच सैनिकके विपरीत कायरता प्रत्यक्ष है। × × × उसने उन निरस्त नर-नारियोंका बलवाई उत्तराया है। उसने चुहा विलियो-की भाँति उन सैकड़ों नर-नारियोंकी हत्या कर—जो पक बाढ़ेम बन्द कर दिये गये थे—उसने अपनेको पञ्जाबका उद्धारक बतलाया है। ऐसे व्यक्तिको योधाको उपमा देना पाप है। उसका कार्टवाई बारताशून्य थी। उसपर किसी प्रकारका सङ्कट नहीं था। उसने किसी प्रकारकी चेतावनी नहो दी और न किसीने उसका मुकाबला किया। इसे ‘समझकी भूल’ नहीं कह सकते। निराधार भयकी आशङ्कासे उसकी चुदि भ्रष्ट हो गई थी। यह अयोग्यता और निर्दयताका नमूना है।”

यदि मैं यह कहूँ कि यह केवल आपकी शब्दाङ्कवर रचना है, तो आप मुझे क्षमा करेंगे। इसको प्रमाणित करनेके लिये आपने कोई सबूत नहीं पेश की है। जहां सबूत संभव

था वहाँ भी आपने कुछ नहीं लिखा है। उदाहणार्थ, उस भयानक दिन तो न आप ही जालियाँवाला बागमें उपस्थित थे और न मैं ही। इसलिये यह कंसे कहा जा सकता है कि उपस्थित जनता सशस्त्र थी अथवा निःशस्त्र। सभाबन्दोंके कानूनको धोषणा करनेके बाद सभा करना नाजायज कार्रवाई थी और इस लिये वह सभा 'मजमा नाजायज' थी, इसे तो आप अवश्य स्वाकार करेंगे और जब प्रातःकाल भुग्णटेतक जेनरल डायर स्वर्य नगरमें घूम घूमकर इस बातकी धोषणा कर रहे थे कि किसी किस्मका जलसा करना गेरकानूनी समझा जायगा तो यह कहना व्यर्थ है कि किसीको इसकी सूचना नहीं थी। आपने लिखा है 'वे प्रायः छुट्टो मनानेवालोंमेंसे थे'। पर इसके लिये आपने काई प्रमाण नहीं दिया है। और उसी समय छुट्टो मनानेवालोंका अमृतसरमें ऐसा जमाव क्याससे बाहर है। मैं आपके इस कथनका अभिप्राय भलो भांते नहीं समझ सका। घटनास्थलपर केवल जेनरल डायर ही उपस्थित नहीं थे। इसलिये यह मान लेना असम्भव है कि निर्दोष छुट्टी माननेवालोंपर लगानार गाली चलानेसे वह रोक न दिये गये होते। इस तरहकी कार्रवाईका कट्टे आमसे कम नहीं कहा जा सकता - और स्वयं सैनिक ही इसे करना स्वीकार न किये होते।

आपने जननाकी ज्यादतियोंका जिक्रतक नहीं किया है, जिनसे घबरा कर जनरल डायर इस तरहकी भीषण कार्रवाईके लिये लाचार हो गये। मैं देखता हूँ कि आपकी

सहानुभूति प्रायः करके हत्यारोंकी ओर ही आकृष्ट है इससे मुझे लेशमात्र भी आशा नहीं करनी चाहिये कि मेरी बातोंका आपपर किसी तरहका प्रभाव पड़ेगा । फिर भी मैं यथासाध्य सचका पता लगाना चाहता हूँ । इसलिये मैं आपके पास उन नोटोंकी प्रति भेजता हूँ जिन्हें मैंने समय समय पर किया है । यदि आप अमृतसरकी सच्ची घटनाका विस्तृत वृत्तान्त लिखें जा कुछ १० अप्रेल १९१६ तथा इसके बाद विशेषकर १३ अप्रेलको हुई और साथ ही साथ यदि जेनरल डायरके पक्षमें कोई बातें हों तो उन्हें भी प्रकाशित करें तो मैं केवल सत्य बात जाननेवालोंके नाते आपका अतिशय कृतज्ञ हूँगा । केवल गालियां और कड़े शब्द किसी बातका सचाई-को नहीं साबित कर देते । इसे तो आप भी मानते हैं और आपने अपने पक्षमें (यांग इण्डियामे) समय समयपर इसके पक्षमें लिखा भी है ।

२५. विक्रौरिया रोड
बर्दिङ्ह, सुसेक्स } आपका विश्वासपात्र
२७ अगस्त, १९२० } जै० आर० पेनिङ्गटन, आई०सी० पस०

पुनर्धः—इस प्रश्नपर इम तरहसे विचार कीजिये । सर कारका एकमात्र अफसर जेनरल डायरने—जो उस समय घटनास्थलपर उपस्थित था—कई सौ आदमियोंको गोलीसे मार डाला (जिनमें अनेक निर्दोष व्यक्ति भी 'मजमा नाजायज'में शामिल हो गये थे) गोली चलानेमें उसे पक्षा विश्वास था कि

वह कहे भीषण बलबाह्योंका सामना कर रहा है और इससे वह हजारोंकी जान और मालकी रक्षाका उपाय कर रहा है। और अनेक व्यक्ति इस बातमें उससे सहमत हैं कि उसने नगरको अतिशय भीषण बलबाह्योंके हाथमें पढ़नेसे बचाया।

इस पत्रको पढ़नेसे स्पष्ट प्रगट होता है कि मिस्टर पेनिंगटन यंग इण्डिया पत्रको बराबर नहीं पढ़ते। नहीं तो उन्हें विदित होता कि जनताको ज्यादतियोंकी जितने कहे शब्दोंमें मैंने आलोचना की है, किसीने नहीं की है। उनकी धारणा है कि यह लेख—जिसका उन्होंने विरोध किया है—पहला ही है जिसे मैंने जेनरल डायरके सम्बन्धमें लिखा है। कदाचित उन्हें विदित नहीं कि जलियांवाला बागके हत्याकाण्डकी समीक्षा करनेमें मैंने पूर्ण पक्षपात हीनतासे काम लिया है। इस हत्याकाण्डके विषयमें हम लोगोंने अपना मत लित करनेपर जिन सबूतोंका सहारा लिया है उनको वे पढ़ सकते हैं। यंग इण्डियाके पढ़नेवाले उन बातोंसे भली भाँति परिचित हैं इसलिये मुझे इस अवस्थापर पहुँचकर प्रमाण आदि देना निर्यक है। पर अभायवश मिस्टर पेनिंगटन औंप्रेजी नस्लके सब्जे ममूना है। वे अन्यायसे काम नहीं लेना चाहते पर अभायवश संसारकी घटनाओंको सब्जा रूप देनेमें वे शायद ही कभी न्यायसे काम लेते हों, क्योंकि उन्हें उनपर विचार करनेका समय नहीं है और यदि कभी उन्होंने उसपर विचार भी किया तो केवल उन्हीं पत्रोंके रायपर जो सदा एक पक्षीय मतका प्रचार करते

है। इसी कारण संकुचित सोमाके अतिरिक्त साधारण अंग्रेजों-को और किसी बातकी जानकारी नहीं रहती यद्यपि उनका विश्वास रहता है कि वे सभी बातोंको पूर्ण जानकारी रखते हैं। इस प्रकार मिस्टर पेनिङ्गटनकी जानकारी भी अन्य अंग्रेजोंकी भाँति स्वाधारिक है और इससे भी हम लोगोंको यहीं शिक्षा मिलती है कि हम अपने कारबाहको अपने हाथमें सम्हाल लें। योग्यता काम करनेसे आप ही आ जायगी। यदि हम लोग इस प्रतीक्षामें बैठे रहें कि यह अंग्रेज जाति हमें शिक्षितकर योग्य बना देगी तो हम भारो भूलमें पड़े हैं, क्योंकि जिन लोगोंका स्वार्थ हम लोगोंको दबाकर रखनेमें ही सिद्ध होता है वह हम लोगोंको कव उठानेकी चेष्टा करेगी? वह तो यथासाध्य अधोनताके समयको बढ़ाती ही जायगी। अस्तु !

अब हमें मिस्टर पेनिङ्गटनके पत्रपर विचार करना चाहिये। मिस्टर पेनिङ्गटनने लिखा है—‘किसीका भी पूर्णरूपसे विचार नहीं किया गया, यह ठीक है। पर क्या इसके लिये जनता उत्तर-दायी है? जनता लगातार इस बातके लिये प्रार्थना और आन्दोलन करती आ रही है कि जिन अधिकारियोंका पंजाबकी दुर्घटनामें हाथ रहा है उनका निष्पक्ष विचार होना चाहिये।

आगे चलकर उन्होंने मेरी भाषाको तीव्रतापर कटाक्ष किया है। इसके विषयमें मुझे यही कहना है कि यदि सत्य कहुआ है तो मैं भाषाकी तीव्रताके अपराधको सहज स्वीकार करता हूँ क्योंकि मैं सत्यकी हत्या किये विना जेनरल

डायरकी करनीके बारेमें इन कड़े शब्दोंके प्रयोगको नहीं चर्चा सकता था।

जेनरल डायरने अपने ही बयानमें कहा है तथा अन्य गवर्नरोंके बयानसे भी यही सावित हुआ है कि:—

(१) भीड़ खाली हाथ थी।

(२) उसमें छाटे छोटे लड़के तक शामिल थे।

(३) १३ वी अप्रैल बैशाखीके उत्सवका दिन था।

(४) हजारों आदमी मेलेमें बाहरसे आये थे।

(५) बलवा या विद्रोहका कही नाम निशान नहीं था।

(६) इस कले आमके दो दिन पहले तक अमृतसरमें पूर्ण शान्ति थी।

(७) सभावन्दीकी घोषणा उसी दिन जेनरल डायरके नाम पर की गई थी।

(८) जेनरल डायरकी सूचनामें सभावन्दीकी कहीं चर्चा नहीं थी। उसमें लिखा था कि सड़कपर किसी तरहका झुलूस न निकाला जाय और एक साथ ४ आदमी कहीं सड़कपर या गलीमें इकट्ठे न पाये जायें। पर प्राइवेट या पब्लिक स्थानमें सभा करनेकी इसमें किसी तरहकी मनाही नहीं थी।

(९) नगरके बाहर या भीतर जेनरल डायरको किसी तरह की जोखिमका सामना नहीं करना पड़ा था।

(१०) इस बातको जेनरल डायरने स्वयं स्वीकार किया है

कि उस समाजमें अलेक पेसे थे जो हमारी सूचनाके बारेमें कुछ नहीं जानते थे ।

(११) उसने विना चेतावनी दिये ही गोली चलाता आरम्भ कर दिया था और जब मीड़ छटने लगी, लोग इधर उधर भागने लगे तोभी वह गोली चलाता ही गया । जो लोग भाग रहे थे उनकी पीठोंपर उसने निशाना लगाये ।

(१२) भोड़ प्रायः एक अहातेमें बन्द थी ।

ये सब बातें स्वीकार कर ला गई हैं। ऐसी अवस्थामें मैं उस काण्डको कलें आमके सिवा और क्या कह सकता हूँ । उसकी कार्रवाईको 'समझ की भूल' नहीं कह सकता, बल्कि अकारण चिपत्तिकी सम्भावनासे उसकी चुद्धि भए हो गई थी ।

मिस्टर पेनिङ्गटनके नाट (जो यहां पर नहीं दिये जा सके) में भी उसी प्रकारकी अज्ञानकारा भरी बाते हैं जिस तरहको उनके पत्रमें हैं ।

लार्ड केनिङ्ग्स के शासनके समय जिन बातोंका बादा किया गया था, कागजोंपर लिख लिखकर जिन्हें सुनाया गया, उनपर आचरण नहीं किया गया । एक सुविचारक वाइसरायने कहा था—“ब्रिटिश सरकारने भारतीयासे बादायें कीं पर वे खरितार्थ किये जानेके लिये नहीं थीं केवल सुननेके लिये और कानोंको प्रसन्न करनेके लिये । तबसे सेनिक व्ययमें भीषण बढ़ती हुई है ।”

ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई जिसका उद्देश जेनरल डायरके पक्षमें की जा सके।

मि० पेनिंगटनने अपने नोटमें डारडा फौजकी चर्चा करते हुए लिखा है कि यह दल छोटी छोटी मोटी लाठियाँ लेकर आक्रमण करनेके लिये तैयार था। पर अनुसन्धान करनेसे इस दलका कहीं पता तक नहीं लगता। अमृतसरमें कोई भी बलबाई भीड़ नहीं थी।

जिन लोगोंने इतना उपद्रव किया, जान मालपर हमला किया, इमारतोंमें आग लगा दी, उनमें किसी जाति विशेषके लोग नहीं थे। पोस्टर कंबल लाहोरमें चिपकाया गया था, अमृतसरमें उसका निशान नहीं था। मिस्टर पेनिंगटनको यह भी जानना चाहिये कि १३ अप्रैलकी सार्वजनिक सभा अन्य बातोंके साथ साथ जनताकी ज्यादतियोंकी निन्दा करनेके लिये भी की गई थी, अमृतसरके अभियोगोंसे यह प्रश्न हो गया है। जो लोग जेनरल डायरके साथ थे वे उसे महीं देक सकते थे। अपने बयानमें उसने कहा है, कि मैंने क्षणभरमें गोली चलानेका निश्चय किया।

* उसने किसीसे परामर्श नहीं किया। मिस्टर पेनिंगटनने लिखा है कि ‘ऐसी अवस्थामें यह असम्भव था कि सैनिक भी उसकी बात स्वोकार करनेके लिये राजी हो जाते’। मुझे शक हो रहा है कि मिस्टर पेनिंगटन यह लिखते हुए भारतकी अवस्थाको सर्वथा भूल गये थे। यदि भारतीय सैनिकोंमें निहत्थों पर हाथ उठानेकी आज्ञाकी अवज्ञा करनेकी इस तरहकी क्षमता आ जाती तो

में अतिशय प्रसन्न होता। पर जिस गुलामोकी शिक्षा भारतीय सेनाको दी जाती है उसमें उन्हें इस तरहका माहस कहांसे आसकता है !

जो कुछ मैंने लिखा है उसके लिये कोई सबूत नहीं उद्धृत किया है, क्योंकि मैं इसे बेकार समझता हूँ और मुझे पूरी आशा है कि मिस्टर पेनिङ्गटन इसके लिये मुझे पुनः दोषी ठहरानेकी कृपा न करेंगे। इसका कारण यह है कि जो कुछ मैंने लिखा है उसका आधार सरकारी कागज पत्र है जो मिस्टर पेनिङ्गटनका सहजमें प्राप्त हो सकते हैं और जिन्हें पढ़कर वे सारी चाते जान और समझ सकते हैं।

मिस्टर पेनिङ्गटनने लिखा है :—“ १० वीं अप्रैलको अमृतसरमें जो कुछ हुआ, उसका पूरा और ठोक ठोक विवरण प्रकाशित करनेकी कृपा कोजिये।” विविध कमेटियोंका रिपोर्टमें उस घटनाका पूरा विवरण दिया गया है। यदि धेयके साथ मिस्टर पेनिङ्गटन उन रिपोर्टोंको पढ़े तो उन्हें विद्युत होगा कि सर माइकल आडायर और उनके सहायक कर्मचारियोंने जनताको उत्तर्जित करनेके लिय हर तरहकी चेष्टायें कीं पर उन्होंने उत्तर्जित हाकर और क्राधके आवेशमें आकर जो कुछ किया उसके लिये जितने कड़े शब्दोंमें मैंने उनकी निन्दा की शायद किसीने नहीं की। १० वीं अप्रैलके बाद जो कुछ हुआ उसका बणेन केवल इतनेमें हो सकता है कि, ‘जनताने हर तरहसे शान्ति बनाये रखनेकी चेष्टा की यद्यपि विना

किसी तरहके विवेकके गिरफ्तारियाँ होती रहीं, निर्दोषोंकी हत्याएँ होती रहीं और अधिकारियोंकी तरफसे हरतरहके अत्याचार होने रहे।

मुझे इस बातका अतिशय प्रसन्नता है कि मिस्टर पेनिंगटन सत्यको जांचके लिये बढ़े ही उत्सुक है और इसके लिये मैं उन्हें हृदयसे बधाई देता हूँ। पर मुझे खेदके साथ लिखना पड़ता है कि मिस्टर पेनिंगटनने अपने इस प्रयासमे गलत मार्गका अनुसरण किया है। मेरी सलाह है कि सबसे पहले वे उन गवाहियोंको पढ़ें जो हएटर कमेटी और कांप्रेस सचिकमेटीके सामने दी गई थीं। उन्हें दोनों रिपार्टोंके पढ़नेकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल गवाहियाके पढ़नेसे उन्हें विदित हो जायगा कि जेनरल डायरके अपराधको जो रूप मैंने दिया है उससे वह कही भीषण है।

मिस्टर पेनिंगटनने अपना परिचय निम्नलिखित शब्दोंमें दिया है :—‘दक्षिण भारतके किसी जिलेका चीफ मजिस्ट्रेट, जिसने शासन सुधारके पहले बारह वर्ष तक काम किया और हत्यादि अत्याचारोंद्वारा विरुद्धात हो गया।’ इसे पढ़कर मुझे हताश होता पड़ा, क्योंकि मिस्टर पेनिंगटन किसी भी अवस्थामें सच्ची हालात नहीं जान सकेंगे। कुछ या पक्षपातसे भरा मनुष्य सत्यकी जांचके लिये सर्वथा अयोग्य है। और मिस्टर पेनिंगटन कुछ भी है और पक्षपातसे भरे भी है। जो शब्द उन्होंने अपने बारेमें लिखे हैं उनसे

ही यह स्पष्ट हो जाता है। उनके इस लिखनेका क्षमा अभिग्राह है कि—शासन सुधारके पूर्व हत्यादि उपायोंसे इस तरह प्रसिद्धि प्राप्त।' भाग्यवश जब हत्यारोंके बलका अन्त हो गया है तो फिर उनकी चर्चा किस काम की। जब तक अंग्रेजोंके दिमागमें यह दम्भपूर्ण भाव भरा रहेगा कि हम संसारमें सबसे श्रेष्ठ हैं और हमसे भूल हो ही नहीं सकती तब तक सब्दों वालोंका जानना उनके लिये अति कठिन है।

चोटपर चोट।

(उल्लास १३, १९२१)

गये दिन संयुक्त प्रान्तकी लिवरल लीगकी ओरसे बड़े लाट-के पास एक डेपुटेशन भेजा गया था। डेपुटेशनके उत्तरमें बड़े लाटने जो भावण किया था वह अहमदिया डेपुटेशनके उत्तरमें किये भावणसे कही सतर्क था। तोभी बड़े लाट महोदयसे इतना कह देना आवश्यक है कि अपने अपने भावणमें असम्भव बातोंकी आशा की है। उदार और राष्ट्रवादी, सहयोगी और असहयोगी, हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, जैन, पारसी ईसाई और यहूदी, जिनको भारतीय होनेका अभिमान है, सभी अपनी अपनी नीतिके अनुसार इस बातपर जोर देते हैं कि पंजाबके अत्याचारोंका प्रतोकार हाना चाहिये। बड़े लाट महोदय खिलाफतके प्रश्नपर अब भी जोर देते जा रहे हैं। इससे कुछ आशा है और

इससे यह भी व्यक्त है कि अपने इस आचरणसे बड़े लाट महोदय हिन्दू, मुसलमान, नथा खिलाफतके सम्बन्धमें मुसलमानोंके साथ सहानुभूति रखनेवाले अन्य लोगोंसे कह रहे हैं कि खिलाफतके साथ किये गये अस्यायको मत भूलिये परं पंजाब अत्याचारोंको भूल जानेके लिये वे बाहर कहते हैं। यह काम नितान्त असम्भव है। भला यह कब सम्भव है कि रोगी अपने दर्दको सदाके लिये भूल जाय। हाँ, गहरी नशा पाकर सम्भव है वह कुछ कालके लिये भूल सकता है। पंजाबके अत्याचार उस जहरीले धावकी तरह है जिसके जहरका अमर मांसको सड़ाता और धावको घढ़ाता जाता है और जबतक पूरा विष शरीरसे न निकाल लिया जाय तबतक धाव नहीं पुज नकता। इस प्रकार पंजाबके अत्याचार तबतक नहीं भूले जा सकते जबतक कि विषरूपी उन अफसरोंकी पेंशनें न बन्द कर दी जाय और वे नौकरी परसे न बरखाश्त कर दिये जायं जिन्होंने नौकरकी हैसियतसे विश्वासघात किया और उसके लिये किसी तरहका पश्चात्ताप नहीं प्रकट किया। क्या लार्ड रेडिंग इस बातको कभी भी सम्भव सङ्कहते हैं कि भारतकी जनता मिस्टर थाम्सनकी तरक्कीको प्रसन्नतासे देखेगी? लार्ड रेडिंग कहते हैं कि सरकारकी सदिच्छा और ईमानदारीके लिये भारतीयोंको हमें धन्यवाद देना चाहिये और कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिये। उनका श्रेय वे प्राप्त कर सकते हैं परं साथ ही यह प्रश्न उठता है कि प्रधान प्रश्नोपर जनता और

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਥਰ ਵੇਖਣ ਮੈਂ ਭਾਰੀ ਮੇਦ ਹੈ। ਅੰਤ ਜਗਤ ਲਾਈ ਰੋਫਿੰਗ
 ਆਂਡ ਤਨਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਨ ਵਕਿਯਾਂ ਕੋ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਰਖੋਗੀ ਆਂਡ
 ਪੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਜਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਨੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਕਾ ਢੁਕੁਧਾਰ ਕਿਯਾ ਹੈ
 ਆਂਡ ਅਪਨੇ ਕੋ ਪੂਰੀ ਤਰਫ਼ ਅਧੋਗ ਸਾਬਿਤ ਕਿਯਾ ਹੈ, ਤਨ ਕਾ ਕਿਸੀ
 ਮੀਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਂਡ ਪ੍ਰਯਾਸ ਮਰੈਕਾ ਹੋਨਾ ਨਿਤਾਨਲ ਅਸਥਾਵ ਹੈ।
 ਯਦਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੇਸ਼ਮਾਨ ਮੀਂ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹਮਾਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਦੇਨੇ ਕਾ
 ਮਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤੀ ਹੋ ਤੋ ਹਮੈਂ ਇਤਨਾ ਤੋ ਅਧਿਕਾਰ ਅਵਣਾ ਮਿਲਨਾ
 ਚਾਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮ ਤਨਲੋਗਾਂ ਕੋ ਨੌਕਰਿਆਂ ਦੇ ਹਟਾ ਦੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋਰ
 ਕੂਰਤਾ ਆਂਡ ਨਿਰੰਧਰਤਾ ਦੇ ਸਾਥ ਹਮ ਲੋਗਾਂ ਕੋ ਸਨਾਏ ਹੈਂ। ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ
 ਤੋਂ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾ ਜਾਨਾ ਹੀ
 ਸਥਾਨੇ ਵਡੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਦੇ ਸਾਥ ਜੋ
 ਅਨ੍ਯਾਨ ਕਿਯਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ
 ਅਤਿਆਚਾਰ ਖੂਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਮ ਸ਼੍ਰੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਵੱਲ ਕਿ ਹਮ
 ਲੋਗਾਂ ਨੇ ਅਸਤਰਤ ਮੈਂ, ਕਸਰਤ ਮੈਂ, ਜਲਿਆਂਚਾਲਾ ਆਂਡ ਗੁਜਰਾਨਵਾਲਾ ਮੈਂ
 ਤਥਾਦਤਿਆਂ ਕੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹਮ ਦੇ ਕੂਰੀ ਤਰਫ਼ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਯਾ
 ਗਿਆ। ਹਮਾਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਯਾ ਗਿਆ, ਹਮੈਂ 'ਠੋਕਰੇ' ਲਗਾਈ ਗਈ।
 ਦੋਥੀ ਆਂਡ ਨਿਰੰਧਰੀ ਸਾਮੀ ਸ਼ੁਲਿਧਿਆਂ ਦੇ ਚਢਾਏ ਗਏ। ਹਮ ਲੋਗਾਂ ਨੇ
 ਸਥਾਨ ਸਥਾਨ ਅਪਨੇ ਦੋਥੋਂ ਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
 ਜਿਨ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮ ਲੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਇਸ ਤਰਫ਼ ਕੂਰੀ ਅਤਿਆਚਾਰ
 ਕਿਯੇ ਤਨ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਤਰਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ। ਮੈਂ ਤੋ
 ਕੋਥੇਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਚਾਹਤਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇ ਲੋਗ ਹਮ ਪਰ ਫਿਰ ਮੀਂ ਮਾਲਿਕ ਕੀ
 ਤਰਫ਼ ਨ ਬਨੇ ਰਹੇ। ਇਕ ਅੰਗੇ ਜੇਨੇ ਸੁਖ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਦਿ ਸਰ

माइकल ओडायर या जेनरल डायरके पेशन बन्दीका प्रश्न उठा
 तो मैं अपने पदसे स्तीकारैकर अलग होजानाही उचित समझूँगा,
 क्योंकि नौकरीमे रहकर उस कायका समर्थन करना मैं अनुचित
 समझता हूँ। उसके उत्तरमे मैंने कहा, आपके साथ मेरी सहा-
 नुभूति तो अवश्य है पर मैं आपकी रायसे किसी भी तरह
 सहमत नहीं हो सकता और न उसे ही इस बातकी
 आशा थी। हजारों अंग्रेज खो पुरुष सर माइकल
 ओडायर और जेनरल डायरको साम्राज्यका उद्धारक
 और अंग्रेजोंकी प्रतिष्ठाका रक्षक मानते हैं। यह भी
 संभव है कि यदि मैं भी अंग्रेज जातिका होता और यदि मेरा
 भी विचार होता कि किसी भी उपायसे भारतको अपने अधीन
 रखना ही अंग्रेज जातिका परम कर्तव्य है तो कदाचित मैं भी इनी
 विचारका होता। जब तक इस तरहके भाव भरे रहेगे तथतक
 सरकार और प्रजाके बीच सहयोग होना कठिन ही नहीं बल्कि
 असम्भव है। असहयोग आन्दोलन अंग्रेज जातिकी आंखें खोल
 देगा, उन्हे सुझा देगा कि शासनमें सहयोगका अभिप्राय उनके
 इस तरहके (उपरोक्त प्रकारके) भावको स्वीकार करना है। पर
 मित्र या सहयोगीको हैसियतसे यह विरोधाभास प्रगट करता है।
 भारतमें वे अपनी तोप और तलवारोंके बलपर सदा स्थायी नहीं
 रह सकते पर हमारी सदिच्छा प्राप्त करके वे सदा स्थायी रह
 सकते हैं। सरकार तथा प्रजाके बीचके संबन्धको इसी
 आधारपर स्थिर करना चाहिये। ऊपरसे तो बनावटी बराबरी-

का भाव प्रगट करके पर भीतर व्यवहारमें अद्यत्य बड़प्पनका भाव धारण करके हमें धोखेमें डालना उचित नहीं है। लाई रेडिक्सको संसारका असीम अनुभव प्राप्त है। उन अनुभवोंसे उन्हें शीघ्र ही विदित हो जायगा कि दो विरोधी भावोंमें समता या मेल लानेकी चेष्टा करना सर्वथा असम्भव है। यदि इसके वीचका कोई मार्ग होता तो असहयोगी इसका कभी ही अबलम्बन किये होते। यह सारी जनताकी धृणा या रोषका प्रश्न नहीं है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे दूर तक धंसकर देखें। उन्हें विदित हो जायगा कि हर तरहसे कमज़ार होते हुए भी हम लोग सफेद जातियोंकी विशिष्टताको स्वीकार करने-के लिये अब क्षण भरके लिये भी तैयार नहीं हैं। जवानी जमा खर्च, चाहे कितना भी सौम्य क्यों न हो किसी उपयोगका नहीं हो सकता। हमलोग बराबरीका प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं। क्या उनकी समझमें अब तक यह बात नहीं आई कि गोरी सेना अंग्रेजोंकी जानकी रक्षाके लिये भले हो उपयोगो हो पर उससे भारतवर्ष की सीमाकी रक्षा नहीं हो सकती। अंग्रेजों-को भारतवर्षमें उसी तरह बराबरीकी हैसियतसे रहनेके लिये तैयार हो जाना चाहिये जैसे पारसी रहते हैं। पारसियोंकी संख्या यद्यपि अल्पतम है तथापि हजारों वर्षोंसे वे मिश्र और साधीकी हैसियतसे पूर्ण प्रेमके साथ रहते चले आ रहे हैं। उन्हें कभी भी किसी खास तरहकी रक्षाकी आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई और न कुद्द हिम्मू और मुसलमानोंके भयसे

घबराकर उन्हें अपनी रक्षाके लिये किसी किले या दुर्गकी आवश्यकता प्रतीत हुई। क्या मूसा पैगम्बरके अनुयायियों और यहूदियोंका धर्म पूर्णरूपसे सुरक्षित नहीं है ? पर असल बात तो यह है कि अंग्रेज जाति भारतमें करोड़ों हिन्दू और मुसलमानोंको स्वतन्त्र नहीं देख सकती और न इनके साथ इस तरह रहनेके लिये ही तैयार है। दूसरी ओर भारतवासी हिन्दू और मुसलमान भी अंग्रेजोंको इसलिये कोई विशेष अधिकार नहीं देना चाहते कि उनके अधिकारमें सभी अख और शख हैं जिन्हें मानव बुद्धिने बनाया है। हम भारतीयोंके पास एकमात्र उपाय यही है कि प्रतिरोध द्वारा उनसे डरना छोड़कर उनके असरको एक दम शून्य कर दें। वाहे इसे कोई उदाहरण या स्वप्नकी बातें कहे पर मुझे पक्का विश्वास है कि लार्ड रेडिङ्को शीघ्र विदित हो जायगा कि मैंने भारतवासियोंके हृदयकी बातें कही हैं और जितना ही शीघ्र इस बातकी सत्यताको समझ लिया जायगा उतना ही शीघ्र अंग्रेजों और भारतीयोंमें सहयोग सम्भव है। मैं इस तरहके सहयोगके लिये सबसे अधिक उत्सुक हूँ और यही कारण है कि मैं सहयोगके लिये उन अवसरोंसे लाभ उठाना नहीं चाहता जो मेरे सामने प्रलोभनके रूपमें आते हैं। असहयोग अज्ञाता अथवा छोड़से नहीं उत्पन्न होता, बल्कि सहयोगके लिये यह सबसे उपकारी शख है और इसलिये इसका जन्म ज्ञान और प्रेमसे होता है।

बड़े लाटका भाषण ।

— : * : —

(सितम्बर १, १९३०)

बड़े लाटकी योग्यता और नेक नियतीपरसे मेरा विश्वास उठ गया । मुझे यह दृढ़ हो गया कि बड़े लाटमें भारतके शासनकी जिम्मेदारीकी योग्यता नहीं रही । इसलिये उनके भाषणको मैं शंकित चित्तसे पढ़ता हूँ । अवस्थापक सभाके प्रारम्भ करते समय बड़े लाटने जो भाषण किया उसे पढ़कर उनके आन्तरिक भाव प्रत्यक्ष हो जाते हैं और उस अवस्थामें किसी भी अत्माभिमानीके लिये उनकी सरकारके साथ सहयोग करना असम्भव है ।

पंजाबकी दुर्घटनाके संबंधमें उन्होंने जो शब्द कहे हैं उनसे प्रत्यक्ष है कि उसके प्रतीकारके उनके हृदयमें किसी तरहके विचार नहीं हैं और उन्होंने प्रतीकार करनेसे इनकार कर दिया है । उन्होंने कहा है :—“हमें अपना ध्यान निकट भविष्य-की ओर आकृष्ट करना चाहिये ।” हमारी समझमें निकट भविष्यमें हम लोगोंका सबसे प्रधान कर्त्तव्य यही है कि हम सरकारको मजबूर करें कि वह पंजाबकी दुर्घटनाके लिये खेद और पश्चात्ताप प्रगट करे । पर भारत सरकारके भावमें इसका कहीं भी आभास नहीं है । उलटे बड़े लाट साहब अपने समालोचकोंको प्रत्युत्तर देनेकी बलवती इच्छाको बलात् रोक रहे हैं । इससे यह अभि-

प्राय निकलता है कि भारतकी प्रतिष्ठा तथा मर्यादासे संबंध रखनेवाली कई प्रधान बातोंपर उनके मतमें किसी तरहका परिवर्तन नहीं आया है। वे इतना ही कहकर सन्तुष्ट हैं कि 'मैं इसका निर्णय और जांच इतिहासके हाथमें छोड़ देता हूँ।' मेरा कहना है कि इस तरहके शब्दोंका प्रयोग भारतीयोंको उत्तेजित कर सकता है। जिन लोगोंके साथ घोर अन्याय और अत्याचार किया गया है तथा जिनके सिरपर आज भी वे अफसर अपना भार रख रहे हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारीको निवाहनेमें पूरी अयोग्यता दिखलाई है, उनके लिये इतिहासका सहानुभूति पूर्ण निर्णय भी किस कामका होगा। एक तरफ तो पञ्चाबके अन्याचारोंके प्रतीकारका व्यवन न देना और दूसरी ओर सहयोगकी आवश्यकता दिखलाना, अन्तिम सीमाको मझीर्ण हृदयता है। एक तरफ तो रोगी दर्दके मारे तड़प रहा है और दूसरी ओर उसके सामने आपने उत्तमसे उत्तम भोजनके पदार्थ रख दिये। क्या उससे उसके दर्दमें जरा भी कमी आ सकती है? क्या उसके दिलमे कड़ी चाट नहीं पहुँचेगी कि धैर्य हमारी हासी उड़ा रहा है? खिलाफतके लिये जो कुछ किया जा रहा है उससे भी बड़े लाट महोदय असन्तुष्ट हो है। उन्होंने अपने भावणमें कहा है:—'हमारी सरकारने भारतीय मुसलमानोंकी बातें संघि परिषद्के सामने रखीं। हम लोगोंने इस सम्बन्धमें मुसलमानोंकी तरफसे घोर प्रथम किया पर इसका फल हमें असहयोगकी धमकीके रूपमें मिला है। पर इसमें हमारा क्या बश है। भार-

तीय मुसलमानोंकी ओरसे जो बातें पेश की गई हैं उन्हें सन्धि परिषद्के सदस्य स्वीकार करनेको तयार नहीं है।” यदि यह कथन असत्यसे भरा नहीं है तो नितान्त भ्रम उत्पन्न करनेवाला है। बड़े लाट साहब भली भाँति जानते हैं कि सन्धिकी शर्तोंमें मित्र राष्ट्रोंका हाथ नहीं है। वे जानते हैं कि इसके प्रधान कर्ता धर्ता मिस्टर लायड जार्ज हैं और उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारीके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है। कुस्तुन्त निया, थेस तथा एशिया माइनरके सम्बन्धमें उन्होंने भारतीय मुसलमानोंको जो बचन दिया था उसे तोड़कर उन्होंने उद्धरण्डता पूर्वक इन शर्तोंको उचित और नोतिपूर्ण बतलानेकी भी धृष्टता की है। जब ब्रिटनने ही सन्धिके प्रत्येक शर्तोंको बनाया है तो उसकी जिम्मेदारीका भार मित्रराष्ट्रोंके ऊपर देकर झटक बोलनेसे क्या लाभ? यह स्मरण कर कि बड़े लाट इस बातको स्वीकार करते हैं कि मुसलमानोंकी मांग न्यायपूर्ण और सङ्गत हैं। उनका अपराध और भी गुरुतर हो जाता है, और यदि उसके सङ्गत और न्यायपूर्ण होनेमें उनका दृढ़ विश्वास न रहता तो वे उसके लिये चेष्टा भी न करते।

मैं साहसके साथ कह सकता हूँ कि बड़े लाटके इस भाषणसे तथा पञ्चाबके विषयमें जो मत प्रगट किया है उससे हम लोगोंको और भी दृढ़ विश्वास हा गया है कि हमें इन दोनों अत्याचारोंके प्रतीकारको लिये सबसे प्रथम चेष्टा करनी चाहिये और सुधारोंकी चर्चा पीछे करनी चाहिये।

राजनैतिक संरक्षण

(जून ३०, १९२०)

हण्टर कमेटीकी रिपोर्टपर भारत मन्त्रीने जो खारीता भेजा है उसके पढ़नेसे स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी कर्मचारियोंके अत्याचारों पर सफेदी पोतनेका उन्होंने हरतरहसे प्रयत्न किया है। उनकी चेष्टाका एक नमूना यह है कि मार्शल लाके जमानेमें किये गये अत्याचारोंको निन्दा उन्होंने कहीं कहीं दबी जबानमें की है और फिर एकाएक उन्होंने मार्शल ला मैनुपलमें भावध्यके लिये कुछ रक्षाके उपायोंकी विवेचना की है जिसपर भारत सरकार इस समय विचार कर रही है। कदाचित इस मार्शल ला मैनुपलका निर्माण सर्वसाधारणकी उस मांगकी पूर्तिके लिये किया जा रहा है जो भविष्यकी रक्षाके लिये लोगोंने चाहा है। किसी भी ऐसे मैनुपलको स्वीकार करनेके लिये हम लोग तैयार नहीं हैं जिसके अन्तर्गत सब्कमेटोको पूरी मांगे नहीं आ जाती। रौलट ऐकूको रद किये बिना ही किसी इस प्रकारके मैनुपलके निर्माणसे कानूनकी पुस्तकोंके पश्चोंका रगना उसोंके बराबर है जैसा कि रोगीके शरीरके विषको पूरी तरहसे निकाले बिना ही उसे पुर्ण देनेका यज्ञ करना। जब तक रौलट ऐकू रद नहीं कर दिया

जायगा भारत सरकारके इस मेनुपलसे उन लोगोंको कभी भी सन्तोष नहीं होगा जो ब्रिटिश पार्लिमेंटको ऐसे कानून बना देनेके लिये दबा रहे हैं जिसके द्वारा भारतीयोंके नागरिक अधिकारको रक्षा हो सके, व्योकि रीलट ऐकृ और नागरिक अधिकार दोनों विरोधी बाते हैं और एक साथही दोनों कानूनकी सूचीमें नहो रह सकते । नागरिक अधिकारकी घोषणा कानूनन हम लोगोंके अधिकारकी सत्ता स्वीकार करती है और रीलट ऐकृ उसके नाशके लिये बनाया गया है ।

क्या इस घोषणासे हमारी स्वतन्त्रताकी रक्षा हो सकेगी ? मैं अधिकारकी घोषणाका महत्व स्वीकार करता हूँ पर जिस तरहसे यह निस्पन्न किया जा रहा है उसके मायाजालमें मैं फंसनेवाला नहीं हूँ । यदि उसपर आवरण करनेके लिये मजबूर करनेकी हमारे हाथमें ताकत नहीं है तो इस तरहकी घोषणाका हमें कुछ भी लाभ नहीं है । जब तक कि हम साहसी और निर्भीक न हो जायं किसी तरहके अधिकारकी घोषणा हमें स्वतन्त्रता नहीं प्रदान कर सकती । यह हो सकता है कि कानूनोंका निर्माण इतनी नेजीके साथ हो कि वह शासन व्यवस्थाके कहीं आगे बढ़ जाय । ब्रिटनका इतिहास प्रमाण है । अपने कानूनों और शासन व्यवस्थामें समता लानेमें अंग्रेजोंको प्रायः ५०० वर्ष लगे । मगना कार्टा (१२१५) पेटिशन आफ राइट्स (१६२८) ग्राण्ड रिमांस्टेंस (१३४१) बिल आफ राइट्स- (१६८९) आदि कानून अंग्रेजोंके ५०० वर्ष की लगातार उच्चतिके

प्रयत्नके साक्षी है। इन प्रत्येक कानूनोंका महत्व इसलिये नहीं है कि उन्होंने अपनेके पहलेके कानूनोंमें कुछ न कुछ बढ़ाया बल्कि इसलिये कि इनमें पहलेके प्रत्येक कानूनके शब्दोंका समर्थन किया गया था। राजाके बाद राजा होते गये जिन्होंने अपने प्रजाके अधिकार पर हस्तक्षेप किया पर जनताके बीच ऐसे ऐसे साहसी बीर निकलते गये जिन्होंने इन प्रतिरोधोंका सामना किया, इनसे संग्राम किया और हेबियस कार्पस ऐकृ प्राप्त करनेमें सफलता प्राप्त की। शारीरिक स्वतन्त्रताके लिये उतने अधिक काल-की प्रतीक्षा हमें नहीं करनी पड़ेगी। पर यदि हम स्वतन्त्रताके प्रधान सिद्धान्तोंको अपने हृदयोंपर दृढ़ रूपसे अङ्कित कर लेना चाहते हैं तो हमें इस तरहके संग्राम और त्याग अवश्य करने पड़ेगे। इसलिये इस तरहकी तैयारीपर उस घोषणासे हम अधिक जोर देना चाहते हैं और उसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं।



रवीन्द्रनाथ ठाकुरका सन्देश

(अप्रैल १३, १९२०)

पंजाबमें कानूनके नामपर घोर अत्याचार किया गया है। पापियोंके इस तरहके उत्पात उनके अन्तर्गत सिद्धान्तोंकी दुर्बलताके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जो विश्वव्यापी भीषण युद्ध विगत चार वर्षोंसे इंश्वरकी पवित्र सृष्टिको अग्नि और विषसे नाश करता आया है उसीका भीषण परिणाम यह जलियांवाला बागको दुर्घटना है। जो रक्तकी नदियां बहाई गई हैं, जो पापाचरण मनुष्यताके नामपर किये गये हैं उनसे उन लोगोंके मनमें—जिनके हाथमें शक्ति है पर जिनके प्रतिवन्धके लिये न तो हृदयमें दया है और न बाहर रोकनेवाली कोई शक्ति है—एक तरहकी कठोरताका जन्म हो गया है। अधिकार सम्पन्न शक्तिको यह दुर्बलता—जिसने अपनी मशोन गनोंका प्रयोग निःशब्द और अनज्ञान जनता पर किया, न्यायके नामपर झूठ मूठ परम विताकी सन्तानपर असह्य अत्याचार किया, उनका अपमान किया और साथही अपने इस हेय और घृणित आचरणोंको एक क्षणके लिये भी नीच और पतित समझ कर पश्चात्ताप नहीं किया—का जन्म इसी विगत युद्धसे हुआ है, जिसमें मनु-

ज्यने अपनी आत्माको कूरताके साथ कुचला है, और सत्य तथा प्रतिष्ठाकी हत्या की है। सम्यताकी नींवका यह आकस्मिक उजाड़, अनेक तरहके आन्दोलनोंको जन्म देगा जिसमें मानव जातिको इससे भी अधिक यातनाओंको सहनेके लिये तैयार रहना चाहिये। समताकी स्थापना सुदूरका प्रश्न है और इसका अनुभव, सम्बिसमामें बदलेकी जो चिनगारियाँ छिटकायी जा रही है, उनसे पूरी तरहसे हो रहा है।

ये चिजयी शक्तियां अपनी आवश्यकताके अनुसार संसारके दुकड़े दुकड़े कर रही हैं। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हम लोगोंको यह जान लेना परम आवश्यक है कि जो लोग दीन दुःखियोंपर अत्याचार करते हैं केवल उन्हींका चारित्रिक पतन नहीं होता बल्कि जिसपर किया जाता है उसका भी चारित्रिक पतन होता है। यह जानकर कि पापाचरणसे हमें दण्ड नहीं भुगतना पड़ेगा, हम उस भीरुतापूर्ण कामको करनेके लिये प्रबृत्त हो जाने हैं तो हमारी हीनता है। पर उस मनुष्यके हृदयमें—जिसके ऊपर अत्याचार किये जाते हैं—क्रोध और क्षोभका भाव उदय होना और भी खराब है। जब वह जानता है कि हम इसका प्रतीकार नहीं कर सकते। जिस समय पशुबल, अपने असीम पराक्रमके दम्भमें आकर किसीकी आत्माको कुचल छालना चाहता है उस समय उस मनुष्यको साहस तथा दृढ़ताके साथ यह दिखला देना चाहिये कि उसकी आत्मा प्रबल है। अपने

हृदयमें बदलेके दूषित भावको जन्म देकर हम अपनी आत्माको कलंकित नहीं करेंगे और न अपने चरित्र बलका पतन करेंगे और न हम भयसे धब्बरायेंगे। वह समय आगया है जब न्याय और सत्यताके इजलासमें दुर्बलों और विजितोंकी डिग्री होगी।

जिस समय भाई अपने भाईका खून करके प्रसन्न होता है, और उसके लिये अपनी बहादुरी तथा वीरताकी ढींग मारता है, जब वह अपने कोधकी सिनास्त रखनेके लिये उसके रक्तके दागको भूमि पर कायम रखना चाहता है उस समय ईश्वर मारे शर्मके उस धब्बेको अपनी उदार छायाके नीचे छिपा लेता है। आइये ! हम लोग भी जिनके घरोंमें खूनकी नदियाँ बहाई गई हैं, निर्दोषोंके प्राण लिये गये हैं, उसी परमात्माकी उदारताको स्मरण करके इस रक्तके काले धब्बेका अपनी प्रार्थनारूपी चहरसे ढंक दें :—

रुद्र ! यते दक्षिणम् मुख्यम् तेन माम् पाहि नित्यम् ।
अर्थात् हे रुद्र ! अपनी असीम कृपासे हम लोगोंकी सदा रक्षा करता रह ।

सभी कृपाकी वर्षा वही रुद्र करता है जो भयकी प्रखर ज्वालामें वेदना और मृत्युके भयसे हमारी आत्माकी रक्षा करता है और यदि हमारे ऊपर कोई अत्याचार करता है तो उसके लिये प्रतिहिंसाके भावसे हमारी रक्षा करता है। इसलिये हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिये, यद्यपि अपमानके घाव अभी तक ताजे हैं। जो लोग अपने मनको दूषित और कलंकित रखना चाहते

हैं वे अपने मनपर प्रतिहिंसा और कोधके भावके बोफ लाद दें
पर हमें अपनी भावी सन्ततिके सामने वही स्मारक रखना
चाहिये जिसकी हम उपासना कर सकते हैं, अर्थात् हमें अपने
पूर्वजोंका अतिशय अनुगृहीत होना चाहिये जिन्होंने हमारे लिये
बुद्धका आदर्श रख दिया है जिसने आत्माको जीता, क्षमाकी
शिक्षा दी और प्रेमका साम्राज्य स्थापित किया ।

द्वितीय खण्ड समाप्त

तृतीय खण्ड

खिलाफतकी समस्या

जन्माष्टमी ।

आम तौरपर लोगोंका ख्याल है कि धर्म तो केवल कमज़ोर लोगोंके लिये है। अधिकसे अधिक उसका काम एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्तिके बीच पड़ता हो। पर राज्य और साम्राज्य तो धर्मातीत हैं। वे जो करें वही धर्म है। साम्राज्य-शक्ति धर्मसे परे है। व्यक्तियोंका पुण्य क्षीण हो सकता है, पर साम्राज्य तो अलौकिक बस्तु है। ईश्वरकी विभूतिसे साम्राज्यकी शक्ति श्रेष्ठ-तर है। साम्राज्य जब विजयकी पताका लेकर धूमता है तब ईश्वर दिनके चन्द्रमाकी तरह न जाने कहाँ छिप जाता है।

मथुरामें कंसकी यही भावना थी। मगध देशमें जरासंध भी यही सोचता था। चेद्रिराज शिशुपालको भी यही मनोदशा थी। जलाशयमें रहनेवाला कालिय नाग भी यही मानता था। द्वारका पर चढ़ाई करनेवाले कालयवनका भी विश्वास इसी सिद्धान्तपर था। महापापी नरकासुरको भी इसके सिवा दूसरा कुछ न सुझाई देता था। और देहलीका कौरवेश्वर भी इसी धुनमें मस्त था। ये सब पराकर्मी राजा अंघे अथवा अज्ञान न थे। इनके दृष्टारमें इतिहासवेत्ता, अर्यशास्त्र-विशारद और राज्यकार्य-धूरन्धर अनेक विद्वान भी थे। वे सब अपने अपने शास्त्रोंका मनन करके उनका सार अपने अपने सम्ब्राटोंको सुनाते थे। पर जरासंध कहता—“तुम्हारे इतिहासके सिद्धान्तोंको यों ही रखे

रहने दो। मैं अपने पुरुषार्थ, अपने बुद्धिवल, और बाहुबलसे तुम्हारे सिद्धान्तोंको असत्य सिद्ध कर दूँगा।” कालयवन कहता—“मेरा तो एक ही अर्थशाख है। दूसरे देशोंको चूसकर उनका धन लूट लाना ही धनवान होनेका सबसे सीधा, सबसे सरल और इसीलिये प्रशस्त मार्ग है।” शिष्यपाल कहता—“न्याय अन्याय-की बात तो प्रजाके आपसी झगड़ोंमें मानी जा सकती है। हम तो सच्चाट ठहरे। हमारी तो जाति ही दूसरी है। राज्य प्रतिष्ठा, राज्यका गौरव, यही हमारा धर्म है।” कौरवेश्वर कहता—“संसारमें जितने रह हैं उन सबके वारिस हमी हैं। वह सब हमारे अधिकारमें आने चाहिये। ‘यतो रज्जभुजो वयम्’। (क्योंकि हम तो रज्ज भोगी ठहरे, रज्जोंका उपयोग करनेके लिये ही तो हम पैदा हुए हैं।) दुनियामें जितने तालाब हैं सब हमारे बिहार करनेके लिये बनाये गये हैं। विना युद्ध किये किसीको सुरक्षी नोकके बराबर भी भूमि न देंगे।”

पक्षपात-शून्य नारदने कंसका चेतावा भी था कि—“अरे तू बाहरके शत्रुओंको भले हो जोत सका हागा। पर नेरा सबसे जबरदस्त शत्रु तो तेरे साम्राज्यमें ही—साम्राज्य क्या घरमें ही—पैदा होगा। जिस सगी बहनसे तू दासोंका तरह बताव करता है उसीके पुत्रके हाथों तेरा नाश हागा, क्योंकि वह धर्मात्मा होगा। उसका तेजोवध करनेके लिये जिनने प्रयत्न तू करेगा। उन सबका उपयोग उसके अनुकूल ही होता जायगा।

कंसने सोचा (Forewarned is forearmed) चेतावनी

इतनी जल्दी मिलो है। अब पानी आनेके पहले उसे रोकनेका प्रबन्ध न किया तो फिर मेरी इतिहासक्षता किस काम की? फिर मेरा सप्ताष्ट होना व्यर्थ है। नारदने कहा—यह तो तेरी 'विनाश काले विपरीत बुद्धिः' है। मैं जो कह रहा हूँ यह इतिहासका सिद्धान्त नहीं है। यह तो धर्मका सिद्धान्त है। यह तो सनातन सत्य है। वसुदेव और देवकीके आठ अपत्योंमेंसे एकके हाथ तेरा विनाश-मरण निश्चित है। वस, तेरे लिये तो एक ही उपाय बच रहा है। अब भी पश्चात्ताप कर और श्रीहरिकी शरण जा। अमिमानों कंसने तिरस्कारकी हँसी हँसकर जबाब दिया—“सप्ताष्ट सप्तरभूमिमें पराजय पानेपर ही पश्चात्ताप करते हैं।” नारद 'तथास्तु' कहकर चल दिये। कंसने विचार किया, दूसरे सप्ताष्टोंको जो अभीतक विजय न मिलो इसका कारण था उन्हींकी गफलत। उन्होंने यह अच्छी तरह नहीं समझा था कि पूरी तरह सावधान किस तरह रहना चाहिये। अगर मैं भी उन्हींकी तरह गफिल रहूँ तो मुझे भी शिकस्त खानी पड़ेगी। पर इसकी कोई परवा नहीं। बीर लोग तो हमेशा जयके लिये 'प्रयत्न करते हैं और मौका पड़नेपर पराजयके लिये भी तैयार रहते हैं। मैं हारा तोभी वह काई बुरी बात नहीं है। पर धर्मके दरसे हार खाना ता नामदर्दी है। धर्मका सप्ताष्ट तो साधु, संत वैरागी और पुजारी ब्राह्मणोंके लिये ही मुवारक हो। मैं तो सप्ताष्ट हूँ। मैं केवल शक्तिको ही जानता हूँ।

कंसने वड़ी निर्देशके साथ वसुदेवके सात नन्हे बच्चोंका

खून किया। पर कृष्णजन्मके समय ईश्वरी लीलाकी विजय हुई। कृष्ण परमात्माके बदले कन्या-देहधारिणों शक्ति कंसके हाथ लगी। कंसने उसे जमीनपर पछाड़ा। पर शक्तिसे कही शक्ति थोड़े ही मरनेवाली थी। बनुदेवने श्रीकृष्णका गोकुलमे रखा था। पर परमात्माको कोई बात छिपकर तो करनी ही न थी! उन्हें किसी बातके खुले आम करनेसे कौन डर था? शक्तिने लज्जित कंसको अट्टहास करके कहा 'तेरा शत्रु तो गोकुलमे दिन-दूना और रात-चौगूना बढ़ रहा है।' मथुरासे गोकुल बृन्दावन बहुत दूर नहीं, शायद चार-पाँच कोस भी न हो। कंसने कृष्णको मारनेके लिये एक भी प्रयत्न उठा न रखा। पर उसे यही न मालूम हुआ कि कृष्णका मरण किस बातमें है? कृष्ण अमर तो थे ही नहीं। पर मरणाधीन भी न थे। धर्म-कार्य करनेके लिये वे आये थे। जबनक धर्मका राज्य स्थापित नहीं होता तबतक उन्हें विराम कहांसे मिलने लगता? कंसने सोचा कि श्रीकृष्णको अपने दरवारमें बुलाकर ही मार डालूँ। पर उसकी बाजी वहीं बिगड़ी, क्योंकि प्रजाने परमात्मतत्त्वको पहचान लिया था। वह उसके अनुकूल हो गई।

कंसका नाश देखकर जरासंघको चेतना चाहिये था। पर जरासंघने सोचा कंससे मैं अधिक सावधान और दक्ष हूँ। अनेक भिन्न भिन्न अवयवोंको जोड़कर मैंने अपने साम्राज्यको प्रबल बनाया है। मल्ह-गुद्धमें मेरी बराबरी दूसरा कौन कर सकता है? मेरी नगरीका कोट दुर्भेद्य है। मुझे किसका डर हो

मरकता है ? पर जरासंधके भी दो टुकड़े किये गये । कालिय नाम तो अपने जलाशयको सबसे अधिक सुरक्षित मानता था । उसका चिंप असह था । केवल फूटकार मात्रसे बड़ी बड़ी सेनाओंको मार सकता था, पर उसकी भी कुछ न चली । कालयवन चढ़ाई करके आया । पर वह बीचमे ही निश्चित मुच्छुन्दको क्रोधाश्रिका शकार होकर जल मरा । नरकासुर एक खीके ही हाथ मारा गया; कौरवेश्वरका नाश द्रौपदीकी क्रोधाश्रिमें पतझूबत हो गया और शिशुपालको उसकी भगवत्-निन्दाने मिट्टीमें मिला दिया ।

ये छहों सप्ताह उस समय षड् रिपुकी तरह मारे गये । सप्तलोक और सप्तपाताल सुखी हुए और जन्माष्टमी सफल हुई । तथापि हम अब भी हरसाल इस उत्सवंको क्यों मनाते हैं ? इसीलिये कि अभी तक हमारे हृदयमेंसे उन षड् रिपुओंका नाश नहीं हुआ है । वे हमें बड़ी तकलीफ दे रहे हैं । हम नष्ट प्राय हो गये हैं । इस समय हमारे हृदयमें श्रीकृष्णचन्द्रका जन्म होना चाहिये । ‘जहां पाप है वहीं पाप-पुंज-हारी भी है’ इस आश्वासनका उदय हमारे हृदयमें होना चाहिये । जब मध्यरात्रेके अन्धकारमें श्रीकृष्णचन्द्रका उदय हो तभी निराशाप्रस्त संसारको आश्वासन मिलेगा और वह धर्मपर हृदृ रह सकेगा ।

खिलाफतकी तिथि

(अक्टूबर २३, १९६६)

भारतवर्षके इतिहासमें १७वीं अक्टूबर चिरस्मरणीय रहेगी। इतना भारी समारोह विना किसी उपद्रव और अशान्तिके बीत गया, यह स्मरणकर हृदय उत्कुल्ल हो जाता है। सञ्चालकोकी प्रशंसा किये विना नहीं रह जाता और सत्याग्रहकी विजयपर एक पताका और फहराने लगती है। लोग धीरे धीरे इस बातको समझने लग गये हैं कि किसी बड़ी बातको हासिल करनेके लिये हिंसा उतनी लाभदायक नहीं हो सकती जितनी अहिंसा और शान्ति। जिस समय सरकारको यह भलीभांति विदित हो जायगा कि लोग उसके सैन्यबलकी परवा नहीं करते, उससे ढरते नहीं, उसी समय उसे अपनी सेना निरर्थक और निष्प्रयोजन प्रतीत होने लगेगी। सैन्यबलके भयसे बे ही लोग बरी हो सकते हैं जो लोग उसका प्रयोग स्वयं अपने लिये नहीं कर सकते। अधिकार समष्टि लोग प्रजाकी ओरसे थोड़ी बहुत हिंसा चाहते हैं। सरकारकी सारी चतुरता इसीमें भरी है कि वह तुरन्त बलप्रयोगसे जनताके दमनका प्रबन्ध कर देती है। सरकारकी उपयोगिता तभीतक समझी जाती है जबतक वह अपना कार्य प्रजाकी राय और अनुमतिसे चलाती है। पर

जिस समयसे- वह बलप्रयोग द्वारा प्रजाओं दबानेकी चेष्टा करने लगती है उसी समयसे उसकी उपयोगिता घट जाती है। इसलिये जिस समयसे प्रजा बलप्रयोगसे निर्भय हो जाती है उसी समयसे दमनशक्ति भी उठा दी जाती है। और इसीको सत्याग्रह कहते हैं अर्थात् अनेक तरहकी कठिनाइयोंका सामना करते रहने पर भी सत्यपर अड़े रहना, चाहे वे कठिनाइयां सरकारके पशु बलके प्रयोगके कारण आ उपस्थित हुई हों अथवा चिना किसी सोच विचारके जातीय अत्याचारसे आई हों।

खिलाफतके सञ्चालकोंने इस सिद्धान्तको भलीभांति समझ लिया था। यदि उन्होंने किसी तरह सोधे या प्रकारान्तरसे हिंसाकी प्रवृत्ति दिखलाई होती, या किसी प्रकार जलसेंक कारण हिंसा हो गई होती तो अधिकारियोंकी अभिलाषा पूरी कर दी गई होती। जिस शान्तिके साथ १५ अक्टूबरका जलसा बीत गया उससे इस्लामकी मांगको बड़ी सहायता मिली है। और यदि पुलिसके प्रबन्धका अनुमान बम्बई शहरके अनुसार करें तो हमें पुलिस कर्मचारियोंको भी इसके लिये धन्यवाद देना चाहिये, क्योंकि बम्बई तथा अहमदाबाद दोनोंही स्थानोंमें जनताएँ रोकटोक और नियन्त्रणके लिये खास पुलिसका प्रबन्ध नहीं किया गया था। बलप्रयोगके सारे साधन गायबसे थे। अतिरिक्त सेना या सैनिकको देखकर प्रायः लोगोंका दिमाग खीलने लगता है। खिलाफतके सञ्चालकोंने सार्वजनिक सभाकी व्यवस्था न कर और भी बुद्धिमानीका काम किया,

क्योंकि इससे मूर्ख और उद्धत प्रकृतिके लोगोंका जमाव हो जाता है जिनसे हानि पहुँचनेकी सम्भावना रहती है। जिलाफ-तका प्रश्न अतिगहन है। गुप्त सन्धियोंद्वारा इसे और भी जटिल बना दिया गया है। पर अभीसे निराश हो जानेका कोई कारण नहीं है। जिन आठ करोड़ आदमियोंका पक्ष समर्थन करनेके लिये न्याय खड़ा है वे अपनी सत्ता कही भी प्रमाणित कर सकते हैं। इसलिये मुसलमान भाइयोंको केवल अपनी शक्तिको सञ्चय करना है। विगत शुक्रवारका समारोह यद्यपि बहुत ही बृहत् या पर उसकी सत्ता क्षीण होकर गायब हो सकती है यदि लगातार प्रयासद्वारा उसकी पुष्टिकी व्यवस्था नहीं को जायगी। सरकारको मुसलमानोंके आन्तरिक मावोंको अवश्य समझ जाना चाहिये और इस बातका पता सरकारको देनेका एकमात्र तरोका यही है कि हृदयके भाव जितने बलवान् या भीषण हों उतनी ही यातना सहनेके लिये तैयार हो जाना और उसीके द्वारा सरकारको अपनी मन्शाका पता दे देना चाहिये। यदि ब्रिटिश साम्राज्यका मन्त्रिमण्डल इस जटिल और विकट प्रश्नको सुलझाना चाहता है तो इस तरह पढ़े लिखे लोकमतके अनवरत प्रयत्नसे उसे सहायता मिलती रहेगी। पर इस काममें किसी तरहका दिखाव, बनावटीपन या शोरगुल नहीं होना चाहिये। शान्तिपूर्वक सञ्चे दिलसे काम करते रहना चाहिये।

अनेक शानोंपर इस अभिप्रायके प्रस्ताव पास किये गये कि

यदि खिलाफतके प्रश्नपर न्यायसे विचार नहीं किया गया और मुसलमानोंकी धार्मिक स्पर्धाके अनुसार निर्णय नहीं किया गया तो मुसलमान लोग विजयोत्सवमें कभी भी भाग न ले जाएंगे। यह बहुत उचित है। पर यदि यह सर्वसाधारणका मत है तो इस पर पूर्णशक्तिके साथ जोर देना चाहिये न कि दबी जवानमें इधर उधरसे दो चार शब्द निकल आने चाहिये।

कितनोंने वहिष्कारका प्रश्न भी उठाया था। इस विषयमें हमने अपना ढूढ़मत प्रगट कर दिया है। वहिष्कारमें हमारा विश्वास नहीं है क्योंकि इससे असदूभाव उत्पन्न होता है और इसका असर भी बहुत अच्छा नहीं होता। जिन्हें सरकारके वहिष्कारका साहस नहीं है वे ही ब्रिटिश मालके वहिष्कारकी योजना करेंगे। यदि सरकारके वहिष्कारकी योजना की जाय तो हम उसके समर्थनमें कभी भी पीछे न रहेंगे पर वहिष्कारसे राजविद्रोह टपकता है। राजमक्ति कोई ढूढ़ पदार्थ नहीं है। यह आपसका समझौता है। जो सरकार प्रजाके अनुरक्त है वह स्वभावतः प्रजामें राजमक्तिकी पूर्णता देखेगी। यदि हमारी सरकार हमसे विरक्त हो जाती है अर्थात् जब वह बदनियत और जालिम हो जाती है तो विना किसी सोच विचारके हमें उसकी राजमक्तिसे मुँह मोड़ लेना चाहिये और उसके साथ हर तरहके सहयोगसे हाथ इटा लेना चाहिये और दूसरोंको भी ऐसा ही करनेकी मन्त्रणा देनी चाहिये। यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो हमें इसी तरहके वहिष्कारकी योजना

करनी चाहिये। पर जब तक हम ब्रिटिशके साथ संवन्ध रखना चाहते हैं तब तक ब्रिटिश मालका विद्धकार हमारी समझमें औबल दर्जे की भूल और बेवकूफी होगी।

हमारे मुसलमान भाइयोंकी मांग इन्हों जर्बदस्त है कि बहिष्कारके समान द्विविधा जनक परिणामवाले शरूरके प्रयोगसे उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। उनके साथही साथ सारा संसार अब इस बातको जानने लग गया है कि अब यह प्रश्न (खिलाफतका प्रश्न) केवल ८ करोड़ मुसलमानोंका ही प्रश्न नहीं रह गया है बल्कि २२ करोड़ हिन्दू भी इस बातके लिये मुसलमानोंके साथ हैं। १७ अक्टूबरने दिखा दिया है कि हिन्दू मुसलमानोंका मेल वास्तव्यमें मेल है और यह दिन दिन फूलता फलता तथा बृद्धि पाता जा रहा है और ऐसे ब्रिटन अथवा मित्रदल भारतकी इस संयुक्त शक्तिकी किसी प्रकार उपेक्षा नहीं कर सकते।

—४४४—

खिलाफत कांफरेंस

—४४५—

(दिसम्बर ३, १९१६)

अखिल भारतवर्षीय खिलाफत कांफरेंसकी भंगुक्त सभामें सभापतिका पद ग्रहण करके २४ नवम्बरको दिल्लीमें महात्माजीने निम्न लिखित भाषण दिया था :—

इसमें कोई आश्वर्यकी बात नहीं कि उस प्रश्नमें—जिसका कलाकल केवल मुसलमानोंके स्वार्थके लिये है—हिन्दू भी मुसलमानोंके साथ कन्यामें कन्या लगाये जाए हैं। मित्रताकी सज्जी पहचान विपत्ति है। जो मित्र विपत्तिके समय काम नहीं आया वह मित्र किस बातके लिये है? इसलिये यदि हम भारतवर्षके हिन्दू, मुसलमान, पारसी जैन, ईसाई, कुद्द एक राष्ट्रीयताकी शृङ्खलामें बंधकर रहना चाहते हैं तो हमें प्रत्येकके स्वार्थको सार्वजनिक रूप देना होगा, प्रत्येकके स्वार्थको अपना समझना होगा। इसके लिये केवल एक कसौटी होगी और वह यह कि अमुककी मांग न्यायोचित है या नहीं। मुसलमानोंकी मांग न्याय संगत है इसके साक्षी ब्रिटनके प्रधान मन्त्री और पुराने सरकारी कर्मचारियोंका दल है। हम लोग हिन्दू मुसलमानोंको एकताकी बात करते हैं। पर यह मैत्री केवल दिखाईआ मैत्री होगी, इसके भीतर पोल या खोखलापन होगा यदि हिन्दू लोग मुसलमानोंके संकटके समय किनारा कसकर उनसे अलग हो जायंगे। कुछ लोगोंका कहना है कि हम मुसलमानोंका साथ कुछ शर्तों पर दे सकते हैं। शर्त लगी हुई सहायता बनावटी सिमेण्ट मिट्टी-की तरह होती है जो मजबूतीसे जम नहीं सकती और जलदी ही उखड़ जाती है। इसलिये केवलमात्र प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सहायताका क्या रूप होना चाहिये। खिलाफत कांफरेंसने निर्णय किया है कि आगामी विजय उत्सवमें मुसलमान लोग

किसी तरहका भाग न लेंगे। मेरी समझमें उनको यह निर्णय नितान्त उचित और उपयुक्त हुआ है। जबकि भारतकी चौथाई जनताके भाष्यका निपटारा अभी तक नहीं कर दिया गया है तो भारतवर्षके लिये विजयोत्सवका क्या अर्थ रहा। खिलाफत सम्बन्धी सन्धिकी शतों से ८ करोड़ मुसलमानोंका धना सम्बन्ध है। जब तक खिलाफतका प्रश्न कच्चे धारेमें बंधा लटक रहा है तबतक उन्हें विजयोत्सव मनानेके लिये कहना अनुचित है। जिस तरह अलसेस लारेसके प्रश्नका निपटारा किये बिना फ्रांस-को विजयोत्सव मनानेके लिये कहना असाधारण घटना होती उसी प्रकार खिलाफतके प्रश्नका निपटारा किये बिना भारतवर्षको विजयोत्सवमें भाग लेनेके लिये कहना भूलसे भरा है। तुर्कों मारतके बाहर है यह कहनेसे इस प्रश्नपर किसी तरहका असर नहीं पहुँचता। इङ्ग्लैण्डकी शक्ति जितना इसाइयोंपर निर्भर है उतना ही हिन्दू और मुसलमानोंपर निर्भर है। इसलिये यदि भारत-वर्ष साम्राज्यका हिस्सेदार हो सकता है तो मुसलमानोंकी रक्षा-की उतनी ही आवश्यकता है जितनी अन्य किसीकी। इसलिये बड़े लाटके लिये यही उचित होगा कि जबतक खिलाफतके प्रश्नका निपटारा नहीं हो जाता वे भारतमें विजयोत्सवको योजना न करें।

ब्रिटनकी इज्जतपर धब्बा

यह प्रश्न ऐसा है जिससे ब्रिटनकी इज्जतपर धब्बा लग सकता है क्योंकि प्रधान मन्त्रीने मुसलमानोंको बचन दे

रखा है। यदि वह मर्यादा कलंड्रित हो गई तो समृद्धि, शक्ति और सैनिक क्षमता तथा व्यक्तित्व किस काम की? इसलिये जिस समय मैंने रुटरके तारसे प्रधान मन्त्रीके भाषणका सारांश पढ़ा मुझे अत्यन्त खेद हुआ क्योंकि इससे मुसलमानोंकी आत्मापर कड़ी चोट पहुँची और इस बातकी आशङ्का हो गई कि प्रधान मन्त्रीने बड़े सोच समझके बाद जो बचन मुसलमानोंको दिये थे और जिससे आशान्वित होकर मुसलमानोंने पानीकी तरह अपना खून बहाया था और असीम राजभक्तिका परिचय दियाथा, अब उसीके खिलाफ निर्णय किया जायगा अर्थात् उस बचनके पालनकी चेष्टा न की जायगी। पर मैं अभीसे निराश नहीं हो गया हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि अबमी बुद्धिमानी और दूरदर्शितासे काम लिया जायगा और मुसलमानोंको मांगोंपर समुचित ध्यान दिया जायगा। यदि खिलाफतका प्रश्न उचित तरहसे हल न किया गया तो खिलाफत कमेटी असहयोगकी योजना करेगी। विषय निर्धारिणी सभा तथा साधारण सभा दोनों अवसरोंपर मुझे उपस्थित रहनेका सौभाग्य प्राप्त था। मैं इस अवसर पर सरकारको सचेत कर देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि यह अवस्था बहुत ही गम्भीर है और यह समस्या अति विकट है। खिलाफत कमेटीने जो निर्णय किया है वह भी साधारण निर्णय नहीं है। मैं जानता हूँ कि असहयोग करना साधारण बात नहीं है। इसमें यातना सहनेकी योग्यता होनी चाहिये। मैं यह भी जानता हूँ कि यदि प्रजा समझ ले कि सरकारके साथ

सहयोग करनेमें हमारा पतन है तो वह सहयोग तुरन्त उठा ले । सरकारको कार्रवाइयोंपर नाराज़ों जाहिर करनेका यह सबसे प्रधान उपाय है ।

वहिष्कार ।

वहिष्कारसे सरकारकी आंखें कदाचित् खुलें । वह स्थिति-की भीषणताका कुछ अनुमान कर सके । पर असहयोग करके फिर वहिष्कारका प्रश्न उठाना तो पहाड़ पर चढ़कर फिर गड्ढे में कूदनेके बराबर है । कल रातको बहुमतसे यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआओं कि यदि खिलाफतके प्रश्नका निपटारा सन्तोष-जनक न हो तो ब्रिटिश मालका वहिष्कार भी जारी कर दिया जाय । वहिष्कार एक प्रकारकी प्रतिहंसा है और यदि इसके द्वारा हम लोग अपने साथ न्याय करना चाहें तो हमें इसके द्वारा संसारका मत अपने पक्षमें तैयार करना होगा । मैं यह बात दृढ़तासे कह सकता हूँ कि ब्रिटिश मालके वहिष्कारसे तथा उसके स्थानपर अन्य विदेशकी बनी वस्तुओंके प्रयोगकी योजनासे कोई भी लाभ नहीं हो सकता बल्कि व्यवहारमें तो यह चल ही नहीं सकता । इसके अतिरिक्त जिस तरीकेका वहिष्कार किये जानेकी योजना की गई है उससे हमारी कमज़ोरी झलकती है । सभी प्रश्नोंपर सफलता पूर्वक विचार करनेके लिये हमें बलकी आवश्यकता है न कि कमज़ोरीकी । इसलिये हमें पूर्ण आशा है कि खिलाफत कमेटी हमारे कथनपर पूर्ण विचार करेगी और

पूर्वापर परिणामपर पूर्ण विचार कर लेनेके बाद अपना कदम पीछे हटा लेगी और वहिष्कारके प्रस्तावको रद्द कर देगी। इस महान् प्रश्नपर विचार करनेके लिये शान्ति, धैर्य तथा प्रत्यक्ष प्रभाणकी आवश्यकता है। केवल हिंसाका निवारण ही पर्याप्त नहीं है। हिंसापूर्ण भाषणका भी उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना हिंसापूर्ण आचरणका। इसलिये मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग उताखलाएनसे विना समझे बूझे कुछ बोल या लिखकर इस पवित्र तथा त्यायपूर्ण उद्देश्यको कलंडित न करेंगे।

पंजाबके अत्याचार

यहीं पर एक और विषयपर दो चार शब्द कह देना उचित होगा। कुछ मित्रोंका कथन है कि पंजाबपर किये गये अत्याचारके कारण भी हमें विजयोत्सवमें भाग नहीं लेना चाहिये। मैं इस विषयमें अपने उन मित्रोंसे मतभेद रखता हूँ। पञ्जाबका प्रश्न घरेलू प्रश्न है। वह कितना भी भीषण क्यों न हो पर उसे साम्राज्यके मुकाबिले खड़ा करना उचित नहीं। इसलिये पञ्जाबके प्रश्नको लेकर साम्राज्यके विजयोत्सवमें भाग न लेना और उससे असहयोग करना हमारी अदूरदर्शिता कहलावेगी। दूसरे पंजाबके अत्याचारसे और सन्धिकी शर्तोंसे किसी तरह-का सम्बन्ध नहीं है पर खिलाफतका प्रश्न उससे घना सम्बन्ध रखता है। यदि हम खिलाफतके प्रश्नको उचित महत्व और मूल्य देना चाहते हैं तो हमें इस प्रश्नको और प्रश्नोंके साथ

मिलाना नहीं चाहिये। इसलिये हमें विजयोत्सवका वहिष्कार केवल उन कारणोंसे करना चाहिये जिनका सीधा सम्बन्ध सन्धिकी शर्तोंसे ही और जिनसे हमारी राष्ट्रीयताके भावोंपर कड़ी चोट पहुंचती है। अन्य कारणोंको लाकर इसमें जुटाना उचित नहीं। खिलाफतका प्रश्न इन दोनों ही आवश्यकताओंको पूरा करता है इसलिये उसके आधारपर ही विजयोत्सवका वहिष्कार हो सकता है।

खिलाफत ।

(जनवरी २८, १९२०)

आज खिलाफतका प्रश्न, अर्थात् तुर्कोंके साथ सम्बन्धकी शर्तोंका प्रश्न सबसे प्रधान प्रश्न हो रहा है। हम लोग बड़े लाट महोदयके अतिशय कृतज्ञ हैं कि असाधारण देर हो जाने पर तथा भिन्न भिन्न प्रान्तके प्रधान अधिकारियोंसे मिलनेमें व्यस्त रहने पर भी उन्होंने संयुक्त डेपुटेशनसे बातचीत करना स्वीकार किया। जिस उदारतासे उन्होंने डेपुटेशनका स्वागत किया तथा जिस सौजन्यताके साथ बातचीत की उसके लिये भी हम लोग उनके आभारी हैं। सौजन्यता सदा—और विशेषकर इस समय—आदरणीय है पर इस भयानक स्थितिमें केवल सौजन्यतासे ही काम

नहीं चल सकता । एक बात और है । उस सौजन्यताकी ओटमें तुकींको दण्ड देनेकी दृढ़ता भलक रही थी । पर यह एक ऐसी घटना है जिसे मुसलमान खीकार करनेके लिये तैयार नहीं हैं । युद्धसे जो परिणाम निकला है उसका श्रेय मुसलमान सेनिकोंको भी सबके बराबर है । जिस समय तुकींने जर्मनीका साथ देना निश्चय कर लिया उस समय इन्हीं भारतीय मुसलमान सेनिकोंको प्रसन्न करनेके लिये उस समयके प्रधान मन्त्री मिस्टर आस्किथने कहा था :—“ब्रिटिश सरकार तुकींके साथ किसी तरहका मनोमालिन्य नहीं रखती और तुकींकी कमेटीके इस निर्णयके लिये वह सुल्तानको किसी तरहका दण्ड नहीं देगी ।” इस वचनके आधार पर बड़े लाटके उत्तरकी परीक्षा करनेसे उसे केवल असन्तोष जनक और निराशापूर्ण ही नहीं कहेंगे बल्कि सच्चाई और न्यायसे रहित भी कहेंगे ।

ब्रिटिश साम्राज्य किससे बना है ? इसमें ईसाईयोंका जितना हक है हिन्दू और मुसलमानोंका भी उतना ही हक है । यदि वह प्रजाकी धार्मिक आस्थाके प्रति उदासीनता दिखलाता है तो यह उसका गुण नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा न करनेके लिये वह वाध्य है और इसके अतिरिक्त उसे कोई भी उपाय नहीं है जिससे साम्राज्यका संगठन दृढ़तर रह सके । इसलिये मुसलमानोंके खटवोंकी रक्षाका भार ब्रिटिश मन्त्रियोंके ऊपर उतना ही है जितना अन्य किसीका । अथवा मुसलमान प्रतिनिधियोंके शब्दोंमें कि ब्रिटिश मन्त्रियोंको इस प्रश्नको अपना समझकर उठाना होगा । यदि मुसलमानोंकी

बातें न सुनी गईं, यदि उनके मन्तव्योंकी हार हुई तो फिर बड़े लाटका शान्ति परिषदमें मुसलमानोंके मन्तव्योंको भेजना न भेजना, उन पर जोर देना और न देना बराबर रहा। यदि मुसलमानोंकी असफलता रही तो वे निश्चय यही सोचेंगे और कहेंगे कि छिटनने अपने बचनका पालन न कर अपना कर्तव्य नहीं निष्ठाहा। बड़े लाटका उत्तर इस मतकी पुष्टि करता है। बड़े लाटने अपने उत्तरमें—जो उन्होंने हेपुटेशनके सदस्योंको दिया था, कहा था—यदि तुकोंने जर्मनीका साथ देनेकी भूल की है तो उसके लिये उसे दण्ड भोगना नितान्त आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि बड़े लाट महोदय ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीके ही भावोंको ग्रामोकोनकी चूढ़ीकी तरह दोहरा रहे हैं। मुसलमानोंकी तरफसे उत्तर देते समय जिस बातकी आशा भलकाई गई है उसीका समर्थन करते हुए हम भी जोर देकर कहते हैं कि ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल अपनी भूलोंको अभीसे सुधार लेगी और तुकोंके प्रश्नका इस प्रकार निपटारा करेगी जिससे भारतीय मुसलमानोंका मन शान्त हो जाय।

मुसलमानोंकी मांगे क्या हैं? मुसलमान लोग चाहते हैं कि खलीफाका पद सुरक्षित कर दिया जाय और अरबपर तथा अन्य मुस्लिम पुण्य (तीर्थ) क्षेत्रोंपर तुकोंका राज्य सुरक्षित कर दिया जाय। साथ ही खलीफाके राज्यके अन्तर्गत मुसलमानोंके अतिरिक्त जो जातियां निवास कर रही हैं उनकी रक्षा-का पूरा और समृच्छित प्रबन्ध कर दिया जाय तथा यदि अरबके

निवासी स्वतन्त्र होना चाहते हैं तो उन्हें होमरूल दे दिया जाय पर उनपर अधिकार तुकींका रहे। मुसलमानोंकी मांग इससे बढ़कर न्यायपूर्ण नहीं हो सकती। इस मांगके साथ न्याय है, ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीकी घोषणा है और समस्त हिन्दू तथा मुसलमानोंका मत है। जिस हक्का प्रतिपादन इतने बल पर किया जा रहा है, उसे स्वीकार न करना या उसमें किसी तरहका भी न मेष लगाना भारी भूल होगी।

तुकींका प्रश्न

(फरवरी २०, १९२०)

मुसलमान नेतागण पूर्ण धैर्य और शान्ति पर पूर्ण योग्यताके साथ अपने मांगोंके याधातथ्य अर्थात् औचित्य और न्याय-पूर्णता पर बराबर जोर देते आये हैं। उन्होंने भली भाँति दिखला दिया है कि मुसलमानोंकी मांगें सर्वथा न्यायपूर्ण और उचित हैं तथा उनके लिये मुसलमान हर तरहके त्यागके लिये तैयार हैं। न्याय, राजनीतिक दूरदर्शिता तथा आन्तरिक प्रेरणा तीनों उनके पक्षमें हैं। दूसरे दलके कुछ लोग आत्मनिर्णयकी बातोंको तथा उसके सिद्धान्तोंको इबामें उड़ाकर तुकींके किये पुराने कामोंका डब्बाटन कर रहे हैं? पर इस कार्रवाईका भी

उन्हें पर्याप्त उत्तर हे दिया जा चुका है। मिस्टर इमाम अली ने—जिनका ऐतिहासिक ज्ञान पराकाष्ठाको पहुंचा हुआ है और जिसे शत्रुदलके लोग भी स्वीकार करते हैं—लण्डन टाइम्सको एक पत्रमें लिखा था :—जिस समय तुकों साम्राज्य-की अवस्था अति उच्चति पर थी उस समय उसने पश्चिमी यूरोपकी खासी मदद की थी। जिस समय हैप्सवर्गवालोंने फ्रांस-के नाकों दम लगा रखा था तुकोंने बराबर फ्रांसकी सहायता की है। यह १६वीं और १७वीं सदीकी बातें हैं। १८५७ में भारत-के गढ़रके दिनांमें तुकोंने ब्रिटिश सेनाके जानेके लिये मिस्टर मार्ग खोल दिया था। मेसोरका राजा टिप्पू सुलतान अंग्रेजों-के साथके अपने संप्राप्तको धार्मिक रूप देना चाहता था। तुकोंके सुलतान ही थे जिन्होंने इसको चरितार्थ नहीं होने दिया। यदि अनुसन्धान करके देखा जाय तो विदित होगा कि किसी भी जातिका इतिहास इतना उच्चल नहीं है।

उसी पुरानी बातोंके उद्घाटनमें एक बात और निकल आई है जो तुकोंको खराढ़खाड़ करनेके लिये आगे रखी जा रही है। जो लोग तुकोंको टुकड़े टुकड़े कर डालनेके पक्षमें हैं उनका कहना है कि भूतमें कुस्तुन्तुनियांका पश्च लेकर यूरोपीय राष्ट्रोंमें सदा अनबन रही है, मनोमालिन्य हुआ है। पर मनोमालिन्य-का क्या कारण था? किस लिये यह अनबन रही? क्या कुस्तुन्तुनियांकी रक्षाके लिये। मिं० इमाम अलोने इसका उत्तर यों दिया है:—क्या यह मनोदाय और कलह कुस्तुन्तुनियांपर

अधिकार प्राप्त करनेके निमित्त नहीं था ; प्रत्येक राष्ट्र यही चाहता था कि कुस्तुन्तूनियापर हमारा आधिपत्य हो । पर क्या जिस प्रकार इस प्रश्नका निपटारा किया जा रहा है उससे इस मनमोटाव और कलहके मिट जानेकी सम्भावना है ? कदापि नहीं । यह काम केवल यूरोपसे हटकर पूर्वमें चला आयेगा । इसके अतिरिक्त क्या अन्तर्राष्ट्रीय आधिपत्य हर जगह सफल हुआ है ? यहांपर मैं ट्रैंगीरका उदाहरण दे देना चाहता हूँ । मिं जी० ब्राउनने उसी प्रश्नको उनलोगोंके समक्ष रखा है जो तुकींको छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं । योड़ी देके लिये ट्रैंगीरका प्रश्न दूर रख दीजिये और मिस्त्रको उठाइये जहां अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनोंका युगपत् आधिपत्य हो रहा है । क्या इस प्रकारका युगपत् अधिकार किसी भी प्रकार सफलता प्राप्त कर सका है कि कुस्तुन्तूनियामें भी इसे आजमानेकी चेष्टा करें ? ”

इन सबोंके अतिरिक्त एक और कारण उपस्थित करके तुकोंके छिन्न भिन्न करनेके पक्षपाती अपने मतका समर्थन करते हैं । कई प्रधान व्यक्तियोंके हस्ताक्षरसे अभी लण्डनके टाइम्स पत्रमें एक लेखमें इसका प्रतिपादन विचित्र तरीकेसे किया गया है । आरम्भमें ये लोग जिलाफतके सम्बन्धमें मुसलमानोंके भावोंकी प्रशंसा तथा समर्थन करते हैं । वे लिखते हैं :—यह देखना नितान्त आवश्यक है कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे उनलोगोंके दिलपर चोट पहुँचे

जो हमारे संयुक्त साम्राज्य तथा फ्रेंच साम्राज्यकी प्रजामें सबसे अधिक हैं। पर कुस्तुन्तुनियाँको अन्तर्राष्ट्रीय बनाने-के पक्षमें उन्होंने विचित्र दलीलें पेश की हैं। उन्हें पढ़कर उनकी राजनीतिक कुटिलताका पता चलता है। वे लोग मुसलमानोंको यह आशा दिलाकर शान्त करनेकी आशा करते हैं कि यह नगर राष्ट्रसंघका केन्द्र होगा और इससे इसका महत्व इतना अधिक बढ़ जायगा जितना आजतक संसारके किसी भी नगरको प्राप्त नहीं हो सका है। आजतक यह नगर एकमात्र सुलतानकी राजधानी थी। पर अब यह संसार-की शान्तिका केन्द्र हो जायगा। इसके अतिरिक्त इसे अन्तर्राष्ट्रीय बना देनेसे इसके नविष्य आधिपत्यका भी यहाँसे निपटारा हो जायगा। गर्भस्थ बालक राष्ट्रसंघके रहनेके लिये घर बनानेमें ये लोग इतने पागल हो गये हैं कि राष्ट्रीयताके प्रश्नपर इनका ध्यान ही नहीं जाता। भला यह क्य संभव है कि इससे मुसलमानोंको शान्ति मिलेगी और वे इस व्यवस्थासे सन्तुष्ट होंगे। इस तरहका विचार मनमें लाना अन्याय है और अदूरदर्शिता पूर्ण है।

कुस्तुन्तुनियाँको अन्तर्राष्ट्रीय बनानेके पक्षमें सबसे बड़ी बात यह कही जाती है कि राष्ट्रसङ्घके लिये इसमें घर बनेगा। पर राष्ट्रसङ्घ है क्या? राष्ट्रसङ्घ एक ऐसी विलक्षण सम्पत्ति है जिसपर सबका अधिकार है पर वह स्वयं किसीसे सम्बन्ध नहीं रखता। अपने मतके समर्थनमें ये लोग अमरीकाका

उदाहरण पेश करते हैं और बतलाते हैं कि छोटे छोटे संयुक्त राज्योंने कोलम्बियाका अपनी बैठकके लिये उपयुक्त स्थान चुना था। पर प्रजातन्त्रकी घोषणाके बाद अमरीकाकी जो अवस्था थी उससे राष्ट्रसङ्हिताकी अवस्था एकदम भिन्न है। इसके अतिरिक्त मिस्ट्रर अमीर अलीके शहदोंमें हम भी उन महानुभावोंसे पूछते हैं कि आप लोग जरूसलमको क्यों नहीं यह श्रेय देते? राष्ट्रसङ्हिताकी राजधानी बनानेके हेतु तुकर्किंगी की राजधानीको उसके हाथोंसे छोन लेनेके लिये जो दलोलें पेश की जा रहीं हैं, उनसे बढ़कर अनुचित और न्यायशूल्य युक्त संसारके इतिहासमें कहाँ नहीं मिलेगी राष्ट्रसंघके बाद भिन्न भिन्न छोटे राज्योंके गुटसे बना साम्राज्य ब्रेट विटन है। तो क्या हमलोगोंने लण्डन नगरको इस संयुक्त राज्यकी राजधानी बनाकर इसको घड़ी रूप दिया है जो हम कुस्तुन्नियाको राष्ट्रसङ्हिताकी राजधानी बनाकर देना चाहते हैं? क्या हमलोगोंने इसे भी प्रत्येक राज्यके लिये स्वतन्त्र कर दिया है? जो बात छोटे छोटे राज्योंके गुटमें सौभव नहीं हो सकी उसे इतने भारी भारी राष्ट्रोंको गुटमें चरितार्थ करनेकी चेष्टा उद्देशतापूर्ण है और इसमें कमा भी हाथ नहीं डालना चाहिये। किसी प्राचीन राष्ट्रीयताका नाश करके इस तरहका प्रयास केवल अदूरदर्शितापूर्ण ही नहीं बल्कि अन्याय पूर्ण भी है।

हमारे मुसलमान भाइयोंकी उचित माँगपर जो इस तरहकी अनेक निरर्थक दलोलें पेश की गई हैं उनसे व्यक्त है कि उनके सामने बड़ा भारी बोझ पड़ा है।

प्रश्नोंका प्रश्न ।

— : * : —

(मार्च १०, १९६६)

महात्मा गान्धीने लिखा है :—

इस समय खिलाफतका प्रश्न प्रश्नोंका प्रश्न हो रहा है । इस समय यह प्रश्न साम्राज्यके लिये सर्व प्रधान हो रहा है ।

इङ्ग्लैण्डके प्रधान नोतिझोने तथा मुसलमान नेताओंने इस प्रश्नको उठाकर सबसे आगे रख दिया है । इङ्ग्लैण्डके नोतिझोने चैलेंज दिया और मुसलमान नेताओंने इसका मुकाबिला किया ।

मुझे पूरी आशा है कि भारतके हिन्दू इस बातको अच्छी तरह समझ गये होंगे कि खिलाफतका प्रश्न सुधार तथा इस तरहकी अन्य बातोंके भी ऊपर है ।

यदि मुसलमानोंकी मांग केवल धार्मिक दृष्टिसे उचित होती और उसके समर्थनके लिये अन्य कोई कारण न होता तो कदाचित केवल धार्मिक दृष्टिसे उसका प्रतिपादन करना कठिन था । पर यदि कोई मांग उचित हो और उसका समर्थन धार्मिक प्रन्थसे भी होता हो तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है ।

संक्षेपमें मुसलमानोंकी निज्म लिखित मांगे हैं : यूरोपियन तुर्की तुर्कोंके हाथमें रहना चाहिये । तुर्क साम्राज्यमें मुसल-

मानोंकि इतर जो जातियाँ हैं उनकी रक्षाका वे पूर्ण बचन होंगे। मुसलमानोंके धर्मक्षेत्रोंपर सुलतानका पूर्ण अधिकार रहे और ज़ज़ीरतुल अरबपर भी सुलतानका पूर्ण अधिकार रहे अर्थात् अरबपर सुलतानका पूर्ण अधिकार रहे और यदि अरबके लोग इच्छा करें तो सुलतानके अधीन उन्हें होम रुल दे दिया जाय। ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मिस्टर लायड जार्जने इसका बचन दिया था और भारतके भूतपूर्व बड़े लाट मिस्टर हार्डिंग्जको भी यही आशा थी। यदि इस तरहके दृढ़ विश्वास न दिलाये गये होते तो अपने ही पेरोंमें मुसलमान अपने ही हाथोंसे कुल्हाड़ी न मारे होते। तुर्कोंको अपने राज्यसे वञ्चित करनेके लिये युद्ध करने न गये होते। अरेविया परसे खलीफाके अधिकारको उठा देनेके माने हैं खिलाफतको जड़मूलसे नष्ट कर देना।

नीति और उदारता यही कहतो है कि उचित शर्तों और बच्चोंपर तुर्कोंको वह सब प्रदेश दे देना चाहिये जो युद्धके पहले उसके अधिकारमें थे और उसको दण्ड देनेका बहाना करके उसकी सम्पत्तिमेंसे कुछ भी ले लेना उदाहरण और उच्छृङ्खलता है। मित्रराष्ट्र तथा इङ्लैंडको इस विजयके अवसर-पर पूर्ण न्यायसे काम लेना चाहिये। तुर्कोंको शक्तिहीन कर देना केवल अन्याय ही नहीं होगा बल्कि अपने बचनको भड़काना होगा, और चाहाओंको तोड़कर विश्वासघात करना होगा। मेरी यह आन्तरिक इच्छा है कि बड़े लाट मिस्टर चेम्सफैर्ड अपने पूर्ववर्ती बड़े लाट मिस्टर हार्डिंग्जका पूर्णतया

अनुकरण करें और जिस तरह 'अफ्रिकाके सत्याप्रह' के युगमें भारतीयोंका पूर्णकृपसे पक्ष लेकर, उनकी मांगोंको ब्रिटिश सरकारके समक्ष रखकर' वे उनके साथ न्याय करनेका प्रयत्न कर रहे थे, उसी तरह इन्हें भी उचित है कि खिलाफतके प्रश्नको अपना निजी प्रश्न समझ लें और मुसलमान नेताओंके अगुआ बनकर पूर्ण साहसके साथ इसे सन्धि परिषद्के समक्ष रखकर उसके साथ न्याय करावें अवश्य खिलाफत आन्दोलनको चलानेमें पूरी सहायता दें जिससे उत्तेजनाके कारण इसके द्वारा शोचनीय घटनायें न हो जायें।

पर इस स्थितिकी जितनी जिम्मेदारी हम हिन्दू और मुसलमानोंपर है उतनी बड़े लाटपर नहीं और साथ ही इसकी जितनी अधिक जिम्मेदारी मुसलमान नेताओंपर है उतनी अधिक हिन्दू और मुसलमानोंपर नहीं।

बभीसे ही हमारे मुसलमान मित्र खिलाफतके सम्बन्धमें अधीर होने लगे हैं। अधीरताका स्वाभाविक परिणाम उन्माद है और उन्मादसे हिंसा तथा अशान्तिका होना साधारण बात है। मेरी आन्तरिक अभिलाषा है कि मेरे साथ प्रत्येक व्यक्ति यह समझ ले कि हिंसा आत्महत्याके बराबर है।

योड़ी देशके लिये मान लिया जाय कि मित्रराष्ट्र अथवा ब्रिटन मुसलमानोंकी मांगपर ध्यान नहीं देते और उनको पूरा नहीं करते। पर इससे मैं निराश नहीं हुआ हूँ। मिस्टर मांटेगूकी दृढ़तापर मुझे पूरा भरोसा है। मुसलमानोंके अधिकार-

का उन्होंने जिस तरह समर्थन किया है उसमें आशाकी रेखा भलक रही है। साथ हो साथ मिस्टर लायड जार्जने अपनी धोषणाका जो अभिप्राय बतलाया है उससे भी आशा किसी तरह क्षीण नहीं होता। इसमें किसी तरहका संदेह नहीं कि मिस्टर लायड जार्ज अडिया रहे हैं पर हम लोग न्याय करा सकते हैं। हमें सबसे खराब अवस्थाकी धारणा करनी चाहिये और सबसे उत्तमकी चेष्टा करनी चाहिये। अब प्रश्न यह रहा कि इसके लिये हमें किन तरीकोंका काममें लाना चाहिये।

हमें क्या नहीं करना चाहिये, यह तो स्पष्ट है:—

(१) मनसा, वाचा अथवा कर्मणा हमें किसी तरहकी हिंसाकी चेष्टा नहीं करनी चाहिये ।

(२) इसलिये बदला या दण्डके लिये किसी भी प्रकारसे ब्रिटिश मालके विद्यकारकी योजना नहीं करनी चाहिये । मेरी समझमें विद्यकार एक प्रकारकी हिंसा है। इसके बलावा यदि यह किसी तरह अभिवांच्छनीय है तो यह कार्यकर्ममें असम्भव है ।

(३) जष्टतक हमारी कमसे कम माँगे पूरी न कर दी जायें हमें चैन नहीं लेना चाहिये ।

(४) खिलाफतके प्रश्नके साथ मिस्टर आडिके प्रश्नको नहीं मिलाना चाहिये ।

इसके बाद अब हमें यह देखना चाहिये कि हमें क्या करना चाहिये ।

आगामी १६ वीं तारीखको हर तरहके कारबाहरको बन्द करके पूरी हड़ताल करनी चाहिये। हड़ताल पूर्णरूपसे शान्तिमय होनी चाहिये। यह आपसे आप ही होनी चाहिये। किसी पर किसी तरहका दबाव नहीं डाला जाना चाहिये। जबतक कि मालिकोंसे छुट्टी न मिलती हो मजूरों और कुलियोंको हड़ताल करनेके लिये नहीं बहकाना चाहिये। शामको सार्वजनिक सभायें होनी चाहिये। और एक ही प्रस्ताव द्वारा अपनी कमसे कम मांगोंको व्यक्त कर देना चाहिये। हड़ताल करनेमें हिंसा-को पूरी तरहसे रोकना होगा। मैंने कई बार लिखा है कि खुफिया विभागके लोग भी हिंसाके लिये गुपरूपसे जनताको उत्तेजित करते हैं। लेकिन यह सर्वदा ऐसा नहीं करते। पर यदि यह सर्वदा सच हो तोभी हमें अपने आचरणोंसे इसे असम्भव बना देना चाहिये। हमारी सफलता केवल इतने पर निर्भर है कि सर्वसाधारणका सञ्चालन और नियन्त्रण करनेमें हमें पूरी योग्यता दिखलानी चाहिये।

अब दो शब्द हमें इस विषयपर कहना है कि यदि हम लोगोंकी मांगें न पूरी की गईं तो हम लोग क्या करेंगे? इसके प्रतीकारका अमानुषिक और असम्भव तरीका प्रगट या गुप्त सं-प्राप्त है। इस समय इसे केवल असम्भव समझ कर हमें इसका त्याग करना चाहिये। पर मेरी दृढ़ धारणा है कि यदि मैं सबको यह बात समझा सकूँ कि यह सभी अवस्थामें खराब है तो हम अपने सभी न्यायपूर्ण मांगोंको अति सहजमें प्राप्त

कर सकते हैं। हिंसाकी वृत्तिको दमन करके कोई शक्ति या राष्ट्र जिस शक्तिका उपार्जन करता है वह अजेय है। पर आज मैं हिंसाका विरोध केवल इस कारण कर रहा हूँ कि वह एक दमसे निरर्थक है।

इसलिये हमारे पास केवलमात्र असहयोगका ही शब्द शेष रह गया है। यदि असहयोग हिंसासे कलहित न हुआ तो उससे बढ़कर पवित्र और बलिष्ठ कोई भी शक्ति नहीं रह गई है। यदि सहयोग करनेसे किसीके अभिमत धार्मिक विश्वास पर आघात पड़ता हो तो ऐसी अवस्थामें असहयोग करना धर्म हो जाता है। जिस अन्यायपूर्ण नीतिके साथ हम लोगोंका अधिकार छीना जा रहा है और जो मुसलमानोंके जीवन मरणका प्रश्न हो रहा है उसमें हम लोग दीनोंकी भाँति सिर झुकानेके लिये तैयार नहीं हो सकते। इसलिये हमें हर तरफसे अपना कार्य आरम्भ कर देना चाहिये। जो लोग सरकारी पदोंपर हैं उन्हें तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिये। जो लोग छोटे ओहदोंपर काम कर रहे हैं उन्हें भी अपने पदोंसे हट जाना चाहिये। किसी व्यक्ति विशेषकी नौकरीमें असहयोग आन्दोलनका प्रयोग चरितार्थ नहीं होता। जो लोग असहयोगके कार्यक्रमको खोकार कर उसके अनुसार काम करनेके लिये तैयार नहीं हैं उनपर हम किसी तरहकी ज्यादती करनेकी सलाह नहीं देते, क्योंकि अपने मनसे जो काम किया जाता है वही पूरी तरह सफल होता है। और जो काम अपने मनसे किया जायगा वही

हमारी मानसिक स्थितिका सज्जा घोतक होगा अर्थात् यदि जनता अपने मनसे असहयोग करेगी तो इनके द्वारा उसके असन्तोषका सज्जा दिर्घर्षण होगा। सेनिकोंको सरकारी नीकरी छोड़ देनेके लिये कहना अभी उपयुक्त नहीं। यह प्रथम न होकर अन्तिम कार्यक्रम होना चाहिये। हम लोग उस समय इस ओर कहम बढ़ानेके लिये अप्रसर होंगे जिस समय बड़े लाट, भारत मन्दी तथा प्रधान मन्दी सभी हम लोगोंको त्याग होंगे। इसके अतिरिक्त सहयोग त्यागनेके जितने कार्यक्रम हैं उनसे बहुत सतर्क होकर काम लेना होगा। इसलिये हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिये ताकि धोरतम उत्तेजनाके वशवतीं होकर भी हम आत्मसंयम न जो दें।

कलकत्ताकी खिलाफत सभा तथा कांग्रेसमें जो प्रस्ताव पास किये गये उन्हें किनने लाग सशङ्कु नेत्रोंसे देखते हैं। उनमेंसे बहुत हिंसाके लिये तैयारीकी थी आती है। पर मेरी दृष्टिमें उनमें कोई पेसी बात नहीं है यद्यपि मैं किसी किसी प्रस्तावोंके शब्दोंसे पूर्णतया सहमत नहीं हूँ।

कई लोग प्रश्न करते हैं, क्या एक हिन्दू समस्त प्रस्तावोंको स्वीकार कर सकता है? मैं अपने विषयमें साहससे फट सकता हूँ। मुसलमानोंकी न्यायपूर्ण मांगोंको सफल करानेमें मैं सच्चे दिलसे उनका तब तक साथ देता रहा हूँ और उनकी मददके लिये तैयार रहूँगा जब तक वे किसी तरहकी हिंसाकी प्रवृत्ति नहीं दिखलावेंगे और पूर्ण आत्मसंयमके

साथ काम करेंगे। पर जिस दिन मुझे यह मालूम होजायगा कि मुसलमानोंने हिंसाकी प्रवृत्ति दिखाई है या इसके लिये यज्ञ किया है तो मैं तुरन्त मुसलमानोंका साथ छोड़ दूँगा और प्रत्येक हिन्दूसे तथा अन्य उनलोगोंसे जो मेरी बात मान-नेके लिये तेवार होंगे मुसलमानोंका साथ छोड़ देनेकी सलाह दूँगा। इसलिये मेरा कहना है कि प्रत्येक व्यक्तिको घोरसे घोर उत्तेजना मिलने परभी पूरी तरहसे आत्मसंरक्षणसे काम लेना चाहिये। यदि हृदयाके साथ नम्रताका संयोग कर दिया गया तो विजय असम्भावित है। पर यदि क्रोध, रोष या आवेशसे काम लिया गया तो पतन अवश्यम्भावी है इसका अन्तिम परिणाम यह है कि हिंसाका राज्य छा जायगा। यदि मेरा कोई भी साथी न रह जाय और मुझे अकेले रहना पड़े तोभी मैं प्राणपणसे इसके दबानेको चेष्टा करूँगा। मेरा लक्ष्य सारे विश्वके साथ मेरी स्थापित करना है। इसके लिये मैं प्राणपणसे चेष्टा करूँगा और बुराईका विरोध करते हुए विश्वप्रेम स्थापित करनेका प्रयत्न करूँगा।



मैंने खिलाफतका साथ क्यों दिया ।

(अप्रैल २८, १९२०)

दक्षिण अफ्रिकाके एक निष्ठ मिशने—जो इस समय इङ्ग्लैण्डमें है—मेरे पास एक पत्र लिखा है जिसमेंसे मैं निम्न लिखित अव-
तरण दे देना उचित समझता हूँ :—

“आपको स्मरण होगा कि जिस समय रेवरेंड जे० जे० डॉक
दक्षिण अफ्रिकाके सत्याग्रह आन्दोलनमें आपकी सहायता कर
रहे थे आपसे मेरी मुलाकात हुई थी । उस देशमें जिस सचाईके
भार्गका आपने अनुसरण किया था उससे मैं अतिशय प्रभावा-
न्वित हुआ था । तबसे मैं इङ्ग्लैण्ड लौट आया । युद्धके जमानेमें
कई स्थानपर मैंने आपके पक्षमें भाषण भी किया और पत्रोंमें भी
लिखा जिसके लिये मुझे खेद नहीं है । जबसे मैं सेनिक सेवासं
लौटा हूँ मुझे विदित हुआ है कि आप युद्धके लिये उतार हो रहे
हैंटाइम्समें अभी हालमें ही एक पत्र प्रकाशित हुआ है
जिससे विदित होता है कि तुर्की साम्राज्यके छिन्न भिन्न तथा कुस्तु-
न्तूनियासे उसे निकाल देने पर आप मित्रराष्ट्र तथा इङ्ग्लैण्डसे
बदला लेनेके हेतु उन्हें तड़ करनेके लिये हिन्दू और मुसलमानोंमें
एक तरहसे मेल करानेकी चेष्टा कर रहे हैं । मुझे आपकी न्याय
प्रियतापर जितना भरोसा है और विचार शक्तिपर जितना

विश्वास है उससे मैं अपना हक समझता हूँ कि मैं आपसे पूछूँ कि क्या यह समाचार सच है, क्योंकि मैंने भी आपके काममें सहायता दी है। मैं इस बातको सहसा स्वीकार नहीं कर सकता कि आपने एक ऐसे आन्दोलनमें हाथ लगानेकी भूल की है जिसके द्वारा आप एक उच्छ्रुत्तल तथा अत्याचारी राज्यके अत्याचारको मनुष्यके हितके ऊपर रखनेकी चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व तुर्कीने इस पर पूर्ण निर्दयताके साथ प्रहार किया है। सीरिया और आर्मेनियाकी अवस्थासे मैं स्वयं परिचित हूँ। इसलिये यदि टाइम्सका प्रकाशित समाचार सच है तो यह कह सकता हूँ कि आपने अपनी सचाई और न्याय प्रियताको एक तर्फा प्रयोगमें लगा दिया है और उनका प्रयोग अराजकता बढ़ानेमें किया है। पर जबतक मैं इसके बारेमें स्वयं आपके मुंहसे कुछ न सुन लूँ मैं अपने भावको किसी तरह बदलना नहीं चाहता। इससे मेरी प्रार्थना है कि आप इस पत्रका उत्तर अवश्य दीजियेगा।”

इस पत्रका उत्तर मैंने लिख दिया है। पर मुझे आशंका है कि इस पत्रमें जो भाव व्यक्त किये गये हैं वे अन्य अंग्रेज मित्रोंके हृदयमें भी उठ सकते हैं और यथासाध्य मैं उनकी मैत्रीसे विच्छिन्न होना नहीं चाहता और न उनके प्रेमको ही कम होने देना चाहता हूँ। इसलिये खिलाफतके साथ अपने संबन्धको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इस पत्रसे प्रगट होता है कि विना किसी तरहकी जिम्मेदारी रखनेवाले पत्रोंको पढ़कर लोग किस किस तरहके

चक्रमें पड़ जाते हैं और भ्रमात्मक भावोंको अपने हृदयमें भर लेते हैं। हमारे मित्रने अपने उपरोक्त पत्रमें टाइम्सके जिस पत्रका हवाला दिया है उसे मैंने नहीं पढ़ा है। पर इनके पत्रसे खबरित हुआ है कि टाइम्सके पत्रसे उनके हृदयमें इस बातकी आशङ्का उत्पन्न हो गई है कि मैंने अराजकताको और भी पुष्ट करनेके निमित्त एक तर्फा निर्णय किया है।

मेरे मित्रका लिखना किसी अंशमें उचित है। बास्तवमें सच यही है कि आत्माको प्रेरणासे ही मैंने सिलाफत आन्दोलनको अपना प्रधान अङ्ग कर लिया है और मुसलमानोंके साथ दिल मिलाया है। मेरे मित्रकी यह आशंका निर्मूल नहीं है कि मैं हिन्दू तथा मुसलमानोंमें मेल कराकर सद्व्यव पैदा करनेका यज्ञ कर रहा हूँ। पर मेरा यह कहनेका अभिप्राय नहीं है कि तुर्की साम्राज्यके छिप भिन्नकर देनेके हेतु मैं ब्रिटिश सरकार अथवा मित्र राष्ट्रोंको किसी तरहसे तङ्ग करूँ। सरकार या किसी अन्य शक्तिको तङ्ग करना मेरे सिद्धान्तके सर्वथा प्रतिकूल है। पर मेरे उपरोक्त कथनका यह अभिप्राय नहीं है कि हमारे चन्द कामोंसे सरकार तङ्ग नहीं आ सकती (यह हो सकता है कि हमारे कुछ कामोंसे सरकार तङ्ग आ जाय, उसके हाथ पांच बंध जावं पर मैं इस बातकी चेष्टा कभी नहीं करता।) यदि इस प्रकारसे सरकारके काममें किसी तरहकी वाधा पड़े तो मैं उसके लिये पञ्चात्तप नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति बुरा काम या पापाचरण कर रहा है

तो मैं अपना यह धर्म समझता हूँ कि उस पापाचरणमें मैं उसका साथ न दूँ, उससे सम्बन्ध तोड़ दूँ। यही बात जिलाफतके विषयमें है। मित्रराष्ट्र तथा सरकारने अपना वचन भंगकर घोर पाप किया है। इस पापाचरणमें मैं उनका साथी नहीं हो सकता। मिस्टर लायड जार्जने जिस नीतिकी घोषणा की थी वही मुसलमानोंके पक्षमें है और उसका प्रतिपादन धर्म प्रवर्थों द्वारा भी हो जाता है। ऐसी अवस्थामें उनकी मांग नितान्त उचित और युक्तिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यह धारणा भूलसे भरी है कि मैंने वर्तमान अराजकताको और भी ताकतवर बनाना चाहा है अथवा मुसलमानोंके हक्कों मानव समाजके हितके भी ऊपर रखनेके लिये मैंने अपनी शक्तिका बुरे मार्गमें संचालन किया है। मुसलमानोंकी मांगमें इस बात पर कहीं भी जोर नहीं दिया गया है कि तुकोंकी उच्छृंखलता उसी प्रकार रहने वी जाय बल्कि मुसलमानोंने पक्का वचन दिया है कि ने लोग तुकीं सम्बाद्से इस बातकी प्रतिज्ञा करा लेंगे कि मुसलमानेतर जातियोंकी रक्षाका वह पूरा प्रबन्ध करेगा। मैं इस बात पर कोई पक्का मत नहीं प्रगट कर सकता कि आर्मेनिया और सीरियाकी अवस्थाको हम अराजकताका नाम कहांतक दे सकते हैं और इस अराजकताके लिये तुक कहां तक जिम्मेदार हैं। मेरी तो यही धारणा है कि वहां की अवस्था उतनी खराब नहीं है जितनी प्रगट की जाती है अर्थात् वास्तविक दशा बहुत ही बढ़ा कर लिखी जाती है, और वहांकी प्रचलित बुराइयों और कुप्रबन्धोंके लिये यूरोपीय शक्तियां

भी पूरी तरहसे जिम्मेदार हैं। पर जो कुछ हो में अराजकताका प्रतिपादक नहीं हूँ चाहे उसका जन्म तुर्कों द्वारा हुआ हो या अन्य किसी द्वारा। जो कुछ अराजकता वहां कायम है उसको तो मिश्र राष्ट्र अन्य उपायसे भी दूर कर सकते हैं। उसके लिये उन्हें तुर्क साम्राज्यको छिन भिन्न करने अथवा मुसलमानोंका तुर्कोंमें राज्य अन्त कर देनेकी कोई अवश्यकता नहीं प्रतीत होती। मिश्रराष्ट्रोंके सामने यह कोई नई घटना नहीं उपस्थित हुई है। यदि तुर्कोंका छिन भिन्न करके उसे टुकड़े टुकड़े कर डालना था तो इसकी सूचना युद्धके आरम्भमें ही दे देनी चाहिये थी। उस अवस्थामें चर्चन भंग करनेका दोष कभी भी सिरपर न मढ़ा जाता। पर इस समय जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसके कारण भारतीय मुसलमानोंका विश्वास ब्रिटिश प्रधान मन्त्रियों परसे उठा जा रहा है। भारतीय मुसलमानोंकी धारणा है कि तुर्कोंका प्रश्न इस्लाम धर्म और ईसाई धर्मके बीचका प्रश्न ह और इङ्ग्लॅण्ड प्रकारान्तरसे ईसाई धर्मको पीठ ठोक रहा है। मुहम्मद अलीने अभी हालमें जो तार भेजा है उससे यह विश्वास और भी हूँ होता चला जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि हमें इङ्ग्लॅण्डमें जो अनुभव हुआ था उससे पकड़म भिन्न फ्रांसके लोगोंने हमारा खागत किया है और हमारी यातोंको गौरसे सुना है और फरासीसी सरकार तथा जनतासे हमें सहायता की आशा है।

इसलिये यदि मुसलमानोंकी मांग न्यायपूर्ण है—और

जैसो मैं समझता हूँ वह न्यायपूर्ण है—और धर्मग्रन्थसे उसका प्रतिपादन होता है तो जो हिन्दू इस धर्मके काममें अपने मुसलमान भाइयोंकी सहायता न करेंगे वे भीख्ताके कारण इस विरादराना सम्बन्ध पर चोट पहुँचानेके दोषों समझे जायंगे और मुसलमानोंकी निगाह तथा चिट्ठसे गिर जायंगे। इसलिये इतने अटल विश्वासके बाद भी यदि मैं मुसलमानोंके उचित काममें सभी सहानुभूति दिखलाकर उनके इस धर्म कार्यमें योग न दूँ तो मैं अपने नामके योग्य नहीं रह सकता और सर्वजनिक सेवाका भाव हमें अपने मनमें से उठा देना होगा। मेरा विश्वास है कि उनकी सेवाकर मैं साधाराज्यकी सेवा कर रहा हूँ क्योंकि अपने भावोंको नियन्त्रित रूपसे प्रगट करनेकी यन्त्रणा देकर और उस काममें उनकी सहायता करके मैं इस खिलाफत आन्दोलनका हिस्सा रहित और सफल घनानेका यज्ञ कर रहा हूँ।



खिलाफत ।

(मई १२, १९२०)

“जेता कि मैंने अपने पिछले पत्रमें लिखा था मेरी समझमें मिस्टर गांधीने खिलाफतके प्रश्नपर विकट भूल की है । उनकी मांगका आधार यह है कि उनके धर्मके अनुसार अरेवियापर तुकोंका शासन होना चाहिये । पर जब स्वयम् अरबके निवासी ही इस बातके विरोधी हो रहे हैं तो यह मान लेना असम्भव है कि मुसलमानोंका कथन इस्लामके लिये आवश्यक है । यदि अरबके लोग इस्लाम धर्मके उपासक नहीं हैं—तो कौन है ? यह तो इसीके बराबर है मानों जर्मनी रोम कथालिकवालोंकी ओरसे दोमें एक मांग मांगता है और इटलीवाले कुछ दूसरी मांग मांगते हैं । पर यदि थोड़ी देरके लिये मान भी लिया जाय कि भारतीय मुसलमानोंका धर्म इस बातकी आवश्यकता समझता है कि अरबोंपर तुकोंका शासन होना चाहिये, चाहे अरबवाले उसका विरोध ही क्यों न करते हों तो आजकलके स्वतन्त्र युगमें इस तरहकी मांगको धार्मिक मांग नहीं कह सकते क्योंकि इस युगमें किसी भी कारणवश एक आदमीका दूसरे आदमी पर क्षणातार दबाव नहीं चल सकता । प्रधान मन्त्रीने युद्धके आरम्भमें भारतीय मुसलमानोंको इस बातका अवश्य आश्वासन दिया

था कि मुसलमानोंके धार्मिक क्षेत्रोंकी रक्षाका पूरा प्रबन्ध किया जायगा। पर इससे यह अभिप्राय कभी भी नहीं निकलता कि जो तुर्क साम्राज्य उच्छृंखलतासे आत्मनिर्णयके अधिकारका सदासे दुरुपयोग करता था रहा है, उसे कायम रखा जायगा। क्या हम लोगोंके लिये यह उचित होगा कि हम लोग चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखें कि तुर्क फिरसे अरबोंको जोतें और उनसे युद्ध करें, क्योंकि अरबवाले इस समय युद्ध किये बिना न रहेंगे। हमें स्मरण रखना होगा कि हमने अरबवालोंको भी वजन दे रखा है। क्या ऐसा करना उनके साथ विश्वासघात करना और उन्हें धोखा देना नहीं है? यह कहना सर्वथा अनुचित है कि अरबवालोंने यूरोपीय शक्तियोंके उभाड़नेसे ही तुकोंसे शत्रुता मेल ली। अरबके लोग बहुत दिनोंसे तुकोंके साथ दुश्मनीका यह भाव रखते थाए हैं। हाँ, युद्धके समय तुकोंके विरुद्ध हम लोगोंने इस दुश्मनीका लाभ अवश्य उठाया है और तुकोंके मुकाबिलेमें एक मित्र पैदा कर लिया है। तुकोंके सुलतानकी गैरमुसलमानी प्रजा बहुत पहलेसे ही इनके शासनसे उदार चाहती थी। भारतके मुसलमान जिस शासनको दूसरों पर लादना चाहते हैं, उसकी व्यवस्थाका उन्हें कुछ भोजन नहीं है। सच बात तो यह है कि सोरिया या अरबमें तुकोंका फिरसे राज्य स्थापित करना इतना कठिन और असंभव है कि उसकी चर्चा करना हो व्यर्थ है। इसकी चर्चा पवित्र रोमन साम्राज्यके पुनः स्थापना की चर्चाके बराबर होगी। मेरी विचार-धाराके

यह बाहर है। किसी भी प्रकार यह संभव नहीं है। यह तो निष्ठ्य है कि भारतके मुसलमान सेना संघर करके अरबपर धावा न मारेंगे और उसे जीत कर सुलतानके हाथों न सौंप सकेंगे। और भारतका आन्दोलन तथा अशान्ति अंग्रेजोंका मजबूर नहीं कर सकता कि वे अरबों पर पुनः तुर्कीके शासनका बोझ लाद दें। सेवा करके भारतीय मुसलमान इङ्ग्लैण्डकी इस्पीरियलिज्म (साम्राज्यवाद) का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि वहाँके उदार तथा मनुष्यप्रिय अंग्रेजोंका अथवा वहाँके उदारमतवादियोंका विरोध कर रहे हैं जो भारतके लिये भी आत्मनिर्णयकी योजना कर रहे हैं। थोड़ी देरके लिये मान लीजिये कि भारतके मुसलमान भीषण आन्दोलन उपस्थित करते हैं और इङ्ग्लैण्डका भारतके साथ नाता टूट जाता है तो क्या इससे उनको अभीष्टकी सिद्धि हो सकती है? क्योंकि वर्तमान अवश्यामें ब्रिटनके साथ सम्बन्ध रखकर तो वे उसकी विघ्न सम्बन्धी नीतिमें कुछ न कुछ हाथ अवश्य रखते हैं। उदाहरणके लिये तुर्कीका प्रश्न ले लीजिये। यह स्वीकार किया जाता है कि भारतीय मुसलमानोंका प्रभाव इतना अधिक नहीं पड़ा कि पलड़ा एक दमसे उलट जाता। इसका कारण दूसरी ओर की कठिनाई है। पर तोमा जो कुछ सुविधायें दी गई हैं उनका श्रेय भारतके मुसलमानोंको ही है। ब्रिटनके साथ सम्बन्ध तोड़ देनेपर भारतके मुसलमानोंका भारतके बाहर किसी तरहका प्रभाव नहीं पड़ सकता। संसारकी

राजनीतिमें उनका उतना ही हक और हाथ रह जायगा जितना चीनके मुसलमानोंका है। मेरी समझमें कदाचित यह हो जाय कि मुसलमानोंके इस दबावके कारण तुकोंका कुस्तु-न्तूनियामें रहना सम्भव हो जाय। पर मुझे इस बातका सन्देह है कि इससे उन्हें किसी भी तरहका लाभ हो सकेगा, क्योंकि एशिया माझनरके निकाल देनेपर तुकोंके लिये कुस्तु-न्तूनियाकी राजधानी किसी भी प्रकारसे सुविधाजनक न होगी। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसकी भूल तुकोंको शीघ्र ही विदित हो जायगी और इसके कारण उन्हें जिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ेगा वह उनके धार्मिक भावोंकी रक्षासे कहीं भीषण होगी। पर यदि भारतीय मुसलमान इस बातपर तुले हुए हैं कि कुस्तुन्तूनियामें तुकोंके सुलतानकी सलतनत रहनी हो चाहिये तो उसके लिये मेरी समझमें भारतके बड़े लाटने सरकारी तौरसे मुसलमानोंको जो बचन दिया है उसके अनुसार हम लोगोंको इस बातपर जोर देना चाहिये कि कुस्तुन्तूनिया सुलतानके अधिकारमें रह जाय। यद्यपि अमरीका इस बातका विरोध कर रहा है।”

उपरोक्त अवतरण एक पत्रका वंश है। इस पत्रको इड्डले-रड्डके एक अधिकारीने भारतवर्षमें अपने एक मित्रके पास लिखा था। यह पत्र धीरता, नेक नीयती तथा स्थितिका सच्चा दिग्दर्शन करानेका नमूना है। इस पत्रकी भाषा इतनों प्रतिष्ठित है कि कटाक्ष करते हुए भी यह आदरके योग्य है। पर

ब्रिटनके लोग सभी घटनाको न समझकर हठात् इस तरहके भाव प्रहृण कर लेते हैं जिससे अनेक आकांक्षाओंका नाश हो जाता है। बर्तमान युगमें समाचारपत्रोंमें बनावटीपन, पक्षपात, असंदिग्धता और वैईमानीका इतना जबर्दस्त दौरा हो रहा है कि जो लोग केवल सभी घटना समझनेके लिये उदासीन-भावसे इन समाचारपत्रोंको पढ़ना चाहते हैं वे भ्रममें पड़ जाते हैं और गलत तथा भ्रमपूर्ण भाव उनके दिलमें भर जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्वाधियोंका एक अलग दल होता है जो गलत या सही तरीकेसे अपने हो हित साधनकी बेष्टा करते हैं और वे ईमानदार अंग्रेज भी जो केवल न्याय होते देखना चाहते हैं इन भ्रमात्मक तथा विरोधी मतोंके चक्रमें इस प्रकार आ जाते हैं और तोड़ेमरोड़े भावोंका इतना प्रबल असर उन पर पड़ जाता है कि वह अन्यायकी ओर छिंच जाते हैं और उसीका समर्थन करते हैं।

उपरोक्त पत्रके लेखको ही ले लीजिये। उसने खयाली या मनमान्त वातोंके आधारपर इस तरहकी दलीलें गढ़ डाली हैं जिनपर सहसा विश्वास हो सकता है। उसने इस वातको प्रमाणित करनेमें पूर्ण सफलता प्राप्त की है कि मुसलमानोंकी माँगें अन्यायपूर्ण और वेदम हैं। पर यहां भारतमें जहां खिलाफतके मसलेको तोड़ना मरोड़ना सहज नहीं है अंग्रेज लाग भी इस वातको मानते और स्वीकार करते हैं कि मुसलमानोंकी माँगें संगत तथा न्यायपूर्ण हैं। पर वे कहते हैं कि हम लाचार

हैं क्योंकि बड़े लाट महोदय तथा मिस्टर मारण्डे गुने इसके प्रतोकारकी शक्तिमर चेष्टा कर ली है। पर यदि अब भी राष्ट्र परिषद्का निर्णय भारतीय मुसलमानोंकी आकाश्वाओंके विपरीत होता है तो उन्हें शान्ति धारण करनी चाहिये और सन्तोष करना चाहिये।

उपरोक्त पत्रके लेखकने जिस शैलीपर इस प्रश्नको लिया है उसकी विवेचना करना अनुचित नहीं होगा। उसने लिखा है—“अरबवालोंके घोर विरोध करनेपर भी भारतीय मुसलमान अरब पर तुर्की सुलतानकी सलतनत चाहते हैं। पर यदि स्वयं अरबवाले तुर्कोंका शासन स्वीकार करना नहीं चाहते तो अरबोंके आत्मनिर्णयके अधिकारपर केवल झूठी धार्मिक स्पर्धाके कारण दबाव नहीं ढाला जा सकता और न इसका अपहरण किया जा सकता है और विशेषकर ऐसी अवस्थामें जब स्वयं भारत उस अधिकारके लिये चेष्टा कर रहा है।” जिन लोगोंने खिलाफतके प्रश्नपर विचार किया है, जिन्होंने उसे समझनेको चेष्टा की है वे भलीभांति जानते हैं कि मुसलमान लोग यह कदापि नहीं चाहते कि अरबवालोंकी आकांक्षोंके विरुद्ध उनपर तुर्कोंके शासनका बोझ लाद दिया जाय। इसके विपरीत उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया है कि हमलोग अरबवालोंके स्वायत्त शासनका विरोध नहीं करना चाहते। हम लोग अरेबियापर केवल मात्र तुर्कोंका आधिपत्य चाहते हैं और अरबवालोंको पूर्ण स्वराज्य देना चाहते हैं। मुसलमान धर्मके पवित्रतीर्थ क्षेत्रोंपर वे खलीफा-

का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दोंमें मिस्टर लायड जार्जने भारतीय मुसलमानोंको जो वचन दिया था और जिसके बशीभूत होकर उन्होंने मित्र राष्ट्रोंकी विजयके लिये अपना रक्त बहाया था, उससे अधिक वे और कुछ नहीं चाहते। उपरोक्त पत्रके लेखकने अपनी दलीलों और युक्तियोंका सारा आधार उन बातोंको बना रखा है जिनका कही नामनिशान और पता नहीं है। इसलिये उनकी सारी धारणायें और विवेचनायें निर्मूल होकर घराशायी हो जाती हैं। मैंने तन, मनसे इस प्रश्नको इसलिये उठा लिया है कि ब्रिटनके वचन, केवलमात्र ईमानदारी तथा धार्मिक भाव, ये तीनों इसके पक्षमें हैं। मुझे इतनी बुद्धि है कि मैं भलीभांति समझ लूँ कि न्यायपूर्ण मांग क्या है और अन्य धार्मिक प्रेरणा क्या है। उस अवस्थामें मैं सदा न्यायका पक्ष लेकर मूढ़ व धार्मिक अन्यविश्वासका विरोध करूँगा। और यदि अनुचित मत-के प्रतिपादनके लिये किसीने बदनियतीसे कोई वचन दे दिया है तो मैं उसके पाले जानेके लिये भी जोर नहीं दे सकता। जिस जातिको अपनी सच्चरित्रता और न्यायप्रियताका अभिमान है उसके लिये प्रतिरोध केवल संगत ही नहीं बल्कि आवश्यक और करणीय हो जाता है।

उपरोक्त पत्रके लेखकने अपने पत्रमें लिखा है:—“यदि भारत आज स्वतन्त्र शक्ति होता तो वह ऐसी अवस्थामें क्या करता?” इस अवस्थाके विषयमें अपनी ओरसे कुछ लिखना व्यर्थ है क्योंकि भारतीय मुसलमान वर्धात् भारतके लोग उस मन्तव्यके लिये

आन्दोलन कर रहे हैं जो सर्वथा न्यायपूर्ण स्वीकार कर लिया गया है। और उस न्यायपूर्ण मांगके लिये वे अंग्रेज जातिकी पूर्ण सहानुभूति और सहयोग चाहते हैं। पर इसके लिये केवल जबानी हमदर्दीसे काम नहीं चल सकता और न वह पर्याप्त होगी। इसके लिये उस तरहके सहायताकी आवश्यकता है जिसके द्वारा पूर्ण न्याय करनेकी संभावना हो।

—:-o:-—

कुछ प्रश्नोंका उत्तर

(मई १६, १९२०)

“आपका सात तारीखका पत्र मिला। आपने लिखा है कि यंग इण्डियामें असहयोगपर आपके लेखोंको पढ़कर मैं अपना स्पष्ट मत प्रगट करूँ। इसके लिये मैं आपका अतिशय कृतज्ञ हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सत्यका अनुसन्धान करके उसका पता लगाना चाहते हैं और उसी पर आचरण करना चाहते हैं इसलिये मैं निर्भयताके साथ नोचे लिखे चन्द शब्द लिखना हूँ :—

५ वर्षों मईके अड्डमें आपने लिखा है कि असहयोग सरकारका विद्यातक नहीं है। पर सरकारके साथसे सम्बन्ध तोड़ लेना, हर तरहसे सहयोग हटा लेना, उसकी सहायता न करना, उसकी

नौकरी खीकार न करना, मालगुजारी आदि न देना, यदि सिद्धान्ततः नहीं तो व्यवहारमें तो सरकारके विधातक अवश्य हैं और इस तरहकी बातें अन्तमें जाकर शासनका कार्य अवश्य ही असम्भव कर देगी। आगे चलकर आप फिर लिखते हैं—‘यदि सरकार प्रजाकी बात न माने तो प्रजाको इस बातका पूर्ण और नैसर्गिक अधिकार है कि वह उस सरकारका साथ छोड़ दे।’ आपने जो मन्त्रव्य उपस्थित किये हैं उनकी सात्त्विक प्रौढ़ताके प्रश्नका अलग रखकर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि इस समय आप किस सरकारके खिलाफ अपनी यह कार्रवाई चलाना चाहते हैं? क्या भारत सरकारने इस मामलेमें अपने बलभर काम नहीं किया है और अपनी शक्तिभर लेष्टा नहीं कर ली है? यदि उसकी प्रार्थनायें न सुनी जायें, यदि उसके कहने पर ध्यान न दिया जाय तो क्या उसके लिये उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई उचित और न्यायपूर्ण होगी? उचित तो यह है कि मित्रराष्ट्रोंकी सुप्रीम कॉसिल (सबसे बड़ी सभा) के साथ असहयोग किया जाय और यदि इस बातका पक्ष प्रमाण मिल जाय कि ब्रिटनने वहां पर भी भारत सरकार तथा भारतीय प्रजाकी मांगोंका समर्थन नहीं किया है तो उसके साथ भी असहयोग किया जाय। मुझे प्रतीत होता है कि लिखते और भाषण करते समय आप इस बातको भूल जाते हैं कि इन (खिलाफत) मामलेमें भारत सरकार प्रजाके साथ है और यदि उनकी उचित मांगें नहीं दी जातीं तो सरकारके साथ असहयोग-

का प्रश्न कहाँसे उठता है ? खिलाफतके प्रश्नका मुसलमानों पर जो वोफ है उसको हलका करनेमें हिन्दू, अंग्रेज तथा भारत सरकार सभी हाथ बटा रहे हैं ? इतने पर भी यदि हम लोगोंको सफलता नहीं मिलती तो इसमें हमारा क्या दोष ? तो क्या हमें असहयोग करना चाहिये ? और यदि चाहिये तो किसके साथ ?

मेरे हृदयमें कुछ बातें आ गई हैं और ये उन्हें लिखकर आपके सामने उपस्थित करता हूँ कि उनपर आचरण करके देखिये कि क्या फल निकलता है :—

(१) चुपचाप प्रतीक्षा कीजिये और देखिये कि तुर्कोंके साथ सन्धिकी क्या शर्तें होती हैं ।

(२) यदि ये शर्तें भारत सरकार तथा भारतकी प्रजाकी आकांक्षाओं और शिकारिसोंके अनुकूल न हों तो उनमें सुधार लानेके लिये हर एक न्यायपूर्ण और संगत तरीकोंसे काम लेना चाहिये ।

(३) चाहे कितनी शक्ति क्यों न हो जाय हमें उस सरकारके साथ जबतक सहयोग करना चाहिये जबतक वह सहयोग करती है और जब वह सहयोग त्याग देती है तो हमें उससे असहयोग करना चाहिये ।

अभी तक तो मेरी समझमें ऐसे कोई भी कारण उपस्थित नहीं हुए हैं जिसके लिये हमलोग भारत सरकारके साथ असहयोग करें और जबतक भारत सरकार भारतीयोंकी न्यायपूर्ण और संगत मार्गोंकी अवहेलना न करे हमें उसके साथ असहयोग

करनेका कोई कारण प्रतीत नहीं होता। भारत सरकार कभी कभी भूल अवश्य करतो हैं पर खिलाफतके मामलेमें तो उसने बुद्धिमानीसे काम लिया है और इस लिये प्रत्येक भारतवासीका धर्म है कि उसके साथ सहानुभूति प्रगट करे और पूर्ण सहयोग करे। मुझे पूर्ण आशा है कि आप मेरे कथन पर अच्छी तरह विचार करेंगे और यंग इंडियामें इसका उत्तर देंगे।”

जिन कठिनाइयोंका वर्णन इस पत्रके लेखकने किया है उस तरहकी कठिनाइयां अन्य अंग्रेजोंके सामने भी उपस्थित होती होंगी। इस लिये इसपर पूर्ण प्रकाश डालना नितान्त आवश्यक है। बहुधा देखतेमें आया है कि किन्तु ही उद्देश्य केवल इस लिये असफल हुए हैं कि उनके विरोधियों और प्रतिपक्षियोंने उलटा साधा समझाकर उन लोगोंका रुकाव अपने मतके अनुकूल कर लिया है जो घटनाकी सच्ची स्थिति समझनेके बाद केवल न्यायाचरणकी ओष्ठा करते और यदि वे ऐसा न कर सकते तो पूर्ण विरोध करने पर भी उन्हें सफलता न मिल सकती। ऐसे अकियोंके साथ पूर्ण धैर्य और मनोरुपके साथ बात चीत करके कोई मनुष्य लाभ उठा सकता है। इससे दोनोंका लाभ होता है। यदि किनी मत विशेषका प्रतिग्रादक यह देखता है कि हमने भूल की है तो वह उसका उचित सुधार करता है, अपने उद्देश्यका उचित नियन्त्रण करता है और इसी तरह वह उनलोगोंकी भूले बतलाकर उन्हें दूर कराता है और अपने मतमें लाता है। खिलाफतका प्रश्न अतिकठिन प्रश्न है वयोंकि इसके

अन्तर्गत अनेक बातें आ गई हैं। इस लिये यदि किसीको अपना मत स्थिर करनेमें कम या अधिक कठिनाईका सामना करना पड़े तो कोई आश्वर्यकी बात नहीं। यह प्रश्न और भी जटिल इस लिये हो गया है कि वर्तमान अवस्थामें इसके लिये कोई साहसिक कारबाई आवश्यक हो गई। चाहे हमारी कठिनाई कितनी भी भीषण क्यों न हो हमें पूरा विश्वास है और हमारा यह हृदय मत है कि यदि हम भारतमें शान्ति और समताका साधारण देखना चाहते हैं तो इस प्रश्नपर विचार करना हमारे लिये सबसे अधिक आवश्यक है।

मेरे मित्रने लिखा है:—‘मैं आपसे इस विषयमें सहमत नहीं हूँ कि असहयोग करना सरकारका विधातक नहीं है।’ उनका कहना है कि सरकारी नौकरीसे इनकार करना तथा मालगुजारी न देना व्यवहारमें सरकारका विधातक है। मुझे खेदके साथ लिखना पड़ता है कि मेरा इससे घोर मतभेद है। यदि किसी प्रधान प्रश्नपर भाई भाईमें घोर मतभेद हो जाय और यदि एक भाईकी आत्मा कहती है कि दूसरे भाईके साथ रहना या उसके काममें योग देना अन्याय और पापाचार है तो मेरी समझमें वह भाई उसकी सहायता न करके तथा उसके काममें योग न देकर भ्रातृघर्मका पूर्णरूपसे पालन करता है। यह प्रायः प्रतिदिनकी जीवन घटनाओंमें होता है। प्रह्लादका पिता हिरण्यकश्यप अतिशय दुष्ट और कूर था। प्रह्लादने उसके पापाचारमें योग देना उचित नहीं समझा। इसलिये उसने

योग दान नहीं किया। क्या इसमें प्रह्लादने पेसा कोई भी काम किया जो उसके पिताके विरुद्ध कहा जा सके। जीससने फेरासिस और वहाँके सकुचित विचारवालोंके साथ सहयोग करना स्वीकार नहीं किया और उनसे किसी तरहका समझन्ह नहीं रखना चाहा। तो क्या पेसा करके उसने यहूदियोंके विघ्नातक कोई भी भाव प्रगट किया? पेसे मामलोंमें प्रत्येक आचरणसे ही मनुष्यकी इच्छाका पता लग सकता है। हमारे मित्रने अपने ऊपरके पश्चमें लिखा है कि साधारण स्थितिमें सरकारके साथसे हर तरहका सहयोग हटा लेना, उसके कामको असम्भव कर देना है। पर मैं इस मतको सर्वथा सही नहीं मानता। सब बाततो यह है कि इस तरहके असहयोगसे हर तरहका अन्याय असम्भव हो जायगा।

मेरे मित्रने फिर लिखा है :—‘भारत सरकारने यथासाध्य सब कुछ किया। हरतरहका चेष्टार्थ की, उसका जहाँ तक बल फूटा चेष्टा की, ऐसी अवस्थामें उसके साथ असहयोग करना अनुचित प्रतीत होता है।’ मैं इन बातको स्वीकार करता हूँ कि भारत सरकारने कुछ प्रयत्न अवश्य किया पर जितना उसके हाथमें था या जितना वह कर सकतो थो या कर सकती है उसका आधा भी प्रयत्न उसने नहीं किया है। इसके अतिरिक्त जब सरकार यह देखती है कि, खिलाफतके प्रश्नपर भारतीय मुसलमानोंके साथ साथ भारतकी अन्य प्रजा भी लालों और करोड़ोंकी संख्यामें कुद्द है तो केवल विरोध करने

और अमफल हो जानेसे ही उसके कर्तव्योंका अन्त नहीं हो जाता। मान लीजीये कि कोई आदमी भूखा है और उसको भोजन न देकर आप केवल दिखाओ आ सहानुभूति उसके साथ जाहिर कर रहे हैं तो क्या उसे सन्तोष हो सकता है। उस समय या तो उसे भोजन दिया जाय या वह मर जायगा। येसी अवस्था उपस्थित हो जाने पर जहांसे हो सके खिलाफ़तके लिये भोजन सामग्री उपस्थित करनी चाहिये। भारत सरकार यदि चाहे तो आज खिलाफ़त आन्दोलनके नेतृत्वका भार ग्रहण कर प्रधान मन्त्री तथा ब्रिटिश केबिनेटसे ज़ोर देकर कह सकती है कि मुसलमानोंके साथ जो प्रतिष्ठा की गई है उसे पूरा कीजिये और उसे करना पड़ेगा। जब मिस्टर लायड जार्जने पूर्ण बेवफाईके साथ मुसलमानोंके साथ विश्वासघात किया तो क्या उस समय भारत सरकारने इस विश्वासघातका विरोध करते हुए अपने पदसे स्तोफ़ा दे दिया? भारत सरकारने गुप्त खरीदोंकी आड़में अपनेको क्यों छिपाया? लार्ड हार्डिंगने इससे कम भयानक अवस्थामें वह काम किया जिसे राजनीतिक मामलोंमें विवेकशूल्य अदूरदर्शिता कह सकते हैं। उन्होंने खुले शब्दोंमें दक्षिण अफ्रिकाके निष्क्रिय प्रतिरोधियोंके साथ सहानुभूति दिखालाई और इस प्रकार भारतमें क्षेत्रकी बढ़ती ज्वालाको शान्त किया, यद्यपि इसके लिये उन्हें दक्षिण अफ्रिकाकी केबिनेट और प्रेट ब्रिटनके कुछ आदमियोंके कोधका पात्र बनना पड़ा। भारत सरकारने अधिकसे अधिक जो कुछ किया

है वह यह है कि उसने खिलाफत सम्बन्धी मुसलमानोंकी उचित मार्गोंको सुप्रीम कॉर्सिलके सामने रखा और उसके लिये थोड़ी बेट्ठा की । क्या यह उसकी शक्ति और अधिकारका कमसे कम प्रयोग नहीं है ? क्या इससे भी कम उसके करनेकी कोई चात हो सकती थी जिसके लिये उसे अपमान और हीनता न देखनी पड़ती ? भारतके मुसलमान तथा हिन्दू इस सङ्कटापन्न अवस्थामें भारत सरकारसे कमसे कमकी आशा न रखकर अधिकसे अधिकका आशा रखते हैं और यही ढाहते हैं कि वह भारतवासियोंकी मार्गोंके लिये (जिसे वह स्वयं न्यायसङ्गत समझती है) अधिकसे अधिक यत्न करे । इतिहास नाश्ती है कि इससे भी साधा ए अवस्थामें बड़े लाटोंने स्तीफे दे दिये हैं । अभी थोड़े दिन होने हैं कि इनों तन्ह मानापमान हो : रएक छोटे लाटने स्तीफा दे दिया है । खिलाफतका प्रश्न परम परिव्रक्तप्रश्न है और लाखों तथा करोड़ों हिन्दू और मुसलमानोंके लिये प्राणसे भी बढ़कर हो रहा है । इस समय इन प्रश्नरर कड़ी चोट पहुंचाये जानेकी सम्भावना है । इसलिये मेरा प्रत्येक अंग्रेजसे —भारतमें रहनेवाले प्रत्येक अंग्रेज, हिन्दू चाहे वह किसी भी दलका अनुयायी हो,—सविनय अनुरोध है कि खिलाफतके प्रश्नमें वह मुसलमानोंका पूर्णरूपसे साथ दे और भारत सरकारको अपना कर्तव्य पालन करनेके लिये बाध्य करे और इस तरह प्रधान मन्त्रीको लाचार कर दे कि वे अपने कर्तव्यका पालन करें ।

चारों ओरसे आवाजें आ रही हैं कि असहयोग आरम्भ

हुआ कि हिंसा शुरू हुई और शान्ति भङ्ग हो जायगी। पर मैं दृढ़ताके साथ कह सकता हूँ कि यदि भारतके मुसलमानोंके सामने असहयोगका चमकता सुनीक्षण शब्द न होता तो वे कभीके निराश हो गये होते और निराश नुच्छ जो कुछ कर सकता है उसको करनेके लिये भी वे सज्जद हो गये होते। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि अनहयोग खतरेसे बाली नहीं है। पर हिंसाका होना और शान्तिका भंग असहयोगमें बाहरी कारण हो सकता है, केवल उसका संभावना हो सकती है। पर यदि भारतके सभी प्रधान निवासी हिन्दू मुसलमान और ईसाई इसका समर्थन त्याग देंगे तो यह भी संभव हो जायगा।

अन्तमें, हमारे मित्रने जो शिक्षारिसे की हैं उनका मुसलमान लोग पूरी तरहसे पालन करने आ रहे हैं। यद्यपि भारतीय मुसलमानोंको मालूम है कि सन्धिमें क्या होना है, तुर्कीके भाष्यका किस तरह निपटारा किया जायगा तद्यपि वे लोग सन्धिकी ठीक ठीक शर्तोंको जाननेके लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन लोगोंने यह भी तै कर लिया है कि असहयोग आन्दोलन जारी करनेके पूर्व इस सन्धिमें उल्ट फेर तथा परिवर्तन करानेके सम्पूर्ण साधनोंका प्रयोग कर लेंगे, और जबतक भारत सरकार मुसलमानोंके साथ हर तरहसे सहयोग करनेके लिये—अर्थात् सन्धिकी शर्तोंके प्रकाशित हो जानेके बाद, यदि वे शर्तें बिटिश प्रधान मन्त्रीके दिये बचतसे कम पाई जायें तो हर तरहसे उनमें आवश्यक सुधार करानेके लिये जिस

सहयोगकी आवश्यकता है—तैयार रहेगी तो भारतके मुसलमान किसी भी अवस्थामें असहयोग नहीं आरम्भ करेंगे। पर यदि सभी साधन असफल हुए और ब्रिटिश प्रधान मंत्रीने अपने वचनको न निवाहा तो आत्माभिमानी मुसलमानके लिये—जिसे अपना धर्म अपनी जानसे भी प्रियतर है—क्या करना शेष रह जायगा। उस अवस्थामें उनके लिये एकपात्र मार्ग उस पापी सरकारके साथ सहयोग त्यागकर अपनेको पाप और कलंकसे बचाना ही उचित होगा और जो हिन्दू और अंग्रेज मुसलमानोंकी मैत्रीपर घोड़ी भी आस्था रखते हैं, और जो इस चातको स्वीकार करते हैं कि मुसलमानोंकी मार्ग पूर्णतया न्यायसङ्कृत है, उन्हें हरतरहसे मुसलमानोंका साथ देनेके अतिरिक्त कोई भी अन्य मार्ग नहीं खुला है।

और प्रश्नोंका उत्तर।

(जून २, १९२०)

खुले और छिपे तौरसे मेरे पास अनेक पत्र आ रहे हैं। सभाओंमें भी मेरे ऊपर आक्षेप किया जा रहा है। मेरे पास गुमनाम चिठ्ठियां आ रही हैं। सबका एक ही अभिप्राय है, एक ही अर्थ है कि मुझे क्या करना चाहिये। कितने लोग तो

यही चाह रहे हैं कि मैं सर्व व्यापी असहयोग तत्काल आरम्भ कर दूँ । दूसरे मेरी भूल दिखलाते हुए कहते हैं कि मैं जान बूझकर देशको जलती आगमें झोक रहा हूँ और अशान्तिका बीज थो रहा हूँ । इन सबका विस्तृत उत्तर देना कठिन है । पर मैं संक्षेपमें यथासम्बद्ध प्रत्येकका उत्तर दूँगा । कुछ प्रश्नोंका उत्तर तो मैं पिछले लेखमें दे चुका हूँ । उनके अतिरिक्त निम्न लिखित आध्येप किये जा रहे हैं :—

(१) तुकोंकी मांगें अनुचित और अन्यायपूर्ण हैं । सत्यके मार्गका अनुसरण करनेवाला मुझसा व्यक्ति क्यों उसका समर्थन कर रहा है ?

(२) यदि थोड़ी देरके लिये मान लिया जाय कि उनकी मांगें सङ्गत और न्यायपूर्ण हैं तोभी तुके लोग इतने अयोग्य, कमज़ोर और नृशंस हैं कि उनकी सहायता नहीं करनी चाहिये ।

(३) यदि थोड़ी देरके लिये मान लें कि तुकोंकी मांगें न्यायोचित हैं और उन्हें सब कुछ मिलना चाहिये तोभी व्यर्थके लिये मैं भारतवर्षको अन्तर्राष्ट्रीय भंफटमें क्यों डाल रहा हूँ ?

(४) भारतके मुसलमानोंको इस भंफटमें पड़नेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । यदि उनके हृदयमें किसी तरहकी राजनीतिक आकांक्षा है तो उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि उन्होंने उसके लिये प्रयत्न किया, असफल भी हो चुके । अब उन्हें सुप करके बैठ रहना चाहिये । पर यदि धर्मके नाते वे इस प्रश्नको लेकर उठते हैं तो जिस प्रकार उन्होंने उसकी व्यवस्था

दिखलाई है, हिन्दू उससे सहमत नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त जहाँ मुसलमानोंका ईसाईयोंके साथ धार्मिक कलह है वहाँ हिन्दुओंको किसी भी प्रकारसे भी मुसलमानोंका साथ नहीं देना चाहिये।

(५) किसी भी अवस्थामें मुझे असहयोगका प्रचार नहीं करना चाहिये क्योंकि कितना भी शान्तिमय वह क्यों न हो चिन्होंहका ही एक अङ्ग है।

(६) विगत वर्षके अनुभवोंसे मुझे शिक्षा प्रहण करनी चाहिये कि देशमें हिंसाकी जो हवा वह रही है उसके सामने शान्तिमय उपायों द्वारा जनताको हिंसा करनेसे रोक रखना किसी भी एक आदमाकी शक्तिसे बाहर है।

(७) अनहयोग व्यर्थ है क्योंकि कोई भी व्यक्ति सच्चे हृदयसे इसमें शामिल नहीं होगा और उस ज्वारके बाद जब भाँटा आयेगा वह अवस्था इस धारामय अवस्थासे कहीं छिराक होगी।

(८) असहयोग सभी कामकी गतिको रोक देगा, यहाँ तक कि सुधारोंका काम भी बन्द कर देगा। इस प्रकार उच्चतिकी यह मन्द गति भी बन्द हो जायगी।

(९) हम लोगोंकी आकंक्षायें कितनी ही एवित्र क्यों न हों पर मुसलमानोंके हृदयमें बदलेके भाव भरे हैं।

संक्षेपमें मैंने उन सभी प्रश्नोंका समावेश यहाँ कर दिया है। अब मैं क्रमशः एकएकका उत्तर देता जाऊँगा।

(१) मेरी समझमें तुकोंकी माँगें केवल उचित और न्याय

पूर्ण ही नहीं हैं वल्कि वे पूर्ण हैं क्योंकि तुर्क लोग केवल वही चाहते हैं जो कुछ उनका है। मुसलमानोंने अभी हालमें जो सुबना निकाली है उसमें उन्होंने साफ साफ शब्दोंमें लिख दिया है कि गैरमुसलमान, और गैरतुर्क जातियोंकी रक्षाके लिये जिस तरहको जमानत उचित समझी जाय तुकोंसे ले ली जाय अर्थात् तुकों साम्राज्यके अन्तर्गत अरबवालोंको और ईसाईयोंको अलग अलग खराज्य दे दिया जाय।

(२) मेरी यह धारणा नहीं है कि तुर्क लाग किसी भी तरह कमज़ोर, अयोग्य अथवा क्रूर हैं। हाँ, उनका संगठन खराब हो गया है और उनमें कोई सुयोग्य संचालक नहीं रह गया है। अनेक संकटोंमें रहकर भी उसे युद्धमें प्रवृत्त होनेके लिये वाप्त होना पड़ा। प्रायः देखनेमें आता है कि जिसके हाथसे अधिकार छीन लेनेकी इच्छा होती है उसपर प्रायः यही—अयोग्यता, कमज़ोरी और क्रूरताके—दोष लगाये जाते हैं। सोशिया और ऐस आदि स्थानोंमें कलेआमका जा दोषारोपण तुकोंपर किया जाता है उसके सम्बन्धमें खतन्द जांच कमटीके लिये प्रार्थना की गई पर कभी स्वीकार नहीं हुई। किसीको तंग न करनेके लिये जमानत ली जा सकती है।

(३) मैं आरम्भमें ही कह चुका हूँ कि यदि भारतीय मुसलमानोंके साथ मेरा किसी तरहका सम्बन्ध न रहता तो मैं तुकोंके मामलेमें उतनाही उदासीन रहता जिनना उदासीन में आस्ट्रिया या पोलके मामलेमें हूँ। पर भारतवासी होनेकी हैसियतसे मैं

अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि मैं भी मुसलमानोंकी यातनाओं और कष्टोंमें उनका साथ दूँ। यदि मैं मुसलमानोंको अपना भाई समझता हूँ तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी शक्ति भर संकटके समय उनकी सहायता करूँ यदि उनकी बातें न्यायपूर्ण और उचित प्रतीत होती हैं।

(४) चीथे प्रश्नमें पूछा गया है कि हिन्दूओंको मुसलमानोंका साथ कहाँ तक देना चाहिये। यह बात हृदयके भाव और मन-पर निर्भर करता है। मैं अपने मुसलमान भाइयोंके साथ उनकी न्यायपूर्ण मांगोंके लिये अन्त तक सङ्कृत भोगनेको तैयार हूँ और मैं तबतक उनका साथ देता रहूँगा जबतक मेरी रायमें जिन उपायोंका बे प्रयोग करते हैं वे उनकी मांगोंके उपयुक्त हैं। मैं मुसलमानोंके आन्तरिक भावोंपर किसी तरहका नियन्त्रण नहीं रख सकता। मैं तो उनकी इस बातको स्वीकार करनेके लिये तैयार हूँ कि खिलाफतका प्रश्न धर्मका प्रश्न है और उस हिसाबसे वह प्रत्येक मुसलमानके लिये जीवन मरणका प्रश्न है। इसलिये वह हर तरहसे उस उद्देश्यकी सिद्धिकी चेष्टा करेगा।

(५) असहयोग हिंसासे सदा दूर रहता है इसलिये उसे विद्रोह या क्रान्ति नहीं कह सकते। यों तो सरकारके विरुद्ध किये गये सभी प्रकारके आन्दोलनोंका व्यापक नाम विद्रोह या क्रान्ति हो सकती है। इस मानेमें उचित बातके लिये जो क्रान्ति की जाय उसे कर्तव्य पालन कहते हैं। उस अवस्थामें विरोधकी

मात्राका निष्ठय की गई ज्यादती तथा उसके प्रभावसे किया जाता है।

(६) विश्व वर्षका मेरा अनुभव बतलाता है कि यद्यपि कहीं कहीं शान्ति भड़ू अवश्य हुई पर सारा देश नियन्त्रणके भीतर था और सत्याग्रहका प्रयोग देशके लिये अतिशय लाभदायक हुआ। जहां कहीं हिंसा हुई, शान्ति भंग की गई, वहां स्थानीय ऐसे कारण थे जो हिंसा करनेमें सहायक हुए। साथ ही साथ मैं यह भी कहता हूँ कि जनताकी ओरसे जो कुछ ज्यादतियां हुईं अथवा अराजकताके जो लक्षण प्रजानें दिखाये, वे भी नियन्त्रणके अन्दर रह गये होते। जो गलत अनुमान मैंने उस समय किया था उसको समय समय पर मैंने स्वीकार किया है। पर जो कुछ भी दुःख दायी अनुभव मुझे उस समय हुआ उससे सत्याग्रहके ऊपरसे मेरा विश्वास जरा भी कम नहो हुआ और न तो भारतमें उसके प्रयोगकी संभावनापर ही किसी तरहका असर पड़ा। पहले जो भूलें हो गई है उनको न होने देनेके लिये पर्याप्त प्रबन्ध किया जा रहा है। हिंसाको रोकनेके लिये पर्याप्त प्रबन्ध करने पर भी यदि असंभावित घटनावश कहीं हिंसा हो जाय तो केवल उसके भयसे मैं सत्याग्रहके प्रचारको बन्द नहीं करना चाहता। मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सच्चा सत्याग्रही केवल सरकारकी लाल लाल आंखें और विकृत चेहरेसे ढरकर कोई काम करनेसे बाज नहीं आ सकता। जबतक कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छासे यातना सहनेके निमित्त तैयार है और

हिन्माके मार्गसे सर्वथा दूर रहनेकी चेष्टा करता है तो मैं ऐसे निर्दोषोंकी लाखोंकी संख्यामें बलिदान देते नहीं हिचकूंगा। सत्याग्रह आनंदालनमें सत्याग्रहियोंकी भूलों पर ही सबसे अधिक ध्यान रखना होता है क्योंकि उन्हींसे सबसे अधिक हानि होनेकी सम्भवना रहती है। शक्तिशाली मजबूत व्यक्ति के बल भूल ही नहीं बल्कि पागलपन भी कर सकता है और यदि जनताने बलधानों और शक्तिशालियोंके मद्दमत्त पागलपनका जवाब उसी तरह नहीं दिया और उसको शान्तिके साथ वर्दान्शत कर लिया तो विजय निकट है। पर इस बातका सदा ध्यान रहे कि सत्याग्रही किसी भी प्रकार उस अत्याचारीकी आशाओंके सामने सिर नहीं झुकाता। हम लोगोंकी सफलताकी कुंडी इसीमें है कि हम लोग प्रत्येक अंग्रेजकी जान तथा प्रत्येक सरकारी कर्मचारीकी जान उतनी ही प्यागी और बदुमूल्य समझें जितनी हम अपनी समझने हैं। विगत ४० वर्षोंके उद्घोषणमें मुझे जो अनुभव मिला है उससे मैंने यही सार निहाला है कि जो बनदानसे बढ़कर कोई भी उत्तम उपर्याहर नहीं हो सकता। मैं दृढ़ता और साहसके साथ कह सकता हूँ कि जिस समय अंग्रेज लोगोंको यह विश्वास हो जायगा कि यद्यपि हमारी संख्या भारतमें नितान्त हीन है तथापि मेरी जान मालकी पूर्णतया रक्षा हो रही है और इनका कारण हमारे हाथमें अनेक तरहके नाशकारी और विवेले अल्पोंका होना नहीं है बल्कि उसका कारण यह है कि भारतीय उन लोगोंके प्राणोंका नाश करना भी उचित नहीं समझते जिन्हें वे भीषण भूल करते पाते हैं

उसी दिन आप देखेंगे कि भारतकी ओर से अंग्रेजोंका विचार बदल जायगा और उसी दिनसे उन सब अल्प शख्सोंका भी प्रयोग घट्ट हो जायगा जो इस समय भारतमें अति कुरताके साथ नाचती दिखाई देती है। मैं जानता हूँ कि यह अति दूरकी बात है। पर मैं इसकी कोई चिन्ता नहीं करता। यदि मुझे सुदूरमें भी प्रकाश दिखाई दे रहा है तो मेरा कर्तव्य उसीकी लक्ष्य करके आगे बढ़नेका है और यदि इस कूचमें मुझे साथी मिलते गये तो मैं इसे आशातीत सफलता मानूँगा। मैंने अपने अंग्रेज मित्रोंसे बात चीत करते समय उन्हें भली भाँति समझा दिया है कि मैं लगातार अहिंसाकी शिक्षा देता चला आ रहा हूँ और मैंने इसकी पूर्ण व्यवहारिक उपयोगिता दिखाया दा है और यही कारण है कि विलाफतके सम्बन्धमें मुख्यलम्पानोंके हृदयोंमें जो हिंसाकी प्रवृत्ति है वह अभी तक दबी पड़ी है।

(७) धार्मिक दृष्टिने सातवें प्रश्नपर विचार करना ही निरर्थक प्रतीत होता है। यदि जनता मच्चे हृदयसे असहयोगकी ओर तत्परता न दिखायि तो खेद और लज्जाएँ बात हैं। पर केवल इतने मात्रसे सुधारक इस अल्पके प्रयोगको स्थगित नहीं कर देगा। इससे मुझे इस बातहा पता अवश्य लग जायगा कि जनतामें इस समय जो आशाकी उज्ज्वल किरणें झलक रही हैं उनका आधार किसी तरहकी आन्तरिक स्थिरता नहीं है बल्कि अन्यथिवास और मूर्खता है।

(८) यदि सच्चे हृदयसे असहयोगको स्वीकार कर लिया

जायगा तो अन्य सभी काम बन्द हो जायेगे और सुधार भी बेकार हो जायेगे। पर इससे यह कहांसे झलकता है कि उच्चति-का प्रसार रुक जायगा बल्कि मेरी धारणा तो इससे एकदम विपरीत है। मैं अनन्ययोगको इतना बलिष्ठ अब्द समझता हूँ कि यदि उसका प्रचार सतर्क होकर किया गया तो उससे जिस फलकी प्राप्ति होगी अन्य सभी फल उसके अनुगमी होंगे। उस समय लोगोंको अपने पूर्ण अधिकारका ज्ञान होगा। उस समय उन्हें मंगठन, आत्मसंयम, सहयोग, अहिंसा आदि गुणोंकी उपयोगिता प्रतीत होगी जिसके द्वारा प्रत्येक राष्ट्र महान् और उत्तम हो सकते हैं।

(६) मेरी समझमें मुहे कोई अधिकार नहीं है कि मैं मुसल-मानोंसे उससे अधिक सदिच्छाकी आशा करूँ जितना कि मुझमें है। पर मैं इतना अच्छी तरहसे जानता हूँ कि मेरे अहिंसाके सिद्धान्तमें उनका विश्वास ढूढ़ नहीं है। उनका कहना है कि अहिंसा दुर्बलोंका अब्द है और सिर्फ सुविधाके लिये इसका प्रयोग किया जा सकता है। उनका कहना है कि यदि हम इस समय कोई खुली कार्रवाई करना चाहें तो हमारे लिये केवल अहिंसात्मक असहयोग खुला है। मैं जानता हूँ कि मुसलमानोंमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यदि सफलताकी पूर्ण आशा हो जाय तो हिंसा करनेके लिये तुरत तैयार हो सकते हैं पर उन्हें इस बातका पक्षा विश्वास हो गया है कि हिंसासे हम लोगोंकी विजय नहीं हो सकती। इसलिये अहिंसा उनके लिये

केवल कर्तव्य ही नहीं है बल्कि बदला लेनेका साधन भी है। पर ब्रिटिश सरकारके साथ मेरा असहयोग अपने घरके लोगोंके साथ किये गये असहयोगके बराबर है। ब्रिटिश शासन प्रणालीमें मेरी असीम श्रद्धा और भक्ति है। मेरा अंग्रेजोंके साथ किसी तरहका बेमनस्य नहीं है बल्कि कितने अंग्रेज ऐसे उच्च हैं कि उनके चरित्रको मैं अनुकरणीय मानता हूँ और स्पर्धाकी दृष्टिसे देखता हूँ। कितने ही अंग्रेज मेरे घनिष्ठ मित्रोंमेंसे हैं। किसीको भी शब्द समझना मेरी धार्मिक धारणाके एक इम प्रतिकूल है। मुसलमानोंके बारेमें भी मेरे यही भाव है। मुझे हृदय विश्वास है कि उनकी मांगें न्यायपूर्ण हैं। इसलिये यद्यपि उनका मत मुझसे मिलता है तोभी मैं उनके साथ सहयोग करनेसे जरा भी नहीं सकुचाता और उनसे प्रेरणा करता हूँ कि वे मेरे तरीकेसे एक बार काम लें क्योंकि मेरी हृदय धारणा है कि यदि अख्ल सच्चा है तो बुरे इरादेसे उसका प्रयोग भाँ कुछ लाभदायक ही होगा। जैसे किसी बुरे कामके लिये भी कुछ समय तक सच बोलना पड़े तो उस सचका असर अवश्य ही अच्छा होता है। चूंकि काम बुरा है इसलिये सच बोलना बेकार नहीं हो सकता।



खिलाफत और गोबध ।

(दिसम्बर १०, १९१६)

इस भप्ताहके नवजीनमें महात्माजीने एक लम्बा चौड़ा पत्र प्रकाशित किया है। इस पत्रमें उनका दिल्लीका भाषण है जो उन्होंने खिलाफत कांग्रेसके सभापतिकी हैमियतसे दिया था और जिसका संश्लेषणमात्र अनोसियेटेड टेस्सो प्राप्त हो सका था। उन संक्षिप्त विवरणमें दो बातें छूट गई थीं जिनका यहां जिकर कर देना उचित प्रतीत होता है। आपने कहा था:—

“खिलाफत कांग्रेसके मन्दी मिस्टर आलफ अलीने जो पर्व बढ़ायें हैं उनमें लिखा है कि गारक्षा और पंजाबके प्रश्नोपर भी विचार किया जायगा। मेरा निवेदन है कि हिन्दू भाई इस अवसरपर गोरक्षाएँ प्रश्नको न उठावें। आपत्कालमें विना किसी शर्तकी सहायता ही मैंवोका नक्षा लक्षण है। जिस महयोगके लिये किसी मूल्यवानी आवश्यकता है उसे मैंत्री नहीं कह सकते वह तो बाजार सौदा हो गया। शर्तउन्दी सहायता नकारी सीनेएट मिट्टीकी तरह है जो किसी बस्तु हो जाए नहीं सकती और जल्दी ही उखड़ जाती है। यदि हिन्दुओंका विश्वास है कि मुसलमानोंकी मांग व्यायोचित है तो उन्हें उहयोग करना चाहिये। यदि मुसलमान हिन्दुओंके दिलोंपर चोट पहुंचाना नहीं चाहते और उनके

मानकी रक्षा करना अपना धर्म समझते हैं तो वे गोबध बन्द कर सकते हैं। चाहे हिन्दू उनके साथ सहयोग करें या न करें। यद्यपि मेरे हृदयमें गोमाताके प्रति किसी भी हिन्दूसे कम श्रद्धा नहीं है तोभी मैं गोहत्याको बन्द कराना मुसलमानोंके साथ सहयोग करनेकी शर्त नहीं खजना चाहता। बिना किसी शर्तके सहयोग ही गोरक्षाका असली रूप है।

“पंजाबके प्रश्नपर भी हमारा आपसे मतभेद है। मैं पंजाबके घावोंके भीतर प्रवेश कर गया हूँ। लोगोंके हृदयोंमें उनसे कढ़ी चोट पहुंची होगी पर मैं यह भी हृदयाके साथ कह सकता हूँ कि इस दुर्घटनासे मेरी आत्माको जितना कष्ट हुआ है शायद किसीको न हुआ होगा तोभी मैं यही कहता हूँ कि पंजाबकी बात यहां खलाना उचित नहीं। पंजाबपर चाहे कितने हो भीषण अत्याचार क्यों न किये गये हों पर उनके कारण हम लोग साम्राज्यके विजयोत्सवका वहिष्कार नहीं कर सकते। अपनी इस कार्रवाईको चरितार्थ करनेके लिये हम लोग यह नहीं कह सकते कि पंजाबके अत्याचारोंका प्रतीकार नहीं हुआ है। हएटर कमेटी अपना काम कर रही है। कांग्रेस सबकमेटी भी काम कर रही है। हम लोग विजयोत्सवका वहिष्कार केवल उन बातोंके लिये कर सकते हैं जिनका सीधा सम्बन्ध सन्ति परिपदसे है।

“इस तरहका प्रश्न केवल खिलाफत है। इसके निपटारेके सम्बन्धमें हम लोग केवल अन्धकारमें ही नहीं हैं बल्कि, हम

लोगको पूरा भय है कि कहीं इस प्रश्नका निर्णय हम लोगोंकी इच्छाके प्रतिकूल न हो ! यदि हम पंजाबकी दुर्घटनाका कारण दिखाकर विजयोत्सवमें भाग लेना अस्वीकार करें तो हमपर विचारहीन और अपरिपक्ष होनेका दोष लगाया जायगा और सम्भव है कि इससे हम पञ्चाब और खिलाफत दोनोंको क्षति पहुँचावें । खिलाफतका प्रश्न अत्यन्त विकट प्रश्न है और उसके लिये तुरत उपचार होना चाहिये । यदि हम लोग इस प्रश्नसे उचित स्थान और उचित मूल्य देना चाहते हैं तो हमें उचित है कि हम इस प्रश्नको अन्य प्रश्नोंसे अलग रखें ।”

प्रतिज्ञा भंग

(मई १६, १९२०)

सेवरकी सन्धिमें तुर्कोंके साथ जा शर्टें की गई हैं वे प्रकाशित हो गईं । मेरे मतसे ये शर्टें सुप्रीम कॉर्सिल, ब्रिटिश प्रधान मन्त्री तथा ईसामसीहकी उदार शिक्षाके सर्वेत्या प्रतिकूल हैं । गृहकलह तथा भीतरकी अशान्तिसे शक्तिहीन तुर्क इस उद्दण्डपूर्ण निर्णयको भले ही स्वीकार कर लें, भारतके मुसलमान भी चाहे डरके मारे कुछ न बोलें, हिन्दूलोग भी, डर, डाह

अथवा अदूरदर्शिताके कारण इस महान् संकटके समय चाहे अपने मुसलमान भाइयोंका साथ न हैं पर यह बात मोटे अक्षरोंमें लिख गई कि इङ्ग्लैण्डके प्रधान मन्त्रीने जो वचन दिया था उसे दम्भके साथ तोड़ा गया। राष्ट्रपति विलसनकी १४ शर्तोंकी चर्चा करना यहाँ व्यर्थ है क्योंकि अब उनकी परवा कौन करता है, उनकी चकाचौध केवल दो दिनके लिये थी। पर दुःख तो इस बातका है कि भारत सरकारने अपने सूचनापत्रमें सन्धिकी शर्तोंकी सफाई पेश की है, उन्हें मिस्टर लायड जार्जकी प्रतिज्ञा-का प्रतिरूप बतलाया है पर साथ ही साथ उन्हें सदोष प्रमाणित करके मुसलमानोंसे प्रार्थना भी की है कि अब विना किसी तरहके असन्तोषके उन्हें इन शर्तोंको स्वीकार कर लेना चाहिये। पर धोखेकी टट्टी इतनी मोटी नहीं है कि वह असलियतको छिपा सके। यदि भारत सरकारने अपने सूचनापत्रमें उस तरहके वचन देनेके लिये मिस्टर लायड जार्जको दोषी ठहराया होता तो कदाचित कुछ मर्यादा बनी रह जाती। पर इस प्रकार वचन भंग करनेके बाद उसके पूरी होनेकी भी झींग मारना चित्तमें विकार उत्पन्न कर देता है। बड़े लाटने अपने सूचनापत्रमें लिखा है:—“खिलाफतका प्रश्न मुसलमानोंका प्रश्न है, इसमें उनको पूरी स्वतन्त्रता है और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।” बड़े लाटके इस कथनका बया अभिप्राय हो सकता है जबकि खलीफाका राज्य अतीव निर्दयताके साथ छिप मिल कर दिया गया है, मुसलमानोंके पवित्र तीर्थस्थानोंपरसे उनका

अधिकार उठा दिया गया है, और उन्हें लाचार करके महलमें बन्द कर दिया गया है जिसे हम किसी भी तरह महल नहीं कह सकते बल्कि जेलखाना कह सकते हैं। बड़े लाटका कहना ठीक है कि “सन्धिकी शर्तोंमें ऐसी बातें हैं जिनसे मुसलमानोंको यहां ही दुःख होगा।” इतना जानकर भी वे भारतीय मुसलमानोंके पास साहस और सहानुभूतिके समाचार भेजकर उनका अपमान क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें सन्धिके उत्तर क्रूर और निर्दय शर्तोंके पढ़नेसे, अथवा यह स्मरण करके कि प्रधान मन्त्रीने हमारी सहायताकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि भारतके मुसलमानोंने संकटके समय साम्राज्यका साथ दिया और पूर्ण राजभक्तिका परिचय देते हुए सहायता की, इत्यादिसे सन्तान हो गया? क्या यह बड़े लाटके लिये हीनताकी बात नहीं है कि इस अवस्थामें भी वे इस बातकी भूठी दीहाई देते रहें कि जिस न्याय और मनुष्यत्वके आदर्शके लिये मित्रराष्ट्रोंने युद्ध किया था वह पूरा हुआ। क्यों न हो! यदि तुकोंके साथ की हुई सन्धिकी शर्तें ज्योंकी त्यों रह गईं तो संसार देखेगा कि मनुष्य अधिकारके मदमें उन्मत्त होकर कितनी उदाहरिता दिखला सकता है और अन्यायका आचरण कर सकता है। किसी विजित वीर जातिकी वीरता और साहसको कुचल डालनेकी व्यवस्था करना मानुषिक नहीं कहा जा सकता, यह पशुत्वका उचलन्त उदाहरण है। यदि युद्धके पहले तुकलोग ब्रिटनके घनिष्ठ मित्र थे और युद्धमें जर्मनीका साथ देकर उन्होंने भूल की तो उसके लिये उन्हें नीचा दिखाकर

विट्ठनने काफी बदला ले लिया। ऐसी अवस्थामें बड़े लाटका यह कहना असम्भव हो जाता है कि, “इस नई सन्धिकी शर्तों के अनुसार वह पुरानी मैत्री पुनः जन्म ग्रहण करेगी और नये भाव तथा नई आशासे पहुँचित तुकीं भूतकालकी भाँति भविष्यमें भी इस्लाम धर्मका संरक्षक बना रहेगा।” अपने सूचनापत्रके अन्तिम भागको लिखनेमें बड़े लाटने भारी उद्देश्य दिखाई है। उन्होंने लिखा है:—“मुझे पूरी आशा है कि इन बातोंका स्वाल करके आपलोग चिना किसी प्रकारके असन्तोष दिखाये सन्धिकी शर्तोंको स्वीकार कर लेंगे और पूर्ण साहस तथा उदारताके साथ पहलेकी भाँति साम्राज्यमें आशा और विभास रखेंगे।” यदि मुसलमानोंकी राजभक्ति निष्कर्लंक रह जाय तो इसका कारण यह नहीं होगा कि भारत सरकारने उसको तोड़ डालनेके लिये काफी बोझ नहीं लादा बलिक इसलिये कि मुसलमानोंको अपनी शक्तिपर भरोमा है। वे समझते हैं कि हमारी मांगें न्यायपूर्ण हैं और हम न्याय करवा लेंगे यद्यपि अपने प्रधान मन्त्री-की बातमें आकर ग्रेट विट्ठनने अपना वचन तोड़ दिया।

इससे स्पष्ट है कि सन्धिकी शर्तोंमें तथा बड़े लाटके सूचना-पत्रमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे सम्पूर्ण भारतीयोंमें—विशेषकर मुसलमानोंमें—किसी तरहके आशा या विभास, साहस या उत्साहका जन्म हो फिर भी निराश होने या क्रोध प्रगट करनेका कोई कारण नहीं है। यही समय है कि मुसल-मान लोग पूर्ण आत्मसंयमसे काम लें, अपनी शक्तिका संग्रह

करें। यद्यपि वे कमज़ोर हैं तथापि ईश्वरके भरोसे साहस ग्रहण करके इस संग्रामको चलावें, विजय अवश्य होगी। अगर भारतवर्ष—हिन्दू और मुसलमान—एक होकर काम करें और सन्धिकी इन शर्तों द्वारा मानव समाजके प्रति जो यह पाप हुआ है उससे अपनी सहानुभूति हटा लें, तो पूरी अशा है कि सन्धि-की शर्तोंमें अवश्य सुधार होगा। इससे यदि संसारको नहीं तो अपनेको, ब्रिटिश साम्राज्यको अनन्त शान्ति प्रदान हो सकेगी। यह निःसन्देह है कि यह युद्ध भीषण और अतिकालतक होगा पर इसमें जो कुछ त्याग करना पड़े वह सर्वथा करणीय है। यह समय हिन्दू और मुसलमान दोनोंकी परीक्षाके लिये उपस्थित हुआ है। क्या इस्लाम धर्मका यह अपमान उनके लिये चिन्ता-का विषय नहीं है? यदि है तो क्या वे आत्मसंर्यमके लिये तैयार हैं? क्या वे धर्मकी चाहसे अहिंसाके लिये तैयार हैं? क्या वे लोग हरतरहकी क्षति वर्दाश्त करके अमहयोगके लिये तैयार हैं? क्या हिन्दूलोग इस संकटके समय अपने मुसलमान भाइयोंके साथ सच्ची सहानुभूति दिखलानेके लिये अन्तिम समयतकके लिये उनके साथ तैयार हैं? खिलाफतके प्रश्नोंका निपटारा सन्धिकी शर्तें जितना नहीं कर सकती उतना इन प्रश्नोंके उत्तरसे हो जायगा।

काण्डलरकी खुली चिदठी ।

(मई २६, १९२०)

मिस्टर काण्डलरने खिलाफ़तके प्रश्नपर मेरे पास एक खुली चिट्ठी लिखी है। पत्र प्रकाशित हो चुका है। मिस्टर काण्डलरने अपने पत्रमें यह प्रमाणित करनेकी चेष्टा की है कि मिस्टर लायड जार्जने अपने वचनको भड़क नहीं किया है। उन्होंने लिखा है कि मिस्टर लायड जार्जके वचनोंपर प्रासंगिक विचार करना चाहिये अर्थात् प्रसङ्गसे हटाकर मुसलमानोंकी तरफदारीके लिये उनपर विचार नहीं करना चाहिये। मैं भी मिस्टर काण्डलरके इस मतसे सहमत हूँ। मिस्टर लायड जार्जके वचन क्या है, उनका अवतरण बड़े लाटने अपने एक सन्देशमें किया है। वे ये हैं:—

“हम लोगोंने युद्धमें भाग इसलिये नहीं लिया है कि हम लोग आस्ट्रिया हंगरीका नाश कर दे’ अथवा तुकोंसे उनकी राजधानी छीन लें अथवा एशिया माइनर तथा थ्रेसके समृद्ध प्रान्तोंसे तुकोंको निकाल दे’ क्योंकि उन्हें प्रकृतिने तुकोंके लिये ही रचा है।” मेरी समझमें मिस्टर काण्डलरने (हिवच—जो) ‘हिवच’ शब्दका अर्थ “जो” न लगाकर (हिवच=इफ दे) ‘अगर वे’ लगाया है। पर मैं उस सर्वेनामसे उसका असली अर्थ निकालकर यह कहनेकी धृष्टता करता हूँ कि १९१८ में प्रधान

मन्दीने स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार किया था कि एशिया माइनर और थ्रेस प्रान्तमें अधिकांश तुर्क लोग रहते हैं। यदि यह अर्थ ठीक है तो मैं साहसके साथ कह सकता हूँ कि प्रधानमन्दीने खुल्लमखुल्ला अपने बचनको भड़क किया है क्योंकि अब तुर्कोंके हाथमें एशिया माइनर तथा थ्रेसका कोई भी हिस्सा शेष नहीं रह गया है।

कुस्तुन्तूनियाको तुर्कोंके हाथमें रखनेकी आवश्यकताके प्रश्न पर हम पहले ही अपना मत प्रगट कर चुके हैं। यदि कोई यह कहे कि सन्धिकी शर्तें द्वारा प्रधान मन्दीकी यह प्रतिक्षा भी ज्यों की त्यों रह गई है कि 'हम लोगोंका अभिप्राय है कि जिन प्रदेशोंमें तुर्क जातियां हैं वे प्रदेश तुर्क साम्राज्यके अन्तर्गत रहें और कुस्तुन्तूनियां तुर्कोंको राजधानी रहे तो वह अपनी बुद्धिकी अविद्यगता और अपरिपक्ता प्रगट करता है। उस भावणका यह दूसरा अवतरण है जिसे पढ़कर मिस्टर कार्डलरको सुना देना आवश्यक प्रतीत होता है।

"हम लोग इस बातपर हस्तक्षेप नहीं करते कि जिन प्रदेशोंमें तुक जातियां बसती हैं उनमें तुर्कोंका ही राज्य रहे और कुस्तुन्तूनिया तुर्कोंकी राजधानी रहे। परं चूकि 'भूमध्यसागर और काला समुद्रके मध्यका मार्ग अन्तर्राष्ट्रीय बना दिया गया है इसलिये हमारी समझमें मेसापोटामिया (ईराक) सीरिया (ईरान) और पलस्टाइन प्रान्तकी अलग राष्ट्रीय व्यवस्था होनी चाहिये ।"

क्या उपरोक्त शब्दका यही अर्थ था कि तुकोंका सम्पूर्ण अधिकार हटा दिया जायगा, तुकोंके प्रभुत्वका नाश कर दिया जायगा और संरक्षणके बहाने यूरोपीय ईसाइयोंका प्रभाव फेलाया जायगा ? क्या अरब, आर्मेनिया, मेसापोटामिया, सीरिया तथा पलस्टाइनके मुसलमानोंने नये प्रबन्धको स्वीकार किया है अथवा इन बलिष्ठ शक्तियोंने अपने पशुबलके दम्भमें न्याय तथा ईमानदारीका गला घोटकर उनके सिरपर यह बोझ जर्ब-दस्ती लाद दिया है ? यदि साहसी वीर अरबोंके हृदयमें स्वतन्त्रताकी स्पर्धा उठती है तो मैं उसका हृदयसे स्वागत करनेको तैयार हूँ पर उन चिचारोंकी इस अवस्थामें क्या दशा होगी जब उनके समृद्ध प्रदेशको चूसनेका अधिकार उन लोलुप पूंजी-पतियोंके हाथमें सौंप दिया गया है जो सूचना पत्रके अनुसार हर तरहसे सुरक्षित है। यदि प्रधान मन्त्री अपनी प्रतिभाओंको पूरी करके दिखलाना चाहते हैं तो यही उचित है कि टाइम्स आफ इण्डियाके अनुसार इन प्रान्तोंको पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी जाय और तुकोंका इनपर केवलमात्र प्रभुत्व रहे और अरबोंको अन्तर्राष्ट्रीय स्वतन्त्रताके लिये तुकीसे आवश्यक जमानत ले लो जाय। पर उस प्रभुत्वको उठा देना, मुसलमानोंके धर्मस्थानोंपरसे खलीफाका अधिकार हटा देना खिलाफतकी खिल्ली उड़ाना है जिसे कोई भी मुसलमान चुपचाप बेठकर नहीं देख सकता। प्रधान मन्त्रीके वचनोंका जो अर्थ मैंने दिया है वह मेरा ही नहीं है। राइट ऑनरेबुल मिस्टर चार्ल्स रार्टने ब्रिटिश

जनताको स्मरण करा दिया है कि तुकोंके साथ सन्धिके विषयमें मुख्लमानोंके भाव प्रधान मन्त्रीकी प्रतिज्ञापर निर्भर है जो उन्होंने थेस, कुस्तुन्तुनिया और पश्चिया माइनरकी भूमिके सम्बन्धमें किया था और जिसे मिस्टर लायड जार्जने २६ फरवरीको पुनः दोहराया है। प्रतिज्ञाके उन वचनोंका पूर्णतः पालन किया जाना चाहिये और यदि इसका किसी भी अंशमें पालन नहीं किया गया तो ब्रिटिश साम्राज्यकी ओरसे यह भारी विश्वासघात होगा। यदि विश्वासघात और प्रतिज्ञा भड़के आक्षेपोंका उत्तर है तो वह दिया जाय। प्रधान मन्त्री अपने वचनोंका पालन करें या न करें पर जो वचन वे राष्ट्रकी ओरसे देते हैं उसे ताड़नेका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। यह कितनी हीनताकी बात है कि उन प्रतिज्ञाओंका जरा भी ख्याल न किया जाय। मुझे पूर्ण आशा है कि मेरे इस मतसे के विनेटके अन्य सदस्य भी सहमत होंगे।”

मिस्टर काएंडलरने अपने पत्रमें जो कुछ लिखा है उससे यही प्रगट होता है कि इडलेंडकी वर्तमान राजनातिका उन्हें जरा भी ज्ञान नहीं है। वहां प्रतिदिन क्या हो रहा है वह नहीं समझ रहे हैं। मिस्टर पिकेट हालने न्यू पज नामी पत्रमें हालमेंही लिखा था:—“यद्यपि तुकोंके साथ क्षणिक मन्त्रि हुए बहुत दिन बीत गये पर अभीतक आर्मेनियावालोंके कल्पे आमकी जांच करनेके लिये निरपेक्ष अन्तर्राष्ट्रीय जांच कमेटी नहीं बैठाई गई यद्यपि तुकोंने इसके लिये प्रार्थना भी की पर

आमेनियाकी व्यवस्थाने इसे स्वीकार नहीं किया, केवल इनमा ही कहकर टाल दिया कि ब्राइस और लेयमन्सके रिपोर्ट तुकोंकी निन्दा और दण्डविधानके लिये काफी है अर्थात् केवल मुद्राईक वयानपर ही फैसला कर देना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय कमीशनने स्मिर्नमें इस तरहके अभियोगोंका निरपेक्ष जांच की और यूनानियोंके कथनके विरुद्ध मत कायम किया। इसलिये उनकी रिपोर्ट इडल्लैण्डमें प्रकाशित नहीं की गई यद्यपि अन्य राष्ट्रोंमें वह कभी प्रकाशित हो गई।” अन्तमें उन्होंने यह दिखलाया है कि अपने उहैं श्यकी सिद्धि और अपना मत समर्थनके लिये आमेनिया तथा यूनानके राजदूत लोग प्रचुर धन व्यय कर रहे हैं। इसपर उन्होंने लिखा है :—“अलाम अनजानकारी तथा झूठापचादका समवाय संयोग ब्रिटिश राज्यके लिये अतिशय भयावह होगा। जो राजा और प्रजा किसी प्रत्यक्ष घटना या प्रमाणके मुकाबिलेमें प्रचार और आन्दोलनको अधिक उपयोगी समझते हैं वह अपना नाश अपने आप करते हैं।”

इस अवतरणको हमने इसलिये दिया है कि लोगोंको यह विदित हो जाय कि वर्तमान ब्रिटिश नीति विवेकहीन प्रचार और आन्दोलनसे दूषित हो गई है। लण्डन कानिकलने लिखा है कि १७वीं सदीमें तुर्क साम्राज्यका विस्तार पश्चिया, अफ़्रीका और यूरोप मिलाकर प्रायः २० लाख वर्गमीलके करीब था, वही विस्तार इस सन्धियकी शर्तोंके अनुसार अब केवल १०००, वर्ग-मील रह गया है। यूरोपीय तुकों अब केवल नाममात्रको रह

गई है। केवल कार्नवाल प्रदेशका द्वेषप्रफल उससे बढ़ा है। यदि तुकोंने जर्मनीका साथ न दिया होता तो आज पूर्वीय बालकन प्रदेशकी कमसे कम ६० हजार वर्गमील भूमि उसे मिली होती।” मुझे नहीं मालूम कि कानिकलके मतका प्रतिपादन किसी और ने किया है। तुकीं साम्राज्यको इस तरह काटना, उसे दण्ड देनेके लिये है अथवा न्यायके अनुसार यही उचित प्रतीत होता है, यदि तुकोंने जर्मनीका साथ न दिया होता तो क्या मेसा-पोटामिया, अरेचिया, आर्मेनिया, और पलस्टाइनके लिये राष्ट्रीयताके सिद्धान्तकी उद्घोषणा की गई होती?

मिस्टर काण्डलरने लिखा है कि मिस्टर लायड जार्ज मारतकी जनताके साथ इसलिये प्रतिक्रिया नहीं हुए थे कि रंगरूटोंकी भर्ती और उनका भेजा जाना जारी रहे। जो लोग इस मतसे सहमत हैं उनकी सेवामें मुझे मिस्टर लायड-जार्जके निष्पलिखित शब्दोंको उद्भूत कर देना उचित प्रतीत होता है। अपने कथनकी सफाई देते हुए मिस्टर लायड जार्जने कहा था :—

‘मेरे इस कथनका प्रभाव यह पड़ा कि भारतवर्षमें रङ्गरूटोंकी काम ज्योंका त्यों जारी रहा और उसमें अधिकाधिक वृद्धि होने लगी। सभी रङ्गरूट मुसलमान ही नहीं थे पर उनमें मुसलमान भी थे। अब यह कहा जाता है कि यह तुकों-के लिये चचन दिया गया था। पर तुकोंने इसे स्वीकार नहीं किया था। इससे हमारे ऊपर किसी तरहकी जिम्मेदारी नहीं

रही। पर हमने किसी तरहका वचन नहीं दिया था। प्रायः लोग इस बातको भूल जाते हैं कि संसारमें मुसलमान रिआया हमारे साम्राज्यमें सबसे अधिक हैं क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यकी प्रायः चौथाई प्रजा मुसलमान हैं। इन लोगोंने इस संकटके समय उत्कठ राजभक्ति दिखलाई और तत्परतासे साम्राज्यकी सहायता की। हम लोगोंने उन्हें आशापूर्ण वचन दिया और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। अब उन्हें इस बातकी आशङ्का होने लगी है कि हम लोग उस प्रतिज्ञाका पालन नहीं करेंगे और इसीलिये वे उचेजित हो गये हैं।”

उस प्रतिज्ञाका क्या अर्थ लगाया जाय और इस कामको कौन करे ? भारत सरकारने उस प्रतिज्ञाका क्या अर्थ लगाया ? उसने सच्चे हृदयसे इस बातको स्वीकार किया कि नहीं कि मुसलमानोंके पवित्र क्षेत्रोंके संरक्षणका पूर्ण अधिकार खलीफाके हाथमें होना चाहिये ? ब्रिटिश सरकारने इस बातकी चर्चा की कि ज़ीरतुल अरबका पूरा हिस्सा तुर्कोंके हाथसे ले लिया जाय और मित्राराष्ट्रोंके सूचनापत्रके अनुसार उसे मित्राराष्ट्रोंमें बांट दिया जाय, क्या तोभी प्रतिज्ञा भंग नहीं होती ? यदि सन्धिकी प्रत्येक शर्तें उचित हैं और प्रतिज्ञाके अनुसार हैं तो फिर भारत सरकार मुसलमानोंके साथ खुली सहानुभूति क्यों प्रगट कर रही है। मैं यह भलीभांति समझा देना चाहता हूँ कि मेरे बारेमें किसीको यह भ्रम न उत्पन्न हो जाय कि मैं मिस्टर लायड जार्जकी घोषणासे पूर्णतया सहमत हूँ या उसका

पकदमसे विरोध करता है। मैंने इसीलिये उसके संबंधमें “संभवित” शब्दका प्रयोग किया है।

मिस्टर कार्डलरके पत्रसे विदित होता है कि उन्होंने यह दिखलानेकी चेष्टा की है कि मेरा अभिग्राय खिलाफतके साथ न्याय करानेके अतिरिक्त और कुछ भी है। यदि उनका यह विश्वास है तो वे सही हैं। न्याय प्राप्त करना मेरा मुख्य उद्देश्य है और यदि मुझे यह विदित हो जाय कि न्यायकी मात्रामें मैं भ्रममें था तो मैं पीछे कदम हटानेके लिये तैयार रहूँगा। पर इस संकटके समय भारतके मुसलमानोंकी सहायता करके मैं उनकी मैत्री प्राप्त करना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त यदि मैं मुसलमानोंको अपना साथी बना सका तो मैं ब्रिटनको उस पापसे बचा लूँगा जिसकी ओर मेरी समझमें उसके प्रवान मन्त्री लोग उसे लिये जा रहे हैं। मैं समस्त भारत और ब्रिटिश साम्राज्यको यह बात प्रत्यक्ष करके दिखला देना चाहता हूँ कि यदि जनतामें आत्मत्यागके थोड़े भी भाव आजायं तो पूर्ण शान्तिमय तथा पवित्र उपचारों द्वारा ही न्यायकी प्राप्ति हो सकती है और इसके लिये भारतीय तथा मुसलमानोंमें किसी तरहके मनोमालिन्यकी संभावना नहीं है, क्योंकि मेरे तरीकेका अस्थायी प्रभाव जो कुछ हो पर मुझे हृदयविश्वास है कि असद्भावसे यह सर्वथा रहित है।

बडे लाटसे अपील ।

—४५४—

(जून २०, १९२०)

मान्यवर महोदय,

आपका भरे ऊपर कुछ विश्वास रहा है। मैं अपनेको ब्रिटिश साम्राज्यका शुभेच्छा समझता हूँ। इसलिये मैं आपके द्वारा ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलके कानों तक विलायतके साथ अपना सम्बन्ध पहुँचा देना चाहता हूँ।

गुदके आरम्भिक कालमें जिस समय में लाइडनमें इण्डियन बालुइंटियर कॉर्पसका सङ्गठन कर रहा था उसी समयसे मैं चिन्द्राकृतके प्रश्नमें दिलचस्पी लेने लगा। जिस समय तुर्कीने जर्मनीका साथ देनेका घोषणा की मुसलमान संसारमें हलचल भव गई। जिस समय १९१५ की जनवरीमें मैं भारत पहुँचा मैंने यहाँके मुसलमानोंमें भी वही चिन्ताके लक्षण पाये। जिस समय “गुप्त सन्धिकी” वात प्रगट हुई उस समय उनकी चिन्ता और भी बढ़ गई। उनके हृदयमें ब्रिटनके प्रति अधिश्वासन आसन जमा लिया और उनके चारों ओर निराशाका घोर अन्धकार छा गया। उस समय भी मैंने अपने मुसलमान भाइयोंको यही सलाह दी कि वे निराशा न हों बल्कि अपने भय तथा आकांक्षाओंको शान्ति पूर्वक उपस्थित करें। यह निःसङ्कोच स्वीकार

किया जा सकता है कि गत पांच वर्षोंसे भारतीय मुसलमान अद्वितीय आत्मसंयमका प्रमाण देते आये हैं और नेताओंने उपद्रवियोंको शान्त रखनेमें पूर्ण सफलता प्राप्त की है।

सन्धिको शर्तें तथा आपकी उनपर सफेदी पोतनेकी चेष्टाने भारतीय मुसलमानोंके हृदयोंपर कड़ी चोट पहुंचाई है जिसको सह लेना उनके लिये साधारण बात नहीं होगी। उन शर्तोंमें प्रधान मन्त्रीके बचत तोड़े गये हैं और मुसलमानोंकी आकांक्षोंका जरा भी ख्याल नहीं किया गया है। मैं एक कटूर हिन्दू हूँ। मैं भारतीय मुसलमानोंके साथ पूरे मैत्रीके साथ रहना चाहता हूँ। ऐसी अवस्थामें यदि मैं आपत्कालमें उनका साथ न दू तो मैं भारत सन्तान कहानेके योग्य नहीं। मेरी समझमें उनकी मांग न्यायोचित है। उनका कहना है कि यदि मुसलमानोंके मानकी रक्षा करनी है तो तुकोंको दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये। मुसलमान सेनिकोंने इस आशासे अपना रक्त नहीं बहाया था कि उसके पुरस्कारमें उनके खलीफाका राज्य छीन लिया जाय और वे अधिकार च्युत कर दिये जायं। विगत पांच वर्षोंसे मुसलमान लोग पूरी स्थिरता दिखला रहे हैं।

साम्राज्यके सदैच्छुकी हैसियतसे मैं अपना कार्य समझता हूँ कि मुसलमानोंके मनोमावोंपर जो चोट की गई है, उसका मैं प्रतिवाद करूँ। जहांतक मुझे विदित है ब्रिटिश न्याय प्रियतापरसे हिन्दू मुसलमानोंका विश्वास उत्तर गया है; हरहर कमेटीके अधिक सदस्योंका मत, उसके सम्बन्धमें आपका

भारत मन्दीके नाम मेज़ा खरीता तथा भारत मन्दीका उत्तर, आदि बातोंने उस अविश्वासको और भी ढूढ़ कर दिया है।

ऐसा अवस्थामें मेरे लिये केवल दो ही मार्ग खुले हैं। या तो निराश होकर ब्रिटिश साम्राज्यके साथ हर तरहका सम्बन्ध ट्याग दूँ या यदि ब्रिटिश शासन प्रणालीकी आन्तरिक स्विच्छामें मेरा अब भी विश्वास शेष है तो मुझे ऐसे उपाय निकालने चाहिये जिससे इन चुराइयोंका प्रतोकार हो जाय और जनताका इनपर विश्वास जम जाय। ब्रिटिश प्रणालीका आन्तरिक विशिष्टतामें मेरा विश्वास अब भी शेष है। मुझे पूर्ण आशा है कि यदि किसी भी उपायसे हमने यातना सहनेकी पूर्ण योग्यता दिखलाई तो हमारे साथ न्यायावरण अवश्य होगा। हाँ, इतना में अवश्य कह देना चाहता हूँ कि जो कुछ अनुभव मुझे प्राप्त हो सका है उससे मेरी यह धारणा हुई है कि इस प्रणालीके अन्दर उन्हींको अधिक सहायताकी आशा रहती है जो स्वयं आप अपनी सहायता करना चाहते हैं। यह दुर्बलोंकी रक्षाका कोई प्रबन्ध नहीं करता। बलिष्ठोंकी इसमें खूब पूछ है। अपनी शक्ति बढ़ानेका उन्हें पर्याप्त साधन मिल जाता है और दुर्बल इसमें पीस दिये जाते हैं।

इसीलिये मैंने अपने मुसलमान मित्रोंसे कहा है कि यदि खिलाफतके प्रश्नका निपटारा प्रधान मन्दीके दिये वचन तथा मुसलमानोंकी सदिच्छाके अनुसार न किया जाय तो आप ब्रिटिश सरकारके साथ सम्बन्ध न रखें और मैंने हिन्दुओंसे भी मुसलमानोंका साथ देनेके लिये कहा है।

जिस अन्यायपूर्ण काममें ब्रिटिश साम्राज्यके प्रधान मंत्री सहायक रहे हैं उसके प्रति अपनी धार अप्रसन्नता प्रगट करनेके लिये भारतीय मुसलमानोंके लिये तीन मार्ग खुले हैं।

- (१) शख लेकर उठ खड़े होना।
- (२) ब्रिटिश साम्राज्य छोड़कर कहाँ अन्यत्र चले जाना।
- (३) सरकारके साथ असहयोग करके पापाचरणमें उसका साथी न होना।

आपको भली भाँति चिदित होगा कि एक समय यह था जबकि मुसलमानोंमें ऐसे विचारशून्योंका अभाव न था जो हिंसाके कट्टर पक्षपाती थे और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो 'हिंसारतके' लिये तैयार हैं। मैंने साहसके साथ कह सकता हूँ कि धीरे धीरे अपने मतका प्रभाव डालकर मैंने मुसलमानोंको हिंसासे अलग कर लिया है। पर मेरी यह सफलता केवल लाभकी दृष्टिसे हुई है न कि अहिंसाकी उपर्योगिताका दृष्टिसे। पर जो कुछ हो इसका साम्प्रतिक परिणाम यह हुआ है कि हिंसाकी प्रवृत्ति मुसलमानोंमेंसे सर्वथा जातो रही है। जो लोग हिंसारतके पक्षपाती थे उनका जोश भी ठंडासा हुआ चला जा रहा है यद्यपि वह एकदमसे लुप्त नहीं हो गया है। मेरी निष्प्रित धारणा है कि दमनका अतिवलिष्ठ प्रयोग भी हिंसाकी प्रवृत्तिको रोकनेमें समर्थ नहीं हुआ होता यदि स्वयं जनताने ऐसे बलिष्ठ शख्को सामने न रख दिया होता जिसमें त्यागसे सफलताकी सम्भावना हो अर्थात् जितना ही अधिक त्याग किया जाय उतनी ही अधिक

सफलता हो। अतीत कालसे यह होता आया है कि यदि राजा कुशासन आरम्भ कर दे तो प्रजा उसका साथ छोड़ दे सकती है।

माथ ही मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि सामूहिक सविनय अवज्ञा आपस्त्रियोंसे भरी है। पर जो विपर्तिका पहाड़ मुसलमानोंके ऊपर धहराकर गिरा है उसका प्रतीकार तबतक नहीं हो सकता जबतक पेसे ही दुरुह शख न प्रयुक्त हों। यदि इस समय कष्ट न उठाया जाय तो भविष्यमें इससे अधिक आपस्त्रेलनी पड़ेगी और कानून तथा शान्तिके भी भंग होनेकी संभावना रहेगी।

पर अब भी असहयोग रोक देनेका अवसर है। जिस तरह आपके पूर्वके बड़े लाट मिस्टर हार्डिंगने दक्षिण अफ्रिकाकी अशान्तिके समय भारतीयोंके आन्दोलनको स्वयं अपने हाथमें ले लिया था उसी प्रकार आप भी खिलाफतके आन्दोलनको अपने हाथमें ले लोजिये, यही मुसलमानोंकी प्रार्थना है। पर यदि आप इसे स्वीकार करनेके लिये तैयार नहीं हैं और यदि लोगोंने देखा कि सिवा असहयोगक अन्य कोई चारा नहीं रह गया है तो मुझे पूर्ण आशा है कि मुझे और जिन लोगोंने मेरी बात मानकर इस ब्रतको स्वीकार किया है किसी तरहसे दोषी नहीं ठहरावेंगे क्योंकि उनका कर्तव्य उन्हें इसी मार्गपर चलनेके लिये प्रेरित करता है।

बम्बई

{ आपका सेवक

जून २२, १९२०

{ मोहनदास कर्मचन्द गांधी

हिजरत ।

—*—

(जुलाई २१, १९२०)

भारतवर्ष एक महाद्वीप है। शिक्षित भारतीय अशीक्षित भारतीयोंकी गतिको भलीमांति समझते हैं। सरकार और शिक्षित भारतवासी भले ही समझे कि खिलाफतका प्रश्न महज एक चलतू सङ्कट या आपत् है पर लालों मुसलमान इसको दूसरी ही दृष्टिसे देखते हैं। मुसलमानोंका देश-त्याग धीरे धीरे बढ़ रहा है। समाचार पत्रोंके कालमके कालम रङ्ग गये हैं कि किसी विशेष द्रेनेश्वारा एक बारिस्टर कुल ७६५ आदमियोंको लेकर अफगानिस्तान चले गये। मार्गमे लोगोंने उन्हें प्रोत्साहन दिया। लोगोंने नगदी, भोजनकी सामग्री तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं दी। मार्गमे महाजरीनने उनका साथ दिया। एक क्या हजारों शौकत अलीकी इस तरहकी उन्मत्त शिक्षा लोगोंके हृदयमें इतना जोश नहीं ला सकती कि वे अपना घर छोड़कर किसी अनजान देशमें जानेके लिये तेयार हो जायें। इसमें विश्वासके कोई आन्तरिक भाव अवश्य होंगे। वे समझते हैं कि जिस राज्यमें उनकी धार्मिक भावोंकी भी रक्षा नहीं हो सकती उसको त्यागकर विदेशमें भिज-मझोंकी तरह भटकना कहीं अच्छा है। इस दृश्यकी अवहेलन।

वही सरकार कर सकती है जिसे अधिकारने पकड़मसे उन्मत्त क दिया है।

पर इसके अलावा इस आन्दोलनके दूसरे पहलू भी है। उनकी चर्चा निम्न लिखित सरकारी सूचना पत्रमें दी गई है :—

“आठवीं नाटीखको पेशावर और जमरुदके बीचमें कच्चीगढ़ी नामक स्थानपर महाजरीनोंके सम्बन्धमें एक शोचनीय दुर्घटना उपस्थित हो गई। जो समाचार मिल सका है वह नीचे प्रकाशित किया जाता है। महाजरीनोंका एक दल रेल द्वारा जमरुद जा रहा था। उनमेंसे दोके पास ट्रिकट नहीं था। ब्रिटिश मिलिट्री पुलिसने उन्हें गिरफ्तार किया। इस्माइलिया कालेज स्ट्रेशन पर दब्बा मच गया। इतनेमें गाड़ी कच्चीगढ़ी पहुँची। वहां पर इन दानों महाजरीनोंको गिरफ्तार कर लेनेकी चेष्टा की गई। इनपर प्रायः ४० महाजरीनोंने ब्रिटिश मिलिट्री पुलिस पर हमला किया और जिस ब्रिटिश अफसरने बिचौता करनेका प्रयास किया था वह बुरी तरह धायल हुआ। इसपर कच्चीगढ़ी-की सेनिक सेनाने गोली चलाई। जिससे एक महाजरीन मारा गया, एक धायल हुआ, तीन गिरफ्तार किये गये। सेनिक और पुलिस दानों धायल हुए। मरे हुए महाजरीनोंका शव पेशावर मेज दिया गया और इर्वीको वह गाढ़ दिया गया। इस दुर्घटनासे पेशावरमें बड़ी हलचल मची हुई है। खिलाफत हिजारत कमेटी उत्तेजनाको शान्त करनेकी पूरी चेष्टा कर रही है। इर्वीकि प्रान:- काल प्रायः सभी दूकानें बन्द थीं। इस घटनाकी जांच हो रही है।”

पेशावरसे जमकद बहुत दूर नहीं है। केवल कुछ आने किराये लगते हैं। इस कुछ आनेके लिये उन चिना टिकटके महाजहीनोंको गाड़ीसे उतारनेकी सेनिक पुलिसकी चेष्टा उचित नहीं थी। यह तो पहलेसे ही अनुमानित था कि दलके दल महाजरीन इस मामलेमें हस्तक्षेप करेंगे। परिणाम यह हुआ कि दड़ान हो गया। एक ब्रिटिश अफसरको भाला लगा। इसपर गोली चली और महाजरीन मारे गये। क्या इस घटनासे ब्रिटिशकी मर्यादा किसी तरह बढ़ी? जब सरकारने देखा कि धर्ममें मतवाले होकर लोग इस तरह प्रवास करनेपर उतार हो गये हैं और अपना घर छोड़कर विदेशोंमें जा रहे हैं तो उसे उचित था कि सीमा प्रान्तका रक्षाके लिये कुछ चतुर और दूरदर्शी अफसरोंको रख देतो। इस दुर्घटनाका समाचार—कि अंग्रेजोंने गोली चलाई और महाजरीन इसके शिकार बने—धीरेधीरे चारों ओर फैल जायगी बल्कि लोग इसमें और भी निम्न मिर्च लगाकर सुनावेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि मुसलमानोंमें जो असन्तोष बढ़ रहा है वह और भी द्रुतगमी होगा। सूचना पत्रमें लिखा है कि सरकार इस मामलेकी जांच कर रही है। हमें आशा करनी चाहिये कि पूरी तरहसे जांच की जायगी और सरकार ऐसा प्रबन्ध कर देगी जिससे भविष्यमें इस तरहकी घटनायें न हुआ करेंगी।

जो लोग असहयोगके विरोधी हैं उनसे हमें इस स्वलपर यही कहना है कि या तो असहयोगको स्वीकार कीजिये या इस

प्रकारको कोई दूसरी युक्ति दूंढ़ निकालिये नहीं तो आपको इसी प्रकारकी अनवस्थित अवस्थामें रहकर इस प्रकारको दुर्घटनाओंका सामना करना पड़ेगा, जिनका असर अहात है पर जिनका फैलना नहीं रुक सकता ।

—:o:—

श्रीअण्डरूजकी कठिनाई ।

—: #: —

(जुलाई २१, १९२०)

भारतमत्त श्री अण्डरूजको कौन नहीं जानता होगा । भारतके लिये उनकी भक्ति अनुलनीय है । श्रीयुक्त अण्डरूज मानव समाजकी सेवाके लिये ही उत्पन्न हुए हैं । भारतीयोंसे उनकी विशेष ममता है । उनकी भलाईके लिये वे तनमनसे लगे रहते हैं । खिलाफत आन्दोलनपर उन्होंने बास्त्रे क्रान्तिकर्तमें कई एक लेख लिखे हैं । उन्होंने इटाली, फ्रांस और इंग्लैण्डकी जूद लानत मलामत की है । उन्होंने दिखलाया है कि तुकाँके साथ किनना भीषण अन्याय किया गया है और प्रधान मन्त्रीके बचन किस तरह तोड़े गये हैं । अन्तिम लेखमें उन्होंने उन वत्रकी समीक्षा परीक्षा की है जिसे मिस्टर मुहम्मद अलीने सुलतानकी सेवामें लिखा था । श्रीअण्डरूजने यह दिखलानेकी चेष्टा की है कि

सिलाफत डेपुटेशनने बड़े लाटके पास जो मेमोरियल भेजा है उसकी मांगों न्यायपूर्ण हैं पर मुहम्मद अलीने जो पत्र भेजा है उसमें इनसे विरोधी भाव हैं।

इस प्रश्नपर मैंने श्रीयुक्त अण्डकज्जके साथ पूर्णरूपसे विवाद किया। उनकी इच्छा है कि मैं अपनी स्थितिको वहलेकी अपेक्षा और भी साफ कर दूँ। उनके इस विवादका एकमात्र अभिप्राय यही था कि वे मुसलमानोंको मांगको उचित समझते हैं इसलिये विवाद द्वारा वह उसे और भी दृढ़ कर देना चाहते हैं जिससे इहूलैएड और विशेषकर मित्र राष्ट्र शर्म खाकर भी सन्धि शर्तोंपर पुनः विचार करें।

इस विषयमें मैं श्रीयुक्त अण्डकज्जका निम्नवर्ण सहर्ष स्वीकार करता हूँ। सफाईके लिये मैं इतना लिख देना आवश्यक समझता हूँ कि मैं धर्मके उस सिद्धान्तको स्वीकार करनेके लिये तैयार नहीं हूँ जिससे दिल न भरे और जो सदाचारकी विरोधी हो। यदि सदाचारके प्रतिकूल न हो तो मैं अनुचित धार्मिकताके भावको भी स्वाकार करनेको तैयार रहता हूँ। मैं सिलाफतके प्रश्नको उचित और न्याययुक्त समझता हूँ। इसके साथ ही साथ इसका समर्थन मुसलमानोंकी धार्मिक सिद्धान्तोंद्वारा भी होता है, इसलिये इसकी शक्ति और भी मजबूत हो जाती है।

मेरी समझमें मिस्टर मुहम्मद अलीके विचार सर्वथा ठीक हैं, उसमें एक भी अधिक शब्दका समावेश नहीं है। इसमें

कोई ऐसे शब्द नहीं हैं जिससे उनका पत्र गृह नीतिहता पूर्ण-प्रतीत हो। पर जबतक किसी वस्तुका भाव स्पष्ट है तो मैं केवल शब्दोंकी जटिलताके लिये कोई उल्टा खड़ा करना उचित नहीं समझता।

श्रीयुक्त अखण्डरूपका कहना है कि मिस्टर मुहम्मद अलीके पत्रसे साफ़ चलकता है कि वे यह नहीं चाहते कि आमेनिया और अरबवालोंको स्वाधीनता दी जाय। पर मेरी समझमें उस पत्रमें इस भावके एक भी शब्द नहीं है। जहाँतक मेरी समझमें आया है उन्होंने यही लिखा है कि 'मैं इङ्ग्लैण्ड तथा अन्य शक्तियोंकी उस बेशर्मीकी कोशिशका हृदयसे विरोध करूँगा जो उन्होंने आत्मनिर्णयके नाम पर तुर्कोंको छिप भिज तथा पढ़ बनानेमें किया है।' सारे मुसलमानोंने तथा उनके साथी हिन्दूओंने भी यही अभिप्राय समझा है। यदि इस्लाम धर्मके मरम्भे अभिप्रायको मैं समझ सका हूँ तो मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि वह धर्म परम उदार है। इसलिये यदि आमेनिया और अरेबिया तुर्कोंसे स्वतन्त्र होना चाहते हैं तो वह स्वतन्त्रता उन्हें अवश्य प्राप्त होगी। अरबोंको पूर्ण स्वाधीनता दे देनेका अभिप्राय यह है कि खिलाफतका अधिकार किसी अरबी सरदारके हाथों सौंप दिया जाय। इस अभिप्रायमें अरेबिया मुसलमान राज्य कहलावेगा, केवल अरबी नहीं। जबतक अरबवाले मुसलमान होनेसे इनकार न करें अरेबिया पर उनका शासन मुसलमानोंके प्रतिकूल नहीं हो

सकता। मुख्यमान धर्मके अनुसार समस्त मुख्यमान तोर्थधर्मोंके अध्यक्ष खलीफा होंगे। इसलिये उन अंत्रोंमें जानेके जो मार्ग हैं उनपर भी उन्हींका अधिकार हाना चाहिये। यदि संसारकी समग्र शक्तियां उनपर आधार करना चाहें तो उनकी रक्षाकी उनमें (खलीफामें) शक्ति हानी चाहिये। यदि इस बातकी तुर्कीवे सुलतानसे अधिक योग्यता अरबके किसी सरदारमें दिखाई देती है तो इसमें किसी तरहका सन्देह नहीं कि वह खलीफा बना दिया जा सकता है।

यह सर्व साधारणको विदित है कि स्मर्ण, धूस तथा अङ्ग्रियानोपुल तुर्कोंसे बेइमानीके साथ ले लिये गये हैं और सीरिया तथा मेसापोटामियामें बिना किसी विचारके संरक्षकता जारी की गई है और ब्रिटिशकी छत्रछायामें उन्हींका एक चुनिन्दा हैजाजका शासक बनाया गया है। यह स्थिति अन्यायपूर्ण और इसलिये असह्य है। आमेनिया तथा अरेबियाके प्रश्नके अतिरिक्त इस बातकी नितान्त आवश्यकता है कि इन बेइमानियों तथा संकीर्णताओंके कारण सन्धिको शर्तों पर जो काला धब्बा लग रहा है उसे मिटा देना नितान्त आवश्यक है। जिन लोगोंसे इन प्रश्नका सम्बन्ध है यदि उनकी सदिच्छाओंको पूरी करनेकी आशा दे दी जाय तो आमेनिया तथा अरेबियाका प्रश्न अति सहजमें हल हो सकता है।

तुर्कीका प्रश्न ।

(जून २५, १९१६)

यदि हम अपने मुसलमान भाइयोंकी सदिच्छा चाहते हैं तो हमें यही उचित है कि इस संकटके समय जबकि युरोपमें तुर्कों राष्ट्रीयताको मटियामेट करनेका प्रयत्न हो रहा है हम उनका साथ दें । यह नितान्त दुःखकी बात है कि इस प्रयत्नमें ब्रिटनका सबसे अधिक हाथ है । हिन्दुओंको मुसलमान धर्मसे किसी बातका भय नहीं होना चाहिये । न तो उनकी इस्लामिक स्पर्धा भारतीयों—विशेषकर हिन्दुओंके—लिलाफ है और न हो सकती है । मुसलमानोंका कर्तव्य है कि वे प्रत्येक मुसलमान राज्यके साथ सहानुभूति रखें और यदि उनपर किसी तरहकी विपत्ति आवे तो यथाशक्ति उनको सहायता करें । और यदि मुसलमानोंके साथ हिन्दुओंकी सज्जी सहानुभूति है तो उन्हें भी उनका साथ देना चाहिये । इसलिये हमारा कर्तव्य है कि हम लोग इस समय मुसलमानोंका साथ दें और युरोपीय तुर्कोंका नाश तथा लोप होनेसे बचाएं ।

मुसलमान इस बातसे भयभीत हैं कि कहीं ब्रिटिश अंगोराके लिलाफ यूनानियोंका साथ न दे । पर हिन्दुओंको इससे घबराना नहीं चाहिये । यदि ब्रिटन इतना पागल हो जायगा कि वह

तुर्कोंके खिलाफ यूनानियोंको सहायताके लिये तेयार हो जायगा ता इसमें भारत उसका किसी भी प्रकारसे साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इसका अभिप्राय इस्लाम धर्मसे खुल्मखुल्मा युद्ध करना होगा ।

इस समय इङ्ग्लैण्डके लिये विचारणीय समय उपस्थित है । उसे भली भाँति समझ लेना चाहिये कि अब वह आगृत मुसलमानोंको दास बनाकर नहीं रख सकता । यदि भारतको साम्राज्यमें बराबरकी हैसियतसे रखना है तो उसे मत देनेका सबसे अधिक अधिकार मिलना चाहिये । स्वतन्त्र राष्ट्रका एक सदस्य यदि यह देखता है कि इतर सभी बुरे मार्गपर जा रहे हैं तो उनमें सम्बन्ध तोड़ देनेकी उसे उसी प्रकार पूर्ण स्वतन्त्रता है जिस प्रकार उसे उसमें तबतक रहनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता है जबतक वह देखता है कि सभी सदस्य किसी निर्दिष्ट सिद्धान्तको पूरी तरह पालते जा रहे हैं । यदि भारतने मत देनेमें भूल की तो इङ्ग्लैण्ड उसका साथ छोड़ सकता है । इसलिये यदि भारतकी स्वतन्त्रता स्वीकार की जाती है तो समताका केन्द्र इङ्ग्लैण्डको न होकर भारतको होना चाहिये । साम्राज्यके अन्तर्गत स्वराज्यसे मेरा यही अभिप्राय है कि किसी भी तरहके निर्णयमें पशुबलकी चर्चा न होनी चाहिये । सदा बुद्धिबलकी सहायता ली जानी चाहिये, नलवारकी चर्चा न होनी चाहिये ।

जो बात इङ्ग्लैण्डके साथ है वही भारतके साथ है । उसे भी अपनी अवस्थापर विचार कर लेना चाहिये । आज हम इस

केवल आशासे स्वराज्यके लिये संघर्ष हो रहे हैं कि अन्तीगतवा इडलेएड सभा साबित होगा और अपने बच्चनको पूरा करेगा। पर यदि उसने दगा किया तो हम पूर्ण स्वतन्त्रताकी चेष्टा करेंगे। पर जब यह बात भली भांति प्रगट हो जाय कि ब्रिटन तुकोंके नाशके लिये तुला है तो भारतीयोंके लिये केवल पूर्ण स्वधीनना प्राप्त करनेका ही मार्ग खुला रहता है। और जब तुकोंका भविष्य पक्कदम अन्धकारमें डाल दिया गया है, उसकी स्थिति डार्वांडोल हो रही है पेसे समयमें मुसलमानोंके लिये तो एक दम भी पीछे रहनेका अवसर नहीं है। यदि उनकी शक्तिमें होगा तो वे तलवार उठा लेंगे और बहादुर तुकोंका साथ देकर या तो चिजयी होंगे या कट मरेंगे। पर यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया—जिसकी ब्रिटिश सरकारकी नोतिके कारण सम्भावना है—तो वे उस सरकारके साथ अपना सम्बन्ध तोड़ देंगे जो इस प्रकार नीचताके साथ तुकोंसे युद्ध ठान रही है। हिन्दुओंका कर्तव्य भी निर्दिष्ट है। यदि हमें अब भी मुसलमानोंसे भय है और उनमें अविश्वास है तो हमें ब्रिटनका साथ देकर अपनी दासताकी बेड़ीको और भी कड़ी करवा लेनी चाहिये। यदि हम लोग काफी साहसी और धार्मिक हैं कि अपने देशभाइयों, मुसलमानोंसे हम नहीं डरते, और यदि उनमें विश्वास करनेकी दूरदर्शिता हममें है तो हमें मुसलमानोंके साथ पूर्ण मेलके साथ काम करना चाहिये और भारतकी स्वतन्त्रताके लिये जितने भी शान्तिमय मार्ग हों सबका अनुसरण उनके साथ करना चाहिये।

हिन्दुके लिये भारतकी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिये—चाहे वह मास्त्राज्यके भीतर हो या बाहर—शान्तिमय असहयोगके मिथा और कोई उपाय नहीं है। यदि भारतको अहिंसाको दुर्जय तथा अदम्य शक्तिका पता लग जाय और वह उसे प्रहण कर ले नो आज ही उसे औपनिवेशिक स्वराज्य मिल सकता है। जब उसने अहिंसा भली भाँति अभ्यस्त कर लिया है तब वह असहयोगको सर्वांग स्वीकार कर सकता है अर्थात् मालगुजारी देना भी बन्द कर दे सकता है। भारतवर्ष आज तैयार नहीं है पर यदि वह तुर्कोंके नाश करनेके सभी तरीकोंको छिन्न मिछ करनेके लिये तैयार होना चाहता है, अथवा उसकी दासताको और भी कठोर करनेके लिये जितने तरीके काममें लाये जाये उन्हें नष्ट करनेके लिये तैयार होना चाहता है तो उस अति शीघ्रताके साथ शान्तिमय अहिंसाके मन्त्रमें दीक्षित होना चाहिये। पर इसमें इसकी किसी तरहकी हीनता नहीं प्रमाणित होगी उल्टे इसकी महत्त्व प्रमाणित होगी कि दूसरोंकी हत्याके बनिस्वत उसने अपना प्राण गंवाना ही उचित समझा।



खिलाफतका अर्थ

— : * : —

(सितम्बर ३, १९२१)

हमारे पास वारों ओरसे पत्रपर पत्र आ रहे हैं जिनमें खिलाफतको मार्ग लटेपर मुझे कड़ी चेतावनी दी जा रही है। न्यू जीलैंड के एक मित्रने मेरे पास लिखा है : —

“ x x x x x मेरेक्षता हूँ कि आप भारतके लिये एक विचित्र प्रश्न हैं कि कैसे फेरमें पढ़े हैं। इसको हल करनेमें आप उम्मीद की अनुशासन कर रहे हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता। x x x x x मेरे हृदयमें कुछ भाव उठ रहे हैं जिनके लिये आपकी सेवामें लिख रहा हूँ। सम्भव है कि आप मेरी जानकारी पूरी न हो, इसलिये यहाँ मैं भूल रहा हूँ कि मत्रीके नाते आप मुझे क्षमा कर सकते हैं। मृत्यु के अनिश्चय दुःख हुआ कि आप तुकीके हक्कोंके प्रति भावलाकतके प्रश्नको राजनीतिक रूप देकर भर रखें। शामनको पंगु तथा निर्बल बनानेका प्रयत्न कर रहे हैं यूनान, बलगेरिया, तथा आर्मेनियाके साथ जारी किया है उसके लिये उसे समुचित दण्ड केवल ईश्वर दरबारमें ही मिल सकता है। मैं इस बातको जाननेके लिये उत्सुक हो रहा हूँ कि भारतीय मुसलमानोंने

खिलाफत कांफरेंसोंमें तुकांके उन अत्याचारोंकी किन शब्दोंमें निन्दा की और अमेनिया सदृश शान्त, परिश्रमी तथा उद्योगी जातिको मटियामेट कर देनेके लिये तुकांने जो प्रयत्न किया था उसमें अपनी अप्रसन्नता प्रगट की । विना किसी कारणके केवल देश ग्रेमके लिये आमेनियावालोंका जो रक्त बहाया गया है उसके लिये ईश्वरके दरबारमें तुकांको जबाव देना पड़ेगा । क्योंकि वह सबकी देखरेख किया करता है और उससे छिपाकर एक सूतका पतला धागा भी नहीं हिलाया जा सकता । तुकांका आजतक-का इतिहास केवल लूटपाट और हत्याका इतिहास है । तो क्या ऐसी जातिको सर्वधा अयोग्य ठहराकर उसके हाथसे अधिकार छीनकर उसे निकाल देना उचित नहीं है ? यदि राजनीतिक अधिकारका प्रयोग न्याय, स्वतन्त्रता तथा सद्भावकी आपनाके लिये न होकर उसका प्रयोग दूसरोंके दबाने, सताने तथा नेस्त-नाबूद करनेके तथा लूटपाट और हत्याके लिये होता हो तो क्या अन्य शक्तियोंको यह उचित नहीं है कि वे उसकी जांच करें और यदि आवश्यक हो तो शान्ति रखनेके लिये उससे अधिकार छीन लें । केवल राजनीतिक अधिकारके छीन लिये जानेसे इस्लाम धर्मके धार्मिक स्वत्व पर किसी तरहका आघात नहीं होता । यदि उसकी धार्मिक सत्तामें कुछ जोर है तो उसके भरोसे वह जीये या मरे । धर्माधिकारके साथ राज्याधिकार हमेशा हानि-कारक हुआ है । इतिहाससे यही परिणाम निकलता है । रोमन कैथलिक चर्चोंका इतिहास अभी बहुत पुराना नहीं हो गया है ।

असहयोग सिद्धान्तका क्या उद्देश्य है यह तो मैं ठीक नहीं बतला सकता पर इतना मेरी समझमें अवश्य आया है कि प्रत्येक असहयोगों सरकारी कर्मचारीका पूर्ण विरोधी है। रोम साम्राज्य इतना बलिष्ठ और बलशाली क्वावल एक दिनमें नहीं हुआ था। किसी कोई भी शासन व्यवस्था उस देशकी स्थितिके बाहर नहीं बनायी जा सकती। योड़ी देरके लिये मान लीजिये कि सारेके सारे ब्रिटिश अधिकारी आज ही अपना बोस्तिया वधना लेकर इस देशको छोड़कर चले जायं तो ऐसी दृश्यमें क्या आप सम्भव समझते हैं कि आपके देशवासी शासनका कार्य पूर्ण योग्यताके साथ चला सकते हैं और चिना किसी तरहकी गड़बड़ोंके पूरा न्याय हो सकता है? मैंने सुना है कि भारतके निवासी पुलिससे बहुत ढरते हैं और भारतीय अफसर बड़े घूसखोर होते हैं। स्वराज्य प्राप्त करनेके पहले प्रत्येक देशको अपनी राष्ट्रीयताका कोई रूप बना लेना चाहिये जिसपर वह अपना भविष्य कायम कर सके। क्या वह दिन आ गया है कि आपकी विविध प्रकारकी सामाजिक, शिक्षा संबन्धी तथा राजनीतिक शक्तियां पूर्ण तथा पवित्र हो गई हैं?

राजनीतिक आन्दोलन यदि क्रान्तिकारी हुआ तो इसमें नीच विचारके सभी मनुष्य आ मिलेंगे और यदि किसी उपायसे शासनका यन्त्र उनके हाथमें आ गया तो उसका सञ्चालन ऐसे अयोग्योंके हाथमें आ जायगा कि वे लोग उसकी नीतिको गढ़े में ढकेल

देंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि आप अपने पुराने निस्वार्थ देशाभिमान तथा न्याय प्रियताके बासनसे नहीं डिगे हैं। पर यह सर्वथा सम्भव है कि इस अवस्थामें समाजमें ऐसी शक्तियां उत्पन्न हो जायं जिनके साथ आप बहते बहते उस अवस्थामें पहुँच जायं जहां जाकर सब्जो राष्ट्रीयता दूरका स्वप्न हो जाय। भारतवर्षमें सभी लक्षण वर्तमान हैं जो इसे दूसरा रूस, दूसरा आयलैण्ड बना दे सकते हैं, अथवा गृह कलहको जन्म देकर अन्तर्जातीय रक्षपात उत्पन्न कर दे सकते हैं। मतभेद होनेकी भी पूर्ण संभावना है। देशी राजे विरोधका झंडा खड़ा कर सकते हैं और ऐसी अवस्थामें यह भी संभव है कि ऐसी कोई भी शक्ति न रह जाय जो शान्ति स्थापित कर देशको उन्नतिके पथपर चलाती रहे और राष्ट्रीयताकी ओर देशको ले जाय। आपका मार्ग कण्ठकार्कीर्ण होगा। उनसे रक्षा पाना और बचकर आगे बढ़ते जाना ईश्वरकी सहायता पर ही निर्भर है और उसीका आपको एकमात्र सहारा है। जपतक आप जनताके मनकी धारें करते रहेंगे तब-तक तो लोग आपको पूजेंगे, हर तरहसे आपकी इज्जत करेंगे यहां तक कि आपको हथेली पर उठाये फिरेंगे पर जिस दिन आपने उनके सामने ईश्वरके उन अटल नियमोंको रखा और उनके पालनेकी मन्त्रणा दी उसी दिन वे किनारा करेंगे और कहेंगे, 'इसे फांसी पर चढ़ा दो, इसे दूर करो।' आप भूल न गर्य होंगे। इतिहासमें आपसाही एक दूसरा व्यक्ति भी हो गया है। उसने अटल रहकर ईश्वरीय सिद्धान्तोंका प्रचार किया पर

लोगोंने उसे स्वोकार नहीं किया। उसकी इच्छा परम पवित्र थी, उसका आवार भी आत्मा थी, उसकी व्यवस्था स्वर्गीय थी, पर उसे मरना पड़ा। पर ईश्वरने उसे अपनी गोदमें ले लिया। उसके प्राण त्यागको ही सर्व प्रधान स्थान दिया, उसे संसारका उद्धारक माना।

सबसे बड़ी आवश्यकता प्रखर बुद्धि, दूरदर्शिता और राजनीतिज्ञताकी है। आपने अद्वाहम लिंकनका जीवन चरित अवश्य पढ़ा होगा। आपको उनकी दिव्य दृष्टि, अटल सचाई उदारता, नम्रता, मनुष्यत्व तथा रसिकताका पर्याप्त प्रमाण मिल होगा।

मैं अपने मित्रोंसे बहुधा कहा करता हूँ कि यदि आपको महात्मा गांधीके पक्षकी बातें सुननेका अवसर मिले और यदि आपको यह विदित हो जाय कि वर्तमान व्यवस्थामें भारतके साथ किस तरहका अन्याय हो रहा है, तब आपको विदित हो जायगा कि उनका विरोध उचित और सङ्गत है।

प्रश्न यह है कि भारतकी वर्तमान बुराइयोंको दूर करनेका सबसे उत्तम उपाय क्या है? हड़ताल और हिंसासे उत्तेजना फैलती है, और बहुधा यह भी देखनेमें आया है कि असन्तोषके साथ जो उत्तेजना फैलती है उसका प्रभाव अपने लिये भी हानिकर होता है। यदि सङ्घाव, मेल और शान्तिके साथ ऊपर उठना है तो सुधार किसी निर्दिष्ट सङ्घर्षके अनुसार ही होगा। क्रान्तिके द्वारा उन्नति पाना शनैः विकासकी कोटिमें नहीं आ

सकता। इतने दूर रहकर मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। केवल ईश्वरसे यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपकी रक्षा करे, आपको सत्त्वमार्ग पर ले चले और आपको भारतके कल्याण और उद्धारका साधक बनावे।”

इस पत्रके लेखककी सदुभावनामें किसी तरहकी आशंका नहीं की जा सकती। मेरे ये मित्र कहर ईसाई हैं और ईश्वरके अनन्य भक्त हैं। पर जिन्हें तुकोंकी अवश्याका सच्चा ज्ञान है वे भलीभांति समझ सकते हैं कि तुकोंके विषयमें मेरे मित्रके भाव पक्षपातसे भरे हैं। आमेनियावालोंको जो उपमा उन्होंने दे दी है उससे स्पष्ट है कि वे इस सम्बन्धमें अधिक जानकारी नहीं रखते। पर इस लिये उन्हें दोष देना निरर्थक है। विदेशी सभी समाचार पत्र तुकोंके विषयमें सच्ची बात कभी भी नहीं लिखते। इससे उन समाचार पत्रोंके पढ़नेवालोंको स्थितिका सच्चा पता कभी नहीं लगता। सभी अंग्रेजी पत्र एक ही सुरमें अलापते हैं। ईसाई धर्माध्यक्ष इन तुकोंके जानी दुश्मन हैं। इनके पत्रोंमें जो बातें लिखी जाती हैं वह तुकोंके स्वार्थमें भीषण चोट पहुँचानेवाली होती हैं। जिस उदारताकी शिक्षा सन्त पालने इतने जोरके साथ दी थी, वह उदारता ईसाई लोग भूल जाते हैं जब वे तुकोंके सम्बन्धमें अपने पत्रोंमें लिखने लगते हैं। उनका मत है कि तुकोंको ईश्वरने केवल इसलिये पैदा किया है कि वे लगातार सताये और जलाये जायें। यही संकुचित विचार न्याय और ईमानदारीका मार्ग रोककर खड़ा है।

आमेनिया तथा यूनानियोंके साथ तुकीने जो अत्याचार किया है उसके लिये मैं तुकींका समर्थन करनेके लिये तैयार नहीं हूँ। तुकींकी बदइलजामी और कुशासनको भी मैं इनकार नहीं करता। पर क्या यूनानियों और आमेनियोंके माध्येपर इस कलदृक्का हलका ठीका है? और इसके अतिरिक्त खिलाफतकी रक्षा केवल एक सिद्धान्तकी रक्षा है। पोपोय सम्प्रदायका समर्थन करनेके लिये केवल एक दो पोपके विषयमें कुछ कहने या लिखनेसे काम नहीं चल सकता। इससे पोपके सम्प्रदायका समर्थन या विरोध नहीं हो सकता। तुकींके कुशासनका जिस तरह चाहिये विरोध कीजिये उसके प्रतीकारका उचित उपाय निकालिये पर केवल इस कारणसे यूरोपसे इस्लाम धर्मको खोद फेंकना अनुचित है।

एक बात और भी है जर्मन आदि शक्तियोंकी हारको इस्लामके नाशमें प्रयुक्त करना और भी बुरा है। क्या विगत यूरोपीय युद्ध इस्लाम धर्मके प्रतिकूल युद्ध था जिसमें भाग लेनेके लिये भारतके मुसलमान बुलाये गये थे। यह कहना कि मुसलमान जिसे चाहें अपना धार्मिक अध्यक्ष बना सकते हैं पर उन्हें तुकींके छिन्न भिन्न करनेमें किसी तरहका हस्तक्षेप करनेका अधिकार नहीं है, खिलाफतके महत्वकी अज्ञानताका प्रमाण है। मुहम्मद पैगम्बरके धर्मका रक्षक खलीफाही हो सकता है। इसलिये यदि किसी व्यक्तिमें संसारके विद्रोहके मुकाबिले इस्लाम धर्मकी रक्षाकी

योग्यता नहीं रह गई तो वह खलीफाके पक्षके योग्य नहीं रह गया। केवल भावमें जो चाहे इस सिद्धान्तकी चरितार्थता पर बोल ले या विवाद कर ले पर व्यवहारमें इसके प्रतिकूल कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन्हें ऐसे युद्धमें नहीं प्रवृत्त था जिसका उद्देश्य इस्लाम धर्मका नाश करना हो। ऐसी अवस्थामें इन्हें इस्लामियोंके साथसे अलग करना होगा जो इसके प्रतिपादक है।

क्या वास्तवमें किसी धर्ममें केवल इसलिये बुराई आ सकती है कि उसका आधार अधिकार है? यदि व्यवहारिक दृष्टिसे 'देखें' तो क्या यह नहीं कह सकते कि ईसाई धर्मका विकास केवल अधिकारके बलपर बुआ है। और हिन्दू धर्मको ही ले लीजिये। क्या भारतके प्राचीन राजे महाराजे धर्मके रक्षक नहीं होते थे? क्या उन्होंने समय समय पर धर्मका उद्धार सङ्कटसे नहीं किया था?

जिन लोगोंका (ईसाईयोंका) विचार मेरे उपरोक्त मित्रकी भाँति है उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग धर्मका अटल सिद्धान्त समर्झकर खिलाफतकी रक्षाके लिये प्रस्तुत हो जाइये। असहयोगका यह युद्ध अधर्मके साथ धर्मका युद्ध है।

मेरी आत्मा इस विषयमें छढ़ है। मेरा ध्येय न्याय है। मैं किसी धोखेवाजी या अन्यायका समर्थन करनेके लिये नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साधन भी संगत हैं। इस युद्धमें सचाई और अहिंसा यही मेरे दो अल्प हैं और आत्म पीड़न मेरी सचाईकी कसौटी है।

खिलाफतका प्रश्न।

(दिसम्बर ३, १९१६)

खिलाफत कान्फरेंसने खिलाफतके प्रश्नका पूरी तरहसे दिग्दर्शन करा दिया है। अब मुसलमानोंकी भयानक स्थितिका उन लोगोंको भी कुछ पता लगने लग गया है और वे भी इसे न्याययुक्त तथा संगत मानने लग गये हैं जो अब तक इसे या तो स्वीकार नहीं करते थे या इस प्रश्नपर पूर्ण उदासी-जता दिखलाते थे। टाइम्स आफ इण्डियामें इस प्रश्नपर कई लेख निकले हैं। इन्हें खिलाफतके प्रश्नपर विचारवान और शिक्षित ईसाइयोंका स्थिर निर्णय समझना चाहिये। इन्हें पढ़नेसे स्पष्ट हो जाता है कि अब तुर्कीके मामलेमें ईसाइयोंका मत भी बहुत बदल गया है। तुर्कीके प्रश्नपर मत प्रगट करनेका अंगलो इण्डियन पत्रोंका यह प्रथम प्रयास समझना चाहिये। यद्यपि इनमें अधिकांश उन्हीं वातोंकी चर्चा है जो तुर्कीके खिलाफ युद्धके समय कही जाती थीं तथापि इनकी पूर्णतया परीक्षा करना उचित है नहीं तो यही पत्र इस वातका भी शोर गुल मचाने लग जायगा कि खिलाफतके हिमायतियोंके पास अपने मतके समर्थनका कोई साधन नहीं है। हम सबसे पहले उनके इतराजोंको लिखते हैं :—

(१) यह कहना निराधार है कि तुर्कोंको सबसे कड़ा दण्ड दिया जा रहा है और उसका राज्य छिन्नभिन्न किया जा रहा है। इस सम्बन्धमें अन्य दुश्मन राज्योंकी दशा भी ठीक इसी तरहकी है। प्रमाण स्वरूप अस्ट्रिया हड्डरीका राज्य के लिये ।

(२) तुर्कोंके भविष्यका निपटारा मित्रता ट्रॉके हाथमें रहेगा इसके निपटारेमें वे धार्मिकता तथा उदारतासे काम न लेकर राष्ट्रीयता राजनीतिज्ञता और उपयोगितासे काम लेंगे ।

(३) प्रधान मन्त्रीने जो वचन दिया है उसके आधे भागके पाले जानेके लिये तो इतना जोर दिया जा रहा है पर आधेकी परवा नहीं की जा रही है। जैसे, तुर्कोंके सम्बन्धमें तो कहा जा रहा है कि तर्केके साथ काम लेना चाहिये और तुर्कोंका प्रश्न राष्ट्रीयता तथा नीतिके अनुसार हल किया जाना चाहिये पर जब अरबवालोंका प्रश्न आता है तब उसी न्यायप्रियता और राष्ट्रीयताके नामपर लोग बगले भाकने लगते हैं ।

(४) तुर्कोंके शासनका परिणाम हर स्थान पर चुरा निकला है ।

अब पहले एतराजपर विचार कीजिये । इन लेखोंके लेखकने इस बातपर किसी तरहका एतराज नहीं उठाया है कि तुर्कोंको अधिक दण्ड दिया गया है । एक तरहके उन्होंने इस बातकी स्वीकार किया है । उनका कहना यह है कि

तुर्कोंके हिमायतियोंने इस बातको स्वीकार किया है कि इस सम्बन्धमें अस्ट्रिया हड्डरीको जितना दण्ड दिया गया है उसके अनुमानसे तुर्कोंका दण्ड कहीं कम है। उस पत्रने अपने अग्र लेखमें और भी आगे कदम बढ़ाया है और खिलाफत कॉनफरेंसमें महात्मा गान्धीने जो बातें कहीं थीं उनसे कुछ परिणाम निकाला है। पर वह परिणाम क्या है? वह साम्राज्य जिसमें प्रायः ५ करोड़ मनुष्य रहते हैं और जिसका क्षेत्रफल प्रायः २६०,००६ बर्ग मील है, एक दमसे छिन्न भिन्न कर दिया गया और उसमेंसे बड़े बड़े टुकड़े भिन्न भिन्न जातियोंको दे दिये गये। पर एक बात है। अस्ट्रिया हड्डरीके साथ तुर्कोंका मुकाबिला करनेमें एक बात छोड़ दी जाती है और वह यह है कि जातीयताकी हैसियतसे दानों साम्राज्योंकी अवस्थामें घोर अन्तर है। अस्ट्रिया हड्डरी साम्राज्य भिन्न भिन्न जातियोंका सम्मिश्रण है। उसमें प्रायः एक करोड़ जर्मन हैं, उतने ही भगियासं हैं, ८०लाख जेको हैं, ४० लाख पोल हैं, २० लाख यहूदी हैं और उसी प्रकार सर्विया, रूमेनिया, कोटिया, तथा अन्य जातियां हैं। पर तुर्कों साम्राज्यकी जातीयता एक है जिसमें किसी तरहका विच्छेद नहीं किया जा सकता। यूरोपमें तुर्कोंका जो कुछ शेष रह गया है उसमें अधिकांश संख्या तुर्कोंकी हो है और एशियाई तुर्कोंमें तो मुसलमानोंका हो बोल बाला है। इस अवस्थामें एक जातिके लोगोंको छिन्न भिन्न करके भिन्न दलमें बांटना और

भिन्न भिन्न जातियोंको तोड़कर अलग कर देना समान नहीं है। यह बात वार वार दृढ़ताके साथ कही जाती है कि तुकों साम्राज्यको जिस तरह मनमें आवे तोड़ दीजिये। उसके टुकड़े टुकड़े करके सैकड़ों हिस्से बना डालिये। पर स्मरण रखिये कि प्रत्येक भाग आपको अपना शत्रु समझेगा और सदा पुनः एकमें मिल जानेकी चेष्टा करता रहेगा। एक बात और भी यहीं समझ लेने की है। आस्ट्रिया हंगरीको इस तरहसे तोड़ा गया है कि प्रत्येक भाग उन्हीं जातियोंके हाथमें आ गया है जो जातीयता और धार्मिकतामें एक हैं। पर तुकोंके छिन्न भिन्न करनेसे यह बात नहीं हो सकती। इससे तुकोंके छिन्न भिन्न करनेमें जो अन्याय है उसका पता सहजमें ही लग जाता है। तुकोंका बटवारा इस प्रकारसे किया जा रहा है जिससे उसके खण्ड उन ईसाई राजाओंके हाथमें आ जायें जो तुकों साम्राज्यको लोलूप दृष्टिसे देख रहे हैं। पर यदि ईसाई धर्मके अनुसार ईसाईयोंके ऊपर मुसलमानोंका शासन ईश्वरका कोप समझा जाता है तो क्या मुसलमानोंपर ईसाईयोंका शासन उसी दृष्टिसे नहीं देखा जा सकता। अन्तमें यदि योड़ी देरके लिये मान भी लिया जाय कि आस्ट्रिया हंगरीके साथ भी उसी तरह पूर्ण निर्दृश्यताका व्यय-हार किया जा रहा है और उसे भी तुकोंके समान ही दण्ड दिया जा रहा है तो इससे तुकोंके साथ किये गये अन्यायका प्रतिपादन नहीं हो सकता क्योंकि एक अन्यायका समर्थन करने-के लिये दूसरे अन्यायका उदाहरण कभी भी लागू नहीं हो सकता।

(२) दूसरे हत्तराजमें कोई विशेष दम नहीं है इसलिये उसका निपटारा सहजमें ही किया जा सकता है । अमरीकाके विषयमें तो ये बातें नहीं कहीं जा सकतीं । तब कौन शक्तियाँ रह गईं जिनकी गणना मित्राध्यक्षोंमें रह जाती है ? सम्मवत उत्तर मिलेगा फ्रांस और इङ्ग्लैण्ड । प्रत्येक मुसलमानका यह विश्वास है कि इस युद्धमें तुर्कोंका जानी दुश्मन फ्रांस न होकर इङ्ग्लैण्ड हो रहा है । जिस राष्ट्रीयता, राजनीतिज्ञता और उपयोगिताके सिद्धान्तकी धोषणा की जा रही है उसका आधार कदाचित ब्रिटनके ध्यानमें वे ही बातें हो जिनकी चर्चा रूसके जारने की थी । पर प्रधान मन्त्रीने अपनी धोषणामें अधिकारके साथ कहा था कि मैंने उस अनुपयोगी नीतिका त्याग कर दिया है । ऐसी अवस्थामें प्रधान मन्त्रीकी बातोंमें मुसलमानोंको विश्वास कर लेना स्वाभाविक था ।

(३) इस प्रश्नसे हम लोग प्रधान मन्त्रीकी प्रतिज्ञापर एक बार पुनः आते हैं । टाइम्स आफ इंडिया पत्रके संचादकाताने प्रतिज्ञाके जिन दो अंशोंको उद्धृत किया है उनमें किसी तरहका विरोधभास नहीं देखनेमें आता । राष्ट्रपति विलसनके १४ सूत्रोंमें से यारहवें सूत्रमें दोनों बातें आ जाती हैं । उसमें लिखा है:— तुकों साप्राज्यका जो अंश इस समय तुकोंके हाथमें है वह उन्हें सुरक्षित मिल जाना चाहिये । पर अन्य जो जातियाँ इस समय तुकोंके अधीन हैं उनके जानमालकी रक्षाका प्रबन्ध तथा उनकी आधारहित उन्नतिकी व्यवस्था कर देनी चाहिये । और दरेंद्रानि-

याल सदाके लिये खतन्त्र जलमार्ग बना दिया जाना चाहिये जिसकी देखरेख अन्तर्राष्ट्रीय सभाके हाथमें हो और संसारके सभी राष्ट्रोंके व्यवसायिक जहाज़ पूर्ण खतन्त्रताके साथ उसमेंसे आ जा सकें।

इसमें प्रधान मन्त्रीकी प्रतिज्ञाओंका पूरी तरहसे समावेश है और मुसलमानोंने इसमें पूरा विश्वास किया था। इसलिये मुसलमानोंपर यह दोषारोपण करना व्यर्थ है कि उन्होंने एक अंशपर तो अधिक जोर दिया और दूसरे अंशको एकदम छोड़ दिया। टाइम्स आफ इण्डियाका संचादकाता लिखता है कि प्रधान मन्त्रीने अभी हालमें ही गिर्ड हालमें जो भाषण किया है वह उनकी प्रतिज्ञासे भी अधिक आशाप्रद है। हम लोग भी यही कहते हैं कि वह आगे बढ़ गया है क्योंकि इस भाषणमें उन्होंने तुकोंके कुशासन और अनाचारोंको जो चर्चा की है उससे उनकी प्रतिज्ञाका अभिप्राय ही बदल जाता है और यदि उससे नई वातें न प्रगट हुई होतीं तो भला मिस्टर बोनरलाको यह कहनेका अवसर क्योंकर मिला होता कि मिस्टर लायड जार्जने अपने जनवरी १९१८ के भाषणके किसी भी अंशको काटने छाटनेकी आवश्यकता नहीं देखी।

तीसरे हत्तराजके दूसरे भागमें कुछ जोर अवश्य है। पर उसका उत्तर भी स्पष्ट है। जहांतक अरबका सम्बन्ध है राष्ट्रीयताके सिद्धान्तकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। यदि टाइम्स आफ इण्डियाके संचादकाने इस विषयमें मुसलमानोंके मतको

जाननेकी चेष्टा की होती तो उसे विदित हो गया होता कि अरब राज्यके साथ सम्बन्ध करके मिस्टर लायड जार्जने जो कठिनाई उपस्थित कर दी थी उसका भी निषटारा हो गया। तुर्कोंके प्रश्नपर सिद्धहस्त लेखक घरवे कानिकिलके सम्पादक मिस्टर मर्मांड्यू क पिकेटहालने पहली जुलाईके अङ्गमें लिखा है—जिस तरहसे लार्ड कोमरने एक बार मेरी राय ली थी उसी प्रकार यदि हमारे शासक मेरी राय लेनेकी परवा करें तो मैं उनसे अतिनप्रभ भावसे कहूँगा कि, मेरी समझमें यदि आप साम्राज्यको अप्रतिष्ठा, वैईज्जतो और अङ्गमङ्ग होनेसे बचाना चाहते हैं तो आपका उचित है कि 'मर्यादा' को इस समय भूल जाइये और जरासा अपमान सह लीजिये। पर इससे भी सहज आपके निकासका उपाय है। आप अरबोंको एक संघमें सङ्गठित करके उन्हें स्वायत्त शासन दे दीजिये। इसके कर लेनेके बाद आपको लीग आफ नेशन्ससे इसके लिये 'मिंडेट' लेना पड़ेगा। उनकी देख रेख कौन करेगा और उनकी रक्षाका कौन जिम्मेदार होगा? तुर्कोंको लीगमें सम्मिलित करना आवश्यक है। मुसलमान लोग इस पर अधिक जोर दे रहे हैं। अरबोंकी देखरेख और रक्षाकी जिम्मेदारीका 'मिंडेट' तुर्कोंको दे दीजिये। इससे सब प्रसन्न हो जायंगे। आपकी दूरदर्शिताकी प्रशंसा करेंगे और आप इस दलदलमेंसे आसानीसे छूटकर निकल जायंगे। इसपर कितनोंका कहना है कि पेसा करनेसे तो हम लोग पुनः उसी अवस्थापर पहुँच जाते हैं जहांसे हम लोग उठे हैं और जिसका

सुधार करना चाहते हैं। नहीं, यह बात नहीं रह जाती यदि हमें विश्वास दिलानेके साथ ही साथ आप भी इस बातको स्वीकार करते हैं कि लीगका 'मैडेट' स्वतन्त्र अधिकार या स्वतन्त्र शासनसे एकदम भिन्न है। इसमें जिम्मेदारीकी 'कुछ बातें' आ जाती है। इससे यह भाव निकलता है कि इसके लेखरेखकः अधिकार लीगके हाथमें है और साथ ही साथ आवश्यकताके समय लीग द्वारा सहायताका वचन भी है।" उसके तर्कके सारको सब कोई असानीसे समझ सकते हैं यद्यपि यह सबको प्रिय नहीं हो सकता।

(४) चौथे इतराजमें कहा गया है कि तुकोंका शासन सब स्थानपर बुरे परिणाममें परिणत हुआ है। मेरा कहना है कि यह दोषारोपण सचाईके मार्गसे कोसों दूर है। अपने इस कथनके प्रामाणिक समर्थनके लिये इस लेखके लेखकने किसी हालके लिखे इतिहासके कुछ अंशको उद्धृत किया है। पर ऐसा करते समय इस लेखके लेखक महाशय यह बात भूल गये हैं कि उस इतिहासके लेखकने भी आरम्भसे लेकर अन्ततक केवल हंगरी, क्रोटिया, सर्विया, यूनान, रोमानिया, बोक्सिया तथा बल्गेरियाका रोना रोया है। उसने किसी भी पूर्वीय प्रदेशका नाम नहीं लिया है जहाँसे तुकोंके अत्याचारकी आवाज आती हो। पर यदि इम टाइम्सके संबाददाताके साथ थोड़ी देरके लिये यह बात मान भी लें कि उस इतिहासके लेखकका यही अभिप्राय था कि उसका कथन सब स्थानोंके लिये उपयुक्त है तो

क्या उसकी सत्यतापर सन्देह नहीं हो सकता ? क्या यह विद्यादप्रस्त विषय नहीं है ? यदि हम लोग मिस्टर पिकेट्हालका मत उद्भूत करें, जिनकी बातें हमारे लिये उस इतिहासके विद्वानसे कहीं प्रामाणिक हैं तो हम इस निर्णयपर पहुंचते हैं कि—तुकोंने अपनी प्रजाके पालनमें जो उदारता दिखलाई है वह यूरोपीय राष्ट्रोंको उदार नीतिसे कहीं बढ़कर है। इस विषयमें हम मिस्टर पिकेट्हालके मतको स्वीकार न कर एक ऐसे महापुरुषके मतको उद्भूत कर देना चाहते हैं जिसे टाइम्स आफ इण्डिया भी प्रामाणिक मान सकता है और जिसकी अवज्ञा नहीं कर सकता। १८७७ में पूर्वीय प्रश्न यूरोपीय राज्योंके लिये एक गम्भीर और प्रधान प्रश्न हो रहा था। उस समय ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मिस्टर ग्लैडस्टनने कहा था:—“यदि यह बात प्रामाणित भी हो जाय कि तुर्क लोग इसाई जातियोंका शासन नीतिपरायणता और पूर्ण ईमानदारीके साथ नहीं कर सकते तोभी इससे यह प्रमाणित नहीं हो सकता कि मुसलमानों या पूर्वीयों पर शासन करनेकी भी योग्यता उनमें नहीं रही। कमसे कम इस विषयपर तो तुकोंके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं कहा गया है।”

इतराजोंका उत्तर देनेके बाद अब हम इस लेखकके लेखका आरम्भ विषय उठाते हैं जिससे उसने लेखमें प्रवेश कराया है। इसमें उसने सबसे प्रधान बात (उसके मतसे) यह दिखलाई है कि तुकोंकी हार हुर्र है, अर्थात् वे इस समय विजित जाति

है और जो लोग सन्धिके शर्तोंमें व्याय और प्रतिष्ठा देखना चाहते हैं वे इस बातको सहसा भूल जाते हैं। पर इस लेखके लेखकने पूरी बातें नहीं लिखी हैं। उसकी बातें अधूरी रह गई हैं। यदि उसको हम लोग पूरा कर दें तो उसका अभिप्राय यह हो जाता है कि हम इसे मानते हैं कि तुर्कोंकी हार हुई है सही पर वह हार कहाँ हुई है? केवल युद्ध शोत्रमें। विश्वास और भक्तिके यैदानमें तुर्क आज भी उसी तरह विजयी हैं जैसे पहले थे। आज भी समस्त मुसलमान जाति खलीफा अर्धांत् तुर्कोंके साथ वही अविच्छिन्न समवन्ध रख रहा है जो पहले था। और युद्धशेत्रमें भी उसका पराजय किसके द्वारा हुआ? उसका पराजय उन्हीं मुसलमानोंकी शक्तियोंके आयोजनसे किया गया जो सम्माटकी रिआया होकर उसके पक्षमें युद्ध करनेके लिये तैयार हो गये क्योंकि उन्हें पक्का वचन दिया गया कि इस युद्धसे खिलाफतपर किसी तरहका असर नहीं पहुँचेगा। और आज जब वह देखते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया, उनके साथ चाल चली गई तो उन्हें शोभ होना सामाविक है। ऐसी अवस्थामें पहुँचकर वह उपवास बत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और अब भी आशा बनाये हैं कि जिस साम्राज्यमें हम रहते हैं, उसके द्वारा हमारे धार्मिक भावोंकी रक्षा की जायगी। अस्तु, ये बातें जो कुछ भी हों, क्या उस जातिके लिये यह कहना शोभा देता है कि तुर्क विजित राष्ट्र हैं और उनके साथ वही अवहार किया जायगा जो किसी

विजित जातिके साथ किया जा सकता है और वह व्यवहार भी बोरता तथा धोरताके नामपर न होकर व्यवसायिक लाभके लिये किया जाता है जबकि उस जातिके राजनीतिज्ञ अभी हालतक यही कहते आये हैं कि तुकोंका नाश ब्रिटनका नाश समझना चाहिये ।

टाइम्सके संवाददाता महाशयने बड़े हो सन्तोष और अभिमानके साथ जोर देकर लिखा है कि तुकोंको फ्रांस और इंग्लैण्डका कृतज्ञ होना चाहिये । जिन बातोंके लिये ये लेखक महाशय तुकोंको कृतज्ञ होनेके लिये परामर्श देते हैं उनमेंसे अधिकांश (प्रायः सभी) ऐसी हैं जो तुकोंके लाभके ख्यालसे न की जाकर फ्रांस और ब्रिटनके निजी लाभके लिये की गई हैं । और यदि हम इस बातका मान भी लें कि वे इस योग्य थीं कि उनके लिये तुकोंको इनका कृतज्ञ होना चाहिये था तो कहींसे यह बात भी नहीं खलकती कि तुक उन बातोंको पकाएक भूल गया और उनके साथ दुश्मनी कर देंगे । उस इतिहासके लेखकने लिखा है । ‘लोगोंका कहना है कि तरुण तुक जर्मनीके पक्षपाती थे इसलिये आरम्भसे ही इंग्लैण्डके दुश्मन थे । पर यह सर्वथा असत्य है । कान्तिके परामर्शमें यही भाव खलकता है कि तरुण तुके सदा अप्रेजोंके पक्षपाती थे और मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारीके आधार पर भी कह सकता हूँ कि १६१६ में तरुण तुकोंने यह अभिलाषा प्रगट की थी कि इंग्लैण्ड सम्पूर्ण तुकीं साम्राज्यका, मर्य सेनाके, दस वर्ष

तक के लिये जिम्मा ले ले और उनकी देख रेख करता रहे। पर इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग इस बातके पक्षमें थे वे हताश हो गये। और उसी निराशाको अवस्थामें उन्होंने कहा :—“उन्हें पक्षकी कोई काम करनेका साहस नहीं हो। नकता था। इन्होंने रुसका पोंछ हो रहा है। इस समय रुस तीसरी शक्ति हो रहा है। इसलिये यदि हम लोगोंको कहींसे आशा है तो जर्मनी से।... लोग कहते हैं कि तुके लोग अंग्रेजोंके दुश्मन हो गये। मच बात यह है कि प्रथमी आख्या बनाये रखनेके लिये उन्हें युद्ध करना लाचारी था। पर उन्होंने तबतक शब्द नहीं उठाया तबतक इन्होंने जारका साथ देकर उनसे खुली शब्दान्तरणीय प्रगट को क्योंकि तुकोंका मटियामेट कर देना रुमका प्रधान लक्ष्य था।

तुकोंकि विजित राष्ट्र होनेका उलाहना मुसलमानोंको बराबर कर्मा दिया जाता है। उनका समझमें यह बात मजेमें आ गई और उन्होंने यह भी समझ लिया कि इस तरहके प्रश्नोंको द्वितीय आवान दे देनेमें ही सुविधा है अर्थात् राजनैतिक क्षेत्रमें आवश्यकताके समय जरा दब जानेसे ही अच्छा होता है। मुसलमानोंके बीचमें इस प्रश्नपर कितनी हलचल मच रही है इसको जाननेकी पूरी चेष्टा इस लेखके लेखकने नहीं की है। केवल चन्द लोगोंकी बातोंको ही उलटी सीधी समझ कर उसने उन्हींमें अपना तर्क भिड़ाना शुरू कर दिया है।

यदि येसी बात न होती तो वह यह लिखनेकी कदमपि धृष्टमा न करता कि मुसलमान जातिमें विद्यायक कामके लिये उच्चाह नहीं है और उनमें एक भी व्यक्ति येसा नहीं दिखाई देता जो येसी व्यवस्था सामने रखता जो स्वीकार करने तथा कार्यक्रममें लानेके योग्य होती। विगत मईमें पसेबस हाल, लण्डनमें जो सभा हुई थी उसकी कार्रवाईकी भी जानकारी उसे नहीं है और न उसने उसके जाननेका प्रयास ही किया है और न उसे इस बातका पता है कि इस विषयपर चुने हुए विद्वान मुसलमानोंका क्या मत है जो भारतीय मुसलमानोंके लण्डनमें प्रतिनिधि समझे जाते हैं। सर अली मज्जास बोलते— जिनसे खिलाफत कांग्रेसके अध्यक्ष होनेकी प्रार्थना की गई थी और जो लण्डन जानेवाले खिलाफत डेपुटेशनके प्रतिनिधि हैं— परन्तु हालकी सभाके नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने प्रधान प्रश्नकी व्याख्या करते हुए मुसलमानोंकी माँगका विवरण दिया था :—

(१) मुसलमानोंके पवित्र क्षेत्र और मन्दिर मुसलमानोंके हाथमें ही रहने चाहिये तथा युद्धके पहलेकी भाँति मुसलमान राजाके ही अधीन होने चाहिये ।

(२) धूस और कुस्तुन्तूनिया तुर्कोंके निजी स्थान हैं और उन्हें तुर्कों सुलतानके अधीन छोड़ देना चाहिये ।

(३) गुप्त सम्बिधान—जिनका अभिप्राय तुर्कोंको छिप

भिन्न करना है—मून समझी जानी चाहिये क्योंकि सन्धिकी विर्धारित शर्तोंके ये विरुद्ध हैं।

(४) यदि मुसलमान जातियों किसी राज्यकी संरक्षकता मुस्लिम अध्युत्व लापित करना चाहें तो इसके लिये उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये।

(५) किसी भी मुसलमानों प्रदेशके ऊपर किसी तरहकी 'संरक्षता' का प्रयोग नहीं होना चाहिये जबतक कि उसके लिये वे स्वयं इच्छा न प्रगट करें।

(६) मुसलमान जातियोंको इस बातकी स्वच्छता होनी चाहिये कि वे अपने लिये स्वयं राजा या शासन प्रणाली निर्धारित करें।

(७) ४. और ६. शर्तका निर्धारण करनेके लिये भवित्व मुसलमान प्रान्तोंमें मत देनेको पूर्ण स्वाधीनता दे देनी चाहिये।

इसी प्रकारके अन्य विधायक कार्यक्रम गदियाके शेख एम० एच० गिरदारीने प्रकाशित किया था :—

(१) संयुक तुर्क साम्राज्यका प्रधान भाग थ्रेस और पश्चिया माइनर होना चाहिये और सुलतानकी राजधानी कुस्तुन्तुनियामें होनी चाहिये।

(२) इसके अधीन सीरिया, मेसोपोटामिया, अरेबिया, आर्मेनिया, मिस्र, ट्रिपोली, [अलबानिया, तथा काले सागरके तटकी निवासी वे प्रजा जो तुर्की या मुस्लिम भाषा बोलता हैं, हो जाय पर इन्हें स्वायत्त शासन दे दिया जाय चाहे इनका

इप्रियं उपनिवेशोंकी तरह हो या अन्य प्रकारका। ये राज्यराष्ट्र सङ्कुके सदस्य हों और यदि किसी बातमें राष्ट्रसङ्कुले परामर्श लेना चाहें तो ले सकते हैं पर यह काम उन्हें तुर्की न्यूज़ीलैंडके द्वारा करना होगा।

ये स्पष्ट और व्यक्त बातें हैं जिनको मुसलमान मेसाओंने लिखा और प्रगट किया है और ये ही मुसलमानोंके सब्दे उद्घार हैं। इन्हें अंशनः सन्त्वि सभाने भी स्वीकार किया है। क्या अब भी इनके विवरमें यहो कहा जा सकता है कि ये उन न्यौगोंके क्षणिक जाश या उद्घारके परिणाम हैं जिनके हृदयमें नर्कके लिये कोई स्थान नहीं है।

खिलाफतका प्रश्न ।

(दिसम्बर २४, १९१६)

टाइम्स आफ इण्डिया पत्रके हम छत्ती हैं कि वह खिलाफितके प्रश्नको बराबर जनताके सामने उपस्थित करता आ रहा है। अभी हालमें ही मिस्टर बालफोरने कामस्ल सभामें तुर्कीके सम्बन्धमें कुछ शब्द कहे थे। यहूँ इण्डियाके गत अक्तूबरमें हमने उनपर नोट लिखा था। २० दिसम्बरके अक्तूबरमें उस नोट पर लेख लिखते हुए टाइम्स आफ इण्डिया पत्रने लिखा है:—यहूँ इण्डियाके सम्पादक तथा पाठकोंको

इस बातपर भरोसा रखना चाहिये कि मिस्टर बालफोरके कथनका वही अभिप्राय था जो प्रधान मन्त्रीके उस कथनका था जो उन्होंने ५ जनवरी १९१८को मुसल-मानोंके प्रति प्रतिश्वाकरते हुए कहा था। हमारा कहना है कि मिस्टर बालफोरने कामन्स सभामें 'रसमें ब्रिटनका हस्तक्षेप' के सम्बन्धमें जो भाषण किया था उसमें उन्होंने उस प्रतिश्वाकी चर्चा नहीं की थी। ऐसी अवस्थामें मिस्टर बालफोर इस कथनका क्या मतलब निकल सकता है? लेफ्टेण्ट कर्नल आड्रे हर्बर्टने बार बार पूछा कि:—विदिश साम्राज्यके लिये यह आवश्यक है कि तुकोंके साथ सन्धिकी शर्तोंके सम्बन्धमें मुश्यु क्रेमांशोके साथ इसी सम्मेलनमें निर्णय कर लिया जाय। ऐसी अवस्थामें क्या प्रधान मन्त्रा बतला सकते हैं कि उनको ५ जनवरी १९१८ की प्रतिश्वाये पूरी तरहसे पाली जायेगी कि नहीं? इस प्रश्नके उत्तरमें मिस्टर बालफोरने स्पष्ट शब्दोंमें कहा था कि यह प्रश्न अतीव विंकट है। तुकोंके सम्बन्धमें किसी तरहका निपटारा कर लेना सहज नहीं है तथापि हम इतना निश्चय पूछक कह सकते हैं कि उन प्रतिश्वायोंको उपेक्षा नहीं की जायगी। क्या यह सीधे साधे प्रश्नका ठीक और समुचित उत्तर है? जैसा कि हमने ३ री दिसम्बरके अप्रलेखमें खिलाफतके प्रश्नपर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि स्वयं प्रधान मन्त्री उन प्रतिश्वायोंको हृदयसे पालना नहीं चाहते। यही बात सच है और जब

स्वयं मिस्टर लायड जार्ज इस प्रश्नको दालमटोल कर अलग रख देना चाहते हैं तो भला मिस्टर बालफोर इसके सम्बन्धमें क्या कर सकते हैं। यही अनिश्चितता मुसलमानोंको खटक रही है और मुसलमानोंके समस्त आन्दालनकी यही जड़ है। मुसलमानों पर यह दोषारोपण करना कि वे राष्ट्रीयताके सिद्धान्तके लिये युद्धकर रहे हैं, सच्ची घटनाको छिपा रखना है। इसके प्रति-कुल ये लोग केवल इत बातका पक्का आश्वासन चाहते हैं कि तुर्कोंके साथ राष्ट्रीयताके सिद्धान्तोंका पूर्णतया प्रयोग किया जायगा। टाइम्स आफ इंडियाने यहां तक लिख डाला है कि मिस्टर काएंडलरके पत्रका उत्तर देने हुए महात्माजी एक ओर तो उस सिद्धान्तकी प्रशंसा करते हैं और दूसरी ओर उसकी निन्दा करते हैं। सहयोगीसे हमारा अनुरोध है कि वह उस उत्तरको एक बार पुनः पढ़ जाय। पूछा जाता है कि अधीन जातियोंके साथ तुर्कोंके सदृश्यवहार या दुर्बलवहारसे खिलाफतसे क्या सम्बन्ध है? अधीन जातियोंके अधिकारकी रक्षाके लिये क्या आप तुर्कोंके हाथसे अधिकार छीन लेना उचित समझते हैं? क्या उसी कारणसे आप उनके हाथमेंमें उनके तीर्थ स्थानोंकी रक्षाका अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं? उन सब प्रश्नोंका एक ही उत्तर होता है कि “नहीं”। पर मुसलमानोंको आशङ्का है कि इसी बातकी तेयारियां हो रही हैं।

इसके पहले लेखमें लिखा था कि अन्य चित्रित राष्ट्रोंके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, तुर्कोंके साथ उससे बुरा

व्यवहार नहीं किया जा रहा है। हमने उस तर्ककी निस्सारनाको भली भाँति प्रमाणित कर दिया है। उन राष्ट्रोंके साथ किस सिद्धान्तपर व्यवहार किया गया है? क्या तुकोंके लिये भी उसी सिद्धान्तका प्रतिपादन किया जायगा? महात्मा गांधीजीने मिस्टर काएडलरके पत्रमें यही प्रश्न किया था। यदि उन राष्ट्रोंके साथ प्रजाको मत देनेकी स्वाधीनताके सिद्धान्तोंका प्रयोग हुआ है तो यही सिद्धान्त तुकोंके साथ भी बयों नहीं चलाया जाता? उन राष्ट्रोंका विभक्तीकरण प्रजाके मत देनेकी स्वाधीनताके मिद्धान्तपर हुआ है। पर तुकोंकी हालतमें वही 'प्रजा-को मत देनेकी स्वाधीनताका ही सिद्धान्त, विभक्तीकरणके प्रति कुल हो जाता है।

असल बात यह है कि मुसलमान लोग केवल राष्ट्रीयताके सिद्धान्तका पूर्ण प्रयोग चाहते हैं। उनका कहना है कि जिन प्रान्तोंमें मुसलमानोंकी आबादी अधिक है उन प्रान्तोंको गैर मुसलमानी शासनके अधीन कर देना नितान्त अनुचित और अन्याय पूर्ण है। उनका कहना है कि क्या इस तरहकी कोई कार्रवाई राष्ट्रीयताके सिद्धान्तके अनुकूल होगी? पर इस प्रश्नपर किसी भी विचारवान राजनीतिज्ञने कुछ कहनेका साहस नहीं किया है। कुछ दिन हुए राष्ट्रपति विलसनके पास कुछ कागज-पत्र में गये थे। उन कागजोंमें इस प्रश्नपर पर्याप्त वादविवाद हुआ था। इसलिये सर्वोत्तम बात यही होगी कि हम यहांपर उन्हीं बातोंका संक्षिप्त विवरण दे दें। इसाई राज्योंका कहना

है कि आर्मेनियावालोंपर घोर अत्याचार किया गया है। उनके उद्धारके लिये स्वतन्त्र आर्मेनिया राज्यकी स्थापनाकी व्यवस्था की जा रही है। इसके सम्बन्धमें उस पत्रमें लिखा है:—

आर्मेनियावालोंकी संख्या बहुत ही कम है। वे चारों ओरसे मुसलमान जनतासे घिरे हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है। इस लिये स्वतन्त्र आर्मेनिया राज्यकी स्थापनाकी सम्भावना वहाँ नहीं हो सकती है जहाँ आर्मेनियाके लोग कम या बेश समुदायमें रहते हों। उनके विस्तार तथा सीमाका निर्णय उसी स्थानपर हो सकता है। १८६६की ५ वीं नवम्बरको जब डिपुटीके चेम्बर-की बैठक हुई थी उस समय फ्रांसके विदेशी सचिव मुश्यु गेंचियल हेनरेने कहा था कि गणनाके अनुसार आर्मेनियाकी जनता आवादीकी १३ प्रति सौकड़ेसे भी कम ठहरती है। यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि यह घोषणा पत्र तथा ये अंक तुकोंके मांगोंके सम्बन्धमें नहीं तैयार किये गये थे। इसके बाद यूनानका प्रश्न उठाया गया है। मिस्टर बेनिजलोका कहना है कि एशिया माहनरमें यूनानियोंकी संख्या अधिक है। इसके सम्बन्धमें उस पत्रमें लिखा है:—एशिया माहनरका यूनानी प्रजा तुकोंके साथ इस प्रकार हिल मिल गई है कि अब उसकी कोई स्वतन्त्र जातीयता नहीं रह गई और साथ ही यहाँ भी तुकोंकी संख्या अधिक है। यूनानी बहुत ही कम है। एशिया माहनरमें यूनानियोंकी इस कमीको छिपानेके लिये मिस्टर बेनिजलोने आर्चिपेलेगोकी यूनानी जनसंख्याका भी शुमार उस

गणनाप्रमेय कर दिया है और इस प्रकार बनोबढ़ी अबू तेयार किया है। आर्चिपेलेगोंके जितने भी द्वोप तुकोंके हाथमें है उनकी अधिकांश प्रजा यूनानी है। पर इस समय तो उनमें विदेशियोंकी सेनायें अधिकार जमाये बैठी हैं। अनातोलियाकी शासन व्यवस्थासे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। अनातोलिया पूर्णतः तुकोंके हाथमें है। स्मिन्टके सम्बन्धमें मिस्टर बेनिजलोका कहना है कि यह पूर्णतः यूनानका होना चाहिये। इसका माप ५३,७६८ कीलोमीटर है। इतने सारे प्रदेशमें से केवल मन्दजकमें यूनानियोंका निवास है। वहांकी आवादी ६,३०,००० है उसमें १,३०,००० यूनानी हैं ऐदीनकी की आवादी ३,००,००० है उसमें १५,००० यूनानी है, सरोहनकी आवादी ४,५०,००० उसमें ३३,००० यूनानी है, डेनिजलीकी आवादी २,७०,००० है उसमें २६,००० यूनानी है; मण्डीचीकी आवादी १,६०,००० है उसमें १०,५०० यूनानी है। हमारी समझमें इस संख्याके विषयमें कुछ लिखना निरर्थक है।” लेकिन शिकायतोंकी यहीं समाप्ति नहीं हो गई है। उस पत्रमें जो कुछ लिखा है उससे स्पष्ट विदित है कि मित्र शक्तियां चन्द मुसलमान जातियोंको तुकीके जुपसे छुटकारा दिलाना चाहती है। यद्यपि उन मुसलमान जातियोंने इस तरहकी स्वतन्त्रताकी कभी भी इच्छा नहीं प्रगट की है वयोंकि वे जिस राज्यकी प्रजा हैं मुसलमान राज्य है और मुसलमान राज्यमें प्रत्येक मुसलमानको समान अधिकार प्रोत्स है वह अरब हो या तुर्क हो

या खुर्द हो। इस्लाम धर्मके भोतर जातीयताके भेदभावके लिये स्थान नहीं है। तो क्या ये मित्र शक्तियाँ हमें अपने ही शासनसे मुक्त कराना चाहती हैं? यह केवल एक बहानामात्र है जिसकी ओटमें वे हमारा नाश करना चाहती हैं और हमें दास बनाये रखना चाहती हैं।……न्यायका दो रूप नहीं होना चाहिये। यदि आप वास्तवमें न्यायके सिद्धान्तका प्रयोग अरना चाहते हैं तब आप तुर्कों और मुसलमानोंका क्यों उससे विचित रखना चाहते हैं! उनके हाथसे उनका पंतुक समर्पित छोननेका क्यों तियारी कर रहे हैं? तुर्क साम्राज्य अविच्छिन्न है, जिसमें तुर्क, अरब और खुर्द जातियाँ रहती हैं। इनमें न कोई किसीको सताना है और न कोई किसीसे सताया जाता है।

यहीं पर यह प्रश्न भी उठ सकता है कि जो अधीन जातियाँ अल्पतम हैं उनकी रक्षाका क्या प्रबन्ध होना चाहिये? यदि उनकी रक्षा करना है तो क्या इसके लिये उन्हें यह कहना हागा कि तुम लोग तुर्क साम्राज्यको छोड़कर कही अन्यथा जाकर बसो? यदि यह बात सम्भव होती तोभी अतिहीन थी। इस प्रश्नके निष्टारे के लिये मस्टर पिकेटहालंक मतसे सहायता लेना हागा जिसका विवरण हमने ३ री दिसम्बरके लेखमें दिया है। पाठकोंकी सुविधाके लिये हम उस युक्तिको यहां दोहरा देना उचित समझते हैं। मस्टर पिकेटहालने लिखा है:—‘जिन राज्योंको आप स्वायत्त शासन देना चाहते हैं उनका सहूल बना लीजिये। इतना कर लेनेके बाद आपको राष्ट्रसङ्घसे संरक्षकता लेनेकी आव-

श्यकता पड़ेगी । इनकी रक्षाका भार किसपर रहेगा, इनके साथोंको रक्षा और देखरेख कौन करेगा तथा इनके लिये राष्ट्र-सङ्घमें कौन जिम्मेदार होगा ? तुर्कोंको राष्ट्रसङ्घका सदस्य होना चाहिये । सारे मुसलमान इस बातपर जोर दे रहे हैं । इन राष्ट्रोंकी जिम्मेदारीका भार तुर्कोंपर सौंप दीजिये । इससे सब सन्तुष्ट हो जायेंगे और आप भी आसानोंसे दलदलसे निकल आवेंगे ।” पर इसपर इतराज उठता है कि ऐसा करनेसे तो हम लोग फिर उसी पुरानी अवस्थापर पहुंच जायेंगे । कदापि नहीं । हम लोगोंसे कहा गया है कि राष्ट्रसङ्घका मैंडेट राज्य या शासनाधिकारसे एकदम भिन्न है क्योंकि इसमें जिम्मेदारीका सवाल है । इससे यह व्यक्त होता है कि देखरेख और आव-श्यकता पड़नेपर महायताका अधिकार राष्ट्रसङ्घके हाथमें होगा ।” हमारी समझमें इससे अच्छी कोई दूसरी युक्ति नहीं आती जिसमें राष्ट्रीयताका सिद्धान्त भली प्रकार पालित हो और सब दल सन्तुष्ट रहें ।

हम इस विषयको बहुत दूरतक ले गये । ब्रिटिश राज-नीतिका इतनेके लिये भी तैयार नहीं हैं कि वे केवल उन प्रदेशोंके समझमें ही अपना निश्चय मत प्रगट कर दें जो प्रदेश पूर्ण-रूपसे तुर्की हैं । ऐसी अवस्थामें उन प्रदेशोंकी तो चर्चा ही व्यर्थ है जिसमें तुर्कोंकी आवादी अधिकांश होते हुए भी सम्मूणे नहीं हैं । इसी बातकी सूचना मुसलमान चाहते हैं । उनकी यह मांग राष्ट्रपति विलसनकी १४ शर्तें तथा प्रधानमन्त्रीकी प्रति-

ज्ञानके भोतर ही है और साथ ही शत्रु (विजित) शक्तियोंकी मांगोंसे भी उनकी मांगे अधिक नहीं हैं।

यंग इण्डियाका नोट ।

जिस नोटके ऊपर टाइम्स आफ इण्डियाने २० दिसम्बर १९१६ के अंकमें लेख सिखा था उसका अनुवाद नीचे दिया जाता है:—

टाइम्स आफ इण्डिया पत्रमें तुर्कीके प्रश्नपर कामनससभामें जो वादविवाद हुआ था उसका विवरण निकला है। उस बैठकमें मिस्टर बालफोरने कहा था:—तुर्की साम्राज्यका अन्तिम निर्णय क्या होगा इसके सम्बन्धमें मैं अपना मत अभी नहीं घोषित कर देना चाहता पर मैं इतना साहसके साथ कह सकता हूँ कि तुर्कीके सदृश प्राचीन जातिका, सन्त्यपरिषद्की किसी भी व्यवस्थाके अनुसार मटियामेट नहीं कर दिया जा सकता। तुर्कीका अतीत उज्ज्वल और प्रकाशमय है। वे आज भी उसी तरह मौजूद हैं। यदि आत्मनिर्णय और राष्ट्रीयताका वही अर्थ और अभिप्राय है जो कुछ हमने समझा है और जो हमें समझाया गया है और यदि उसको चरितार्थ करना है तो मैं दावेके साथ कह सकता हूँ कि इसका जिस तरह प्रयोग अन्य राष्ट्रोंके साथ हुआ है उसी तरह इसका प्रयोग तुर्कीके साथ होगा और सन्त्यपरिषद्के बाद भी तुर्क साम्राज्य रहेगा। हाँ, केबल यह नहीं कहा जा सकता कि उसका क्षेत्रफल तथा उसकी सीमा क्या होगी।” क्या ही उत्तम शब्द है। जिस जातिका अतीत

इतिहास इतना उज्ज्वल है उसके लिये ये शब्द कितने उपयुक्त और सन्तोषजनक हैं। पर इन शब्दोंसे उस जातिको जरा भी सन्तोष नहीं हो सकता जो पक्षा बादा और अटल विश्वास चाहती है। जो कुछ मिस्टर बालफोरने कहा है उससे यह नहीं व्यक्त होता कि उनका क्या अभिप्राय। हम लोग यह भी नहीं समझ सके हैं कि 'तुर्की साम्राज्यसे' मिस्टर बालफोर क्या अभिप्राय लगाते हैं। क्या उनके कहनेका यह अभिप्राय है कि उसका हाथ पेर काटकर उसे पंगु बना देनेपर भी तुर्की साम्राज्य ज्योंका त्यों बना रहेगा? उसी भाषणमें आगे चलकर उन्होंने कहा है:—किसी भी सरकारके लिये यह असम्भव बात है कि वह निश्चयपूर्वक यह बात बतला दे कि वह किस नीतिसे चलेगी। इसके सामने उनकी तुर्की साम्राज्यके लिये दी हुई आशा पकदमसे अन्धकारमें जा छिपती है। यहांपर यह भी लिख देना आवश्यक होगा कि यद्यपि मिस्टर बालफोर एक दूसरे चक्काके भाषणका उत्तर दे रहे थे और यद्यपि उनमेंमें एकने उन्हें बार बार प्रधान मन्त्रीके उस भाषणका स्मरण दिलाया जो उन्होंने ५ बीं जनवरी १९१८ को दिया था और चाहा था कि उसीके अनुसार फ़िसला हो जाय पर उस विषयपर मिस्टर बालफोर पकदमसे चूप रहे।

मुसलमानोंकी बेचैनी ।

खिलाफतके मामलेमें मैंने लखनऊमें मुसलमानोंको अधीर देखा । उनकी अधीरता स्वाभाविक थी । मौलवी सलाम-तुलाने कहा कि अंग्रेजोंका रुख तो अब अस्वाच्छ होता जाता है । यह कह कर उन्होंने सौम्य माओंमें अङ्गोरा सरकारकी शिक्षिके विषयमें लोगोंकी जो भावनायें हैं उन्हींको ध्वनित किया । इसमें कोई शक नहीं कि तुकोंके साथ मित्र-भाव रखनेके सम्बन्धमें अंग्रेजोंने जो आश्वासन दिये हैं उनके प्रति अविश्वास थड़ता जा रहा है । अब इन दोमेंसे किसी बातपर कि अंग्रेजोंके आश्वासन बिलकुल सच्चे हैं या ब्रिटिश सरकारको, तुकोंकी सेहत करनेकी शक्ति नहीं है, कोई विश्वास नहीं करता । अतएव अधीरता और क्रोधके आवेशमें मुसलमान कहते हैं कि राष्ट्रीय सभा और खिलाफत-कमेटीकी ओरसे कोई जियादा तेज और जोरदार कार्रवाई तुरन्त होनी चाहिये । मुसलमान तो स्वराज्यका अर्थ यह समझते हैं—जैसा उन्हें समझना जहरी है—कि हिन्दुस्तान खिलाफतके मामलेका निपटारा पक्के तौर पर करनेके लायक हो जाय । इसलिये वे कहते हैं कि अगर स्वराज्यके मिलनेमें अनिश्चित देर है और अगर उसके लिये काम करते हुए मुसलमानोंको भूमध्य सागरमें तुर्किस्तानकी

बरचावीको लाचार हो कर कायरोंकी तरह देखते रहना पड़े तो मुसलमान अब इत्तजार करना नहीं चाहते ।

यह नामुमकिन बात है, कि ऐसी हालत पर मुसलमानोंके लिये हमदर्दी न पैदा हो । यदि कोई कारगर इलाज मेरे ख्यालमें आया होता तो मैं जरूर, खुशीके साथ, कोई जल्द कार्रवाई करनेकी सिफारिश करता । यदि मैं देखता कि स्वराज्यकी हलचलको मुल्तवी कर देनेसे हम खिलाफतके हकमें ज्यादा फायदा कर सकेंगे तो मैं खुशीसे ऐसी सलाह देना । कठोरों मुसलमानोंका दर्ददिल हलका करनेके लिये अगर असहयोगके अलावा भी मुझे कोई उपाय नजर आता तो मैं खुशीसे उसमें लग जाता ।

मगर मेरी नाकिस रायमें तो खिलाफतके अन्यायको मिटानेकी सक्षसे जल्दी असर करनेवाली अगर कोई दवा है तो वह स्वराज्य ही है और यही कारण है जो मेरे लिये तो स्वराज्यका पाना ही खिलाफतके सवालका हल होना है और खिलाफतके सवालका तथ्य होना ही स्वराज्य पाना है । मुसीबतके मारे हुए तुकोंको मदद पहुँचेका सिफर पक ही उपाय हिन्दुस्तानके लिये है और वह है खुद अपने अन्दर इतनी ताकत पैदा कर लेना कि जिससे वह अपने स्वत्वको प्रदर्शित कर सके । यदि वह पक भीयादके भीतर इतनी शक्ति नहीं बढ़ा सकता तो फिर हिन्दुस्तानके लिये देवाधीन होनेके सिवा बाहर निकलनेका दूसरा रास्ता नहीं है । जिसे खुद लकवा मार

गया है वह अगर दूसरे की मददके लिये हाथ बढ़ाना चाहे तो इसके सिवा कि खुद अपना पीछा लकड़ेसे छुड़ावे, और कप नह सकता है ? इसके बजाय अगर केवल नासमझी, नादानी और गुस्सेमें आकर खून-खराबी कर बैठे तो इससे अन्दर रुकी दुई आग भले ही बोहर धधक उठे, पर तुर्किस्तानका दुज दूर नहीं हो सकता । और न इससे हिन्दुस्तानकी वह ताकत ही बढ़ सकती है जिससे वह अपने स्वत्वको प्रदर्शित कर सके । और इसके अलावा, उस दङ्गे-फसादकी मिटानेके लिये जो उपाय काममें लाये जायेंगे उनसे, समझ है, हमारा वह बेग जिसके साथ आज हम अपने लक्ष्यकी ओर दौड़े चले जा रहे हैं, खासा मन्द पड़ जाय । .

तोमो हमें किसी तरह निराश होनेका कोई कारण नहीं है । कांग्रेसका सारा कार्यक्रम ऐसा ही बनाया गया है और ऐसे ही उपाय जारी है जिनसे लिलाफतके सड्डोंका सामना किया जा सके । स्वदेशीके कार्यको पूरा करनेकी भीयाद दो मासकी रखी गयी है । यह निसन्देह एक ऐसा तीव्र और प्रबल उपाय है जिसके द्वारा देशका सम्पूर्ण सत्त्व प्रगट हो सकेगा । और, यदि भारतने सितम्बरतक पूरा वहिकार कर दिखाया और अक्टूबरमें वह अपने पांचपर खड़ा हो गया तो निश्चय ही इससे बड़े-बड़े तेज मिजाजबाले लोगों और मुख जैसे अधोर तथा जोशीले लिलाफतियोंकी आत्माको सन्तोष होगा ।

पर बात यह है कि अभी हमारे सारे काम करनेवाले

लोगोंको न तो इस बातका यकीन हो पाया है कि बताई हुई भीयादके भीतर स्वदेशीका कार्यक्रम पूरा हो जायगा और न जो करामात इससे बताई जाती है उसके कार्यल वे ही पाये हैं। ऐसे संशयात्मा लोगोंको जबतक कि वे इससे बेहतर और जल्दी असर करनेवाला दूसरा उपाय नहीं बना सकते और उसे देशसे स्वीकृत नहीं करा सकते, इससे अलग ही रहना लाजिम है अथवा शङ्कुत चित्त होते हुए भी उन्हें शुद्ध हृदयसे स्वदेशीके काममें पड़ जाना चाहिये और इस प्रयोगको सचाईके साथ आजमाना चाहिये। और क्या यह सन्देह करना कि भारत स्वदेशीके कार्यक्रमके अनुसार काम करनेमें मरण नहीं है—यदि यह सन्देह ठीक हो तो—यह नहीं बताना कि खिलाफतके काममें भारतको बास्तवमें कोई अनुराग नहीं है और वह उसके लिये कुछ भी त्याग करना नहीं चाहता ; क्या हर एक हिन्दू और मुसलमानके लिये सारे विदेशी कपड़ोंसे मुँह मोड़ लेना और सिर्फ खादी ही पहनना, कोई बड़ा भारी स्वार्थत्याग है ? और अगर भारतवर्षको यह धूमता नहीं प्राप्त करना है तो क्या यह इस बातका सबूत नहीं होगा कि वह इस आर्थिक स्वार्थ त्यागके लिये तैयार नहीं है और इसलिये तुकिस्तानकी भी सहायताके लिये योग्य नहीं है ? आइए, हम सब मिलकर विदेशी कपड़ोंका पूरा विद्युक्तार करें और जितनी जहरत है उतनी खादी बनावें, फिर देखिये कि हम मंजिल पर पहुँच गये हैं।

लखनऊमें पक्के यह मसला बड़ी सज्जोदगीके साथ पेश किया गया कि हम राली ब्रदर्सका जो कि एक यूनानी कम्पनी है, वहि-एकार करके यूनानियोंसे बदला चुका है तथा उन मजदूरोंसे जो बन्दरोंपर काम करते हैं कहें कि बिदेशी जहाजोंपर माल न चढ़ावें। मैं तो समझता हूँ कि ये दोनों सूचनाये अस्वाभाविक हैं और उनको कार्यके रूपमें परिणत करना भी असम्भव है। जरा देरके लिये मान लीजिये कि हम एक क्षणमें राली ब्रदर्सका कारोबार तोड़ सकते हैं पर इसका असर यूनानपर क्या पड़ सकता है? राली ब्रदर्स सारा या ज्यादातर माल यूनान ही नहीं भेजते। उसका सारी दुनियामें व्यापार फैला हुआ है। अतएव स्वदेशीका काम उठानेकी अपेक्षा उनके व्यापारके साथ भगड़ना उदादा कठिन होगा। ऐसी कोशि शका प्रक्रमान्त्र परिणाम यह होगा कि उसके रगोरेशेमें जा अन्याय भरा हुआ है उसकी तो बात ही जाने दीजिये हम लोग उपहास्य बनेंगे और यह प्रगट होगा कि हम लोग ठीक उसके योग्य ही हैं। बिदेशी जहाजोंपर काम करनेवाले मजदूरोंको छोड़ना भी सृगतृष्णाकी तरह है। यदि जनता पर हमारा इतना पूर्ण नियन्त्रण होता तो हम इस समरमें अद्यतक कभीके जीत गये होते। मालका बाहर जाना बन्द कर देनेके लिये हमें आज काम करनेवाले सारे मजदूरोंका काम हमेशाके लिये या एक अनिश्चित समय तकके लिये बन्द रखना होगा। यही नहीं, अद्यिक पेसा करते समय यह पहले ही मान लिया जाता है कि

जो मजदूर काम बन्द कर देंगे उनकी जगह दूसरे मजदूरोंको काम पर न आने देनका सामर्थ्य हममें है। मेरा तो ख्याल है कि अभी हम इतने सङ्गठित नहीं हैं जो यह काम कर सक। ऐसी कोशिशमें नाकामयाच होनेके सिवा और कुछ हासिल नहीं और इससे भी बुरा न तीजा न निकले तो यनीमत समर्किये।

इसका तो उपाय अगर हो सकता है तो बस, यही कि कानूनका सविनय भड़ा तुरन्त शुक कर दे। परन्तु मुझे इतमीनान हो गया है कि देश अभी विस्तृत रूपसे इसे करनेके लिये तैयार नहीं है। पर यदि देश इस बातका दिल्ला दे कि उसमें सङ्गठन की इतनी काफी क्षमता है, उसके पास इतने विभिन्न साधन हैं इतनी नियमबद्धता है जितनी कि स्वदेशी जैसे बिलकुल व्यवहार्य कार्यको पूर्ण सफल बनानेके लिये आवश्यक है ता कानूनका सविनय भड़ा बिना जोखिमके सफलतापूर्वक शुरू किया जा सकता है। आइये, हम यह बाशा और प्रभुसे प्रार्थना कर कि देश ऐसा कर दिल्लावे।



प्रतिज्ञा पालन ।

(मई १२, १९२०)

‘मैंने खिलाफत आन्दोलनमें भाग कर्या लिया’ शीर्षक अपने लेखमें मैंने प्रश्न मन्त्रीके दिये हुए वचनका उल्लेख किया था। उसके सबधर्ममें मैंने जो कुछ लिखा है उसकी सचाई पर आँखेप करते हुए टाइम्स आफ इण्डियाने ‘विविध विषय’ में उसपर एक नोट लिखा है। अपने मतके समर्थनमें उसने नवम्बर १०, १९२४ की मिस्टर आस्किथके गिलडहालके भाषणका उल्लेख किया है। जिस समय मैंने उस लेखको लिखा था मुझे भी मिस्टर आस्किथके भाषणका ध्यान था। मुझे खेद था कि मिस्टर आस्किथने वह भाषण किया क्योंकि उसके पढ़नेसे स्पष्ट हो जाता है कि वक्ताके भाव स्पष्ट नहीं हैं। क्या यह कभी भी सम्भव है कि तुकीं साम्राज्यसे भिन्न भी तुकींका कोई सान हो सकता है ? ना यूरोप और पश्चियामेंसे तुकीं साम्राज्यकी मृत्युका अभिप्राय इसके विरिक्त और क्या हो सकता है कि संसारमेंसे स्वतंत्र तुकीं शासन और तुक जोतीयताका नाश कर दिया जाय । क्या यह सदा सच रहा है कि तुकींका शासन सदाके लिये संसारके इति हासमें काला धन्वा रहा है ? क्या तुक सदा पृथ्वीके किसी न किसी टुकड़ेका अपने अपवित्र हाथसे कलंकित ही करते रहे हैं ? अपने

भाषणमें मिस्टर आस्कियने कहा था । — “यदि कोई बात हमारे दृष्टिपथमें आ सकती है तो वह यह है कि हमें उनके विरुद्ध धार्मिक आन्दोलन उठाना चाहिये ।” पर इसके बाद ही उन्होंने जिन शब्दोंका प्रयोग किया था उससे उनका क्या अभिप्राय हो सकता है । यदि शब्दोंका प्रयोग उनके ठीक अर्थमें हुआ है तो मैं साहसके साथ कह सकता हूँ कि उतना शब्द कहनेके बाद मिस्टर आस्कियने अपने भाषणमें जो शर्तके शब्द लगाया उनसे स्पष्ट था कि भारतीय मुसलमानोंके धार्मिक भावका उन्हें पूरा रूपाल था । अगर उनके भाषणका केवलमात्र इतना ही अभिप्राय था तो अपने मतके समर्थनमें और कुछ न कहकर मैं कह सकता हूँ कि यदि सैन रेमो कान्फरेंसमें स्वीकृत प्रस्तावोंको कार्य करमें लानेकी व्यवस्था की जाय तो मिस्टर आस्कियने उपरोक्त आशाकी बातें भी मिट्टीमें मिल जाती हैं । पर मैं अपने कथनके समर्थनके लिये मिस्टर आस्कियने उत्तराधिकारीके भाषणका उल्लेख कर देना उचित समझता हूँ । यह भाषण उन्होंने १९१६ में किया था, जिस समय युद्धकी गति मित्रोंके लिये भयावह हो रही थी और भारतीयोंकी सहायताकी आवश्यकता १९१४ से कहीं अधिक थी । जबतक ये वचन पूरे नहीं किये जाते बराबर दोहराये जायें । उन्होंने कहा था —“यह युद्ध हम लोगोंने इस लिये नहीं ढाना है कि तुकाँकी राजधानी छीन ले या एशिया माइनरकी समृद्ध भूमि और थ्रेस प्रान्तसे—जिनमें तुकाँकी ही अधिकता है—तुकाँको निकाल बाहर करें ।” यदि अश्वराजा

केवल उनके दिये हुए वचन पूरे किये जायं तो फिर असन्तोष और कलहकी कोई बातें नहीं रह जाती। यदि मिस्टर आस्किंथके भाषणका यह अर्थ लगाया जाय कि यह उन्होंने मुसलमानोंके स्वार्थके विरोधमें कहा था तो मिस्टर लायड जार्जका भाषण उसको छाककर ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलके भावको स्पष्ट कर देता है। मिस्टर लायड जार्जने अपने वचनके पूरा करनेकी एकमात्र शर्त यही लगाई थी कि मुसलमान सैनिक युद्धमें भाग लेनेके लिये पूर्णरूपसे तैयार हो जायं और साम्राज्यकी सहयता करें। पर जिन स्थानोंकी रक्षाका वचन दिया गया था आज उन्हींको छिप भिजा किया जा रहा है। विविध विषयके लेखकने लिखा है कि मिस्टर लायड जार्ज अपनी प्रतिज्ञाको पूरी करनेकी चेष्टा कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि उसका यह कथन यथार्थ है। पर अभी तक जो कुछ किया गया है उसके आधार पर तो इस तरहकी कोई आशा नहीं की जा सकती। खलोफाको अपनी ही राजधानीमें कैद कर देना या नजरबन्द कर देना केवल बादा पूरा करनेकी बात की हसी ही उडानी नहीं होगी बल्कि अपमानकी भीषणताका और भी बढ़ाना होगा। प्रश्न केवल एक है, तुकों साम्राज्यको समझ तुकोंके प्रान्तोंके ऊपर कायम रहने वेकर उसकी राजधानी कुस्तुन्तुनिया रहने देना है या नहीं। यदि इसका उत्तर 'हाँ' है तो भारतीय मुसलमानोंके धर्मिक भावोंकी रक्षाके लिये उसका पूर्ण रूपसे विकास होने दीजिये। और यदि उसका नाश करना है तो चाल-

बाजोका परदा उठा दीजिये और भारतको सच्ची स्थितिका पर्यवेक्षण करने दीजिये। ऐसी अवस्थामें खिलाफत आन्दोलनमें भाग लेनेका यह अभिप्राय हुआ कि ऐसे आन्दोलनमें भाग लिया जा रहा है जिसके द्वारा ब्रिटिश प्रधान मंडलीकी प्रतिहाको पूरी कराई जाय। यदि विचार कर देखा जाय तो इस तरहके पवित्र आन्दोलनके लिये उससे कही अधिक त्याग उचित प्रतीत होता है जितना कि असहयोग आन्दोलनमें करना होगा।

—१८८८—

खिलाफत और अहिंसा

जून १ १८८८

मिस्टर ज़चारियाने अपने सासाहिक पत्रमें एक लेख लिखा था। इस लेखका शिवक था, ‘अहिंसाके विरोधो खिलाफतके सिद्धान्तको हाथमें लेकर कोई भा. मनुष्य अहिंसाका प्रतिपादक कैसे बन सकता है?’ सर्वेण आफ इंडिया सोसायटीके मिस्टर बेनने यह लेख मेरे पास भेजा है और कहा कि आप खिलाफतके प्रश्नपर उन युक्तियोंके आधार पर विचार कीजिये जिनका प्रतिपादन इस लेखके लेखकने किया है। लेखकने लिखा है:—“मुझे न तो खिलाफतके सिद्धान्तके मूल्यकी परवा है

और म अहिंसाके मूल्यकी । पर मेरा कथन है कि ये दोनों धारों परस्पर विरोधी हैं । जो कुछ मैं चाहता हूँ वह यह है कि इस प्रश्न पर दोनों तरहसे पूर्ण विचार होना चाहिये । मानव समाजके अर्धाचीन इतिहासको देखनेसे चिदित होता है कि दृष्टिविचार तथा समझौताके भावने मानव जातिको सभसे अधिक क्षति पहुँचा है । इसके उदाहरणमें राष्ट्रपति बिल-सनके पतनको उदाहरण देकर लेखकने फिर लिखा है :—“क्या सत्याग्रहके आधारस्तम्भ (महात्मा गांधी) उस जीवनी पर ध्यान देंगे ? क्या वह अपने जीवनके साथ विश्वासघात करनेसे दूर रहेंगे ? क्या वे हिन्दू मुस्लिम एकताके प्रलोभनमें पड़कर अपने जीवनके सिद्धान्तोंके विरुद्ध सत्यको नीचे दबावेंगे और खिलाफतके प्रश्नपर मुसलमानोंके साथ समझौता करेंगे ?”

इस लेखने मुझे वाद्य कर दिया है कि खिलाफतके संवेदमें मैं अपनी स्थिति पर पुनः दो एक शब्द लिखूँ । यदि मैं केवल हिन्दू मुस्लिम एवं ताके प्रलोभनमें पड़कर अपने जीवनके सिद्धान्त आहिमाको निलंजिलि देकर ‘खिलाफतका साथ हूँ तो मैं अपनी आत्माके साथ विश्वासघात करूँगा । पर जब मुझे एका विश्वास हो गया है कि मुसलमानोंकी मांग हर तरहसे सजूत और न्यायपूर्ण है तभी मैंने इसमें हाथ डाला । यह मेरे लिये अपूर्व अस बर था जो शायद इस जीवनमें फिर न उपस्थित होता । मैंने भली-भांति विचार कर देखा कि यदि इस अवसर पर मैं अपने मुसलमान भाइयोंके साथ होजाऊँ और सजूटके समय उनका

हाथ चढ़ाऊं तो निःसन्देह दोनों जातियोंमें आजमकी मैत्री हो जायगी। किसी भी तरहसे मैंने देखा कि इस अवसरसे लाभ-उठाना अत्यावश्यक है। मैंने अच्छी तरह सोचा चिचारा तो मुझे यह भी निश्चय हो गया कि जबतक ये दोनों जातियां परस्पर भेदभावको त्यागकर मैत्रीके एक सूचमें नहीं बंध जातीं भारतका उद्धार असम्भव है।

मिस्टर जचारियाने आगे चल कर लिखा है :—“खिलाफतकी शक्ति बल प्रयोगमें है। खलीफा इस्लाम धर्मका प्रति-निधि है। उसकी रक्षाका वह जिम्मेदार है। तलबारके बलसे भी उसे इस्लाम धर्मको रक्षा करना होगा। ऐसी अवस्थामें वह मनुष्य (महात्मा गान्धी) जिसने अहिंसाका ब्रत प्रहृण किया है ऐसी संसाको बचानेके लिये संप्राप्त करना चाहता है जो अपनी रक्षाके लिये तलबारका भा प्रयोग कर सकता है।”

खिलाफतके बारेमें मिस्टर जचारियाका जो मत है वह सर्वथा सच है। पर उन्होंने अहिंसाके प्रतिपादकके कस्तूर्यका गलत अनुमान लगाया है। जिस व्यक्तिने अहिंसाका ब्रत धारण किया है वह किसी वस्तुकी रक्षाके लिये किसी तरह भी हिंसा या बलका प्रयोग नहीं करेगा पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि अहिंसाकं सिद्धान्तपर वह उन संसाऽरोंकी सहायता भी नहीं कर सकता जो कि स्वयं अहिंसात्मक नहीं हैं। यदि इस बातको ठीक उलट दें तो हमें भारतकी स्वराज्यकी प्राप्तिके लिये भी जेणा नहीं करनी चाहिये क्योंकि यह तो

निश्चय है कि स्वराज्य ग्रास करनेके बाद भारतको कुछ सेना और पुलिस तो अवश्य ही रखनी पड़ेगी। इस बातको और भी स्पष्ट करनेके लिये एक दूसरा उदाहरण दे देना उचित होगा। मेरा लड़का अहिंसामें विश्वास नहीं करता इसलिये यदि उसके साथ किसी तरहका अन्याय किया गया है तो उसके प्रतिकारके लिये उसकी सहायता करना मेरा धर्म नहीं है।

यदि मिस्टर जब्बारियाके विचार प्रणालीके अनुसार काम किया जाय तो अहिंसाके सिद्धान्तको माननेवालेको व्यापार व्यवसायमें भी किसी तरहका भाग नहीं लेना चाहिये। कितने ही लोग मिस्टर जब्बारियाके भी मतके मिल सकते हैं जिनका यही विश्वास है कि अहिंसाके सिद्धान्तको स्वीकार करनेका अभिप्राय यह है कि हर तरहके कारबारका बन्द कर दिया जाय।

पर अहिंसाके सिद्धान्तसे मेरा यह अभिप्राय नहीं है। मेरी धारणा यह है कि आहिंसाके व्रतको ग्रहण करनेवालेको स्वयं किसी प्रकार हिंसा नहीं करनी चाहिये और यथासाध्य समझा बुझाकर लोगोंको अहिंसात्मक होनेके लिये प्रेरित करना चाहिये। पर यदि कोई व्यक्ति या संस्था अहिंसाके सिद्धान्तसे पूर्णतया सहमत नहीं होती और उसकी मांग न्यायोचित है तो यदि मैं जान बूझकर उसको सहायता नहीं करता तो मैं अपने साथ विश्वासधात कर रहा हूँ। जब मैं यह जान गया हूँ कि मुसलमानोंका पक्ष उचित और न्याययुक्त है और मित्र शक्तियां बर्दमानीके साथ इस्लामके नाशकी

योजना कर रही है तो यदि मैं अहिंसात्मक उपायों द्वारा उन शक्तियोंके विरुद्ध मुसलमानोंकी सहायता न कर तो मैं हिंसाके प्रचारका दोषी समझा जाऊँगा। जहाँ दोनों दल हिंसाके प्रतिपादक हैं वहाँ भी न्याय और ईमानदारी तो एकके पक्षमें अवश्य ही होगी। यदि कोई मनुष्य लुट गया है और अपनी लुटी हुई सम्पत्तिको प्राप्त करनेके लिये वह शब्द संग्रह कर रहा है तो भी न्याय तो उसके पक्षमें अवश्य है और यदि क्षत पक्षको किसी तरह समझा बूझा कर अहिंसाके राहपर लाया जाय और अहिंसा द्वारा ही उसने अपने शत्रुपर विजय प्राप्त की तो यह अहिंसाकी पूर्ण विजय समझो जायगी।

अहिंसाके सिद्धान्तमें जो नियन्त्रण मैंने लगाया है उसके आधार पर मिस्टर जचारिया मुझे अहिंसाके प्रतिपादक भले ही न करे पर मैं उन्हें केवल इतना ही कह सकता हूँ कि जीवन एक जटिल समस्या है और सत्य तथा अहिंसा ऐसे सिद्धान्तोंके उपस्थित करती हैं जहाँ विचार और विन्यास कोई काम नहीं करता। सत्य तथा उसके प्रयोगका एकमात्र उपाय सत्याग्रहकी प्राप्ति धीरता, तत्परता तथा अद्वल भक्ति और प्रार्थनासे होता है।

मैं सच्चे हृदयसे यह बात कह सकता हूँ कि मैं सत्य मार्गपर चलनेके लिये काई भी प्रयास उठा नहीं रखता और नब्र तथा अनवरत परिश्रम तथा विनीत प्रार्थना ये ही मेरे दो साथी और सहायक हैं जो मेरे उस कष्टपूर्ण तथा सुरभ्य मार्गके सहायक हैं जिनपर प्रत्येक सत्यान्वेशीको चलना चाहिये।

खिलाफतपर भाषण

(मार्च २४, १९२०)

बम्बई खिलाफत कान्फरेंसमें महात्माजीने निम्नलिखित भाषण
किया था :—

मैं अतिशय प्रसन्न हूँ कि मुझे इस कान्फरेन्समें मुख्य प्रस्ताव
उपस्थित करनेका अवसर मिला है। कुछ कहनेके पहले मैं
इस सभाके सञ्चालकोंको बधाई देना चाहता हूँ कि इस जलसा-
को शान्तिप्रय रखनेमें उन्हें असोम सफलता मिली है। हम
लोगोंको बार बार चेतावनियां दी गई हैं कि इस तरह कारोबार
बन्द कर देनेसे उपद्रव उठ सकता है। पर बम्बईने जिस शान्तिका
दृश्य उपस्थित किया है उसके लिये खिलाफत कमेटीको बधाई
है। हड्डताल जितनो जबर्दस्त थो उतनी ही प्रेरणा रहित थी।
किसी तरहका दबाव नहीं डाला गया था। मुझे इससे और
भी प्रसन्नता है कि कमेटीने मेरी राय मान ली और मिलके
मजूरोंको हड्डताल करनेकी राय नहीं दी। इस समय मिलोंके
मालिकों और मजूरोंमें विचित्र तनाव और झेंचातानी हो रही
है। इसालिये देसी अवसामें मालिकोंकी राय बिना कामपर न
जानेके लिये मजूरोंको उसकाना ठीक नहीं था।

हमारा प्रस्ताव चार भागोंमें बटा है। पहले भागमें विरोध और प्रार्थनाकी बात है। इङ्लैण्डमें खिलाफतमें प्रश्नके खिलाफ जा निराधार और भूठा आन्दोलन उठाया गया है उसका यह सभा विरोध करता है और प्रधान मन्त्री तथा ब्रिटिश राजनीति को से प्रार्थना करता है कि वे इस आन्दोलनमें भाग न लें और मुसलमानोंको न्यायपूर्ण मांगोंको पूरा करके उनके धार्मिक भावों की रक्षा करें और भ्रातुभावको स्थापना करें। दूसरे भागका अभिप्राय यह है कि यदि सरकारके साथ पूरे तरहसे समर्वन्ध त्याग दिया जाय तो खिलाफतके प्रश्नका एकाएक विषयीत फल होनेकी सम्भावना है और इससे भारतवासियोंकी राजभक्तिपर भीषण चोक पड़ जायगा। यदि अमान्यवश ऐसी अवस्था उपस्थित हो गयी तो जोश और उत्तेजनाका भी सम्भावना है। तो नवे भागमें लागोंको कड़ी भावा तथा हिंसासे रोका गया है क्योंकि इस सभाके मतसे उस तरफ नायारण प्रवृत्ति भी खिलाफतके पवित्र नायपर कलङ्कका टीका लगा दिगी और असाधारण क्षति पहुँचावेगी। यहां तक तो प्रस्तावमें सबके लिये प्रेरणा है चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो।

यह सभा इस संग्राममें पूरी तौरसे हिंसा रहित होनेकी मन्त्रणा देती है और दोनों आन्दोलनोंको एक सूचमें बांधकर चलानेकी परामर्श देती है। पर कुरान धर्मके अनुसार मुसलमानोंपर ज्ञास जिम्मेदारियां हैं जिनका पालन हिन्दू नहीं भी कर सकते। अगर शान्तिमय असहयोगसे उनका काम न चला,

अर्थात् यदि खिलाफतके प्रश्नका निपटारा ठीक तरहसे न हुआ तो इस्लाम धर्मकी आज्ञाके अनुसार वे उन अन्य उपायोंसे भी काम ले सकते हैं जो इस्लाम धर्मके अनुसार विहित हैं। मैं इस ब्रह्माचरणसे पूण्यतया सहमत हूँ। यह प्रस्ताव बहुत ही नरम और मर्यादित है। इस ममांगोहमें भागलेनेके लिये सिया, सुधी, हिन्दू मुसलमान, सिक्ख और पारसी सभी समिलित हैं। हिन्दुओंने पूरी हड्डताल करके दिखला दिया है कि वे भी अपने मुसलमा भाइयोंके मतसे मर्वंथा सहमत हैं, इन्हेंहमें खिलाफतके विरुद्ध जो आन्दोलन उठाया गया है उससे भारत-वासियोंके चित्तमें एक तरहका विकार उत्पन्न हो गया है जिसका शमन तबतक नहीं हो सकता जबतक खिलाफतके मामलेमें न्याय न किया जाय। इस बातसे मुझे अन्यन्त खेद है कि भारतकी अवस्थाका सम्पूर्ण अनुभव रखनेवाले लाड़ कर्जनेमें भी इस आन्दोलनमें भाग लेनेकी अदूरदर्शिता की।

आशाकी क्षीण रेखा

- पर इस काली घटाके बीचमें भी आशाकी क्षीण रेखा दिखाई देती है। मिस्टर माल्टेगू हमारी मांगपर बराबर जोर देते जा रहे हैं। इधर मिस्टर लायड जार्जने भी रुख बदला है। दबी जघानमें उन्होंने अपने बच्चनको फिर दोहराया है। जहाँतक मुझे मालूम है भारत सरकार भी हमारी मांगपर जोर दे रही है। विवेशी समाजार पत्र भी अपना हौस नहीं प्रगटकर रहे हैं।

टाइप्स आफ इहिडया तथा बड़ाल चेडवर आफ कमसने हमारी मांगका पूरी तरहस समर्थन किया है। इस प्रस्ताव द्वारा हमलोग समस्त अंग्रेजोंका आवाहन कर रहे हैं कि वे हमलोगोंके साथ इस सत्यके खण्डोंके तलेषकत्रित होकर ब्रिटन की मर्यादाका पालन कर और प्रधान मन्त्रीको प्रतिक्षा-भगके पापसे राखें। ब्रिटिश राज्यमें मेरी अनन्य भक्ति है पर मैं उस भक्तिके लिये अपनी इच्छत नहीं बेचना चाहता इसके लिये मैं मुसलमान भाइयोंके धार्मिक भाईोंकी हत्या नहीं करना चाहता। जिस राजभक्तिके लिये भात्माका बेचना पड़े उसका न होना ही अच्छा है। विगत यूरोपीय महायुद्धमें भारतीय हिन्दू और मुसलमान सैनिकोंने जो सहायता की है उसका स्वीकार कर भी यदि प्रधान मन्त्रीने अपने बचनको ताढ़ दिया ता भारतीयोंकी राजभक्ति अवश्य गायब हो जायगी। पर अभीतक मैं निराशा नहीं दुखा हूँ। यदि वह आशा निराशामें परिणत हो गई और यदि कोई भी बुरी घटना हो गई तो ईश्वर ही जाने इस पवित्र भूमिकी क्या अवस्था हो जायगी। इतना हम कह सकते हैं कि जबतक इस अन्यायका प्रतिशोध न होगा और आठ करांड मुसलमानोंके धार्मिक भाईोंकी रक्षा न की जायगी तबतक न तो शान्ति स्थापित हो सकती है और न सरकारको चैन ही मिलेगा।

मेरी समझमें यह बताने की कोई भावश्यकता नहीं है कि हिन्दुओंको मुसलमानोंका साथ कर्मों देना चाहये। जबतक मुसलमानोंका ध्येय और उद्देश्य मर्यादित है तबतक मुसलमानों

का साथ देनेके अतिरिक्त हमें कोई अन्य उत्तम तरोका नहीं दिखाई देता जिसके द्वारा हमलागांकी मैत्री पक्की हो जाय। पर इस प्रकारके पवित्र कार्यमें बाचा या कर्मणा हिंसाके भाव हृदयमें नहीं आने चाहिये। 'कएटकेनैव कएटकम् अर्थात् विषसेधा विषको मरने-की नीति हमें छोड़ देनो चाहिये। हमें घृणाको भी प्रेमसे जीतना चाहिये। मैं मानता हूँ कि अन्यायका प्रभावकी दृष्टिसे देखना कठिन है पर सच्चा विजय वही है जो अनेक तरहकी कठिनाइयों-का पूर्ण धैर्य तथा साहसके साथ पार करनेके बाद ही प्राप्त होता है। और न्याययुक्त उद्देश्यमें तो साहस और धैर्यकी नितान्त आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हिंसासे हमारे काममें हानि भी पहुँच सकता है। इससे उत्तेजना भले ही फैल जाय पर इस तरहके जाशसे हम अपने ध्येय तक नहीं पहुँच सकते। इसलिये इस प्रस्तावका अहिंसावाला अंश आत्मसंयमपर पूरा जोर देता है और प्रत्येक बक्काको इस बातका आदेश देता है कि वह अपने भाषणमें बनायटी बातें लाकर जाश बढ़ानेका यज्ञ न करें क्योंकि इससे खून खराबी हो सकती है। इसका परिणाम यह होगा कि सरकारको दमन जारी करनेका अवसर मिल जायगा और जनताका नीचा देखना पड़ेगा। पर मुझे मालूम है कि मुसलमान भाई मर्यादाके भीतर ही रहना चाहते हैं।

मुसलमान लोग किसी बातका छिपाना या गुप्त रखना नहीं चाहते। इसलिये कुछ लोगोंने यह शत लगा देनेपर जोर दिया है कि यदि असहयोग असफल हुआ तो वे अन्य उपायोंसे भी काम

लेनेके लिय म्वतन्त्र हैं। वे उपाय इस्लाम धर्मके अनुसार दो हैं। या तो वे उस देशको छोड़कर चले जायेंगे जो उनके धर्मपर आधात पहुँचावेगा या उसके साथ सशब्द युद्ध करेंगे। इस प्रस्तावमे इसलिये वह अवस्थायें स्पष्टतया लिख दी गई हैं जिनसे होकर इस प्रस्तावको आगे बढ़ना है। इसकी अन्तिम अवस्था रक्तपात है। ईश्वर करें इस देशको उस दशातक न पहुँचना पढ़े पर खिलाफतके प्रश्नमे मुसलमानोंके दिलोंका इतना चोट पहुँचाया है कि यदि शान्तिमय उपायोंद्वारा इसका निपटारा न हो गया तो इस देशमे रक्तपातका होना सम्भव हा जायगा और यदि ऐसा हुआ तो उसका जिम्मेदारी अंग्रेज जाति हिन्दू और कायर मुसलमानोंपर होगी। यदि मान लो अंग्रेज जाति मुसलमानोंकी अवस्था भली भाँति समझकर और ईमानदारीसे निपटारा कर देना चाहती है तो सब बातें ठीक नरहसे निपट जायगी। यदि हिन्दुओंने अपने कर्तव्यको समझा और मुसलमानोंका साथ तत्परताके साथ दिया तो दोनों एक होकर इस प्रश्नका निपटारा मजेमे करा सकते हैं। मुसलमानोंसे भी मेरा अनुरोध है कि अपनी कायरताका त्याग करके इस समय रक्तपात होनेसे बचावे। इसका उपाय यही है कि वे हिसाकरनेवालोंको दिखाना दे कि इस्लामके प्रति कोई भी मनुष्य विश्वासघात नहीं करेगा। इसलिये यदि हम लोगोंके भाष्यमें रक्तपात ही लिखा है ता यह उसी समय उपलिखित होगा जब मुसलमान अंग्रेज जातिके अन्याय, हिन्दू और अन्य मुसलमानोंके विश्वासघातके कारण चारों ओरसे निराश

हो जायेगे। मुझे पूर्ण आशा है कि भारतका प्रत्येक निवासी इस न्यायपूर्ण मांग और प्रार्थनामें शरीक होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार भी नासमझी और कोधसे काम लेकर व्यर्थका दमन जारी करके रक्तपातका अवसर न देगी। उन्हें समझ लेना चाहिये कि भारतवर्ष अब अबोध नहीं रहा और भारतीयोंके भी हृदयमें वे ही भाव भरे हैं जो ऐसे अवसरोंपर सच्चे अंग्रेजके हो सकते हैं।

खिलाफत

—०—

६ मई १९१६ को अन्जुमन ज़िया-उल-इसलाम बर्वाईकी एक असाधारण सभा खिलाफतके प्रश्न पर विचार करनेके लिए हुई थी। मिठो कदीरभाई बेरिस्टरने सभापतिका आसन ग्रहण किया था। लाखों हिन्दू और मुसलमान इस सभामें मोजूद थे। महात्मा गांधी श्रीयुक्त जमनादास द्वारकादास श्रीयुक्त शहूर-लाल बैकर भी उपस्थित थे। सभापतिने गांधीजीको व्याख्यान देनेकी प्रार्थना करते समय कहा कि महात्माजीकी जिन्दगी भर यही कोशिश रही कि हिन्दू-मुसलमानोंमें एकता हो जाय।

महात्माजीने निम्न लिखित व्याख्यान दिया :—

समाप्तिने मेरे विषयमें जो कुछ कहा है वह ठीक है, क्योंकि मैं अपने लड़कपनसे ही इस बातकी बड़ी अभिलाषा रखता था कि हिन्दू मुसलमानोंके बीच भी मेहमान दूर हो जाय। जब मैं दक्षिण अफ्रिकामें रहता था उस समय मेरे मुसलमान भाइयोंके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हुआ। मैं मुसलमानोंके एक मुर्खमें गया था, और वहाँ मैं उनके स्वभाव विचार और अभिलाषाओंमें गरिब्त हुआ। सन् १९१४ में मैं दक्षिण अफ्रिकासे वापाना हुआ और 'अगस्तसौ, अर्थात् इङ्ग्लैण्ड और जर्मनीमें युद्ध छिड़नेके दो दिन पश्चात् लन्दन पहुँचा। श्रीघड़ी मैंने टाइम्समें एक लेखमाला गढ़ी, जिसमें यह अनुमान करनेकी चेष्टा की गई थी कि टर्की इङ्ग्लैण्ड और जर्मनीमें से किसकी ओर रहेगा। मैंने यह भी देखा कि लन्दनमें रहनेवाले मुसलमानोंमें भी खलबली मच्ची हुई थी। एक दिन प्रातः काल हमने टर्कीके बैतीम मिल जानेका समाचार पढ़ा। उस समय मुझे इतनी फुरसत नहीं थी कि टर्कीसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों पर विचार कर सकता और टर्कीके इस कार्य पर अपनी राय प्रगट करता। मैंने केवल यह प्राधना की कि भारत अशांति और विप्रवासिसे सुरक्षित रहे। मुझे दक्षिण अफ्रिकामें मुसलमान मित्रोंका ट्रिपोलोकी लडाईको घटनों ओंको समझाना पड़ा था और मैं उनके भावोंको अच्छों तरह समझ गया था। इस लिए मुझे यह समझ सकनेमें जरा भी कठिनाई न हुई कि टर्कीके शत्रुदलके साथ मिल जानेसे मुसलमानोंके दिलोंमें कैसे कैसे भाव उत्पन्न हो रहे थे। उनकी अवस्था अब

बड़ी नाजुक हो गई। दूसरे वर्ष में हिन्दू-मुसलमानोंके मेल और टक्कीसे सम्बन्ध रखनेवाले विचारोंको लेकर भारतवर्षमें आया। और मैंने यहाँ आने पर अनमव किया कि मैं इन प्रश्नोंके ठीक ढोक हल्कर सकनेमें सहायता कर सकूँगा। मैंने अपना जीवन दो बातोंके लिए अपेण किया है। हिन्दू-मुसलमानोंका स्वाई मेल और सत्याग्रह। इनमेंसे सत्याग्रहकी ओर मेरा ध्यान प्रायः अधिक है, क्योंकि इसके क्षेत्र यहुत विस्तृत है। इन आन्दोलनके प्रभाव क्षेत्रमें सभी आ जाते हैं। और यदि हम सत्याग्रहके सिद्धान्तका स्वाकार कर ले तो मेरेल अपने आप हो जायगा। जिस प्रश्नका उत्तर मेरे इस समय देना चाहता हूँ वह यह है कि यूरोपीय महायुद्धके कारण मुसलमानोंके सम्बन्धमें जो प्रश्न उठ खड़ा हुआ है उसके हल करनेमें मेरा क्या सहायता दे सकता हूँ। भारतवर्षमें आनेक पश्चात् मैं पच्छे पच्छे मुसलमान नेताओंकी नलाश करने लगा। मेरी यह अभिलाषा दल्ही पहुँच कर पूरी हुई। मैं अली भाईयोंसे मिला, जिन्हें मैं पहलेसे भी जानता था। हम लागामें पहली बारके मिलनेसे ही प्रेम हो गया। जब मैं डाकू अन्साराम मिला मुसलमान मित्रोंका दायरा और भी बढ़ गया, और अन्तमें इसमें लखनऊके मौलाना अब्दुलबारी मा आ गये। मैंने अपने इन सब मित्रों तथा भारत भरके और यहुतसे मुसलमानोंके साथ इस इसलामी प्रश्न पर विचार किया है और मुझ मालूम होता है कि यह यहुत महस्त्वका प्रश्न है।

यह प्रश्न रौलट कानूनको रह करानेकी अपेक्षा भी बड़ा है,

क्षोप्ति इसका असर करोड़ों मुसलमानोंके धार्मिक भावों पर पड़ता है। यह बात आश्वयेजनक होने पर भी सत्य है कि मुसलमानोंकी खियाँ और बढ़चे भी इस प्रश्नमें दिलचस्प। रखते हैं। इम्पीरियल गवर्नरमेंट (ब्रिटिश शासकों) के इस प्रश्न पर जो विचार हैं उनके विषयमें मुसलमानोंके दिलोंमें बड़ा भारो सन्देह है। यद्यपि बाहसराय इस अवस्थाके महत्वसे वेष्टवर नहीं है, तोभी मैं समझता हूँ कि मुसलमानोंके दिलोंका सांत्वना देनेके लिये आवश्यक है कि इस प्रश्नके विषयमें ब्रिटिश सरकार अपनी नीति प्रगट कर दे।

जहाँ तक मैं जानता हूँ इस प्रश्नके अन्तर्गत तीन मुख्य बात हैं। एक खिलाफत और टक्कीके आधिगत्यके बारेमें, दूसरी परिव्रत मका और मदीनाके बारेमें और तोसरी फ्लेस्ट। इनके बारेमें। संक्षेपमें आप यह कहते हैं कि मुसलमानोंके अधिकार युद्धके पूर्व जिस अवस्थामें थे वैसे ही अब भी रहने दिये जायें। हमारे मुसलमान देश-बन्धुओंका यह विचार है कि लौकिक और पार-लौकिक शक्तियोंमें घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस लिये मैं अच्छी नरह समझता हूँ कि टक्कीके छिन्न-मिन्न करनेकी बातके विरुद्ध मुसलमानोंके दिलोंमें कैसे कैसे भाव उठते होंगे। लेकिन टाइम्स आफ इंडिया और दूसरे पत्रोंने लिखा है कि अभी तक मुसलमानोंकी आरसे उनके स्वत्वोंका कोई सप्रमाण और विश्वसनीय बयान प्रकाशित नहीं हुआ है। केवल आप ही लोग इस त्रुटिको पूरा कर सकते हैं। मुसलमानोंके स्वत्वोंका यह

बयान शान्ति-पूर्ण, पक्षपातरहित और सम्प्रमाण होना चाहिये जो कि इस विषयके निष्पक्ष जिज्ञासुके हृदय पर असर डाल सके। समय शीघ्रताके साथ जा रहा है, और यदि आप फौरन उस और न बढ़ेंगे, जिस ओर जाना चाहते हैं, तो फिर कुछ न हो सकेगा। क्योंकि राष्ट्र-संयोगके विचारोंका मिश्र मिश्र देशोंके हिताहित पर जो प्रभाव पड़ता है उसका स्वयाल रखते हुये जितना शीघ्र सम्भव है उतना शीघ्र वह आगे बढ़ रहा है। और जब आप यह प्रगट कर दें कि आप क्या चाहते हैं उस समय यह सोचा जा सकता है कि इसके प्राप्त करनेके क्या क्या उपाय हो सकते हैं।

यह पूछा जा सकता है कि मैं, जो एक हिन्दू हूँ, एक इसलामी सवालके लिये अपने दिमागको क्यों तकलीफ देता हूँ। इसका उत्तर यह है कि जब आप मेरे पड़ोसी हैं, मेरे देशवासी हैं, तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके दुःखमें हाथ बटाऊँ। मुझे हिन्दू-मुसलमानोंके मेलके विषयमें कुछ भी कहनेका अधिकार नहीं, यदि अवसर आने पर मैं अपने विचारोंको कार्य-रूपमें परिणत नहीं करता। आप जानते हैं कि दिल्लीमें होनेवाली युद्ध-कानफरेंसके पीछे ही मैंने बाइसरायके नाम जो पत्र प्रकाशित किया था उसमें इस इसलामी प्रश्नको उठाया था। उस समयसे जब कभी मुझे मौका मिला है मैं कभी उचित स्थानों पर अपनी राय जाहिर करनेमें नहीं चूका हूँ।

अब मेरे लिये विचार करनेको यह शेष रह गया है कि आपके स्वत्वोंको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। स्वभावतः इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम सरकारके पास अपने प्रतिनिधि भेजें। कभी कभी गवर्मेंट किसी बातको उस दृष्टिसे नहीं देखता जिससे कि हम। ऐसे समयमें हमको क्या करना चाहिये? यदि अपने यहाँके शासकोंको हमने चुना होता और वे हमारे सामने ज़िम्मेदार होते तो उनकी गवर्मेंटको हम अपने बोटों द्वारा बदल सकते थे। लेकिन जब हमारे पास इस प्रकारका कोई कार्य-साधक उपाय नहीं है तो हमें क्या करना चाहिये? जब कभी सरकार प्रजाकी आकांक्षाओंको पूरा नहीं करती, वह उससे अप्रसन्न हा जाती है और उद्दण्डता करने लगती है। और मैं जानता हूँ कि बहुत लोगोंका यह विचार है कि जब अन्य प्रकारके साधारण आनंदालन असफल हो गये हों तो उद्दण्डता ही एकमात्र उपाय है। पर यह एक बहुत पुराना उपाय है। मैं इसे अत्यन्त कूर समझता हूँ, और लोगों नथा सरकारके सामने एक दूसरा उपाय रखनेका साहस करता हूँ जो सब प्रकारकी उद्दण्डताको दूर कर देता है, और पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक कार्यसाधक है। मैं समझता हूँ कि अपने स्वत्वोंके प्रतिशादनके लिये उद्दण्डताका सहारा लेना हमारे लिये व्याययुक नहीं। मारनेकी अपेक्षा मर जाना कहीं अच्छा है। यदि मैं चारी

माहवसे बातें न कर चुका होता ता पेसे विषय पर जो धर्मसे इतना अधिक सम्बन्ध रखता है, बातें करनेका साहस न करता । पर उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि कुरान-ज़रीफमें मत्याग्रहके लिये काफी प्रपाण मौजूद हैं । वे कुरानकी इस व्याख्यासे महमत है कि खास खास मौकों पर उद्घड़ता करनेकी आज्ञा तो दी गई है, पर अहङ्कारों उद्घड़ताकी अपेक्षा आत्मसंयम अधिक पसन्द है । यही प्रेमका नियम है, और यही सत्याग्रह है । उद्घड़ता मनुष्यकी कमज़ोरी है और अमा-योग्य बात है, मत्याग्रह उसका कत्त व्य है । व्यावहारिक ट्रिप्टिसे देखने पर भी यह मालूम कर सकता नितान्त सरल है कि उद्घड़तामें कोई लाभ नहीं होता, बरन बहुत कुछ हानि ही होती है । जैसा कि हम अहमदायाद और बोरमगाममें देख चुके हैं । इसके सिवा इस बातको सचाईका परिचय आपको आगामी रविवारका भी मिल जायगा । मैंने उस दिनके लिये यह सम्मति दी है कि लोग बन रखें, प्रार्थना करें और मत्या-अहीं हड़ताल मनावें । मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस मान, शोक और प्रतिवाद-प्रदर्शक बड़े जलूसमें शामिल होंगे । मान-प्रदर्शक यह एक अड्डेरेजके लिये है जिसने अद्या पूर्वक बड़ी अच्छी तरह भारतकी सेवा की है, शोक-प्रदर्शक इस बातके लिये कि उसे देशसे निकाल दिया गया है और प्रतिवाद-प्रदर्शक इस लिये कि सरकारका यह कार्य अनुचित है । यह दुःख हम सबके लिये बराबर है, और मुझे आशा है कि आप लोग इस जलूसमें

पूरा पूरा भाग लेंगे। इस जलूसकी सफलता इसीमें है कि वह निहायत शान्तिके साथ स्वेच्छापूर्वक किया जाय और अगर हमने ऐसा किया तो हमें पुलिस या फौजकी कुछ भी जरूरत न होगी। भारत जब सत्याग्रहके सिद्धान्तको स्वीकार कर लेगा, हवाई जहाज हमें डरा न सकेंगे, और जब हम कोलाहा या अन्य खानोंकी मैशीनगनोंको उपयोगमें लानेका मौका न देंगे तो उनके ऊपर मिट्ठी जम जायगी, उन पर धास उग आवेगी और हमारे लड़के उम्र पर खेलेंगे।



नया मार्ग



(अप्रैल १४, १९२०)

विगत १२ माससे खिलाफतके प्रश्नका आन्दोलन भारत और इङ्ग्लैण्डमें किया जा रहा है। प्रारम्भिक अवस्थामें यहांसे अधिक आन्दोलन इङ्ग्लैण्डमें किया गया। मुसलमानोंका जो डेपुटेशन इङ्ग्लैण्ड गया था उसने सन्ति परिषद्को मुसलमान धर्मके अनुसार इन खातोंको खूब समझाया। जलता तथा ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलके सामने भी उन्होंने अपनी असली अवस्थाका विवरण रखा। इन अनुल परिश्रमोंको असफलता तथा पेरिसकी

बटनामोंने भारतीयोंके हृदयपर कठोर आघात किया है। भारतके मुसलमान नेताओंने भी भली भाँति देखा कि गुप्त सन्धिके अन्तर्गत जो स्वार्थ छिपा है उसके बोझसे मित्रराष्ट्र बेतरह दबे हैं। उन्होंने तुरन्त एक डेपुटेशन बनाया और जोर पकड़ा। मुसलमानोंकी कमसे कम मांगोंकी उन्होंने घोषणा की। इस डेपुटेशनका प्रथम दल इडलैण्ड गया।

खिलाफत डेपुटेशनने लिवरल दलके बड़े नेतासे मुलाकात की। प्रधान मन्त्रीके सामने भी उन्होंने अपनी मांग उपस्थित की। इसका जो कुछ परिणाम हुआ हम जानते हैं। उन्होंने (डेपुटेशनवालोंने) के बल व्यक्ति विशेषोंसे ही बातचीत करके अपना काम समाप्त नहीं समझा। ऐसेकस हालमें उन्होंने सार्वजनिक सभामें भाषण किया। इस सभामें अधिकांश अंग्रेज श्रोता थे। कहा जाता है कि इस सभाका अंग्रेजोंपर अच्छा असर पड़ा। अब्दे कानिकलके संवाददाताने लिखा है कि शीघ्र ही दूसरी सभा भी होनेवाली है।

खिलाफतके प्रश्नका निपटारा चारों प्रधान शक्तियोंके हाथमें है। इनमेंसे एक इटालीके प्रधान मन्त्री सीनियर निटी है। उन्होंने जो भाषण अभी हालमें किया है और इटाली राष्ट्रपरिषदने उसकी प्रशंसा जिस प्रकार की है उससे यही विदित होता है कि पश्चिया माइनर अथवा तुकीमें वे भूमिका किसी तरहका बटवारा नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मुसलमानोंके धार्मिक भावोंको किसी भी तरह उत्तेजित करना भूल होगी। पर

बटलाप्टिक महासागरसे दुःखदायी समाचार आ रहे हैं। तुर्कोंके साथ मन्त्रिके सम्बन्धमें मित्रराष्ट्रोंने अमरीकाके पास जो पत्र भेजा था उसके उल्लंघनमें अमरीकाने लिखा है:—कुस्तु-न्तूनियाके दायराके बाहर ये सका जो अंश हो उसे यूनानियोंका दे दिया जाय। अंडुयानोपुल, किंकिलिसेह, तथा आसपासकी भूमि वलगेरियाको दे दी जाय। आर्मीनियाकी सीमा निर्धारित करके उसका स्वत्व भी स्वीकार कर लेना चाहिये और उसमें समुद्रके मार्गकी सुविधा मिलनी चाहिये। आगे चलकर उस पत्रमें निम्नलिखित व्यवस्था की गई है कि ट्रेनिजण्ड तो आर्मीनियाको मिलना चाहिये और मसोपोटामिया, अरेबिया, पलेस्ट्राइन तथा भीर्या तथा जो टापू इस समय प्रधान शक्तियोंके अधिकारमें है, उन्हें मित्रराष्ट्रोंके हाथा सोप दिया जाय और उन्हें उसकी व्यवस्था करनेका पूर्ण अधिकार हो। अमरीकन आर्मीनियन कमीशन जिस परिणामपर पहुंचा है उसे पढ़कर तो और भी चिम्मित हो जानेमें आता है। अपनी रिपोर्टके अन्तमें उसने लिखा है:— “निकट पूर्वीय प्रश्नके निपटाराका एक ही तरीका है। और वह यह है कि किसी शक्तिके हाथमें ‘मैंटेन’ दे दिया जाय और उसमें कुस्तुन्तूनिया भी शामिल कर दिया जाय।” इन दो तारोंका पढ़कर सभी विचारवान् इस बातकी प्रशंसा करेंगे कि डेपुटेशनने अमरीका जाना निष्प्रितकर दूरदर्शिताका परिवर्य दिया है। लिनेटर लाज तथा अमरीकाके समाचारपत्रोंके नाम अभी-से संबोध भेजा गया है। इस पत्रमें प्रार्थना की गई है कि

कमिश्नरोंने आर्मेनियावालोंके कहले आमकी जो चर्चा की है उसकी जांच स्वतन्त्र कमीशनद्वारा होनी चाहिये और उसमें भारतीयोंके चुने प्रतिनिधि भी होने चाहिये। एक तरफ़ी जांचके कारण इस कल्पे आमकी बातोंसे तुक्कोंके। सरपर भीषण कल्पु आ रही है और जब तक एक बार भी निरपेक्ष जांच न हो जाय किसी निर्णयपर पड़ूंचना अनुचित है। डेपुटेशनने अन्तमें लिखा है:—“कृपा करके हमारी इन प्रार्थनाओंको सिनेटके सामने रखिये और प्रतिनिधि सभा तथा अमरीकाकी जनताका ध्यान इसकी ओर आकृष्ट कीजिये।” मुझे पूर्ण आशा है कि राष्ट्रपति विल्सनको बातोंमें जो भूलें हैं उन्हें डेपुटेशन दूर करनेमें समर्थ होगा। वे लोग अमरीकाको दिखलावेंगे कि आत्मनिर्णयकी ढाँग मारनेवाले राष्ट्रपतिने अपने १२वें मन्त्रियको ताल्लपर रखकर माउण्ट-वीर्गीयकं भाषणके किनना प्रतिकूल आचरण किया है।

मित्र राष्ट्रोंने एक तरहसे मुसलमानोंकी न्यायपूर्ण मार्गोंकी अवज्ञा की है फिर भी हम निशाशा नहीं हुए हैं। इसाईयोंसे हमें अभी बहुत कुछ आशा है। और डेपुटेशनने निश्चय कर लिया है कि वह बिलाफतके अन्यायकी बातें सवकं कानों तक पहुंचावेगा। इस तरहकी दूरदर्शिता यही साधित करती है कि हमारे मुसलमान भाई बिना किसी तरहकी निराशाके नभी शान्तिमय और संगत तरीकोंका प्रयोग कर रहे हैं।

वे लोग (मुसलमान नेता) भविष्यके मनमोटावको दूर रखनेके लिये नितान्त चिन्तित हैं। इस लिये उन्हनि अपने

हृदयकी बातोंको साफ साफ कह दिया है। शेखुल-इस्लामकी गिरफ्तारीकी उन्होंने दो शब्दोंमें निन्दा की है। बर्वईकी हालकी सभामें मुसलमानोंकी मांग किर उसी तरह स्पष्ट शब्दोंमें दोहराई गई है और यह भी बतला दिया गया है कि यदि सन्तोषजनक निपटारा न हुआ तो क्या कार्रवाई की जायगी। मरकारके साथ सहयोग करना छोड़ देना कठिन बात है। और यदि साध्य होता तो मुसलमान लोग इसे बचाये होते पर उन्होंने देखा कि वे हर तरहसे लाचार कर दिये गये हैं और उन्हें बाध्य होकर इसे आरम्भ करना पड़ा। उपाधियोंका परित्याग ही इसकी (सहयोगत्यागकी) नींव डालता है। यहींसे खिलाफत आन्दोलन नया मार्ग पकड़ता है। हमारी आन्तरिक इच्छा है कि इसाई शक्तियाँ इस स्थितिकी भीषणताको समझ कर अपनी अनुदार वृत्तिमें काम लेना छोड़ दें।



प्रधान मन्त्रीका उत्तर

(अप्रैल २८, १९५०)

जिलाफत डेपुटेशनको प्रधान मन्त्रीने जो उत्तर दिया है उसका समाचार हमें अभी मिला है। मिस्टर लायड जार्जका भाषण यहें लाटके भाषणसे (जो उन्होंने भारतमें मुसलमानोंके डेपुटेशनके उत्तरमें दिया है) कहीं स्पष्ट है और इसलिये और भी निराशा पूर्ण है। जिन सिद्धान्तोंके अनुसार दो वर्ष पहले उन्होंने अपना वचन दिया था उन्होंसे आज वे विचित्र विचित्र परिणाम निकाल रहे हैं। आपने कहा है तुर्कीको अपनी करनीका फल भोगना ही पढ़ेगा। इन्हींकि पूर्वज प्रधान मन्त्रीने भारतीय मुसलमानोंके संनिकोंको खुश करनेके लिये स्पष्ट शब्दोंमें कहा था :—“ब्रिटिश सरकार तुर्की साम्राज्यपर कोई उद्देश्य नहीं रखती और तुर्की कमेटीकी अनुचित कार्रवाईके लिये सुलतानको किसी तरहका दण्ड नहीं दिया जायगा।” क्या इस वचनके पालनमें प्रधान मन्त्रीका वह उत्तर शोभा देता है ? क्या वह उचित प्रतीत होता है ? मिस्टर लायड जार्जने कहा है :—“मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अधिकांश तुर्क ब्रिटिश सरकारके जिलाफ शर्य नहीं उठाना चाहते थे। पर वहांके अधिकारियोंने जनाको धोखा दिया।” इस तरहके विश्वासके होते हुए भी आप

आज मिस्टर आस्किशके वचनको तालिपर रखकर तुकोंको दण्ड देनेकी व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें भी न्यायकी चाहाई दे रहे हैं।

आत्मनिर्णयके सिद्धान्तांकी व्याख्या करके आप दिखलाते हैं कि एकके बाद दूसरे तुकों प्रान्तोंको हड्डी लेना उस नीतिके अनुकूल ही है। आत्मनिर्णयकी नीतिमें वे इतने मदान्व हो गये हैं कि थेसको भी तुकोंके हाथसे निकाल लेना चाहते हैं यद्यपि उन्होंने स्वयं इस बातको खोकार किया है कि थेस तो हर तरहसे तुकोंका ही होना चाहिये। पर आज आपने मर्दु मसुमारीकी गणना करके निकाला है कि थेसमें मुसलमानोंकी संख्या यूनानियोंसे कहीं कम है। मद्रास खिलाफत कांफरेंसमें भाषण करते हुए मिस्टर याकूब हुसेननं इस कथनकी सत्यताका प्रतिवाद किया है। अन्य प्रान्तोंकी चर्चा करते हुए प्रधान मन्त्रीने स्मर्नांका भी जिक छेड़ा है। आपने कहा है:—“निरपेक्ष कमेटी बेठाकर हमने बड़ा सावधानीसे जांच करवाई। पर मुझे यहाँ चिदित हुआ कि अधिकांश प्रजा तुकोंकी विरोधी है। पर इस एक पक्षाय कमेटीको निरपेक्ष कौन कह सकता है और इसकी जांच न्यायानुकूल कौन कह सकता है जबतक यह कमेटी उन लाखों मुसलमानोंके कट्टे आम और देश निकालेके सम्बन्धमें उचित प्रकाश न ढाले।” इस बातको सुनकर और भी विस्मय होता है कि मिस्टर लायड जार्ज स्मर्नांकी अवध्याकी जांचके लिये तो एक कमेटीकी अवश्यकता समझते हैं जो खास इसीके

लिये नियुक्त की जाए पर वे किसी भी अवस्थामें मिस्ट्रर मुहम्मद अलीके इस प्रस्तावको नहीं स्वीकार करते कि आर्मेनियाके कल्हे आमकी जांचके लिये एक निरपेक्ष कमेटी बैठाई जाय। संभव युक्त, तथा एकनफीं बातें तथा एक उनके इस निर्णयके लिये काफी है कि तुकीं सरकार अपनी प्रजाकी रक्षा नहीं कर सकती, वह हर तरहसे अयोग्य है और इसीके आधार पर आपका कहना है कि सभ्यताके नाम पर एशिया माइनरके शासनमें भी किसी विदेशी शक्तिका हाथ होना नितान्त आवश्यक है। यहा पर उन्होने सुलतानका स्वतन्त्रताकी जड़में चोट पहुंचाई है। तुकींक शासन व्यवस्थाकी देखरेखका अधिकार अपने हाथमें लेना एक नई बात है। इस तरहका ध्यवहार तो अन्य किसी भी विजित राष्ट्रके साथ नहीं किया गया है।

सुलतानकी सम्पत्तिकी इस प्रकारसे अपहरणकी जो अवस्था को ज्ञा रनी ह उससे स्पष्ट है कि प्रधान मन्त्री खिलाफतके प्रश्नको बड़ी ही उदासीनताके साथ देखते हैं। खिलाफतके प्रश्न पर इतनी उदासीनता दिखलाना उनके अन्यायको—जो कि वे तुकीं स ज्ञात्यके अंग भग करनेको व्यवस्था देकर कर रहे हैं—और भी भीतर रुग देना है। ऐसे अनेक अवसर आये हैं जब प्रधान मन्त्रीने मुसलमानोंके इस धार्मिक अधिकार तथा शासन अधिकारको एक ही शक्तिके हाथोंमें रहनेका लाभ उठाया है। पर आज यही प्रश्न विवादप्रस्त हो रहा है।

प्रश्न यह उठना है कि इस नीतिका प्रभाव खिलाफी ग्रतिष्ठा

पर किस प्रकार पढ़ेगा अर्थात् इससे ब्रिटनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी या कलंपित होगी। जिन लोगोंने ब्रिटिश न्याय पर पूरा भरोसा करके अपने भाईयोंका रक्त पानीकी तरह बहने दिया क्या वे इस आचरणको किसी भी अवस्थामें चरदाश्त करेंगे? आहत मुसलमानोंको केवल कुत्तता प्रकाशसे ही सन्तोष नहीं हो सकता! इस समय ब्रिटनके लिये दो मार्ग खुले हैं चाहे तो वह तुर्की साम्राज्यके लिये 'मैण्डेट' जारी करके ससारमें एक बार अशान्ति और अराजकताका जन्म दे दे चाहे मुसलमानोंके हृदयों पर 'मैण्डेट' जारी करके अपना वचन निवाहे और मर्यादा बढ़ावे। प्रधान मन्त्रीने अदूरदर्शितासे काम लिया है। यह संकुचित हृदयता ब्रिटिशकी राजनीतिक कुटिलताका सबसे ताजा उदाहरण है।



बड़े लाटके पास डेपुटेशन ।

—
—

(जून २०, १९२०)

मुसलमान प्रतिनिधियोंका डेपुटेशन बड़े लाटकी सेवामें खिलाफतके नियंत्रण अपरील करनेके लिये उपस्थित हुआ था । इसमें निम्नलिखित प्रधान मुसलमान नेता थे :—मिस्टर मजहूरल हक, मिस्टर याकूब हसन, मौलाना अब्दुल बारी, मिस्टर शौकत अली, मिस्टर आजाद ।

सुशी मुसलमानोंको अधिकांश संस्थाने आपकी सेवामें उपस्थित होनेके लिये हमलोगोंको भेजा है । हमलोगोंने तुकीके साथ की गई सन्धिकी शर्तोंको अच्छी तरह पढ़ा और चिचार किया है । हमलोगोंने देखा है कि ये शर्तें मुसलमानोंके धार्मिक भावों पर कठोर आघात करती हैं । प्रधान मन्त्रीने जो वचन दिया था और जिस वचन पर भरोसा करके भारतमें मुसलमान रङ्गरुट भर्ती किये गये और भेजे गये उनको एकदमसे तोड़ दिया गया है । हमलोगोंको पूर्ण आशा है कि ब्रिटिश साम्राज्य—जो संसारमें सबसे बड़ी मुसलमान शक्ति है—खिलाफतकी प्रतिनिधि तुकी साम्राज्यके साथ उसी यरहका व्यवहार नहीं करेगी जैसा विजेता साधारण ब्रिटिश शक्तिके साथ करता है । यह निःसङ्कोच लीकर किया जा सकता है कि खिलाफी अंशमें तुकीके साथ जो व्यव-

हार किया गया है वह अन्य विजित शक्तियोंसे कहीं बुरा था। हम लोग यह बात दृढ़ताके साथ कह सकते हैं कि तुकीके प्रश्नका निपटारा करते समय ब्रिटिश सरकारको भारतीय मुसलमानोंका भी ख्याल करना होगा और उनकी मांगें पूरी करनी होंगी जहाँ तक वे उचित और न्यायसंगत हैं। हमारी धारणा है कि भारतीय मुसलमानोंने किसी तरहकी कठिनाई नहीं उपस्थित की है। पर उनके लिये यह असम्भव है कि इस युद्धमें जर्मनोंका साथ देनेके कारण तुकीका किसी तरहका दण्ड दिया जाय और उसके हाथसे अधिकार छीन लिया जाय। जिस स्थितिमें मुसलमानोंने जर्मनीका साथ दिया था उसकी समीक्षा परीक्षा करनेका यहाँ स्थान नहीं है। पर हम लोग ऐसी कोई बात नहीं चाहते जिससे आत्मनिर्णयके सिद्धान्तपर आधात पहुंचे। हमलोग ऐसे किसी भी शासनके पक्षपाती नहीं हैं जैसा कि तुकीके बारेमें कहा जाता है। आर्मेनियाकी प्रजाएर तुकी सेनिकोंके जिस अत्याचार और वर्बरताकी चर्चा की जाती है उसको निरपेक्ष जांचके लिये एक खतन्त्र कमोशन बेठानेकी सिफारिश हमारे उन प्रतिनिधियोंने की है जो विलायत गये हैं। केवल उसे दण्ड देने अथवा नीचा दिखानेके लिये तुकी अथवा तुके साझाज्यका किसी तरहका अङ्ग भङ्ग हम लोग निरपेक्ष दृष्टिसे नहीं देख सकते।

इसलिये हमलोग आपसे तथा आपकी सरकारसे इस

बातकी प्रार्थना करते हैं कि आप प्रधानमन्त्रीसे इस बातकी प्रार्थना करें कि वे सन्धिके शर्तोंपर पुनः विचारकी योजना करें और उनसे स्पष्ट कह दें कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आप भारतीय जनताका साथ देंगे। हम लोग आपकी सेवामें इस तरहकी प्रार्थना इस कारण उपलिखित करते हैं कि आपने बार बार इस बातकी घोषणा की है कि आपने तथा आपकी सरकारने भारतीय मुसलमानोंकी अवस्थाकी तरफ प्रधान मन्त्रीका ध्यान आकृष्ट किया है और उन्हें बतलाया है कि यह बात अधिकाश मुसलमानोंकी चित्तवृत्तिको ढाँचाड़ोल कर रही है। इसलिये हमारी समझमें हम लोगोंका इस बातका अधिकार है कि हम लोग आपसे कहें कि आप भारतीय मुसलमानोंको इस बातका भरोसा दें दें कि आप आजभी उसी प्रकार उनके साथ हैं और उनकी न्यायपूर्ण मर्मांगोंके लिये उनका अन्ततक साथ देंगे और यदि प्रधानमन्त्री न्यायके अनुसार सन्धिकी शर्तोंमें उचित सशाधन करानेकी चेष्टा न करें हो आप अपना पद तक द्याग देंगे। हम लोग निसङ्केच तथा साहसके साथ इस बातको कह सकते हैं कि यदि भारतवर्षको भी औपनिवेशिक अधिकार प्राप्त होता तो उसके मन्त्री ऐसी अवस्थामें—जब कि सन्धिकी शर्तें मुसलमानोंके धार्मिक भावोंकी परवान कर विश्वास बात कर रही हैं—अपने पदसे कभी स्तीका दे दिये होते।

यदि अमान्यवश आपने हम लोगोंको बात न मानी तो हम

लोगों वाध्य होकर आगमी अगस्त मासकी पहली तारीख से आपके साथ सहयोग त्याग कर देना पड़ेगा और अपने हिन्दू भाइयोंको भी हम अपना साथी बनानेकी चेष्टा करेंगे।

एक बात हम लोगोंको और कहनी है। हमारी यह प्रार्थना किसी प्रकारकी धर्मकी या अनादरके भावसे नहीं भरी है। हम ख्रिटिश साम्राज्यके कहर राजमक्त हैं। पर इस्लाम धर्मके मुकाबिले हम इस राजमक्तिको गौण खान ही दे सकते हैं। इस्लाम धर्मकी आज्ञा है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर उसपर हस्त-क्षेप करे, खलीफाके अधिकारपर चोट करे तो वह इस्लाम धर्मका विरोधी समक्त जायगा और प्रत्येक मुसलमानका यह धर्म होगा कि जिस तरहसे हो—आवश्यकता पड़नेपर तलबार उठाकर भी—उसका प्रतिरोध करे। हम लोग यह भी कहते हैं कि शक्ति—रहनेपर भी हम लोग तबतक हथियार उठाना स्वीकार नहीं करेंगे जबतक हमारे पास प्रतीकारके अन्य तरीके हैं। जो व्यक्ति खलीफाके अधिकारको जड़से काट डालना चाहता है उसके साथ किसी तरहका सम्बन्ध न रखना प्रत्येक सचे मुसलमानका कमसे कम करणीय विषय है। इसलिये जो सरकार सन्धि की शर्तोंको स्वीकार करती है तथा हम लोगोंको भी स्वीकार करनेके लिये प्रेरित करती है उस सरकारके साथ सहयोग न करना ही हम लोगोंका परम कर्तव्य होगा।

हमें पूर्ण आशा है कि असहयोग व्रत प्रहण करनेकी नीति न आवेदी पर यदि अमान्यवश हम लोगोंको लाचार होकर

असहयोग करना पड़ा तो हम लोग हर तरह से अहिंसा धारण करेंगे। हिंसा को स्थान न देंगे। हम लोग अपनी जिम्मेदारी भली भाँति समझते हैं। हम लोग भली भाँति जानते हैं कि यदि साधारण हिंसा भी हो गई तो हम : लोगों के उद्देश्यों पर भीषण आधात पहुँचेगा और हमारा मार्ग कंटकाकीर्ण हो जायगा और हम लोगों का परमपवित्र धर्ये कलङ्कित हो जायगा। इस लिये हम लोग असहयोग ब्रत को प्रहण करके इस बातकी सदा चेष्टा करेंगे कि जहां तक हो सके हम लोग सरकार को किसी तरह की वाधा न पहुँचावें और जनताके उत्तेजित भावों को सदा नियन्त्रित रखें।

— : * : —

टाइम्सका विरोध

— : o : —

(जुलाई ५, १९२०)

बड़े लाटको सेवामें खिलाफत डे पुटेशनने जो प्रार्थना की थी तथा उसके सम्बन्धमें मैंने जो छुली चिट्ठी लिखी थी उनकी खिलायती पत्रोंने कड़ी समालोचना की है। टाइम्स आफ इंडिया पत्र प्रायः निरपेक्ष रहा करता है और पक्षपात रहित मत प्रगट करता है, पर इस बार उसने भी मिश्न रूप धारण किया है और मुसलमानोंके डे पुटेशन तथा मेरे पत्रके उन शब्दोंकी—जिनमें

हम लोगोंने यह लिखा है कि यदि सन्धिको शर्तोंमें उचित संशोधन न हो जाय तो बड़े लाटको अपना पद त्याग देना चाहिये —कड़ी आलोचना की है।

मुसलमानोंने अपने डेपुटेशनमें कहा है कि ब्रिटिश साम्राज्यको तुर्कोंके साथ उसी तरहका व्यवहार नहीं करना चाहिये जैसा एक विजेता किसी विजित शत्रुके साथ करता है। टाइम्स आफ इण्डिया ने इस मतका ध्यरोध किया है। पर मेरी समझमें डेपुटेशनके प्रतिनिधियोंने अपने इस कथनका पूरी तरहसे समर्थन किया है। उन्होंने कहा है:—“हम लोगोंकी यह प्रार्थना है कि तुर्कोंके प्रश्नको हल करते समय ब्रिटिश सरकारको भारतीय मुन्नदानोंके धार्मिक भावोंका भी ख्याल करना होगा जहां तक वह न्याययुक्त और उचित है।” मेरा कहना है कि यदि सात करोड़ मुसलमान साम्राज्यको प्रजा हैं तो उनकी मर्यादा अवश्य पालनो चाहिये और तुर्कों साम्राज्यका किसी तरहका दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये। लड़ाईके जमानेमें तुर्कोंने क्या किया, इसका उल्लेख यहांपर करना अप्रासंगिक होगा। उसके लिये उसे काफी दण्ड मिल गया। इस पर टाइम्स आफ इण्डिया प्रश्न करता है:—क्या तुर्कोंके साथ अन्य विजित शक्तियोंसे खराब व्यवहार किया गया है? मैं समझता हूं कि यह बात इतनी स्पष्ट है कि इसके बारेमें कुछ पूछनेकी आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती थी। जो व्यवहार तुर्कोंके साथ किया गया है वह व्यवहार न तो अर्मनीके साथ

किया गया है और न आस्ट्रिया हंगरीके साथ। समस्त तुकीं सांख्याज्यका अवहरण कर लिया गया है और सिवा राजधानी (कुस्तुन्तुनिया) के अब तुकीं सांख्याज्यके हाथमें कुछ नहीं रह गया है। उसमें भी इस नरहके प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं कि कोई भी आहमाभिवानी मनुष्य उसे स्वीकार करनेके लिये तेयार नहीं हो सकता, एक राजाकी तो बात हा न्यारी है।

टाइम्स आफ इपिड्याका कहना है कि मुसलमान डेपुटेशनके प्रतिनिधियोंने इस बातकी छानबीन नहीं की है कि तुकींने ब्रिटिशका साथ क्यों नहीं दिया। पर यह तो कोई छिपा कारण नहीं है। उस तुकींका कहर शब्द है और उस समय तक मित्रदलोंमें रुस भी समिलित था। इसलिये मित्रदलोंमें शामिल होना तुका के लिये कठिन था। युद्धके दिनोंमें रुस तुकींका नाका रोके खड़ा था और प्रतिक्षण चोट करनेका तैयारी कर रहा था। ऐसी अवस्थामें मित्रोंका साथ देना तुकींके लिये असम्भव था। ब्रेट ब्रिटनपर तुकींका मन्देह स्वाभाविक था। उसे अनुभव था कि बलगेत्रियन युद्धके समय ब्रिटनने उसकी जरा भी सहायता नहीं की थी। इटाली युद्धके समय भी ब्रिटनने अगनी मेंत्री नहीं निवाही। इस अवस्थामें जर्मनका पाया पकड़ना स्वाभाविक था। जबकि भारतके मुसलमान नेता उसका साथ देनेके लिये तेयार थे तो उसके (तुकींके) राजनीतिक ब्रिटिशका साथ कर लिये होते क्योंकि ऐसी अवस्थामें मित्रोंका साथ देनेसे ब्रिटन उन्हें किसी तरहकी झटि नहीं

पहुँचा सका होता। पर यह सब बातें बदला हो जानेके बाद सूखती हैं। तुकरोंने भूल की और उसके लिये उसे दरड मिल गया। उसको और भी नीचा दिखाना भारतीय मुसलमानोंके धार्मिक भाषणोंकी अवहेलना करना है। बिटनको उचित है कि वह इस नीतिपर न चले और भारतीयोंके जाग्रत मानसिक भोगोंको अपने पक्षमें बनाये रखें।

टाइम्स आफ इण्डियाने लिखा है कि सन्धिकी शर्तें आत्म-निर्णयके सिद्धान्तोंके आधारपर बनी हैं और उन्हें पूरी तरहसे चरितार्थ करती हैं। यह तो पाठकोंकी आंखोंमें धूल छोकना है। क्या आडियानेपुल और थेस यूनानियोंको दे दिना आत्म-निर्णयके सिद्धान्तके अनुसार हुआ है? आत्मनिर्णयके किस सिद्धान्तके आधारपर स्मर्ना भी यूनानियोंको दे दिया गया है। क्या थेस और स्मर्नाके निवासियोंने यूनानियोंके अधिकारकी अभिलाषा प्रगट की थी?

मुझे यह कभी भी विश्वास नहीं होता कि अरबवालोंने उस अवस्थाको पसन्द किया है जो उनके साथ की गई है। हजाज़का शासक कौन है? और अमीर के सुल्तान क्या अधिकार है? क्या अरबवालोंने इन्हें अपनी इच्छासे चुना है। क्या इङ्लैण्डने अरबवालोंकी जो जिम्मेदारी 'मैरेंडोट' छारा ली है वह अरब-वालोंको स्वीकार है? इन सभी प्रश्नोंका निपटारा होते न होते आत्म निर्णयका नाम ही गायब हो जायगा। प्रमाण मिल रहे हैं कि अरब, थेस तथा स्मर्नाके निवासी अपने भाव्य

निर्णय पर अभीसे असत्तोष प्रगट कर रहे हैं। मुमकिन है कि उन्हें तुकों का शासन न स्वीकार हो पर वर्तमान अवस्थाको व और भी नहीं चाहते। वे लोग तुकोंके साथ अपना निपटारा कर लिये होते पर उनके साथ जो बन्दोबस्त किया गया है उसमें वे जानते हैं कि आत्म निर्णयके नामपर उनके ऊपर ब्रिटिश सेनाका भार लाद दिया गया है और उसके पैरों तले वे हींदे जायंगे। ब्रिटिशके लिये सीधा मार्ग खुला था। वह तुकोंसे सुशासनके लिये पूरी जमानत ले लिये होता और उनको जैसाका तैसा रहने देता। पर उसके प्रधान मन्त्रीने गुम सन्थ और कुटिल मार्गका अनुसरण ही उचित समझा।

उनके लिये आज भी उपाय है। भारतको घराबरका साथी वे स्वीकार कर लें। मुसलमानोंके सच्चे प्रतिनिधियोंको वे निमन्त्रित करें। उनको अरब आदि प्रदेशोंमें भ्रमण करने दें और उनकी सहकारितामें ऐसा प्रबन्ध करें जिससे तुकों साम्राज्यकी किसी भी तरहसे अप्रतिष्ठा न हो और तुकों साम्राज्यके अन्तर्गत जितने भी राज्य हैं सबकी उचित व्यवस्था हो जाय। यदि आज कनाढ़ा, आस्ट्रेलिया या दक्षिणी अफ्रीकाका प्रश्न होता तो मिस्टर लायड जार्जको अवश्य सुनना पड़ता। वे इसको इतनी उपेक्षाकी दृष्टिसे न देखते, क्योंकि उनके (इन उपनिवेशोंके) हाथमें मनाने और मजबूर करनेका बल है। भारतके हाथमें इस तरहका कोई अधिकार नहीं है। पर यदि भारतके हृदयस्थ भावोंका ब्रिटिश साम्राज्यको जरा भी सम्मान नहीं करना है तो व्यर्थका

बराबरीकी विडम्बना करके वह उसका अपमान करों करता है। मैं टाइम्स आफ इण्डिया को सलाह दूँगा कि वह इस स्थिति को समझे और जिस काम के लिये भारत के प्रमुख नेता जोर दे रहे हैं उसमें योगदान दे।

मैं फिर भी यही कहता हूँ कि यदि मन्त्रिमण्डल भारतीयोंके धार्मिक भावकी प्रतिष्ठा नहीं करना चाहता और उनकी मर्यादा-का पालन नहीं करना चाहता तो लाडू चेस्सफार्ड्सको यही उचित है कि वे अपने पदसे स्तीका दे दें। टाइम्स आफ इण्डिया ने लिखा है कि कानूनकी दृष्टिमें लाडू चेस्सफोर्ड्सको मन्त्रिमण्डलके निर्णयके विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिये। क्या यह लिखकर टाइम्स आफ इण्डिया कानून शब्दको तोड़ मराड़ नहीं रहा है। इस बातका हम स्वाकार करते हैं कि अपने पद-पर रहकर कोई भी बड़ा लाट मन्त्रियोंके निर्णयका विरोध नहीं कर सकता पर कानून बड़े लाटके स्तीकामें चाघक नहीं हो सकता और जब कोई बड़ा लाट यह देखता है कि उसे अन्याय आचरण करनेके लिये बाध्य किया जा रहा है और इस आचरणसे उन-लोगोंके बीचमें बड़ी उत्तेजना फेलनेकी संभावना है जिनका शासन वह कर रहा है तो सिवा स्तीका दे देनेके उसके लिये और कोई चारा शेष नहीं रह जाता है।

मुसलमानोंमें तैयारी ।

(जून ३०, १९२०)

धारे धीरे मुन उमान लोग युद्धकी तैयारी कर रहे हैं। उन्हें जिन कठिनाइयोंसे लड़ना है वे भीषण हैं परं पैगढ़वर मुहम्मद साहबको जिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा था उनके मुकाबिले ये कुछ भी नहीं हैं। उन्हें बारबार अपनों जानका जोखिममें डालना पड़ा था। इतनेपर भी ईश्वर परसे उनका विश्वास नहीं उठा। वे ढूढ़ रहे। उन्हें परेश नीन कभी नहीं सताया क्योंकि उनका विश्वास था कि ईश्वर मेरे साथ है और मैं सत्य का प्रचार कर रहा हूँ। यदि उनके अनुयायियोंमें उसका आधा भी विश्वास है, यदि उनमें आधी भी ढूढ़ता है तो जो बाधाएं उनके मार्गमें इस समय उपस्थित हो रही हैं, आपसे आप दूर हो जायेंगो बल्कि थोड़े दिनोंमें वे ही कठिनाइयां और बाधाएं तुकोंके अंगभंग करनेवालोंके मार्गमें जो उपस्थित होने लगेंगी। इस समय ही मिश्रराष्ट्रोंमें जो लोलुपता आ गई है वह उन्हें ज्ञानके लिये मुँह फ़ला रही है। क्रांति अपने भारको कठिन समझ रहा है। युनानियांने बेर्मानीसे जो कुछ भी प्राप्त किया है उसे वे पचा नहां सकते। और इन्हें एड मेसापोटामिया पर अधिकार जमा लेना टेही बीर समझ जा है। जिस अडिको उसने अमादमें पड़कर बगाया है उसको और भी प्रज्ञसित

करनेके लिये मोसूलकी तेलकी ज्ञाने आदुतिका काम करेंगी और उसे भस्मसात फर देगी। समाचार यत्रोंका कहना है कि अरबवाले अपने बीचमें हिन्दुस्थानी सेनिक नहीं देखना चाहते। इसमें आश्वर्यकी कोई बात नहीं है। वे जितने लूँचार हैं उतने ही बीर हैं। उन्हें यह कभी भी पसन्द नहीं आ सकता कि हिन्दुस्थानी फौज मेसापोटामियामें रहे। असहयोग आन्दालनके अलावे भी प्रत्येक भारतीयको उचित है कि वह किसी भी अवध्यामें मेसापोटामिया जाना स्वीकार न करे। हमें अपनी स्थितिपर विचार कर लेना चाहिये। किसी तरहकी भी नौकरी स्वीकार करनेके पहले हमे यह भली भाँति देख लेना चाहिये कि ऐसा करनेसे हम किसी तरह अन्यायाचरणमें योग दान तो नहीं कर रहे हैं? खिलाफतका प्रश्न और अन्यायकी बातें छोड़ दें तोभी अब्देजोंका मेसापोटामियापर कठजा करनेका कोई अधिकार नहीं है। जिसे हम दिन दहाड़े लूट कह सकते हैं उसके लिये साज्जाज्य सरकारकी किसी तरहकी सहायता करना हमारा धर्म नहीं है। मेसापोटामियामें यदि हम केवल जीविकाके क्षयालसे ही जाते हैं तोभी हमें देख लेना चाहिये हि, किस तरीकेसे हम जीविका उपार्जन करने जा रहे हैं वह किसी तरह लाभित या गर्हणीय तो नहीं है।

असहयोगके नामोच्चारणसे ही कितने लोगोंको गईन हिलने लगती है। यह देखकर मुझे अनिश्चय विस्मय होता है। असहयोगके समाज पुराधरण, पवित्र और गोरक्षार कोई भी झंका नहीं

है। यदि इसका ठीक तरहसे प्रयोग किया जाय तो किसी तरहकी बुराईकी संभावना नहीं हो सकती। इसकी उपयोगिता उतनी ही अधिक होगी जितना प्रबल त्यागका भाव इस ब्रतके ग्रहण करनेवालोंमें होगा।

सबसे प्रधान कर्तव्य असहयोगके लिये क्षेत्र तैयार करना है। प्रत्येक बुद्धिमान तथा समझदार प्रजाका यह कर्तव्य है कि वह अपनी सरकारसे कह दे कि मैं आपके बेईमानी और पापके काम-में सहयोग नहीं कर सकता। यदि हमारी हीनता, लाचारी, और अविश्वास हम लोगोंके भागमें वाधा न उपस्थित करें तो हम इस परम पवित्र शख्को अवश्य ग्रहण करते और इसका प्रयोग करते। यह बात निर्विवाद है कि कोई भी सरकार कितना ही ज़ालिम और उच्छृंखल क्यों न हो वह प्रजाकी अनुमति विना एक क्षणके लिये भी अपनः शासन नहीं चला सकती अर्थात् प्रजाकी अनुमति अत्यन्त आवश्यक है चाहे वह अनुमति बल द्वारा ही क्यों न प्राप्त की जाय। पर जिस क्षण प्रजा उसकी उच्छृंखलताकी परवा करना होड़ देतो है, राजाकी शक्ति गायब हो जाती है। पर ब्रिटिश सरकार हर स्थानपर जोर और जुल्मसे ही काम चलाना नहीं साहती। वह शासितोंकी सदिच्छा प्राप्त करनेकी भी चेष्टा करती है। पर वह शासितोंसे कोई बात जबर्दस्ती मनवानेसे भी बाज नहीं आती। उसने 'ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है' का सर्वथा त्याग कर दिया है। इसलिये अपने मतमें लानेके लिये वह अनेक प्रकारसे आंखों

प्रूस देती है जैसे, वह आपको उपाधि प्रदान करती है, तमगे देती है, नौकरियाँ देती हैं और जब ये सब तरीके असफल हो जाते हैं तब वह बलप्रयोग करती है।

इसी नीतिका सहारा सर माइकल ओहायरने लिया और इसी नीतिका सहारा अन्य सफेद कर्मचारी भी लेंगे यदि उन्हें इसकी आवश्यकता प्रतीत होगी। इसलिये यदि हम उपाधियों-के लिये मुंह न फैलावें, तमगे और आनंदरी पदोंके लिये दौड़ते न फिर—क्योंकि इनसे देशको किसी तरहका लाभ नहीं हो सकता—तो हमारी आधी विजय तो उपेंही हो जाती है।

मेरे सलाहकारों (१) का कहना है कि यदि तुर्कीके साथ सन्धिकी जो शर्तें की गई हैं उनपर पुनर्विचार भी किया गया तो यह असहयोगके कारण नहीं होगा। पर मैं उन्हें बतला देना चाहता हूँ कि असहयोगका उद्देश्य सन्धिकी शर्तोंमें सुधार करानेसे कही उच्च है। यदि हम सन्धिकी शर्तोंमें सुवारके लिये मजबूर नहीं कर सकते तो हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि जो सरकार इस तरह किसीका हक हड्डप जानेके लिये तैयार है उसका साथ छोड़ दे सकते हैं। और यदि असहयोग आन्दोलनको मैं पूर्ण सफलतासे अन्तिम सीमा तक ले जा सका तो मैं सरकारको मजबूर कर दूँगा कि या तो वह भारतवर्षसे हाथ धोये या हड्डपनेकी नीतिका त्याग करे। मुझे अभी तक लिखास है कि ब्रिटिन अपने बर्तमान चालबाज प्रधान मन्त्रीको हड्डाकर डसके स्थानपर येसा योग्य अक्ति रखेगा जो आगुत

भारतकी राय लेकर हम्बिंकी शर्तें में इस प्रकारका उल्ट करे
करेगा जो उसकी मर्यादाके उपयुक्त होगा, तुकोंकी प्रतिष्ठाको
स्थापित करेगा और भारतके स्वीकार करनेके योग्य होगा।

पर मेरे विरोधियोंका कहना है कि न तो भारतमें योग्यता है
और न शक्ति है कि वह इस प्रकारकी सफलता प्राप्त कर सके।
उन लोगोंका कहना अंशतः ठीक है। भारतमें ये गुण इस समय
वर्तमान नहीं हैं। पर क्या जो बातें हम लोगोंमें नहीं हैं उन्हें हम
प्राप्त भी नहीं कर सकते? क्या लाभके लिये हमें प्रयत्न नहीं
करना चाहिये? क्या इस लाभके लिये किसी तरहका बालदान
भी अत्यधिक कहा जा सकता है?

————— :#: —————

ब्रिटिश साम्राज्यवाद

—○: #: ○—

(जून ३०, १९३०)

यदि इस बातको साचित करनेके लिये और प्रमाणोंकी
आवश्यकता है कि तुकोंके साथ जो शर्तें तै की गई हैं उनका
कारण मित्रराष्ट्रोंका साम्राज्यवादकी उत्कट अभिलाषा है तो
विगत चन्द्र मासकी घटनाओंने इन्हें भली भाँति साचित कर
दिया है। तेलका प्रस्तोत्र, विजयको आकांक्षा, राज्यका
विस्तार, तथा जल और खल मार्गोंका प्रमुख पेसा विषय

था जो मित्रोंको नेकनियतीका पार कर गया। उन लोगोंकी दूरदर्शिता छुंबली पड़ गई। परमपरागत सिद्धान्त, नेकनियती, वादा तथा प्रतिक्षाओंकी बात उन्होंने ताज्जपर रख दी। इस महायुद्धका यह अतीव खेदजनक परिणाम है। पर इससे भी खेदजनक परिणाम यह है कि जो अंग्रेज जाति युद्धके लिय न्याय, सचाई और अधिकारकी घोषणा जोर शोरसे कर रही था आज वही कुटिल नीतिके चक्रमें सबसे पहले फंस गई है। उसने इस बातको प्रमाणित कर दिया है कि इस कुटिल नीतिके विधायक वही हैं! प्रतिस्पर्धी मित्र राष्ट्रोंके राजनीतिज्ञों तथा समाचार पत्रोंसे जो बातें प्रगट हुई हैं उनसे स्पष्ट है कि इङ्लैण्डके प्रधान मन्त्री अपने साम्राज्यवादी दलके साथ तुर्कोंके अंगभंग और मठियामेटकी नीतिका प्रनिपादन सबसे प्रथमसे ही करने चले आ रहे हैं। जहाँ तक मालूम हुआ है स्टम्बोलसे सुलतानके भगानेका प्रस्ताव उन्होंने उपस्थित किया था। आज तुर्कीमें अधिकांश सेना बिटनकी ही है। अपने अनुयायी यूनानको थ्रोसके उत्तम उत्तम प्रान्तोंको उसीने दिलवाया है। एशियामानहरके समृद्ध प्रदेश उसकी ही देख रेखमें हैं। फारसपर उनका पूर्ण अधिकार है और भारतके साथ वह स्थलमार्गद्वारा उसे जोड़नेकी व्यवस्था कर रहा है। यदि इन उचलन्त प्रमाणोंके रहते किसी और प्रमाणकी आवश्यकता प्रतीत हो तो वह भी मिल सकती है। उस प्रकारका प्रमाण इटालीके प्रधान सीनियर निटीका असोसियेटेडके प्रतिनिधिके साथ बार्टलाप है जिसे

पहले पहल फ्रांसके सरकारी पत्र ला टेम्पसने प्रकाशित किया था और जिसे मञ्चेस्टर गार्जियनने उद्धृत किया था। इस बात-चीतमें उन्होंने कहा था :—

“इस (नीति) का परिणाम एशिया माझनरमें युद्ध होगा। पर इस युद्धके लिये न तो इटाली एक सिपाही देगा और न मैं एक पेसा। तुमने तुकांसे उनके पवित्र क्षेत्र आण्डूयानोपुल-ले लिया है। तुमने उनकी राजधानीको विदेशियोंके कब्जेमें छोड़ दिया है। तुमने उनके समस्त बन्दरगाहों और उनके राज्यकी अधिकांश भूमिको ले लिया है। तुम्हारे चुने हुए पांच प्रतिनिधि इस सन्धिपत्रपर हस्ताक्षर कर देंगे पर उनका समर्थन न तो तुके लोग ही करेंगे और न तुकीं सरकार ही करेंगी।”

ला टेम्पस पत्रने लिखा है कि इटाली सरकार इस नीतिपर बराबरसे चलती आ रही है और यदि वह देखेगी कि संयुक्त शक्तिद्वारा ही सन्धिकी शर्तें स्वीकार कराई जा सकेंगी तो वह साथ भी छोड़नेको तैयार है। इससे इटाली सरकारकी नीति-का यता चल जाता है। इटालीकी प्रजा इससे भी एक कदम आगे बढ़ी हुई है। इटालीके अनेक समाचारपत्रोंके देखनेसे विदित हो जाता है कि उनका क्या विचार है। इटालीका प्रसिद्ध पत्र गियोर नाले द्वे इटालिया लिखता है :—‘जनताको सचेत हो जाना चाहिये। सन्धिकी शर्तोंमें मुसलमानोंके साथ पूरा विश्वासघात किया गया है। इसके कारण दूसरा धार्मिक

युद्ध हुए विना नहीं रह सकता। इस पत्रने आगे चलकर फिर लिखा है :—‘यदि सन्धिकी शर्तें चरितार्थ हो गईं तो निकट पूर्णपर ब्रिटनका सोलहो आना अधिकार हो जायगा। कुछ तो सीधे उन कतिपय प्रदेशोंपर अधिकार रखनेसे और कुछ प्रकारान्तरसे अर्थात् उनके अनुयायी यूनानियों द्वारा।’

इससे व्यक्त है कि सन्धिकी इन शर्तोंको न तो इटालीकी प्रजा ही स्वीकार करती है और न प्रधान मन्त्री ही इससे सहमत हैं। उन्होंने कायरतासे उसपर हस्ताक्षर तो कर दिया है पर किसी तरहकी जिम्मेदारीसे वे समझन्य नहीं रखता चाहते। इटालीकी बावत तो आप जान गये। अब फरासीसी और अंग्रेज शासकबगे तथा प्रजा शेष रह गईं। मुहम्मद अलीने जो तार, पत्र और खरीते भेजे हैं उनसे चिदित हात। है कि तुकोंके प्रश्नपर फरासीसी राजा और प्रजा दोनोंका मत आशाजनक है। यही बात कुछ खास खास फरासीसी पश्चोंके मतोंसे भी पुष्ट हो जाती है। पर अंग्रेजोंका मत इसके पक्षमें नहीं है। फरासीसी राजनीतिज्ञोंका इस सन्धिकी ओर क्या भाव है उसका दिग्दर्शन पल ० हुमानिटा में प्रकाशित मि० पाल लुईके पत्रसे हो जाता है। उन्होंने लिखा है :—

‘यूरोपके पूर्व प्रदेशोंमें ब्रिटिश अपनी साम्राज्यवादकी अभिलाषाको पूरी तरहसे चारितार्थ कर रहा है। वह तुकोंका अंगभंग करके उसे एक छोटासा प्रदेश बनाकर अपने अनुयायी राज्योंके बीचमें अथवा अपने अधिकृत प्रदेशोंके बीचमें रख छोड़ना

चाहती है। मस्तुकी तेलकी खानोंपर वह अधिकार रखना चाहता है, बाटुम तथा बाकूकी तेलकी खानोंपर भी वह कड़ा करना चाहता है। कृस्तुतूनिया उसके हाथमें है। आण्डू-यानोपुल यूनानियोंको देकर और बेनिजलोपर कुपाओंकी वर्षा-कर वह हेलनके लिये बीजएटाइन साम्राज्यकी स्थापना करके उसे निकटपूर्वमें अपना सबसे प्रभाव अनुयायी बनाना चाहता है और उसका प्रयोग तुकों राष्ट्रीयता तथा इसियोंके विशद करना चाहता है अर्थात् इङ्ग्लैंड अपनी छब्बायामें सारे संसारको लाना चाहता है।”

जिस समय फ्रांसने राइन प्रदेशपर अधिकार कर लिया था उस समय ब्रिटनके समस्त राजनीतिक और स्वर्य लायड जार्ज फ्रांसपर यह दोषारोपण कर रहे थे कि वह उसे फ्रांसमें मिलाने-की चाल चल रहा है। उस दोषारोपणका प्रतिबाद करते हुए ला टेप्पसने इन शब्दोंमें ब्रिटिश नीतिकोंकी निर्भत्सना की है :—

“मिस्टर लायड जार्ज इस बातको भलीभांति समझते हैं कि फ्रांस और ब्रिटनकी मैत्री कायम रखनेके लिये किसी भी ब्रिटिश राजनीतिको यह उचित नहीं है कि वह फरांसीसियों पर साम्राज्यवादका दोष लगावे चाहे वह किसी समाचारपत्रका सम्पादक ही क्यों न हो। इस तरहके आक्षेप वह अस्त्र हैं जो उलटा ही आकर पड़ते हैं। यद्यपि ब्रिटिश साम्राज्य अति बेगमें बढ़ता जा रहा है किर भी हम लोग यह कहनेका कभी भी साहस नहीं करते कि इसका शासनाधिकार बन्द साम्राज्यवादियोंके

हाथमें है।... हम लोग तो इतना भी सन्देह नहीं करते कि हमारे अंग्रेज मित्र केवल विस्तारके लिये ही इस प्रकारकी बाते निकाल रहे हैं। जैसे ब्रिटन फारसपर कहाँ बनाये रखनेके लिये भारतके साथ उसे न्यूल मार्गसे जोड़ देना चाहता है।"

ब्रिटनके पक्षपाती भी इन बातोंसे क्या परिणाम निकाल सकते हैं? इससे यही परिणाम निकलता है कि मिस्टर लायड जार्ज, मिस्टर मिलनर और मिस्टर चिंगलके नेतृत्वमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद तुर्कीके साथ कीर्गई सन्धिके जिम्मेदार हैं।

इसके अतिरिक्त डेलो मेलका कहना है कि फ्रांसीसी लोग इस सन्धिकी शर्तोंमें सुधारकी चर्चा कर रहे हैं। यदि यह सच है तो उपरोक्त कथनकी और भी पुष्टि हो जाती है। इस उपरोक्त कथनका प्रतिवाद किया गया है पर उस प्रतिवादसे भी यही व्यक्त होता है कि फ्रांस सुधारका पक्षपाती है। प्रतिवादके निम्नलिखित शब्द हैं:—

"पेरिससे सरकारी तौर पर सूचना निकली है कि "डेली मेलका कहना गलत है। यह सच है कि फ्रांस हर तरहकी सुविधा देनेको तैयार है जिससे तुर्क लोग सन्धिकी शर्तोंको स्वीकार कर उसका पालन कर सकें पर वह सुधारकी चर्चा तबतक नहीं कर सकता जबतक तुर्क लोग उस पर हस्ताक्षर न कर दे।"

इतना प्रमाणोंके होते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि

सुप्रीम सभाके सामने ब्रिटन लाचार था। वास्तवमें बात एकदमसे उलटी है। जिस विश्वासकी नींव हैम्पडन, मेकाले, रसकिन, कार्लाइल तथा लेडस्टन सदूश अंग्रेजोंने डाली थी और पुष्टि की थी उसको खोदकर उखाड़ के कनेकी व्यवस्था वह साम्राज्यवादकी चालबाजियाँ कर रही हैं जिनके हाथमें आज ब्रिटनका भाष्य है। ब्रिटिश अपने साम्राज्यवादके अधीन सारे संसारको लाना चाहता है। जिस दिन इन साम्राज्यवादी लालचियोंके सामने ब्रिटनकी उदारता सिर झुका देगी उस दिन ब्रिटनका अन्त समझिये।

मुसलमानोंका निर्णय ।

जून ६, १९२० ।

इलाहाबादकी खिलाफत सभाने सबे सम्मतिसे असहयोगके सिद्धान्तको स्वीकार कर लिया है और विस्तृत कार्य विवरण निश्चित करनेके लिये कार्य कारिणी समिति बैठाई है। इस सभाके पहले दिन्दू मुसलमानोंकी एक संयुक्त सभा कीगई थी जिसमें सभी मतके नेता अपना अपना मत प्रगट करनेके लिये निमन्त्रित किये गये थे। उस सभामें मिसेज बेसेएट, माननीय परिषद्त मालबीयजी, माननीय डाकूर तेजबहादुर

सप्त्रु, परिषद भोतीलाल नेहरू, मिस्टर चिन्तामणि आदि प्रमुख नेता उपस्थित थे। भिज्ञ भिज्ञ मर्तोंके हिन्दू नेताओंकी राय मान कर खिलाफत सभाने बुद्धिमानीका काम किया। मिसेज बेसेंट तथा डाकूर तेजबहादुर सपूने असहयोग आन्दोलनका घोर विरोध किया। अन्य हिन्दू नेताओंने पहलू बचाकर भावण किया। किन्तु हिन्दू नेता ऐसे भी थे जिन्होंने सिद्धान्ततः तो असहयोग आन्दोलनको स्वीकार किया पर उसके सञ्चालनमें अनेक तरहकी कठिनाइयाँ दिखलाई। उन्हें इस बातका भी भय था कि यदि मुसलमानोंने अफगानोंको निपन्नित किया तो बखेड़ा मच सकता है। इस पर मुसलमानोंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि यदि कोई भी विदेशी शक्ति भारत पर आक्रमण कर उस अपने अधीन करनेकी चेष्टा करेगी तो हम लोग प्राण रहते उसका विरोध करेंगे पर यदि कोई शक्ति इस उद्देश्यसे भारत पर आक्रमण करेगी कि वह हम लोगोंके साथ न्याय करानेके लिये ब्रिटिश सरकारको दण्ड दे तो हम लोग यदि उसकी सहायता नहीं करेंगे तो उसका स्वागत अवश्य करेंगे। हिन्दुओंका भय और उनकी आशङ्का निरूप नहीं है। पर मुसलमानोंकी स्थितिका प्रतिरोध करना भी कठिन है। ऐसी अवस्थामें सबसे उत्तम तरीका हिन्दुओंके लिये यह होगा कि वे असहयोग आन्दोलनको पूरी तरह सफल बनावं। यही एक उपाय है जिसके द्वारा भारत इस्लामकी सेना और अंग्रेजोंकी सेनाका युद्ध स्थल नहीं बन सकेगा।

हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि मुसलमान लोग अपनी प्रतिका पर ढटे रह गये, आत्मसंयम पर चले और बलिदानके लिये तेयार रहे तो हिन्दू लोग अवश्य ही उनका साथ देंगे और असहयोग बत धारण करेंगे। मुझे यह भी विदित है कि यदि मुसलमान अपने बल पर या अफगानोंकी सहायतासे अंग्रेजोंके साथ सशाख युद्ध करना चाहेंगे तो वे उनका कभी भी साथ नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त सीमा पर ब्रिटिश सेना इतनी सज़ूठित है कि कोई भी विदेशी शक्ति सहजमें भारत पर आक्रमण नहीं कर सकेगी। इसलिये यदि इस्लाम धर्मकी रक्षाके लिये मुसलमानोंके हाथमें कोई भी उपाय शेष रह गया है तो वह असहयोग आन्दोलनको सफल करना है। यदि लोगोंने तत्परताके साथ इसे अपनाया तो यह केवल सार्थक हो नहीं होगा बल्कि व्यक्तिगत उद्घोषन भी इससे अपरिमित होगा। यदि मैं किसी व्यक्ति विशेष या संस्थाके अन्याय-युक्त आचरणको नहीं देख सकता तो मैं उस पापाचरजमें यदि हाथ बढ़ाऊं तो इसके लिये मुझे ईश्वरके सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। अगर मैंने ऊपर लिखित अन्यायाचरणमें देख नहीं दिया तो मैंने जहाँतक संभव या सदाचारकी नीतिके अनुसार ही काम किया। इसलिये इस महान अख्तके प्रयोगमें जल्दीबाजी अथवा बदमिजाजीको खान नहीं देना चाहिये। असहयोग आन्दोलन हर तरहसे आत्म प्रेरित होना चाहिये। इसलिये समस्त बातें मुसलमानोंपर ही निर्भर करती हैं।

यदि उन्होंने अपनी सहायता अपने आप की तो हिन्दुओंकी सहायता उन्हें अवश्य प्राप्त होगी और सरकार वह कितभी ही बलिष्ठ कर्मों न हो अवश्य ही सिर झुकावेगी। रक्षणात् रहित जनताके सामृद्धिक विरोधका सानमा कोई भी सरकार नहीं कर सकती।

—०#०—

मिस्टर माण्टेगूकी धमकीका उत्तर।

—०#०—

हाउस आफ कामन्समें एक सदस्यके प्रश्नके उत्तरमें मिं० माण्टेगूने महात्मा गांधीको राजद्रोही कहा था और उनके सम्बन्धमें कुछ धमकियाँ भी दी थीं। महात्मा गांधीने उनकी धमकियोंका जो उत्तर दिया था वह इस प्रकार है :—

‘खिलाफत आन्दोलन जिसका कि रोज बल बढ़ता जा रहा है, मिं० माण्टेगूको पसन्द नहीं है। हाऊस आफ कामन्समें कुछ प्रश्नोंके उत्तरमें आपने कहा है कि यद्यपि आप यह स्वीकार करते हैं कि मैंने भूतकालमें देशकी अच्छों सेवा की है तथापि आप मेरी वर्तमान नातिको शान्त भावसे नहीं देख सकते और अब मेरे साथ चंसा नरमीका व्यवहार नहीं किया जायगा जैसा कि रौलट येहू सम्बन्धी आन्दोलनके समय किया गया था। आपने यह भी कहा है कि आपको भारत सरकार और प्रान्तीय

सरकारमें पूरा विश्वास है। वे आनंदोलन पर होशियारीसे नज़र रख रही हैं और उनको स्थितिका प्रबन्ध करनेके लिये पूरी शक्तियाँ स्वतन्त्रता है।

मिस्टर माण्टेगूका यह कथन बहुतसे लोगोंने धमकी समझा है। बहुतोंका मत है कि इस आक्षका अर्थ यह है कि भारत सरकारको अधिकार दे दिया गया है कि अगर वह चाहे तो फिर भयका साम्राज्य स्थापित कर सकती है। निस्सन्देह मिस्टर माण्टेगूका कथन उनकी इच्छाके उपयुक्त नहीं है कि भारतका शासन भारतकी जनताके प्रेमके आधार पर स्थापित किया जाय। साथही हपट्टर-कमेटी जिस परिणामपर पहुँची है अगर वह ठीक है और पञ्चायते गत वर्षके उपद्रवोंका मैं ही कारण हूँ तो निस्सन्देह मेरे साथ असाधारण नरमीका व्यवहार किया गया है। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि मैं इस वर्ष जो काम कर रहा हूँ वह मेरे गत वर्षके कामकी अपेक्षा साम्राज्यके लिये ज्यादा खतरनाक है। सहयोग-त्याग स्वयं तो शान्ति-पूर्ण कानून भड़की अपेक्षा अधिक निर्दोष है, परन्तु उसका परिणाम उक्त कानून-भड़के परिणामकी अपेक्षा सरकार लिये कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। सहयोगत्यागका उद्देश्य सरकारको इतना शक्ति-हीन कर देना है कि उसे न्याय करनेको बाध्य किया जा सके। अगर वह आखिरी सीमातक आरी रखा जाय तो वह अवश्य सरकारके कामको बिलकुल बन्द कर देनेमें

समर्थ हो सकता है। मेरे एक मित्रने जोकि अक्सर मेरे व्याख्यान सुनते रहे हैं, एक बार मुझसे पूछा कि आप ताजिरात हिन्दूकी राजविद्रोहकी दफाके अन्दर तो नहीं आ जाते। मैंने इस सम्बन्धमें पूरी तरह विचार नहीं किया था तोभी मैंने उत्तर दिया कि गालिबन में उसके अन्दर आ जाऊँगा। और यदि मेरे ऊपर उस दफाके अनुसार मुकदमा चलाया जायगा तो मैं अपनेको निर्देश नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं यह अवश्य स्वीकार करता हूँ कि मैं वर्तमान सरकारसे किसी प्रकारका प्रेम रखनेका बहाना नहीं कर सकता और मेरे व्याख्यानोंका उद्देश्य यह होता है कि लोगोंका प्रम सरकारके प्रति इतना घट जाय कि वे उसे सहायता देने या उसके साथ सहयोग करनेमें लज्जा अनुमान करने लगें, क्योंकि वह अब विश्वास अथवा सहायताकी पात्र नहीं रही है।

मैं ब्रिटिश सरकार और भारत सरकारमें कोई भेद नहीं समझता। भारत सरकारने खिलाफतके सम्बन्धमें वही नीति स्वीकार कर ली है जो कि ब्रिटिश सरकारने उसे स्वीकार कराई है और पञ्चाष्ठके मामलेमें ब्रिटिश सरकारने उस ओर और साहसी जातिको नामद बनानेकी नितिका समर्थन किया है जिसे भारत सरकारने प्रारम्भ की थी। ब्रिटिश मन्त्रियोंने अपने दिये हुए वचनका भंग किया है और भारतके सात करोड़ मुसलमानोंके हृदयोंमें बुरी

तरह चोट पहुँचाई है। पंजाब सरकारके असम्म्य अधिकारियोंने निर्दोष स्त्री पुरुषोंका अपमान किया था और अब उन लोगोंके साथ स्थाय होना तो दूर रहा निर्दयता और पाश्विकताके साथ पंजाबियोंके अपमान करनेवाले अधिकारी अब तक अपने पदों पर बने हुए हैं।

जब मैंने पिछली साल अमृतसर कांग्रेसमें हृदयसे यह प्रार्थना की थी कि सरकारका साथ सहयोग किया जाय और शाही घोषणामें प्रगट की गई इन्हाओंका बदला चुकाया जाय तब मैं यह विश्वास करता था कि एक नवीन युग स्थापित होनेवाला है और भय और अविश्वासके स्थान पर सम्मान विश्वास और मित्रताका सांख्याज्य स्थापित होनेवाला है। मुझे हृदयसे यह विश्वास था कि मुसलमानोंके भावोंको सम्मुष्ट किया जायगा और पंजाबके फौजों शासनमें जिन अधिकारियोंने कसूर किया था उन्हें कमसे कम बरकास्त तो कर ही दिया जायगा तथा जनताको अन्य प्रकारसे भी यह अनुभव करा दिया जायगा कि जो सरकार प्रजाओंज्यादतियोंका उसे दण्ड देनेमें सदा शीघ्रता किया करती है वह अपने कर्मचारियोंके अपराधोंको भी दण्डित किये विना नहीं रहेगी। परन्तु अब मुझे यह मालूम करके बहुत आश्वर्य और दुःख हुआ है कि सांख्याज्यके बर्तमान प्रतिनिधि वर्षमान हो गये हैं। उनको भारतके लोगोंकी इन्हाओंकी कोई परवा नहीं है और वे हिन्दुस्तानियोंके मानको बिलकुल नुच्छ चीज समझते हैं।

इस समय सरकार ऐसे बुरे लोगोंके हाथमें है कि मैं अब उससे प्रेम बनाये नहीं रख सकता। मुझे तो यह भी अपमान-जनक मालूम होता है कि मैं स्वतन्त्र पढ़ा रहूँ और अन्यायको देखता रहूँ। मिं माण्टेगूका मुझे यह धमकी देना कि अगर मैं सरकारके अस्तित्वको दृष्टिके खतरनाक काम जारी रखूँगा तो मेरी स्वतन्त्रताका अपहरण कर लिया जायगा, ठीक ही है : क्योंकि अगर मेरी काशिशें सफल हुईं तो उनका परिणाम सरकारके लिये खतरनाक ही होगा। लेकिन अगर मिं माण्टेगू मेरी पुरानी सेवाओंको स्वीकार करते हैं तो वह यह समझ सकते थे कि अगर मुझ जैसा सरकारका हितेजी भी अब उससे प्रेम नहीं रख सकता तो अवश्य उसमें कोई असाधारण बुराई होगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया—वह इतना ही मुझे खेद है। उन्होंने मुसलमानों और पञ्चाबके साथ न्याय करनेके आसान कामको न करके अन्यायको चिरखाया करनेके लिये मुझे धमकी दी है। मुझे तो इस बातका पूरा विश्वास है कि अन्यायी सरकारके प्रति अध्रीतिको भाव उत्पन्न करके मैं साम्राज्यकी उतनी सेवा कर सकूँगा जितनी कि मैंने अभी तक नहीं की है। परन्तु तोभी जो लोग मेरी वर्तमान नीतिका समर्थन करते हैं उनका कर्तव्य स्पष्ट है। यदि भारत सरकार मेरी स्वतन्त्रताका अपहरण कर लेना ही अपना कर्तव्य समझती है तो मुझे इस बात पर किसी तरह कोश नहीं करना चाहिये। अगर किसी राष्ट्रके कानूनोंके अनुसार उसके किसी नागरिकको

स्वाध्यानता रहित किया जाय तो उसे इसका विरोध करनेका कोई अधिकार नहीं है और जब स्वयं उसीका अधिकार नहीं है तो उसके साथ सहानुभूति रखनेवालोंकी तो कोई बात ही नहीं है। मेरे सम्बन्धमें सहानुभूतिका तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं जानबूझ कर सरकारके अस्तित्वको खतरेमें डालनेकी कोशिश कर रहा हूँ। इसलिये जिस समय में चेद होऊँ वह समय मेरे नीतिके समर्थकोंके लिये तो खुशाका होना चाहिए, क्योंकि अगर वे लोग मेरे पीछे भी मेरी नीतिको जारी रख सकें तो मेरी गिरफ्तारीका अर्थ सफलताका प्रारम्भ होगा। अगर सरकारने मुझे गिरफ्तार किया तो वह ऐसा काम सहयोग-त्यागकी उचितिको रोकनेके लिये ही करेगी। फिर अगर मेरी गिरफ्तारीके बाद भी सहयोग-त्याग बिना किसी उत्साहकी कमीक तरफ़ी करता चला गया तो सरकारके लिये यह आवश्यक हो जायगा, कि या तो वह और लोगोंको बैद करे या जनतासे सहयोग प्राप्त करनेके लिये उनकी इच्छा पूरी कर दे। अगर लोगोंने उत्तेजित किये जानेपर भी उपद्रव कर डाला तो परिणाम नाशकारक होगा। इसलिये सफलताके लिये प्रथम आवश्यकता यह है कि आन्दोलनके बीचमें चाहे मैं गिरफ्तार किया जाऊँ और चाहे कोई और किया जाय किसी तरहका क्रोध प्रगट नहीं किया जाना चाहिए। ये दोनों काम एक साथ ही नहीं हो सकते कि हम सरकारके अस्तित्वको संकटापन्न भी बनावें और फिर अगर वह ऐसा करनेवालोंको दण्ड देकर अपनी रक्षाका यज्ञ करे तो उसको बुरा भी कहें।

खिलाफत

— : * : —

(मार्च २२, १९२१)

सेवको सन्धिमें जिस परिवर्तनकी चर्चा चल रही है वह भारतीय मुसलमानोंको सन्तुष्ट नहीं कर सकती। व्यवस्था यह हो रही है कि यूरोपमें तुर्कोंको पश्चिया माइनर स्पर्ना और कुस्तुन्नूनिया दे दिया जाय। पर ब्रिटनको स्मरण रखना चाहिये कि उसे केवल तुर्कोंको ही सन्तुष्ट नहीं करना है। भारतीयोंको भी शान्त करना उसके लिये जरूरी है। मेरी समझमें आवश्यक बात यह है कि भारतीय मुसलमानोंकी मांगे पूरी की जायें चाहे तुर्कोंका सन्तुष्ट किया जाय या नहीं। इसके दो कारण हैं। खिलाफत एक ध्येय है और जब मनुष्य किसी ध्येयको सामने रखकर काम करता है तो वह अदम्य हो जाता है। मुसलमानोंके सामने यह महान् ध्येय है और इसीलिये उनकी सहायताके लिये समस्त भारत बढ़ा है।

जो लोग कहते हैं कि मुसलमान लोग तुर्कोंके लिये यह आनंदोलन मचा रहे हैं वे ग्रममें हैं। यदि आज तुर्कों अपने पथसे छण्ड हो जाय तो मुसलमान उसका साथ कभी नहीं देंगे। उदाहरणके लिये यदि वह आज चाहे कि उसकी बड़ी स्थिति हो जाय जो सुलेमानके राजत्व कालमें थी, तो भला इस पागलपनकी

बातोंको कौन मुसलमान सुनेगा और उसका साथ देगा । इसी तरह केवल इस कारण कि तुकों कमज़ोर हो गया है और अपनेको सम्भाल नहीं सकता मुसलमान अपने धार्मिक अधिकारोंको नहीं छोड़ सकते ।

प्रत्येक सदा मुसलमान तुकोंको अधिकार सम्पत्ति देखना चाहता है और साथ ही साथ वह यह भी देखना चाहता है कि जजीरतुल अरब अर्थात् मेसोपोटामिया, सीरिया, तथा पलस्टाइन पर मुसलमानोंका एक छत्र अधिकार रहे और ये पूरी तौरसे बलीफा की छत्रछायामें रहे चाहे वह बलीफा कोई भी क्यों न हो । इसके अतिरिक्त काँई भी शर्त चाहे वह कितनी ही उदार क्यों न हो मुसलमानोंको सन्तुष्ट नहीं कर सकती । वे लोग इस बातको क्षणभरके लिये भी बरदाश्त नहीं कर सकेंगे कि मुसलमानोंके राज्यपर सीधा चाहे प्रकारान्तरसे किसी भी गेर मुसलमानका अधिकार हो ।

इस व्यालसे पलस्टाइनका प्रश्न सबसे विकट है । ब्रिटनने यहूदियोंको बचन दिया है कि यह प्रदेश वह उन्हें देगा । उस प्रदेशसे उनका धार्मिक सम्बन्ध भी है । कहा जाता है कि यदि पलस्टाइन यहूदियोंको न दे दिया जायगा तो वे आजन्म बिना घर छारके शुमन्तु जाति बने रहेंगे । इसके तहमें जो सिद्धान्त है उसकी सार्थकता अथवा निर्थकता पर में यहां कुछ लिखना नहीं चाहता । मुझे केवल इतना ही कहना है कि चालबाजी या विश्वासघातसे उन्हें वह प्रदेश नहीं मिल सकता । इस

युद्धका दांव पलस्टाइन नहीं था । ब्रिटिश सरकारने कभी भी इस बातका साहस न किया होता कि वह मुसलमानोंसे कहती कि तुम इस युद्धमें भाग लेकर मुसलमानोंके हाथसे पलस्टाइन छीन लो और उसे यहूदियोंको सौंप दो । पलस्टाइन यहूदियोंका धर्मस्थान है । उनके धार्मिक भावोंकी रक्षा करना आवश्यक है और यदि मुसलमान उन्हें धार्मिक पूजा आदिमें पूर्ण स्वतन्त्रता न देकर किसी तरहका वाधा ढालें तो यहूदियोंकी शिकायत यथार्थ होगी ।

पर यह किसी भी मिडान्टमें प्रतिपादित नहीं होता कि पलस्टाइन यहूदियोंको दिया जाय । यहूदियोंको उचित है कि या तो पेलस्टाइनके सम्बन्धमें वे अपने सिद्धान्तमें परिवर्तन करें या यदि यहूदों धर्म युद्धसे काम लेनेकी योजना करता है तो वे संसारके मुसलमानोंके साथ धार्मिक युद्ध करे जिसमें इसाई उनके साथी होंगे । पर समारकी प्रगति धार्मिक युद्ध न होने देगी और धार्मिक प्रश्न मदाचारके अनुसार निर्णीत हो जायगे । पर इस प्रकारका शुभ समय कभी उपलब्ध होता है या नहीं ; यह स्पष्ट है कि यदि खिलाफतकं प्रश्नका न्यायतः निपटारा करना है तो जजीरतुल अरबपर मुसलमानोंका पूर्ण अधिकार हो और वह खलीफाकी छत्रछायामें रहे ।

पहली अगस्त

—१९५८—

(जुलाई २८, १९५८)

इस बातकी बहुत ही कम सम्भावना है कि पहलो अगस्त-तक ब्रिटिश सरकार तुर्कीके साथ की हुई सन्धिकी शर्तोंके सुधारका कोई प्रयत्न करेगी और असहयोगको स्वगित करनेका अवसर आवेगा । जहाँ तक घटना बतलाती है पहली अगस्त भी भारतके इतिहासमें उतनाही महत्व रखेगी जितना कि ६ ठी अप्रैल । छठी अप्रैलने रौलट ऐकूपर कुटाराघात किया और वहीसे उसका अन्त शुरू हुआ । जिस आन्दोलनने उसे इस प्रकार नीचे गिराया उसके सामने उसका फिर सिर उठाना कठिन है यद्यपि वह आन्दोलन कुछ दिनके लिये स्वगित कर दिया गया है । इस बातको हमें भली भांति ध्यानमें रखना चाहिये कि यदि हमारेमें इतनी शक्ति है कि हम इस अनचाहती सरकारसे पजाब तथा खिलाफतके मामलोमें जबर्दस्ती न्याय करा सकते हैं तो निश्चय मानिये कि हम लोग रौलट ऐकू भी इससे रह करवा ही लेंगे । हम लोगोंका बल सत्याप्रह है चाहे उसे असहयोग कहिये या सर्वनय अवश्य ।

पारस्ताल सत्याप्रह आन्दोलन चलानेमें जो घटनायें हो गईं उनका स्मरणकर लोग असहयोगके नामसे ढरते हैं ! उनको

भय है कि जनता फिर उत्तेजित हो जायगी, काबूसे बाहर हो जायगी और पारसालकी तरह अति क्रूर और नृशंस काम कर बेठेगी जिसका मुकाबिला अर्द्धचीन इतिहासमें नहीं हो सकता। मैं भी इन जन साधारणके आतङ्कसे जितना ढरता हूँ, सरकारके आतङ्कसे उतना नहीं ढरता। सरकारकी ज्यादतियाँ एक संखा की ज्यादतियाँ हैं पर जनताकी ज्यादतियाँ राष्ट्रीय बदमिजाजी-का नमूना हैं, इसलिये इसको कड़जेमें करना नितान्त कठिन है। यदि सरकारने कोई बुराई की है तो वह सबपर व्यक्त है और हम उसके लिये उसे दण्ड दे सकते हैं पर जनतामें यदि उपद्रवी पेंदा हो जाते हैं तो उनका पता लगाना और उन्हें दण्ड देना कठिन है। पर केवल इस बातकी सम्भावना पर कि सरकार और साधारण जनता किसी तरहका उपद्रव या ज्यादती कर बेठेगी इसलिये इस तरहके आन्दोलनको न चलाना तो बुद्धिमानीका सबूत नहीं होगा। भूल और असफलतासे ही हमें जीवनमें शिक्षायें मिलती हैं। केवल हार खाकर या भूल करनेके कारण सेनापति युद्धसे मुँह नहीं मोड़ सकता। यही बात हम लोगोंके साथ भी लागू है। हमें असहयोग व्रतको तुरन्त प्रहण कर लेना चाहिये और उसके लिये किसी तरहकी विपत्तिकी सम्भावना नहीं करनी चाहिये। आशा और विश्वासके सहारे हमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना चाहिये। जैसा सत्या-प्रह व्रत धारण करनेके पहले किया गया था, असहयोगव्रत धारण करनेके पहले भी व्रत और प्रार्थना करने होंगे। यह

आनंदोलन धार्मिक है। इसलिये उपवासब्रत और प्रार्थनाद्वारा इसकी धार्मिकता को प्रगट करनी होगा। अखिल भारतवर्षोंमें हड्डताल होनी चाहिये और शाम को सार्वजनिक सभायें करके तुर्कोंकी सन्धियोंमें परिवर्तन तथा पञ्चाबके अत्याचारोंके प्रतीकाएँ लिये प्रस्ताव पास करना चाहिये। साथ ही इस बातकी भी धोषणा कर देनी चाहिये कि जबतक न्याय नहीं होगा हम लोग बराबर ब्रत पालन करेंगे।

सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदोंका परित्याग भी उसी दिनसे आरम्भ होना चाहिये। लोगोंका कहना है कि इसके लिये नोटिस देना चाहिये। उपाधियों तथा अवैतनिक पदोंका परित्याग बिना सूचनाके उचित नहीं होगा। जिस समय धोषणा की जा रही है वहीं हड्डतालके परित्यागके दिनकी अवधि पर्याप्त नहीं है। जिन लोगोंके हृदयमें इस तरहको आशंका उठ रही है उनसे हमें कहना है कि पहली अगस्त तो केवल आरम्भ करनेका दिन है। यहींसे अन्त नहीं हो जाता कि पर्याप्त समयकी चिन्ता उठ जड़ी होती है। यह तो कहीं लिखा नहीं है कि केवल उसी दिन सबको उपाधियां और अवैतनिक उद्देश्याग देने चाहिये। उस दिन केवल आरम्भ होगा। मुझे तो यह भी आशा नहीं कि उस दिन उपाधि या अवैतनिक पद परित्याग करनेवालोंकी किसी भी प्रकार सन्तोष-जनक संख्या दृष्टिगोचर होगी। इसके लिये भी हमें भीषण आनंदोलन करना होगा, कड़ी परिश्रम करनी होगी। प्रत्येक


उपाधिधारी तथा अवैतनिक पदभोगीके दरवाजे पर आकर खट्ट-खटाना होगा । उसे कांग्रेसके निर्णयको सुनाना होगा, इस निर्णयकी उपयोगिता बतलानी होगी । उसके कर्तव्यको सुझाना होगा और तब उससे प्रार्थना करनी होगी कि पेसी अवस्थामें उपाधि धारण किये रहना या अवैतनिक पदों पर कायम रहना आपको शोभा नहीं देती ।

पर इस ब्रतका सबसे प्रधान और महत्व पूर्ण काम होगा सङ्घठन, परिचालन, तालीम, परस्पर सहयोग तथा काम करनेवालोंमें एकता और मेल । हमारा सङ्घठन जिनता ही दृढ़ होगा हमारा असहयोग ब्रत उतना ही परिपूर्ण और सार्थक होगा । पञ्चाबमें हम जिस किसी सभामें गये वहांकी उपस्थित जनताके आकार, भाव और इङ्गितको देखनेसे हमें स्पष्ट विदिन हो जाता था कि वे सरकारके साथ सहयोग त्याग करनेके लिये हर तरहसे तैयार हैं । केवल वे यह जान लेना चाहती हैं कि इस परित्यागका क्या तरीका है और इस परित्यागमें उन्हें क्या करना होगा । कितने लीग तो ऐसे हैं जिन्हें सरकारकी जटिल शासन व्यवस्था ही समझमें नहीं आई है । यदि उनसे कहा जाता है कि आप भी इस सरकारके प्रतिपालक हैं, इसके मञ्चालनमें आप भी सहायता करते हैं, आपके सहयोग पर ही इसकी गति है तो वे हँसते और विस्मय प्रगट करते हैं । वे कहते हैं:—“मैं तो इस सरकारकी शासन प्रणालीको समझता तक नहीं कि यह किस तरह चलती है,

इसके काममें कभी हाथ तक नहीं लगाया फिर भला मेरी सहायताकी इसे कब आवश्यकता रहती है।” पर वास्तवमें बात यह है कि हममेंसे प्रत्येककी सहायता विना इस सरकारका काम असम्भवसा समझिये। इसके प्रत्येक कार्यमें हम प्रत्येककी सहायता रहती है। इसलिये इसके प्रत्येक कामको कुछ न कुछ जिम्मेदारी हम सबपर है। और जबतक सरकारके काम पूर्ण योग्यताके साथ किये जाते, हैं जबतक उसके आचरण वरदानन करने योग्य होते हैं तबतक उसकी साथ देना, उसको सहायता करना, उसके कामोंका समर्थन करना उचित है। पर जब वह देखता है कि सरकारी कार्यवाईसे, उसके आचरणसे हमारी जाति या हमारे देशका नाश हा रहा है, आत्मा पर चौंड पहुँच रही है, घार अपमान हो रहा है तो उसे तुरन्त उस सरकारका साथ छाड़ देना चाहिये और अपनी सहायतासे उसे उचित कर देना चाहिये।

पर साधारणतया इस कामको किस तरह चारितार्थ करना चाहिये अर्थात् सरकारके साथ सहयोग किस तरह उपाग देना चाहिये, इस बातको प्रत्येक प्रजा नहीं जानती। यदि किसी तरहसे क्रोध और गोपका अवसर मिल गया तो उसका परिणाम उपद्रव होगा, शान्तिसे काम तभी चल सकता है जब किसी बातका प्रतिरोध या मुकाबिला हम दूरदृश्यना-पूर्ण बुद्धिमानीके साथ कर सकते हैं। इसलिये पूर्ण तरहसे सफलता प्राप्त करनेकी पहली कुंजी यह है कि हमें हर तरहसे

अहिंसाका पालन करना होगा । हमें अपने प्रत्येक काममें यह देख लेना होगा कि कहींसे अहिंसा नहीं होने पाती । यदि हम लोगोंने सरकारके प्रति या सरकारके हिमायतियोंके प्रति अर्थात् वे लोग जो सरकारका ही पक्ष ग्रहण कर रहे हैं और हमारा साथ नहीं दे रहे हैं उनके प्रति यदि हमने अहिंसाका किसी तरहका भाव प्रगट किया तो इससे हमारी ही हानि समिलिये । सरकारको शख्खलके प्रयोगका अवसर मिल जायगा, घग्नाहोंकी जाने जायेगी, असहयोगको खगित करना पड़ेगा। और हमें अपने हृदयको पोछे बीचना पड़ेगा । इसलिये जिन लोगोंके हृदयोंमें इस बातकी आन्तरिक अभिलाषा है कि कमसे कम समयमें ही हमें इस असहयोगब्रतकी सफलता दिखला देनी चाहिये उन्हें चाहिये कि सबसे पहले इस बातको देखें कि उनके बीचमें कहींसे हिंसाकी बूँशास नहीं आ रही है । केवलमात्र अहिंसा और पूर्ण शान्ति ही असहयोग ब्रतको सफल कर सकती है ।



सुलभ साहित्य सीरीजका उद्देश्य

—१८७—

(१) हिन्दीमें सनां उपयोगी विषयोंपर पुस्तकें लिखवाना तथा अनुवाद करवाना और उन्हें प्रकाशित करना ।

(२) तत्कालीनपयोगी तथा ज्ञानिक लाभकी पुस्तकोंपर ध्यान न देकर स्थायी साहित्यका ही प्रकाशन करना ।

(३) व्यवसाय आदि जिन विषयोंपर अभी पुस्तकें नहीं निकली हैं उनके लिये यत्न करना और पुस्तकें लिखवाना ।

(४) पुस्तकोंका मूल्य इतना सुलभ रखना जिससे साधारण हैसियतका आदमी भी उनसे लाभ उठा सके ।

(५) प्रकाशनमें हिन्दी भाषा, देश तथा समाजके कल्याण पर विशेष ध्यान रखना ।

बड़ा बजार कुमार सभाका उद्देश्य

१—परस्पर सद्भाव व मेत्री स्थापित करना ।

२—शारीरिक तथा मानसिक उज्ज्ञती करते हुए देश व समाजकी सेवा करना । विशेषकर स्वदेशी वस्तुओंके प्रचारकी चेष्टा करना ।

३—समाजमें शिक्षा प्रचारके लिये पुस्तकालय खोलना, व्याख्यान आदि दिलावाना तथा हानधर्घक विभाग खोलना जिसमें प्रकाशन आदि रहेंगे ।



वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न०

२४२.९

ग्रंथ

लेखक

शीर्षक

पंग इण्डिया /

खण्ड

क्रम संख्या

92 36